संसद में चन्द्रशेखर

स्मृति ग्रन्थ

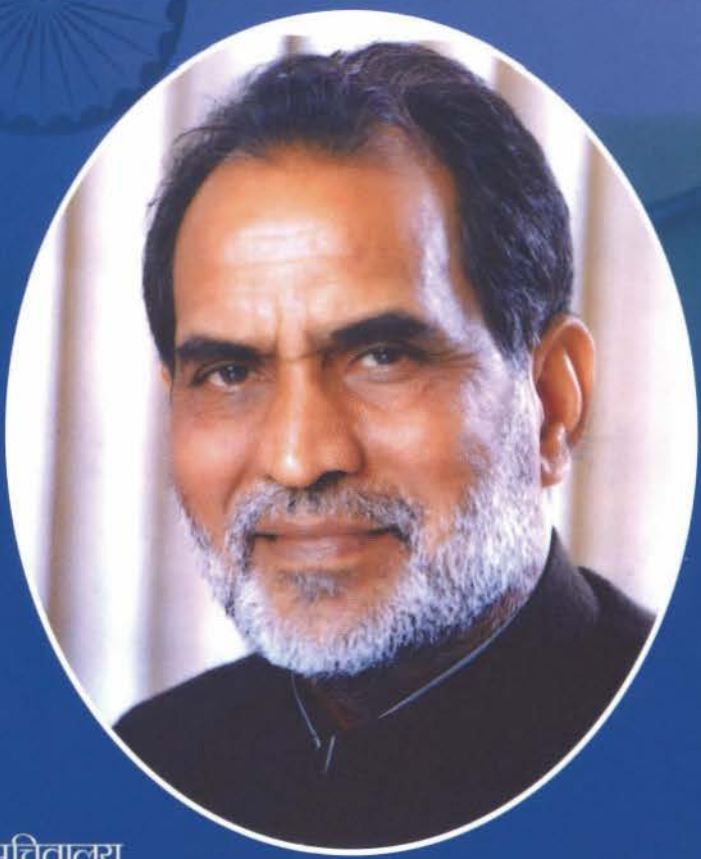

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसद में चन्द्रशेखर
स्मृति ग्रन्थ

संसद में चन्द्रशेखर

स्मृति ग्रन्थ

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2017

1-लार्डिस (एसएडब्ल्यू) 2017

प्रथम संस्करण 2016
पुनर्मुद्रण 2017

मूल्य: ₹ 1200.00

© लोक सभा सचिवालय, 2017

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष
लोक सभा

प्राक्कथन

श्री चन्द्रशेखर स्वतंत्र भारत के उन सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से थे जिनका देश के राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव था। समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से निर्धन और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उनकी अत्यधिक सराहना हुई। वह अपने पूरे सार्वजनिक जीवन और सुदीर्घ तथा दशकों के संसदीय कॅरियर में आम आदमी के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे।

छात्र जीवन से ही श्री चन्द्रशेखर का राजनीति और जनसेवा के प्रति झुकाव था और शीघ्र ही वह समाजवाद के कट्टर समर्थक बन गए। उन्होंने अपना लंबा और शानदार राजनैतिक कॅरियर और जन सेवा बलिया जिले में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में आरंभ किया और बाद में उत्तर प्रदेश राज्य प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव और बाद में उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदों पर कार्य किया। वह कुछ वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में भी रहे। कांग्रेस पार्टी से अपना संबंध तोड़ लेने के बाद वह जनता पार्टी के सदस्य बने और काफी लंबे समय तक उस पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनके लिए पार्टी की राजनीति में वे मूल्य और सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण थे जिनमें वह पूरे मन से विश्वास करते थे।

श्री चन्द्रशेखर का चार दशकों का प्रतिष्ठित विधायी जीवन, वर्ष 1962 में आरंभ हुआ जब वह पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए चुने गए। वह 1968 और 1974 में फिर से राज्य सभा के लिए चुने गए। वह छठी, सातवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के निर्वाचित सदस्य रहे। संसद के साथ उनका सुदीर्घ और शानदार संबंध विशेष रूप से आठ बार लोक सभा के लिए चुने जाना, आम जनता के साथ उनके अत्यधिक घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण है।

श्री चन्द्रशेखर के व्यक्तित्व में एक राजनेता की दूरदर्शिता, एक नेता के मानवतावादी दृष्टिकोण और एक सुधारक के उत्साह का समावेश था। अपने मानवीय गुणों तथा संवेदना के कारण वह औरों से अलग थे। एक सच्चे लोकतंत्रवादी के रूप में वह अन्य लोगों के विचारों को भी महत्व देते थे भले ही उनके विचार उनसे अलग हों। जब भी उनके विचार अपनी पार्टी के साथियों से टकराए तो वह विद्रोह करने में भी नहीं हिचकिचाए। अपने व्यावहारिक स्वभाव और यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण वह लोगों के प्रिय नेता बने।

श्री चन्द्रशेखर एक जननेता थे जो सदैव निर्धनतम लोगों से जुड़े रहे और उनके हितों का समर्थन करते रहे। उनका इस बात में दृढ़ विश्वास था कि कोई व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों न हो परंतु, जब तक सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं होगा और गरीबी उन्मूलन नहीं होगा तब तक कमजोर और दबे कुचले लोगों का कुछ भी भला नहीं होगा। वह सामाजिक पुनर्गठन हेतु परिवर्तन और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के पक्षधर थे। आम जनता के साथ अपने संबंध बनाने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए श्री चन्द्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली में राजघाट तक जो पदयात्रा की थी उसे आज भी देश याद करता है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और लोगों को शिक्षित करने और शुरुआती कार्य सिखाने के लिए उन्होंने विभिन्न राज्यों में भारत यात्रा केन्द्रों की भी स्थापना की। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के साथ-साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में उनकी चिंता की सभी लोगों ने सराहना की।

श्री चन्द्रशेखर एक ऐसे अनूठे राष्ट्रीय नेता थे जो अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी मंत्री पद पर न रहते हुए भी प्रधानमंत्री बने। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए पद के पीछे भागने की अपेक्षा निचले स्तर के लोगों के लिए कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। समतावाद और समानता के बारे में उनकी प्रतिबद्धता तब मुखर हुई जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर लोगों से कहा, ''जब हर तरफ वेदना व्याप्त हो तो आप अपनी समृद्धि बचाए नहीं रख सकते''। वह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जमीन से जुड़े थे। यद्यपि प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत छोटा था फिर भी एक कुशल प्रशासक के रूप में वह देश की जनता की प्रशंसा के पात्र बने।

संसद में और संसद से बाहर श्री चन्द्रशेखर एक प्रभावशाली, धाराप्रवाह बोलने वाले और प्रेरक वक्ता थे। विभिन्न मुद्दों पर उनकी अर्थपूर्ण और अकाट्य व्याख्या संसद की कार्यवाही में जान डालकर इसे और समृद्ध बना देती थी। उनमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रति नैसर्गिक और स्वाभाविक सम्मान था। 16 मई, 2000 को जब तेरहवीं लोक सभा ने आचार समिति गठित करने की पहल की तो श्री चन्द्रशेखर को इसका प्रथम सभापति बनाया गया था। वह चौदहवीं लोक सभा में भी आचार समिति के सभापति रहे। संसद में श्री चन्द्रशेखर द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1995 में भारतीय संसदीय समूह के उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

एक समाजवादी के रूप में, एक योग्य प्रशासक के रूप में और एक प्रतिष्ठित सांसद के रूप में श्री चन्द्रशेखर को लोगों की प्रशंसा मिलती रहेगी। उनका जीवन और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित यह स्मृति ग्रंथ एक नेता के रूप में श्री चन्द्रशेखर के विभिन्न आयामों, उनके आदर्शों एवं विभिन्न विषयों और मुद्दों पर उनके विचारों को एक साथ संजोने का प्रयास है। इस ग्रंथ में उनके समकालीन विशिष्टजनों और प्रशंसकों द्वारा लिखित विद्वतापूर्ण लेखों के साथ-साथ संसद में उनके द्वारा दिए गए चुनिंदा भाषण भी शामिल हैं जो

देश के समक्ष प्रस्तुत सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक वास्तविकताओं और चुनौतियों के बारे में उनकी गहन अन्तर्दृष्टि के परिचायक हैं। मैं लोक सभा के महासचिव, श्री अनूप मिश्र और लोक सभा सचिवालय के उनके सहयोगी अधिकारियों को श्री चन्द्रशेखर पर यह पुस्तक प्रकाशित करने के लिए बधाई देती हूं। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन सांसदों, शोधार्थियों और अध्ययन में रुचि रखने वाले अन्य सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा।

नई दिल्ली
जुलाई, 2016

सुमित्रा महाजन
अध्यक्ष, लोक सभा

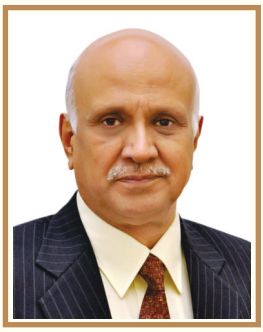

सत्यमेव जयते

महासचिव
लोक सभा

आमुख

चन्द्रशेखर एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ थे जिनका भारतीय राजनीति और संसद में लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। एक सांसद के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, सोच और उनके विश्वास के कारण उनकी गणना संसद के अत्यंत सम्मानित सांसदों में की जाती है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी चन्द्रशेखर जन्म से ही नेता थे। वह अपनी प्रभावशाली भाषण कला और देश के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति उनकी जानकारी और गहन समझ के लिए जाने जाते थे। वाद-विवाद के दौरान संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए उनका ध्यान सदैव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केन्द्रित रहता था। कई अवसरों पर उनके प्रबुद्ध संसदीय हस्तक्षेपों जिनमें एक काव्यात्मक स्पर्श भी रहता था, और उनके करारे, सुबोध और सुविचारित राजनैतिक तर्कों ने उन्हें संसद में हो रहे शोर-शराबे के बीच भी अलग पहचान दिलाई। उनके कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया और वर्ष 1995 में प्रतिष्ठित भारतीय संसदीय ग्रुप के उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाज़ा गया।

भारत के आठवें प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कुछ अच्छाइयां और उपलब्धियां रहीं। यद्यपि वह लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे किंतु फिर भी उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही गंभीर स्थिति में देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए असाधारण योग्यताओं और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके घटनापूर्ण कार्यकाल को याद करते हुए सत्रहवीं शताब्दी के अंग्रेजी के एक कवि बेन जॉनसन की पंक्तियां याद आती हैं-

''इन स्माल प्रोपोर्शन्स वी जस्ट ब्यूटीस सी;
एंड इन शार्ट मेजर्स, लाइफ मे परफैक्ट बी''

यह प्रकाशन संसद के दोनों सदनों में अपनी सेवाएं प्रदान करने की विशिष्टता रखने वाले और अपने योगदान से संसदीय कार्यवाहियों को और समृद्ध बनाने वाले चन्द्रशेखर को श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रकाशन के माध्यम से एक ऐसे नेता को श्रद्धांजलि देना एक सराहनीय प्रयास है जिसने वंचित वर्गों के लोगों के विकास और उत्थान के लिए पूरी निष्ठा और धैर्य से कार्य किया।

हम लोक सभा की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन का आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रयासों, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से हम यह प्रकाशन निकाल पाए। मैं इस स्मृति ग्रन्थ का प्रेरक और ज्ञानवर्द्धक आमुख लिखने के लिए उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी और भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति, मो. हामिद अंसारी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस प्रकाशन के लिए अपने संदेश भेजना स्वीकार कर इस स्मृति ग्रन्थ को और भी मूल्यवान बना दिया। हम इस ग्रन्थ हेतु संदेश देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भी कृतज्ञ हैं।

इस प्रकाशन का संकलन चार भागों में किया गया है। भाग-एक में चन्द्रशेखर जी का जीवनवृत्त दिया गया है। इस भाग में चन्द्रशेखर के व्यक्तित्व के विकास और इसे प्रभावित करने वाली विभिन्न बातों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका को भी संक्षेप में दोहराया गया है। प्रकाशन में एक लोकप्रिय नेता और जन-नायक के रूप में उनकी छवि उभारने का प्रयास किया गया है और एक अनुभवी सांसद के रूप में देश के जनजीवन के विभिन्न पक्षों पर उनके विचारों को प्रस्तुत किया गया है।

प्रकाशन के भाग-दो में उनके समकालीन और निकट सहयोगियों द्वारा चन्द्रशेखर पर लिखे गए लेखों को सम्मिलित किया गया है। भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों, लोक सभा के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्य, शिक्षाविदों और पत्रकारों का योगदान भी सम्मिलित किया गया है। मैं उनमें से प्रत्येक का आभारी हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और अपने योगदान से इस प्रकाशन को समृद्ध किया। हमारे साथ अथक सहयोग करने, मूल्यवान जानकारी देने और इस प्रकाशन में सूचनाप्रद लेख देने के लिए चन्द्रशेखर के पुत्र और संसद सदस्य श्री नीरज शेखर के भी आभारी हैं। तथापि, हम यह कहना चाहेंगे कि विभिन्न लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं और लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए मतों या तथ्यों के संबंध में लोक सभा सचिवालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

प्रकाशन के भाग-तीन में संसद के दोनों सदनों में चन्द्रशेखर द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन है। इन भाषणों से विभिन्न विषयों पर उनके विचारों तथा हमारे समाज के गरीब और वंचित वर्गों के प्रति उनके गहरे सरोकार की स्पष्ट झलक मिलती है। मूल रूप से हिन्दी में दिए गए उनके कुछ भाषणों का अंग्रेजी में अनुवाद करके इस प्रकाशन के अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित किया गया है। इन भाषणों को विषय-वार संकलित किया गया है।

प्रकाशन के भाग-चार में 8 जुलाई, 2007 को उनके निधन पर संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलियां सम्मिलित की गई हैं। इस प्रकाशन में एक सांसद, एक प्रधानमंत्री, एक सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री चन्द्रशेखर जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए उनके फोटोग्राफ शामिल किए गए हैं। हम, इस प्रकाशन के लिए चन्द्रशेखर जी के अच्छे फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु प्रेस सूचना ब्यूरो की फोटो लाइब्रेरी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग और लोक सभा के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार के आभारी हैं।

लोक सभा सचिवालय की संपादन और अनुवाद सेवा ने चन्द्रशेखर जी द्वारा संसद में हिन्दी में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण भाषणों का अंग्रेजी अनुवाद तथा हिन्दी में प्राप्त कुछ लेखों और श्रद्धांजलियों का अंग्रेजी अनुवाद करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम श्रीमती सरिता नागपाल, निदेशक और उनके सहयोगियों का इस संबंध में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करते हैं।

यह प्रकाशन, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कठोर परिश्रम का परिणाम है। मैं सचिव, लोक सभा, डॉ. डी.एस. भल्ला का आभारी हूं जो इस ग्रन्थ के सफल प्रकाशन में उत्साहपूर्वक अपना योगदान देने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। मैं इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण समर्पण और कठिन परिश्रम के साथ पूरा करने के लिए अपर सचिव, श्री के. विजयकृष्णन, संयुक्त सचिव, श्री अभिजीत कुमार और श्रीमती कल्पना शर्मा, निदेशक, डॉ. डी.के. सिंह और श्रीमती अल्पना त्रिपाठी, अपर निदेशक, श्री प्रदोष पांडा, श्रीमती नलिनाक्षी त्रिखा, श्री प्रशांत के. मलिक और संयुक्त निदेशक, श्रीमती उर्मिला शर्मा, शोध अधिकारी, श्री असाखो चचेई, श्रीमती निशा, शोध सहायक और कनिष्ठ ग्रंथालय सहायक, श्री ए. सुरबंता मैती का भी धन्यवाद करता हूं।

इतने कम समय में उत्कृष्ट रूप से इस कार्य को पूरा करने के लिए लोक सभा सचिवालय की मुद्रण और प्रकाशन सेवा में निदेशक श्री एस.एस. कुकरेजा और उनके सहयोगी अधिकारी और प्रिंटर, मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया भी धन्यवाद के पात्र हैं।

हमें आशा है कि सांसद, राज्य विधायिकाएं, शिक्षाविद, शोधार्थी, मीडिया तथा संसदीय संस्थाओं और उनके नेताओं के बारे में अध्ययन के इच्छुक सभी अन्य व्यक्ति श्री चन्द्रशेखर जी के जीवन पर आधारित इस स्मृति खंड का स्वागत करेंगे।

नई दिल्ली
जुलाई, 2016

अनूप मिश्र
महासचिव, लोक सभा

विषय-सूची

पृष्ठ

प्राक्कथन ..... (i)

आमुख ..... (v)

सन्देश ..... (xv)

भाग एक

जीवन परिचय 1

भाग दो

लेख

चन्द्रशेखर : मेरे पिता
(नीरज शेखर) 13

चन्द्रशेखर : एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व
(ओम प्रकाश श्रीवास्तव) 18

चन्द्रशेखर जी : एक सुविख्यात राजनीतिक व्यक्तित्व
(कैप्टन अब्बास अली) 24

श्री चन्द्रशेखर जी के व्यक्तित्व के अनछुए पहलू
(सोहन वीर सिंह तोमर) 27

चन्द्रशेखर : जैसा मैंने देखा
(हुक्मदेव नारायण यादव) 30

स्वतंत्र भारत की राजनीति के धूमकेतु : चन्द्रशेखर
(डॉ. संजय सिंह) 31

चन्द्रशेखर : एक महान नेता
(विद्याचरण शुक्ल) 35

चन्द्रशेखर और संसद
(दशई चौधरी) 36

पृष्ठ

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी : एक अद्‌भुत व्यक्तित्व
(डॉ. जगन्नाथ मिश्र) 38

चन्द्रशेखर : दूसरी परंपरा के नायक
(मस्तराम कपूर) 43

चन्द्रशेखर : जैसा मैंने उन्हें जाना
(बलराज पुरी) 47

चन्द्रशेखर एक संसदविद् के रूप में
(हरिहर स्वरूप) 49

चन्द्रशेखर : भाग्य के धनी
(डॉ. जनक राज जय) 52

चन्द्रशेखर : एक प्रतिबद्ध समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवादी और लोकतंत्रवादी
(सत्य प्रकाश मालवीय) 58

भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह
(महेन्द्र वेद) 62

चन्द्रशेखर : एक विवेकशील व्यक्तित्व
(के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति) 65

चन्द्रशेखर
(शरद पवार) 67

आकाश में चमकता एक सितारा
[डॉ. (सुश्री) सरोजिनी महिषी] 70

चन्द्रशेखर : एक व्यक्ति के रूप में
(रवि रे) 72

श्री चन्द्रशेखर के बारे में मेरे विचार
(पवन कुमार बंसल) 73

भारतीय राजनीति का एकमात्र रखवाला
(विजय संघवी) 74

सतत संघर्षशील चन्द्रशेखर
(नर्वदेश्वर राय) 79

श्री चन्द्रशेखर – एक प्रधानमंत्री के रूप में : एक संस्मरण
(डॉ. बी.एल. शंकर) 84

पृष्ठ

चन्द्रशेखर : जीवन पर्यन्त वैश्वीकरण का विरोध
(प्रेम सिंह) 88

चन्द्रशेखर उर्फ़ 'नेताजी'
(विजय नायक) 92

चन्द्रशेखर : भीड़ में अकेले
(हरिवंश) 95

भाग तीन

संसद में उनके चुनिंदा भाषण

राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा

कल्याणकारी राज्य : सरकार का दायित्व 115
राष्ट्र निर्माण के आयाम 125
बैंकों का राष्ट्रीयकरण 132
प्रिवी पर्स और भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार 136
राष्ट्रपति का अभिभाषण 139
सरकार की प्रसारण नीति 146

संवैधानिक और संसदीय मामले

राजाओं की मान्यता समाप्त करने के संबंध में 153
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और देश का विकास 155
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की स्थापना 160
निवारक नजरबंदी (जारी) विधेयक, 1963 167
भारत में चुनाव सुधार 173
लोक लेखा समिति 176
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक 180

राष्ट्रीय एकता और अखण्डता

कानून और व्यवस्था की स्थिति 193
भारत में संकटकालीन स्थिति 197
राष्ट्रीय एकता और विघटनकारी तत्व 198

पृष्ठ

आर्थिक और वित्तीय मामले

वित्तीय संस्थाओं की भूमिका 205

तीसरी पंचवर्षीय योजना : एक मूल्यांकन 212

मध्यावधि मूल्यांकन : चौथी पंचवर्षीय योजना 219

पांचवीं पंचवर्षीय योजना 229

आयात-निर्यात नीति 239

औद्योगिक विकास : नीति और आयोजना 248

औद्योगिक नीति और राष्ट्रीयकरण 257

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निधियां 260

सामाजिक मामले

युवाओं का कल्याण 265

हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार 269

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल 273

उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल 277

खाद्य और कृषि

देश में खाद्यान्न की स्थिति 283

उत्तर प्रदेश में खाद्य समस्या 294

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1964 301

कृषि आधारित उद्योगों का विकास 307

सहकारी आंदोलन 311

चीनी उद्योग और सरकारी नीति 315

केन्द्र और राज्यों के संबंध तथा राज्यों की राजनीति

पश्चिम बंगाल में सरकार का विघटन 321

बिहार विधान सभा में स्थिति 325

पृष्ठ

विदेशी मामले और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

भारत की विदेश नीति 329
विदेश मंत्रालय की कार्य प्रणाली 334
राष्ट्रमंडल : भारत की सदस्यता 337
पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन 341
अमरीकी विमानों में ईंधन भरना 344
खाड़ी में स्थिति 350
खाड़ी युद्ध, 1991 352
चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण 358

विश्वास प्रस्ताव

विश्वास प्रस्ताव, 1990 365
मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव, 1990 370
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र 381
अविश्वास प्रस्ताव, 1993 388
विश्वास प्रस्ताव, 1997 396
विश्वास प्रस्ताव, 1997 401

विविध मामले

हवाला मामला 407
झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामला 409
तहलका डॉटकॉम मामला 411

भाग चार

चन्द्रशेखर को श्रद्धांजलि 415

अनुक्रमणिका 453

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि लोक सभा सचिवालय भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री चन्द्रशेखर पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित कर रहा है।

श्री चन्द्रशेखर का सुदीर्घ संसदीय जीवन रहा और उन्होंने देश की संसदीय परम्पराओं को मजबूत करने में अपूर्व योगदान दिया। वह संसद में आम जनता की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करके उसे सच्चे अर्थों में लोकोन्मुखी बनाने के लिए प्रयासशील रहे।

संसद सदस्य के रूप में श्री चन्द्रशेखर जी के अकाट्य सुविचारित और प्रभावपूर्ण तर्कों की सभी दल अपनी दलगत भावना से ऊपर उठकर सराहना करते थे। अपने संसदीय कार्यकरण में चन्द्रशेखर जी ने सदैव संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया। उनकी संसदीय प्रक्रियाओं में निपुणता तथा अन्य सदस्यों की राय और विचारों के प्रति सम्मान का भाव ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री चन्द्रशेखर जी ने जनसाधारण के कल्याण हेतु पूरे उत्साह, प्रतिबद्धता और निष्ठा से कार्य किया। उन्होंने अत्यंत दृढ़ विश्वास और साहस से निहित स्वार्थों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसके लिये उन्हें 'युवा तुर्क' के नाम से जाना जाता है। श्री चन्द्रशेखर को उनकी सरलता, ईमानदारी, दृढ़ता और साहस के लिये सदैव याद किया जाता रहेगा।

मैं इस अवसर पर, स्व. श्री चन्द्रशेखर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस मोनोग्राफ ''संसद में चन्द्रशेखर'' की सफलता की कामना करता हूं।

प्रणब मुखर्जी

नई दिल्ली
4 अगस्त, 2015

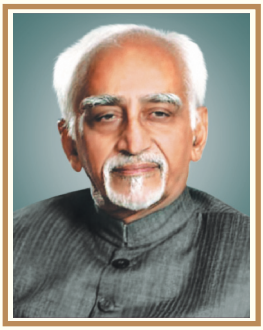

सत्यमेव जयते

भारत के
उप-राष्ट्रपति

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि लोक सभा सचिवालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री चन्द्रशेखर पर ''संसद में चन्द्रशेखर'' नामक एक मोनोग्राफ प्रकाशित कर रहा है।

श्री चन्द्रशेखर एक प्रबुद्ध सांसद थे। वह लोक सभा के लिए आठ बार और राज्य सभा के लिए तीन बार निर्वाचित हुए। संसद में, वह सदैव समाज में बदलाव और वंचित वर्गों के हितों के लिए संघर्षरत रहे। एक युवा तुर्क के रूप में उनके उदात्त विचार, अदम्य साहस और सभी क्षेत्रों में निहित स्वार्थों के विरुद्ध उनकी निष्ठापूर्ण लड़ाई सदैव प्रेरणादायी रहेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मोनोग्राफ स्व. चन्द्रशेखर जी के राष्ट्र के प्रति बहुमूल्य योगदान को जनता तक पहुंचाएगा।

शुभकामनाएं।

मो. हामिद अंसारी

नई दिल्ली
जुलाई, 2015

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
PRIME MINISTER

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि लोक सभा सचिवालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी के राष्ट्र के प्रति बहुविध योगदान के सम्मान में एक स्मृति खंड प्रकाशित कर रहा है।

कृषक परिवार में जन्मे श्री चन्द्रशेखर ने प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद को सुशोभित किया और एक राजनेता के रूप में इस महान पद पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। छात्र जीवन से ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे श्री चन्द्रशेखर जी ने विभिन्न मंचों पर अपने देशवासियों के हितों को प्रभावशाली ढंग से मुखरित किया। उनका पांडित्य और वाक्पटुता तीन दशकों से भी अधिक समय तक संसद के कक्षों में गुंजायमान होती रही। एक जिज्ञासु पाठक और प्रेरणादायी लेखक चन्द्रशेखर जी के उत्कृष्ट भाषण जमीन से जुड़े मुद्दों पर उनकी गहरी समझ को प्रतिबिम्बित करते हैं। अनुशासन प्रिय चन्द्रशेखर जी ने सदन में पूरी निष्ठा से अनुशासन और मर्यादा का पालन किया तथा दूसरों के लिये भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी इन्हीं योग्यताओं के कारण उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मैं लोक सभा सचिवालय को श्री चन्द्रशेखर जी पर यह प्रकाशन निकालने के लिए बधाई देता हूं। यह प्रकाशन उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति एक श्रद्धांजलि है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहा जाएगा।

नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली
जुलाई, 2015

भाग-एक
जीवन परिचय

चन्द्रशेखर

चन्द्रशेखर : जीवन परिचय

चन्द्रशेखर भारत के प्रमुख और लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। वह गरीबों, किसानों, भूमिहीनों तथा कामकाजी वर्गों के हितों और उनके विकास के साथ सदैव मन से जुड़े रहे। वह कुछ समाजवादी नेताओं और समाजवादी विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे। राजनीति में उनकी रुचि छात्र जीवन से ही पैदा हो गई थी और उन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव के सुझाव और उनके प्रभाव से ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उनका संसदीय जीवन राज्य सभा से शुरू हुआ जहां वह तीन बार संसद सदस्य बने। तत्पश्चात् वह लोक सभा में निर्वाचित हुए जिसमें वह आठ बार संसद सदस्य रहे। संसद के नियमों और प्रक्रिया में पूर्ण रुचि रखने और सदन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद के सभी दलों ने उनके सद्व्यवहार, विभिन्न विषयों पर उनकी पकड़ तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की।

उनका राजनैतिक जीवन काफी लंबा था और वह वर्ष 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री, एक कद्दावर नेता और एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी, यद्यपि वह इस पद पर कुछ ही समय रहे। चन्द्रशेखर ने संसद में विभिन्न विषयों पर संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं में निहित विभिन्न उपायों के साथ-साथ अपने स्वयं के लेखों के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त किए।

प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा

चन्द्रशेखर का जन्म 1 जुलाई, 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी गांव में हुआ था। उनके पिता सदानंद सिंह कृषक थे। उनकी माता का नाम श्रीमती दुरपई देवी था। उनके परिवार ने उन्हें सदैव कठिन परिश्रम करने और पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1945 में आज़मगढ़ में जीवन राम हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। तत्पश्चात्, उन्होंने बलिया में सतीश चन्द्र डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया और 1949 में बी.ए. पास की। पढ़ाई के दौरान ही 10 जून, 1944 को उनका विवाह द्विजा देवी से हो गया। बाद में, उन्होंने 1951 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एम.ए. किया।

राजनीति में पदार्पण

चन्द्रशेखर छात्र जीवन से ही राजनीति के प्रति आकर्षित थे और उन्हें क्रांतिकारी विचारों वाले जोशीले नेता के रूप में जाना जाता था। निर्भीक होकर छात्र संघ की स्वायत्तता का समर्थन करने और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस में वृद्धि का विरोध करने के कारण वह युवाओं

में लोकप्रिय हो गए। वह किसानों, भूमिहीन मजदूरों, सीमांत और दलित वर्गों की समस्याओं के साथ-साथ ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से भी भली-भांति परिचित थे।

वर्ष 1949 में कॉलेज से निकलने के बाद चन्द्रशेखर की रुचि राजनीति में और बढ़ गई। उनके मार्गदर्शक आचार्य नरेन्द्र देव ने उन्हें सक्रिय राजनीति से जुड़ने की सलाह दी जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रो. मुकुट बिहारी लाल के अधीन पीएच.डी. में नामांकन कराया था परंतु इसे बीच में ही छोड़ दिया। वह समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए और 1951 में बलिया में जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) के सचिव चुन लिए गए। बाद में वह 1962 तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर आसीन रहे।

चन्द्रशेखर ने अपने संसदीय जीवन का आरम्भ वर्ष 1962 में पीएसपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद किया। तब से वह केवल 1984 से 1989 के बीच की अवधि को छोड़कर संसद के सदस्य रहे। वर्ष 1964 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। 1967 में उन्हें संसद में कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। देश की आम जनता से संपर्क स्थापित करने और सामाजिक-राजनैतिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने 1969 में नई दिल्ली से ''यंग इंडियन'' नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया।

आपातकाल और गिरफ्तारी

1975 में देश में लगाए गए आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं के कारण चन्द्रशेखर ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1975 के अंतर्गत चन्द्रशेखर और अन्य कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें रोहतक जेल में रखा गया और बाद में चंडीगढ़ जेल भेज दिया गया। उसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया। जेल में अपने कारावास के दौरान उन्होंने ''जेल डायरी'' लिखी जो काफी लोकप्रिय हुई। अपनी गिरफ्तारी और कैद किए जाने पर उन्होंने लिखा:

> ''इससे मुझे मानसिक शांति मिली। अपने आसपास के घटनाक्रमों से सहमत होना मेरे लिए संभव नहीं था। कोई यह दावा कैसे कर सकता है कि किसी एक व्यक्ति पर देश का भविष्य टिका है। इतनी अधिक चापलूसी और ऐसा ओछापन मेरी फितरत नहीं।''

जेल में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने साहित्य से लेकर राजनीति, धर्म, विकास आदि से संबंधित अनेक पुस्तकें पढ़ीं। जेल से बाहर निकलने के बाद 30 दिसम्बर, 1976 को उन्हें नई दिल्ली लाकर नजरबंद कर दिया गया। तदुपरांत, 1977 में चन्द्रशेखर जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उसी वर्ष वह छठी लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वह लगातार पार्टी अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होते रहे और 1988 तक इस पद पर बने रहे।

उनकी भारत यात्रा

जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 6 जनवरी, 1983 से 25 जून, 1983 तक कन्याकुमारी, तमिलनाडु से नई दिल्ली में राजघाट तक 4260 कि.मी. की दूरी पद यात्रा करके तय की जिसे बाद में भारत यात्रा के नाम से जाना गया। भारत यात्रा जैसे दुष्कर कार्य करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उजागर करना और विद्यमान सामाजिक असमानताओं और विसंगतियों को दूर करना था। इस अभियान से वह जनता के बीच लोकप्रिय हो गए। इस यात्रा के दौरान चन्द्रशेखर ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित भारत के विभिन्न भागों में लगभग 15 भारत यात्रा केन्द्रों की स्थापना की।

इस महत्वपूर्ण भारत यात्रा पर चन्द्रशेखर ने टिप्पणी की:

> ''25 जून, 1983 को दिल्ली पहुंचने तक लगभग छह महीने यह अखंड यात्रा थी। लोगों के स्वयं शामिल होने के कारण इस यात्रा को अद्‌भुत सफलता मिली। पहली बार, लोगों को लगा कि कोई तो ऐसा है जो उनकी समस्याओं को समझने के लिए उनके घरों तक आने के लिए तैयार है। जब हमने यात्रा प्रारंभ की तो वह संदेहपूर्ण था कि लोग भारत यात्रा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे या इसे एक राजनीतिक नाटक के रूप में लेंगे। परंतु, पूरी यात्रा के दौरान, ग्रामीण लोग, जो निरक्षर थे, अशिक्षित थे, असहाय थे, आने वाले स्वयंसेवकों का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में कतार में खड़े थे। लगभग सभी गांवों में, जहां तक कि गरीब लोग भी यथासंभव अच्छे से अच्छे तरीके से स्वागत की व्यवस्था करते थे। भाषा की कठिनाई तो अवश्य रही होगी, परंतु दिल की भाषा, जो अधिक शक्तिशाली थी, भावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायक रही। हम स्वयं यह बात समझ गए कि यदि हम उनके पास जाते हैं तो लोग सहयोग करने को इच्छुक रहते हैं। इस संबंध में, महात्मा गांधी ने लोगों की नब्ज को पहचाना था। यह अपने-आप में एक साहसिक कार्य था और यह स्वयं की शिक्षा में साहसिक कार्य था।''[1]

अपनी लंबी और दुष्कर भारत यात्रा के दौरान, चन्द्रशेखर ग्रामीण भारत की कड़वी सच्चाई से रूबरू हुए। ग्रामीण भारत के बच्चों की दुर्दशा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी चिंता व्यक्त करते हुए चन्द्रशेखर ने कहा:

> ''भारत के हर जगह के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिल पाता। यहां तक कि उन्हें जीवित रहने का भी अवसर नहीं मिल पाता। पैदा होने वाले हर बच्चे को जीवित रहने का अधिकार है। उनके स्वस्थ शारीरिक विकास हेतु हमें उन्हें स्वच्छ पेयजल, आवश्यक पोषक तत्व अवश्य प्रदान करना चाहिए और आज के आधुनिक विश्व में उन्हें प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। धर्म और जाति की पुरानी परंपराओं और पुराने

[1]चन्द्रशेखर: द मैन ऑफ डेस्टिनी: हीरा लाल चौबे (1991) पृष्ठ 133-134

विचारों को लोगों के साथ भेद-भाव करने में प्रयोग किया जाता रहा है। सदियों तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग उपेक्षित महसूस करते रहे हैं। हिंसा लोकतांत्रिक समाज को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है। इस भेद-भाव को दूर करने के लिए, हमें पूरी सामाजिक संरक्षा को अवश्य बदलना चाहिए ताकि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकालने के प्रयत्न के बावजूद, उन्हें समाज में उनका उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। वे अभी भी असुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे संविधान में इसके लागू होने के 15 वर्षों के भीतर निरक्षरता का उन्मूलन करने का वायदा किया गया था। परंतु, आज भी 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति निरक्षर हैं।''[2]

चन्द्रशेखर याद करते हैं कि इस पूरी यात्रा के दौरान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्रामीण लोग उत्तर प्रदेश या केरल में रहते हैं या कि राजस्थान या असम में, पर उनकी समस्याएं समान थीं और वे समान रूप से उपेक्षित थे। चन्द्रशेखर ने महसूस किया कि क्षेत्रवाद की तमाम बातों के बावजूद, एकता का धागा मजबूत है। सभी जगह लोग एक जैसे ही हैं। यह यात्रा 25 जून, 1983 को नई दिल्ली में समाप्त हुई। भारत यात्रा के अंत में, चन्द्रशेखर ने पांच बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया जो गांवों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए तत्काल प्रासंगिक थे। इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के अमूर्त रूप में स्वराज को प्रासंगिक बनाना ही नहीं बल्कि उनके दैनिक जीवन में परिवर्तन लाना और दिलों की एकता उत्पन्न करना भी है।

ये पांच बिंदु हैं—

1. हर गांव के लिए पेयजल;
2. बच्चों और भावी माताओं हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं और उनमें कुपोषण रोकने के उपाय;
3. सभी के लिए शिक्षा;
4. आदिवासियों और हरिजनों की समस्याएं; और
5. साम्प्रदायिक सद्भाव।

भारत यात्रा केन्द्रों के महत्व के बारे में बताते हुए, चन्द्रशेखर ने कहा:—

''हमने अभी शुरुआत की है और यह शुरुआत जरूरी नहीं की रोमांचक हो। इस पर मीडिया की नजर नहीं पड़ती है। परंतु, इस पर गांव के लोगों की नजर अवश्य पड़ती है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें काफी धैर्य और समय की जरूरत पड़ती है। इसका तात्कालिक परिणाम नहीं देखा जा सकता। परंतु लंबे समय में, यह हमारे लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने और एक नई सामाजिक व्यवस्था हेतु एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू करने के लिए प्रयास का एक तरीका है।''[3]

[2]चौबे, पूर्वोक्त, पृष्ठ 134-135
[3]चौबे, पूर्वोक्त, पृष्ठ 138

एक सांसद के रूप में

चन्द्रशेखर सन् 1962 से 1977 तक तीन कार्यकालों के लिए राज्य सभा के सदस्य थे और उसके बाद सन् 1977 में पहली बार छठी लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। इसके पश्चात्, वह सातवीं लोक सभा के सदस्य बने और उसके बाद नौवीं से चौदहवीं लोक सभा तक सदस्य बने रहे। एक सांसद के रूप में, चन्द्रशेखर ने दलितों के हितों का सदैव समर्थन किया और त्वरित सामाजिक परिवर्तन हेतु नीतियां बनाने का आग्रह किया। उनके मस्तिष्क में राष्ट्रीय मुद्दों की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रही और उन्होंने सदैव इस पर ध्यान आकृष्ट किया।

एक सांसद के रूप में, चन्द्रशेखर का भ्रष्टाचार के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण था। राज्य सभा में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की अपवंचना, भिवानी के प्रौद्योगिकी वस्त्र संस्थान द्वारा कपड़ों के नियंत्रित किस्मों के बारे में गलत घोषणा, वस्त्र के प्रकार और इनके मूल्य के बारे में गलत बयानी जैसी अनियमितताओं के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा था। उन्होंने ऐस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स, हैदराबाद, ओरिएंट पेपर मिल और सेन्चुरी केमिकल्स के लेन-देन में अनियमितताओं के बारे में बताया। उन्होंने हिन्दुस्तान मोटर्स में हो रही गड़बड़ी के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि एल्युमिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तथापि कुछ निजी कंपनियों को सरकार द्वारा लागत मूल्य पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के साथ-साथ संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है। चन्द्रशेखर ने कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में कम बीजक बनाने और अधिक बीजक बनाने संबंधी कदाचार का भी उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा गुप्त रूप से विदेशी मुद्रा भंडार एकत्र कर लिया गया। इन रहस्योद्घाटनों से संसद में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा हुआ। उनका यह दृढ़ मत था कि व्यवस्थित रूप से कर की चोरी और सार्वजनिक रूप से धोखा-धड़ी करके खड़े किए गए औद्योगिक साम्राज्यों को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी मौजूदगी का औचित्य नहीं है और इस संबंध में जांच आयोग का गठन किए जाने की मांग की।

एक सांसद के रूप में चन्द्रशेखर के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें 12 दिसम्बर, 1995 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार प्रदान किया।

आर्थिक विकास पर उनके विचार

चन्द्रशेखर समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ के प्रवेश के संबंध में 23 अगस्त, 1968 को राज्य सभा में चर्चा के दौरान इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया, उन्होंने कहा:—

''मैंने, दया, सहिष्णुता, शांति और प्रेम के उच्च आदर्शों की गौरवशाली परंपराओं और कार्ल मार्क्स, लेनिन और रोसा लग्जमबर्ग जैसे महान विचारकों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सिद्धांतों

का पालन करने वाली हमारी मातृभूमि में गांधी-नेहरू युग में जन्म लिया। आज यहां बोलते हुए उन महान व्यक्तियों का स्मरण हो रहा है जिन्होंने मुझे राजनीति में आने और समाज सेवा करने की प्रेरणा दी।''

एक समाजवादी नेता के रूप में चन्द्रशेखर तेजी से बढ़ते एकाधिकार, बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा संपत्ति जमा किए जाने, काले धन में वृद्धि, भ्रष्टाचार के विस्तार, वित्तीय संस्थानों द्वारा निधियों के अपव्यय, आय के छिपाने और अन्य आर्थिक अपराधों को लेकर चिंतित थे। उन्हें ऐसे प्रश्न उठाने में कोई हिचक नहीं होती थी भले ही उनमें कोई भी व्यक्ति संलिप्त हो। उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच की मांग की। वह पूरे साक्ष्य होने पर ही आरोप लगाते थे। वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के भी पक्ष में थे। मुद्दे पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए उन्होंने कहा, ''यह देश केवल कुछ विशेषाधिकारप्राप्त लोगों का ही नहीं है बल्कि, यह देश, यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है''।[4]

चन्द्रशेखर ने चीनी मिलों, चाय बागानों, कपड़ा मिलों और पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण का भी समर्थन किया। परंतु, ऐसा करते समय उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरशाही को बढ़ावा देने का कभी समर्थन नहीं किया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि देश में सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता में ही आम जनता का कल्याण निहित है। उन्हें सार्वजनिक उपक्रमों में कुप्रबंधन को देखकर दु:ख होता था और वह सार्वजनिक उपक्रमों तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के संबंध में किसी भी आलोचना का सदा विरोध करते थे। उन्होंने संसद में सार्वजनिक उपक्रमों के कुशल प्रशासन के समर्थन में सदैव अपनी आवाज उठाई ताकि, हर पैसे का उचित रूप से खर्च हो। सार्वजनिक उपक्रमों के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा था:—

''भारत में ऐसी कोई औद्योगिक नीति नहीं हो सकती जिसमें देश के सुनियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख न हो। सुनियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को समझे बिना उसकी आलोचना करना एक फैशन बन गया है। यह सत्य है कि भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। निजीकरण की वकालत करके और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करके इसके कार्य क्षेत्र को सीमित बनाने का प्रयास करने की बजाय सार्वजनिक उपक्रम के निष्पादन में सुधार लाने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को मजबूत बनाने की मंशा से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके गंभीर आर्थिक प्रभाव होंगे।''[5]

चन्द्रशेखर निजी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं थे परंतु, वह संपत्ति के कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाने के घोर आलोचक थे। चन्द्रशेखर का यह कहना था कि विश्व के सभी देश जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण स्वीकार किया तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने द्वार खोले थे, वे कुछ ही दिनों में कर्ज के जाल में फंस गए, उनकी राजनैतिक व्यवस्था अस्थिर हो गई तथा उनका अंत या तो सैन्य तानाशाही के रूप में हुआ या उनकी पहचान ही समाप्त हो गई।

[4]बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राज्य सभा, वाद-विवाद, 20 दिसम्बर, 1963

[5]चौबे, पूर्वोक्त पृष्ठ 126

अत:, उनका यह कहना था कि भारत को अपनी नीति विकसित करनी होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े निजी निगम केवल विदेशी मुद्रा की समस्या को और गंभीर बनाएंगे।

चन्द्रशेखर ने यह भी कहा था कि निजी क्षेत्र उद्योग मालिकों को तुरंत लाभ पहुंचाते हैं और वे लाभ अर्जित करने के लिए अनेक तरह के कदाचारों में भी लिप्त रहते हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं तथा कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने पर हाय-तौबा मचाते हैं परंतु, वे जिन उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करते हैं उनका मूल्य एक मामूली से बहाने पर बढ़ाने में जरा भी संकोच नहीं करते। मूल्य निर्धारण समिति उद्योगपतियों के हित में कार्य करती है और उनकी मुख्य समर्थक भी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा की जाने वाली बर्बादी, उनकी अक्षमता और मनमानी की जांच करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। निजी क्षेत्र द्वारा अपने उत्पादों का मूल्य बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति की जांच करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है।

एक निचले स्तर के नेता के रूप में चन्द्रशेखर को भारतीय समाज में व्याप्त अशिक्षा और अज्ञानता, निर्धनता, कुपोषण और समृद्ध तथा निर्धन लोगों के बीच बढ़ते अंतर जैसे मुद्दों की काफी जानकारी थी। उन्होंने ठीक ही कहा था:—

> ''भारतीय समाज एक अनोखा समाज है। यह एक ऐसा लोकतंत्र है जिसकी लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे या हाशिए पर जीवनयापन कर रही है। लगभग दो-तिहाई भारतीय अशिक्षित हैं। भारत की एक चौथाई से अधिक जनसंख्या भूमिहीन श्रमिकों की है; भारत की जनसंख्या में साठ प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हैं। शहरी और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में अंतर बढ़ता जा रहा है। कृषि क्षेत्र की औसत प्रति व्यक्ति आय में कमी आ रही है। बेरोजगार लोगों की संख्या लगभग बत्तीस मिलियन है और इतने अधिक निष्क्रिय लोगों की संख्या न केवल बढ़ रही है अपितु देश की सामाजिक और राजनैतिक अखंडता के लिए एक चुनौती भी बनकर उभर रही है।''

चन्द्रशेखर तत्कालीन सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक नीतियों के घोर आलोचक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्र की आर्थिक नीतियां भारत की सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिएं। 12 अप्रैल, 1972 को राज्य सभा में चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी प्रस्ताव में भाग लेते हुए उन्होंने कहा:—

> ''...सभी प्रशंसनीय आदर्श हैं, सभी अच्छे इरादे हैं और अच्छी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन इन भावनाओं के बाद भी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हम सोच सकते हैं कि हमने एकाधिकार खत्म किए बिना और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण किए बिना गरीबी को दूर कर दिया है। यह एक हास्यास्पद संतुलन है क्योंकि गरीबी मिटाने का अर्थ सारे समाज का पुनर्निर्माण करना है।''

प्रधानमंत्री के रूप में

विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से चन्द्रशेखर ने 10 नवम्बर, 1990 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके पास गृह मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; महासागर विकास; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; इलेक्ट्रॉनिक; अंतरिक्ष; सूचना और प्रसारण; उद्योग; श्रम कल्याण; योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन; विदेश; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; जल संसाधन और भूतल परिवहन जैसे कार्यभार थे।

कांग्रेस पार्टी द्वारा 6 मार्च, 1991 को समर्थन वापिस ले लिए जाने पर चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाला जनता दल (समाजवादी) अल्पमत में आ गया। उन्हें सत्ता के लिए राजनीतिक दलों के साथ जोड़-तोड़ करना और समझौता करना पसंद नहीं था। उन्होंने टेलीविजन पर एक राष्ट्रव्यापी संबोधन में अपना त्यागपत्र दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें दसवीं लोक सभा के चुनाव खत्म होने और अगली सरकार के गठन होने तक पद पर बने रहने को कहा। जब पी.वी. नरसिंह राव को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई तो उन्होंने 21 जून, 1991 को प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। तथापि, वह 1991 में उत्तर प्रदेश के बलिया निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए।

विदेश नीति के संबंध में उनके विचार

प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने 21 नवम्बर, 1990 को मालदीव की राजधानी माले में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने उप महाद्वीप में शांति हेतु अनुरोध किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के पांचवें शिखर सम्मेलन में आए नेताओं से चन्द्रशेखर ने कहा कि सदस्य देशों को शुभकामनाओं का आदान-प्रदान बंद करना चाहिए और क्षेत्र के लोगों को उद्वेलित कर रही समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। व्यापार घाटों, बढ़ते आंतरिक ऋणों और इसकी सर्विसिंग सहित सार्क देशों के समक्ष उपस्थित अनेक कठिनाइयों को गिनाते हुए चन्द्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के देशों के बीच इस तरह समन्वय स्थापित किया जाए कि इससे सभी संबंधित देशों के सारे हित अच्छी तरह से पूरे हो सकें।

क्षेत्र की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के एक कदम के रूप में उन्होंने क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने और छोटे स्तर की परियोजनाओं को शुरू करने हेतु भी निवेश उपलब्ध कराने के लिए एक कोष स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसे मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया कि देशों के राष्ट्रीय विकास बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकों को मिलना चाहिए और संस्थागत वित्तपोषण उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। चन्द्रशेखर चीन द्वारा तिब्बत के कब्जे के विरुद्ध थे और उन्होंने इसका मुखर विरोध किया। उनका मानना था कि इस तरह के कब्जे से भारत के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। चन्द्रशेखर की नेपाल के राजनीतिक विकास में गहरी रुचि थी। उन्होंने हमेशा नेपाल में एक लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया जिसके लिए कई अवसरों पर उन्होंने नेपाली कांग्रेस के नेताओं को समुचित स्थान प्रदान करने के लिए राजा महेन्द्र के साथ बात की।

उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण

चन्द्रशेखर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत बल दिया तथा उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के माध्यम से देश के लोगों की असंख्य समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है। इस संदर्भ में, अपनी सरकार की प्राथमिकता के बारे में मीडिया को एक उत्तर में चन्द्रशेखर ने स्पष्ट रूप से कहा:—

> ''मेरी प्राथमिकता सूची में विज्ञान सबसे पहले आता है क्योंकि देश का भविष्य इस पर निर्भर है.....यदि आप किसी युवा महिला वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करते हैं, तो आप इस देश की महिलाओं को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं। हमारा भविष्य भारत की महिलाओं पर निर्भर है।''[6]

इसके बाद उन्होंने यह कहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए:—

> ''यदि हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होगा तो हम संसार में प्रगति नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश, हमारी परंपराओं के कारण, यदि मुझे कहने की अनुमति हो, पुरानी प्रथाएं, अंधविश्वास, अपसंस्कृति के कारण बहुत सी चीजें गतिरोध में फंस गई हैं....हमारी सामाजिक व्यवस्था की कतिपय खामियों के कारण हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समुचित रूप से विकास नहीं हो पाया। जब मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करता हूं तो मैं सिर्फ जाति और धर्म पर आधारित प्राचीन व्यवस्था की बात नहीं करता हूं बल्कि मैं उस विकृत आर्थिक विकास और सामाजिक दृष्टिकोण की बात करता हूं जिसे हमने स्वतंत्रता के बाद के चार दशकों में अपनाया है।''[7]

साहित्यिक अभिरुचि

एक लोकप्रिय राजनेता होने के अलावा चन्द्रशेखर साहित्य में भी रुचि रखते थे। उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडियन की स्थापना की थी और इसके संपादक भी थे। आपातकाल के दौरान कुछ समय के लिए इसका प्रकाशन बंद हो गया था परंतु इसे बाद में फिर से प्रकाशित किया गया। आपातकाल में जेल में अपने प्रयास के दौरान उन्होंने अपने विचारों को लेखनीबद्ध किया जो 'मेरी जेल डायरी' (हिन्दी में) के रूप में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने लेखों का संकलन ''डाइनैमिक्स ऑफ सोशल चेंज'' से भी किया।

उनकी अंतिम यात्रा

लंबे समय तक कैंसर के साथ संघर्ष करने के पश्चात् 80 वर्ष की आयु में 8 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में चन्द्रशेखर का निधन हो गया। एक जन नेता और लोकप्रिय राजनेता

---

[6]चन्द्रशेखर: एक राजनीतिक जीवनवृत्त: योगेन्द्र बाली (1991) पृ. 200

[7]78वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन, इंदौर, में 3 जनवरी 1991 को उद्घाटन भाषण।

के रूप में उनका राजनीतिक कॅरियर कई पीढ़ियों के साथ जुड़ा रहा और उन्होंने देशवासियों के हितों के लिए अपने विचारों और सरोकारों की एक छाप छोड़ी। चन्द्रशेखर के निधन पर नेताओं, मीडिया, आम जनता और पूरे देश ने दु:ख व्यक्त किया। उनके अंतिम संस्कार के समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रीगण, विभिन्न दलों के नेताओं तथा हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले उपस्थित रहे।

लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं में दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लिखा ''चन्द्रशेखर को एक वरिष्ठ सांसद, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नेता के रूप में अपने सिद्धांतों में दृढ़ निष्ठा रखने के लिए जाना जाता है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को स्मरण रखा जाएगा''। उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कहा, ''राष्ट्र ने गरीबों के मसीहा, धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा परंपराओं के एक निर्भीक प्रहरी को खो दिया है''। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, ''प्रधानमंत्री के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल में चन्द्रशेखर ने राजनीतिक कौशल और बुद्धिमानी के साथ राष्ट्र और अर्थव्यवस्था को संकट के समय में दिशा प्रदान की''। पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, '' 'युवा तुर्क' के निधन से भारतीय राजनीति में संघर्ष का एक युग समाप्त हो गया है और सार्वजनिक जीवन में शून्य पैदा हो गया है''।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक शोक संकल्प में चन्द्रशेखर को एक ऐसा प्रसिद्ध राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक कुशल प्रशासक बताया जिसने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपनी छाप छोड़ी। चन्द्रशेखर एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी थे और एक ऐसे जननेता थे जो जनता के कल्याण और भलाई के लिए तत्पर रहते थे। वह अपने दृढ़निश्चय, साहस और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। अपने पूरे जीवन में, उन्होंने स्वयं को वंचितों के हितों के लिए समर्पित कर दिया और त्वरित सामाजिक परिवर्तन हेतु लगातार कार्य किया। चन्द्रशेखर के निधन से राष्ट्र ने एक प्रसिद्ध पुत्र, एक बुद्धिमान राष्ट्रीय नेता और एक राजनीतिज्ञ खो दिया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में, 1950

अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर धर्मपत्नी श्रीमती द्विजा देवी के साथ

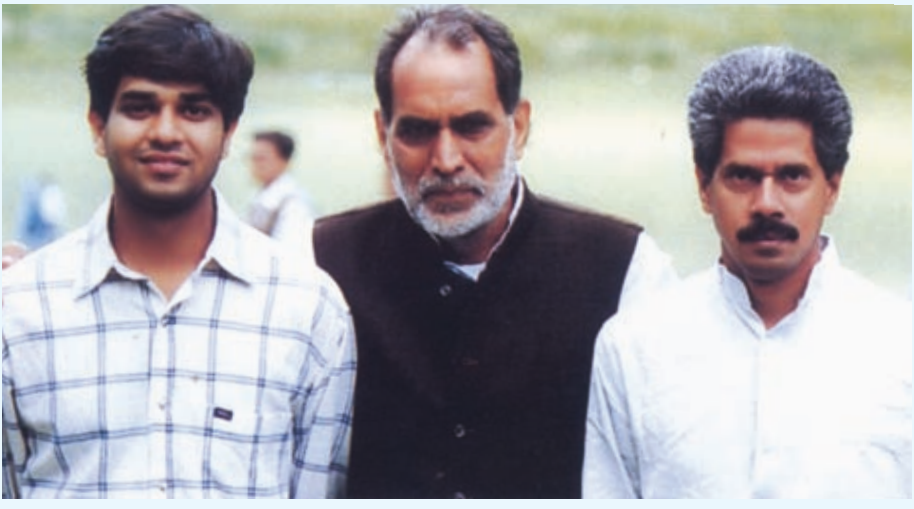

अपने पुत्रों नीरज और पंकज के साथ

अपने भाइयों [बाएं से खड़े हुए] कृपा शंकर सिंह और बद्री नारायण सिंह तथा बहन शकुन्तला सिंह के साथ

अपने परिवार के साथ। खड़े हुएः पंकज, नीरज, विनीता, असीम, रचना, प्रवीण और नवीन। बैठे हुएः कुमुद, नूतन, सृष्टि, अंशुमान, रश्मि, शशांक, किरन और गीता

पुत्र श्री नीरज शेखर के साथ

भाग–दो
लेख

चन्द्रशेखर-मेरे पिता

*–नीरज शेखर**

मेरे पिता स्व. श्री चन्द्रशेखर जी को लेकर मेरी सबसे पुरानी यादें वर्ष 1973-74 के दौरान की हैं जब मेरी आयु लगभग 6 वर्ष की थी। उस समय मैं और मेरे बड़े भाई पंकज उन्हें प्यार से पिताजी बुलाते थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और उसकी चुनाव समिति के एक सदस्य के रूप में वह पहले ही कांग्रेस नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुके थे। उन दिनों, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में हमारा आवास कांग्रेसी नेताओं और उनसे सहायता मांगने वाले कार्यकर्ताओं से भरा रहता था।

मैं, उन दिनों बिहार और अन्य राज्यों में चल रहे जे.पी. आंदोलन के बारे में होने वाली गरमागरम बहस को प्रायः सुनता था। एक दिन श्री जय प्रकाश नारायण जी हमारे आवास पर आए थे लेकिन मुझे उनके आने की सही तिथि याद नहीं है। बरामदे से लगी हुई हमारी बैठक और उसके बाहर खाली जगह में अनेक कांग्रेसी सांसद और पिताजी के मित्र बैठे हुए थे। उन दिनों जे.पी. जी सत्ता के गलियारे में एक अवांछनीय व्यक्ति माने जाते थे। स्वाभाविक रूप से, इससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया और जिन कांग्रेसी नेताओं ने बैठक में भाग लिया था वे श्रीमती इंदिरा गांधी के कोप से बचने के लिए बहाने बनाकर बैठक में अपनी उपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पिताजी बिल्कुल शांत थे।

आपातकाल लगने के कुछ महीनों के बाद मैंने दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल में दाखिला लिया था। मेरे सहपाठी आपातकाल लगने से पहले मुझसे घनिष्ठता बढ़ाना चाहते थे क्योंकि वे यह सोचते थे कि मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता का पुत्र हूं जो किसी न किसी कारण से हमेशा खबरों में बने रहते थे। मैं और मेरे भाई-बहन पिताजी की छत्रछाया में फले-फूले। परंतु, शीघ्र ही मुझे अपने बचपन के सबसे बड़े आघात का अनुभव होने जा रहा था। वह 26 जून, 1975 की सुबह का समय था। हम कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर उठे। पिताजी, पुलिस हिरासत में अपने कपड़े और कुछ पुस्तकें लेने आए थे। शीघ्र ही उन्हें चुपके से पुलिस की एक कार में किसी अंजान जगह ले जाया गया।

राजनैतिक उथल-पुथल का वह मेरा पहला अनुभव था। पिताजी की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि मेरा बाल मन बदलती हुई परिस्थितियों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हमारे घर पर अक्सर रहने वाली राजनेताओं की भीड़ अकस्मात् गायब हो गई। चारों तरफ एक ऐसा माहौल था जिसमें कोई किसी से बात नहीं करता था। सर्वत्र एक भय का माहौल व्याप्त था। आपातकाल पूरे जोर पर था। कुछ महीनों के बाद जब हमें पटियाला जेल में पिताजी से मिलने का अवसर मिला तब वह प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और उन्होंने हमारे साथ हंसी-मजाक भी किया। उन्होंने हमें समझाया कि यह एक संक्रमण काल है और हमें इसको लेकर निराश नहीं होना चाहिए।

*आप चन्द्रशेखर जी के पुत्र हैं और वर्तमान संसद सदस्य (राज्य सभा) हैं।

उन संघर्ष के दिनों में मेरी माता जी श्रीमती द्विजा देवी जो कि एक साधारण ग्रामीण महिला थीं, उन कठिन दिनों की बातें बताया करती थीं जब पिताजी समाजवादी आंदोलन में एक पूर्णकालिक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया करते थे। पिताजी को कई दिन बिना भोजन किए बिताने पड़ते थे। वह बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने इस संबंध में न तो कोई शिकायत की और न ही किसी के दया पात्र बने। वह इससे पहले पिताजी के द्वारा कारावास में बिताए गए दिनों की व्यथा बताकर हमें सांत्वना देती थीं। वह विश्वास के साथ यह कहती थीं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के आतंक के साम्राज्य का शीघ्र ही पतन होगा और पिताजी एक नायक के रूप में जेल से बाहर आएंगे। बड़ा होने पर जब मैंने पिताजी की ''मेरी जेल डायरी'' पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि उन्होंने भी उसमें वही भावनाएं व्यक्त की थीं।

आपातकाल के उन्नीस माह की अवधि दु:स्वप्न के रूप में बीती। उनकी रिहाई से पहले उन्हें राउस एवेन्यू के एक बंगले में नज़रबंद किया गया था। हमें पता चला कि श्रीमती इंदिरा गांधी के गुप्तचर उनसे वहां मिलने आए थे और उन्होंने पिताजी को इंदिरा गांधी के टिकट पर लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी। जो लोग ऐसा प्रस्ताव लेकर आए थे, उनके पुराने मित्र थे। परंतु उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

जनवरी, 1977 में जेल से उनकी रिहाई और लोक सभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद, हमारा घर एक बार फिर से राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया। कभी-कभी मुझे इस संबंध में जोरदार बहस सुनाई पड़ती थी। नई पार्टी के अनेक नेता, उनके आगामी लोक सभा चुनाव में भाग लेने को लेकर दुविधा में थे। परंतु, पिताजी को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नवगठित जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुमत मिलेगा।

वर्षों बाद मैं उनके मन मस्तिष्क की विशेषताओं को समझ पाया; वह पराजित प्रतिद्वंद्वी का अपमान करने से घृणा करते थे। वह विजय पाकर भी उदार और विनम्र बने रहे। यद्यपि, श्रीमती गांधी ने उन्हें जेल में डाल दिया था परंतु, उन्होंने उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं रखी। वह जनता सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ थे। वह पक्के धर्मनिरपेक्ष थे परंतु, वह धर्मनिरपेक्षता के दिखावे को पसंद नहीं करते थे। उनके मित्रों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई अन्य राजनैतिक दलों के अनेक प्रमुख नेता थे। अपने निजी संबंधों मे वह भूलों को उदारता से स्वीकार करते थे। मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूं जिन्होंने अच्छे अवसर पाने के लिए उनका साथ छोड़ दिया था परंतु अनेक रूपों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। अनेक अवसरों पर मैंने पाया कि उनकी पार्टी के साथी भी ऐसे नेताओं का पक्ष लेने के खिलाफ थे। परंतु, उन्होंने सदैव ऐसी बातों की उपेक्षा की। उनकी क्षमा करने और बीती बातों को भूल जाने की योग्यता ही एकमात्र ऐसा कारण बनी कि मतभेदों के बावजूद अनेक वरिष्ठ राजनेता उनका काफी सम्मान करते थे और देश के समक्ष अनेक गंभीर मुद्दों पर उनकी राय लेते थे।

मैं इस संबंध में ''यंग इंडियन'' के पुन: प्रकाशन का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी पार्टी के न केवल निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखा अपितु, समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त की। वह अपने विचार और स्थिति का आकलन बिना किसी भय या पक्षपात के किया करते थे। उनमें कोई राजनैतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं होता था, उनके विचारों में जनमानस की गहरी समझ की अभिव्यक्ति होती थी। वह

*दिल्ली से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका।

सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रूप में एक राजनीति शास्त्री थे। उनका सैद्धांतिक ज्ञान, अपने समय के कद्दावर नेताओं के साथ उनके संबंध और देश की आम जनता के बीच उनकी पहचान उनके महानतम गुण थे। लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हुए, विभाजनकारी ताकतों और परंपराओं के विरुद्ध बोलते हुए वह अलोकप्रिय होने से भयभीत नहीं होते थे। वह घुमा फिराकर बात करना नहीं जानते थे। उनके स्वतंत्र, स्पष्ट और सीधे दिल से निकलने वाले विचार कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगे होंगे परंतु, अंत में सभी यह मानते थे कि वह किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ''यंग इंडियंस'' में उनके संपादकीय लेखों का देश के अधिकांश वरिष्ठतम राजनेता भी बेसब्री से इंतजार करते थे। वह जब कभी बोलते थे तो संसद में उनके साथी, प्रशंसक और आलोचक भी उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्त करने के उपयुक्त पात्र थे। अनेक वर्षों तक उनके सहयोगी रहे स्व. श्री कृष्णकांत ने कहा था कि ''वह इस बात के स्पष्ट प्रमाण थे कि राजनीति में किसी की प्रासंगिकता पद पर रहते हुए उसके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित न होकर इस बात पर आधारित है कि वह अपने विचारों और कार्यों से अपने सिद्धांतों और विश्वासों पर किस सीमा तक कायम रहता है''। अपनी विशेष शैली में उन्होंने विभाजनकारी ताकतों को यह चेतावनी दी कि उन्होंने उस भूमि पर जन्म लिया है जहां भृगु महर्षि जैसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने दायित्वों की उपेक्षा करते हुए देखकर उनके वक्षस्थल पर प्रहार करने में भी संकोच नहीं किया था। वे ऐसे नैतिक बल और साहस के धनी थे।

पिताजी का यह दृढ़ विश्वास था कि जो कोई भी राजनेता बनना चाहता हो उसे सबसे पहले निचले स्तर पर कठिन कार्य करना चाहिए और समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के बीच अपनी पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने अपने पुत्रों पर इसे लागू किया। जब भी किसी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि उन्हें मेरे बड़े भाई या फिर मुझे नेतृत्व के लिए तैयार करना चाहिए जैसा कि दूसरे नेता अक्सर करते हैं, तो वह इसे हंसी में उड़ा दिया करते थे। उनका जवाब हमेशा यही होता था: ''अगर उनका मन है तो उन्हें इस क्षेत्र में जाना चाहिए''। वह ऊपर से नेता थोपे जाने के खिलाफ थे।

1983 में कन्याकुमारी से राजघाट तक की उनकी लंबी पदयात्रा के दौरान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वह किस तरह निर्धनतम लोगों से जुड़ने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, दक्षिण से उत्तर तक मीलों-मील चले थे। इन्हीं कारणों से गरीब और वंचित लोग उन्हें इतना प्यार करते थे और चाहते थे। यह पदयात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु थी और इसने राजनीतिक नेताओं के लिए जनता से घुलने-मिलने की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि वे उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को समझ सकें बजाय इसके कि वे दूसरों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें क्योंकि यह संवादहीनता को दूर करती है और लोगों की ''भावना'' को जानने में सहायता करती है। यह स्पष्ट रूप से तब सिद्ध हुआ जब प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कम समय के कार्यकाल में उन्होंने साम्प्रदायिक तनाव को खत्म किया और बहुत से गहरे जख्मों के भरने की उम्मीद जगाई। इस यात्रा ने एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी स्थिति को भी सुदृढ़ किया।

वह पार्टी के नेताओं और आम कार्यकर्ताओं तथा देश भर से आने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान महत्व देते थे। उन्होंने किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह महत्वपूर्ण

नहीं है यहां तक कि गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी वह चिकित्सकों की सलाह को दर-किनार कर अपने चाहने वालों और समर्थकों से मिलते थे। जब हम विरोध करते तो वह यह कहकर हमें शांत करा देते थे ''जब वे इतनी दूर से रास्ते की परेशानियों का सामना करके मुझसे मिलने और स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए आए हैं तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं अपना शारीरिक कष्ट भुला दूं और उनके आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं प्राप्त करने के कुछ क्षण निकालूं''। उन बुरे दिनों में भी वह उन लोगों को पहचान कर हमें अपनी अद्‌भुत स्मरण शक्ति से चमत्कृत कर दिया करते थे जिनसे वह वर्षों पहले पदयात्रा के दिनों के दौरान मिले थे। आखिर तक वह निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। उनकी यही सोच उन्हें उनके बहुत से समकालीन राजनीतिक नेताओं से अलग करती है।

पिताजी को देश के लोगों की सामूहिक बुद्धिमता में गहरा विश्वास था। वह कट्‌टर आशावादी थे। उनका तकिया कलाम था: ''मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है''। हालांकि 1984 के लोक सभा चुनावों में सत्ताधारी दल द्वारा उन्हें सिर्फ इसलिए बलिया का भिंडरावाले कहा गया क्योंकि उन्होंने स्वर्ण मंदिर में सेना के प्रवेश का विरोध किया था। मतदाताओं को राष्ट्रभक्ति के नाम पर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया गया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद, उ.प्र. जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और उनके आजीवन मित्र रहे श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रस्ताव किया कि उन्हें यू.पी. से राज्य सभा के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। उ.प्र. भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री कल्याण सिंह ने उनके लिए अपने दल के बिना शर्त समर्थन का वादा किया। उनकी जीत सुनिश्चित थी। लेकिन उन्होंने यह कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वह बलिया के मतदाताओं, जिन्हें उनको हराने के लिए भ्रमित किया गया था, का विश्वास पुन: जीतकर ही लोक सभा में जाएंगे। बलिया के लोगों में उनके अडिग विश्वास का प्रमाण 1989 के लोक सभा चुनावों में मिला। उस चुनाव के पश्चात् अपनी मृत्यु तक उन्होंने बलिया का प्रतिनिधित्व किया।

इन पंक्तियों को लिखते समय मेरा मस्तिष्क ऐसे बहुत से घटनाक्रमों की यादों से भरा हुआ है जो उनके दिल-दिमाग की उत्कृष्ट विशेषताओं को बखूबी दर्शाते हैं।

उन्हें असाधारण परिस्थितियों में भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व निभाने के लिए कहा गया था। एक अल्पमत सरकार की सीमाओं के बारे में उन्हें भली-भांति पता था। फिर भी उन्होंने जातिगत और साम्प्रदायिक दंगों से आहत देश में सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास किया। अपनी दूरदर्शिता से वह काफी हद तक इसमें सफल भी रहे। यद्यपि, वह बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री थे फिर भी उनकी पहचान एक सक्षम प्रशासक और राजनीतिज्ञ के रूप में बनी। उन्होंने जल्द ही बहुत से अनुभवी नौकरशाहों का विश्वास जीता और उनसे प्रशंसा हासिल की। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई भी उन्हें दबाव या धमकी से काम करने को मजबूर नहीं कर सकता था। यह बात सब जानते हैं कि जब उन्हें खुफिया एजेंसियों से प्राप्त विश्वसनीय रिपोर्टों से यह भरोसा हो गया कि तत्कालीन तमिलनाडु सरकार की लिट्‌टे के साथ सांठ-गांठ है तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने में एक क्षण भी नहीं हिचके। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और जब यह निश्चित हो गया कि बिना समझौता किए वह अब प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते; उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया। यह बात सब स्वीकार करते हैं कि यदि वह कुछ और समय के लिए प्रधानमंत्री रहते, तो देश की बहुत-सी समस्याओं का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान हो जाता। जैसाकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव ने कहा था: ''....उन्होंने वास्तव में प्रधानमंत्री पद को ठोकर मारी, हममें से किसी को भी हस्तक्षेप करने का रंचमात्र अवसर दिए बिना, जिससे देश का भाग्य निर्णायक रूप से बदल जाता''।

पिताजी एक सच्चे लोकतंत्रवादी, निडर, प्रतिबद्ध व्यक्ति और एक महान राजनीतिज्ञ थे जिनकी जड़ें उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी थीं। वह तड़क-भड़क, अहंकार और आडंबर से दूर थे। साहस उनमें कूट-कूट कर भरा था। काफी लंबे समय तक सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से रहे बिना लोगों की समस्याओं का समाधान तलाशने और लोगों को साथ लेकर चलने की उनकी इच्छाशक्ति से वह एक समतामूलक समाज बनाने के लिए भारत के नीति-निर्माताओं को प्रभावित कर सकते थे। उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं के लिए आंख मूंदकर अंतर्राष्ट्रीय सलाह और निर्देश प्राप्त करने और उन्हें स्वीकार करने की बजाय घरेलू समाधान ढूंढने पर जोर दिया। उन्होंने समय के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी परंपरा की सकारात्मक बातों के संरक्षण पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण के एक प्रमुख मुद्दा बनने से पहले ही उन्होंने इसकी सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। डंकल प्रस्तावों और बहुपक्षीय निकायों द्वारा थोपी गई शर्तों के विरुद्ध किया गया उनका संघर्ष उनके व्यक्तित्व के इस पहलू का पर्याप्त प्रमाण है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक दूर-दराज के गांव में एक किसान के घर में जन्म लेकर उन्हें ऐसी जगह के साथ जुड़े सभी तरह के अभावों को भोगना पड़ा। केवल अपनी इच्छाशक्ति के बल पर वह सभी अभावों से उबरे-उन्हें विद्यालय जाने के लिए प्रतिदिन आठ किलोमीटर चलना पड़ता था। वास्तव में वह अपने क्षेत्र के पहले स्नातक थे और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शायद पहले व्यक्ति भी हो जाते यदि उन्होंने भारतीय समाजवादी आंदोलन के पुरोधा आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में भाग लेने के लिए पढ़ाई न छोड़ी होती। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होना तो उनके देदीप्यमान जीवन की मात्र एक छोटी सी उपलब्धि थी। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि एक समतामूलक और मानवतावादी समाज हेतु संघर्ष करते हुए उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपना स्थायी स्थान बनाया है। मुझे उनका पुत्र होने पर गर्व है।

उनके दु:खद निधन के पश्चात् बलिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए मेरा चयन पार्टी द्वारा किया गया। मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। एक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी योग्यता मात्र चन्द्रशेखर का पुत्र होना थी। लेकिन बलिया के लोगों द्वारा मुझे दिए गए प्यार और स्नेह ने बिना संदेह यह सिद्ध कर दिया कि वे इस विरासत को जारी रखना चाहते हैं। उनकी लोकप्रियता नौजवानों और बूढ़ों के दिलों में गहराई तक बैठी हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे उनके पदचिह्नों का अनुसरण करने और लोगों द्वारा मुझ में जताए गए विश्वास पर खरा उतरने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करे।

चन्द्रशेखर : एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व#

*–ओम प्रकाश श्रीवास्तव**

मेरा चन्द्रशेखर जी से परिचय सबसे पहले सन् 1949 में इलाहाबाद में ''युवा समाजवादी लीग'' के स्थापना समारोह के दौरान हुआ था। परंतु, यह केवल अकस्मात् परिचय मात्र था। यह अकस्मात् परिचय घनिष्ठ मित्रता में तब बदल गया, जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला स्नातकोत्तर (एम.ए.) की उपाधि लेने के बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में एक शोधार्थी के रूप में कार्य आरंभ किया। मैं, उस समय समाजवादी युवक सभा की विश्वविद्यालय शाखा का महासचिव था। संयोग से, हम दोनों राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी थे और हमारे विभागाध्यक्ष प्रो. मुकुट बिहारी लाल थे, जो एक प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक थे।

उस समय, आचार्य नरेन्द्र देव जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। चन्द्रशेखर ने उनके सुझाव को आदेश मानकर बलिया में समाजवादी पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपना शोध कार्य छोड़ दिया।

मैं चन्द्रशेखर जी की पारिवारिक स्थिति से पूर्णत: अवगत था; अत: उनके निर्णय से मैं पूरी तरह हिल गया। उनकी उच्च शिक्षा का बोझ एक मध्यम वर्ग के किसान परिवार ने किस प्रकार उठाया होगा, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। उनके बड़े भाई राम नगीना सिंह एक कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी थे और परिवार के अन्य सदस्य यह उम्मीद रखते थे कि चन्द्रशेखर को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

चन्द्रशेखर जी ने पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने का निर्णय लेते समय, अपने दिमाग में परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं के भार को अवश्य महसूस किया होगा। परंतु, वे एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के आदर्श से प्रेरित थे और इसके लिए उच्चतम मूल्य चुकाने के लिए तैयार थे।

उनके बलिया चले जाने के बाद, हम कभी-कभार वाराणसी में मिला करते थे। परंतु, शायद, भाग्य हमें एक साथ लाना चाहता था। मैंने वर्ष 1954 में एम.ए. पूरा करने के बाद पीएचडी. के लिए शोध कार्य प्रारंभ कर दिया। परंतु, फर्रुखाबाद में सिंचाई कर के विरुद्ध आंदोलन में डॉ. लोहिया के गिरफ्तार होने के बाद, मैं नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं के समूह के साथ वहां गया और उसी आंदोलन में भाग लेने के लिए चन्द्रशेखर जी बलिया से आये। हम साथ ही गिरफ्तार हुए और सजा मिलने के बाद हमें सर्वप्रथम फतेहपुर जेल में और उसके बाद बरेली जेल में एक साथ रखा गया।

जेल में रहने के दौरान हम लोगों ने एक-दूसरे को नए सिरे से जाना और एक ऐसी मित्रता हुई, जो उनकी मृत्यु तक बनी रही।

#मूल हिन्दी में

*आप उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं

जेल से रिहा होने के बाद, उनके आग्रह पर ही मैं बलिया के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया।

उन दिनों, वे सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता जगन्नाथ शास्त्री के साथ पार्टी कार्यालय में रहते थे। मैंने भी उनके साथ रहना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यालय, जिसे उन्होंने ''मानव निकेतन'' नाम दिया था, में शौचालय की भी सुविधा नहीं थी। वहां भोजन की भी गारंटी नहीं थी। उन्होंने मेरे भोजन की व्यवस्था एक होटल में कर दी थी। मेरे आग्रह के बाद भी, वे कभी-कभी ही मेरे साथ भोजन किया करते थे। मेरे आग्रह करने पर, वे कहा करते थे कि पार्टी कार्यालय में और भी लोग हैं, वे बुरा महसूस करेंगे।

आचार्य नरेन्द्र देव जी ने उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया था। जब वर्ष 1954-55 में प्रजा समाजवादी पार्टी में दरार दिखाई देने लगी, तो उन्होंने चन्द्रशेखर जी और मुझे बुलाया और कहा कि राज्य पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और हम दोनों को एक वर्ष के लिए लखनऊ जाना है और राज्य में पार्टी के कार्य को संभालना है। परिणाम के बारे में अधिक सोच-विचार किए बिना हम लखनऊ चले गए।

राज्य पार्टी का प्रशासन पूर्ण रूप से डॉ. लोहिया के समर्थकों के हाथ में था। पार्टी कार्यालय पर भी उन लोगों का ही कब्जा था। पार्टी फंड जैसी कोई चीज नहीं थी। कार्यालय के नाम पर, वहां स्वर्गीय गेंदा सिंह, जो उस समय विधायक थे, का सिर्फ एक कमरा था। यह कमरा उनके निवास और पार्टी के कार्यालय, दोनों का काम करता था। कुछ समय बाद, लाटुश रोड में कार्यालय के नाम पर लिए गए दो कमरे जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे।

लाटुश रोड में हमारे द्वारा गुजारे गए एक वर्ष के दौरान, मैंने चन्द्रशेखर जी में आदर्शवादी व्यक्ति के गुण देखे। अपने व्यक्तिगत आराम की परवाह किए बिना, वे नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करते थे, राज्य पार्टी को समुचित रूप से चलाने के लिए कार्यकर्ताओं से आग्रह करते थे और लखनऊ वापस आने पर पत्र भेजते थे। अनियमित भोजन करने से, उन्हें अपच की समस्या शुरू हो गई और यह जीवनपर्यन्त बनी रही।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि उन्होंने अपने बल-बूते पर पार्टी को फिर से बनाया और इसके परिणामस्वरूप, प्रजा समाजवादी पार्टी वर्ष 1957 में हुए विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आई।

वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इतने लोकप्रिय थे कि वह वर्ष 1963 तक प्रति वर्ष पार्टी के महासचिव के रूप में निर्वाचित होते रहे। कुछ ऐसे अवसर भी थे, जब नेताओं के एक छोटे समूह ने उन्हें हटाने की कोशिश की, परंतु कार्यकर्ताओं ने उन्हें भारी बहुमत से पुनर्निर्वाचित कर दिया।

श्री चन्द्रशेखर के व्यक्तित्व का एक पहलू बहुत हैरत में डालने वाला था। एक तरफ जहां काफी संख्या में लोग उन्हें दिल से प्यार करते थे, वहीं दूसरी ओर कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करते थे।

मैं समझता हूं कि श्री चन्द्रशेखर उन राजनीतिज्ञों में से एक थे, जिन्हें प्रायः गलत समझा जाता है।

श्री चन्द्रशेखर वर्ष 1964 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद पार्टी के अंदर निहित स्वार्थों के विरुद्ध उनकी मुहिम के कारण लोगों के बीच उनके बारे में गलतफहमी पैदा करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया गया।

मैंने अनगिनत बार देखा है कि उनका जानबूझकर या अनजाने में विरोध करने वाले व्यक्ति, उनके संपर्क में आने के कुछ दिनों के बाद, उनके प्रशंसक बन गए। जब स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठाया था, तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को मंच प्रदान करने में एक समाचार पत्र समूह शामिल था। उस मिडिया ग्रुप को यह महसूस हुआ कि शायद श्री चन्द्रशेखर वी.पी. सिंह के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, श्री चन्द्रशेखर जी उस मीडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित अखबार में प्रतिदिन कार्टून का विषय बन गए थे। यह मीडिया ग्रुप केवल कार्टून छापकर ही नहीं रुका। एक दिन इस ग्रुप ने एक समाचार छापा कि भोंड़सी आश्रम के भारत यात्रा केन्द्र में अफीम उत्पादित की जा रही है। श्री चन्द्रशेखर जी के करीबी पत्रकारों ने उन्हें इस मुहिम का विरोध करने की सलाह दी, किन्तु चन्द्रशेखर का हमेशा एक ही उत्तर होता था– ''झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी।''

ऐसा ही हुआ। वही व्यक्ति, जो यह सब चीजें छापता था, श्री चन्द्रशेखर जी का करीबी बना और बाद में उसने उनके कई आंदोलनों में उनका साथ दिया।

इसी प्रकार कुछ अखबारों ने उनके किसी व्यक्ति के साथ संबंधों के बारे में बेतुकी खबर छापी। एक दिन उन्हें माफिया का संरक्षक घोषित किया गया था और अन्य दिन उन्हें देश का सबसे अमीर राजनीतिज्ञ कहा गया।

मैं उनसे 55 वर्ष तक करीब से जुड़ा रहा था। इन 55 वर्षों में से 23 वर्ष हम एक ही घर में रहे। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि ऐसे प्रचार उनका चरित्र हनन करने का प्रयास मात्र थे।

वास्तव में उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था और उसमें छिपाने को कुछ नहीं था। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में स्वामी (गॉडमैन) कहलाए जाने वाले व्यक्ति भी श्री चन्द्रशेखर जी का सम्मान करते थे। श्री चन्द्रा स्वामी अथवा भगवान राम अवधूत अथवा ऐसे कई साधु-संत उनके घर में देखे जा सकते थे।

चन्द्रशेखर जी कभी औपचारिक ''पूजा-पाठ'' नहीं करते थे। किन्तु वे अन्य लोगों की आस्था का आदर करते थे। उन्होंने भगवान राम अवधूत के अनुरोध पर भोंड़सी आश्रम में भुवनेश्वरी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसी प्रकार, एक सज्जन पुरुष ने अपने आराध्य को चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगी, तो उसे अपनी इच्छा की पूर्ति होने पर आश्रम में हनुमान जी का मंदिर निर्मित करने की अनुमति दी गई थी। वह मंदिर में विशेष अवसरों पर होने वाले धार्मिक कृत्यों में भाग लिया करते थे। साधु-संत उनका इतना अधिक आदर करते थे कि एक साधु हरिद्वार में एक भव्य मंदिर निर्मित करना चाहते थे और उन्होंने श्री चन्द्रशेखर जी से मंदिर की आधारशिला रखने का अनुरोध किया। उन्होंने साधु का अनुरोध स्वीकार किया। अभी भी उनके नाम का पत्थर मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है।

वह व्यक्ति, जो श्री चन्द्रशेखर जी के बारे में इस खबर को फैलाते थे कि वे देश के सबसे अमीर राजनीतिज्ञ हैं और भारत यात्रा न्यास की सम्पत्ति चन्द्रशेखर की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि चन्द्रशेखर जी ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उस न्यास में यहां तक कि साधारण न्यासी के रूप में भी नामित नहीं किया था।

जिस तरह से, श्री चन्द्रशेखर जी ने अपने दोनों पुत्रों को, इस राजवंशीय व्यवस्था के युग में राजनीति से दूर रखा, वह अन्य नेताओं के लिए उदाहरण है।

श्री चन्द्रशेखर को चुनाव के दिनों के दौरान भारी धनराशि मिला करती थी। इसके बावजूद उनकी निःस्वार्थ भावना अद्वितीय हैं। मैंने बहुत करीब से देखा कि जैसे ही धनराशि उनके हाथों में पहुंचती थी, वे उसे वितरित करने के लिए बैचेन हो जाते थे। उन्होंने दान का कभी भी अपने व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया। कई अवसरों पर, मैंने पाया कि जब उनके पास बांटने के लिए धनराशि नहीं बचती थी और ऐसे उम्मीदवार आते थे, जिनके पास धनराशि नहीं होती थी, तो वे ऐसे उम्मीदवारों को उधार लेकर धनराशि प्रदान करते थे। मुझे जानकारी है कि सरकारी बैंकों के कुछ वरिष्ठ अधिकारी उन्हें अपने जोखिम पर लाखों रुपये उधार दे दिया करते थे।

उन्हें जन-साधारण और जाने-माने लोगों, सभी के बीच समान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उन्हें पूर्णतः अनजान व्यक्तियों के बीच जो सम्मान प्राप्त था, वह किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए ईर्ष्या का विषय बन सकता है। एक बार हम आगरा से दिल्ली की कार से यात्रा कर रहे थे। राज्य सभा सदस्य दयानंद सहाय भी हमारे साथ थे। रात को 10 बजे, श्री दयानंद सहाय ने किसी ढाबे पर रात्रिभोज करने का सुझाव दिया। रात्रिभोज करने के बाद, जब मैं बाहर लगे वॉश बेसिन पर हाथ धो रहा था, तो ढाबे का मालिक मेरे पास आया। उसने पूछा कि क्या वह दाढी वाला व्यक्ति चन्द्रशेखर जी हैं। मैंने कहा हां। जब दयानंद रात्रिभोज के लिए भुगतान करने गए, ढाबे के मालिक ने भुगतान लेने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि वह बहुत भाग्यवान है कि चन्द्रशेखर जी ने उसके ढाबे पर खाना खाया। बाद में, चन्द्रशेखर जी ने खाना परोसने वाले लड़कों को लगभग भोजन के बिल के बराबर धनराशि दे दी।

मुझे उनके साथ यात्रा करते हुए दर्जनों अवसरों पर इसी तरह के अनुभव हुए। मेरे ये अनुभव उन दिनों के हैं, जब चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री नहीं थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से पूर्व में छोटे गांव तक, जहां कहीं भी हम गए, लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे। वह सही अर्थों में उस समय के राष्ट्रीय नेता थे।

वे लोग, जिनका यह मत था कि वे बहुत सारी सम्पत्ति के मालिक हैं, यह जानकर अचम्भित होंगे कि ''दि यंग इंडियन'' के प्रकाशकों के लाखों रुपये उनकी ओर बकाया हैं और उनकी ''प्रीज़न डायरी'' का अंग्रेजी अनुवाद संकलित रखा है किन्तु धनराशि के अभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाया है। हिन्दी शब्द ''फक्कड़'' उनको सबसे अधिक जंचता है।

उनमें अत्यधिक आत्मविश्वास था। अपने आत्मविश्वास के कारण, उनका कांग्रेस पार्टी में अत्यधिक शक्तिशाली लोगों से आमना-सामना हुआ। पहले मोरारजी देसाई और बाद में इंदिरा गांधी से। यह इतिहास की निर्मम विडम्बना थी कि वह इंदिरा गांधी ही थीं, जिनके समर्थन में वे 1969 और 1997 के बीच निरंतर कार्य करते रहे और अंततः जिन्होंने उन्हें आपातकाल के दौरान 19 माह जेल में रखा। इसका केवल एक ही कारण था कि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के संसद के चुनाव को रद्द घोषित कर देने के बाद भी उनके नेतृत्व को जारी रखने के लिए कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक में रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करने से इंकार कर दिया था।

तथापि, चन्द्रशेखर जी को अपने निर्णय के लिए कभी खेद नहीं हुआ।

इसी संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही अनोखा पहलू मेरे दिमाग में आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने हारे हुए प्रतिद्वंद्वी का सम्मान न किया हो, न ही उसके प्रति कड़वाहट भरा

व्यवहार किया। 1977 के आम चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से हट गई थी और जनता पार्टी ने सरकार का गठन किया, तो वे जय प्रकाश नारायण जी के बाद दूसरे व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वयं इंदिरा गांधी को बुलाकर सांत्वना दी थी। हमें राजनीति में ऐसे व्यक्ति विरले ही मिलते हैं।

वैचारिक अंतर होने के बावजूद, उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मधुर संबंध बनाए रखे और उनके व्यक्तित्व की यही विशेषता थी। वे अपने मित्रों के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते थे। यही कारण था कि उन्हें राजनैतिक गलियारों में सभी पसंद करते थे।

गंभीर विपत्ति में भी अपने सिद्धांत के लिए अकेले लड़ने की उनकी क्षमता के कारण उनकी अपने समकक्षों के बीच अलग पहचान थी। अपनी राजनैतिक यात्रा के दौरान, ऐसे कई अवसर थे, जब वह राजनीति में अकेले देखे गए थे। 1980 तक, जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। जनता पार्टी से जनसंघ के हट जाने के बाद कई नेताओं ने जनता पार्टी के विघटन का सुझाव दिया। चन्द्रशेखर जी ने उन्हें 1981 में सारनाथ में पार्टी का अभूतपूर्व सत्र बुलाकर जवाब दिया, जहां एक लाख से अधिक प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। बेनिआ बाग (वाराणसी) मे पार्टी की बैठक में मोरारजी भाई ने स्वीकार किया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कई भव्य सत्र देखे थे किन्तु उन्होंने इतना विशालकाय और सुव्यवस्थित सत्र कभी नहीं देखा था।

बाद में, उन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक अकेले पदयात्रा की। उन्हें अपनी ''पदयात्रा'' के लिए अभूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हुआ। जनता पार्टी का उनके नेतृत्वाधीन पुनः पुनरुत्थान हुआ। उनकी पदयात्रा की अवधि के दौरान, जनता पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आई। बड़े-बड़े नेता, जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, पुनः उससे जुड़ गए। उनके नेतृत्व का ऐसा जादू था।

चन्द्रशेखर जी बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री थे। वे अत्यधिक संकटपूर्ण परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनने के लिए सहमत हुए। युवा आरक्षण के विरोध में आत्मदाह कर रहे थे और 150 से अधिक युवाओं ने आत्मदाह कर लिया था। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद और आडवाणी जी की रथ यात्रा को देखते हुए एक दर्जन से भी ज्यादा शहरों में कर्फ्यू था। पंजाब में उग्रवादी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे।

सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस, राष्ट्र के समक्ष गहराए खतरों को देखते हुए सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। देश पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के कारण दिवालिया होने के कगार पर था।

चन्द्रशेखर जी ने ऐसी स्थिति में आगे आने का साहस दिखाया। उनके साथ केवल 55 सांसद थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ने कांग्रेस से कम से कम एक वर्ष के लिए सरकार को अस्थिर न बनाने का आश्वासन लेने के बाद चन्द्रशेखर को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया।

इसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के एक माह के भीतर ही वह देश को मार्ग पर ले आये। युवाओं ने आत्महत्या करना बंद कर दिया। शहरों से कर्फ्यू हटा लिया गया था। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर लड़ने वाले दोनों पक्ष बातचीत के लिए सहमत हो गए और उग्रवादियों के साथ बातचीत का नया मार्ग खोला गया। पंजाब में विधान सभा के चुनावों की घोषणा की गई थी। देश को दिवाला होने से बचा लिया गया था।

उनके कार्यभार संभालने के एक माह के पश्चात् ही लंदन के एक समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई कि जवाहरलाल नेहरू के बाद देश की कमान सर्वाधिक योग्य प्रधानमंत्री के हाथों में है।

उन्हें शपथ दिलवाने वाले राष्ट्रपति ने लिखा था कि चन्द्रशेखर जी को लोक सभा में बहुमत प्राप्त हो गया है, उन्हें समर्थ प्रधानमंत्री माना गया होता। ऐसे प्रमाण हैं कि उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों की भी इसी तरह की राय थी।

जब चन्द्रशेखर जी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार का गठन किया तो उनके कुछ आलोचकों ने इसे उनकी सत्ता के लिए भूख कहा। किन्तु उनके आलोचकों को अपने शब्द चबाने पड़ गए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के विरुद्ध हल्के से आरोपों पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

वास्तव में, चन्द्रशेखर जी संसदीय गरिमा के सतर्क प्रहरी थे। वे संवैधानिक पदों की गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखने में विश्वास रखते थे।

वह संसद में प्रतिदिन शोरगुल के माहौल के कारण दुखी महसूस करते थे। जब उच्च न्यायालय के एक जज ने खुले न्यायालय में संसद को ''मछली बाजार'' कहा था, तो वह अपना संयम खो बैठे और उन्होंने अध्यक्ष से पहल करने और संसद की गरिमा की रक्षा करने का अनुरोध किया। मामला प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप से ही सुलझ पाया था।

उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम आदर्शों को अंगीकार किया। उन्होंने ''उत्कृष्ट सांसद'' पुरस्कार प्राप्त किया। जब लोक सभा में पहली बार आचार समिति का गठन किया गया था, तो प्रधानमंत्री और लोक सभा अध्यक्ष, दोनों ने अत्यधिक अनुरोध के बाद उन्हें समिति का सभापति बनाया था। वे आजीवन इस पद पर बने रहे।

करुणा, परोपकार, अन्याय के विरुद्ध निरंतर संघर्ष, आत्मसम्मान, सिद्धांतों में अंतर होने के बावजूद व्यक्तिगत मित्रता में गरिमा और सौहार्द्र को बनाए रखने के प्रति झुकाव, जैसे गुण उनके व्यक्तित्व के प्रमाण चिह्न थे। इसी कारण, वे सत्ताधारी और विपक्षी, दोनों पार्टियों में विख्यात थे।

बहुत कम लोग जानते हैं कि वह अत्यन्त योग्य लेखक भी थे। उनकी लेखन प्रतिभा उनकी जेल डायरी और ''संघर्ष'' तथा ''दि यंग इंडियंस'' के लेखों में प्रकट होती है।

वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सही अर्थों में, वे राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो देश के आदर्शों और दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया करते थे। वे बागी बलिया के सच्चे सपूत थे। उनमें आत्मसम्मान, स्पष्टवादिता और सबसे अधिक शक्तिशाली के सामने भी न झुकने के साहस जैसे गुण प्रतिबिम्बित होते थे।

आज, जब सार्वजनिक जीवन में गरिमा का अभाव व्याप्त है, तब चन्द्रशेखर जी को याद करना स्वाभाविक ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी जोखिम भरी जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ी और वंचित युवाओं को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

चन्द्रशेखर जी : एक उत्कृष्ट राजनीतिक व्यक्तित्व#

*–कैप्टन अब्बास अली**

मैं चन्द्रशेखर जी से सर्वप्रथम वर्ष 1959-60 में लखनऊ में मिला था। उस समय वे उत्तर प्रदेश प्रजा समाजवादी पार्टी के राज्य सचिव थे और मैं डॉ. लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी का एक सदस्य था। श्री उग्रसेन हम दोनों के ही मित्र थे, जो उस समय देवरिया से समाजवादी पार्टी से विधायक थे। बाद में, सन् 1977 में, वे देवरिया से भी लोक सभा के सदस्य बने। श्री उग्रसेन को कॉफी हाऊस में बैठना तथा मित्रों के साथ गप-शप करना पसंद था और इसलिए वे हजरतगंज में स्थित कॉफी हाऊस में चन्द्रशेखर जी से मिला करते थे। यद्यपि, हम 1948 से 1955 तक एक ही पार्टी के सदस्य थे और बाद में अलग-अलग राजनीतिक दलों में शामिल हो गए, तथापि राजनीतिक मतान्तर हमारी व्यक्तिगत बातचीत में कभी आड़े नहीं आया और हम मित्रवत बातचीत करते रहे। सन् 1960 में, जब मैंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद् का चुनाव लड़ा और केवल एक चौथाई (0.29) मत से हार गया, तो श्री उग्रसेन और चन्द्रशेखर जी दोनों दु:खी हुए थे। सन् 1964 तक, प्रजा समाजवादी पार्टी का एक घटक श्री अशोक मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तैयारी करने लगा। सन् 1962 में, चन्द्रशेखर जी उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और वे पं. जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी कांग्रेस पार्टी का साफ-साफ विरोध करते रहते थे। तथापि, जब श्री अशोक मेहता, श्री गेंदा सिंह और श्री नारायण दत्त तिवारी सरीखे व्यक्तियों ने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया तो वे अपने को इससे दूर नहीं रख सके और नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि, उत्तर प्रदेश में, उनके अच्छे मित्रों में से कुछ जैसे — बेनी प्रसाद माधव, राजवंत सिंह और रियासत हुसैन प्रजा समाजवादी पार्टी में ही बने रहे। चन्द्रशेखर जी से मिलने के अवसर 1964 से बंद हो गए और लगभग 13 वर्षों के बाद सन् 1977 में जनता पार्टी के गठन के समय मैं उनसे पुन: मिला। जब 01 मई, 1977 को जनता पार्टी का औपचारिक रूप से गठन हुआ, चन्द्रशेखर जी को पार्टी का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और 6 महीने के बाद मुझे उत्तर प्रदेश जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को ग्रहण करने के समय से ही उन्हें ''अध्यक्ष जी'' के रूप में जाना जाने लगा और यहां तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अंत तक, उन्हें इसी नाम से जाना गया। सन् 1977 में जनता पार्टी में रहते हुए उनसे मेरा जो संबंध बना, वह उनकी मृत्युपर्यन्त चलता रहा। उनके साथ जनता पार्टी में कार्य करते समय ऐसी कई घटनाओं की सुखद यादें हैं, जो अक्सर मुझे उनकी याद दिलाती हैं। वे सिर्फ राजनीतिक रूप से ही ईमानदार और उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को भी बहुत महत्व दिया करते थे और अपने मित्रों के सुख और दु:ख के क्षणों को सदैव साझा करते थे। मुझे याद है कि मार्च-अप्रैल, 1978 में, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् और राज्य सभा के लिए द्विवर्षीय चुनाव कराए जाने थे। जनता पार्टी से राज्य सभा के लिए नौ सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था और उतने ही सदस्य विधान परिषद हेतु भी चुने जाने थे तथा जनता पार्टी के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को उम्मीदवारों

#मूल हिन्दी में।

*आप एक स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे हैं।

के नाम का चयन करना था। उस समय, जनता पार्टी में गुटबंदी चरम सीमा पर थी और उसी आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन हुआ। संसदीय बार्ड की बैठक में राज्य सभा हेतु मेरी उम्मीदवारी पर भी चर्चा चली थी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने मेरी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया। तथापि, समाजवादी पार्टी से सुरेन्द्र मोहन जी के नाम का पहले ही प्रस्ताव हो चुका था। अत:, स्वर्गीय चरण सिंह अपने कोटा से मुझे कोई भी सीट देने पर सहमत नहीं हुए। इस पर, स्वर्गीय लिमये ने विधान परिषद् के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव किया, परंतु यहां भी, गुटबंदी के कारण प्रस्तावित उम्मीदवारों की सूची में मेरा नाम नहीं आ सका। उस समय, श्री चन्द्रशेखर जी ने अपनी ''वीटो शक्ति'' का इस्तेमाल करके विधान परिषद् हेतु मुझे एक उम्मीदवार बनाया और अपने उम्मीदवार का नाम हटाकर सूची में मेरा नाम डाल दिया। संसदीय बार्ड की बैठक में, उन्होंने तर्क दिया कि ''कप्तान साहब, उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुझे पता है पार्टी कैसे चलाई जाती है।'' यदि उन्हें विधान परिषद् नहीं भेजा जाता है तो लखनऊ में उनके रहने और पार्टी का कार्य करने के लिए लखनऊ जाने और वहां से उनकी वापसी की यात्रा का प्रबंध किस प्रकार होगा?

मैं चन्द्रशेखर जी के इस कदम से बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी घटना नवम्बर, 1978 की है। मैंने श्री चन्द्रशेखर जी से बुलंदशहर स्थित मेरे गांव कलन्दर गढ़ी में होने वाली अपनी दो बेटियों के विवाह में शामिल होने का अनुरोध करते हुए उन्हें विवाह का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और वह शादी में शामिल भी हुए। जून, 1983 में जब श्री चन्द्रशेखर जी कन्याकुमारी से दिल्ली तक की अपनी ऐतिहासिक पदयात्रा कर रहे थे, उस समय अकस्मात मेरी पत्नी का निधन हो गया। जब चन्द्रशेखर जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद मुझे सांत्वना देते हुए एक बहुत मार्मिक पत्र लिखा। उनकी पदयात्रा के समर्थन में मैंने भी अपने कुछ साथियों के साथ जून माह में बुलंदशहर से दिल्ली तक पदयात्रा की और दिल्ली पहुंचने के बाद जब मैं उनसे मिला तो वह मुझे देखकर भावुक हो गए और मुझे गले से लगा लिया। अक्तूबर, 1991 में मेरे पुत्र के विवाह के अवसर पर वह समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली से अलीगढ़ आए। यद्यपि, उस समय वह प्रधानमंत्री थे परंतु, यह उनका मानवीयता और आत्मीयता भरा पहलू था कि वह सदैव एक अच्छे मित्र रहे और वह भली-भांति इस बात को जानते थे कि प्रत्येक परिस्थिति में रिश्तों को किस प्रकार निभाया जाता है।

अब, मैं चन्द्रशेखर जी के कुछ राजनैतिक पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। वह एक स्पष्टवादी और साहसी व्यक्ति थे और वह राजनैतिक परिणामों की परवाह किए बिना अपने विचार व्यक्त करते थे। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के समय वह श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक थे तथा मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा जैसे नेताओं के विरोधी थे। तथापि, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से किसी लाभ की आशा नहीं की और एक ऐसा भी समय आया जब वह श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनौती देते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और चुनाव समिति के लिए चुने गए। 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान उनका यह मत था कि श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण से बात करनी चाहिए और उन्होंने स्वयं भी इसके लिए प्रयास किए। तथापि, उन्हें उनके प्रयासों में सफलता नहीं मिली। इसके परिणामस्वरूप, चन्द्रशेखर जी को श्रीमती इंदिरा गांधी का कोप भाजन बनना पड़ा तथा 26 जून, 1975 को उन्हें जयप्रकाश नारायण के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और आपातकाल के दौरान पूरे 19 महीने तक उन्हें कारावास में रहना पड़ा। मार्च, 1977 से जुलाई, 1979 के दौरान उनकी पार्टी जनता

पार्टी के केन्द्र में सत्ता में होने के दौरान उन्होंने कई बार अपनी पार्टी की आलोचना की तथा नीतियों के आधार पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने में कोई संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में उस समय किया गया नेतृत्व परिवर्तन इस बात का उदाहरण है। उन्होंने अलीगढ़ में 1978 में हुए साम्प्रदायिक दंगों और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री की आलोचना की तथा अलीगढ़ जाकर स्वयं कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया।

1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद की समस्या सामने आने के बाद चन्द्रशेखर जी ने कहा कि वार्ता और आपसी समझौते के आधार पर इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए परंतु, उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। तत्पश्चात्, स्वर्ण मंदिर में आपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिए जाने के बाद केवल चन्द्रशेखर जी ही एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने इस घटना की घोर निंदा की और यह कहा कि इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। कुछ माह बाद इस घटना के परिणामस्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उस समय चन्द्रशेखर जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उनका यहां उल्लेख तक नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने तो उन्हें गद्दार तक कह दिया था। इसके परिणामस्वरूप, वह पहली और अंतिम बार 1984 में लोक सभा का चुनाव हार गए। परंतु, उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। 1985-86 में चन्द्रशेखर जी को राज्य सभा में एक सीट देने का प्रस्ताव किया गया। उस समय, कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार थी और उन्हें उत्तर प्रदेश से भी चुना जा सकता था। परंतु, उन्होंने अपने स्थान पर स्व. आचार्य नरेन्द्र देव जी के पुत्र श्री अशोक नाथ वर्मा को राज्य सभा भेजने का निर्णय लिया। 1991 में जनता दल का विभाजन होने के बाद जब चन्द्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने तब यदि वह अपने राजनैतिक सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते तो लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रह सकते थे परंतु, उन्होंने अपने गौरव और आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने सदैव एक सम्मानित जीवन जिया और देश के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए। वह देश के ऐसे अंतिम राजनेता थे जो जब भी संसद के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़े होते थे, कोई भी संसद सदस्य उनके विचारों का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था। लोक सभा में उनके भाषणों को पूरी गंभीरता और तन्मयता से सुना जाता था। इसी कारण उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। घोर निर्धनता में पले-बढ़े चन्द्रशेखर जी के राजनीतिक जीवन की तैयारी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत हुई। अपने छात्र जीवन में ही वह समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी समाजवादी विचारधाारा अपनाने के लिए राजी करने का प्रयास किया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स का उन्मूलन, कांग्रेस को समाजवादी विचारों से प्रभावित करना, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा देश के संविधान की प्रस्तावना में ''समाजवादी'' शब्द जोड़ने का श्रेय काफी हद तक ''युवा तुर्क'' चन्द्रशेखर जी और उनके साथियों को जाता है।

श्री चन्द्रशेखर जी के व्यक्तित्व के अनछुए पहलू#

*–सोहनवीर सिंह तोमर**

हम भली–भांति जानते हैं कि चन्द्रशेखर जी समाजवादी आन्दोलन के पुरोधा थे, कई वर्षों तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और देश के प्रधानमंत्री बने। तथापि, उनके जीवन के ऐसे अनेक पहलू हैं जिनसे बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। मैं उनके जीवन के इन्हीं कुछ पहलुओं को छूना चाहता हूं।

मैंने वर्ष 1951 में प्रयाग विश्वविद्यालय में बी.ए. में प्रवेश लिया था। उन दिनों प्रयाग विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में सुनियोजित छात्र आन्दोलन चल रहा था और उस युग के छात्रों की देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। मैं हिन्दू छात्रावास में रह रहा था और चन्द्रशेखर जी भी वहीं रह रहे थे। वह उस समय समाजवादी युवक सभा के नेता थे और हिन्दू छात्रावास समाजवादी गतिविधियों का केन्द्र था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र थे किन्तु वह राजनीति से दूर रहते थे। उनके बड़े भाई संतबक्श सिंह समाजवादी युवक सभा में काफी सक्रिय थे और प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। समाजवादी युवक सभा के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में छात्र परिसंघ (स्टूडेंट फेडरेशन) भी उस समय काफी सक्रिय था जिसका नेतृत्व आसिफ अंसारी कर रहे थे जो बाद में उच्च न्यायालय के जज बन गए। छात्र परिसंघ वामपंथी दल का युवा मोर्चा था। उन दिनों छात्र परिसंघ के चुनाव राजनैतिक दलों के चुनावों की भांति ही होते थे और समाजवादी तथा वामपंथी प्रमुख उम्मीदवार हुआ करते थे।

छात्रावास में रहने के दौरान मैं कुछ ऐसे साथियों के सम्पर्क में आया जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनमें श्री चन्द्रशेखर जी, श्री काशीनाथ मिश्रा और श्री वशिष्ठ नारायण आदि सम्मिलित थे। उन दिनों कैम्पस में रैगिंग का बहुत अधिक प्रचलन था। चन्द्रशेखर जी और कुछ अन्य समाजवादी साथियों ने रैगिंग का विरोध किया। मैं उनकी इस पहल से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और मेरी नजरों में उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया। उनके नेतृत्व में हमने समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। उन दिनों विश्वविद्यालय के संकाय में श्री हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता थे, फिराक गोरखपुरी, डॉ. ईश्वरी प्रसाद जैसे प्रबुद्ध शिक्षक थे और श्री चन्द्रशेखर, आसिफ अंसारी, केदारनाथ सिंह, काशीनाथ मिश्रा, ज्ञानेश्वर मिश्रा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे छात्र थे जिन्होंने राजनीति में नाम कमाया।

चन्द्रशेखर जी से मेरी घनिष्ठता इतनी बढ़ गयी थी कि अक्सर छुट्टियों में हम एक–दूसरे के घर अर्थात् उनके गांव इब्राहिम पट्टी और बलिया तथा मेरे गांव बड़ौत जाया करते थे।

एम.ए. करने के बाद चन्द्रशेखर जी ने बनारस विश्वविद्यालय में शोध आरंभ कर दिया। उन दिनों आचार्य नरेन्द्र देव बनारस विश्वविद्यालय के उप–कुलपति थे। उन्होंने चन्द्रशेखर जी से शोध छोड़कर बिहार में पार्टी का काम–काज देखने को कहा।

#मूल हिन्दी में

*आप उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूर्व विधायक और हरित प्रदेश संघर्ष समिति के सचिव हैं।

बलिया में पार्टी के तत्कालीन नेता गौरी शंकर राय थे। चन्द्रशेखर जी वहां गए और पार्टी कार्यालय को अपना निवास स्थान बना लिया। चन्द्रशेखर जी अत्यंत स्वाभिमानी थे। एक छोटी सी घटना से यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। श्री गौरी शंकर जी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के चलते श्री चन्द्रशेखर जी के भोजन की व्यवस्था करना भूल गए। चन्द्रशेखर जी के पास कुछ पैसे थे। वह रोज़ थोड़ा सा सत्तू खरीदते और उसी पर निर्वाह करते और पार्टी की गतिविधियों और कार्यक्रमों में हमेशा की तरह भाग लेते रहे। एक महीने बाद जब गौरी शंकर जी को पता चला कि चन्द्रशेखर जी ने महीनों से खाना नहीं खाया तो उन्होंने तथ्यों का पता लगाया और उनसे क्षमा मांगी।

वर्ष 1954 में मैंने एम.ए. पास किया और पार्टी की ओर से मुझे मेरठ में काम करने के लिए कहा गया। उन दिनों श्री ज्ञानेन्द्र कुमार जैन पार्टी के महासचिव थे और महाराज सिंह भारती, पार्टी के नेता थे। उस अवधि के दौरान, डॉ. राम मनोहर लोहिया ने विशेष शक्तियां अधिनियम के विरुद्ध एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया था। चन्द्रशेखर जी को बरेली की जेल में डाल दिया गया और महाराज सिंह भारती तथा मुझे फैजाबाद की जेल में भेजा गया। बरेली जेल में चन्द्रशेखर जी श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के संपर्क में आए, जो उन दिनों आरएसएस से जुड़े हुए थे। वह चन्द्रशेखर जी से प्रभावित थे और वह एक समाजवादी बन गए थे तथा उसके पश्चात् वह सदैव चन्द्रशेखर जी के साथ रहे। उच्च न्यायालय द्वारा विशेष शक्तियां अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और हम सभी को रिहा कर दिया गया। श्री चन्द्रशेखर की सलाह पर, मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर मोदी क्लॉथ मिल के कर्मचारियों को संगठित करना शुरू कर दिया। इस बीच, समाजवादी पार्टी विभाजित हो गई। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने एक अलग पार्टी का गठन कर लिया और चन्द्रशेखर जी को आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। पार्टी संगठन के संबंध में चन्द्रशेखर जी मोदी नगर, मेरठ और बड़ौत जाते रहते थे।

मेरठ के रामवाटिका, छीपी टैंक, बच्चा पार्क में पार्टी का कार्यालय था, जिसमें सिर्फ एक कमरा था। उसमें कोई प्रसाधन कक्ष नहीं था और शहर में हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जब भी चन्द्रशेखर जी यहां आते थे तो वह उस एक कमरे में रुका करते थे और वह प्रातःकाल ही निवृत्त होने के लिए दूर खेतों में जाया करते थे। उनके ठहरने और भोजन के लिए पार्टी की तरफ से कोई प्रबंध नहीं था। एक बार चन्द्रशेखर जी पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लखनऊ से आए थे। हुकुम सिंह और मैं उस समय कार्यालय में ही थे, जब चन्द्रशेखर जी अपना सामान एक कंबल में लपेटे हुए आए थे। वह दोपहर के भोजन का समय था और हमारे पास कुल डेढ़ रुपये थे। उस कार्यालय के पास ही एक ढाबा था, जहां प्रति व्यक्ति डेढ़ रुपए में खाना मिलता था। जब हम उस ढाबे में गए, हुकुम सिंह और मैंने पेट दर्द की शिकायत की और हमने कहा कि हम दोनों नहीं खाएंगे। हमने उन्हें चन्द्रशेखर जी को खाना परोसने को कहा। चन्द्रशेखर जी तुरंत ही हमारे खेल को समझ गए और हमसे पेट दर्द की झूठी शिकायत न करने को कहा क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे थे। तब हम तीनों ने खाना खाया और गन्ना किसानों की एक सभा में शामिल होने के लिए गए।

क्लॉथ मिल के कर्मचारियों ने मोदी नगर में एक प्रदर्शन किया। मिल में पूर्ण हड़ताल थी। पुलिस फायरिंग में दो कर्मचारी मारे गए और हम सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हमारे स्थानीय नेता मुंशी राम जैन की धर्मपत्नी दयावंती को भी गिरफ्तार किया गया। चन्द्रशेखर जी और ओम प्रकाश श्रीवास्तव इस प्रदर्शन के समर्थन मे मोदीनगर आए और मुंशी राम जैन के घर में ठहरे थे। घर में उनके

लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मुंशी राम जैन की धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तथापि, वहां काफी सारे सूखे मेवे और दूसरी भोजन सामग्री थी, जिन्हें मुंशी राम जैन ने ताले में बंद करके रखा था। ओम प्रकाश जी ने चन्द्रशेखर जी को कहा कि जब तक मुंशी राम घर पर है तब तक उन्हें सूखे मेवे और दूसरी चीजें खाने को नहीं मिलेंगी, इसलिए उन्हें घर से बाहर भेजना होगा। उन्होंने मुंशी राम जैन को कहा कि उनके नाम से गिरफ्तारी के कड़े वारंट जारी किए गए थे। उन दिनों सिर्फ गिरफ्तारी वारंट का नाम लेने भर से ही केन्द्रीय नेता भूमिगत हो जाते थे। मुंशी राम तत्काल वहां से निकल गए और चन्द्रशेखर जी तथा ओम प्रकाश जी ने जी भर कर सूखे मेवे खाए। तथापि, पुलिस को उनके छिपने के स्थान का पता चल गया था और उन्हें तीसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

एक बार चन्द्रशेखर जी को कर्मचारियों की सभा को संबोधित करने के लिए मोदी नगर जाना था और उनके पास किराये के लिए पैसे नहीं थे। वह लखनऊ चार बाग रेलवे स्टेशन गए और बुकिंग क्लर्क को बताया कि उन्हें हापुड़ जाना था किन्तु उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने उससे कहा कि वह यात्री को पहचान लें और इस वादे के साथ उससे टिकटें देने का अनुरोध किया कि वापस आने पर किराये का भुगतान कर देंगे। बुकिंग क्लर्क भावुक हो गया और दो टिकट, एक चन्द्रशेखर जी के लिए और दूसरा उनके साथी के लिए, दे दी। बाद में, उन्होंने पैसे लौटा दिए। चन्द्रशेखर जी ऐसे व्यक्ति थे। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सिवाय शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा है, जिसने राजनीतिक प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए इतना कड़ा संघर्ष किया हो। वह एक आम किसान के पुत्र थे, फिर भी वह स्वाभिमानी थे। वह कभी भी सत्ता के समक्ष नहीं झुके। जब कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी ही सब कुछ थीं और किसी में भी उनके खिलाफ बोलने का साहस नहीं था, उस समय उन्होंने एआईसीसी के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और भारी मतों से चुने गए थे। राज्य सभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। उसी वर्ष सी.बी. गुप्ता और कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता थे। उनके द्वारा भेजी गई राज्य सभा के संभावित सदस्यों की सूची में चन्द्रशेखर जी का नाम नहीं था। हम चन्द्रशेखर जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे इंदिरा गांधी से मिलें अन्यथा उन्हें राज्य सभा हेतु टिकट मिल पाना संभव नहीं होगा।

चन्द्रशेखर जी ने गुस्से में कहा कि उन्हें इंदिरा गांधी से क्यों मिलना चाहिए और वो भी एक टिकट के लिए। उन्होंने कहा, पार्टी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन चन्द्रशेखर जी और इंदिरा गांधी एक सार्वजनिक भोज में निमंत्रित थे। हर कोई इंदिरा गांधी के पास पहुंचकर उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था परंतु चन्द्रशेखर जी अपने स्थान पर बैठे रहे। इंदिरा गांधी भीड़ में से निकली और चन्द्रशेखर जी के पास पहुंची तथा उन्हें बताया कि यूपी के नेता इतने स्वार्थी हैं कि उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया क्योंकि हमारे विचार अलग-अलग हैं। वस्तुतः हम आपके बिना राज्य सभा की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद, राज्य सभा हेतु कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में चन्द्रशेखर जी का नाम सबसे ऊपर था।

चन्द्रशेखर जी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के पुत्र नहीं थे। मैंने उनके छात्र जीवन और राजनीतिक जीवन को नजदीक से देखा है। हर कोई उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानता है। मैंने उनके छात्र जीवन के कुछ संस्मरणों का वर्णन किया है।

चन्द्रशेखर : जैसा मैंने देखा#

*–हुक्मदेव नारायण यादव**

पूजनीय चन्द्रशेखर जी को अधिकांश मित्र एवं कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के नाम से ही पुकारते थे। उनके सभी मित्र बेहिचक उनके पास जाते थे, उनके बिल्कुल समीप बैठते थे और अपनेपन के माहौल में निर्भीक होकर उनसे बातें करते थे। उनके कुछ मित्र उनके साथ घंटों चर्चा करते थे और धर्म, संस्कृति, साहित्य, राजनीति और प्रशासन के संबंध में विस्तृत चिंतन करते थे। वे अपने मित्रों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे और हर सुख-दु:ख में संवेदनशील होकर सहभागी बनते थे। 1985 के बाद से उनके जीवन के अंतिम क्षण तक मैं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा। मुझे उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। जो सम्मान, स्नेह और अधिकार उन्होंने अपने साथियों को दिया शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने अपने साथियों को दिया होगा। मैंने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक राज्यमंत्री के रूप में कार्य किया, परंतु उन्होंने सदैव मुझे एक कैबिनेट मंत्री के जैसा ही समझा। मैंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने मुझे अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया। डॉ. राम मनोहर लोहिया का साथ निराला था। कर्पूरी ठाकुर के साथ वर्षों तक मैं उनकी छाया बनकर रहा। उनका स्नेह भी अद्‌भुत था। यद्यपि ये सभी राही अलग-अलग थे परंतु राह एक थी। उन सभी की जीवन-शैली सादगीपूर्ण और आडम्बर रहित थी। सत्य और निष्ठा के साथ सभी अपने राह पर चलते रहे। उनके साथ यात्रा के अनेकों संस्मरण हैं। वे महान पदयात्री, निर्भीक योद्धा, उदार हृदय, असीम मस्तिष्क और व्यापक व्यक्तित्व के मूर्तरूप थे। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि साधारण और सामान्य परिवार का व्यक्ति गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए सभी अवरोध और विरोध से सतत् संघर्ष करते हुए निष्ठा, धैर्य, साहस, उदारता, संवेदनशीलता, निष्पक्षता, सर्वग्राह्यता और अटूट विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ता जाता है तो वह इतिहास पुरुष बन जाता है। जब ऐसे साधारण परिवार वाले व्यक्ति सतह से शिखर पर पहुंचते हैं तब चमत्कार लगता है। ''हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु। हद बेहद दोऊ तजै तका मता अगाध''। यद्यपि, मैं 1993 में भाजपा में शामिल हो गया, फिर भी वे अपने निजी और पारिवारिक समारोह में उसी तरह स्नेहपूर्वक आमंत्रित करते रहे और मिलते रहे। कोई अंतर नहीं आया। मैं अपने उस मित्र, नेता मार्गदर्शक, सखा और सैद्धांतिक सहोदर को शत-शत नमन करता हूं। राही चला गया परंतु राह को छोड़ गया। राह वही है परंतु मंजिल अभी भी दूर है। कोई न कोई युगद्रष्टा और युग प्रवर्तक आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। हम सभी उसी पथ के राही हैं। हम सभी यह ध्यान में रखते हुए कि हमें एक ही जगह पहुंचना है, अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ें।

''हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे।
मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे।''

ऐसे नेता को मेरा शत-शत नमन, शत-शत प्रणाम।

मूल हिन्दी में

*आप संसद सदस्य (लोक सभा) और केन्द्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री रह चुके हैं।

स्वतंत्र भारत की राजनीति के धूमकेतु : चन्द्रशेखर[#]

*–डॉ. संजय सिंह**

चन्द्रशेखर जी स्वतंत्र भारत के राजनीतिक क्षितिज पर धूमकेतु की तरह प्रकट हुए। सदियों से व्याकुल और भटकती हुई भारतीय आत्मा जलते हुए प्रकाश-पिंड के रूप में प्रकट हुई और ओझल हो गई। इस प्रकाश-पिंड को उपद्रव और अराजकता लाने वाले उल्कापात के रूप में किसी ने भयभीत होकर देखा, तो किसी ने उसे नई राजनीति, नए भारत के मसीहा के रूप में और लोग उसके पीछे चले। समाज के स्थापित वर्गों तथा शासकों से मिली उपेक्षा तथा बदनामी का सलीब कंधों पर उठाए हुए यह युवा तुर्क जिद्द के साथ चट्टानों से टकराते हुए कुछ नया गढ़ने के काम में लगा रहा। ध्वंस और निर्माण शक्तियों को जगाने के उद्देश्य से मुर्दा जाति में प्राण फूंकने के लिए अघोरी साधू की तरह मशान साधना, यह है चन्द्रशेखर जी के जीवन का समाहार।

उनका जन्म 1927 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बागियों की भूमि के नाम से विख्यात बलिया जनपद में इब्राहीम पट्टी नामक गांव के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1951 में प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में राजनीति का चस्का लगा जो जीवनपर्यंत रहा। छात्र आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की एवं फायरब्रांड छात्र नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली।

1951 में ही आचार्य नरेन्द्र देव से आदेशित होकर समाजवादी आंदोलन से जुड़े और बलिया जिला सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री बने। कठिन परिश्रम और समाजवादी सिद्धांतों में गहरी निष्ठा और सांगठनिक क्षमता को देखते हुए 1952 में उन्हें प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का संयुक्त मंत्री और बाद में महामंत्री बनाया गया। 1959 में सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए और 1962 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। दो वर्ष बाद ही जनवरी, 1965 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। देश के चौथे आम चुनाव के बाद 1967 में उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का सचिव चुना गया। 1972 के बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस की कार्य-समिति के सदस्य रहे। इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक बंदी के रूप में पटियाला केन्द्रीय कारागार में वे 19 महीने तक नजरबंद रहे। लोक सभा चुनाव के कुछ ही दिनों पहले वे रिहा हुए। 1977 में बलिया चुनाव क्षेत्र से वे भारी बहुमत से निर्वाचित होकर लोक सभा पहुंचे। 01 मई, 1977 को सम्पन्न हुए जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना गया।

चन्द्रशेखर जी ने 06 जनवरी, 1983 से 25 जून, 1983 तक कन्याकुमारी से राजघाट (दिल्ली) तक पद यात्रा की, जिसे 'भारत यात्रा' के नाम से जाना जाता है। उनकी यात्रा का उद्देश्य सामान्य जन की समस्याओं से साक्षात्कार करना, असमानता और विभेद के खिलाफ आवाज बुलंद करना व शोषित तथा पीड़ित लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करना था। इस पद-यात्रा ने उन्हें असीम लोकप्रियता दी। तत्कालीन जनता दल के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के पतन के बाद

[#] मूल हिन्दी में

*आप संसद सदस्य (राज्य सभा) हैं और केन्द्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं।

जनता दल के कुछ नेताओं को लेकर उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। देश को एक और चुनाव का भार न सहना पड़े, इस धारणावश उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई। परंतु यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल मात्र 07 माह रहा। 1977 से लेकर मृत्युपर्यंत (मात्र एक बार 1984 को छोड़कर) लगातार बलिया से आठ बार सांसद रहे। संसद सचिवालय के संसदीय वार्तालाप में उत्कृष्ट हिस्सेदारी के चलते उन्हें 1995 में उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी दिया गया। गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर 08 जुलाई, 2007 को उनका देहावसान हो गया।

जिन्होंने चन्द्रशेखर जी को निकट से देखा है और समझने की कोशिश की, वे जानते हैं–सांवला, पतला, न बहुत लंबा, न नाटा, साधारण काया, चेहरे पर छोटी मगर बेतरतीब दाढ़ी, विशाल माथा, चमकने वाली तीखी बांधने वाली नजर, आत्मविश्वास की दृढ़ता और गहराई का संकेत देने वाली ठोढ़ी, होंठों के किनारे से छलकती शरारत भरी नटखट हंसी, दिलदार खुली तबियत, उत्फुल्ल मानसिकता आदि प्रमुख विशेषताएं थीं, चन्द्रशेखर जी के व्यक्तित्व की। लेकिन क्या चेहरे की बनावट से किसी के व्यक्तित्व की सही झलक मिल सकती है? आमतौर पर तो ऐसा ही माना जाता है और चेहरे को पढ़ने की कला का विकास इसी अंधविश्वास से हुआ है, जन्मकुंडली व हस्तरेखा में भविष्य को पढ़ने की तरह मगर इसके अपवाद भी बहुत हैं जैसे सुकरात, गांधी, अब्राहम लिंकन, ज्यां पाल सार्त्र और महाभारत के रचयिता व्यास आदि। चन्द्रशेखर जी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। वे व्यक्तित्व को उसके कामों और इरादों से जानने-समझने के पक्षधर थे।

चन्द्रशेखर जी सादगी के पक्षधर थे। इस हद तक कि मैंने उन्हें अंग्रेजी लिबास में कभी नहीं देखा। न कभी उन्होंने टाई बांधी और न पैंट-शर्ट पहनी। जाड़े में धोती-कुर्ता के ऊपर एक बंद गले का कोट पहन लेते थे। इसी भारतीय वेशभूषा में वे अपनी विदेश यात्राएं भी करते थे। अगर मजबूरी नहीं रही तो हिंदी और प्राय: अपनों के बीच तो भोजपुरी बोलते थे। भोजन भी निहायत सादा। लोक-भाषा, लोक-भूषा के वे पोषक थे।

चन्द्रशेखर जी वैचारिकता के धरातल पर बहुत परिपक्व और स्पष्ट दृष्टिवादी राजनेता थे। उन्होंने समाजवाद के अपने चिंतन को भारतीय परिस्थितियों से जोड़कर आचार्य नरेन्द्र देव, अशोक मेहता जैसे समाजवादियों के विचारों और आचरण से संबद्ध कर विकसित किया था। ये केवल भौतिक या पदार्थ केन्द्रित समानता को ही महत्व नहीं देते थे। वह चाहते थे कि मनुष्य के मानसिक गुणों और क्षमताओं में एक प्रकार की समरसता उत्पन्न की जाए। वह अक्सर कहा करते थे कि भारतीय राजनीति में बहुत ऊंची-ऊंची बातें की जाती हैं किन्तु व्यवहार में कुछ भी नहीं है। उनका कहना था कि मन की भूख शरीर की तृप्ति दोनों का समानान्तर महत्व है, इसलिए दोनों के लिए साथ-साथ प्रयत्न करना चाहिए। चन्द्रशेखर जी के व्यक्तित्व को उनके कर्म और संकल्प के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह बात वह प्राय: कहते भी थे। इसीलिए जब भोंडसी स्थित उनके आश्रम पर आकर एक प्रसिद्ध मूर्तिकार ने उनकी मूर्ति बनानी चाही तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि किसी व्यक्ति का स्मारक उसके मरने के कम से कम 100 साल बाद बनाया जाना चाहिए, जब उसके काम का पूर्वाग्रह रहित मूल्यांकन होने लगता है और वक्ती ख्याति की धुंध छंट जाती है। उनके मन में शायद यह विचार रहा होगा कि उनका मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियां करेंगी। इसके अलावा वे सार्त्र आदि अस्तित्ववादियों की तरह भी मानते रहे होंगे कि आदमी वह नहीं होता जो अपने आप को बताता है बल्कि वह होता है जो दूसरे कहते हैं कि वह 'यह' है। विषय के रूप में वास्तविकता के साथ आदमी खुद को नहीं देख सकता। यह काम अन्य की नजरों का विषय बनने से संभव है।

धनी और निर्धन, नेता और कार्यकर्ता, अफसर और चपरासी, संत और अपराधी, देशी-विदेशी, बड़े-बड़े व्यापारी और अत्यन्त गरीब, ब्राह्मण और शूद्र, पुरुष और स्त्री के द्वैत के ऊपर उठकर सबके प्रति सम्यक् और समान दृष्टि रखने वाले इस देश के चंद नेताओं में चन्द्रशेखर जी शामिल थे। उनकी इस विशेषता के उनके विरोधी भी कायल थे। उनका यह द्वैतमुक्त व्यवहार केवल कथनी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि करनी में भी वे इस पर ठीक उतरते थे। वह इसके प्रति सावधान रहते थे कि उनके मुंह से छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी बेअदबी के शब्द न निकलें। बड़े लोगों तथा शासन में बैठे या वैभव में अकड़े लोगों के प्रति तो वे प्रायः कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी करते थे (उनमें ढ़ोंग और पाखंड देखने पर), किंतु छोटे आदमी के लिए न इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते थे और न किसी को करने देते थे। अपने रसोइये, माली, गायों की देख-रेख करने वाले, ड्राइवर आदि के प्रति उनका व्यवहार छोटे भाई की तरह रहता था।

चन्द्रशेखर जी स्वतंत्र भारत के पिछले दशकों के उन बिरले लोगों में से थे, जो चिंतन और कर्म दोनों के स्तर पर निरंतर सक्रिय रहे। अन्यथा, विचार और कर्म का अलगाव हमारे युग की एक प्रमुख समस्या है जो बुद्धिजीवी लिखते, पढ़ते और बहस करते हैं, वे वास्तविक जमीन से कटे अलग दुनिया में रहते हैं और जो कर्म क्षेत्र में सक्रिय रहते, वे ज्यादा चिंतन-मनन, पठन-पाठन की जरूरत नहीं समझते। यह भी एक सामाजिक गिरावट का लक्षण है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष का एक प्रतीक चन्द्रशेखर जी थे। इसका असर 'यंग इंडियन' साप्ताहिक में लिखे गए उनके संपादकीय, 'डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज' शीर्षक पुस्तक में संकलित लेखों एवं 'मेरी जेल डायरी' की टिप्पणियों में दिखाई देता है। इनमें तथा संसद के अपने भाषणों में वैकल्पिक राजनीति के प्रवाहक के रूप में और भारतीय समाजवाद की लुप्त होती धारा के बिरले प्रवक्ता के रूप में उन्होंने लगभग हर महत्वपूर्ण राजनैतिक-सामाजिक घटना पर टिप्पणी की तथा उसे एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की। चन्द्रशेखर जी के लेखन की एक और विशेषता है। वैकल्पिक नई राजनीति का निर्माण हो या लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बनाने की चुनौती, कश्मीर, पंजाब समस्या के समाधान का प्रश्न हो या बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद, भ्रष्टाचार और अनैतिकता से मुक्ति का सवाल हो या प्रशासनिक सुधार का मामला हो— चन्द्रशेखर जी ठोस सुझाव पेश करते थे। मौजूदा व्यवस्थाओं पर प्रहार करते हुए विकल्पों का भी संकेत देते थे। इस मायने में वे प्रखर आलोचक तो हैं ही, विकल्पों के प्रतिपादक भी हैं।

चन्द्रशेखर जी ने 'यंग इंडियन' में एक स्थान पर लिखा है कि आवश्यक नहीं कि चुनाव में ईमानदार या सदाचारी व्यक्ति को ही मतदाता चुने। जन साधारण पहले पराक्रम, सामर्थ्य एवं कर्मठता को देखता है, नैतिकता को बाद में। मूल्यों और दिशाओं के प्रवर्तन का काम बुद्धिजीवियों का है। यदि मूल्यों का ह्रास होता है, तो यह उनकी असफलता है। राजनीति का स्वर्ण युग यानि 'पराक्रम और मानवीय मूल्यों' का संयोग तब होता है, जब किसी राज्य क्षेत्र में धर्म, संस्कृति, ज्ञान, अर्थनीति और राजनीति के व्यापक क्षेत्र में मूल्यों का आंदोलन होता है।

उन्होंने आज की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भ्रष्टाचार का गहरा संबंध इस बात से है कि हम कैसे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते हैं और कैसे मूल्य विकसित करते हैं। सार्वजनिक आचरण और निजी आचरण दोनों का एक राष्ट्रीय पैमाना होता है। सदाचार एक व्यक्तिगत गुण नहीं है। सदाचार का उपदेश देकर या प्रशिक्षण देकर अथवा 'सज्जनों' को राजनीति में लाकर भ्रष्टाचार की समस्या से निजात मिल सकती। इसके लिए एक नई

कार्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करना होगा। राजनीतिक समूहों में सदाचार के तीन आधार चन्द्रशेखर जी ने बताये हैं—समाज को बदलने-सुधारने के आदर्शवादी लक्ष्य, शोषित-पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति की वाणी और कर्म के स्तर पर संस्कृति के रूप में विकास तथा दल या संगठन के अंदर समानता, भाईचारा व अनुशासन।

हमें विश्वास है कि ज्यों-ज्यों समाज में विषमता बढ़ेगी, समाज की शक्तियों का ध्रुवीकरण तेज होगा। एक ओर कट्टरवादी शक्तियां और पूंजीशाही का सम्मिलित हमला होगा, दूसरी ओर समाज के दबे-कुचले, पीड़ित-वंचित लोग और संपूर्ण नारी-वर्ग खड़े होंगे और चन्द्रशेखर द्वारा प्रदर्शित रास्ते से बेहतर समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करेंगे। हम जानते हैं कि चन्द्रशेखर जी का आचरण उनकी वैचारिक दृष्टि से पूर्णतया अभिन्न है। वास्तव में चन्द्रशेखर जी उन बिरले राजनेताओं में से थे जो आचरण और विचार के बीच खाई नहीं बनने देते थे। उनके आचरण और विचार एक दूसरे से घुल-मिल जाते थे। आचरण और विचार की एकता की यह परंपरा भारतीय समाज में अधिक से अधिक जगह बना सके। यही चन्द्रशेखर जी की हार्दिक इच्छा थी।

चन्द्रशेखर–एक महान राजनेता[#]

*–विद्याचरण शुक्ल**

श्री चन्द्रशेखर उन नेताओं में थे, जिनकी गिनती आचार्य नरेन्द्र देव सरीखे महान राजनेताओं के साथ की जा सकती है। वे अपने विचारों के पक्के तथा दूसरों के विचारों का आदर करने वाले व्यक्ति थे।

हम दोनों की मित्रता वैसे ही हुई जैसे ''पहली नजर में प्यार'' होता है। मैं इंदिरा जी का मजबूत अनुगामी रहा, पर उन्होंने इंदिरा जी का आदर करते हुए भी, अपना फक्कड़पन कभी नहीं छोड़ा।

यह हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती हुई कि उनका जो आकलन विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में था, उसे हम सब ने स्वीकार नहीं किया। इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का भी दोष था। जब उनके नजदीक के सहयोगी भी उनसे अलग होते थे, तब भी वे बुरा नहीं मानते थे। सही और गलत के बीच का रास्ता वे कभी नहीं ढूंढते थे। यही कारण था बड़े से बड़े पदों पर रहने के बाद भी बहुत बड़ी भीड़ कभी उनके पीछे नहीं चली। मैं उनके बारे में बहुत लिख सकता हूं, पर अभी इतना ही लिखना पर्याप्त है कि उनके सरीखे नेता भारत की राजनीति में बिरले ही आएंगे।

[#] मूल हिन्दी में

*आप केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (लोक सभा) रह चुके हैं।

चन्द्रशेखर और संसद#

*–दशई चौधरी**

नौवीं लोक सभा के सदस्य होने के नाते, मुझे स्व. चन्द्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री के सानिध्य में रहने एवं संसद में उनका भाषण सुनने तथा उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी राजनीति जीवन के लिए एक सादगी एवं उच्च विचार के प्रतीक थे, जो अपना विचार संसद में निर्भीकतापूर्वक एवं स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाने जाते थे। यही कारण है कि आज लोग उनके विचारों को भुला नहीं पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं एवं अपने सहयोगियों को हर मुसीबत में मदद करना उनकी खासियत रही है।

संसद में चन्द्रशेखर जी का भाषण सारगर्भित होने के साथ-साथ सच्चाई पर आधारित होता था। ज्वलंत समस्याओं एवं देश में आने वाले संकट के निदान हेतु उन्हें संसद में संकटमोचक कहा जाता था और यही कारण था कि स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी के पार्लियामेंट में दिए गए भाषण की सभी पार्टी के नेता एवं सांसद सराहना करते थे। पार्लियामेंट में उनके भाषण के दौरान, लगता था कि मानो उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती वास करती है।

स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी न केवल संसदीय कार्यों में निपुण थे बल्कि राजनीति के एक स्तंभ थे, जिसके कारण संसद में बहस के दौरान किसी विषय पर गतिरोध होने पर उनके द्वारा ही समाधान निकाला जाता था, जिसे सभी पार्टी के नेता मानने के लिए मजबूर हो जाते थे और यही कारण था कि 1995 में स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी को ''उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार'' से नवाजा गया था।

1989 के लोक सभा चुनाव के बाद, संसद के सेंट्रल हॉल में जनता दल संसदीय पार्टी के नेता का चुनाव हो रहा था, जहां पार्टी के सभी सांसद मौजूद थे। चन्द्रशेखर जी ने नेता पद के लिए स्वर्गीय देवी लाल जी के नाम का प्रस्ताव ज्यों ही रखा कि सभी सांसद स्तब्ध रह गए, परंतु देवी लाल जी ने कुछ ही क्षणों के बाद स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा, तो चन्द्रशेखर जी झल्ला गए, तथा उठकर यह कहते हुए चले गए कि मैं कभी भी वी.पी. सिंह को न नेता मानता हूं और न भविष्य में कभी मानूंगा। जो उनके साहस एवं निर्भीकता का परिचायक है।

सन् 1990 के दिसम्बर माह में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वी.पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण सरकार को जाना पड़ा था। तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चन्द्रशेखर जी को भारत के प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मंडल कमीशन की आग संपूर्ण देश में फैल चुकी थी तथा मंडल कमीशन के पक्ष एवं विपक्ष में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। परंतु स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, मंडल कमीशन की आग अपने आप बुझ गई, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता एवं राजनैतिक दक्षता को दर्शाता है।

#मूल हिन्दी में

*आप केंद्रीय उप-मंत्री रह चुके हैं।

एक प्रसंग मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी एक छोटी-सी घटना को लेकर सरकार से समर्थन वापस करने पर विचार कर रही थी कि इसी बीच चन्द्रशेखर जी ने सभी मंत्री मंडलीय सहयोगियों को बुलाकर त्यागपत्र देने को कहा। तत्क्षण सभी मंत्रियों ने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सब लोग चुनाव के लिए तैयार रहें, मैं आज ही पार्लियामेंट में अपना इस्तीफा देने की घोषणा करूंगा। परंतु किसी पार्टी के नेता को कतई विश्वास नहीं हो रहा था कि चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं।

पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था। मैं जैसे ही करीब 11 बजे संसद में प्रवेश करने ही वाला था कि राजीव गांधी जी ने मुझे बुलाया और अपने कार्यालय में ले जाकर पूछा कि चन्द्रशेखर जी क्या करने वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि वे आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करेंगे। राजीव गांधी जी पांच मिनट तक सोचते रहे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ और चन्द्रशेखर जी को इस्तीफा देने से रोको। मैं उनसे केवल पांच मिनट बात करना चाहता हूं तथा बात होने के बाद सरकार बिना शर्त चलाते रहने के लिए मैं समर्थन के लिए तैयार हूं। मैं भागते हुए प्रधानमंत्री के पास गया और राजीव गांधी जी के संदेश को उन्हें विस्तार से बता दिया। परंतु चन्द्रशेखर जी ने यह कहते हुए राजीव गांधी जी से मिलने से इंकार कर दिया कि समय समाप्त हो चुका है अब कुछ नहीं हो सकता।

मैंने निराश होकर पुनः राजीव गांधी से मिलकर चन्द्रशेखर जी द्वारा कही हुई बातों को बताया। इस पर राजीव जी के मुंह से निकल पड़ा कि ''यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण होगा''।

मैं फिर हाउस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया तथा जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था सांसदों में चन्द्रशेखर जी का निर्णय सुनने के लिए कौतूहल बढ़ता जा रहा था। अंत में वही हुआ जिसके बारे में चन्द्रशेखर जी निर्णय कर चुके थे। पार्लियामेंट में इस्तीफा देने की घोषणा के बाद, वे माननीय राष्ट्रपति जी के पास चले गए, जो यह साबित करता है कि चन्द्रशेखर जी पद के लोभी नहीं, बल्कि मान सम्मान के भूखे थे तथा आदर्श उसूल की राजनीति में विश्वास रखते थे, वरना प्रधानमंत्री बने रहना कौन नहीं चाहता है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी – एक अद्‌भुत व्यक्तित्व#

*–डॉ. जगन्नाथ मिश्र**

भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक देश है। इसके संविधान में देश के सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था है। देश का कोई भी नागरिक चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, गरीब हो या अमीर, दलित वर्ग का हो अथवा सवर्ण वर्ग का सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समान रूप से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। केवल इतना ही नहीं, संविधान में देश के सभी नागरिकों को आदर्श जीवन जीने के समान अधिकार भी प्राप्त है। इन बुनियादी सिद्धांतों के संदर्भ में, श्री चन्द्रशेखर जी का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वे अत्यंत मेधावी और प्रखर विचारक थे, जो हमेशा लीक से हटकर सोचते थे। किसी भी मिथक को वे बिना तर्क के मानने के हामी नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समता और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। श्री चन्द्रशेखर जी निरंतर भूखे, नंगे लोगों व असहायों के लिए लड़ते रहे। एक बेहतर समाज निर्माण के सपनों को धरती पर उतारने के लिए जीवनपर्यन्त लड़ने वाले योद्धा रहे। श्री चन्द्रशेखर जी सामाजिक न्याय की लड़ाई के प्रवक्ता और भारत की पीड़ा से अपने अन्दर की जड़ों तक जुड़े थे। श्री चन्द्रशेखर जी मानव स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को राष्ट्र-उत्थान के लिए आवश्यक मानते थे। इस संबंध में वह कहा करते थे, ''समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक रहने, अपने रीति-रिवाज तथा अपनी धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तभी राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्‌भावना को बल मिलता है। ''वे राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में अल्पसंख्यकों के साथ ही बहुसंख्यकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने पर जोर देते रहते थे। इसमें उन्होंने कहा था ''बहुसंख्यक लोगों का यह महान कार्य होगा कि वे भारत में रहने वाले सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करें।'' राष्ट्रीयता पर भी हमेशा बल देते रहते थे। क्योंकि वे जानते थे कि ''बिना राष्ट्रीयता की भावना के राष्ट्रवाद नहीं हो सकता।'' ''भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र होना ही काफी नहीं है, अपितु धार्मिक, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भी इसे समता वाला देश बनाना बहुत जरूरी है।'' स्वराज्य वही है, जिसमें मनुष्य सही मायने में मनुष्य की तरह रहे और जी सके। स्वतंत्रता तो हमें मिली है किन्तु भारत में समता का अभाव है। यहां के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है, इस विषमता को हमें शीघ्र ही मिटा देना चाहिए, अन्यथा बड़े परिश्रम से निर्मित हुआ यह लोकतंत्र का मंदिर मिट्‌टी में मिल जाएगा। समता पर आधारित शोषण रहित एक ''आदर्श समाज'' के सपने को साकार करने में हम पूरी शक्ति से जुट जाएं। वे ऐसा भारत चाहते थे, जिसमें मनुष्य सही मायने में मनुष्य की तरह रहे और जी सके। उन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा को एक विशिष्ट कर्त्तव्य बताते हुए कहा था, ''स्वराज्य की रक्षा करना, हमारा प्रथम कर्त्तव्य है।'' अपने

#मूल हिन्दी में

*आप बिहार के मुख्यमंत्री और एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्‌यूट ऑफ इकॉनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंज के अध्यक्ष थे।

समाज में किसी प्रकार की फूट पुनः हमसे स्वराज्य छीन लेगी। अतः हमें छोटी-छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए और रक्त की अंतिम बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। आपस में यदि कोई मतभेद है तो उसे लेकर टकराना नहीं चाहिए, बल्कि सौहार्द के वातावरण में बातचीत के जरिए समस्या को हल कर लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संवैधानिक होना चाहिए अन्यथा अराजकता फैल जाएगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे और पले, समाजवादी विचारधारा के संपोषक, श्री चन्द्रशेखर जी का नाम आते ही अतीत की अनेक बातें, स्मृतियां एवं भावनाएं मानस-पटल पर बादलों के बवंडर की तरह उभरने लगती हैं। उनकी सर्वोपरि विशेषता यह थी कि राजनीति में रहते हुए भी वे दलगत और सत्तात्मक राजनीति के दलदल में नहीं धंसे और महत्वपूर्ण दायित्वों से जुड़े पदों पर काम करते हुए भी अहंकार से अछूते रहे। सच तो यह कि उनका ध्यान पदों की ओर नहीं सदैव निष्काम लोक-सेवा की ओर रहा। रचनात्मक कार्यों में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। लोक-सेवा में उन्हें विशेष रस था। समाजवादी आन्दोलन पर उन्होंने गहराई से चिंतन किया था और असहाय के हितार्थ उन्होंने जो कुछ किया वह स्वर्णाक्षरों में इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। एक आदर्शवादी एवं कुशल प्रशासक थे, जो अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही चलना पसन्द करते थे। उनकी कथनी और करनी में लेश मात्र भी अंतर नहीं था। वे स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। अनुशासन उनके जीवन का आदर्श रहा तथा दूसरों को भी इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। ईमानदारी और सादगी तो उनके जीवन की पहचान थी। उन्होंने अपने आदर्श व्यक्तित्व से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की तथा जनतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सक्रिय योगदान दिया।

श्री चन्द्रशेखर जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्य नरेन्द्र देव से अनुप्रेरित होकर समाजवाद के अनुशीलन में अपने छात्र-जीवन से ही अनेक कष्ट सहते हुए संलग्न रहे थे, लेकिन उन्हें देशव्यापी ख्याति तब मिली जब वह कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पूर्व परिदृश्य के दौर में दस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अलावा बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं प्रिवीपर्स के मुद्दों पर देशव्यापी प्रचार-यात्रा के फलस्वरूप युवा तुर्क के रूप में उभरकर आए।

1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में अंतरात्मा के आधार पर वोट देने संबंधी श्रीमती इंदिरा जी के आह्वान की आंधी की बिना पर श्री वी.वी. गिरी पार्टी द्वारा नामित श्री संजीव रेड्डी को हराकर निर्वाचित हुए थे। इसमें श्री चन्द्रशेखर जी जैसे नेताओं की प्रमुख भूमिका रही थी। इस प्रकार कांग्रेस के विभाजन के बाद उन्हें श्रीमती इंदिरा जी का सक्रिय समर्थन प्राप्त रहा था। राजनीतिक पथ पर अकेले चलने वाले श्री चन्द्रशेखर जी अपनी राजनीति अपनी शर्तों पर ही करते रहे थे। एक किसान परिवार से आने के कारण श्री चन्द्रशेखर जी के बनावटविहीन व्यक्तित्व में भारतीय किसान का सम्मान एवं उसकी गरिमा आरंभ से अंत तक परिव्याप्त रही। इसी कारणवश दोस्तपरस्त व्यक्तियों में उनकी गणना बहुत आदर के साथ की जाती रही है।

श्री चन्द्रशेखर जी ने संसद एवं संसद से बाहर अनेक अवसरों पर कहा था कि आर्थिक न्याय से ही आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य संभव हो सकता है। अभी सरकार की चिंता में जनता नहीं कारपोरेट समूह है। निजीकरण के कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रभावित हुई है। राजनीतिक लोकतंत्र का वास्तविक आधार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। सामाजिक न्याय के जरिए थोड़ा बहुत सामाजिक संतुलन बनाया गया है। परन्तु आर्थिक असंतुलन निरन्तर बढ़ रहा है। भारतीय

संविधान की प्रतिज्ञाओं में केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं था, अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी था। लेकिन विगत दो दशकों में आर्थिक न्याय से अनुमानतः मुंह मोड़ लिया गया है। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को एक जीवन-दृष्टि माना था, जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को पहचान प्रदान करती है। यह त्रयी एक दूसरे से विलग नहीं है, इसे अलग देखने का मतलब लोकतंत्र के प्रयोजन की पराजय है।

आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत गरीब ग्रामीणों की बदहाली एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नव साम्राज्यवाद के संदर्भ में श्री चन्द्रशेखर जी समावेशी विकास के प्रबल पक्षधर रहे थे। वह गांव की गरीबी स्वयं झेलते हुए उससे उभरकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में सफल हुए थे। लिहाजा, अमीरी के सरोवर में तैरने वाले हवाई राजनेताओं के संबंध में यह मुहावरा कहने में थकते नहीं थे- ''जाके पावं न फटे बवाई, सो क्या जाने पीर पराई?'' श्री चन्द्रशेखर जी जब भी संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे, सब तरफ शांति छा जाती थी और सभी लोग निःशब्द अत्यंत तन्मय होकर उनकी दो-टूक बातों का श्रवण करते थे। यह अकारण ही नहीं था कि 12 दिसम्बर, 1995 को ''उत्कृष्ट सांसद'' का सम्मान प्रथमतः श्री चन्द्रशेखर जी को ही प्रदान किया गया था। उस अवसर पर वक्ताओं ने श्री चन्द्रशेखर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था। तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष ने कहा था कि हृदय से निकलने वाले श्री चन्द्रशेखर जी के शब्द हृदय तक पहुंचते हुए आमजनों की व्यथा को प्रतिबिम्बित करते हैं।

श्री चन्द्रशेखर जी के व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न महानुभावों द्वारा की गयी टिप्पणियां आज भी मन-मानस को रोमांचित करती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने पर ''टाइम'' मैगनीज ने उन्हें राजनीति का सतत् असहमत व्यक्ति कहा था। प्रभाष जोशी ने लिखा कि राज की बात श्री चन्द्रशेखर जी से कहूंगा न कि ''वी.पी. या अटल'' से। प्रभाष जी ने यह भी लिखा कि राजनीति में ईमानदारी की बातें, स्वच्छता या नैतिकता की बातें आज बेमानी हैं, यह सब मानते हैं लेकिन स्टेज पर कोई इसे स्वीकार करने का साहस दिखा सकता है, तो वह श्री चन्द्रशेखर जी हैं, कोई और नहीं।

श्री चन्द्रशेखर जी ने 17 अप्रैल, 2001 के दिन अपने जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश किया था। इस अवसर पर, अमृत-कलश के रूप में उनके जीवन एवं कृतित्व पर कई पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था जिनमें आपातकाल के दौरान लिखी गयी उनकी ''मेरी जेल डायरी'' का प्रमुख स्थान है। इसी क्रम में श्री चन्द्रशेखर जी की हिन्दी में जीवनी—''जिन्दगी का कारवां'' का प्रकाशन हुआ, जिसमें उनके जीवन से जुड़े अनेक अंतरंग प्रसंगों का समावेश है। जीवनी हिन्दी में होने के कारण श्री चन्द्रशेखर जी से संबंधित बातों की जानकारी सीधे तौर पर प्राप्त करना अंग्रेजीदां लोगों के लिए सुलभ नहीं है। संभवतः श्री चन्द्रशेखर जी की ''मेरी जेल डायरी'' एवं अन्य पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित करने की कार्रवाई चल रही है, जो सुखद है।

श्री चन्द्रशेखर जी ने अपने जीवन में अनुभूत भावों का मार्मिक वर्णन अपनी जीवनी के आखिरी पन्नों में किया है। श्री चन्द्रशेखर जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एम.ए. करने के बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आचार्य नरेन्द्र देव के अधीनस्थ शोध कार्य शुरू किया, लेकिन आचार्य जी के कहने पर ही देश सेवा हेतु समाजवाद की राजनीति के भंवर में कूद पड़े। अपनी आत्मकथा में उन्होंने संक्षेप में बताया कि उन्होंने अपना जीवन किस तरह जीया।

''आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा था : श्री चन्द्रशेखर, छोड़िए शोधकार्य, देश बनाने के लिए निकलिए।'' उसी एक वाक्य ने जीवन की धारा को सदा के लिए बदल दिया। मंजिल की तलाश में चलता रहा, देश बनाने की तमन्ना दिल में लिए, कितने जोखिम-भरे अवसरों से गुजरा, कितने ऐसे मुकाम आए जब मंजिल सामने आती दिखाई पड़ी, पर फिर वही उधेड़बुन वही ईर्ष्या-द्वेष। विवादों से बचने के प्रयास का परिणाम निकला एक उलझन भरा जीवन। देश को निकट से देखा-समझा। उच्च पदों पर आसीन लोगों के क्रियाकलापों को देखने-परखने का अवसर मिला। सत्ता के गलियारे में काम करने वाले लोगों से सम्पर्क हुआ। अल्प समय के लिए ही सही, उसका व्यक्तिगत अनुभव भी किया। साधारणजन की भावनाओं से परिचित हुआ, देश की क्षमता और इसके लोगों की शक्ति में भरोसा बढ़ा। जो कुछ करना संभव था, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया। समय रहते आसन्न संकट के प्रति उत्तरदायी लोगों को आगाह किया, पर परिणाम अधिकतर आशा के विपरीत ही रहे। कई बार मेरी आवाज को चुनौती समझकर उसका प्रतिकार करने का प्रयास किया गया, पर मेरी सदा यही कोशिश रही कि समय रहते लोगों को आने वाले संभवत: खतरे के प्रति आगाह कर दूं। सारे प्रयास के बावजूद आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, पर देश के लोगों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। अपनी दूरदृष्टि के आधार पर उन्होंने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए कदम उठाया है। उन्हीं यादों का सहारा है। मैंने संभवत: 1955 में अपनी डायरी में लिखा था: ''परिवार की सीमाओं में हम समा न सके, प्यार के परम्परागत स्रोत सूख गए और नए चश्मों की तलाश में हम भटकते ही रहे।'' अपनी तो मन:स्थिति आज भी वैसी ही है। काश, हम भारत के इस परिवार को संजोए रखने की दिशा में कुछ कर सकते।''

श्री चन्द्रशेखर जी सत्ता की राजनीति की अपेक्षा सिद्धांतों की राजनीति में अपना किरदार निभाते रहे। लिहाजा, उन्होंने ''चाह गयी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह जिनको कुछ नहि चहिए, वे साहन के साह'' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियों का निर्वहन किया।

मेरे अग्रज श्री ललित नारायण मिश्र से श्री चन्द्रशेखर जी के मित्रवत् संबंध रहे थे एवं उनके युवा तुर्क के अभियान के सुदृढ़ीकरण हेतु सहयोग प्रदान करने हेतु वे सदैव तत्पर रहते थे। श्री चन्द्रशेखर जी का ललित बाबू के साथ संपर्क जीवनपर्यन्त सतत् प्रगाढ़ होता गया था। उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध की चर्चा श्री चन्द्रशेखर जी की जीवनी ''जिन्दगी का कारवां'' में दिखती है जिसमें उन्होंने कहा है ''जनवरी, 1975 में श्री ललित बाबू को जे.पी. से मिलने का समय मिला था। समस्तीपुर से लौटकर वे जे.पी. से मिलने जाने वाले थे लेकिन समस्तीपुर में ही हमला हुआ और वे उसमें मारे गए। इस तरह श्री ललित बाबू की मृत्यु मेरे लिए बहुत दु:खद हो गई। उनके रहते हुए मैं उनके घर दिसम्बर, 1974 में नहीं जा सका, इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाया। श्री ललित बाबू की मृत्यु संदिग्ध स्थितियों में हुई।

श्री चन्द्रशेखर जी से मेरा सम्पर्क 1970 अक्टूबर-नवम्बर में शिमला कांग्रेस अधिवेशन के समय हुआ। श्री चन्द्रशेखर जी केन्द्रीय चुनाव समिति के सदस्य के लिए उम्मीदवार बने। कांग्रेस के बड़े नेता उनके पक्ष में नहीं थे। मेरे बड़े भाई श्री ललित बाबू ने उन्हें बिहार का समर्थन दिलाया। वे विजयी हुए। यहीं से मेरी घनिष्ठता बढ़ी और वे मुझे छोटे भाई का प्यार निरन्तर देते रहे। 1972 के बिहार विधान सभा के लिए उन्होंने ललित बाबू से मुझे उम्मीदवार बनाने के लिए कहा था। मैं उस समय बिहार

विधान परिषद् का सदस्य था। मेरा कार्यकाल बाकी था। लेकिन श्री चन्द्रशेखर जी ने केन्द्रीय चुनाव समिति में अपने स्तर से मेरा नाम झंझारपुर से स्वीकृत कर दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके विचारों और व्यवहारों से बड़ा प्रभावित था। उस समय से लगातार मैं उनके सम्पर्क में रहा और बिहार की राजनीति की चर्चा होती रही। वे मुझे ''पंडित जी'' कहकर पुकारते, उनका शब्द था ''गोड़ लागी पण्डित जी'' मैं रोकता, वे मुझसे बुजुर्ग रहे फिर भी उन्होंने मुझे बराबर आदर और स्नेह दिया। जिन दिनों मैं बिहार का मुख्यमंत्री था, वे अभिभावक की तरह जनहित में कार्यों के लिए कभी-कभी कुछ निदेश भी दिया करते। जब मैं केन्द्रीय मंत्री था तो उस समय मैं उनसे निरन्तर मिला करता था। उनसे प्रधानमंत्री बनने पर भी वही सम्बन्ध बना रहा। वे भी मुझे आत्मीय स्नेह दिया करते। बिहार से उनका लगाव था। उन्होंने सम्पूर्ण बिहार का सघन-भ्रमण किया था। जे.पी. के विचारों से प्रभावित रहे। इसलिए श्रीमती इंदिरा जी के विचारों से वे कांग्रेस पार्टी में सहमत नहीं रह रहे थे। वे उस समय जे.पी. के सम्पर्क में रहे। इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय ने इंदिरा जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इस निर्णय के उपरांत, उनका विचार था कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए। उनका इंदिरा जी से मतभेद काफी बढ़ गया। वे कांग्रेस के विचारों से असहमत हो गए थे। वे जे.पी. और इंदिरा जी के बीच सम्पर्क चाहते थे। गुजरात और बिहार की समस्या पर समाधान चाहते थे। इंदिरा जी को उन्होंने कई बार कई अवसरों पर कहा भी था — कुछ संभावना बनी भी, ललित बाबू को वे माध्यम बनाना चाहते थे — परन्तु वह संभव नहीं हो पाया। 25 जून, 1975 को रामलीला मैदान की आम सभा के बाद आपातकाल की घोषणा हो गई। श्री चन्द्रशेखर जी समेत अनेक कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अगर जे.पी. और इंदिरा जी की बात हुई होती तो संभवत: आपातकाल की स्थिति नहीं आती तथा देश को उस संकट से बचाया जा सकता था। परन्तु होता वही है जो नियति का विधान होता है।

श्री चन्द्रशेखर जी की स्मृतियां भारत के लिए सदा प्रेरणा-स्रोत बनी रहेंगी।

चन्द्रशेखर : दूसरी परंपरा के नायक[#]

*–मस्तराम कपूर**

हिन्दी साहित्य में दूसरी परंपरा की स्थापना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। यह दूसरी परंपरा क्या थी और यह पहली परंपरा से किस रूप में भिन्न थी, इसका विवेचन आचार्य द्विवेदी के शिष्य डॉ. नामवर सिंह ने किया। भारतीय राजनीति में भी दो परंपराएं रहीं। एक है अभिजातवर्ग प्रधानमंत्रियों की परंपरा और दूसरी है जनसाधारण से आए प्रधानमंत्रियों की परंपरा। चन्द्रशेखर जी इस दूसरी परंपरा के नायक थे। संयोग की बात कि चन्द्रशेखर जी उसी मिट्टी से उपजे थे, जिससे आचार्य द्विवेदी और डॉ. नामवर सिंह। तीनों बलिया उत्तर प्रदेश की धरती के थे, जिसके गर्भ में हमेशा विद्रोह और क्रांति की आग धधकती रही है।

ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों के संबंध में आमतौर पर कहा जाता है कि उनकी संभावनाओं के लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। चन्द्रशेखर जी का बचपन कैसे गुजरा, इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसलिए मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि यह कहावत उन पर लागू होती है या नहीं। नहीं लागू होती होगी तो भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा क्योंकि मैं शून्य से शिखर तक यात्रा करने वाले को अपना आदर्श मानता हूं। ऐसा व्यक्ति संभावनाओं के पीछे नहीं चलता, संभावनाएं ही उसके पीछे चलती हैं। शून्य से यात्रा शुरू करने वाले की पूंजी उसका आत्मविश्वास होता है, जो बड़ी चुनौती के समक्ष भी उसे अडिग खड़ा रहने की शक्ति प्रदान करता है। चन्द्रशेखर जी इसी आत्मविश्वास के साकार रूप थे। इंदिरा गांधी जैसी अत्यंत शक्तिशाली नेता के विरोध के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव लड़ना और जीत जाना उनके आत्मविश्वास का परिचायक है। आपातकाल के दिनों में भी उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया और लोक नायक जयप्रकाश नारायण का पक्ष लिया, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा।

जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने कोई मंत्री पद न लेकर जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। जनता पार्टी के सारे घटकों को यह विश्वास था कि पार्टी के भीतर के टकरावों पर काबू पाने में वही सबसे अधिक सक्षम होंगे। जब जनता पार्टी में विभिन्न घटकों के बीच टकराव उभरने लगे तो उनमें एक संतुलन बनाए रखने में वे काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि वे मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपने से काफी वरिष्ठ नेताओं पर भी पार्टी का अंकुश लगाने में यथासंभव कामयाब हुए। जनता पार्टी की सरकार के पतन और इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद जब जनता पार्टी अनेक टुकड़ों में बिखर गई, तो उन्होंने सारे भारत की यात्रा कर सारे माहौल को एक बार फिर गरमा दिया। 1989 में जब जनता दल की सरकार बनने की स्थिति बनी तो उन्होंने उसका नेतृत्व करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुकाबले में अपनी दावेदारी पेश की, यह उनके आत्मविश्वास का ही प्रमाण था। हालांकि मीडिया से जुड़े तमाम बुद्धिजीवी और शहरी मध्यवर्ग विश्वनाथ प्रताप सिंह को कंधे पर उठाए हुए थे, चन्द्रशेखर मानते थे कि गैर-कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर कांग्रेस से आए एक नौसिखिए के हाथ में जनता दल सरकार की बागडोर देना न उचित होगा और न न्यायसंगत। कौन कह सकता है कि उनका यह तर्क गलत था? किन्तु

[#]मूल हिन्दी में

*आप एक समाजवादी हिन्दी लेखक हैं।

बुद्धिजीवी वर्ग चन्द्रशेखर के प्रति पूर्वाग्रहों से इतना ग्रसित था कि उसने चन्द्रशेखर के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया, तब भी नहीं जब वे चौधरी देवीलाल के पक्ष में अपना दावा छोड़ने को तैयार हो गए। यह सब इसलिए हुआ कि चन्द्रशेखर जी उस अभिजात परंपरा के नेता नहीं थे, जिसे सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर देखने का हमारा मध्य वर्ग और पढ़ा-लिखा वर्ग आदी रहा है। राजा-रानियों और नवाब-बेगमों को सत्ता का सहज दावेदार मानने वाले वर्ग देहाती वेशभूषा और रहन-सहन की शैली वाले चन्द्रशेखर को एक राजा के मुकाबले में ये लोग क्यों पसंद करते? अपने ग्रामीण संस्कारों के कारण और आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, जैसे नेताओं के सान्निध्य में रहने के कारण चन्द्रशेखर छल-छद्म और झूठ-फरेब की राजनीति नहीं करते थे, अतः उन्होंने उस छल को नहीं समझा जो उनके साथ घाघ राजनेताओं द्वारा खेला जा रहा था। मधु दंडवते की अध्यक्षता में जनता दल के सब भले-भले दिखने वाले नेताओं ने मिलकर देवीलाल के सिर पर ताज रखा और देवीलाल ने उसे उठाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर रख दिया। इस प्रहसन का मंचन सिर्फ चन्द्रशेखर को दरकिनार करने के लिए किया गया और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

चन्द्रशेखर ने तथाकथित भले और बुद्धिमान लोगों द्वारा किए गए इस भद्दे मजाक को बड़े धैर्य के साथ सहा। उन्होंने न आत्मविश्वास खोया और न घटिया राजनीति का सहारा लिया। दस महीने के अंदर-अंदर जब ये बुद्धिमान नेता अपनी चालाकियों का शिकार होकर धूल-धूसरित हुए तब भी उन्हें अपने छल पर पश्चाताप नहीं हुआ। जिन लोगों ने देवीलाल को मोहरा बनाकर चन्द्रशेखर का पत्ता साफ किया था, उन्होंने पहले देवीलाल को निकाला, फिर रामकृष्ण हेगड़े, अरूण नेहरू, आदि गए।

अंत में विश्वनाथ प्रताप सिंह भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के पीठ पीछे संघ परिवार से गुप्त समझौता कर सिंहासन पर जमे रहने का प्रयत्न करने लगे और जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो लोक सभा में अविश्वास मत का सामना किए बिना ही त्यागपत्र देकर शहीद बन गए। यहां भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुकाबले चन्द्रशेखर का बड़प्पन देखने को मिला। चन्द्रशेखर दस महीने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में असहमति के कारण उपेक्षित रहे किंतु उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। किन्तु जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने त्यागपत्र दिया और उनके स्थान पर चन्द्रशेखर ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके साथियों ने उन्हें सहयोग नहीं दिया हालांकि भाजपा नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में समर्थन जारी रखने को तैयार थी। चन्द्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में पार्टी में बने रहे किन्तु विश्वनाथ प्रताप सिंह चन्द्रशेखर के नेतृत्व में पार्टी में बने रहने को तैयार नहीं हुए। कप्तान के बदलने से क्या टीम टूट जाती है? चन्द्रशेखर के मन की कटुता और उनके अकेलेपन का कारण वाजिब ही था। उनकी हिम्मत थी कि वे अभिजात लोगों और उनके दरबारियों की इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं टूटे। यह उनके आत्मविश्वास के कारण ही संभव हुआ।

1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरने के बाद जब चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री बने, तो एक संपादक ने लिखा कि चन्द्रशेखर पहले ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिनके प्रधानमंत्री बनने का स्वागत किसी अखबार ने नहीं किया। इसकी प्रतिक्रिया में मैंने 'नवभारत टाइम्स' में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था 'चन्द्रशेखर कुछ खो नहीं सकते'। मेरा अभिप्राय था कि जो व्यक्ति शून्य से यात्रा शुरू करता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वह पाता ही है। अपने लगभग आठ महीने के कार्यकाल में चन्द्रशेखर ने सिद्ध कर दिया कि वे खंडित जनादेश की स्थिति में किसी दबाव या ब्लैकमेल के आगे झुके बिना शासन चलाने की दृष्टि से सबसे अच्छे और सफल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विश्वनाथ प्रताप

सिंह की तरह संघ परिवार से लुके-छिपे समझौता करने की कोशिश नहीं की और न कांग्रेस के ब्लैकमेल के आगे झुके। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को लिखित आश्वासन दिया था कि वह चन्द्रशेखर की सरकार को समर्थन देगी। लेकिन जब उसने चन्द्रशेखर पर दबाव डालना शुरू किया कि वह संजय गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लें या बोफोर्स के मामले को दबाएं तो उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह अनैतिक समझौता नहीं किया, जबकि ऐसे समझौते की कोशिश मोरारजी देसाई ने भी की थी और उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। उन्होंने लोक सभा भंग करा दी।

चन्द्रशेखर बहुत कम समय प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उसमें भी आधे समय या तो वे काम चलाऊ हैसियत से रहे। फिर भी उनकी उपलब्धि साधारण नहीं रही। उन्होंने मंडल-विरोधी आंदोलन की आग को शांत किया, जो देश की कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लिए भयानक खतरा बनती जा रही थी। उन्होंने संघ परिवार द्वारा शुरू किए गए राम मंदिर के आंदोलन और उससे उत्पन्न उन्माद को भी शांत किया। यह साधारण बात नहीं थी। इन दो आंदोलनों के कारण सारे देश में भय और खून-खराबे का माहौल बन गया था। उन पर उस समय यह आरोप लगा कि उन्होंने देश का सोना गिरवी रख कर विदेशों से कर्ज लिया। उन्होंने तो निष्क्रिय पड़ी हुई सम्पत्ति को गिरवी रख कर कर्ज लिया लेकिन उनके बाद आई भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने तो देश की सक्रिय संपत्तियों को ही नहीं, देश की आत्मा को बेचकर देश को इतने कर्ज से लाद दिया कि हमारी कुल राष्ट्रीय आय का आधा ब्याज की अदायगी में चला जाता है। उन्होंने सरदार पटेल को भारत रत्न दिलाया, जो काम कांग्रेस सरकार अपने 40 सालों के शासन में नहीं कर सकी थी। जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति वेंकटरामन के माध्यम से राजीव गांधी को भारत रत्न देने के लिए चन्द्रशेखर से प्रस्ताव लाने को कहा, तो उन्होंने यह शर्त रखी कि सरदार पटेल का प्रस्ताव मंजूर होने पर ही राजीव गांधी के नाम का प्रस्ताव किया जाएगा। कांग्रेस की सरकारों ने सरदार पटेल की पूर्ण उपेक्षा की थी, जबकि उनसे कई दर्जे छोटे राजनेताओं को यह सम्मान दिया जा चुका था। वेंकटरामन ने टाल मटोल की किन्तु अंत में उन्हें चन्द्रशेखर की शर्त माननी ही पड़ी, हालांकि जिस समारोह में सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया, उसमें श्री वेंकटरामन अनुपस्थित रहे। सरदार पटेल को भारत रत्न दिलाने के लिए चन्द्रशेखर को हमेशा याद किया जाएगा।

समाजवादी धारा से जुड़े होने के कारण चन्द्रशेखर जी के भी कुछ सपने थे। वे समाजवादी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ संस्थाएं बनाना चाहते थे। उन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव की वैचारिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए नरेन्द्र निकेतन की स्थापना की और उनके समग्र साहित्य को संपादित और प्रकाशित करने का काम नेहरू संग्रहालय को सौंपा। लोकनायक जयप्रकाश की रचनाओं के सर्वसंग्रह प्रकाशित करने का काम भी नेहरू संग्रहालय को सौंपा और इस प्रकार इस संस्था का लोकतंत्रीकरण किया। उनके भुवनेश्वरी आश्रम को लेकर भी पूर्वाग्रहपूर्ण पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जबकि वे इस आश्रम को समाजवाद के विचार केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। इसके लिए पंचायत ने उन्हें जमीन दी थी। तथापि, उन पर लगातार कीचड़ उछाला गया जबकि जिन लोगों ने मंदिरों-मठों और पारिवारिक ट्रस्टों के रूप में करोड़ों अरबों रुपयों की सम्पत्ति पर कब्जा किया, उन पर अंगुली नहीं उठी। जब न्यायालय के आदेश से उन्हें यह जमीन छोड़नी पड़ी तो उन्होंने रेतीले खंडहरी क्षेत्र को पेड़-पौधों से हरी-भरी भूमि के रूप में निर्विकार भाव से हरियाणा सरकार को सौंप दिया और हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने बहुत लज्जित भाव से उस भूमि का कब्जा लिया।

मानव संबंधों में अत्यंत संवेदनशील होने के बावजूद, वे भावनाओं में बहने वाली राजनीति नहीं करते थे। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में उनकी उपस्थिति शमनकारी सिद्ध होती थी। यह बात राम मंदिर और मंडल विरोधी आंदोलनों के समय भी सामने आई और लोक सभा में भी कई बार दिखाई दी। संभवत: इसी राजनीति परिपक्वता के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता भी उन्हें अपना गुरू मानते थे, हालांकि चन्द्रशेखर उम्र में उनसे छोटे थे।

वैसे तो उनके प्रधानमंत्री बनने से उन सब लोगों को तकलीफ हुई जो अंग्रेजी भाषा, अभिजात्य का नमूना मानने लगे थे लेकिन बड़ी तकलीफ तो कांग्रेस को थी। यह शायद इसलिए कि चन्द्रशेखर ने कुछ ऐसे काम किए जो राष्ट्र पर नेहरू-गांधी वंश की पकड़ को तोड़ते थे, जैसे वंश के व्यक्तियों के नाम पर बने ट्रस्टों का लोकतंत्रीकरण आदि। कांग्रेस चन्द्रशेखर की सरकार से जल्द से जल्द मुक्त होना चाहती थी। राष्ट्रपति को दिए लिखित समर्थन की उसे परवाह नहीं थी। ऐसा समर्थन उसने चौधरी चरण सिंह को भी दिया था और फिर बिना औचित्य के वापस ले लिया था। राष्ट्रपति वेंकटरामन ने इसके लिए अपनी पुस्तक में कांग्रेस की आलोचना की थी। फिर भी उन्होंने कांग्रेस को खुश करने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने राष्ट्रीय सरकार बनाने का सुझाव अटल बिहारी वाजपेयी के सामने रखा। जब वाजपेयी ने पूछा कि क्या वे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम सुझाया। किन्तु जब शंकर दयाल शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया क्योंकि उनकी नजर राष्ट्रपति पद पर लगी हुई थी जबकि वेंकटरामन इस योजना को लागू कर अपने लिए राष्ट्रपति का एक और कार्यकाल भी पाना चाहते थे। इससे पहले राष्ट्रपति जैल सिंह ने भी राजीव गांधी को बर्खास्त कर राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव कुछ लोगों के समक्ष रखा था और वेंकटरामन को, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया था। वेंकटरामन ने तब प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनकी नजर तब राष्ट्रपति के पद पर थी तथा जैल सिंह एक और कार्यकाल पाने की फिराक में थे। राजनीति के लंबे अनुभव में निष्णात चन्द्रशेखर इन घाघ राजनेताओं का खेल भली-भांति समझते थे। इन सब लोगों और इनकी वकालत करने वाले बुद्धिजीवियों के लिए उनका प्रिय शब्द था चिरकुट जिसका इस्तेमाल वे ब्रह्मास्त्र की तरह करते थे।

चन्द्रशेखर को धनी और प्रभुत्ता प्राप्त परिवार की विरासत नहीं मिली थी, उन्होंने अपना सफर शून्य से शुरू किया और शिखर तक पहुंचे। वे सदाबहार पेड़ नहीं थे। वे ऐसे पेड़ थे जो पतझड़ के समय अपने पत्ते निर्विकार भार से छोड़ देते हैं और नए पत्तों तथा नई कोंपलों के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं। इसीलिए वे संभावनाओ के अक्षय स्रोत बने रहे। अपने मित्रों और जान-पहचान वाले व्यक्तियों में वे प्रगाढ़ मानवीय संबंधों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे कर्मचारी की जरूरतों का भी वे ख्याल रखते थे। एक और बात के लिए भी वे याद किए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने न तो अंग्रेजों और मुगलों के वक्त का पहनावा कोट-पैंट या अचकन-चूड़ीदार पहना और न बिना जरूरत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर अपने हिन्दुस्तानीपन और देहातीपन को छिपाने की कोशिश की। जहां तक इतिहास की बात है, उन्हें भारतीय राजनीति की देसी परंपरा के नायक के रूप में याद किया जाता रहेगा।

चन्द्रशेखर : जैसा मैंने उन्हें जाना[#]

*–बलराज पुरी**

चन्द्रशेखर संसद सदस्य बनने से पहले से ही मेरे मित्र रहे हैं, प्रश्नकाल के पश्चात् कॉफी पीने के लिए मैं अक्सर संसद के तीन क्रांतिकारी नेताओं — कृष्णकांत, मोहन धारिया और चन्द्रशेखर की तिकड़ी में शामिल हुआ करता था।

उनके बारे में मुझे सारे संस्मरण याद नहीं आ रहे हैं और न ही ये सभी इस विशेष लेख के पाठकों को रुचिकर लगेंगे। कुछ संस्मरण ही पर्याप्त रहेंगे।

एक बार वरिष्ठ गुर्जर नेता और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सांसद राम चन्द्र विकल कश्मीर हाउस में मेरे कमरे में आए जहां मैं ठहरा हुआ था। उन्होंने मुझे स्मरण कराया कि मैंने जम्मू और कश्मीर के गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला इंदिरा गांधी के समक्ष उस समय उठाया था जब वह प्रधानमंत्री थीं। वह ऐसा करने के लिए तैयार थीं, परंतु किसी कारण से वह अपना वायदा लागू नहीं कर पायीं। उन्होंने मुझसे यह मामला चन्द्रशेखर के साथ उठाने को कहा, जो प्रधानमंत्री बन चुके थे। मैं उनके पास जाने के लिए तत्काल तैयार हो गया।

बिना किसी पूर्व सूचना के उनके आवास पर पहुंचने के पश्चात्, मैंने उनके पास एक पर्ची भेजी। वह तुरंत बाहर आये और मेरे आने का उद्देश्य पूछा। मैंने उन्हें इंदिरा गांधी के वायदे के बारे में बताया, जिसे नौकरशाहों द्वारा विलंबित अथवा विफल कर दिया गया। मैंने उन्हें संक्षेप में जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति के संदर्भ में इस मामले का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा ''जब चन्द्रशेखर मेरे विषय के बारे में संतुष्ट हैं तो कोई इसे विफल नहीं कर सकता।'' इस तरह कुछ ही मिनटों में इस मामले पर चर्चा हुई और इसे सुलझा लिया गया तथा इसे यथासमय लागू किया गया।

एक अन्य अवसर पर, पंजाब, जहां सिख उग्रवाद अपने चरम पर था और मैंने उनके नेताओं के साथ-साथ हिन्दू समुदाय के नेताओं से भी मुलाकात की थी, के सफल दौरे के तुरंत बाद मुझे जम्मू में एक टेलीफोन कॉल आई। उन्होंने मुझे उसी दिन दिल्ली पहुंचने को कहा, क्योंकि वह मेरे साथ पंजाब की स्थिति पर चर्चा करना चाहते थे। मैंने एक दिन का समय मांगा और अगले दिन दिल्ली पहुंचा, जहां मेरे ठहरने के लिए प्रबंध किए गए थे।

अपने सभी सरकारी कार्य समाप्त करने के बाद उन्होंने मुझे रात्रि 10 बजे मिलने के लिए बुलाया ताकि ''हम बिना किसी व्यवधान के बात कर सकें।'' उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने पंजाब में दोनों समुदायों का भरोसा कैसे जीता, जिसे कोई और नहीं कर पाया और इसका समाधान कैसे किया। मैंने समस्या के संबंध में अपने दृष्टिकोण का ब्यौरा दिया और उन्हें उग्रवादियों के नेताओं से मिले ठोस वायदे के बारे में बताया जिनसे मैं उनके भूमिगत ठिकाने पर मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरे उच्च परिष्कृत और बौद्धिकतापूर्ण वक्तव्य का अनुसरण नहीं करेंगे, लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि मैं सिखों का सबसे अच्छा मित्र हूं। एक लंबी चर्चा के बाद वे किसी भी असंलिप्त और निर्दोष हिन्दू

[#]निदेशक

*आप जम्मू स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर अफेयर्स, के निदेशक और पत्रकार भी हैं।

को, खासतौर पर हिन्दू बच्चों, औरतों और बूढ़े लोगों को न मारने पर सहमत हुए। मैंने चन्द्रशेखर को सुझाव दिया कि पहले कदम के तौर पर सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए और किसी भी असंलिप्त तथा निर्दोष सिख के मारे जाने के प्रत्येक मामले की जांच करनी चाहिए। आधी रात तक हम पंजाब समस्या के व्यापक दृष्टिकोण पर सहमत हो गए थे। इस प्रकार इस समस्या के समाधान का आधार रखा गया।

उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए भी इसी तरह का दृष्टिकोण तैयार करने के लिए दोबारा बैठक करने के लिए कहा। मैंने सुझाव दिया कि शहर में मौजूद सभी कश्मीरी नेताओं की एक बैठक अगले दिन बुलाई जा सकती है। उन्होंने मुझसे उनकी एक सूची ली और अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द करते हुए उन्हें रात्रि भोज पर बुलाया। मैंने चर्चा की शुरुआत की और अपने व्यापक दृष्टिकोण का ब्यौरा दिया। दूसरे प्रतिभागियों की बात सुनने के बाद हम शुरुआती कदमों पर सहमत हो गए।

जिन ठोस तथ्यों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि चन्द्रशेखर एक कर्मठ व्यक्ति थे। जब वह एक बार किसी बात पर सहमत हो जाते थे, तो वह निश्चित ही इसे लागू करते थे। मैं उनकी सरकार के सभी सदस्यों को जानता था। यद्यपि वे सुर्खियों में रहने वाले नेता नहीं थे परंतु वे उनकी ही तरह कर्मठ व्यक्ति थे।

संसद में चन्द्रशेखर के प्रभावी कार्यकलापों ने पहले ही अपनी पहचान बनाई थी और उन्हें बहुत स्मरण किया जाता है।

दुर्भाग्यवश वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। उनकी असामयिक मृत्यु ने एक राष्ट्रीय नेता और एक सांसद के रूप में उनके उज्जवल पेशे पर विराम लगा दिया।

चन्द्रशेखर एक संसदविद् के रूप में

*–हरिहर स्वरूप**

भूतपूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर सन् 1962 में प्रजा समाजवादी पार्टी (पीएसपी) के उम्मीदवार के रूप में पहली बार राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और विपक्ष की सीटों पर बैठे थे। एक संसद सदस्य के रूप में उनका पहला कार्य जवाहर लाल नेहरू का विरोध करना था, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन हुआ था। चन्द्रशेखर ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या सरकार को आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? नेहरू ने जवाब दिया कि उन्होंने प्रतिवेदन नहीं देखा है। चन्द्रशेखर अपनी सीट पर बैठ गए, परंतु उन्होंने अगले दिन यह बताते हुए मुद्दे को उठाया कि कुछ समाचार पत्रों में प्रतिवेदन के उद्धरण हैं। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि वे भूल गए थे कि प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। उन्होने चन्द्रशेखर से कहा कि ''मुझे खेद है।''

चन्द्रशेखर जिस तरीके से अपने प्रश्न पर डटे रहे, उससे पंडित जी प्रभावित हुए। उन्होंने बाद में दिनेश सिंह से पूछा ''वह दाढ़ी वाला नवयुवक कौन है''?

दिनेश सिंह ने उन्हें बताया, ''वह उत्तर प्रदेश से प्रजा समाजवादी पार्टी का एक सदस्य है और अभी-अभी राज्य सभा हेतु निर्वाचित हुआ है''।

अगले दिन दिनेश सिंह ने चन्द्रशेखर को सलाह दी कि वे पंडित जी से मिल लें। नई पीढ़ी की पुरानी पीढ़ी से मुलाकात हुई और इस प्रकार संसद में चन्द्रशेखर के लंबे कैरियर की शुरुआत हुई, जो लगभग आधी शताब्दी का रहा। वे राज्य सभा के तीन कार्यकाल–1962 से 1977 तक–सदस्य बने रहे। वे आठ कार्यकालों के लिए लोक सभा हेतु निर्वाचित हुए। वे छठी और सातवीं लोक सभा और नौवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे। वे केवल एक बार ही सन् 1984 में चुनाव हारे–जब राजीव गांधी अब तक के सबसे बड़े बहुमत से विजयी हुए। उन्हें वर्ष 1995 में ''उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया।

चन्द्रशेखर, वास्तव में एक उत्कृष्ट सांसद थे। जब कभी भी वे विवादास्पद मामलों पर बोले या हस्तक्षेप किया, पूरे सदन ने उनकी बात को तल्लीनता से सुना और सरकार ने उनकी राय को तवज्जो दी। उन्होंने जब भी बोला, विश्वास के साथ तत्काल बोला और कभी भी टिप्पणियों को नहीं देखा। उन्होंने कभी भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री होते हुए भी, संसद में भाषण को पढ़कर नहीं बोला। राष्ट्रपति भवन जाने और प्रधानमंत्री के रूप में अपना त्यागपत्र देने से पहले लोक सभा में दिया गया उनका भाषण सर्वोत्तम भाषणों में से एक था।

लोक सभा में कई बार विनोद के क्षण होते थे। चन्द्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव ''गुरूदेव'' कहते थे। उत्तर में वाजपेयी उन्हें ''गुरू घंटाल'' कहते थे। जब पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, वे सामान्यत: विवादास्पद मुद्दे पर बात करने से कतराते थे और विपक्षी सदस्यों द्वारा उकसाने के

*आप सिंडिकेट कॉलम लेखक, राजनीतिक समीक्षक और पीटीआई के पूर्व ब्यूरो प्रमुख हैं।

बाद भी चुप रहते थे। चन्द्रशेखर कई दिन देखते रहे कि राव ने विवादास्पद मुद्दे को कैसे दबा दिया और एक दिन ठहाकों के बीच उन्होंने राव को मौनी बाबा (मौन साधु) कहा।

सन् 1964 में, जब प्रजा समाजवादी पार्टी में विभाजन हुआ, चन्द्रशेखर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें सन् 1967 में संसद में कांग्रेस पार्टी का सचिव निर्वाचित किया गया। सन् 1969 के कांग्रेस विभाजन से पूर्व दृढ़ रूप से इंदिरा गांधी के खेमें में, उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और पार्टी की शक्तिशाली केन्द्रीय निर्वाचन समिति के लिए निर्वाचित किया गया। अन्य युवा सांसदों–कृष्णकांत, मोहन धारिया, रामधन–के साथ चन्द्रशेखर ने सदैव ही कांग्रेस के दक्षिणपंथी समूह और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर आक्षेप किया। इन युवा सांसदों को ''युवा तुर्क'' के रूप में जाना जाने लगा।

वयोवृद्ध पत्रकार इंदर मल्होत्रा द्वारा लिखित इंदिरा गांधी की जीवनी के अनुसार, ''सर्वप्रमुख युवा तुर्क, चन्द्रशेखर द्वारा संसद में लगाए गए मोरारजी के पुत्र, कांति देसाई के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों, जिसमें उप प्रधानमंत्री की स्वयं की सच्चरित्रता भी प्रभावित होती थी, से देसाई खेमा चिढ़ा हुआ था। कांग्रेस संसदीय दल ने उन पर नियंत्रण रखने के लिए इंदिरा गांधी को अधिकृत किया। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने से मना किया। देसाई और उनके मित्रगण अत्यन्त क्रुद्ध हो गए। संयोग से, छह साल बाद, इंदिरा गांधी द्वारा चन्द्रशेखर को जेल में डालना पड़ा और बाद में उन्हें जनता पार्टी का नेतृत्व करना पड़ा, जिसने चुनावों में इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम परास्त किया और उसके बाद जेल में डाल दिया''।

चन्द्रशेखर सन् 1969 के कांग्रेस विभाजन के समय श्रीमती गांधी का विश्वासपात्र और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्य थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चन्द्रशेखर से पार्टी द्वारा पालन की जाने वाली आर्थिक नीतियों पर एक विवरण देने के लिए कहा। चन्द्रशेखर ने वामपंथी विचारधारा रखने वाले शीर्ष अर्थशास्त्रियों की बैठक बुलाई और सुझाव दिया कि वे श्रीमती गांधी द्वारा वांछित एक विवरण तैयार करें। बैठक आधी रात तक चलती रही और विवरण तैयार हो गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बंगलौर अधिवेशन में श्रीमती गांधी ने इसे पढ़ कर सुनाया, जो बाद में उनके नौ या दस सूत्री कार्यक्रम के नाम से जाना गया। यह बहुत लोकप्रिय था।

प्रधानमंत्री पद, जिसके बारे में चन्द्रशेखर ने सोचा कि वे इसके वास्तविक हकदार हैं, से सन् 1989 में उन्हें चतुराई से वंचित कर दिया गया। चन्द्रशेखर ने महसूस किया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की तुलना में जनता दल संसदीय पार्टी की अध्यक्षता करने के लिए उनमें अधिक तर्कसंगतता है। वे केवल वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ही नहीं थे बल्कि वे उत्तर प्रदेश राजनीति में प्रवेश कर विश्वनाथ प्रताप सिंह से पहले सांसद बने थे — जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर चलने वाले वह कार्डधारी सदस्य भी थे, जब जनता पार्टी की 1977 में स्थापना हुई थी, तभी से उसके अध्यक्ष थे।

उन्हें शायद विश्वास था कि उन्हें जनता दल संसदीय पार्टी के बहुमत का समर्थन हासिल है। परंतु, अरुण नेहरू, जिन्होंने सन् 1988 में विश्वास प्रताप सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, ने देवी लाल के साथ मिलकर सुनिश्चित किया कि जब एक नेता नामांकित करने का समय आएगा तो वे जल्दी से वी.पी. सिंह का नाम लेंगे और चन्द्रशेखर को अपने तरीके से अवसर का फायदा उठाने नहीं देंगे। जिस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री पद से दूर रखा गया, इससे क्रुद्ध होकर वे बैठक से बाहर चले गए।

चन्द्रशेखर को सदैव यह शिकायत रही कि वी.पी. सिंह और देवी लाल दोनों ने समझौते करके उन्हें प्रधानमंत्री पद से वंचित कर दिया और इसे बाद में मंडल आंदोलन के चरम सीमा पर पार्टी को तोड़ने के लिए और सन् 1990 में उनकी सरकार गिराने के लिए वी.पी. सिंह के विरुद्ध इस्तेमाल किया।

चन्द्रशेखर ने श्रीमती गांधी द्वारा जेल भेजने पर, वहां एक पुस्तक लिखी — मेरी जेल डायरी। अपने जीवन के अगले चरण में, संसद के केन्द्रीय कक्ष में - अधिकांशत: पत्रकारों के बगल में बैठकर-अपने समय की राजनीति की कहानियां सुनाते थे। श्रीमती गांधी के साथ कटु संबंधों के बावजूद, चन्द्रशेखर उनके नेतृत्व की प्रशंसा किया करते थे। उन्होंने मोरारजी भाई को अपने सिद्धांतों पर दृढ़तापूर्वक अमल करने के लिए उच्च प्रतिष्ठा दी यद्यपि, वे राजनीतिक संघर्ष हार गए थे।

प्रधानमंत्री बनने के बाद, चन्द्रशेखर अपने सरकारी आवास, 3, तीन मूर्ति लेन में रहते थे और 7, रेसकोर्स रोड पर नहीं गए। 3, तीन मूर्ति लेन बंगले में उन्होंने एक छोटी ''कुटिया'' (घास-फूस की बनी झोपड़ी) बनाई थी, जहां वे बैठा करते थे और आगंतुकों से मिलते थे।

चन्द्रशेखर ने 6 जनवरी, 1983 से 25 जून, 1983 तक देश के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट (महात्मा गांधी की समाधि) तक लगभग 4260 किमी. की दूरी तय करते हुए पदयात्रा की। यह पदयात्रा जनता से घनिष्ठता बनाने और उनकी गंभीर समस्याओं को समझने के लिए की गई थी। सन् 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक चन्द्रशेखर की भारत यात्रा ने ग्रामीण भारत की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग 15 भारत यात्रा केन्द्र स्थापित किए, ताकि देश के पिछड़े क्षेत्रों में जन शिक्षा और निम्नतम स्तर पर कार्य के लिए सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

चन्द्रशेखर का लंबी बीमारी के बाद 8 जुलाई, 2007 को देहावसान हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे मल्टीपल माईलोमा (रक्त कैंसर) से पीड़ित थे।

उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार ग्रहण करते हुए नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1995

हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, श्री धनिक लाल मंडल से डॉक्टर ऑफ साइंस
की मानद उपाधि ग्रहण करते हुए, हिसार, 26 मार्च, 1991

चन्द्रशेखर : भाग्य के धनी

*–डॉ. जनक राज जय**

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियति की अहम भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश के इब्राहिम पट्टी (बलिया जिला) में रहने वाला ग्रामीण बालक चन्द्रशेखर भी इससे अछूता नहीं था। लगभग एक दशक तक सत्ता के गलियारों में (जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वी.पी. सिंह के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे) रहते हुए सौभाग्यवश धरती मां के इस महान सपूत के कार्यकलापों को मुझे व्यक्तिगत रूप से देखने का अवसर मिला।

मध्यमवर्गीय किसान परिवार के पुत्र चन्द्रशेखर का जन्म 1 जुलाई, 1927 को हुआ था। चन्द्रशेखर के पिता सदानन्द सिंह के पास मात्र 10–12 एकड़ जमीन थी जो एक संयुक्त परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चन्द्रशेखर इन्हीं परिस्थितियों में पले–बढ़े थे।

देश के राजनैतिक इतिहास में बलिया, उत्तर प्रदेश का एक जाना–माना जिला है। वर्ष 1942 में ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' के दौरान बलिया के तत्कालीन जिलाधिकारी के निवास पर सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। यह संयोग ही है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी बलिया से ही थे। जयप्रकाश नारायण चन्द्रशेखर जी से काफी बड़े थे।

स्कूल के दिनों से लेकर स्नातक होने तक चन्द्रशेखर जी को अनेक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किन्तु उन्होंने पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने तक उन्हें अपने गांव से स्कूल तक लगभग 12 कि.मी. पैदल चलकर जाना पड़ता था। यद्यपि उनके पिता उन्हें आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे किन्तु उनकी माता ने उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदैव अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

नियति की भूमिका

चन्द्रशेखर अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उनके पिता ने उन्हें क्लर्क की नौकरी ढूंढने के लिए कहा। किन्तु भाग्य ने चन्द्रशेखर के लिए कुछ और ही नियत कर रखा था।

राजनीति विज्ञान में एम.ए. करने के बाद उन्होने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रो. मुकुट बिहारी लाल के अधीन पीएच.डी. के लिए अपना नामांकन कराया। किन्तु आचार्य नरेन्द्र देव की सलाह पर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र का कार्यभार संभाला। चूंकि उनके भाग्य में प्रधानमंत्री बनना लिखा था, इसलिए उनकी राजनैतिक गतिविधियों का आरंभ आचार्य नरेन्द्र देव और लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में हुआ।

*आप भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश

30 वर्ष की आयु अर्थात् वर्ष 1957 में चन्द्रशेखर जी ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया, उन्होंने गाजीपुर, बलिया निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुनाव लड़ा किन्तु बहुत थोड़े से मतों से हार गए। परन्तु वर्ष 1962 में वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर राज्य सभा में प्रवेश करने में सफल रहे।

वर्ष 1955 में चन्द्रशेखर ने बम्बई में कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अपना नामांकन कराया। शीघ्र ही चन्द्रशेखर एक जाना-माना चेहरा बन गए। इसके बाद वे कृष्णकांत और मोहन धारिया के साथ जुड़ गए। रामधन इस ग्रुप जिसे ''जिंजर ग्रुप'' के नाम से जाना जाता था, के एक अन्य सदस्य थे। ये यंग तुर्क के नाम से लोकप्रिय थे। इन सभी यंग तुर्कों और अशोक मेहता ने वर्ष 1966 में मास्को में लाल बहादुर शास्त्री के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी का समर्थन किया था।

सौभाग्यवश मुझे चन्द्रशेखर के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने तक की गतिविधियों के सभी चरणों को देखने और अनुभव करने का अवसर मिला था। मैंने पहले प्रधानमंत्री के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया था और कई वर्षों तक इंदिरा गांधी जी से जुड़ा रहा।

ये यंग तुर्क इंदिरा गांधी के बचाव में तब भी खड़े हुए थे जब वह दिग्गज नेताओं, जो ''सिंडिकेट'' के नाम से जाने जाते थे, के साथ गंभीर टकराव का सामना कर रही थी। वर्ष 1969 में कांग्रेस पार्टी में आंतरिक संघर्ष चल रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक सशक्त नेतृत्व जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों से खुले तौर पर टकराव का रास्ता अपना रहा था।

इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस का विभाजन हुआ। यंग तुर्कों ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया जिसने अंततः दिग्गज नेताओं पर जीत हासिल की। चन्द्रशेखर ने पूरे मन से इंदिरा गांधी को सहयोग दिया। यंग तुर्कों ने इंदिरा गांधी के तीन ऐतिहासिक कदमों का भी पूर्ण समर्थन किया — उनका दस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, राजकुमारों के राजभत्तों और विशेषाधिकारों का उन्मूलन तथा इसके साथ-साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण।

इंदिरा गांधी के साथ मतभेद

बाद में, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चन्द्रशेखर के इंदिरा गांधी से कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए। वहीं से उनके और इंदिरा गांधी के बीच दरार की शुरूआत हो गई। उन्होंने वर्ष 1974 में भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को पूर्ण समर्थन दिया। जिंजर ग्रुप और कांग्रेस संसदीय पार्टी के एक सदस्य रामधन से भी इंदिरा गांधी नाराज हो गईं। चन्द्रशेखर ने अपनी पत्रिका ''यंग इंडियन'' में अपने विचार खुलकर व्यक्त करने प्रारंभ कर दिए। इसी समय वह जयप्रकाश नारायण के नजदीक आए। इसके बाद, उन्होंने जी-जान से पूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश आन्दोलन का समर्थन किया।

आपातकाल का विरोध

चन्द्रशेखर ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरी ताकत से आपातकाल का विरोध किया। उन्हें आपातकाल के दौरान अपनी पत्रिका को बंद करना पड़ा। इस तथ्य के बावजूद कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (इंदिरा) की कार्यकारिणी समिति के साथ-साथ केन्द्रीय निर्वाचन समिति

के भी सदस्य थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (एमआईएसए) के तहत नजरबंद किया था। वास्तव में, आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं सहित लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। संयोग से, मैं भी आपातकाल का विरोध करने वाले व्यक्तियों में से एक था जिसे 19 महीने के लिए निरुद्ध किया गया था। चन्द्रशेखर को पटियाला जेल में निरुद्ध किया गया था और मुझे कालकोठरी में डाल दिया गया था।

गैर-कांग्रेसी सरकार सत्ता में आयी

आपातकाल वापस लिए जाने के बाद, इंदिरा गांधी ने देश में लोक सभा चुनावों की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और पहली बार एक गैर-कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। जब मंत्रिमंडल का गठन होना था, जयप्रकाश दिल से चाहते थे कि चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री बनें। परन्तु उन्हें लगा कि मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम सरीखे नेता ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए, उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण के प्रयास और समझाने-बुझाने से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चन्द्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

जयप्रकाश की भविष्यवाणी

चन्द्रशेखर, जयप्रकाश के प्रिय थे और उन्होंने देश के मामलों में चन्द्रशेखर के भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक भविष्यवाणी की। जयप्रकाश के शब्दों में:

> ''भारतीय राजनीति में चन्द्रशेखर जैसे कुछ ही लोग हैं जिन्होंने उच्च स्तर का चरित्र, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति समर्पण को बनाए रखा है। व्यक्तिगत रूप से, मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि वह भाग्य के धनी हैं और वह नए भारत का निर्माण करेंगे।''

चन्द्रशेखर नि:सन्देह एक निर्भीक नेता थे और उन्हें अपने ईमानदार, बेबाक और सुस्पष्ट विचारों के लिए जाना जाता था। चन्द्रशेखर में ही बिरला एम्पायर्स का कटु आलोचक बनने का साहस था। वर्ष 1967 में, यदि मुझे सही-सही याद है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पास पेश किए गए अपने तीन ज्ञापनों में चन्द्रशेखर बिरला उद्योग समूह के विरुद्ध 88 मामले लाए थे।

चन्द्रशेखर के साथ मेरी नाराजगी

कुछ समय से मैं प्रधानमंत्री के साथ सम्बद्ध तत्कालीन उपमंत्री डॉ. सरोजिनी महिषी के सहायक के रूप में काम कर रहा था। वह 3, सफदरजंग रोड पर रह रही थीं। चन्द्रशेखर, डॉ. सरोजिनी महिषी के बहुत घनिष्ठ थे। एक दिन, जब मैं डॉ. महिषी के आवास पर कार्यालय कक्ष में बैठा था, चन्द्रशेखर डॉ. महिषी से मिलने आए। पहले से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने ड्राईंग रूम में सीधे जाने का प्रयास किया। मैं तुरंत कमरे से बाहर आया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि कार्यालय कक्ष में ही प्रतीक्षा करें ताकि मैं डॉ. महिषी को सूचित कर सकूं। परन्तु मुझे रास्ते से हटाते हुए बिना किसी अवरोध के डॉ. महिषी के कक्ष में सीधे चले गए। यह पहला अवसर था जब मेरा इस प्रकार के तेज तर्रार नेता से सामना हुआ था।

भारत पद यात्रा

जब देश कठिन दौर से गुजर रहा था तब चन्द्रशेखर ने लोगों से सीधे सम्पर्क स्थापित करने के लिए भारत यात्रा करने का निर्णय लिया। यह यात्रा 4260 कि.मी. की थी जो कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर

दिल्ली के राजघाट तक की थी। यह यात्रा 6 जनवरी, से प्रारंभ हुई और 25 जून, 1983 को समाप्त हुई।

चन्द्रशेखर एक अन्य यात्रा शुरू करना चाहते थे परन्तु मोरारजी देसाई ने यह कहते हुए उन्हें निरुत्साहित किया कि जब तक पहले की यात्रा पर हुए खर्च के एक-एक पैसे का हिसाब हम नहीं दे देते तब तक ऐसे ही उद्देश्य के लिए अधिक धन एकत्र करना वांछनीय नहीं होगा। अतः, वह यात्रा संभव नहीं हो पायी।

31 अक्तूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के तत्काल बाद ज्ञानी जैल सिंह ने पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा सुस्थापित सभी मानदंडों, परम्पराओं और प्रथाओं को ताक पर रखकर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया।

चन्द्रशेखर ने विश्वनाथ प्रताप सिंह का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया

नवम्बर, 1989 में हुए नौंवी लोक सभा के चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। चन्द्रशेखर ने दो निर्वाचन क्षेत्रों — बलिया और महाराजगंज से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। वी.पी. सिंह जी ने वाम दलों और भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। जिस प्रकार वी.पी. सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया उससे सभी का अनुभव कड़वा रहा। दिसम्बर, 1989 में नेता चुनने के लिए जनता दल की संसदीय पार्टी की बैठक हुई। चन्द्रशेखर जी वी.पी. सिंह के नेतृत्व के पूरी तरह खिलाफ थे। अतः, ऐसा माना जा रहा था कि देवी लाल को नेता चुना जाएगा। परन्तु देवी लाल (ताऊ) और वी.पी. सिंह ने धूर्ततापूर्ण तरीके से चन्द्रशेखर जी को किनारे कर दिया और उनका अपमान किया और नेता के चुनाव में एक घटिया नाटक खेला गया। चन्द्रशेखर जी द्वारा संसदीय दल के नेता के रूप में देवी लाल जी के नाम का प्रस्ताव किए जाने पर तो उन्होंने इसका दायित्व वी.पी. सिंह पर डाल दिया। उस दिन विरोध, घृणा और संदेह के बीज बोए गए। उस दिन के बाद चन्द्रशेखर ने स्वाभाविक रूप से घायल शेर की भांति व्यवहार किया। उन्होंने सरकार में कोई भी पद लेने से मना कर दिया और स्थिति पर नज़र रखने का निर्णय लिया। वी.पी. सिंह की सरकार के अचानक गिर जाने के बाद संभवतः उनके भाग्य में प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन होना लिखा था।

चन्द्रशेखर का प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होना

वी.पी. सिंह की सरकार का पतन होने के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश न करने का निर्णय लिया। राजीव गांधी, राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन से मिले और उन्हें यह जानकारी दी कि उनकी पार्टी चन्द्रशेखर जी को बाहर से समर्थन देगी। राष्ट्रपति के अनुसार राजीव गांधी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी चन्द्रशेखर जी को कम से कम एक वर्ष के लिए समर्थन देगी और एक वर्ष से पहले किसी भी स्थिति में समर्थन वापस नहीं लिया जाएगा।

इस प्रकार वी.पी. सिंह जिन्हें 11 माह की छोटी सी अवधि के बाद अपने पद को छोड़ना पड़ा था, के स्थान पर चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के एक विरले व्यक्तित्व चन्द्रशेखर ने 10 नवम्बर, 1990 को देश के नौवें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ फैले अग्र प्रांगण में अति साधारण किन्तु काफी प्रभावशाली तरीके से पहली बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ।

दुर्भाग्यवश, राजीव गांधी ने एक वर्ष से काफी पहले अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि लिखित आश्वासन दिए जाने

के बावजूद कि वह एक वर्ष से पहले अपनी पार्टी का समर्थन वापस नहीं लेंगे, राजीव गांधी ने बहुत कमजोर आधारों पर लगभग चार माह के भीतर ही चन्द्रशेखर की सरकार को गिराने का निर्णय ले लिया।

चन्द्रशेखर द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के दस सप्ताह बाद ही ऐसी खबरें आने लगी थीं कि राजीव गांधी और चन्द्रशेखर के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं और राजीव गांधी, प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं।

इस बीच, राजीव गांधी का गुट, चन्द्रशेखर को हटाकर, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सत्ता में आने की योजना बना रहा था, इस योजना के तहत राजीव गांधी राष्ट्रपति से मिले।

राष्ट्रपति की दुविधा

राष्ट्रपति के सामने एक बहुत गंभीर और संकटपूर्ण स्थिति थी। राजनेताओं ने उन्हें निराश किया था। राजीव गांधी ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई कानूनी सलाह से कोई हल नहीं निकला। राजीव गांधी सहित सत्ता के भूखे राजनेता, राष्ट्रपति की विवशता का पूरा लाभ उठाते हुए उन पर वैकल्पिक गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं के सुझाव के साथ लोक सभा को भंग न करने का दबाव डाल रहे थे। निःसन्देह यह राष्ट्रपति के लिए एक काफी बड़ी चुनौती थी क्योंकि जहां तक हमारे देश के राजनेताओं का संबंध है वह वस्तुतः, किसी पर भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं थे। दैवी शक्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की सहायता कर सकती थी और उन्होंने इसी शक्ति का सहारा लिया।

''कोई विकल्प न होने पर, मैंने अनेक संभावनाओं पर विचार किया। मैंने सोचा, क्यों न लोक सभा को भंग कर दिया जाए और अध्यादेश के माध्यम से लेखानुदान पारित करके भारत के संवैधानिक इतिहास में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। तत्पश्चात्, मैंने व्यर्थ के विचारों को त्यागकर स्वयं से कहा कि मुझे कोई जोखिमपूर्ण पूर्वोदाहरण प्रस्तुत करने का दोषी नहीं बनना चाहिए। मैंने वित्तीय और बजटीय मामलों के संबंध में कोई अध्यादेश प्रख्यापित न करने का संकल्प लिया.....। राजनैतिक क्षितिज पर छाए संकट के घने और भयानक बादल, लोक सभा द्वारा सभी वित्तीय कार्यों को स्वीकार किए जाने पर धीरे-धीरे छंट गए.....।''

चन्द्रशेखर का त्यागपत्र

6 मार्च, 1991 को प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर और उनके मंत्रिपरिषद् ने त्यागपत्र दे दिया और जनता से नया अधिदेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रपति ने त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मंत्रिपरिषद् से पद पर कार्य करते रहने का अनुरोध किया।

चूंकि संसद की दोनों सभाओं के द्वारा आवश्यक बजटीय और अन्य विधायी कार्य पारित किए जा चुके थे और चन्द्रशेखर के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् पहले ही त्यागपत्र दे चुकी थी और नए चुनावों की सिफारिश की जा चुकी थी और किसी भी राजनैतिक दल द्वारा वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश न किए जाने के कारण राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से लोक सभा को भंग कर दिया।

इस प्रकार, निहित स्वार्थ हेतु गंदे खेल खेलने वाले राजनेताओं की बाजीगरी से पैदा हुआ आघात, अव्यवस्था और असमंजस की स्थिति का अंत हुआ। अंततः, राष्ट्रपति ने ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें

विभिन्न पक्षों से प्रशंसा और आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, पूरी स्थिति को यथासंभव सफलतापूर्वक संभाला। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आघातपूर्ण नाटक के बीच चन्द्रशेखर जी ने राष्ट्रपति या देश के लिए कोई समस्या पैदा नहीं की और उनके लिए मानवीय रूप में जो कुछ संभव था, सहयोग करने का प्रयास किया।

राष्ट्रपति द्वारा प्रशंसा

चन्द्रशेखर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के समय राष्ट्रपति को बहुत दु:ख हुआ। स्वयं उनके शब्दों में ''मैंने चन्द्रशेखर के लिए खेद महसूस करते हुए उनका त्यागपत्र स्वीकार किया। पद पर रहते हुए कुछ माह के दौरान उन्होंने सक्षम रूप से संसद का संचालन किया और वह विपक्ष के सुझावों पर ध्यान देते थे। वह कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण, लगातार तनाव में थे, मुझे सन्देह है कि जिसने यह मान लिया था कि वास्तव में सरकार उनकी थी और चन्द्रशेखर मात्र एक प्रतिनिधि थे। कांग्रेस पार्टी की सत्ता की भूखी मंडली राजीव गांधी को यह कहकर गुमराह करती रहती थी कि अच्छी छवि बनाने की चन्द्रशेखर की कोशिश से उनकी छवि को काफी नुकसान होगा। दो वर्ष बाद, मुझे यह महसूस हुआ कि चन्द्रशेखर के लिए ''बिना शर्त समर्थन'' के कांग्रेस के आश्वासन को स्वीकार करना मेरी नादानी थी। मुझे आशा थी कि यह समर्थन कम से कम एक वर्ष तक जारी रहेगा। मैंने महसूस किया कि असमान गठबंधन सदैव कमजोर पक्ष के हित में नहीं होता।*

अंत में, मैं केवल यह कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद चन्द्रशेखर ने अपने निकट संबंधियों का साथ नहीं छोड़ा। इसके विपरीत, जब वह सत्ता में थे तब प्रत्येक व्यक्ति जो उनके निकट था उसने उनके सत्ता में रहते हुए अपना भाग्य संवार लिया था। दुर्भाग्यवश, निहित स्वार्थों के चलते उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा। चन्द्रशेखर के चरित्र में हमें जो विशेषताएं दिखाई दीं, वह आजकल के नेताओं में बहुत कम दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यनिष्पादन के बारे में राष्ट्रपति ने काफी कुछ कहा है और इस बारे में मुझे कुछ और नहीं कहना।

---

*माई प्रेजीडेंशियल इयर्स, आर. वेंकटरमन पृ. 404-405

चन्द्रशेखर : एक प्रतिबद्ध समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवादी और लोकतंत्रवादी

*–सत्य प्रकाश मालवीय**

एक उत्कृष्ट समाजवादी, सांसद और सबके प्रति स्नेह और सबके हितों का ध्यान रखने वाले चन्द्रशेखर वास्तव में अपने समय की एक महान हस्ती थे। वह 1962 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य रहे तथा 1984 से 1989 तक की एक छोटी सी अवधि को छोड़कर वर्ष 1977 से 8 जुलाई, 2007 अर्थात् अपनी मृत्यु के दिन तक लोक सभा के सदस्य बने रहे। बिना किसी तैयारी और पर्चियों की सहायता लिए बिना उनके द्वारा दिए गए भाषण और संसद में उनके हस्तक्षेप सुनने लायक होते थे और इस कारण वह सभी के आदर के पात्र थे।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एम.ए. करने (1951) के बाद उन्होंने वर्ष 1952 में शोध करने और शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया किन्तु अपने मार्गदर्शक आचार्य नरेन्द्र देव के कहने पर इसे पूरा नहीं कर पाए, उन्हीं के शब्दों में, आचार्य जी ने मुझे कहा, ''चन्द्रशेखर जब देश ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा शोध पत्र कौन पढ़ेगा, देश निर्माण के लिए कुछ करो, विश्वविद्यालय छोड़ दो''। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में आचार्य नरेन्द्र देव, प्रो. मुकुट बिहारी लाल, आचार्य बीरबल और बाद में जयप्रकाश नारायण से उनके घनिष्ठ संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण रहे।

महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे की राह पर चलते हुए उन्होंने जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 6 जनवरी, 1983 से 25 जून, 1983 तक कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से राजघाट (दिल्ली) तक की 4260 कि.मी. की दूरी पदयात्रा, जिसे ''भारत यात्रा'' के नाम से जाना जाता है, करके तय की ताकि वह गांवों में बसने वाले भारत से रूबरू हों लाखों ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर सकें। तथापि यह एक अन्य मुद्दा है कि निर्धनता, भुखमरी, पेयजल की अनुपलब्धता, निरक्षरता, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय पिछड़ापन ऐसी चुनौतियां जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, एक ऐसा तथ्य जिसे उन्होंने सदैव उठाया।

उन्होंने कभी किसी की अनदेखी नहीं की और मुसीबत में फंसे अपने सहकर्मियों और राजनैतिक साथियों की सदैव सहायता की। अक्सर सुबह वह अस्पताल में भर्ती अपने किसी जानकार को देखने चले जाया करते थे, दोपहर में किसी की मृत्यु होने पर श्मशान भूमि में भी दिखाई देते थे और शाम को अक्सर किसी न किसी समारोह में नज़र आ जाते थे। उन्होंने राजनैतिक संबंधों को कभी भी व्यक्तिगत संबंधों के आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने दोस्ती को राजनीति से ऊपर रखा। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता अक्सर उनसे मार्गदर्शन और सुझाव लेते थे।

चन्द्रशेखर जी समाजवादी पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में 1952 से लेकर 1965 तक 13 वर्ष तक रहे। 1965 में वह कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 1974-75 में कांग्रेस के सदस्य के रूप में इस बात पर जोर दिया कि इंदिरा गांधी को जयप्रकाश नारायण से उलझने के बजाय उनसे

*पूर्व उप सभापति, राज्य सभा और पूर्व कैबिनेट मंत्री

बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कुछ संसद सदस्यों और राजनेताओं को जे.पी. से मिलने के लिए 3, साउथ एवेन्यू लेन स्थित अपने आवास पर बुलाया जिसमें मैं भी शामिल था। इस वजह से उन्हें इंदिरा गांधी के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। 25/26 जून, 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल लागू होने पर जे.पी. को पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में रखा गया था। जब वह उनसे मिलने वहां गए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह उस समय कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण संसद सदस्य थे और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और इसकी केन्द्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य थे। उन्होंने स्वयं कांग्रेस को नहीं त्यागा बल्कि कांग्रेस ने उन्हें छोड़ा। एक बार कांग्रेस से निकलने के बाद वह दुबारा कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए।

राजनैतिक मुद्दों और राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में उनकी स्पष्ट धारणा थी। वह इतने अधिक स्पष्टवादी थे कि कई बार लोग उनसे नाराज़ भी हो जाते थे। उन्होंने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने जनमत के विरुद्ध जाकर जून, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की आलोचना करके अदम्य साहस का परिचय दिया।

चन्द्रशेखर जी ने 10 नवम्बर, 1980 को प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह द्वारा त्यागपत्र देने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस बारे में चन्द्रशेखर ने स्वयं लिखा ''जब मैंने इस सरकार को प्राप्त समर्थन और उसकी अवधि के बारे में जानना चाहा तो राजीव गांधी ने मुझे कहा कि चन्द्रशेखर को दिया गया समर्थन न तो अस्थायी है और न ही शर्तों पर आधारित है। मैंने राजीव गांधी से पूछा क्या यह समर्थन एक साल तक चलेगा, उन्होंने उत्तर दिया, 'एक वर्ष क्यों? यह संसद के रहने तक चल सकता है।' राजीव गांधी ने लिखित रूप में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाले ग्रुप को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है।

श्री आर. वेंकटरमन ने अपने स्मृति खंड ''माई प्रेसीडेंशियल यिअर्स'' में लिखा है, ''व्यक्तिगत रूप से चन्द्रशेखर के तर्कपूर्ण विचारों, राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण और उनकी आस्था के कारण मैं उन्हें आदर की दृष्टि से देखता हूं। प्रधानमंत्री पद के अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद को बहुत अच्छी तरह से चलाया और विपक्ष से आने वाले सुझावों पर सदैव अपनी प्रतिक्रिया दर्शायी। उन पर कांग्रेस पार्टी का दबाव सदैव बना रहा और अक्सर ऐसा लगा कि असली सरकार कांग्रेस की है और चन्द्रशेखर उसके प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस पार्टी में सत्ता के भूखे लोगों ने राजीव गांधी को गुमराह किया कि चन्द्रशेखर द्वारा अपनी अच्छी छवि बनाने का प्रयास उनकी छवि के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने एक बार यह लिखा भी कि ''यदि चन्द्रशेखर के पास सदन में बहुमत होता तो उनकी गिनती देश के महान प्रधानमंत्रियों में होती।''

मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के साथ उनके मंत्रिमंडल में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। 10 नवम्बर, 1990 को जब वह प्रधानमंत्री बने तो न मैं उनसे मिला और न उन्होंने मुझे बुलाया। अत: मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य था जब 21 नवम्बर की सुबह स्वयं उन्होंने मुझे फोन किया कि ''मैं चन्द्रशेखर बोल रहा हूं। आपको आज राष्ट्रपति भवन में केबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेनी है। केबिनेट सचिव नरेश चन्द्र आपके पास निमंत्रण भेज रहे हैं।'' मेरे लिए यह एक अप्रत्याशित सम्मान था कि चन्द्रशेखर जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में पदग्रहण करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कभी किसी मंत्री के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया और अपने समकक्षों में जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे आगे रहे। यह उनकी महानता थी। प्रधानमंत्री के रूप में भी वह सदैव धोती, कुर्ते,

जैकेट, शॉल और चप्पल में ही नज़र आए। उन्होंने सत्ता से चिपके रहने के लिए प्रधानमंत्री पद के गौरव और मर्यादा से कभी समझौता नहीं किया। एक समय जब उन्हें डराने या उन पर दबाव डालने का प्रयास किया गया तो उन्होंने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया।

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रसायन मंत्रालय के साथ-साथ मुझे अकेले ही संसदीय मामले मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया था और संसदीय मामले मंत्री के रूप में मैंने सत्ताधारी जनता दल (से.) संसदीय पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में भी कार्य किया। संसद के दोनों सदनों की बैठकों के दौरान मैं 11 बजे बैठक शुरू होने से काफी पहले नियमित रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलने उनके चैम्बर में जाया करता था। 6 मार्च, 1991 को हमेशा की तरह मैं 10.30 बजे से कुछ पहले प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। वह अभी-अभी राष्ट्रपति जी से भेंट करके आए थे और अकेले थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति जी से कह दिया कि ''यदि कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार लोक सभा का बहिष्कार करती रही तो वह अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि सभा स्थगित कर दी जाए ताकि वह राष्ट्रपति जी से मिल सकें और अपनी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र उन्हें सौंप सकें।'' वह मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे और मैंने उत्तर दिया ''जैसी स्थिति है उसमें त्यागपत्र देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजीव गांधी की अनुचित मांगों को स्वीकार करके सरकार चलाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उनकी मांगों का कोई अंत नहीं है।'' प्रधानमंत्री जी ने सहमति में सिर हिलाया। जब हम इस बातचीत में तल्लीन थे तो चौधरी देवी लाल, यशवंत सिन्हा और कमल मोरका भी चेम्बर में आ गए और बातचीत में शामिल हो गए। वे सभी प्रधानमंत्री के निर्णय से सहमत थे। इसी बीच राजीव गांधी के संसदीय कार्यालय से डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी हांफते हुए आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने राजीव गांधी से इस मामले में बातचीत की है और वह समझौता करने और कांग्रेस पार्टी द्वारा लोक सभा की बैठकों का बहिष्कार करने के निर्णय को बदलने के लिए तैयार हैं। डॉ. स्वामी ने आगे कहा कि राजीव इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं और उन्होंने तुरन्त ही राजीव गांधी को फोन मिला दिया। मुझे नहीं मालूम कि फोन पर उनकी क्या बात हुई किन्तु चन्द्रशेखर जी त्यागपत्र देने के अपने निर्णय पर अडिग थे। दोपहर 2.45 बजे उन्होंने अध्यक्ष से सदन स्थगित करने का निवेदन किया और अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक करने के बाद राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। त्यागपत्र देने का उनका निर्णय एकतरफा था।

मैं एक चौंका देने वाला तथ्य भी उजागर करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री टी.एन. शेषन की नियुक्ति चन्द्रशेखर जी का ही निर्णय था। के. गोविन्दन कुट्टी द्वारा लिखित पुस्तक ''शेषन: एन इन्टीमेट स्टोरी'' से यह स्पष्ट होता है कि चन्द्रशेखर ने कानून मंत्री डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी के माध्यम से शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने का प्रस्ताव भेजा था और शेषन ने प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व राजीव गांधी से परामर्श लिया था। पुस्तक पढ़ने से पता चलता है कि शेषन द्वारा परामर्श करने से पूर्व राजीव गांधी को इस प्रस्ताव की कोई भनक नहीं थी।

चन्द्रशेखर जी ने 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 17 दिसम्बर, 1992 को श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि ''यह केवल एक मस्जिद का ह्रास नहीं है बल्कि यह भारत की गरिमामयी परम्पराओं, भारत के इतिहास, भारत की सहनशीलता और भारत की मानवतावादी परंपराओं का ह्रास है। आज करोड़ों लोगों का दिल टूट गया है जिसे पुन: जोड़ा नहीं जा सकता। 15 करोड़ भारतीयों की आस्था खंडित हुई है। ये 15 करोड़ भारतीय मुसलमान अरब देश या किसी अन्य देश से नहीं आए। वे हमारे

ही भाई हैं। क्या सरकार उनको कुचल देगी या अरब सागर में धक्का दे देगी? जब संसार को यह पता चलेगा कि इस देश में राजनैतिक कारणों से एक पूजा स्थल को ढहा दिया गया, विश्व का कोई व्यक्ति आपकी सराहना नहीं करेगा बल्कि सभी इसकी आलोचना करेंगे हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे शानदार इतिहास का ही हिस्सा हैं जिसे आपने खंडित किया है।'' पहले यंग तुर्क और बाद में एंग्रीमैन के नाम से विख्यात धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी चन्द्रशेखर उस समय पूरे उत्साह और जोश से भरे थे।

चन्द्रशेखर जी को 12 दिसम्बर, 1995 को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने केन्द्रीय कक्ष में बिल्कुल सही कहा था कि ''चन्द्रशेखर के विचार और उनकी सोच सदा ही धर्मनिरपेक्षता, सर्व धर्म समभाव (सभी धर्मों के प्रति सम्मान-आदर) और समाजवाद जैसे मूल्यों से प्रभावित रहे।''

लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संसद के और संसद के बाहर उनके कथनों और कार्यों में सदैव परिलक्षित होता रहा है। चन्द्रशेखर जी इस महान देश की भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और देशवासी संसदीय और सार्वजनिक जीवन में उनके अभूतपूर्व योगदान को सदैव स्मरण रखेंगे।

भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह

*–महेन्द्र वेद**

किसी भी सुसंगत और महत्वपूर्ण विषय पर वह बड़ी सरलता से बोल सकते थे। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर रहता था बशर्ते कि प्रश्न बुद्धिमत्तापूर्ण हो। मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को और क्या चाहिए। वह मीडिया के पीछे नहीं भागते थे बल्कि मीडिया सदैव उनके पीछे भागती रही। वह पत्रकारों के साथ होते हुए भी उनसे अलग रहते थे।

चन्द्रशेखर को दूर से ही सही लंबे समय तक जानने के बाद उनके बारे में मेरे यही विचार थे। दूर से इसलिए क्योंकि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहता था। किसी भी सभा या संसद के केन्द्रीय कक्ष में उनके साथ बैठना अच्छा लगता था किन्तु अधिकांश समय चुप ही रहता था।

उनके विचारों को सुनने के बाद किसी को भी यह आभास हो जाता था कि वह जनता द्वारा निर्वाचित अन्य आम प्रतिनिधियों से किस प्रकार भिन्न थे। उनकी टिप्पणीयां चुभने वाली तो होती थीं परंतु किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता था। यहां तक कि अपने साथी राजनेताओं, जिनके साथ वह सहमत नहीं होते थे, के बारे में बोलते हुए भी वह पूरी गरिमा बनाए रखते थे।

मेरी उनसे पहली मुलाकात नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित थियेटर कम्युनिकेशंस बिल्डिंग में हुई थी जो अब विद्यमान नहीं है। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठे थे। उत्तर प्रदेश का एक लंबे कद वाला आदमी पूछते हुए वहां आया। उसके किसी रिश्तेदार ने विदेश से रिवाल्वर खरीदा था जिसे कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया था। ''आप मुझसे क्या चाहते हैं? यदि वह हथियार चाहते हैं तो उन्हें शुल्क अदा करने दीजिए।'' आगंतुक लज्जित हो गया। वह गुस्से से बोले'' आपके लिए पैरवी करें, या घूस तय करें।'' आगंतुक वहां से चला गया। मुंबई से आये किसी व्यक्ति, जिसके लिए दिल्ली और यहां की राजनीतिक संस्कृति नई थी, के लिए यह बिल्कुल अलग था। वह एक जमीन से जुड़े और सीधे साधे राजनेता थे जो विभिन्न विषयों पर बड़ी सरलता और बेझिझक बोल सकते थे।

युवा तुर्क ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं उनकी पत्रिका ''यंग इंडिया'' के लिए नियमित रूप से लिखता रहा जब तक आपातकाल के दौरान वह बंद नहीं हो गई। वर्षों बाद जब वह पुनः प्रकाशित होने लगी तो मैंने फिर इस पत्रिका के लिए लिखा।

समय के साथ मैंने जाना कि शहरी संभ्रात वर्ग जो अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ के माध्यम से हर बात को उचित ठहराने का प्रयास करते थे, के प्रति उनका रुख नरम नहीं था। जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक बार मुंबई के व्यवसायियों की एक सभा द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार को देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कहने पर उन्होंने कहा: ''आप हमें अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाएंगे।'' उसके बाद वाद-विवाद खत्म हो गया।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में अपने मित्रों के साथ बैठकर चाय पीने के शौकीन चन्द्रशेखर ने तब भी संसद और इसके कार्यकरण का सम्मान किया जब संसदीय दल के मुख्य सचेतक स्व. रतन सिंह राजदा ने उन्हें एक नोट देकर सदन की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए आगाह किया था।

*आप एक लेखक हैं और कॉलम भी लिखते हैं।

दल के मुखिया से नोट मिलने पर कई प्रश्न उठे किन्तु चन्द्रशेखर ने इसे गंभीरता से लिया और उसके बाद से वह सदन में नियमित रूप से आने लगे।

वर्ष 1980 के बाद से मैंने राजनैतिक घटनाओं पर अधिक से अधिक लिखना शुरू कर दिया था और शायद कोई भी चुनाव या महत्वपूर्ण मुद्दा या घटना ऐसी नहीं रही जिसके संबंध में मैंने उनसे साक्षात्कार न किया हो। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर वह कांग्रेस में आये और फिर जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में चले गए मगर अपने विचारों और दृष्टिकोण से वह सदैव कांग्रेसी ही रहे। वह तब भी समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था के आदर्शों से जुड़े रहे जबकि देश में पूंजीवाद लाने का जोर था। संघवाद और विकेन्द्रीकरण का समर्थन करने वाले युग में वह एक मजबूत केन्द्र के पक्षधर थे। किन्तु जब बहुत से कांग्रेसियों ने हिन्दुत्व के सहिष्णु पक्ष को अपनाया तथा लोकतंत्र और विरोधी दल की एकता के नाम पर समाजवादियों ने अपनी विचारधारा की सीमा को लांघा, तब भी चन्द्रशेखर ने अपनी धर्मनिरपेक्षता बनाए रखी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद उनकी आवाज में दर्द जरूर था पर वह और बुलंद हुई। वह लोक सभा की पहली पंक्ति के बीच में बैठा करते थे जैसे कि कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति सभा के बीच में बैठता है। वह जब भी सभा में उठते और शब्दों को बिना लाग लपेट के बोलते तो दोनों पक्षों के बहुत से चेहरों पर प्रशंसा के स्पष्ट भाव उमड़ आते थे। उनके प्रति लोगों के मन में ऐसा सम्मान था। सदस्यों के कोलाहल के बीच वह जैसे ही बोलने के लिए खड़े होते पूरे सदन में पूर्णतया शांति छा जाती। इन्हीं अर्थों में वह युवा तुर्क थे जो संसद के ''भीष्म पितामह'' बन गए।

वह अपने मित्रों के प्रति उदार रहते थे और वह उनका कभी भी परित्याग नहीं करते थे चाहे वह गैर-कानूनी कामों में क्यों न लिप्त रहा हो और जिन पर सत्ता की कृपादृष्टि कभी नहीं रही हो। ऐसे व्यक्ति थे सूरज देव सिंह और दूसरे थे कल्पनाथ राय। वह इन दोनों से जेल में मिलने जाते थे। अपने कांग्रेस के दिनों के एक पुराने मित्र चौधरी रणधीर सिंह से उन्होंने पूछा: ''आजकल आप क्या कर रहे हैं?'' चौधरी साहब कुछ नहीं बोले। ''आप राज्यपाल क्यों नहीं बन जाते? मैं नरसिम्हा राव से बात कर सकता हूं।'' उस समय उनकी यह दोस्ताना बातचीत सुनकर केन्द्रीय कक्ष में बैठे हम सभी लोग शांत से हो गए और मुस्कुरा दिए। तीन दिन बाद एक आधिकारिक घोषणा की गई कि चौधरी जी को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया। यह एक ऐसा वाक्य था जिसे उस पुस्तिका में तुरंत दर्ज कर लिया गया जहां ऐसी घटनाएं रिकार्ड की जाती हैं।

पूरे राजनीतिक जगत में उनकी ऐसी ही साख थी किन्तु उन्होंने अपने लिए कभी भी इसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी किसी सरकार में मंत्री पद ग्रहण नहीं किया। लोकतंत्र में वह ऐसे विरले व्यक्ति थे जो कभी किसी मंत्री पद पर न रहते हुए सीधे प्रधानमंत्री बने। ऐसे दूसरे व्यक्ति राजीव गांधी थे जिन्हें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई गंभीर स्थिति के कारण यह पद स्वाभाविक रूप से मिला था। केन्द्रीय कक्ष में एक बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने एक संसद सदस्य जिसने सरकार में उप मंत्री का पद ग्रहण करने से इंकार कर दिया था, के बारे में कुछ अपमानजनक कहा। उसने कहा कि उन्होंने किसी खास उद्देश्य से ऐसा किया है। अपने पत्रकार मित्र पर बिना नाराज हुए उन्होंने कहा ''किसी भी पद को त्यागना बहुत कठिन होता है।'' किन्तु संदेश बिलकुल स्पष्ट था। चन्द्रशेखर ने न जाने कितनी बार स्वयं कितने पदों का त्याग किया था, इसकी न तो कभी गिनती की गई और न की जाएगी।

उनकी शवयात्रा में मैं इसलिए सम्मिलित नहीं हुआ क्योंकि मैं उनका अंतरंग रहा हूं या उनके द्वारा दिए गए किन्हीं फायदों का लाभार्थी रहा बल्कि इसलिए कि नित नई खबरें लाने की पत्रकारों के बीच की अंधी दौड़ के बीच जब भी मैंने उनका साक्षात्कार लिया या उनसे बात की तो उनकी हर बात से मैं प्रभावित था। उनकी अंत्येष्टि के बाद उदास चेहरों में यशवंत सिन्हा और कमल मोरारका भी थे जिनका राजनीति में पदार्पण ही चन्द्रशेखर की वजह से हुआ था। मैंने धीरे से कहा कि ''अब जबकि वह चले गए हैं, संसद और केन्द्रीय कक्ष पहले की भांति नहीं रहेगा।'' वे भी इस बात से सहमत थे।

चन्द्रशेखर : एक विवेकशील व्यक्तित्व

*–के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति**

चन्द्रशेखर का संसद के अंदर और बाहर हमेशा एक अलग व्यक्तित्व दिखाई देता था क्योंकि राजनीति में अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान वह सत्ताधारी गठबंधन सरकार के केन्द्र में केवल बहुत कम समय के लिए रहे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों में गहन रूचि ली और वह सदैव सरकार, संसद और आम भारतीय समाज की प्रवृत्ति से जुड़े रहे। 1960 के दशक में अपने युवा तुर्क के दौर से प्रधानमंत्री के रूप में अपने एकाकी दिनों तक चन्द्रशेखर ने राजनेताओं और अलग-अलग धर्मों, विचारधाराओं और धारणाओं वाले आम नागरिकों को अपनी ओर आकृष्ट किया। ऐसे समय जबकि पूरा देश एक दिशा में चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, वह धारा के विपरीत चलने में कभी नहीं हिचकिचाए।

देश में एक सामूहिक उन्माद के दौर में भी चन्द्रशेखर ने अपने विवेकपूर्ण विचार व्यक्त किए। खालिस्तान आन्दोलन और उस पर सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया उनकी देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। उन्होंने सरकार को पूरे सिख समुदाय पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगाने के संबंध में बार-बार आगाह किया और वह कहा करते थे कि किसी राजनैतिक समस्या का समाधान केवल सुरक्षा बलों के आधार पर नहीं किया जा सकता। चन्द्रशेखर ने सिख विरोधी हिंसा को लेकर आवाज उठाई यद्यपि, वह यह जानते थे कि प्रधानमंत्री की हत्या के बाद ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। उनके विरोधियों द्वारा उन पर आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाए जाने के कारण वह अगला लोक सभा चुनाव हार गए। परन्तु, बाद में सरकार ने राजनैतिक प्रक्रिया के माध्यम से अलगाववादियों को अलग-थलग करने और कमजोर करने के उनके दृष्टिकोण को अपनाया। वह, पंजाब में धार्मिक स्थलों से अपनी गतिविधियां चलाने वाले अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली राजनैतिक पार्टियों से यह कहा करते थे कि उनके प्रति ऐसा नरम रवैया रखने से इन पार्टियों को क्षति पहुंचेगी। प्रधानमंत्री के रूप में उनके छोटे से कार्यकाल के दौरान राम जन्म भूमि आन्दोलन अपने चरम पर था और उन्होंने राजनैतिक स्तर पर इस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई स्थिति को धैर्य से संभाला। उन्होंने भुगतान संकट की स्थिति का सामना करने के लिए भारत के सोने को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गिरवी रखने का साहसिक परन्तु विवादित निर्णय लिया।

1980 में जनता आन्दोलन के विघटन के बाद जब ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय राजनीति में अब कुछ नहीं बचा है, ऐसे समय भी चन्द्रशेखर पार्टी के कुछ सहयोगियों को यह कहते थे कि भारत में विकल्पों की समाप्ति नहीं हुई है और एक पार्टी की सत्ता संभव नहीं है। 1982 के बाद के दिनों में जब उनकी पार्टी डांवाडोल हो रही थी और उन्हें आम जनता का अधिक समर्थन प्राप्त नहीं था उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया परन्तु जिस समय वह पदयात्रा शुरू कर रहे थे तभी यह समाचार आया कि कर्नाटक विधान सभा के चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। इस समाचार के साथ उन्होंने नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी

*रेजीडेन्ट एडिटर, मल्याला मनोरमा और द वीक, पूर्व सभापति, प्रेस सलाहकार समिति, लोक सभा

रखी। पदयात्रा से ऐसे अनेक युवा भी जुड़े जिन्होंने जे.पी. आन्दोलन में भाग लिया था और इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में भारत यात्रा केन्द्रों की एक शृंखला बन गई।

अपने बाद के वर्षों में वह ऐसे वयोवृद्ध राजनेता थे जो लोक सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जब एक-दूसरे का गला काटने पर उतारू रहते थे तब वह उन्हें शांत करने के लिए हस्तक्षेप करते थे। सब नेता उनकी बात शांति से सुनते थे और उनकी बुलन्द आवाज़ और व्यावहारिक सुझावों से माहौल शांत हो जाता था। उनकी विचारधारा समाजवादी थी परंतु, उन्होंने भारतीय स्थिति के अनुकूल उसमें बदलाव कर लिया था। वह प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों को शांत करने के लिए कर्णप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करते थे और ए.बी. वाजपेयी जिन्होंने लम्बे समय तक इन दोनों पदों को सुशोभित किया वह विनोदपूर्वक कहते थे कि ''यदि हम आपसे सहमत न भी हों तो भी हमें पहले आपको सुनना होता है और आपको सुनने के बाद आपके प्रभाव से हमारी राजनीति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता था।''

चन्द्रशेखर बड़े पैमाने पर निजीकरण के खिलाफ थे और उनका यह मानना था कि राज्य को निर्धन और वंचित लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका समाजवाद के अनियंत्रित सुधारों के प्रति संदेह था और उन्होंने बार-बार इस बात को लेकर आगाह किया कि क्रोनी पूंजीवाद, 1990 के दशक में आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों को विकृत कर रहा है। संसद में उनके भाषण और हस्तक्षेप राष्ट्र के हित और भारत की विविधता के प्रति उनके गहन सरोकार को दर्शाता है। वह निचले स्तर के लोकतंत्र में विश्वास करते थे भले ही वह उच्च वर्गों द्वारा नियंत्रित लोकतंत्र से अधिक मुखर हो।

चन्द्रशेखर युवा सांसदों के बीच बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि वह नए सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताते थे और उन्हें चिंतामुक्त करते थे। वह उनके राजनैतिक करियर, उनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते थे और जब वे सभा में अच्छा भाषण देते थे तो वह उनकी पीठ थपथपाते थे। उन्होंने बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जो उन्हें संसद में उठाए जाने वाले विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करते थे। संसद में वह न केवल अपने दृढ़ विश्वास और अनुभव के आधार पर अपनी बात कहते थे परन्तु, उनके तथ्य और आंकड़े पूर्ण रूप से तैयार होते थे।

संसद के केन्द्रीय कक्ष में उन्हें आमतौर पर मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच घंटों समय व्यतीत करते देखा जा सकता था और हर व्यक्ति उनके लम्बे राजनैतिक करियर और आचार्य नरेन्द्र देव, जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, मधुलिमये, इंदिरा गांधी, वी.वी. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद, ए.बी. वाजपेयी, कर्पूरी ठाकुर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, रामकृष्ण हेगड़े, देवी लाल जैसे दिग्गज नेताओं से लेकर शरद पवार, एच.डी. देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, फारुख अब्दुल्ला, सुब्रहमण्यम स्वामी, एल.के. आडवाणी और मनमोहन सिंह जैसे वर्तमान नेताओं के साथ उनके संबंधों से जुड़े कुछ अति रोचक किस्सों को गंभीरता से सुनते थे। वह इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ आन्दोलन से लेकर आपातकाल और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली, आर्थिक सुधार से लेकर गठबंधन की राजनीति तक के दौर के साक्षी थे। वह इसके सहभागी होने के साथ-साथ भावुक स्थितियों की बारीकी से समीक्षा करते थे। हम सब उनकी बुद्धिमता, दृष्टिकोण और विलक्षण विनोदपूर्ण तथा सौहार्द्रपूर्ण स्वभाव से लाभान्वित हुए हैं।

चन्द्रशेखर

*–शरद पवार**

कई महान व्यक्तियों द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली की संस्था का निर्माण और निर्देशन किया गया तथा उसे स्वरूप प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का उद्‌भव हुआ और यहां के लोगों की संप्रभु इच्छा की अभिव्यक्ति हुई। चन्द्रशेखर उन व्यक्तियों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। वे एक दक्ष राजनीतिज्ञ थे और लोकतंत्र तथा समाजवाद में दृढ़ विश्वास के साथ ही अपने परम कर्तव्य के रूप में आम आदमी के हितों के समर्थक रहे। उनके लिए राजनीति परिवर्तन और गरीब तथा पददलित लोगों के उद्धार का माध्यम था। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में उनके जीवन के आरंभिक अनुभवों और आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के महान राष्ट्रवादियों के साथ उनकी घनिष्ठता ने उस पर अमिट छाप छोड़ी और हमारे समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास के उनके संकल्प को मजबूत किया। लगभग पांच दशकों के सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय भारत की संसद में व्यतीत किया। मुझे याद है कि मेरा उनसे घनिष्ठ व्यक्तित्व सम्पर्क 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ और उनके जीवन के अंतिम क्षण तक बहुत ही अच्छा बना रहा। चन्द्रशेखर अपने मित्रों के साथ सदैव स्नेहपूर्ण ढंग से जुड़े रहे और कभी भी संबंधों के बीच कोई विवाद या मतभेद आने नहीं दिया।

चन्द्रशेखर का जीवन एक ज्वलंत उदाहरण है और युवा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत होगा। एक अत्यंत दयालु और मृदुभाषी व्यक्ति, जिन्हें लोगों के हितों के सशक्त निडर समर्थक और निहित स्वार्थों का विरोध करने के कारण ''युवा तुर्क'' के रूप में जाना जाने लगा। वह हमारी संसद में असाधारण वक्ताओं में से एक थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्‌दों पर उत्साहपूर्वक तर्क-वितर्क और चर्चा की। उन्होंने अपने श्रोताओं को ऐसे पथ पर जाने को प्रेरित किया जिससे देश में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार किया जा सके। उनका भारत की प्रगति का विज़न गरीबों के उत्थान, हमारे देश में एक जातिरहित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सच्चे अर्थों में एक जीवन शैली बनाने की जड़ में था।

चन्द्रशेखर ने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कई पद ग्रहण किए, परन्तु वे कभी भी वास्तव में उसके लिए लालायित नहीं थे। उनकी नि:स्वार्थ, आदर्शों के प्रति वचनबद्धता और देश तथा लोगों के प्रति कर्त्तव्य की उच्च भावना सदैव इन सबसे ऊपर थी। चन्द्रशेखर विश्लेषण क्षमता के अतिरिक्त साहित्यिक कुशलता के धनी एक गंभीर चिंतक भी थे। ''यंग इंडिया'' में उनके लेख और उनकी पुस्तकें — ''मेरी जेल डायरी'' और ''डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज'' उनके चिंतन की पूरी पहचान प्रदान करती हैं।

*आप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वर्तमान में संसद सदस्य (राज्य सभा) हैं।

चन्द्रशेखर एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति थे जो संसद में चर्चा हेतु उठाए गए विभिन्न मुद्दों के मूल तत्व और बारीकियों को बहुत जल्दी समझ लेते थे। वे जब भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़े होते थे तो तथ्यों और आंकड़ों तथा मुद्दों की पूर्ण समझ के साथ ही अपनी बात कहते थे। वे बिना किसी पक्षपात के और देश और उसके लोगों के हित में स्वाभाविक प्रबोधक कौशल के साथ बोलते थे। इसलिए, संसद में उनकी बात सभी वर्गों के द्वारा तन्मयता के साथ सुनी जाती थी। यद्यपि, उन्होंने अपने आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, फिर भी अपने साथियों के विचारों को पूरे ध्यान से सुनते थे और सामंजस्य के एक ऐसे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते थे जो देश के सर्वोत्तम हित में हो। उन्होंने व्यावहारिकता और सैद्धांतिकता के अनोखे मिश्रण को साकार रूप दिया।

उनके गुणों में से एक, जिसकी संसद में सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती थी, नियमों और प्रक्रियाओं का पालन तथा सदन और संसद की गरिमा को बनाए रखना था। उनके आचरण और शिष्टाचार जो अनुकरणीय था, से उन्हें संसद के अंदर और सार्वजनिक जीवन में संपर्क में आने वाले लोगों से अत्यंत प्रशंसा और सच्चा आदर प्राप्त हुआ। वर्ष 1995 में जब वे ''उत्कृष्ट सांसद'' पुरस्कार प्राप्त करने वाले बने, यह उस महान नेता के प्रति उचित सम्मान था। इस प्रशस्ति पत्र में उनके व्यक्तित्व की सर्वोत्कृष्ट महानता को सुंदरता से व्यक्त किया गया है। अपने स्वभाव के अनुरूप, चन्द्रशेखर ने अत्यंत विनम्र भाव से पुरस्कार स्वीकार किया परन्तु हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होती है और राष्ट्रों के बीच अपना गौरवशाली स्थान ग्रहण करने के लिए देश का नेतृत्व करती हैं, की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बोले। अपने स्वीकारोक्ति भाषण में हमें पूर्व चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा:

''.....हमने देखा है कि विगत में कई अवसरों पर हमारे लोकतंत्र को कई संकटों का सामना करना पड़ा है परन्तु हमारे लोग और संसद सदस्य परीक्षण पर खरे उतरे और एक सम्माननीय रूप से सभी समस्याओं का हल निकाला गया। आज मेरे जैसा व्यक्ति संसद के गलियारों में कभी-कभी अपने को अकेला पाता है, जिससे मुझे क्षोभ होता है, जिसके बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपने भी उल्लेख किया है।''.....

.....महोदय, क्या लगभग प्रतिदिन ऐसा नहीं है कि इतिहास हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो? क्या वह दरवाजा खुलने नहीं जा रहा है? संकीर्ण मानसिकता और संवादहीनता के कारण संसद में कभी-कभी दमघोंटू वातावरण बन जाता है। क्या आप सभी लोग एक साथ बैठकर एक बार फिर संसद को लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब बनाने के लिए रास्ता नहीं खोज सकते।

अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे कहा:

''.....आज के वातावरण में, मुद्दों पर हम लोगों में व्यक्ति वैरभाव और लगाव तथा मतभेद और विवाद हो सकता है। परन्तु, इन मतभेदों के बावजूद भी क्या हम अपने देश के अनुरूप व्यवहार करके, अपने इस समाज और देश को आपसी प्रेम का एक नया संदेश नहीं दे सकते? यदि हम अपने ग्रामीण जनता के दु:खों और कष्टों को कम करने के अपने सभी प्रयास करने के लिए आगे आते हैं और हमारे लोगों द्वारा सामान्यत: सामना की जाने वाली असहाय स्थिति और विवशता पर ध्यान देते हैं, तो भारत को विश्वगुरू के रूप में स्वयं को पुनर्स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता।''.....

लम्बे समय तक चन्द्रशेखर के साथ जुड़े रहने के कारण, मुझे असंख्य मुद्दों एवं विषयों पर कई अवसरों पर उनकी बात को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उन सभी अवसरों पर लोगों और देश के हित के लिए कार्य करने के उनके संकल्प को महसूस किया। जब उन्होंने संसद में पुरस्कार स्वीकार किया, उस समय भी उन्होंने स्पष्टतया इस बात को व्यक्त किया:

''.....यहां मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं पैतृक सम्पत्ति, परम्परा और संस्कृति के साथ-साथ इस देश की सभ्यता, जिसे हमने अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त किया है, को भी संरक्षित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत रहा हूं।''.....

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि समय के साथ उनके प्रति मेरे मन में आदर बढ़ता गया। मुझे कई बार जब वे बारामती (मेरा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र) में आए तो मुझे उनका आतिथ्य सत्कार करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में सुना था, जिसे हम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, सहकारिता को मजबूत करने के लिए और महिला वर्ग को सशक्तीकरण प्रदान करने के लिए प्रारंभ कर रहे थे। दौरे के दौरान, वे एक महान नेता के रूप में भाषण देने के लिए नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं के बारे में गहन जानकारी लेने के लिए सभी से मिले। उनकी सलाह की अत्यंत प्रशंसा हुई और उन्होंने अपनी सादगी और स्नेह से लोगों का मन मोह लिया। मैं उनके साथ उत्तर प्रदेश में बलिया और इब्राहिमपट्टी में उनके घर भी गया, जहां वे ग्रामीण गरीबों के लिए एक अस्पताल स्थापित करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे।

चन्द्रशेखर कुछ लोगों के लिए एक पहेली हो सकते हैं, परन्तु उन्हें सभी के द्वारा अत्यंत स्नेह और आदर के साथ सदैव याद किया जाएगा।

आकाश में चमकता एक सितारा

*–डॉ. (सुश्री) सरोजिनी महिषी**

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष के मुख्य द्वार पर संस्कृत भाषा में एक श्लोक सुशोभित है–

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां।
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

जिसका भावार्थ यह है कि उदार हृदय वाले लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। श्री चन्द्रशेखर जी ने शायद यह श्लोक न पढ़ा हो किन्तु उन्होंने अपना सारा जीवन इसी प्रकार बिताया।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव से भारत की राजधानी दिल्ली तक का एक लम्बा रास्ता है। किन्तु एक छोटे से गांव में पैदा हुए चन्द्रशेखर के लिए कोई रास्ता लम्बा नहीं था और एक ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी दूरी लम्बी कैसे हो सकती है जिसके भाग्य में लगभग पूरे देश कन्याकुमारी से राजघाट तक की दूरी लोगों से मिलने और उनकी शिकायतें सुनते हुए पैदल तय करना लिखा था।

वह सदैव अपने गुरू, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक आचार्य नरेन्द्र देव को याद करते और उनके उदाहरण दिया करते थे। देश में समाजवाद लाने हेतु राजनीति में उनका प्रवेश अपने गुरू से मिली प्रेरणा के कारण ही हुआ।

1962 में राज्य सभा का सदस्य बनने पर वह सरकार और प्रशासन के प्रति शिकायतों को व्यक्त करने वाले वर्ग के एक अग्रणी यंग तुर्क बन गए।

जब स्व. मोरारजी भाई वित्त मंत्री थे तो चन्द्रशेखर जी ने कर अपवंचन का एक मामला जिसमें एक जानी-मानी औद्योगिक इकाई के खिलाफ एक जाना-माना नौकरशाह भी शामिल था, जनता के सामने उजागर किया। राज्य सभा में इस मामले पर बहस के दौरान, श्री चन्द्रशेखर जी जो उस समय विलिंगडन अस्पताल (अब आर.एम.एल.) में भर्ती थे, दो घंटे के लिए सभा में आए और जिसमें उन्होंने भर्तृहरि के नीतिशतकम् में से संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत करते हुए इस विषय पर तीखा भाषण दिया। जिसका अति अनुशासित वित्त मंत्री पर गहरा प्रभाव पड़ा:

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु।
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।।

अद्यैव वा मरणम युगान्तरे वा।
न्यायत् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।।

''चाहे प्रशंसा हो या निन्दा, चाहे धन प्राप्त हो या न हो, सच्चे और साहसी लोग न्याय का पथ कभी नहीं छोड़ते।''

*आप पूर्व संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री हैं।

वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की सदैव मदद किया करते थे और दिल्ली के जाने-माने अस्पताल में उनके इलाज के लिए उन्हें आश्रय दिया करते थे। ये सभी कदम विश्व बन्धुत्व की दिशा में थे।

चन्द्रशेखर जी पहले राज्य सभा के सदस्य बने और 1977 से उन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सुझाव, पथ प्रदर्शन और उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने चन्द्रशेखर जी को प्रेरणा दी।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जेल में चन्द्रशेखर जी को ''जेल डायरी'' लिखने का अवसर प्राप्त हुआ इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई पीठासीन थे। इस अवसर पर वक्ता केवल दो ही थे - एक हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक डॉ. एच.एस. वात्सयायन और दूसरी मैं। डॉ. वात्सयायन ने श्रोताओं से कहा कि उन्होंने पुस्तक पढ़ी नहीं है किन्तु उन्हें लगता है कि लेखक यदि डायरी के स्थान पर उपन्यास लिखता तो बेहतर होता। मैं कुछ स्पष्टवादी थी, मैंने कहा, ''पुस्तक को पढ़े बिना उसकी आलोचना करने का अधिकार किसी को नहीं है; दूसरे उपन्यास लिखना है या नाटक, मुक्तक या डायरी, यह निर्णय लेने का अधिकार लेखक को है, न कि आलोचक को। जेल डायरी में महान हस्तियों और उनकी सेवाओं और त्याग से रचनात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें उनके बारे में डायरी लिखने वाले के विचार भी प्रतिबिम्बित होते हैं।

जनता पार्टी के गठन का उत्तरदायित्व भी श्री चन्द्रशेखर जी के कंधों पर आया। सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए श्री चन्द्रशेखर जी ने राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री बने।

गुणाः पूजा-स्थानम् गुणिशु।
न च लिंगम् न च वयः।।

चन्द्रशेखर : एक व्यक्ति के रूप में

*–रवि रे**

जब श्री चन्द्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय मैं लोक सभा का अध्यक्ष था। सैद्धांतिक रूप से वह हमारे देश में समाजवादी आन्दोलन से जुड़े थे। हम बहुत अच्छे मित्र थे।

एक बार उन्होंने मुझसे अपने मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण करने का निवेदन किया। मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए यह संभव नहीं है कि लोक सभा के अध्यक्ष पद का त्याग कर मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य बनूं। वह इतने अच्छे मित्र थे कि मेरे द्वारा उनका आग्रह अस्वीकार करने का उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। हमारी मित्रता पूर्ववत् चलती रही।

श्री चन्द्रशेखर एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे।

यह उनकी दृढ़ता का ही परिणाम था कि वह देश के प्रधानमंत्री बने।

देश की भावी पीढ़ी उन्हें सदैव एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगी।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

---

*आप लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं।

श्री चन्द्रशेखर के बारे में मेरे विचार

*–पवन कुमार बंसल**

चन्द्रशेखर भारतीय राजतंत्र के उत्कृष्ट व्यक्तित्वों में से एक थे। एक दीन किसान परिवार से देश का प्रधानमंत्री बनने की ऊंचाइयों को छूना वास्तव में एक शानदार यात्रा थी, जो चन्द्रशेखर जी ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के प्रति अपनी अडिग वचनबद्धता के साथ गरिमा और शिष्टता के साथ तय की।

चन्द्रशेखर जी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और राजनैतिक सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सदैव स्वस्थ संसदीय परंपराओं को बनाए रखा और सभी राजनैतिक दलों के नेताओं का सम्मान प्राप्त किया। वे वर्ष 1995 में ''उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार'' प्राप्त करने वाले वास्तव में पहले पात्र व्यक्ति थे।

वह जन-साधारण में प्रतिष्ठा रखने वाले नेता थे, जो आम लोगों के कल्याण हेतु अथक कार्य करते रहे। वे मन हरने वाले वक्ता, पैनी दूरदर्शिता और सुधार का उत्साह रखने वाले असाधारण गुणों के धनी सांसद थे। यह सार रूप में श्री चन्द्रशेखर जी के बारे में मेरे विचार हैं।

भारत में भावी पीढ़ियां उन्हें सदैव प्यार और सम्मान के साथ स्मरण करती रहेंगी। भारत के समकालीन इतिहास में उनका निश्चित रूप से गौरवपूर्ण स्थान रहा है।

---

*आप पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं।

भारतीय राजनीति का एकमात्र रखवाला

*–विजय संघवी**

आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या आप मुझ पर अंतहीन दबाव बनाए रखना चाहते हैं। चन्द्रशेखर अप्रैल, 1991 में क्रोध में चिल्ला उठे थे, जब मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है, तो आप प्रधानमंत्री बने रहें। मैं ठीक उनके पीछे चल रहा था, जब वे पद त्यागने की घोषणा करने के बाद लोक सभा चेम्बर से बाहर आ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फरवरी, 1991 में संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मत नहीं देना चाहती थी। उन पर लोक सभा को स्थगित करने को कहने के स्थान पर प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाले रखने का दबाव डाले जाने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। संसद सदस्य के रूप में, उनकी योग्यता उनकी टिप्पणी में प्रतिबिम्बित होती है कि प्रस्ताव पारित न होने का अर्थ है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपमानित होना और वह इसकी बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय को त्याग देंगे।

उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय का भार संभालने के दिन से ही विशेष राजनैतिक परिस्थितियों की सतत् जानकारी थी। कई लोगों ने उन्हें पद स्वीकार करने के लिए समझाया, हालांकि जनता दल से विघटन के बाद उनकी पार्टी के पास पद बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी। उनकी नई पार्टी में केवल 54 सदस्य होने के बावजूद उन्हें सरकार के लिए एक साल तक समर्थन का वायदा प्राप्त हो गया था। वास्तव में, विघटन भी तभी हुआ था जब चन्द्रशेखर ने यह स्वीकार किया था कि वह शासन व्यवस्था को पुनः दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, जो पिछले सरकार के मंडल कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के अचानक निर्णय से राष्ट्र को अचम्भित करने के कारण गड़बड़ा गई थी। देश के विभिन्न भागों में कई युवाओं द्वारा आत्मदाह करने के कारण भड़क उठी आग ने देश को अव्यवस्था की ओर धकेल दिया था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था। उच्च पद पर बैठा वह व्यक्ति जानता था कि वह अकेला स्थिति पर नियंत्रण पा सकता था।

उनकी पार्टी के पास अपेक्षित संख्या न होने के बावजूद, जब उन्होंने पद भार ग्रहण करने की सहमति दी, तो बहुत आलोचना हुई थी। इसके अतिरिक्त, यह खतरनाक कार्य हाथ में लेने से पहले उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने स्वयं को ब्लैकमेल होने देने की बजाय वास्तव में तब सत्ता को त्याग दिया, जबकि उन पर अपना निर्णय छोड़ देने पर पुनः विचार करने के लिए अत्यधिक दबाव था, फिर भी उनकी सराहना नहीं हुई। उन्होंने व्यवस्था को पुनः दुरुस्त करने के लिए पांच माह से भी कम समय में वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे।

उन्होंने प्रायः स्वीकार किया कि वह निश्चित नहीं थे कि उन्हें कौन सी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए। कई वर्षों से, उन्हें सत्ता की सीट के प्रस्ताव आ रहे थे। उन्हें मोरारजी देसाई के अधीन 1977 में जनता पार्टी सरकार में महत्वपूर्ण पद मिल सकता था। तथापि, उन्होंने सरकार में कोई भी पद लेने से इंकार कर दिया, चूंकि वह मानसिक तौर पर शासनाध्यक्ष को अपने नेता के रूप में स्वीकार करने

*पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक।

के लिए तैयार नहीं हो पाए थे। एक अन्य अवसर पर, उन्होंने कठोरता से कहा था कि वह ऐसी सरकार का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री के साथ उनके बुनियादी मतभेद हैं? वह सरकार को कमजोर नहीं कर सकते।

उनका असमंजस तब उभरा जब उन्होंने यह समझ लिया कि जिस तरह नेहरू ने अपनी सरकार की झूठी राह बनाई है, वह महात्मा गांधी द्वारा दर्शायी राह से बहुत अलग है। वर्ष 1977 में बीबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने महसूस किया कि महात्मा गांधी के साथ विश्वासघात किया गया था। उनके आदर्शों को अलग तरह का नीतिगत ढांचा बनाकर सरकार के हितों को मजबूत करने के लिए दरकिनार कर दिया गया था। उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि स्थापना की दीवारें इतनी ऊंची होंगी कि उच्च पदस्थ व्यक्ति सुरक्षा कवच के बाहर धरातल पर व्याप्त कड़ी वास्तविकताओं को सुन, देख और महसूस नहीं कर पाएगा। जमीनी हकीकतों की इसी समझ ने ही उन्हें भूमिका को स्वीकार करने योग्य बनाया ताकि वह एक दोषनिवारक (शोधक) बल बन सकें और सत्ताधारी लोगों का एक साथी बनने की बजाय, उन पर अधिक प्रभाव डाल सकें।

आचार्य नरेन्द्र देव, जिन्होंने उन्हें अपनी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय से बाहर आकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिए चुना, के संरक्षण ने उनमें एक संवेदनशील राजनैतिक मानस विकसित किया। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव सृजनात्मकता के प्रति संवेदनशील थे, इसलिए साम्यवाद को नहीं अपना सके। उनके लिए एक ही रास्ता खुला था कि वह समाज को ऐसा निवास-स्थान बनाएं, जहां सृजित संपत्ति के उचित वितरण के साथ सामाजिक-आर्थिक समानता हो। धनवान व्यक्तियों, जो सामान्यतः अपने देय करों द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हैं, को छोड़कर सभी का स्वास्थ्य, खुशहाली और सामान्य कल्याण उनका आदर्श था। वह कांग्रेस की राह को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि वह देख सकते थे कि नेहरू सरकार द्वारा अपनाए गए नियामक आर्थिक रवैये के बावजूद पूंजीपति निरंकुश थे। उन्होंने एकाधिकार और प्रतिबंधित लेन-देन व्यवहारों की वृद्धि पर साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में घोर निंदा की, जिसके कारण वर्तमान नीतिगत ढांचे के बावजूद कुछ एकाधिपत्य घराने समृद्ध बन गए। उनका तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ मतभेद हो गया किन्तु वे अपनी बात पर इस कदर डटे रहे कि इंदिरा गांधी सरकार को मजबूर होकर हजारी आयोग को उनके आरोपों की जांच करने को कहना पड़ा।

राज्य सभा में उनके संघर्षों, उनके सुव्यवस्थित और सुस्पष्ट प्रस्तुतीकरण ने उन्हें सभी ओर काफी प्रसिद्धि दिलवाई, क्योंकि वे बहुसंख्यक लोगों द्वारा महसूस की गई बात को बोल पाते थे। राज्य सभा में उनके वाद-विवाद ने उत्कृष्ट संसद सदस्य के रूप में उनकी विशेष योग्यता को उजागर किया था। वास्तव में ऐसा हुआ कि यहां तक कि मोरारजी देसाई भी, जब चन्द्रशेखर को बोलना होता था, तो उस अवसर पर सभा में कभी भी अनुपस्थित नहीं रहते थे। उनकी हिन्दी में अभिव्यक्ति इतनी अद्‌भुत थी कि हिन्दी भाषी अन्य संसद सदस्य भी चाहते थे कि कांश वे भी उसी तरह के शब्दों का चुनाव कर पाते, जिनका कि चन्द्रशेखर जी आसानी से कर जाते थे।

इंदिरा गांधी और उनके बीच राजनीति की संकल्पना और उसके उद्देश्य में तीखे मतभेद के बावजूद, वे अगस्त 1969 में, जब वे अध्यक्ष के चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन पर कांग्रेस संसदीय बोर्ड में हार गईं थीं, तो उनके साथ थे। उन्होंने उन्हें समझाकर त्यागपत्र देने से रोका। बल्कि उन्होंने पार्टी में पुराने दक्षिणपंथी समूह से संघर्ष करने के लिए तैयार किया। उन्होंने उनके चुनाव अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया, किन्तु उन्हें कोई भ्रम नहीं था कि वह अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने का इरादा रखती हैं।

जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया और जब अपने व्यक्तिगत राजनीतिक संकट से निबटने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया, तो चन्द्रशेखर अपने नैतिक बल के कारण अकेले उनके पद त्याग की मांग पर डटे रहे। जिन ताकतों ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, वे उनके साथ नहीं रहे और जीवन-पर्यन्त उनसे दूर ही रहे, यद्यपि उन्हें भी उसमें शामिल करने का प्रयास होता रहा। उन्हें पता था कि दल में उनके लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि अधिकांश बड़े नेताओं द्वारा उन्हें तबाही मचाने वाला समझा जाता था। अत:, उन्हें दल में रखने पर किसी को भी खुशी नहीं होती।

उन्हें भारतीय इतिहास और विद्यमान स्थितियों की जानकारी थी। उनके अंदर कुछ करने का जुनून था, परन्तु वे एक अच्छे संगठनकर्ता नहीं थे, अत: वे अकेले चलना ही पसन्द करते थे एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि आपके पास बहुत सारे लोगों के होने का अर्थ है कि आपको उन लोगों की आवश्यकता और लिप्सा को पूरा करने के लिए समझौता करना पड़ेगा। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले अधिकांश नए लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए आते हैं न कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यहां तक कि जब उनके मित्र विभिन्न कारणों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते थे, तब भी वे उनसे अपनी मित्रता प्रगाढ़ रूप से निभाते थे। वे उन लोगों से सार्वजनिक रूप से मिलते थे और मित्रों के प्रति उनकी सार्वजनिक निष्ठा के प्रतिकूल प्रचार के लिए उनकी निन्दा करते थे। शासक और शासित के बीच भारी अंतर महसूस करने के कारण उन्होंने जनवरी से जून, 1983 तक छह महीने में कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक लगभग चार हजार कि.मी. की लम्बी पदयात्रा की। वे लोगों की उम्मीद के एक नेता के रूप में उभरे, परन्तु विपक्षी निर्वाचित सभा में जाने के लिए सहमति देकर बहुत जल्दी ही नीरस राजनीति में डूब गए। वे 1984 के लोक सभा चुनावों में हार गए। उन्होंने राज्य सभा में आने से भी मना कर दिया। उनका केवल यही उत्तर था कि जब लोग उन्हें वापस भेजने का निर्णय लेंगे, वे तभी संसद में जायेंगे।

इंदिरा गांधी उनके गुणों, उनकी नैतिकता और मुद्दों पर साहसी रुख अपनाने के लिए उनका आदर करती थीं, परन्तु उन्हें कभी नहीं पता चल पाया कि चन्द्रशेखर की स्वतंत्रता की भावना के कारण उन्हें कैसे काबू में किया जाए? फिर भी, श्रीमती गांधी अपने शिविर में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में, उन्हें ही कोई भी कार्य सौंपने में विश्वास रखती थी, जैसा कि कई अवसरों पर देखा जा सकता है। आपातकाल के दौरान लम्बे समय तक पटियाला सेन्ट्रल जेल की काल-कोठरी में सजा काटने के बावजूद उनका इंदिरा गांधी के प्रति कटु रवैया नहीं रहा। वास्तव में, जब 1977 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की हार के बाद, मोरारजी देसाई उन्हें समुचित आवास नहीं देना चाह रहे थे तो चन्द्रशेखर ने इसका विरोध किया था। जब चरण सिंह ने इंदिरा गांधाी को नाटकीय आधार पर जेल भेज दिया, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में चरण सिंह से कहा, ''वे एक राजनीतिक विरोधी हैं न कि देश की शत्रु हैं।'' चन्द्रशेखर ने जब ब्रिटेन के नाटककार नोएल कावर्ड के भारत दौरे के दौरान उन्होंने उनके सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में श्रीमती गांधी को आमंत्रित किया तो उन्होंने भी इसे स्वीकार किया था।

वे जनता पार्टी के प्रथम और अंतिम अध्यक्ष थे क्योंकि तीनों अनुभवी नेता इस महत्वपूर्ण पद के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। यहां तक कि देसाई सरकार के देने त्यागपत्र के बाद सरकार का नेतृत्व करने हेतु जगजीवन राम उनकी पसन्द नहीं थे, फिर भी, तुच्छ आधारों पर

जगजीवन राम के सरकार बनाने के दावे को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने जब अस्वीकार कर दिया तो चन्द्रशेखर नाराज हो गए थे। यहां तक कि उन्होंने इसके विरोधस्वरूप विजय चौक पर अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मोर्चे का नेतृत्व किया था। जब कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में, राजीव गांधी को बर्खास्त करने की मांग हुई तो उन्होंने राष्ट्रपति जैल सिंह को इस पर कार्यवाही न करने की सलाह दी थी। उन्होंने जैल सिंह से कहा, ''इस षड्यंत्रकारी राजनीति से आप न केवल प्रधानमंत्री का पद बल्कि संविधान को भी बर्बाद कर देंगे।'' राष्ट्रपति की शक्तियों में ऐसे कृत्यों हेतु कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। राष्ट्रपति ने उनकी इस सलाह का आदर किया।

शक्ति संरचना से बाहर अपनी मुख्य स्थिति के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बोलने की क्षमता पर लगाई गई सीमाओं से निपटने के लिए सन् 1967 में उन्होंने ''यंग इंडियन'' नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की, जिसे ''चन्द्रशेखर द्वारा लिखे गए संपादकीय'' के माध्यम से उनकी राजनीतिक विषय-वस्तु के लिए काफी लोगों द्वारा पढ़ा जाता था। उन्होंने इसे 1997 में पुनः प्रारंभ किया। वाक्यों और शब्दों में परिवर्तन के कुछ प्रयासों से, वे जो कुछ कहते थे उसे गंभीर अर्थ प्रदान कर देते थे। यद्यपि उनकी पसंदीदा भाषा हिन्दी थी, तथापि अंग्रेजी पर भी उनकी समान रूप से मजबूत पकड़ थी। उनके पास चुटकुलों और लोक कहानियों का भंडार था और अवसरों के अनुरूप किसी भी एक को कह देने की क्षमता थी। जब वे केन्द्रीय कक्ष में होते थे, तो उनके आस-पास जितने मीडियाकर्मी आकर्षित होते थे उतना किसी अन्य नेता के लिए नहीं होते थे। उनके साथ ये मुलाकातें भारतीय राजनीति, राजनीतिक चालों की सही प्रकृति और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को समझने के अध्याय थे। परन्तु मीडियाकर्मियों की युवा पीढ़ी उनकी राजनीति, आचरण और इससे संबंधित नीति-विषयक तथ्यों को मुश्किल से समझ पाते थे। ये मीडियाकर्मी सिर्फ ''हां'' या ''नहीं'' में उत्तर चाहते थे। चन्द्रशेखर ने सन् 1987 में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन अलग तरीके से किया था। वे विपक्षी समूहों के निर्णय लेने वाले निकायों में सीटों के बंटवारे के लिए खेल का हिस्सा नहीं बन सके। उनके अनुसार यह एकता का प्रतीक न होकर सत्ता लिप्सा का लक्षण मात्र था।

मीडिया उनके साथ असहज थी, क्योंकि मीडिया द्वारा बताए गए नेता की परिभाषा को वह स्वीकार नहीं करते थे। मीडिया एक नेता की उनकी परिभाषा जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी। उनका सदैव मानना था कि जो व्यक्ति लोगों को प्रेरित कर सके वही एक नेता हो सकता है और इस परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने महात्मा गांधी को एक नेता के रूप में स्वीकार किया।

वे, वास्तव में, साहसी और उदार व्यक्ति थे। इतिहास और मानवीय दशाओं की गहन अनुभूति ने उन्हें विद्यमान दशाओं और इसके संभावित परिणाम को जानने के लिए दुर्लभ अंतर्दृष्टि प्रदान की। वह अपने सिद्धांतों से चेष्टापूर्ण समझौता नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अपनी इच्छा के अनुरूप अपना अनुयायी वर्ग नहीं जुटा पाते थे। वे अपने मित्रों के साथ बने रहे परन्तु उन्हें सत्ता में रहते हुए अथवा सत्ता से बाहर रहते हुए अनुचित लाभ नहीं उठाने दिया। उन्होंने सन् 1970 में केन्द्रीय निर्वाचन समिति हेतु एक सीट के लिए चुनाव लड़कर और जीतकर कांग्रेस हाईकमान की शक्ति ग्रहण की। अधिकांश नेता उनके प्रशंसक थे परन्तु कुछ ही उनके नज़दीक आने की हिम्मत करते क्योंकि उन्हें पता था कि वे उन्हें दूर रहने के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं।

जब कभी संसद में हंगामा शुरू हो जाता था, तो वे इसमें हस्तक्षेप करने की अपनी इच्छा को कभी भी नहीं रोक सके। सदन में व्यवधान के परिणामस्वरूप उत्पन्न विवाद पर उनके विचार को सुनने

के लिए लोग अक्सर इतने उत्सुक थे कि उनका अपने सीट से खड़े होना ही स्थिति को बहाल करने के लिए पर्याप्त होता था। बाद के वर्षों में यद्यपि, वे इस डर से हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं रखते थे कि लोक सभा में आई नई पीढ़ी उनकी बात में हस्तक्षेप करेगी। वे इस बात से खुश नहीं थे कि सदन के अंदर की कार्यवाही कम महत्वपूर्ण और अधिक शोर-शराबेदार बनती जा रही है, क्योंकि विपक्ष के कई सदस्य प्रश्नकाल तक को भी स्थगित करने के लिए उकसाते थे जबकि यही वह समय था जिसको सरकारी निकायों में दबा दी गई सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार से जिरह करने में प्रयोग किया जा सकता है।

जब कांग्रेस पार्टी ने राज्य सभा में समर्थन प्राप्त किया, तो उसने जनता पार्टी के नेताओं के संबंधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग करने के लिए लोक सभा में एक संकल्प पेश नहीं करने का निर्णय लिया, तो चन्द्रशेखर ने एक संक्षिप्त भाषण दिया, जो स्मरणीय है, क्योंकि यह उन्होंने दिल से बोला था क्योंकि कांग्रेस पार्टी पराजय को आमंत्रित नहीं करना चाहती थी। उसने राजनीतिक द्वंद्व जीत लिया था, परन्तु जैसा कि चन्द्रशेखर ने कुछ शब्दों में कहा, ''कांग्रेस पार्टी ने नैतिक आधार खो दिया है क्योंकि उसका कदम नैतिक राजनीति का नहीं था। शायद, वे सदैव भूल जाते थे कि अन्य लोग नैतिक संघर्ष के लिए राजनीति में नहीं हैं। यहां तक कि अधिकांश लोग, जिन्होंने उनके साथ जोखिमपूर्ण यात्रा प्रारंभ की थी, उनके साथ नहीं रहे क्योंकि वे उन्हें सत्ता का कोई पद नहीं दे सके। वे उनसे केवल भारतीय राजनीति के ऊबड़-खाबड़ और पथरीले रास्ते पर चलने की मांग ही कर सकते थे। परन्तु वे अपनी राजनीतिक कुशाग्रता और संसदीय दक्षताओं की अमिट छाप छोड़ गए। निश्चित रूप से, वे ''एकमात्र संरक्षक'' थे परन्तु उनके कदमों की आहट मीलों दूर से सुनाई पड़ती थी। वे सत्ता के नेता नहीं थे। नि:सन्देह वे एक दूरदृष्टा थे।

सतत संघर्षशील चन्द्रशेखर#

*–नर्वदेश्वर राय**

संसद में अपने सार्वजनिक जीवन का कोई चार दशक से अधिक का समय बिताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर की गणना देश के उन शीर्ष नेताओं तथा वरिष्ठ सांसदों में की जायेगी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति में संसद की चर्चाओं को जीवंत तथा सार्थक बनाया और देश के लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण संस्था की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय हित तथा लोक कल्याण का शायद ही कोई मुद्दा हो जिसे उन्होंने संसद में पूरी गरिमा के साथ नहीं उठाया हो, चाहे वह औद्योगिक घरानों के एकाधिकार का मुद्दा हो या विदेशी पूंजी के निर्बाध प्रवेश या सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र के विस्तार तथा उसे अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बनाने का, चन्द्रशेखर इसे संसद के भीतर उठाने और उस पर जीवंत तथा सार्थक चर्चा कराने से कभी पीछे नहीं रहे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति और आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्र के लिए एम.आर.टी.पी. जैसा कानून बनवाने, संसद के भीतर तथा बाहर उनकी सक्रियता का ही परिचायक रहा। नरसिंह राव के शासनकाल के शुरू में जब इस कानून को समाप्त किया गया तब उन्होंने लोक सभा में अपने मित्र तथा वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आड़े हाथ लेते हुए कहा था – प्रणब मुखर्जी आपको हो क्या गया है, आर्थिक क्षेत्र के लिए जिन नीतियों, कार्यक्रमों तथा कानूनों को हमने और आपने मिलकर बनवाया था, उन्हें एक-एक कर आर्थिक सुधार का सब्जबाग दिखाकर खत्म किया जा रहा है और आप चुप बैठे हैं। दरअसल चन्द्रशेखर आर्थिक सुधारों तथा विदेशी पूंजी निवेश के विरुद्ध नहीं थे किन्तु वह इस पर काफी सतर्कता रखने और सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र के महत्व को बनाए रखने के पक्षधर थे, वह बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश अपने देश की शर्तों पर चाहते थे। वह अपने घरेलू बाजार को अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुला छोड़ देने और उपभोक्ता के हितों को नजरअंदाज कर देने के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें आशंका थी कि यह देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

चन्द्रशेखर 1962 में राज्य सभा के लिए चुनकर आए थे। उनके पहले ही भाषण को सुनकर, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोगी विदेशी उप-मंत्री दिनेश सिंह से पूछा था कि यह दाढ़ी वाला युवक कौन है? दिनेश सिंह ने उन्हें बताया था कि यह बलिया से आए चन्द्रशेखर हैं। चन्द्रशेखर एक ओजस्वी वक्ता थे और वह अपनी बात तर्क तथा ओजपूर्ण ढंग से रखने में माहिर थे। इससे जल्दी ही उन्होंने सदन में अपनी पहचान बना ली थी। राष्ट्रीय हित तथा देश की अखंडता की रक्षा की बात आने पर वह कभी पीछे नहीं रहते थे। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से युद्ध के नेता जैसा रुख अपनाने की अपील की थी।

उन्हीं दिनों, एक बार राज्य सभा में द्रविड मुन्नेत्र कषगम के संस्थापक नेता एन. अन्नादुरई ने अपने एक भाषण में कह दिया कि इस देश के हर नागरिक का यह नैसर्गिक अधिकार है कि वह इस देश

#मूल हिन्दी में

*आप एक पत्रकार हैं।

से अलग हो सके। उनके इस कथन को तत्काल चुनौती देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी तथा चन्द्रशेखर ने किया था और इस चर्चा का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय बाद द्रमुक को अपने पृथकवादी संविधान को बदलकर देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा की शपथ लेनी पड़ी थी।

1968 में चन्द्रशेखर ने देश के एक औद्योगिक घराने के एकाधिकार तथा सरकारी नियमों, कानूनों की अनदेखी कर पूंजी बनाने की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की मांग की थी। सदन में इस मसले पर जोरदार चर्चा हुई। चर्चा में हस्तक्षेप तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था और उत्तर तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने दिया था। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया किन्तु श्री देसाई के जवाब को लेकर चन्द्रशेखर ने दूसरे दिन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया जिसे लेकर उस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस संसदीय पार्टी में चन्द्रशेखर को पार्टी से निकालने की मांग शुरू हो गयी। आनन-फानन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुला ली गयी किन्तु कार्य समिति के एक वरिष्ठ सदस्य की इस सलाह पर कि कार्रवाई की स्थिति में संसद के विशेषाधिकार का सवाल आ जाएगा, पार्टी को पीछे हटना पड़ा था। इससे पहले चन्द्रशेखर खेद व्यक्त करने से इंकार कर चुके थे। अंत में यह मामला श्रीमती गांधी से श्री चन्द्रशेखर की भेंट के बाद समाप्त हुआ।

भारतीय संसद पर वाजपेयी सरकार के समय में आतंकवादी हमला हुआ। संसद के दोनों सदनों में इस पर दो दिन की चर्चा हुई और सरकार ने ''आर-पार'' की लड़ाई की घोषणा कर सीमा पर सेना की तैनाती शुरू कर दी। चन्द्रशेखर लोक सभा में अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने लड़ाई का विरोध किया। उनके भाषण के दौरान भारी टोकाटाकी हुई जिस पर कांग्रेस के प्रियरंजन दासमुंशी सहित कई सदस्यों ने आपत्ति की। दूसरे दिन चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि चन्द्रशेखर जी ना पक्ष में हैं ना विपक्ष में, लेकिन जब-तब वह ऐसी बातें कह देते हैं जिनसे अपना ही नुकसान हो जाता है। उनके कल के भाषण को सुनकर मुझे महाभारत के एक चरित्र ''शल्य'' की याद आ गयी। शल्य कर्ण का सारथी था किंतु तारीफ अर्जुन की युद्धकला की किया करता था।

अपने संसदीय जीवन में श्री चन्द्रशेखर का कई बार कई व्यक्तियों से टकराव हुआ, किन्तु उन्होंने इसका असर कभी अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों पर नहीं पड़ने दिया। वह अपनी बात बेखौफ तथा बेबाक ढंग से रखते और कभी-कभी खरी-खोटी भी सुना दिया करते थे। उन्हें धारा के विपरीत चलने वाला नेता करार दिया जाता था। अपनी बात कहते समय, वह अधिक नाराज होने पर सदस्यों को डांट-फटकार भी दिया करते थे, लेकिन सदन का हर सदस्य उनकी बात काफी ध्यान से सुनता और उन पर इसका असर भी होता था। उनका प्रभामंडल बड़े से बड़े राजनेता से कम न था।

एक बार जार्ज फर्नांडीस ने 1971 के बंगलादेश के युद्ध के समय का गृह मंत्रालय के एक ''सरकुलर'' का हवाला देकर कांग्रेस सदस्यों को असहज करने का प्रयास किया, तब चन्द्रशेखर ने उन्हें रोका और उन्हें कोई नया विवाद नहीं खड़ा करने की सलाह दी। उन्होंने यही सलाह कांग्रेस सदस्यों को भी दी। इस पर तुरन्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने खड़े होकर कहा कि चन्द्रशेखर जी की हर बात का समर्थन करना तो मुश्किल है किन्तु मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। पहले से ही अनेक विवादों से घिरे देश में कोई नया विवाद नहीं पैदा किया जाना चाहिए।

चन्द्रशेखर संसदीय व्यवहार में मर्यादा बनाए रखने तथा संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के पक्षधर थे। वह लोक सभा की आचार समिति के अध्यक्ष भी थे। वह एक या दूसरे सवाल को लेकर आए दिन संसद को ठप्प करने तथा उसका मूल्यवान समय नष्ट करने के सर्वथा विरोधी थे। एक बार एक वरिष्ठ मंत्री के बैठे-बिठाये कुछ टिप्पणी करने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति की और कहा कि अध्यक्ष महोदय, इन्हें संसदीय आचरण का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। विपक्ष के किसी सदस्य ने अगर किसी मंत्री के विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दिया तो वह तुरन्त ही उसे भी कार्यवाही से निकालने और मंत्री ने अगर अच्छा काम किया हो तो उसकी तारीफ करने में पीछे नहीं रहते थे।

एक बार एक वकील मंत्री के भाषण पर उन्होंने कहा कि मंत्री को यह सोचकर बोलना चाहिए कि यह अदालत नहीं है, संसद है, जिसके अपने नियम तथा परम्पराएं हैं जिनके पालन की अपेक्षा की जाती है।

एक बार विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी के यह कह देने पर कि आपातकाल में जेल से निकलने के लिए लोगों ने पत्र लिखकर माफियां मांगी, चन्द्रशेखर खड़े हो गए और उन्होंने दो टूक कहा कि विपक्ष की नेत्री के पास अगर इस बात का कोई सबूत हो तो वह पेश करें अन्यथा इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिएं। संसद की मर्यादा के वे इतने कायल थे कि एक बार वह संसद तथा उसके सदस्यों के विरुद्ध एक अदालत की टिप्पणी पर काफी नाराज हो उठे और उन्होंने तुरन्त कार्रवाई की मांग कर दी। अध्यक्ष के यह कहने पर कि हमें न्यायसंगत रुख अपनाना चाहिए, उन्होंने कहा कि अब न्यायसंगत रुख के लिए रह क्या गया है।

चन्द्रशेखर संसद के भीतर या बाहर टकराव की राजनीति करने के विरुद्ध थे और वह देश की ज्वलंत समस्याओं पर आपसी सहमति तथा मिल-जुलकर काम करने के पक्षधर थे। संसद के भीतर जब कभी टकराव तथा गतिरोध की स्थिति आयी वह उसे बचाने का प्रयास करते रहे। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन चला और श्रीमती गांधी से उनके टकराव की स्थिति आयी, तब उन्होंने दोनों नेताओं के टकराव को टालने तथा उनके बीच समझौता कराने का निजी प्रयास किया था। यद्यपि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्हें स्वयं जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल से निकलने के बाद, श्री चन्द्रशेखर किसी प्रकार की कटुता लेकर नहीं आए।

1977 में, सत्ता पक्ष में आने और 1979 में फिर विपक्ष में जाने के बाद भी श्री चन्द्रशेखर का रुख श्रीमती गांधी के प्रति पहले जैसा ही बना रहा। उन्होंने आपसी सम्बन्धों में कड़वाहट नहीं आने दी। 1980 के बाद, चाहे असम की समस्या हो या पंजाब की, श्रीमती गांधी ने जब कभी उन्हें सलाह के लिए बुलाया, उन्होंने उनके पास जाकर अपनी राय दी। 1984 के बाद उनके रुख में कुछ परिवर्तन जरूर आ गया था। अपने राजनीतिक जीवन में दो बार केन्द्र में मंत्री का पद ठुकराने वाले चन्द्रशेखर को 1990 में असाधारण परिस्थिति आने पर सीधे प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करना पड़ा। कभी प्रशासन का अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने एक मंझे हुए प्रशासक की तरह अपना काम शुरू कर दिया। वह जब प्रधानमंत्री बने तब देश के नब्बे शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ था तथा परिस्थिति काफी अशांत एवं तनावपूर्ण थी किन्तु थोड़े ही दिनों में उन्होंने इस पर नियंत्रण पा लिया। प्रशासन पर उन्होंने अपनी पकड़ बना ली तथा शासन अच्छे ढंग से कुशलता के साथ चलाया। किंतु समर्थक दल द्वारा एक के बाद दूसरी कठिनाइयां खड़ी करने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर लाख प्रयास करने पर भी उन्होंने

दुबारा शपथ लेने तथा सरकार बनाने से इंकार किया। उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते 21 मई, 1991 को 1984 जैसी स्थिति फिर आयी, किन्तु उन्होंने उसे संभाल लिया और दिल्ली पर या देश के किसी अन्य स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी। उन्होंने अपने शासन के थोड़े ही दिनों में अयोध्या समस्या पर दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाकर इसके हल का गंभीर प्रयास शुरू कर दिया था। उन्हें अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो संभवत: यह समस्या हल हो गयी होती।

चन्द्रशेखर ने 1964 में अशोक मेहता के नेतृत्व में देश के अन्य समाजवादी नेताओं के साथ कांग्रेस से जुड़ने के बाद अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, लेकिन नयी पार्टी में भी उन्होंने अपनी जगह जल्द ही बना ली थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के समाजवादी दृष्टिकोण वाले सांसदों का एक अच्छा खासा गुट तैयार हो गया था, जो आर्थिक सवालों पर सरकार पर दबाव बनाने का काम करने लगा था। अखबार वालों ने इस गुट को ''युवा तुर्क'' नाम दिया और कुछ राजनीतिज्ञों ने असहमति की आवाज उठाने वाला गुट कहना शुरू किया। इस बात की जानकारी कुछ ही लोगों को होगी कि 1969 में बंगलूर के कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ''स्फुट विचार'' का आधार जो दस्तावेज बना था, उसे चन्द्रशेखर तथा उनके साथी मोहन धारिया, कृष्ण कांत तथा रामधन ने तैयार किया था। कांग्रेस के विभाजन के बाद चन्द्रशेखर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने और 1972 में कांग्रेस महासमिति के शिमला अधिवेशन में हाईकमान की राय के विरुद्ध चुनाव लड़कर कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति के सदस्य चुन लिए गए थे। शिमला के इस चुनाव में, हाईकमान का एक अधिकृत प्रत्याशी पराजित हो गया था। 1973 में कलकत्ता में उन्होंने कार्य समिति के निर्वाचित सदस्यों के रूप में चुने जाने में सफलता प्राप्त की थी। इन दोनों चुनावों से राजनीतिक क्षेत्रों में उनके तथा श्रीमती गांधी के बीच विवाद की बात चलने लगी थी किन्तु चन्द्रशेखर के मन में ऐसी कोई बात नहीं रही। वह बराबर इसका प्रतिवाद करते रहे।

श्री चन्द्रशेखर चाहे जिस किसी पार्टी में रहे हों, अपनी बात साफगोई से बेबाक ढंग से रखने के बराबर आदी रहे। किसी को उनकी बात अच्छी लगे या बुरी वह बातें अपने ढंग से कह देते थे चाहे उसके चलते उनका राजनीतिक नुकसान ही क्यों न होता हो, वह अपनी बात राजनीतिक नफ़ा-नुकसान की दृष्टि से नहीं बल्कि परिस्थितियों के अपने आकलन से अपने विवेक के हिसाब से कहा करते थे। उनकी साफगोई ने हर जगह उनका मित्र तथा शुभचिंतक बनाया था। देश का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं रहा, जहां उनके मित्र तथा शुभचिंतक नहीं रहे हों। उनके 75वें जन्मदिन पर दिल्ली के विज्ञान भवन में उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा एक पूर्व राष्ट्रपति से लेकर हर दलों के नेता एकत्र हुए थे। सबने उनके राजनीतिक गुणों तथा उनकी सूझबूझ की सराहना की थी। श्री वाजपेयी ने चुटकी ली थी कि मेरे मित्र कभी-कभी अपनी सरकार की भी आलोचना कर लिया करते हैं और मेरा भी इस्तीफा मांग लेते हैं। चन्द्रशेखर ने उसके उत्तर में कहा था कि आपका इस्तीफा मन से नहीं मांगता किन्तु आपका नेतृत्व परापेक्षी नहीं है, उठिए और परिस्थितियों को नियंत्रित कीजिए। संसद आए दिन ठप्प रहे और दूसरे आपको रास्ता दिखायें, यह ठीक नहीं है। स्व. प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इस अवसर पर कहा था कि चन्द्रशेखर किसी पद पर रहें, नहीं रहें, इस बात का उतना महत्व नहीं जितना कि उनकी उपस्थिति का। उनकी उपस्थिति हमारी राज्यवस्था (पोलिटी) को स्थिरता प्रदान करती है। पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन ने भी चन्द्रशेखर के नेतृत्व तथा उनकी प्रशासनिक क्षमता की सराहना की थी। चन्द्रशेखर ने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली की महत्वपूर्ण पदयात्रा की थी और इसके जरिए उन्होंने सभी के लिए पेयजल,

स्वास्थ्य सुविधा, गर्भवती महिलाओं के कुपोषण, साम्प्रदायिक सौहार्द तथा आदिवासियों और दलितों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया था।

चन्द्रशेखर एक युगान्तकारी पुरुष थे, उनके जाने से निश्चिय ही हमारे देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत हो गया। उनके जीवन से काफी कुछ सीखा जा सकता है। बिना लाग-लपेट के साफगोई के साथ अपनी बात रखने वाला एक व्यक्तित्व हमें अपनी याद हमेशा दिलाता और देश तथा समाज के हित में दलीय भावना से ऊपर उठकर काम करने की प्रेरणा देता रहेगा।

श्री चन्द्रशेखर - एक प्रधानमंत्री के रूप में : एक संस्मरण

*–डॉ. बी.एल. शंकर**

स्व. प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर सहित हमारे कुछ उत्कृष्ट राजनेता छात्र आन्दोलन की देन हैं। भारत में छात्र आन्दोलन वस्तुत: अरुण जेटली, सीताराम येचुरी, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश कारत आदि जैसे अनेक समकालीन नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण स्थली रहा है।

भारत में चौथे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दो प्रधानमंत्री अर्थात् विश्वनाथ प्रताप सिंह और चन्द्रशेखर, एक अंतरिम प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा उनके केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों और अन्य प्रतिष्ठित राजनेताओं ने शिक्षा प्राप्त की है। पटना विश्वविद्यालय जे.पी. आन्दोलन (1974) का केन्द्र था, जहां से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे समकालीन नेताओं का उदय हुआ।

यदि हम मौजूदा भारतीय राजनीति के संदर्भ में सोचें तो क्या निकट भविष्य में ऐसे नेताओं का उदय होने की कोई संभावना है।

यह एक विडम्बना है कि वर्तमान में भारत में छात्र राजनीति लड़खड़ा रही है और पूर्णत: निष्क्रिय और सिद्धांत रहित बन गई है। एक ऐसा समय था, जब छात्र राजनीति ने देश को स्वतंत्रता सेनानी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा दूरदर्शी और दृढ़ सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति दिए।

इस संदर्भ में, मैं प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के साथ बिताए गए समय के संस्मरणों का उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रशेखर, जिन्हें अपने दृढ़ निश्चय और साहस के लिए ''युवा तुर्क'' कहा जाता था, ने व्यक्तिवाद की राजनीति तथा उदारवाद की नीति का दृढ़तापूर्वक विरोध किया जो कि उनकी सामाजिक विचारधारा को दर्शाता है। उनके द्वारा आदर्शवाद की राजनीति का प्रचार किए जाने और तीव्र सामाजिक परिवर्तन हेतु अनवरत रूप से अभियान चलाए जाने के कारण उन्हें इंदिरा गांधी का विरोध सहना पड़ा। उनके विचार इतने स्पष्ट होते थे कि उनको लेकर उन्हें अपनी पार्टी की नेता स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कोपभाजन बनना पड़ा जिन्होंने उन्हें मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी जैसे विपक्ष के अनेक अग्रणी नेताओं के साथ 1975 में आपातकाल के दौरान कारावास में डाल दिया।

श्री चन्द्रशेखर जी अपने छात्र जीवन के दौरान ही राजनीति की ओर आकृष्ट हो गए थे और उन्हें आचार्य नरेन्द्र देव और डॉ. राम मनोहर लोहिया से अत्यधिक प्रभावित तेजतर्रार और आदर्शवादी नेता माना जाता था, उनका संसदीय जीवन 1962 में आरंभ हुआ। वह राज्य के संरक्षण में एकाधिकार के विकास के पूरी तरह खिलाफ थे। जब उन्होंने राज्य के संरक्षण में एकाधिकार वाले घरानों की असंगत वृद्धि का विरोध किया तो उनका सत्ता के केन्द्रों के साथ टकराव शुरू हो गया। वह अपनी स्पष्ट वाकपटुता और सुसंगत शैली जिसमें कोई खामी नहीं होती थी, के लिए जाने जाते थे। अवसर आने पर वह कड़ी आलोचना भी करते थे। उनकी इस विशेषता ने 1973–75 के अशांत वर्षों के दौरान उन्हें

*आप पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा), पूर्व मंत्री, कर्नाटक सरकार और पूर्व सभापति, कर्नाटक विधान परिषद हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण और उनके आदर्श विचारों की ओर अधिक आकर्षित किया। वह शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी में विरोध का मुख्य केन्द्र बन गए।

जब वह प्रधानमंत्री बने तो परिस्थितियों की विडंबना और विचारधाराओं के टकराव ने उनके जीवन के साथ एक क्रूर मजाक किया। यह एक ऐसा समय था जबकि देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था तथा विदेशी मुद्रा का भंडार गिरकर संकटपूर्ण स्तर पर आ गया था, जिससे सरकार को मजबूरी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने को गिरवी रखना पड़ा। वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के घोर विरोधी थे, परन्तु उनके कार्यकाल के दौरान देश के सामने पूरी तरह से विश्व बैंक और आई.एम.एफ. से सहायता लेने और उदारीकरण नीति को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

आपातकाल में अपने कारावास के दौरान, उन्होंने अपनी जेल डायरी लिखी जोकि भारतीय राजनीति के कुछ अनुछुए पहलुओं की जानकारी देने के अतिरिक्त साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति है। उनके पत्रकारिता से जुड़े रुझान को दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका ''यंग इंडियन'' (जिसके वह संस्थापक थे), के संपादक के रूप में देखा जा सकता है और उसके संपादकीय को उस समय सबसे अधिक उद्धृत किए जाने वाले संपादकीय का गौरव प्राप्त है।

वह 1960 के दशक के अंत के एक सुधारवादी कांग्रेसमैन थे। उस समय पार्टी की कमान कुछ क्षेत्रीय नेताओं के हाथ में थी, जिनमें से अधिकांश को समाजवाद विरोधी, धनी व्यक्तियों के हितैषी और यथा स्थिति बनाए रखने वाला समझा जाता है।

मैं उनकी तरफ उस समय आकृष्ट हुआ जब भारतीय राजनीति में बदलाव आ रहा था, जब पार्टियां जाति कार्ड (मंडल आन्दोलन के दौरान) अथवा हिन्दू कार्ड (अयोध्या आन्दोलन आरंभ हो चुका था) खेल रही थीं और जब राजनेताओं ने विलासितापूर्ण जीवन जीना आरंभ कर दिया था, वे खुले आम अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहे थे, ऐसे समय भी वह अपनी ग्रामीण जड़ों से जुड़े हुए, जाति और साम्प्रदायिक राजनीति से अलग तथा धनराशि से प्राप्त की जाने वाली किसी भी वस्तु में रुचि न रखते हुए एक पुरानी शैली के गांधीवादी नेता बने रहे।

उनकी इन सभी विशेषताओं को उनकी पदयात्रा के दौरान बार-बार महसूस किया गया। यह एक सर्वाधिक स्मरणीय पल है, जिसे मैं सदैव अपने हृदय में संजोए रखना चाहता हूं। मुझे 6 जनवरी, 1983 से 25 जून, 1983 के दौरान कन्याकुमारी (भारत के सुदूर दक्षिणी भाग) से दिल्ली तक लगभग 4260 कि.मी. लम्बी पदयात्रा के दौरान श्री चन्द्रशेखर जी को जानने का अवसर मिला था। ग्रामीण जनता के प्रति उनका लगाव, देशप्रेम की भावना का महत्व, जनता की कठिन समस्याओं को समझने की तीव्र इच्छा सभी इस पदयात्रा के दौरान पूरी तरह से परिलक्षित हुई।

पदयात्रा के दौरान उनके द्वारा उठाए गए पांच मुद्दे थे:

1. सभी के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा
2. सभी के लिए शुद्ध पेय जल

3. गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण

4. सांप्रदायिक सद्भाव

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का सम्मान

यह एक तरह का विश्व रिकार्ड हो सकता है जिसमें श्री चन्द्रशेखर जी जैसे रुतबे का राष्ट्रीय नेता बिना रूके, बिना बीमार हुए लगातार छह महीने तक चलता रहा और प्रत्येक दिन औसतन 25 किमी की दूरी तय करता रहा। पद यात्रा के पश्चात् उनके द्वारा जन शिक्षा हेतु सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और देश के पिछड़े इलाकों में जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग पन्द्रह भारत यात्रा केन्द्रों की स्थापना से उनकी दृढ़ भावनाओं को आसानी से समझा जा सकता है।

उनके सम्मान में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसदीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों में उन्होंने स्वयं को पुन: स्थापित करने का दायित्व निभाया है। एक कांग्रेसी के रूप में, वह इंदिरा गांधी के प्रभाव से बाहर निकलने की जल्दी में थे किन्तु आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनावों में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तब प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी उम्र बहुत कम थी। उस समय मोरारजी देसाई जैसे राजनेताओं का प्रभुत्व था।

1980 में कांग्रेस की जीत ने चन्द्रशेखर और उनके तरह की राजनीति को सदा के लिए समाप्त कर दिया। जिन समाजवादी आदर्शों का प्रचार करने में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया था वे दु:खद रूप से पुराने लगने लगे थे। राजीव के पास भविष्य का दृष्टिकोण था। बीजेपी हिन्दूवादी विचारधारा पर चलती थी। लेकिन चन्द्रशेखर और उनके दल के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी नीतियों की आलोचना होने लगी थी और उन सभी को उन चीजों के लिए ज्यादा जाना गया जिनमें उनकी रुचि नहीं थी बजाए इसके कि जिन चीजों के लिए वे लड़े। अगले कुछ वर्षों अर्थात् 1989 में उनकी राजनीति का लगभग अंत हो गया जब कांग्रेस के विरोधी के रूप में वी.पी. सिंह ने ध्यान आकृष्ट किया। यह ऐसी भूमिका थी जिसे चन्द्रशेखर ने इंदिरा के कार्यकाल के दौरान बिना पर्याप्त सफलता के निभाया।

पद यात्रा के दौरान मैंने उन्हें अच्छे से जाना, यद्यपि समकालीन इतिहासकार उस समय को अलग तरीके से याद करते हैं, तथापि मेरा सदैव विचार रहा है कि सरलता और व्यवहारिकता के साथ काम करते हुए वह एक अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं उन्हें एक प्रतिष्ठित, परिपक्व और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ के रूप में याद करता हूं जोकि **'नेताओं के नेता'** थे।

मेरे जीवन मे एक ऐसा दौर था जब मैं उन्हें अच्छे से जानता था लेकिन यह मात्र ऐसा व्यक्तिगत संबंध नहीं था जो मेरी भावनाओं को व्यक्त करता हो। ऐसा समझा जाता है कि उनकी मृत्यु से एक युग का अंत हो गया; कि यह एक ऐसी भारतीय राजनीतिक परम्परा को अंतिम विदाई देने का समय है जिसमें हममें से बहुत लोग विश्वास करते हैं — लेकिन जो समाप्त हो गई और मृत हो गई, इसके वादे कभी भी पूर्ण रूप से पूरे नहीं हुए।

श्री चन्द्रशेखर को संसदीय परम्पराओं के कड़े अनुपालन के लिए याद किया जाता है और वर्ष 1995 में उन्हें प्रथम उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।

मुझे उनकी याद आती है। मैं उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी गर्मजोशी और उनके दृष्टिकोण कि कांग्रेस और भाजपा के बीच अंतर है। अब, वह अंतर दूर हो गया है और चन्द्रशेखर भी नहीं रहे।

चन्द्रशेखर : जीवन पर्यंत वैश्वीकरण का विरोध

*–प्रेम सिंह**

मैं चन्द्रशेखर के बहुत निकट नहीं था और विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता था कि वह मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक के रूप में जानते भी थे या नहीं। मगर एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि चन्द्रशेखर मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे बताया गया कि वह मुझसे भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की समस्या पर मैंने तीखे लेख लिखे थे। किन्तु तब मैं उनसे मिल नहीं पाया और फिर वह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्रधानमंत्री के रूप में उनके छोटे से कार्यकाल के पूरा होने के बाद मिला। मुझे याद है मैं उनसे तीन बार अपने वरिष्ठ समाजवादी मित्रों विनोद प्रसाद सिंह, ब्रजमोहन तुफान और राजकुमार जैन के साथ मिला। एक अवसर पर मैंने उन्हें अपने एक मित्र के साथ देखा जिसे अपने शैक्षिक करियर में कुछ समस्याएं आ रही थी। चन्द्रशेखर तुरंत उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। मैं चन्द्रशेखर जी से जब भी मिला, मैंने उन्हें सदैव स्नेही और सबका हितैषी ही पाया जो दूसरों को सुनने और उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मैंने बहुत अवसरों पर उन्हें विशेषकर सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों की सहायता करते हुए देखा।

वह जानते थे कि मैंने अपने बहुत से लेखों और भाषणों में उनके विचारों और कार्यों की आलोचना की थी किन्तु फिर भी मैं जब भी उनसे मिला, अपने प्रति उनमें किसी तरह का संकोच या विद्वेष नहीं पाया। मैंने यह बात अपने पत्रकार मित्र हरि मोहन मिश्रा, जो चन्द्रशेखर के लोक सभा क्षेत्र से ही थे और उनके राजनैतिक निर्णयों की प्रशंसा कम ही किया करते थे, को भी बताई। उन्होंने कहा कि उनके चरित्र की यही विशेषताएं उन्हें बड़ा आदमी बनाती हैं।

युवा समाजवादी पीढ़ी उनके राजनैतिक कदमों से सहमत भले ही न हो मगर उनके विचारों की स्पष्टता और राजनैतिक साहस जो आज भारतीय राजनीति में कम ही दिखाई देता है, की सराहना करते हैं। केवल इतिहास ही यह तय करता है कि नेताओं के व्यक्तित्व की विशेषताओं के आधार पर किसे याद किया जाना चाहिए और किस तरह। इस तरह की विशेषताओं को गहरे ज्ञान के बाद ही आंका जा सकता है। चन्द्रशेखर के राजनैतिक विचार और सरोकार समाजवादी आंदोलन और विचारधारा से प्रभावित थे। उनके विचारों और व्यक्तित्व पर गांधी जी का भी गहरा प्रभाव था। चन्द्रशेखर एक प्रबुद्ध नेता थे। उन्होंने ''संघर्ष'' नामक एक महत्वपूर्ण समाजवादी पत्रिका का भी संपादन किया जिसका प्रकाशन प्रारंभ में उनके राजनैतिक गुरू आचार्य नरेन्द्र देव ने किया था। उन्होंने एक अन्य पत्रिका ''यंग इंडियन'' का संपादन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया। आपातकाल के दौरान अपने 19 माह के कारावास में उन्होंने जेल डायरी लिखी जो ''मेरी जेल डायरी'' शीर्षक से दो भागों में प्रकाशित हुई। उनकी आत्मकथा ''जिंदगी का कारवां'' और अन्य बहुत सी पुस्तकें जिनमें उनके विचार और साक्षात्कार सम्मिलित हैं, का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली द्वारा किया गया है।

*आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

चन्द्रशेखर के लेखकों और पत्रकारों से घनिष्ठ संबंध थे। वह जे.पी. लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव की तरह समाजवाद के सिद्धांतकार न थे और न कभी उन्होंने ऐसा होने का दावा किया। वह समाजवादी विचारधारा के भीतर रहते हुए एक यथार्थवादी राजनेता थे। वह अपनी तरह के एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने लंबे राजनैतिक करियर के दौरान एक लेखक, संपादक और एक नेता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। उनकी वैचारिक क्षमता गज़ब की थी। उन्होंने सदैव निर्धन और दलित लोगों के हित में ही सोचा। वह अपने विद्रोही स्वभाव के कारण ''यंग तुर्क'' के नाम से प्रसिद्ध थे।

उनकी मृत्यु के बाद समाचारपत्रों में नेताओं और पत्रकारों द्वारा की गई टिप्पणियों में उन्हें एक कद्दावर समाजवादी नेता, सांसद, धर्मनिरपेक्ष तथा एक निर्भीक, स्पष्टवादी और दयालु मित्र के रूप में याद किया गया। तथापि, उन्हें दी गई अधिकांश श्रद्धांजलियों में कहीं भी उन्हें वैश्वीकरण, जो नई आर्थिक नीतियों के नाम पर अपने पैर फैला रहा था और उदारीकरण और बाद में नव उदारीकरण के नाम से जाना जा रहा था, के कट्टर विरोधी के रूप में याद नहीं किया गया।

भारत में जब उदारीकरण का प्रथम चरण पूरा होने को था, चन्द्रशेखर ने 9 अगस्त, 2000 को भारत छोड़ो आंदोलन की 58वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्वीकरण की ताकतों के विरोध में ''विकल्प अभियान'' शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने टिप्पणी की ''हमारा देश स्वराज के सपने को भुला कर एक बार फिर आर्थिक दासता की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है जिसके कारण इसकी राजनैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में चली जाएगी। बाजार के माध्यम से देश में प्रवेश करने वाले नव-साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए करो या मरो की स्थिति आ गई है''।

पिछले दो दशकों में, भारत के बाहर और अंदर से नव-उदार शक्तियों का स्पष्ट हमला और तीव्र हो गया है। यदि चन्द्रशेखर आज जीवित होते तो वह इन ताकतों के विरुद्ध और अधिक ताकत के साथ संघर्ष करते। यदि हम नव-उदारवाद के प्रति उनके बेजोड़ एक नए दृष्टिकोण को याद करना भूल जाएं तो चन्द्रशेखर अपने समय के 'अच्छे' नेताओं से किसी भी रूप में अलग नहीं हो सकते हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि राजनीति की मुख्यधारा में कुछ वामपंथी नेताओं से पृथक वह अकेले ऐसी आवाज थे, जो संसद के भीतर और बाहर वैश्वीकरण के विरुद्ध गरजते थे।

जिस मुद्दे पर चन्द्रशेखर वामपंथियों से आगे थे, वह यह है कि वह वैश्वीकरण की आलोचना मात्र पर ही नहीं रुकते थे परन्तु उन्होंने एक संभावित समाधान भी दिया। चन्द्रशेखर नवीन आर्थिक नीतियों के विकल्प के रूप में गांधीवादी आर्थिक दर्शन में विश्वास रखते थे। उन्होंने लिखा था, ''महात्मा गांधी द्वारा दिया गया स्वदेशी और स्वावलंबन का आह्वान एक नारा मात्र नहीं था। यह आत्मविकास की प्राप्ति के लिए जीवन का आर्थिक दर्शन था।'' प्रधानमंत्री के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल में चन्द्रशेखर ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों का दृढ़ता से विरोध किया। जब उनके कार्यकाल में विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भारत आए तो चन्द्रशेखर की स्पष्ट टिप्पणी थी, ''आपके द्वारा संचालित बाजार अर्थव्यवस्था एक बहुत छोटी सी जनसंख्या तक ही सीमित है। कृपया याद रखिए केवल उन्हीं से सम्पूर्ण देश नहीं बन जाता''।

चन्द्रशेखर ने डंकल प्रस्तावों के विरुद्ध एक जन चेतना अभियान- आयोजित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष बालासाहेब देवरस के आह्वान पर स्वदेशी जागरण मंच में भाग लिया। तथापि, शीघ्र ही उनका इससे मोहभंग हो गया। वर्ष 2000 में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर जैसा कि ऊपर वर्णित है वैश्वीकरण के दूसरे चरण का विरोध करने के लिए उन्होंने विकल्प अभियान प्रारंभ किया। परन्तु, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इस अभियान से एक शक्तिशाली आंदोलन उत्पन्न होने

की जैसी उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप, उन्होंने ओडिशा के पुरी से गुजरात के पोरबंदर तक यात्रा करने की एक योजना बनाई। इस दिशा में, चार पूर्व प्रधानमंत्रियों अर्थात् विश्वनाथ प्रताप सिंह, पी.वी. नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा और इन्द्र कुमार गुजराल के समर्थन से एक प्रयास भी किया गया।

इन ठोस कार्यों और कार्यक्रमों से यह सुस्पष्ट है कि वैश्वीकरण के विरुद्ध उनका विरोध केवल मौखिक ही नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि वैश्वीकरण से भारत की अधिकांश गरीब जनता को लाभ के बजाय हानि ही होगी। एक क्षण के लिए भी उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसी व्यवस्था का 'मानवीय' चेहरा भी होगा। फिर भी, तथ्य यह है कि उन्हें वैश्वीकरण के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व करने में अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि चन्द्रशेखर का राजनीति की मुख्यधारा से बाहर के उन आंदोलनों और कार्यकर्ताओं से अधिक संपर्क नहीं था, जो अपने स्वयं के छोटे परन्तु मौलिक विचारों और कार्यक्रमों के माध्यम से अनवरत संघर्ष कर रहे थे। यदि ऐसा हुआ होता तो राजनीति की तस्वीर काफी अलग होती। अंत तक, उनका दृष्टिकोण था कि राजनीति को इसलिए नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए कि उसमें वैश्वीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए कोई सकारात्मक संभावना नहीं है।

चन्द्रशेखर, राजनीति की मुख्यधारा के अंतर्गत वैश्वीकरण का विकल्प तलाशते रहे। तथापि, आवश्यकता इस बात की थी कि राजनीति की मुख्यधारा में अंतर्निहित समझौते और चूक को रोकने के लिए 'मुख्यधारा' की सोच से बाहर देखा जाए। चन्द्रशेखर के अलावा इस आवश्यकता को और कौन बेहतर ढंग से समझ सकता था? अपनी जीवनी में उन्होंने लिखा, ''भारत यात्रा में पांच मुद्दे शामिल थे — समुचित भोजन और पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं और पांचवां-सामाजिक सद्भाव की कमी। मैंने अपने मन में योजना बनाई थी कि हम देश के 350 पिछड़े जिलों में कार्य करेंगे। इस कार्य को करने के लिए मैंने जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का निर्णय लिया। परन्तु, मैं ऐसा नहीं कर पाया। यात्रा के बाद मैं विपक्ष की राजनीति में फंस गया। यही मेरी गलती थी।'' रामबहादुर राय द्वारा संपादित पुस्तक 'रहबरी के सवाल' में उन्होंने चुनाव की राजनीति में शामिल होने के लिए और इसी प्रक्रिया में यात्रा के दौरान अपना साथ देने वाले आये लोगों और युवाओं का साथ छोड़ने के लिए खेद व्यक्त किया।

इस अनुभूति के बाद भी, चंद्रशेखर अंत तक, इस निर्णय की त्रुटि को दूर करने और अपनी गलती सुधारने के लिए साहस नहीं कर पाए। यह विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि इस दिशा में निम्न स्तरों पर अनेक ठोस प्रयास पहले ही प्रारम्भ किए जा चुके थे। राजनीति की मुख्यधारा से दूर हटने का निर्णय जो वैश्वीकरण के अनुसार कार्य करने और राजनीतिक अवरोध का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपाय की और तेजी से प्रारंभ हो गया था, जिसे कई युवा और वरिष्ठ समाजवादी नेताओं के साथ किशन पटनायक जैसे समाजवादी आंदोलन के अन्य अनुभवी नेता द्वारा पहले ही आगे बढ़ाया गया था।

यदि पटनायक की तरह चन्द्रशेखर भी राजनीति की मुख्यधारा के बंधन से अलग हो गए होते, जैसाकि उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान किया था और वैकल्पिक राजनीति को चुन लिया होता तो देश की अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह से अपने चंगुल में फंसाना नव-साम्राज्यवाद के लिए बहुत कठिन होता। कई निष्ठावान समाजवादी कार्यकर्ताओं को आश्चर्य और सहानुभूति होती है कि जहां

चंद्रशेखर ने बुद्धिजीवियों और देवरस और नानाजी देशमुख जैसे अन्य वैचारिक समूहों के नेताओं के साथ बातचीत की और उनका सहयोग भी प्राप्त किया, वहीं कोई भी ऐसा समाजवादी नेता नहीं था जो केवल इसी दिशा में लगा हो। चाहे कुछ भी कारण रहा हो, यदि उनके बीच घनिष्ठता रही होती, तो निश्चित रूप से वैश्वीकरण के विरुद्ध अधिक सशक्त प्रतिरोध उभरकर सामने आया होता। नेताओं, आलोचकों और मीडिया ने वैश्वीकरण का विरोध करने की उनकी भूमिका पर ध्यान नहीं दिया होता। परन्तु, इतिहास उन्हें सदैव एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में पेश करता रहेगा जिसने अपने सिद्धांतों से समझौता न किया हो और जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

चन्द्रशेखर उर्फ 'नेताजी'

*–विजय नायक**

पूर्व-प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर को हम पत्रकारगण स्नेह से 'नेताजी' कहते थे। उन्होंने वास्तव में भारतीय राजनीति के नेताजी के रूप में सिद्ध कर दिया था, क्योंकि संकट के समय सभी राजनीतिक दलों के नेता उनसे परामर्श किया करते थे। उन्हें पता था कि चन्द्रशेखर के पास समस्या का समाधान करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल छोटा था। उन्होंने 1990-91 के दौरान एक वर्ष से भी कम समय के लिए कार्य संचालन किया। कम से कम यह कहा जा सकता है कि जिन परिस्थितियों में वे प्रधानमंत्री बने, वह अपूर्व था और जिस तरीके से उन्हें पदत्याग करना पड़ा, वह भी अनोखा था। लोक सभा का चुनाव हारने के बाद, राजीव गांधी ने चन्द्रशेखर को बाहर से समर्थन देने का निर्णय किया, जिन्हे लगभग 58 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। स्वतंत्रता के बाद से इतने कम संख्या के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने वाले अवश्य ही एकमात्र नेता थे। उनकी सरकार पूरी तरह कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर निर्भर थी, जिसे जोर जबरदस्ती की रणनीति वाली राजनीति के लिए जाना जाता है। देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी। पूर्व-प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की जनता पार्टी सरकार पराजित हो चुकी थी। बोफोर्स घोटालों की चर्चा जोरों पर थी और मंडल पर भीषण चर्चा से राजनीति भरी हुई थी।

मुझे 'युवा तुर्कों' के दिन याद हैं, इस समूह में मुख्य रूप से चन्द्रशेखर, कृष्णकांत, रामधन, मोहन धारिया और अन्य शामिल थे। उन लोगों को सिद्धांत प्रिय व्यक्तियों के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने श्रीमती गांधी के निरंकुश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए कमर कस ली थी। वास्तव में वे सभी लोग कभी कांग्रेस के समर्थक थे और उन्होंने श्रीमती गांधी का समर्थन किया था। उन्होंने केन्द्र के अंदर वामपंथी नीतियों का प्रचार किया परन्तु उन्होंने एक-एक कर पार्टी को छोड़ दिया। चन्द्रशेखर को भी आपातकाल के दौरान जेल भेजा गया था। जनता पार्टी के गठन के समय विपक्ष को एकता बनाए रखने का उत्तरदायित्व चन्द्रशेखर पर ही था। नेताओं के बीच तीव्र मतभेदों के कारण वे इस कार्य में असफल रहे। कुछ समय के लिए वे अलग-थलग पड़ गए या एकांतवासी हो गए। तथापि, वे हमें बताया करते थे कि जब वे कांग्रेस में थे तो श्रीमती गांधी के प्रति व्यक्तिगत विवाद कुछ भी नहीं था, परन्तु वे उनकी कार्य शैली के विरुद्ध थे। वे आपातकाल के कटु आलोचक थे। आरम्भिक चरण में, जब वे श्रीमती गांधी के करीबी थे, तो उन्होंने यहां तक श्रीमती गांधी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी सुझाव दिया था।

अपनी पुस्तक 'प्रोफाइलस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स' में लेखिका मनीषा के अनुसार ''जैसे ही सिंडिकेट के लम्बे हाथ उनके पास आने लगे तो इस खतरे से निपटने के लिए योजनाओं की चर्चा की जाने लगी। इन चर्चाओं के दौरान ही चन्द्रशेखर ने श्रीमती गांधी को 'दायपंथी प्रतिक्रियावादियों' से छुटकारा पाने और इस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी का विभाजन करने का सुझाव दिया। जब पहली बार चन्द्रशेखर ने इस बात का उनसे उल्लेख किया, तो उन्हें धक्का लगा था। श्रीमती गांधी ने उन्हें अविश्वास भरी नजरों से घूरा और इसके बाद सन् 1969 में उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर पार्टी का विभाजन कर दिया। श्रीमती गांधी ने इसी कार्य को सन् 1977 में दोहराया''।

*आप एक पत्रकार और लोक सभा की प्रेस सलाहकार समिति के पूर्व सभापति हैं।

चन्द्रशेखर उत्कृष्ट सांसद थे और इस पुरस्कार के लिए उनका चयन उचित था। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और हमारे साथ केन्द्रीय कक्ष में बैठा करते थे और विगत वर्षों की राजनीति की सुनहरी यादों के बारे में घंटों बातचीत करते रहते थे। सदैव धोती और सफेद कुर्ता और कभी-कभी एक जैकेट डाले हुए वे सादगीपूर्ण पहनावा पहनते थे, परन्तु जब चर्चा की बात आती थी तो वे तर्क और प्रतिबद्धता को मुख करने वाले व्यक्ति थे। छोटी दाढ़ी उनकी पहचान थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब वे सदन के तनावपूर्ण माहौल को हल्का कर देते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चन्द्रशेखर के बीच एक 'गुरु-शिष्य' का संबंध विद्यमान था। वे जैसे ही सदन में बोलने के लिए खड़े होते थे, वहां सभी लोग शांत हो जाते थे। सभी लोग उनकी बुद्धिमतापूर्ण सलाह या गतिरोध दूर करने हेतु उनके सुझाव या प्रस्ताव को सुनने के लिए उनकी तरफ देखते थे। उनके पास अभूतपूर्व विनोदवृत्ति थी जिससे कभी-कभी सदन में सदस्यगण हंसते रह जाते थे।

जैसा कि कहा जाता है, वे वैश्वीकरण की नीति के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि देश में बहुदेशीय कंपनियों के प्रवेश के प्रचण्ड विरोधी थे। उन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए शोध पर आधारित कई प्रतिवेदन प्रकाशित किए जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इन कंपनियों द्वारा शोषण और जिस प्रकार से इसने लोकतंत्र के आधार को ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था और परिणामस्वरूप अधिक गरीबी उत्पन्न हुई, को प्रदर्शित किया था। ''वे भारत को एक अस्थिर और विदेशी सहायता पर निर्भर देश बनाएंगे,'' यह उनकी चाल थी। इस संबंध में वे जॉर्ज फर्नाण्डीस और अन्य समाजवादी और साम्यवादी नेताओं से सहमत थे, जिन्होंने पारदेशीय कंपनियों के विरुद्ध संघर्ष किया।

चन्द्रशेखर का पसंदीदा आवास भोंडसी आश्रम हरियाणा में था। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान अत्यंत सुन्दर और स्वास्थ्यवर्द्धक स्थानों में से एक है, जिसे उन्होंने वर्षों में विकसित किया। भोंडसी की सैर करने से व्यक्ति तरोताजा महसूस करेगा। यहां पर एक छोटी सी मानवकृत नहर है। हिरण यहां घूमते रहते हैं, जिससे यहां जंगल होने का अहसास मिलता है। यहां उनका फॉर्म हाऊस था, जो भीड़-भाड़ और शोरगुल वाली राजधानी दिल्ली से दूर और शांत था। परन्तु, वे भारी आलोचना के पात्र बन गए, क्योंकि जब वे प्रधानमंत्री थे तो लगभग प्रतिदिन अपने काफिले के साथ भोंडसी जाया करते थे। इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता था। उन्हें इस बात से अत्यंत दु:ख हुआ जब समाचार पत्र में आया कि आश्रम में अफीम उगाई जा रही है। एक दिन उन्होंने हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया और यह कहते हुए आश्रम के अंदर घुमाने ले गए, ''आप स्वयं देखिए मैं क्या उगाता हूं? वे कहते हैं कि मैं अफीम उगाता हूं। हम लोगों ने देखा कि प्रतिदिन के उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां खेत में उगाई गई थीं। कहानी में रत्ती मात्र भी सच्चाई नहीं थी, जिसे उन्होंने ''आधारहीन और घिनौना'' करार दिया था। उनका आवास 3, साउथ एवेन्यू राजनीतिक जिज्ञासा और गपशप का स्थान था। यह नेताजी की वातानुकूलित कुटिया थी। उसमें कोई सोफा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को उनसे बात करने के लिए अपने जूते निकालने होते थे और फर्श पर बैठना पड़ता था। वहां का माहौल सदैव शांतिपूर्ण रहता था। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कई राजनीतिक दलों के नेता यहां मिला करते थे।

एक बार पूर्व केन्द्रीय मंत्री बसंत साठे के तत्कालीन आवास 2, कृष्ण मेनन मार्ग, पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। साठे ने सभी को बुलाया था। चन्द्रशेखर देर से आए। जब वे आए, तब तक सभी लोग

जा चुके थे। साठे से बातचीत करके मैं जाने ही वाला था मैंने उन्हें ए.के.-47 से सुसज्जित काले कमाण्डो के साथ प्रवेश करते देखा। चन्द्रशेखर ने मेरी तरफ देखा और बोला, ''अरे भाई रुको, हमारे लिए इतना भी नहीं करोगे? उनके चेहरे पर मुस्कान थी, परन्तु मुस्कान के नीचे एक वास्तविकता थी। वे अब प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए कोई भी अनुयायी उनके साथ नहीं था। कमाण्डों की तरफ इशारा करते हुए, उन्होंने कहा, ''अब इनके सिवाय मेरा कोई समर्थक नहीं है। जैसे ही वे मेज की तरफ गए, साठे ने प्रवेश किया और हम लोगों ने जाने से पहले थोड़ी देर बातचीत की।

मुझे उनकी 1983 में की गई लम्बी पद यात्रा स्पष्ट रूप से याद है। जहां तक मुझे याद है कि शायद वे एकमात्र नेता थे, जिन्होंने देहात और लोगों की स्थिति को जानने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा की। उन्होंने लगभग 4300 किमी की दूरी तय की, जो वास्तव में एक थकाऊ एवं लम्बा अभियान था। इस यात्रा ने देश का ध्यान आकर्षित किया और लोगों को महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष की याद दिलाई। आज जैसे ही, उस समय भी ऊंची उड़ान वाले राजनीतिज्ञों का युग था। परन्तु वे जमीनी स्तर की स्थिति को जानना चाहते थे। चन्द्रशेखर की इस उर्जस्विता का इब्राहिमपट्टी जहां वे पैदा हुए थे, में उनके बचपन के साथ कुछ संबंध है। उनकी जीवनी कहती है, ''उन्हें विद्यालय जाने के लिए प्रतिदिन 11 किमी चलना पड़ता, कभी-कभी अपने सिर पर पुस्तकों को रखकर नदी पार करके जाना पड़ता था। यद्यपि, वहां कोई विकल्प नहीं रहा होगा, परन्तु यह उनके साहस और दृढ़निश्चय, जैसे गुणों को दर्शाता है, जिसने उनके राजनीतिक कैरियर के दौरान सहायता की। पदयात्रा के दौरान एकत्रित किए गए धन को देश में 15 केन्द्रों की स्थापना करने, दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में लगाया गया।

राजनीति में भ्रष्टाचार जब भारी चिंता का विषय बन रहा था, तब उनकी अध्यक्षता (2000-2001) में एक आचार समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने यथा विचार-विमर्श के पश्चात् संसद सदस्यों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना हैं, की सूची बनाते हुए सदन में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

एक अन्य घटना, जो मुझे याद है, वह सन् 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन द्वारा उनका चयन किए जाने के बाद उनके असामान्य शपथ समारोह की है। चन्द्रशेखर ने सोचा कि उनकी पार्टी लोगों की वास्तविक सरकार है। इसलिए, वे अशोका हॉल की चमक-दमक में शपथ ग्रहण करना नहीं चाहते थे, अत: उन्होंने राष्ट्रपति से निवेदन किया कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में समारोह आयोजित किया जाए। प्रांगण नेताओं, पार्टी के कार्यकर्त्ताओं और पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था। यहीं पर उन्हें और चौधरी देवी लाल को प्रधानमंत्री तथा उपप्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

बढ़ती उम्र और कैंसर से ग्रस्त होने के कारण संसद में उनका आना-जाना कम होता गया। यद्यपि, दर्द में भी वे सदन में आने और चर्चा के दौरान बैठने का विशेष प्रयास करते थे। बाद में वह भी दुर्वहनीय हो गया। उनकी सादगी, खुलापन और बिना डर के बोलने की उनकी आदत पत्रकारों को बहुत प्रिय लगती थी। वह वही प्रसन्नचित्त, चुटकुले कहने वाले, मुस्कराने वाले चन्द्रशेखर थे, जो नेताओं और पत्रकारों के साथ कॉफी पीते थे।

वे अब नहीं हैं परन्तु उनकी यादें नहीं जा सकतीं। उनकी मृत्यु के बाद, देश ने एक महान देशभक्त, एक समाजवादी और एक तेजतर्रार नेता खो दिया जिसने सादगी में जीवन व्यतीत किया, परन्तु सदैव देश की एकता के बारे में सोचा।

चन्द्रशेखर : भीड़ में अकेले#

*–हरिवंश**

पिछले कई दशकों से, अराजक और अशासित होते देश को देखता हूं। स्टेट पावर (राजसत्ता) के कोलैप्स (ध्वस्त) होने की आहट सुनता हूं, तो मुझे दो लोग याद आते हैं। पहले हैं, प्रो. गुन्नार मिर्डल, क्लासिक '*एशियन ड्रामा*[1]' के लेखक, इस रचना पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री और दूसरे चंद्रशेखर, एक अर्थशास्त्री। दूसरे 1980 के बाद देश की रहनुमाई करने वालों की भीड़ में एकमात्र '*स्टेट्समैन*'। वह व्यावहारिक थे, ग्रासरूट की अद्भुत समझ थी। नाजुक मामलों की बारीकियां जानने और उन्हें संभालने की दक्षता और नैसर्गिक प्रतिभा उनमें थी और सबसे बड़ी बात थी, जोखिम लेने का साहस।

प्रो. गनर मिर्डल 60 के दशक में '*एशियन ड्रामा*[1]' में लिख गये कि भारत की असल समस्या 'साफ्ट स्टेट' (कमजोर सत्ता) होना है। गुजरे पचास वर्षों में यह धारणा पुष्ट हुई है। इसके पिछड़ेपन, अंदरूनी बिखराव, अराजकता और अविकास के मूल में है, इसका लगातार अशासित होते जाना। सरकारें हैं, ढांचा है, पूरी व्यवस्था है, प्रधानमंत्री से लेकर गांव तक। फिर भी देश में टूट, बिखराव और कलह है। राज का इकबाल या प्रताप चुक रहा है। राजनीतिक नेतृत्व के पास शासन-कौशल हो, जरूरी अलोकप्रिय निर्णय लेने का साहस हो, इस देश की मिट्टी से जिसका नाभि-नाल का रिश्ता हो, इतिहास की व्यापक समझ हो, और भविष्य का विज़न हो, तो शासन-कौशल से देश की तकदीर बदल सकता है। बिना दुनिया से भीख मांगे, विश्व बैंक और पश्चिमी देशों की सहायता के बगैर।

लोक सभा में 50 सांसदों के समर्थन से 10 नवम्बर, 1990 को चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री बने, तब देश जल रहा था, मंदिर और मंडल की आग में। चन्द्रशेखर की पहली प्राथमिकता थी, स्थिति सामान्य करना। उनके पास विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने संदेश भेजा कि वे मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने कहा कि तुरंत आ जाइए, प्रधानमंत्री निवास या कार्यालय में ही। तत्काल आने का विश्व हिन्दू परिषद में अनिर्णय था। यह जान कर प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने कहा कि आप लोगों की बैठक में मैं आ जाऊं? विश्व हिन्दू परिषद के लोग हैरान व स्तब्ध। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे लोग परेशान व बेचैन। चन्द्रशेखर विश्व हिन्दू परिषद की बैठक में पहुंच गये। साथ में कोई दूसरा नेता नहीं। राजमाता विजयराजे सिंधिया के घर पर यह बैठक हो रही थी। परिषद के सारे बड़े नेता जमा थे।

प्रधानमंत्री बीच बैठक में आये थे। अशोक सिंघल बोल रहे थे। अत्यंत उत्तेजना में उग्र भाषा खून की नदियां बहेंगी, वगैरह-वगैरह। बैठक के तापमान, बड़ी-बड़ी बातों और उन 'डरावनी' घोषणाओं का उन पर कोई असर नहीं। एकदम अप्रभावित, सामान्य, अविचलित और निर्विकार।

चन्द्रशेखर के व्यक्तित्व की खासियत थी, उनमें अदम्य साहस था। संवेदना इतनी कि एक चिड़िया मर जाये, तो उसके लिए बेचैनी, पर भयंकर से भयंकर विषम परिस्थितियों में भी अविचलित। मार्मिक

#मूल हिन्दी में।

*राज्य सभा के सदस्य।

[1]पुस्तक का पूरा शीर्षक – ''एशियन ड्रामा : एन इंकवारी इन टु द पावर्टी ऑफ नेशन्स एण्ड द चैलंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी ए वर्ल्ड एंटी – पावर्टी प्रोग्राम इन आउटलाइन''।

अवसरों पर वह अंदर से अत्यंत व्यग्र-बेचैन हों, तब भी उनके चेहरे से भांप नहीं सकते। उत्तेजक माहौल में भी उनके बोलने के टोन में कोई उतार-चढ़ाव नहीं।

कुछ कहने के लिए उनसे आग्रह किया गया। वहां एक विचार, एक आंदोलन, एक जमात के लोग थे। चन्द्रशेखर अकेले। पहली ही पंक्ति कही, गर्जना के स्वर में बड़ी-बड़ी वीरता की बातें-घोषणाएं हुईं। मुझे भी थोड़ा-बहुत इतिहास मालूम है। 15-16 बार मोहम्मद गजनी के हमले हुए। एक पंडे ने भी जान नहीं दी। अतीत में मत जाइए। किसी का भला नहीं होगा। आप जान लीजिए कि अयोध्या में मस्जिद की एक ईंट भी गिराने की कोशिश हुई, तो दसों हजार लोगों को मारना होगा, सरकार मरवा देगी। संविधान और भारत संघ के ऊपर कोई नहीं है। कानून और संविधान की रक्षा, सरकार का अहम पवित्र दायित्व है।

यह सुनते ही वहां स्तब्ध, बेचैन करने वाली खामोशी। मौन टूटा। विश्व हिन्दू परिषद की ओर से पूछा गया कि क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा?

चन्द्रशेखर ने कहा कि रास्ता है। आप तैयार हों तो सरकार, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से भी बात करेगी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को भी प्रधानमंत्री ने बुलवाया। कहा, देखिए देश में तकरीबन छह लाख गांव हैं। 5.50 लाख गांवों में हिन्दू-मुसलमान एक साथ रहते हैं। उन गावों तक दंगे पसरेंगे। तनाव होगा। भारत सरकार अपनी पूरी ताकत (पुलिस, अर्द्धसैनिक बल) भी झोंक दे, तो हरेक व्यक्ति की हिफाजत नहीं हो सकती, इसलिए हल ढूंढिए।

और इस तरह अयोध्या-विवाद हल करने के लिए सात दिनों के अंदर बातचीत शुरू हो गयी जो एक-दूसरे के खिलाफ आग उगलते थे, वे एक टेबल पर बैठे, हल निकालने। यह शासन-कला है। राजसत्ता का प्रताप। अयोध्या की जो आग आज तक दहक रही है, जिसमें देश का भविष्य, आर्थिक प्रगति और सपने दफन हो रहे हैं, उसे हल करने की ओर सबसे सार्थक, ठोस, अर्थपूर्ण और गंभीर कदम चन्द्रशेखर ने उठाया। 50 सांसदों की सरकार ने उठाया। एक ऐसे प्रधानमंत्री ने उठाया। जिसके पीछे न संगठन बल था, न ताकतवर दल था और न सांसदों का गणित पक्ष में था।

चन्द्रशेखर ने शरद पवार, भैरों सिंह शेखावत और मुलायम सिंह यादव को इस बातचीत से जोड़ा। रोज मॉनीटरिंग और प्रगति का दायित्व सौंपा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बातचीत में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा कि एक माह में फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन माह में फैसला देंगे। फैसला एडवायजरी (सलाह) न होकर मैंडेटरी (बाध्यकारी) हो, केन्द्र सरकार ने यह भी मान लिया।

चन्द्रशेखर सरकार ने दोनों पक्षों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। जो भी फैसला होगा, उसे लागू करना सरकार का फर्ज है, चाहे इसके लिए कोई भी कठोर कदम उठाना पड़े।

सभी पक्ष हल निकालने के लिए सहमत हो गये। इसी बीच दो सिपाहियों के सवाल पर चन्द्रशेखर सरकार ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनकी सरकार जाने के पीछे अंदरूनी कारण कुछ और थे। उनमें से एक कारण अयोध्या-विवाद था। राजनीति के बड़े दिग्गज भांप गये कि अयोध्या-विवाद के सुलझने का श्रेय चन्द्रशेखर को मिलेगा। चन्द्रशेखर को श्रेय मिलना, कुछ ताकतवर लोगों को स्वीकार नहीं था। यह तथ्य इस बात का सबूत है कि शरद पवार रोज ही कांग्रेस आलाकमान को इस प्रगति की सूचना देते थे, तो भैरों सिंह शेखावत भाजपा को। शायद न कांग्रेस इसका हल चाहती थी और न भाजपा।

इसी तरह कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और उत्तर-पूर्व के उग्रवाद पर चन्द्रशेखर सरकार ठोस कदम उठाने में जुटी थी। सार्थक पहल की कोशिश हो रही थी, ताकि दशकों के ये नासूर ठीक हो सकें। प्रधानमंत्री बनते ही चन्द्रशेखर सार्क सम्मेलन के लिए मालदीव गये। वहां पाकिस्तान से नवाज शरीफ आये थे। पहली ही भेंट में चन्द्रशेखर ने उन्हें अपना प्रशंसक बना लिया। वह 'बड़े भाई' कह कर पुकारने लगे। अनौपचारिक चर्चा में कश्मीर प्रसंग पर चन्द्रशेखर जी ने नवाज शरीफ से कहा, कश्मीर-कश्मीर की रट लगाते रहते हो आप लोग। चलो, भारत कश्मीर आपको दे देगा, पर उसके साथ एक और समस्या सौगात में मिलेगी। भारत धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, कश्मीर उसका प्रतीक है। जिस दिन भारत से कश्मीर उधर गया कि सांप्रदायिक उभार, उफान और बाढ़ को रोकना मुश्किल होगा। तब अगर दूसरे राज्यों से अल्पसंख्यक भारी मात्रा में पाक जायेंगे, तो उन्हें रखने-बसाने और आबाद करने की क्षमता पाकिस्तान में है? नवाज, इस नाजुक मसले पर इस नयी दृष्टि को सुन कर चुप हो गये। हां, उनके भाषणों (पाक के अंदर या बाहर) में कश्मीर पर पाक के हक का उल्लेख बंद हो गया। इस प्रसंग के बाद चन्द्रशेखर ने नवाज शरीफ से कहा, हमारा अतीत एक रहा है, मिट्टी एक है, साझी संस्कृति रही है। अनेक चीजें हमें जोड़ती हैं, क्यों न हम जोड़ने वाले मुद्दों के पुल से गुजरें और बेहतर भारत-पाक बनायें। प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास पूरा बहुमत होता और कार्यकाल लंबा होता, तो वे भारत-पाक संबंधों को पुख्ता और बेहतर करने के लिए साहस भरे कदम उठाते।

चन्द्रशेखर सीधे प्रधानमंत्री बने थे। पहले कभी सरकार में नहीं रहे। कई विभागों में आशंका थी। प्रधानमंत्री कैसे संवेदनशील मामलों को 'हैंडिल' करेंगे। विदेश मंत्रालय में भी यह संशय था। चन्द्रशेखर की तत्काल निर्णय क्षमता, हाजिरजवाबी, बहुत कम समय में जड़ पकड़ने की बौद्धिक तेजस्विता और टू द प्वाइंट (मुद्देवार) बातचीत से नौकरशारी पूरी तरह वाकिफ नहीं थी। विदेशी संबंधों या राजनय में उनकी बारीक पकड़ हतप्रभ करने वाली थी।

इंग्लैंड से लेबर पार्टी के नेता और उनके चार-पांच सांसद आये। लेबर पार्टी के नेता, यानि ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री। इसके पहले लेबर पार्टी के दूसरे महत्वपूर्ण नेता (डिप्टी लीडर पार्लियामेंट) श्री काफमैन पाकिस्तान गये थे। वह पाक-अधिकृत कश्मीर भी गये। भारत के खिलाफ जहर उगला। वहां से काफमैन भारत आना चाहते थे। विदेश मंत्रालय उन्हें 'वीज़ा' देने के पक्ष में था। डर था इंग्लैंड की लेबर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता को वीज़ा न देने से भारत को नुकसान होगा। चन्द्रशेखर सरकार ने तय किया, 'वीज़ा' नहीं देना है। उसी समय यह डेलीगेशन आया था। विदेश मंत्रालय परेशान था कि प्रधानमंत्री से बातचीत में प्रश्न उठेगा, तो भारत का क्या जवाब होगा?

डेलीगेशन आया। महत्वपूर्ण अवसर था। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर से बात शुरू हुई। औपचारिकताओं के बाद चन्द्रशेखर ने ही टिप्पणी की, लेबर पार्टी का भारत की आजादी में बड़ा योगदान रहा है। लेबर पार्टी, दुनिया में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आंदोलन में जुड़ी रही है, पर हाल के दिनों में इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? आपके यहां काफमैन कौन हैं, जो भारत के बारे में अनाप-शनाप टिप्पणियां करते हैं? पूरा ब्रिटिश डेलीगेशन बचाव की मुद्रा में वे सफाई देने लगे। भारत का विदेश मंत्रालय स्तब्ध, पर आह्लादित। स्तब्ध इस प्रसंग में कि प्रधानमंत्री ने 'अद्‌भुत मैच्युरिटी', कौशल और आत्मविश्वास का परिचय दिया। ब्रिटिश डेलीगेशन अत्यंत प्रभावित, भविष्य के रिश्ते और सुदृढ़ करने के प्रस्ताव के साथ लौटा।

इस देश के लोग जानते हैं कि भारत में ऐसे भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने की अर्जी दी, अमेरिका गये, फिर भी समय नहीं मिला। आज अमेरिकी इशारों पर भारतीय राजनीति के नृत्य के दृश्य (पक्ष-विपक्ष दोनों) दो दशकों पहले तक शर्मनाक माने जाते। ऐसी स्थिति में एक दिन भारत-पाक सीमा पर 35 घुसपैठिये मारे गये थे। इसे लेकर अमेरिका के सीनेटरों ने भारत के खिलाफ मुहिम चलायी। मानवाधिकार के उल्लंघन के सवाल उठाये। भारत को अलग-थलग करने की कोशिश हो रही थी। उसी समय अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति भारत आये। विदेश विभाग बेचैन कि यह प्रसंग उठेगा ही, भारत क्या कहेगा? प्रधानमंत्री को विदेश मंत्रालय की चिंता की सूचना मिली।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर से मिलने आये। इधर-उधर की चर्चा के बाद, वह मुद्दा उठा बैठे। कहा, आपकी सीमा पर 35 लोग मारे गये, इससे अमेरिकी सीनेटर काफी चिंतित व बेचैन हैं। चन्द्रशेखर ने नपे-तुले शब्द में कहा कि महाशय आपके सीनेटरों से अधिक मैं अपनी सीमा, देश और समस्याओं को जानता हूं, जो लोग 100 वर्षों बाद भी बदला लेते हैं, उस कौम को हमें नसीहत-सलाह देने का हक नहीं है। सारे लोग स्तब्ध। फिर बराबरी पर बात हुई। अच्छे माहौल में बातचीत का सुखद अंत।

याद रखिए, चन्द्रशेखर को विरासत या सौगात में जर्जर अर्थव्यवस्था मिली थी। उन दिनों लगातार चन्द्रशेखर अपने भाषण में, बातचीत में कहते थे – हम अपने को इतना हीन, कमजोर और असहाय क्यों समझते हैं? दुनिया की मदद हमें चाहिए, तो हम भी 90 करोड़ की आबादी (1991 की आबादी) वाले देश हैं, हमारी मदद भी दूसरों को चाहिए। दूसरों को भी हमारी उतनी ही जरूरत है, जितनी हमें दूसरों की। बराबरी, समता और सम्मान का रिश्ता हो। दाता और याचक का नहीं। चन्द्रशेखर के इन तर्कों को मैं सुनता, तो मुझे दिल्ली के सत्ता गलियारों में उन्हीं दिनों की एक चर्चित घटना याद आती।

विश्व बैंक के तत्कालीन वाइस प्रेसीडेंट भारत आये थे। वह पाकिस्तानी मूल के थे। बाद में पाकिस्तान की राजनीति में थोड़े समय के लिए शिखर तक पहुंचे। 'कर्टसी काल' में वह प्रधानमंत्री से मिलने आये। बातचीत में उन्होंने विश्व बैंक के बाजारवाद, उपभोक्तावाद और ऐसे आर्थिक कदमों के बारे में चर्चा की। भारत के लिए सुझाव दिये। कहा कि विश्व बैंक, भारत को 'फेवर' करता है। चन्द्रशेखर ने विश्व बैंक के अर्थदर्शन पर अपनी टिप्पणी की। विश्व बैंक के अर्थदर्शन व जड़ों पर प्रहार। उसके पीछे की राजनीति की ओर इशारा।

उस वाइस प्रेसीडेंट ने कहा कि योर ऑनर, अगर विश्व बैंक अपनी सारी मदद बंद कर दे, तो भारत क्या करेगा?

तब भारत गहरे अर्थसंकट में था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति नाजुक थी। प्रधानमंत्री का जवाब था: तुरंत टीवी-रेडियो पर जाऊंगा। देश को संबोधित करूंगा। कहूंगा कि सारे आयात बंद कर रहा हूं, जीवनरक्षक दवाएं व आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों के सिवा और हम अपने देशज हल ढूंढ लेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मिस्टर वाइस प्रेसीडेंट, मैं एक बात कहूं? क्या आपके विश्व बैंक या पश्चिमी देशों में ताकत है कि वे भारत के बाजार को नजरअंदाज कर दें। आप कंज्यूमर मार्केट चाहते हैं, इसलिए यहां आते हैं। याद रखिए कि आज भी भारत के 30 फीसदी लोगों का संबंध बाजार से नहीं है। नमक के सिवा वे दातून से खाने की चीजों तक, आपस में विनिमय करते हैं। यह भी याद रखियेगा कि आपके पश्चिमी बाजार को हमारी अधिक जरूरत है। आपको यहां बाजार चाहिए व उपभोक्ता चाहिए। वह हतप्रभ और अवाक रह गये, कहा, हमारा आशय यह नहीं था।

वह वाइस प्रेसीडेंट प्रधानमंत्री से मिल कर अहमदाबाद लौटे। शाम में अहमदाबाद में सनत मेहता को फोन किया। श्री मेहता नर्मदा प्रोजेक्ट के प्रमुख थे। इसमें वर्ल्ड बैंक ने पैसा लगाया था। निजी बातचीत में सनत मेहता से इस वाइस प्रेसीडेंट ने कहा कि जब तब चन्द्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यहां कुछ संभव नहीं है। चन्द्रशेखर के देशज सोच पर यह पश्चिमी ताकतों की टिप्पणी थी। क्यों? क्योंकि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार विकास की बात करते थे।

इसलिए विश्व बैंक ने उन दिनों भारत में नयी आर्थिक नीति लागू करने के संबंध में जो वैकल्पिक प्रस्ताव भेजे थे, प्रधानमंत्री रहते हुए चन्द्रशेखर को वे नहीं दिखाये गये। नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रसंग बहुत उछला। यह सवाल उठा कि विश्व बैंक के इशारे पर कैसे भारत की नौकरशाही ने चार महीने, विश्व बैंक के उस दस्तावेज को तत्कालीन प्रधानमंत्री से छिपाये रखा। अंदरूनी तथ्य यह है कि यह सिलसिला पहले से चल रहा था। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब अजीत सिंह ने नयी औद्योगिक नीति बनायी। यह नीति भी विश्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुरूप बनी थी। इससे भी पहले राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नयी आर्थिक नीतियों का सूत्रपात किया। वे भी विश्व बैंक की इच्छानुसार तय हुई। तब से ही चन्द्रशेखर इन अर्थनीतियों के खिलाफ अकेली आवाज बन गये। अपने दल की सरकार की औद्योगिक नीति (अजीत सिंह) के खिलाफ लोक सभा में अत्यंत प्रभावी बयान दिया। नरसिंह राव, मनमोहन सिंह की नयी अर्थनीति के खिलाफ पूरे देश में बहस चलवायी।

उदारीकरण की अर्थनीति पर, 1993 में उन्होंने कहा था, ''मैं आज यह बात नहीं कर रहा हूं। जब 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जोरों से यह कह रहे थे कि हमको दुनिया के बाजार से अपने आपको जोड़ना है, तो मैंने उस समय संसद में कहा था कि आप किस बाजार से अपने को जोड़ना चाहते हैं? वह बाजार जो दो विश्वयुद्धों के लिए जिम्मेदार है? वह बाजार जो गरीब देशों को आपस में लड़ाता है? वे लोग मौत के सौदागर हैं और भारत जिंदगी का संदेश देने वाला देश है। दोनों का एक साथ कोई समझौता नहीं हो सकता।

आज स्मरण करिए उनका यह स्टैंड! यह भी याद रखिए कि तब संसद में वाम से दक्षिण तक सब बाजार व्यवस्था के समर्थक बन गये थे।

दरअसल नव पूंजीवाद (नयी अर्थनीति के दौर को समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री नियो कैप्टलिज्म या बाजारवाद या ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी पुकारते हैं) के इस दौर से चन्द्रशेखर का पुराना बैर था। राजनीति में उनका उदय-विकास ही उस वैचारिक धरातल पर हुआ, जो निजी पूंजी के बढ़ते वर्चस्व को एक सुंदर समतामूलक समाज के लिए घातक मानता है। इसी आधार पर उनका युवा तर्क आंदोलन परवान चढ़ा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण या प्रिवीपर्स खत्म करने जैसे कदम या बिड़ला-टाटा के खिलाफ एकाधिकार के मामले, एक बड़े सपने को साकार करने की दिशा में उठे कदम थे। इस कारण हिन्दुस्तान की बड़ी पूंजी, बड़े घराने, शुरू से ही उनके खिलाफ रहे। इसी बड़ी पूंजी ने एक बार राज्य सभा से उनका टिकट कटवाने की कोशिश की। इन मामलों को भूपेश गुप्त व अन्य कई जाने-माने लोगों ने उन दिनों संसद में उठाया। इसी पूंजी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने में भूमिका निभायी। 1990 में देश अर्थसंकट में था। उस दौरान, चन्द्रशेखर सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपयों के कर कॉरपोरेट घरानों पर लगाये। साधारण जनता पर कर नहीं लगाये गये।

वह अक्सर कहते थे कि देश संकट में है, तो जो संपन्न, समर्थ और ऊपर का तबका है, उसे अतिरिक्त कुर्बानी देनी होगी। बोझ उठाना होगा। बड़ी पूंजी या पूंजी के एकाधिकार के विरोध की भारी

कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उनकी सरकार, हरियाणा के दो सिपाहियों द्वारा राजीव गांधी की चौकसी के कारण नहीं गयी। पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन (जो उन दिनों राष्ट्रपति थे) ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि राजीव गांधी ने कम-से-कम एक साल तक बिना शर्त चंद्रशेखर को समर्थन देने का आश्वासन दिया, तब चन्द्रशेखर को सरकार बनाने के लिए न्योता गया। सरकार जाने के पीछे मूल कारण थे, बड़े घरानों द्वारा चन्द्रशेखर के खिलाफ मुहिम, अयोध्या-प्रकरण पर हल के आसार, स्टेट्समैन और कुशल शासक के रूप में चन्द्रशेखर का उदय, अमेरिका परस्त ताकतों के खिलाफ मुहिम और प्रस्तावित बजट का भय।

चन्द्रशेखर सरकार को बजट नहीं बनाने दिया गया क्योंकि बड़े घरानों और समर्थक राजनीतिक दल के बीच यह चर्चा व चिंता का विषय था कि 1990 के अर्थसंकट से निबटने के लिए चन्द्रशेखर सरकार जो देशज रास्ता ढूंढ रही थी या चन्द्रशेखर अपने विचारों और अर्थदर्शन के अनुरूप बजट तैयार करवा रहे थे, उससे देश में आर्थिक मुद्दों पर मोरचाबंदी हो जाती। धर्म और जाति की राजनीति पीछे छूट जाती। भारत का ताकतवर इलीट क्लास, पूंजी-घराने और बड़े दल ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए चन्द्रशेखर की सरकार गयी।

शासन करने की उनकी समझदारी (कॉमनसेंस), संपन्न विवेक और प्रति-उत्पन्नमति बेमेल थे। परदेश में अपनी छाप छोड़ने का वक्त उन्हें नहीं मिला।

जब वह प्रधानमंत्री थे, जम्मू-कश्मीर की वरिष्ठ नेता और सांसद सोज की लड़की का अपहरण हुआ। सूचना यही थी कि लड़की का अपहरण उग्रवादियों ने किया है। उसे अधिकृत कश्मीर में रखा गया है। सोज ने चन्द्रशेखर जी को फोन किया। एक पिता की परेशानी! बेटी का सवाल! चन्द्रशेखर ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। पता चला, वह बीजिंग (चीन) में हैं। शाम को अचानक एक पार्टी में भारत स्थित पाक के राजदूत अब्दुल सत्तार उन्हें मिल गये जो बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने और चंन्द्रशेखर के प्रशंसक। चन्द्रशेखर ने बिल्कुल अनकन्वेंशनल काम किया। सत्तार से कहा, नवाज शरीफ को मेरा संदेश भिजवा सकते हो? सत्तार ने कहा - हां सर! कहा, यह संदेश अधिकारियों या प्रॉपर चैनल की जानकारी में नहीं है। संदेश था कि जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सोज की लड़की का अपहरण हुआ है। पाक टीवी और रेडियो पर तीन दिनों तक यह प्रचार हो कि जिन लोगों ने भी उक्त निर्दोष लड़की को अगवा किया है, अत्यंत गलत काम किया है। यह इस्लाम के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। लड़की के छोड़ दिया जाये। तीन दिनों तक पाक रेडियो व टीवी के बुलेटिन में यह प्रचार हुआ। लड़की मुक्त हो गयी।

अब कांग्रेसी नेता, रेणुका चौधरी तब तेलुगुदेशम सांसद थी। कांग्रेसी जनार्दन रेड्डी आन्ध्र के मुख्यमंत्री थे। तेलुगुदेशम के नेताओं के घरों पर हमले हो रहे थे। एनटीआर का सिनेमा हाल जला दिया गया था। रेणुका चौधरी का घर बलवाइयों ने घेर लिया। उपद्रवी आग लगाना चाहते थे। परेशान सांसद चौधरी ने अपने उसी घिरे घर से सीधे चन्द्रशेखर को फोन किया। वह एकदम बेचैन और बदहवास थीं। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने आन्ध्र के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी को ढुंढ़वाया । वह कहीं बाहर थे। फोन पर अनुपलब्ध। चन्द्रशेखर जी के निर्देश पर सीधा भारतीय सुरक्षा बल (बीएसएफ) को वहा पहुंचने के लिए कहा गया। आदेश जाने के 15 मिनट के अंदर बीएसएफ ने रेणुका चौधरी के घर की सुरक्षा का काम संभाल लिया। बलवाई भाग गये।

असम और पंजाब चुनाव के फैसले करने थे। सारी आशंकाओं के बावजूद, चन्द्रशेखर सरकार ने दोनों राज्यों में चुनाव कराना तय किया। यह अलग बात है कि नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनते ही चुनाव आयोग व कांग्रेस के सौजन्य से पंजाब के चुनाव टाल दिये गये। असम चुनाव के दौरान, उल्फा उग्रवादियों से निबटने का प्रसंग उठा। मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचा। पूरी जानकारी लेने के बाद, प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने कहा कि सीमित ऑपरेशन में इन्हें 'फ्लशआउट' कराएं। केन्द्र सरकार के इस कठोर फैसले की सूचना किसी तरह असम के उग्रवादियों तक पहुंची। वे बांग्लादेश भाग गये। असम में चुनाव के दौरान संभावित भारी हिंसा की सारी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुईं। शांतिपूर्ण चुनाव हुए।

उनके शासन काल का एक दूसरा पक्ष भी था। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के मामलों पर गुवाहाटी में पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के वरिष्ठ अफसर, मंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद थे। पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास के 'ऑन द स्पॉट' फैसले देश की 'हाइएस्ट अथॉरिटीज' की बैठक में। यह प्रक्रिया शुरू कराने के पीछे चन्द्रशेखर के निजी अनुभव थे। वह सांसद के रूप में पहले मणिपुर गये थे। '70 के दशक में युवा तुर्क नेता के रूप में। वहां के युवकों ने शिकायत की, दिल्ली-हमारे साथ भेदभाव करती है। उदाहरण दिया। दिल्ली में कितने फ्लाइओवर हैं और कितने नए बन रहे हैं? पर ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ एक पुल? असम व अन्य राज्यों के बीच जनता के आने-जाने व संपर्क के लिए एक सेतु, दिल्ली के शासकों की कार यात्रा सुगम हो, इसलिए कई फ्लाईओवर? यह सवाल वह अक्सर उठाते थे। उनकी कोशिश रही कि जन समस्याओं को प्राथमिकता मिले और कानून-व्यवस्था की जिम्मेवारी जिन एजेंसियों पर है, वे संभालें।

उदारीकरण के बाद, क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि के सवाल को उन्होंने लोक सभा में उठाया। महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन कराया, जिनमें इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। देश के जाने-माने बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच, आज चिराग लेकर ढूंढिए, किन दलों में या राजनेताओं द्वारा ऐसे सवाल उठ रहे हैं?

कारगिल और क्रासबॉर्डर टेरेरिज्म पर उनका नितांत साफ और सपाट रुख था। कारगिल पर कहा, अजीब सरकार है। अपनी धरती पर, देश के अंदर अपनी सीमा में बाहरी सैनिक घुस आये। कई महीनों रहे, पर सरकार को मालूम नहीं। पता चला, तो अमेरिकी रुख के अनुसार कार्रवाई सीमित हुई। उस पर घोषणाएं ऐसी, मानो हम युद्ध जीत रहे हों। ठेठ सवाल। हमारे घर में कमरों पर दुश्मन कब्जा कर बैठा, पर हमें नहीं मालूम। जब पता चला, तो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अपने ही कमरे खाली करा कर जश्न मना रहे हैं, मानो दुश्मन देश की धरती कब्जे में आ गयी।

उन दिनों क्रासबोर्डर टेररिज्म (देश के अंदर आतंकवाद) पर केन्द्र सरकार के नेता रोज चिल्ला रहे थे, पाकिस्तान रोके। अमेरिका से गुहार लगा रहे थे। चन्द्रशेखर कहते थे कि भारत-पाक सीमा पर कुछ हो, तो समझ में आता है, पर सीमा से दिल्ली तक आतंकवादी आ जाते हैं संसद पर हमले की तैयारी के साथ। तो क्या देश के अंदर की ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेवारी पाकिस्तान पर है या हमारी सरकार और व्यवस्था पर? जब वे सीमा पार कर दिल्ली पहुंच रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे?

राजीव गांधी की हत्या हो गयी। उस दिन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ओडिशा के सुदूर आदिवासी इलाकों में थे। देर रात प्रधानमंत्री का जहाज भुवनेश्वर से उड़ा, वह अपने केबिन में अकेले थे। मुझे बुलाया। इतना आहत, दु:खी और शोकमग्न न पहले उन्हें देखा और न उसके बाद। हमारा जहाज आधी रात के आसपास दिल्ली पहुंचा। चन्द्रशेखर जी शोकमग्न, पर एक-एक व्यवस्था में चौकस। सीधे हवाई अड्डे से दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो गये। शोक-संदेश रिकार्ड कराया। देशवासियों से अपील की।

राजीव गांधी के शव रखने-दर्शन की व्यवस्था की एक-एक जानकारी ली। कितने 'हेड ऑफ स्टेट' (राज्याध्यक्ष) आ रहे हैं, उनकी अगवानी से लेकर ठहरने तक का जायजा।

पूरी रात लगभग इसी तरह गुजर गयी। इसी बीच दिल्ली उपराज्यपाल के यहां सूचना (या अफवाह) आयी कि जमुना पार से 250-300 लोग भांगड़ा करते-नाचते आ रहे हैं। राजीव गांधी के संस्कार स्थल तक जाने की चर्चा है। प्रधानमंत्री के यहां से निर्देश गया कि ऐसी भीड़ को गिरफ्तार करो। किसी भी हालत में स्थिति नियंत्रित रहे।

फिर सूचना आयी कि 200-250 लोग तीन मूर्ति पर जमा हैं। राजीव गांधी का शव रखने के सवाल पर विवाद है। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने एक महत्वपूर्ण आदमी को फोन किया। कहा सुनिश्चित करिए कि वहां से भीड़ हटा दी जाये। लोग न मानें, तो लाठी चार्ज। हिंसा हो तो फ्लैग मार्च और गोली चलवाये। उस अफसर ने कहा बिल्कुल ठीक, सर। पूछा, कि सर! इन कामों में 'सिविल एडमिनिस्ट्रेशन' अड़चन डालेगा, (कानून-व्यवस्था वैसे भी राज्यों के मामले हैं) तो? चन्द्रशेखर ने कहा 'आई एम ए हाइएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री'। मैं निर्देश दे रहा हूं, ब्लैंक पेपर लाइए, दस्तखत कर देता हूं। अफसर अभिभूत। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहा उस अफसर ने। सब नियंत्रित हो जायेगा और कहीं देश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

यह थी, सिर्फ 50 सांसदों के बल प्रधानमंत्री बने व्यक्ति की शासकीय दक्षता-क्षमता। सरकार गिर चुकी थी और एक चरण चुनाव हो चुके थे। फिर भी व्यक्ति का इकबाल! राजसत्ता के जीवंत होने का एहसास।

उत्तेजक माहौल में भी वह संयम-आपा नहीं खोते थे। वाणी कटु नहीं होती थी। अवसर के अनुसार भाषणों में उतार-चढ़ाव नहीं होता था। सपाट, मर्यादित और संयमित वाणी में वह अत्यंत गंभीर तथ्यों को उठाते थे। बुनियादी सवाल सामने रखते। आज एक ही शहर की दो सभाओं में भीड़ की रुझान के अनुसार एक ही बड़ा नेता, एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी बयान देता है, घंटे भर में स्टैंड बदल देते हैं। पर एक ही मुद्दे पर एक ही स्टैंड चन्द्रशेखर जी की खासियत थी। हवा के अनुसार रुख बदलने वाले नेताओं की भीड़ में इसलिए भी वह अकेले थे। उनके पूरे व्यक्तित्व में गंभीरता थी। वह 'लूज टॉक' (अनर्गल बातें) नहीं करते थे। दूसरों की मर्यादा रखने और सम्मान देने में वह बेजोड़ थे। आप गोपनीय से गोपनीय चीज उन्हें कह दें, उस गोपनीयता के धर्म का निर्वाह वह विलक्षण ढंग से करते थे। आप उनके कटु से कटु शत्रु हो जाइए, आपके बारे में उन्हें सब मालूम होगा। तब भी वह लूज बातें नहीं करेंगे। विरोधियों के सम्मान का धर्म, वह बखूबी निबाहते थे।

आप संकट में हों, तो बगैर किसी को बताये वह अपकी मदद करेंगे, आप उनके विरोधी हैं, तब भी आपके संकट और आवश्यक दुख के क्षणों में आपको साथ मिलेंगे। आपकी खुशी के क्षणों में वह आपके बीच हों या न हों, पर संकट-दु:ख में उनका कंधा पहला होता था। अनेक साथी जो उनके साथ रहे, बीच में चल बसे, तो उनके परिवार को संकट से उबारने और साबूत खड़ा कर देने की अनेक घटनाएं हैं और यह सब वह बखन नहीं करते थे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की एक से एक कमजोर बातें उन्हें मालूम रहती थीं, फिर भी आप उनसे एक शब्द नहीं सुन सकते थे। हजारों लोगों ने उन्हें सीढ़ी बनायी और कहां से कहां पहुंच गये! उन्होंने खुद किसी को नहीं छोड़ा, लोग आये और मतलब साध कर चले गये। भौतिक अर्थों में कहें तो मिट्टी से सोना बने गये।

क्या चन्द्रशेखर इन चीजों से आहत नहीं होते थे? कई बार इन बातों को सोचते हुए मैं विचलित होता हूं। मूलत: उनका व्यक्तित्व संवेदनशील था। कविता, साहित्य और शायरी में ढला व्यक्तित्व। उनकी इतिहास दृष्टि उन्हें ताकत देती थी। वह अक्सर कहते थे, ''मनुष्य का इतिहास देखो, लाखों वर्ष की इस यात्रा में गांधी सरीखे महापुरुष कामा का फुलस्टॉप हैं, तो हम मामूली लोग कहां हैं? दिक्कत यह

है कि हम अपने को इतिहास का अंतिम आदमी मान लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि इतिहास-काल किसी को नहीं छोड़ते। उनमें सनातन धर्म का काल बोध अनूठा था। काल ही निर्णायक है वही अर्जुन, वही गांडीव, पर भील विजयी हुए। काल से हठ-होड़ की मुद्रा में आज के कई बड़े राजनेता दिखाई देते हैं।'' वह ऐसे लोगों की बातों-दांवों पर हंसते थे।

वह प्रधानमंत्री थे। उनके साथ चेन्नै गया था। वह भोर (अति सुबह) में उठते थे। हम उठे, तो पता चला कि वह कहीं गये हैं। अगर आप उनके साथ हैं, तो आपकी एक-एक सुविधा का ध्यान रखते थे। आप खुद उतना अपना ध्यान नहीं रख सकते। वह अकेले खाना-नाश्ता नहीं करते। उनके साथ हमेशा भीड़ रहती थी। वह समूह के व्यक्ति थे और समूह में ही जीते थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग सोये थे। सुबह मैं चेन्नै से कुछ दूर म्यूजियम गया था। डायनासोर की अस्थियां देखीं और अनेक चीजें देखी। इन चीजों को देखने से लगता है कि ब्रह्मांड में मनुष्य की क्या हैसियत है? कितनी छोटी और कितनी नगण्य?

ग्लोबल इकॉनामी के इस दौर में राजनीतिक संस्कृति बदल गयी है। भारत में हालांकि राजीव गांधी युग के अवतरण के साथ ही राजनीतिक संस्कृति बदलने लगी थी। 'पॉलिटिक्स के कॉरपोरेटाइजेशन' (कॉरपोरेट हाउसों की तर्ज पर विकसित कॉर्पोरेट पालिटिकल कल्चर, जिसमें नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच अफसर-मालिक व मजदूर का रिश्ता होता है) के इस युग में चन्द्रशेखर अकेले थे, जो हजारों कार्यकर्ताओं को सीधे जानते थे। उनके बीच रहते थे। उनसे जीवंत संवाद रखते थे। वह चाहे एसपीजी के घेरे में रहे हों या बाद में बगैर एसपीजी के, उनके आसपास कार्यकर्ता-सामान्य लोगों की भीड़ मिलती थी। वह डाटेंगे, फटकारेंगे, आजिज आ जायेंगे, पर रहेंगे उन्हीं के बीच। उन्होंने अपने घर के भाई-बंधुओं व रिश्तेदारों को राजनीति में नहीं उतारा। अब नेता, अपने दल को 'कॉरपोरेट हाउसों' की तरह चलाते हैं, जहां बड़े नेता कम सीइओ (चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर) समय से, दूर से, वैयक्तिक रास्ते नहीं (इमपर्सनल) औपचारिक रास्ते, जनता व कार्यकर्ताओं से संवाद-संबंध रखते हैं। दरअसल यह दो संस्कृतियों का टकराव है। आज ग्लोबल इकॉनामी की देन ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल कल्चर है, पर हमारी जड़ें अलग हैं। भारत की राजनीति का दर्शन, गांधी ने गांवों की संस्कृति से जोड़ा। वहां कार्यकर्ताओं के बीच मानवीय रिश्ते थे। अनुभूतियों और संवेदनाओं के पुल से यह रिश्ता गुजरता है। अब ग्लोबल इकॉनामी ने इसे भारत में भी छिन्न-भिन्न कर दिया है। चन्द्रशेखर उस पुरानी भारतीय राजनीति संस्कृति के अंतिम स्तंभ थे।

उनके राजनीतिक व्यक्तिव की एक खासियत थी। वह मूलत: संवेदनशील थे, पर उनकी राजनीति, भावनाओं के प्रवाह में कभी नहीं बही। वह आचार्य नरेन्द्र देव के साथ रहे जेपी से उनका सानिध्य रहा। इंदिरा जी से सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे, पर कभी भी इन महान नेताओं को भी सूरज चांद या विवेकानंद *(कानपुर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इन्हीं उपमाओं से विभूषित किया था संजय गांधी भी दिग्गजों द्वारा ऐसे ही विशेषणों से पुकारे गये)* उन्होंने नहीं कहा संवेदना के साथ विवेक। वह किसी चीज में यकीन नहीं करते थे, तो स्पष्ट कहते थे। सार्वजनिक तौर पर उनकी निजी मान्यताओं और सार्वजनिक स्टैडों में फर्क नहीं था। जो इन दिनों भारतीय राजनीति की खासियत बन गयी है। उनके पहले एक प्रधानमंत्री बने गांधी की तरह नंगे बदन तस्वीर खिंचवायी। वह प्रचारित की गई। फकीर कहे गए, पर प्रधानमंत्री पद की शपथ के ठीक पहले की रात, विशेष शेरवानी-अचकन और कपड़े सिले गये। विशेष दरजी से । चन्द्रशेखर ने शपथ ली, तो वही कुरता, बंडी और चप्पल। तब मधु लिमये ने 1990 में चन्द्रशेखर के इस वेषभूषा न बदलने पर सार्थक टिप्पणी की। यह महज कपड़े के बदलाव का मामला नहीं था। इससे एक व्यक्ति की जीवन शैली चिंतन और व्यक्तित्व की झलक मिलती है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद, विश्वनाथ प्रताप जी ने कहा कि वह सामान्य यात्री की तरह यात्रा करेंगे। इस घोषणा के बाद, वह सिर्फ एक बार बतौर प्रधानमंत्री सर्विस प्लेन से दिल्ली से पटना गये, उसमें भी लगभग पूरे जहाज की अग्रिम सरकारी बुकिंग कर ली गयी। इसी तरह एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) सुरक्षा का मामला था। वह एसपीजी सुरक्षा हटाना चाहते हैं, इसे लेकर बकायदे प्रचार अभियान चलवाया गया, ताकि वह नैतिक आभा मिल सके। पर अंत तक वह एसपीजी से घिरे रहे, चन्द्रशेखर नहीं। यह सवाल उठाना चाहिए कि हमारे बड़े नेता ऐसी सार्वजनिक घोषणाएं क्यों करते हैं? किन प्रयोजनों के तहत करते हैं? जिन पर अमल नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कि ये बड़े नेता सिस्टम की बारीकियों को नहीं जानते। फिर जानते हैं, तो ऐसी घोषणाएं किस मकसद से करवाते या करते हैं? जीवन में यह दोहरापन क्यों? महज लोकलुभावन नारों से देश के शीर्षस्थ नेता भी देश चलाने का अभिनय करें, इससे अधिक देश का दुर्भाग्य क्या होगा? किसी से तो भरोसा या विश्वास का रिश्ता बने।

बहुत पहले, अब्राहम लिंकन का एक पत्र पढ़ा था। वह पत्र प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को लिखा गया था, जहां उनका बेटा पढ़ता था। अद्‌भुत पत्र है, मानव समाज के लिए धरोहर। लिंकन ने उस पत्र में स्कूल के अध्यापक से इच्छा प्रकट की है कि किस तरह की शिक्षा मेरे पुत्र को दें। एक जगह उसमें उल्लेख है शिक्षा ऐसी, जो उसके अंदर विवेक, ऊर्जा और आत्मविश्वास दे कि जो भी वह सही समझे, उस पर अंतिम क्षण तक टिका रहे, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो और वह अकेले हो। दुनिया के खिलाफ अपनी मान्यताओं पर अकेले टिके रहने का आत्मविश्वास। दुनिया की नियति तय करने वाले नेताओं की भी एक खासियत है। जन भावनाओं में वे नहीं बहते। भीड़ की मानसिकता के अंग नहीं बनते। अनपापुलर डिसीजन (अलोकप्रिय और जोखिम भरे फैसले) लेने का साहस रखते हैं, वोट, सत्ता और भीड़ के व्याकरणानुसार अपनी नीति-धारा तय नहीं करते। इस कसौटी पर हाल के वर्षों में इंदिरा गांधी नेता थी और उसके बाद सिर्फ चन्द्रशेखर।

जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ। उन्होने सार्वजनिक तौर पर इंदिरा जी से जेपी से टकराव न लेने के लिए कहा। इसकी कीमत भी चुकायी। जेपी से भी कहा — संपूर्ण क्रांति स्पष्ट नहीं है, जिस तरह के लोग साथ हैं, उनसे आदर्श समाज नहीं बन सकता। अब तो यह शोध का विषय है कि जेपी आंदोलन से निकले राजनीतिज्ञों ने देश की राजनीति को कितना नफा या नुकसान पहुंचाया? जब भी कोई गंभीर सवाल देश के सामने हो और उस पर बेलौस व दो टूक बाते कहनी हों, तो उनके जीते जी चन्द्रशेखर के अलावा दूसरा नाम नहीं दिखाई देता था। सिक्खों के खिलाफ (इंदिरा गांधी की हत्या के बाद) हुए दंगों में अकेले वह विवेक की आवाज था। ऑपरेशन ब्लूस्टार के खिलाफ कही उनकी चेतावनी भरी बातें, भविष्यवक्ता की टिप्पणी हो गयी। देश ने इसकी भारी कीमत चुकायी और इन सवालों को साफ-साफ कहने के कारण कांग्रेस के कुछ खास लोगों ने, अरुण नेहरू की अगुवाई में बलिया में कैंप किया। 1984 लोकसभा चुनावों में सरकारी तंत्र के बल पर उन्हें चुनाव हरवाया और *'बलिया के भिंडरावाले'* नारे लगवाये।

ऑपरेशन ब्लूस्टार व सिख विरोधी दंगों पर उनके ऐतिहासिक स्टैंड को तात्कालिक तौर पर उनके खिलाफ राजनीतिज्ञों ने इस्तेमाल किया। पर देश ने इसकी क्या कीमत चुकायी? आज वही भीड़, जनता और सारे नेता एक स्वर में कहते हैं कि चन्द्रशेखर में दूरदृष्टि थी। जोखिम लेकर अपनी बातें कहने का साहस था।

विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार उनके दल की सरकार थी। कश्मीर मे जगमोहन के जाने, औद्योगिक घरानों की इच्छानुसार अजीत सिंह की उद्योग नीति और नेपाल में लोकतांत्रिक ताकतों के विरोध की नीति के खिलाफ उन्होंने अकेले मुखालफत की। आज की छोटी राजनीति के खिलाफ हाल के वर्षों में वह एक मात्र विवेक की आवाज रहे हैं। धर्म और जाति की नींव पर राजनीति करने वालों को उन्होंने साफ-साफ इसके खतरे बताये। न्यायपालिका की अतिशय सक्रियता के बारे में उन्होंने ही अकेले देश को आगाह किया। आर्थिक नीतियों एवं विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ उनकी देशव्यापी यात्रा, उनकी शुरू की नीतियों का ही विस्तार था। चाहे बिड़ला घराने के माध्यम से राजनीति में पूंजी के एकाधिकार का बढ़ता प्रसंग हो, सार्वजनिक क्षेत्रों को ताकतवर बनाने का मामला हो (बैंक राष्ट्रीयकरण या प्रिवीपर्स खात्मे की पहल जैसे कदम) या नयी अर्थनीति का प्रसंग हो, वह अकेले ही सक्रिय रहे। नयी अर्थनीति से देश के विभिन्न राज्यों में कैसे आर्थिक खाई-विषमता बढ़ी है? इसके संभावित खतरे क्या हैं? कितने छोटे उद्योग बंद हुए हैं? बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, इन प्रश्नों पर वह अकेली आवाज थे। नयी अर्थनीति से बढ़ती विषमता पर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। जीवन के अंतिम दौर में इस पर गंभीर नोट तैयार किया। संवाद आयोजित कराया।

और ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ अपने साहसिक स्टैंड के लिए ही जाने जाते थे। उनकी रचनात्मक विलक्षणता को देश नहीं जानता। अकेले अपने बूते पर उन्होंने ऐसे अनेक काम किये, जो अविश्वसनीय हैं। यह रचनात्मक प्रतिभा आज जीवित किसी भी नेता में नहीं है। भारत यात्रा केन्द्र या भुवनेश्वरी आश्रम, बलिया का शहीद स्मारक दरअसल बंजर, रेगिस्तान और पहाड़ पर चन्द्रशेखर की रचनात्मक प्रतिभा के 'नखलिस्तान' है। कोई बड़ा संगठन पीछे नहीं, बड़ी पूंजी वाला बल नहीं। लोगों से मांग-मांग कर खुद तीखी धूप में खड़े होकर काम करते थे। घंटों कार्यकर्ताओं के साथ ईंट ढोते हुए - सफाई करते हुए - कराते हुए, निर्माण का अनूठा विजन। सुनसान और पथरीले भूखंडों पर बने एक-एक भारत यात्रा केन्द्र एक पुस्तक के विषय हैं।

जयप्रकाश जी की जन्मभूमि में बना जेपी स्मारक तो चमत्कार ही है। पत्थर पर दूब उगाने जैसे। यह गांव दो नदियों, गंगा-घाघरा के बीच में स्थित है। सिर्फ नाव से ही आना-जाना संभव था। जेपी खुद नदी पार कर पैदल या हाथी से घर पहुंचते थे। न अस्पताल, न सड़क, न ढंग के स्कूल। चार-पांच महीने बाढ़ के पानी में डूबा रहने वाला गांव। आवागमन के साधन नहीं, पास के शहर-जिला केन्द्रों, आरा, छपरा या बलिया जाने में कम से कम पूरे दिन का समय लगता था।

आज वह गांव बदल गया है। सड़क है, बेहतरीन स्कूल है। लड़कियों का कॉलेज है। बाढ़ से सुरक्षा है और सबके ऊपर अद्‌भुत जेपी स्मारक है। प्रभावशाली लाइब्रेरी, जेपी का स्मारक, जेपी का पुश्तैनी घर और खादी बोर्ड द्वारा संचालित स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र।

राजेन्द्र बाबू के पुश्तैनी घर वगैरह पर अपराधियों का कब्जा था। ढंग की कोई चीज नहीं बनी थी। जो थे, वे खंडहर बन रहे थे। नीतिश कुमार ने रुचि लेकर राजेन्द्र बाबू के स्मृति स्थल का उद्धार करवाया है। गांधी के पोरबंदर के बारे में भी खबर है कि वह भी अपराधियों के रहमोकरम पर है। गांधी जिस स्कूल में पढ़े, वह खंडहर हो चुका है, बंद होने की स्थिति में है। ऐसे माहौल में जेपी का अनोखा

स्मारक, चन्द्रशेखर के श्रम, संकल्प और सृजन क्षमता का जीवंत प्रतिरूप है, और उसे विशिष्ट बनाया जेपी के अभिन्न सहयोगी, स्वतंत्रता सेनानी, त्याग, ईमानदारी व सादगी की प्रतिमूर्ति जगदीश बाबू ने।

चन्द्रशेखर बराबर कहते रहे हैं : हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं। एडमंड वर्क (ब्रिटिश राजनीतिज्ञ व लेखक) ने बहुत पहले कहा था कि एक सच्चा राजनीतिज्ञ हमेशा इस बात पर सोचता रहता है कि कैसे वह अपने देश में मौजूद संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा अर्जित करे। तरक्की करे।

प्रधानमंत्री थे, तो एक अनोखी योजना रचना वाहिनी का प्रयास बना। सरकार चली गयी, इसलिए योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।

चन्द्रशेखर ने योजना आयोग के माध्यम से प्रस्ताव रखा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मंच से देश भर के कुलपतियों को संबोधित किया। रचनावाहिनी खड़ा करने का प्रारूप रखा। विश्वविद्यालय के अध्यापकों को संबोधित किया। कहा कि रचनावाहिनी खड़ा कर अनिवार्य समय गांव में दें। गांवों में जायें और वहीं रहें। लोगों को साक्षर बनाने और बंजर भूमि को आबाद करने में युवा छात्र-ताकत लगे। अपने श्रम, पोरूष और रचनात्मक ताकत को देश बनाने में युवा लगायें। गौर करिए, हमारे देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय व हजारों कॉलेज हैं। छात्रों और अध्यापकों की तादाद करोड़ों में होगी। जिस दिन यह ताकत देश बनाने निकल पड़ेगी, उस दिन मुल्क का क्या स्वरूप होगा?

चन्द्रशेखर मीडिया में विलेन के रूप में पेश किये जाते थे। इसके भी कारण थे। जिस पूंजी के खिलाफ पिछले साठ वर्षों में उनकी राजनीति हमलावर रही, वही पूंजी मीडिया को नियंत्रित करती है। वही पूंजी मीडिया का प्रखर स्वर तय करती है। उस पूंजी के मालिक फैसला करते हैं कि किस राजनीतिक धारा, व्यक्ति, संगठन और मुद्दों को प्राथमिकता देनी है और किन्हें हाशिये पर रखना है? चन्द्रशेखर इस पूंजी और इसकी मीडिया ताकत के बावजूद अपनी जगह थे। उनकी मर्जी से नहीं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के बाद वही एक प्रधानमंत्री हुए, जो मीडिया-पत्रकारों को भी खरी-खोटी सुनाने थे। इंदिरा जी के बाद के प्रधानमंत्रियों (चन्द्रशेखर अपवाद) ने एक खास शैली विकसित की है, मीडिया मैनेजमेंट की। चाहे वीपी सिंह हों या वाजपेयी, सारे बड़े मीडिया घरानों और बड़े पत्रकारों से उनके निजी ताल्लुक रहे। कब, कहां, किससे मीडिया में फेवर लेना है, यह तंत्र-कला उन्हें मालूम था। बड़े राजनेताओं द्वारा बड़े पत्रकारों को सरकारी कोष से भारी रकम देने की सूची वर्षों पहले जगजाहिर हो चुकी है।

चन्द्रशेखर के भुवनेश्वरी आश्रम की चर्चा खूब होती थी, अदालतों से लेकर अखबार के पन्नों तक। पर उसका एक पक्ष अचर्चित रहा, बंजर को आबाद करने की उनकी क्षमता का। और सारे बड़े नेताओं-नौकरशाहों और पूंजीपतियों के दिल्ली से लेकर हिमाचल तक के बड़े फार्म हाउसों पर एक लाइन चीजें नहीं छपतीं, क्योंकि वे इलीट क्लास (शासक वर्ग) की है। ये निजी फार्म हाउस कैसे बने? कहां से पैसे आये? कैसे जमीनें ली गयीं? कहां क्या होता है? यह ठीक कि भारत यात्रा केन्द्र ट्रस्ट की जमीन-संस्थाओं पर सार्वजनिक चर्चा हो, पर नितांत गलत तरीके से बने निजी फार्म हाउसों पर चुप्पी

क्यों? अदालतों में भी ये प्रसंग नहीं उठे, चूंकि चन्द्रशेखर उस इलीट वर्ग के खिलाफ रहे, इसलिए उन्हें परेशान किया गया, पर उन्हें नहीं, जो निजी मिल्कियतें खड़ी करते रहे हैं। सरकार उन्हें उपकृत करती है और मीडिया के दिग्गज अपने फेवरिट राजनेता को। पत्रकारों को सांसद बनाने की मुहिम हो या अखबारों को फाइनेंस करा कर अखबार निकलवाने का दौर हो या चैनलों में अपने प्रभाव-दखल बढ़ाने की प्रतिस्पर्द्धा हो, चन्द्रशेखर इस खेल से ही बाहर रहे, शुरू से ही। उनकी सरकार थी, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार से चली आ रही नीति को खत्म कराया। दूरदर्शन या रेडियो पर क्या खबरें रोज आती हैं, क्या सुर्खियां हों, यह दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर स्वतंत्र छोड दिया गया। कोई बंदिश नहीं। न प्रसारण से पहले जांच, ताकि सरकार व प्रधानमंत्री की इमेज बिल्डिंग हो। मीडिया को मैनेज करने, उनकी खुशामद करने व चापलूसी करने की संस्कृति उन्होंने खत्म कर दी थी। आज हालात बदल गये हैं। दिल्ली से लेकर कस्बों तक नेता पहले 'मीडिया मैनेजमेंट' में ही दक्षता पाते हैं।

आज राजनीति से गंभीर मुद्दे और सवाल गायब हैं। संसद में बहसों का स्तर देख लीजिए। बहुत पहले एक बार चन्द्रशेखर जी ने बताया था, जब पहली बार संसद पहुंचा, तो बड़े-बड़े नेताओं से संपर्क हुआ, जिनके नाम, बयान और स्टैंड, अखबारों की सुर्खियां बनते थे। चन्द्रशेखर जी ने कहा कि मैं हैरान रह गया कि ऐसे नेताओं को अधिक समय वह ये बातें करते हुए पाते थे कि मेरे ड्राइंगरूम का परदा, गद्दे का कवर किस रंग का है? दोनों में तालमेल है या नहीं? कौन सी अत्याधुनिक चीजें हमारे पास हैं? क्या विदेश से मंगानी है? चन्द्रशेखर जी ने कहा कि मैं यह सब देख कर हतप्रभ रह गया कि जिस मुल्क में 50 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे बेबस जीवन जी रहे हैं। उनके रहनुमा किस दुनिया में हैं?

आज के प्रसंग में चन्द्रशेखर का यह कथन गौर करिए। करोड़पति सांसदों की बढ़ती संख्या। राजनीति में कारपोरेट हाउसों के बढ़ते दखल। देश के शासकों के बीच उपभोग-लक्जरी की लेटेस्ट चीजों को पाने की स्पर्धा। अगर यह गणित साफ है, तो समझ में आता है कि संसद में बहस का स्तर कैसे और क्यों रसातल में पहुंच गया?

विरोध में भी मर्यादा। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक समाज का मूल प्राण है। बात उन दिनों की है, जब युवा तुर्क के रूप में चन्द्रशेखर ने मोरारजी भाई की नीतियों पर प्रहार किया। तारकेश्वरी जी, मोरारजी की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने सीरीज में लेख लिख कर चन्द्रशेखर पर हमला किया। चंद्रशेखर को कुछ लोग उनसे संबंधित निजी दस्तावेज दे गये। चंद्रशेखर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। उनकी जानकारी तारकेश्वरी जी को थी। बाद में उनके निजी जीवन में कुछ गहरे संकट आये, तो चन्द्रशेखर ने उन्हें मदद कर विपत्ति से उबारा। पर वह ऐसी चीजों की चर्चा नहीं करते थे। जगजीवन राम समेत अनेक दिग्गज लोगों ने विपत्ति में उन पर ही भरोसा किया।

पटना बांसघाट पर जेपी की अंत्येष्टि हो रही थी। संजय गांधी, इंदिरा गांधी को वहां देख कर युवकों का एक समूह अचानक उग्र हो उठा। चन्द्रशेखर ने वस्तुतः दौड़ कर युवकों को पकड़ लिया। बीच में खड़े हो गये। स्थिति संभाली। बातचीत में इंदिरा गांधी के प्रति उनके मन में सम्मान था। कहीं कटुता

नहीं। आज जब राजनीति में मामूली विवाद जीवन-मरण के प्रसंग बन गये हैं, तब राजनीति में इस धर्म (विरोधियों के प्रति सम्मान) व आचरण का निर्वाह सचमुच प्रेरक था।

एक और संदर्भ में वह जीवित सभी नेताओं से भिन्न थे। भारतीयता की गहरी समझ, भारत की विशिष्टताएं और अतीत की वे चीजें, जो वर्तमान में सीखने योग्य हैं। वह जिस दृष्टि और संदर्भ में बताते थे, वह उल्लेखनीय था। भारत की नदियों की सफाई, सूखती गंगा, यमुना, घाघरा, पुनर्जीवन के अभियान, तीर्थों की सफाई, गांधी के चंपारन स्थित भितहरवा के कायाकल्प या महापुरुषों के जीवन से जुड़े प्रेरणा केन्द्र बनाते या राष्ट्रीय धरोहर के नवनिर्माण के प्रसंग या सपने या अभियान, उनके अंदर एक बेचैनी और दृष्टि थी। इस देश को उन्होंने जितना घूमा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की पैदल व कार यात्राएं की, वह अन्य नेताओं के वश की बात नहीं है।

आज चन्द्रशेखर जी को याद करता हूं, तो उनकी कौन सी छवि उभरती है? अनेक दृश्य उभरते हैं, शुरू के उनके संघर्ष के दिन, स्वाभिमान और प्रतिबद्धता से भरपूर *'मेरी जेल डायरी'* के अंश याद आते हैं पुराने दिनों के बारे में कहीं-कहीं उन्होंने लिखा है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बरतन धोने, कई शाम उपवास रहने के दिन। एक उल्लेख मेरी स्मृति में बार-बार उभरता है। *'होली'* के दिन पार्टी कार्यालय (लखनऊ) में उपवास रहने की अनुभूति जब चन्द्रशेखर जी जेल डायरी में दर्ज करते हैं। मेरठ में एक मिल के सामने संघर्ष में मजदूरों के पक्ष में सिर्फ दो लोगों (जिसमें एक खुद वह थे, दूसरे उनके मित्र ओम प्रकाश श्रीवास्तव) का प्रदर्शन-सभा और गिरफ्तारी या इलाहाबाद में आयोजित एक सभा में छात्र नेता के रूप में अकेले पार्टी झंडा लेकर, इलाहाबाद स्टेशन पर मुंबई से आ रहे तब के जाने माने पत्रकार डी.एफ. कारका की अगवानी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संगठन नेता के रूप में अंग्रेजी में तैयार उनकी प्रेस विज्ञप्ति देखकर, पत्रकार शिरोमणि चलपति राव (*नेशनल हेराल्ड* के संपादक) द्वारा अंग्रेजी और उस प्रेस विज्ञप्ति के कंकेट की सराहना और युवा चन्द्रशेखर के बारे में तहकीकात या उनके युवा तुर्क दिनों की भूमिका, गुजरात-महाराष्ट्र में उन पर हमले, राजनीति में अर्थनीति के प्रसंगों को देश में बहस मोरचे पर लानेवाले चन्द्रशेखर, प्रिवीपर्स और बैंक राष्ट्रीयकरण के सवालों को उठाने वाले चन्द्रशेखर मुंबई कांग्रेस कार्यसमिति में एक शब्द पर आठ घंटे की बहस करने वाले चन्द्रशेखर। सभी दिग्गज एक तरफ, चन्द्रशेखर अकेले रात 12 बजे इंदिरा जी ने खाना खाने के लिए सबको निमंत्रित कर बैठक स्थगित करवायी, वह चन्द्रशेखर या उस चन्द्रशेखर की छवि जब उनकी पत्रिका *यंग इंडियन* के उनके संपादकीय, अखबारों के बैनर हेडलाइंस बनते थे वह चन्द्रशेखर भी उभरते हैं, जो इंदिरा जी के अधिकृत प्रत्याशी को पराजित कर शिमला कांग्रेस अधिवेशन (1972) में सबसे अधिक मत पा कर, कांग्रेस कार्यसमिति में चुने गये या वह चन्द्रशेखर जिनकी छवि, तेवर, साफगोई और कांग्रेस कार्यसमिति की बैठकों में बहसों-मुद्दों को देख कर, कांग्रेस के चाणक्य द्वारका मिश्र ने एक कांग्रेस कार्यसमिति (पंडित मिश्रा अंतिम बार इसी बैठक में आये) में अन्य लोगों को चेताया था। उस बैठक की पृष्ठभूमि थी कि बिहार आंदोलन के बारे में या जेपी के बारे में चन्द्रशेखर के विचार देख कर कांग्रेसी उनके खिलाफ गोलबंद हो रहे थे। पंडित जी ने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को आगाह किया कि चन्द्रशेखर से लड़ने के पहले याद रखें।

'चाह गयी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह
जा को कछु न चाहिए, वह शाह-न-को शाह'

वहीं बैठे पंडित मिश्र ने चन्द्रशेखर को भी आगाह किया,

'खुल खेलो संसार में, बाँधि सके न कोय
घाट जकाती क्या करे, जो सिर बोझ न होय'

चन्द्रशेखर जी ने हमेशा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की इन पंक्तियों को याद रखा। कभी-कभार नितांत निजी क्षणों में वह सुनाते थे।

वह कांग्रेसी चन्द्रशेखर भी जेहन में उभरते हैं, जिन्होंनें इंदिरा जी के ताप के, शीर्ष उफान के दिनों में (जब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा) सार्वजनिक रूप से कहा, संत (जेपी) सत्ता से इंदिरा जी (राजसत्ता) ने टकरायें, परिणाम बुरे होंगे। उन्हीं दिनों जब कांग्रेसी जेपी को फासिस्ट करार दे चुके थे, तब जेपी को अपने घर चाय पर बुलाना और इसमें 60 कांग्रेसी सांसदों का पहुंचना। देश में तूफान खड़ा हो गया। इन कांग्रेसी सांसदों में इंदिरा जी ने विश्वस्त सिपहसालार सिद्धार्थ शंकर राय की सांसद पत्नी माया रे भी थीं। याद आता है, अगले ही दिन सिद्धार्थ शंकर राय का बयान आया कि उनकी पत्नी (माया रे) को मालूम नहीं था कि चन्द्रशेखर के घर जेपी आने वाले हैं। दूसरे दिन चन्द्रशेखर का बयान अंग्रेजी अखबारों का बैनर हेडलाइन था, मेरे अंदर और कोई कमी हो सकती है, पर सच कहने का नैतिक साहस है, मेरे यहां आनेवाले हर सांसद को पता था कि जेपी के साथ चाय पीने-बात करने आ रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस में सब चुप। जनता पार्टी शासन में कुछेक लोग इंदिरा जी से सरकारी आवास खाली करने पर तुले थे, इसके खिलाफ अकेले स्टैंड लेने वाले चन्द्रशेखर, भारत यात्रा करने वाले चन्द्रशेखर 1984 में बलिया के भिंडरावाले कहकर जिन्हें पराजित किया गया, उसके बाद जेपी स्मारक के निर्माण जैसे रचनात्मक कार्यों में बगैर संसाधनों के अकेले लगे चन्द्रशेखर। वह चन्द्रशेखर जब 1982-83 में इंदिरा जी से पूछा गया कि आपके बाद देश को समझने वाला-संभालने वाला नेता कौन है? तो उन्होंने विपक्ष के चन्द्रशेखर का पहला नाम लिया। या सिर्फ 50 सांसदों के बल पर प्रधानमंत्री बनाने वाले चन्द्रशेखर या नयी अर्थनीति पर लोक सभा में पर 91 में तब अकेला विरोधी स्वर, डंकल-गैट के सवाल पर देशव्यापी कार यात्रा करने वाले चन्द्रशेखर देश के कोने-कोने जाकर संवाद आयोजित करने वाले चन्द्रशेखर। ये और ऐसी अनेक उनकी छवियां उभरती है। देश की शीर्ष राजनीति में तीन दशकों तक सूत्रधार रहने वाले चन्द्रशेखर की।

पर इन सभी 'छवियों' में चन्द्रशेखर का अंतिम दौर याद आता है, जो उनके कंधे राजनीति की सीढ़ी चढ़े, वे उन्हें छोड़ कर जा चुके थे। जो व्यक्ति देश के मामलों में चार दशकों तक शीर्ष पर रहा, वह अंत में अकेले रह गया। पर वही आत्मस्वाभिमान तेवर और खुद्दारी। शीर्ष पर रहे लोग अब अकेले पड़ते हैं, तो वे कमजोर हो जाते हैं, पर चन्द्रशेखर अलग मिट्टी के थे। अकेले अपने कन्विक्शन के साथ जीने वाले अपनी ही शर्तों पर जीने वाले-राजनीति करने वाले ऐसे कितने लोग आज राजनीति में दिखाई देते हैं?

प्रधानमंत्री के अपने छोटे कार्यकाल में उन्होंने जो साहसिक फैसले किये, वे दूरगामी थे। ऐसे फैसले वही कर सकता है, जो अपने कन्विक्शन पर चलता हो। याद आता है, 1991 का अर्थसंकट। यह दिवालिया होने की स्थिति अचानक नहीं आयी। गुजरे 30 वर्षों की अर्थनीति और भ्रष्टाचार से उपजा था, यह अर्थसंकट पर 1987 से यानी राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह दोनों ने प्रधानमंत्री के तौर पर इस संकट से जुड़ी फाइल दबाए रखी। कोई निर्णय नहीं किया। जब चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री हुए, तो विमल जालान यह फाइल लेकर उनके पास आये। शपथ लेने के एक दो दिनों के अंदर ही। फाइल देख कर चन्द्रशेखर जी ने पूछा कि वर्षों से क्या यह फाइल मेरे लिए रखी गयी थी? उत्तर था कि नहीं पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों ने इसे देखा, पर निर्णय नहीं लिया।

चन्द्रशेखर जी के न रहने पर आर्थिक टीकाकार जयतीरथ राव ने लिखा कि आज देश उदारीकरण के बाद विश्व आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। अगर 1991 में चन्द्रशेखर जी ने अर्थसंकट से बचाया न होता, अगर देश कंगाल हो गया होता, तो आज भारत की यह स्थिति रहती?

उनके व्यक्तित्व के बारे में जब भी सोचता हूं, तो दशकों पहले मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी सुनायी कुछ पक्तियां अक्सर याद आती हैं–

मैदाने इंतेहां से घबरा के हट न जाना।
तकमील जिंदगी है, चोटों पे चोट खाना।
अब अहले गुलिस्तां को शायद न हो शिकायत।
मैंने बना लिया है, कांटों में आशियाना।

राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए, 10 नवम्बर 1990

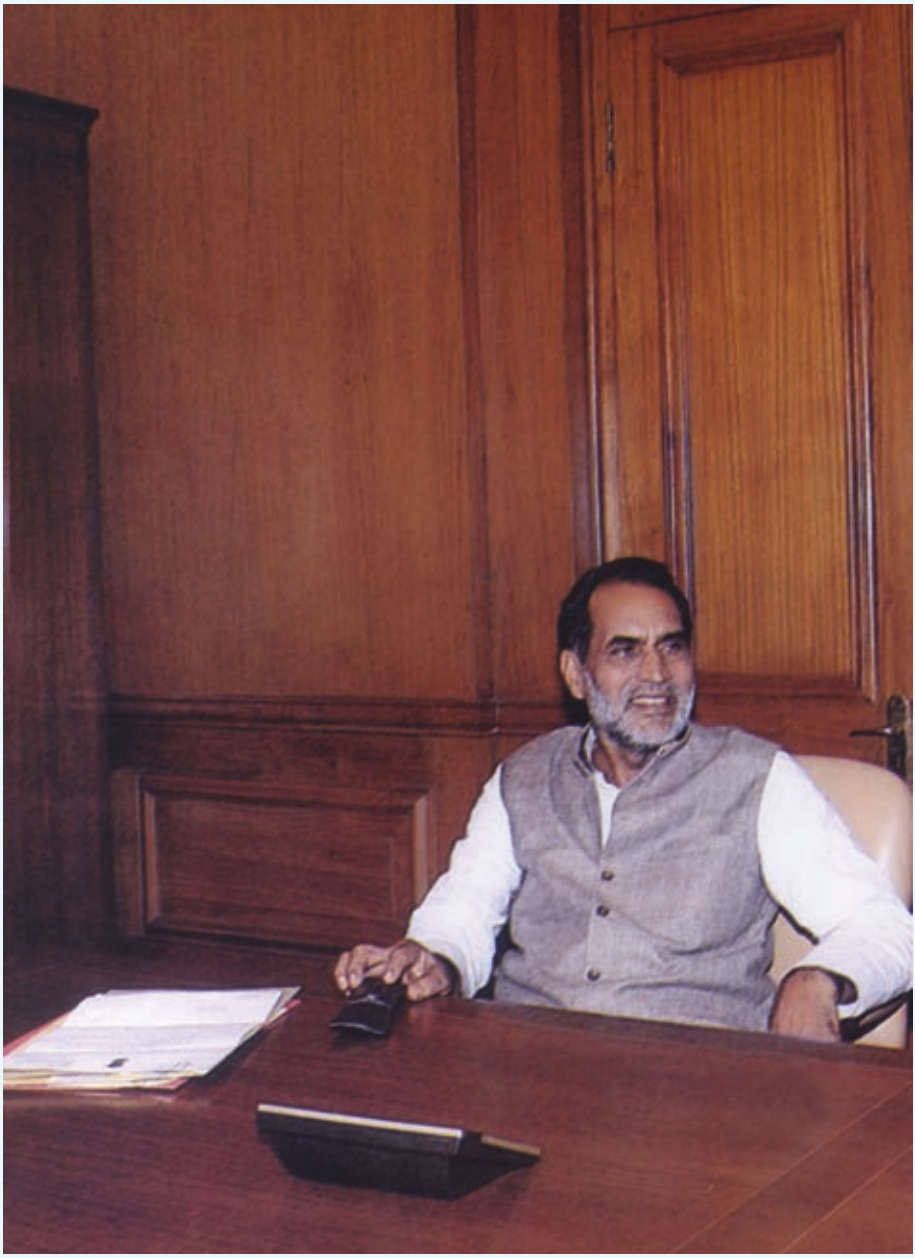

नई दिल्ली में अपने कार्यालय में, 10 नवम्बर 1990

राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरमन और उपप्रधानमंत्री श्री देवी लाल के साथ
राष्ट्रपति भवन में, 10 नवम्बर 1990

गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर विशिष्ट अतिथियों
का अभिवादन करते हुए, 29 जनवरी 1991

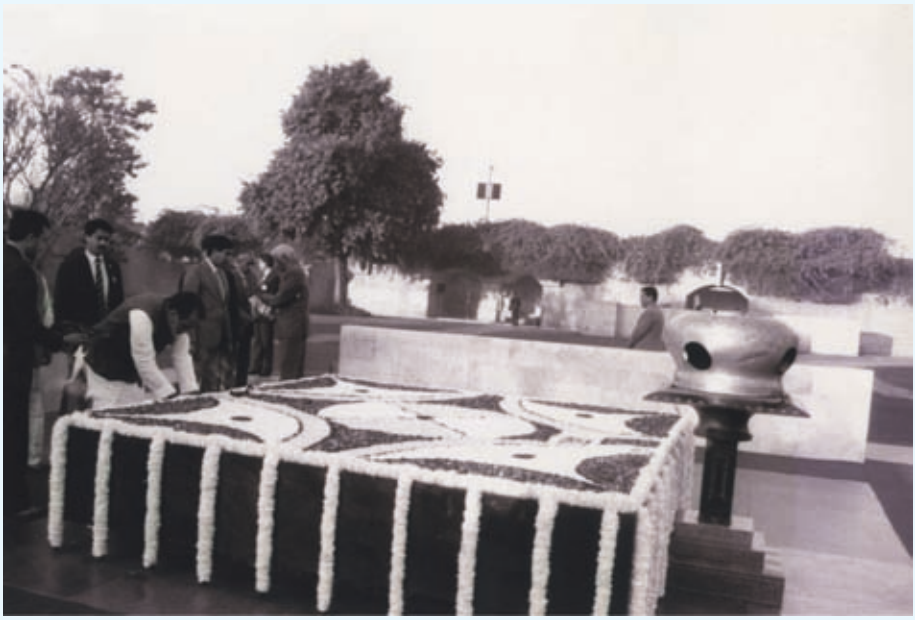

राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, 30 जनवरी 1991

अमर जवान ज्योति पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, 26 जनवरी 1991

योजना आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, नई दिल्ली, 26 फरवरी 1991

जैव प्रौद्योगिकी विभाग की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के
साथ बैठक में, नई दिल्ली, 17 दिसम्बर 1990

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के साथ, नई दिल्ली, 5 जनवरी 1991

बी बी सी के चीफ ऑफ ब्यूरो, श्री मार्क टुली के साथ साक्षात्कार के दौरान,
नई दिल्ली, 19 जून,1991

भाग-तीन
संसद में उनके चुनिंदा भाषण

राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा

कल्याणकारी राज्य : सरकार का दायित्व*

उपसभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति जी का संविधान की उन धाराओं की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु आभार व्यक्त करता हूं, जिनके तहत हमने शपथ ग्रहण की है। हम देश के सामाजिक और राजनैतिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करने की शपथ लेते हैं। वास्तव में, यह दर्शाने के लिए कि जब पहली बार मनुष्य के मन में राज्य की संकल्पना आई होगी, तो क्या हुआ होगा, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। मनुष्य ने अपने अधिकार छोड़ दिए और एक संगठन का सृजन किया, जिसे हम राज्य के रूप में जानते हैं। उन्नीसवीं सदी में राज्य की संकल्पना पुलिस राज्य की थी। उस समय, हर्बर्ट स्पेंसर और अन्य लोगों ने स्पष्ट किया था कि राज्य और सरकार का दायित्व लोगों की आंतरिक उत्पाद और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना था। प्राचीन राज्य में, जब राज्य की संकल्पना अस्तित्व में आई, उस समय राज्य के दो प्रमुख कर्त्तव्य थे। एक यह था कि आंतरिक उत्पाद नहीं होना चाहिए और दूसरा बाह्य आक्रमण भी नहीं होने चाहिएं। जब देश के साथ ही विश्व में बीसवीं सदी में कल्याणकारी राज्य का मुद्दा आया, तो इन दो मूल संकल्पनाओं को कायम रखते हुए राज्य के कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी।

मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है कि मैंने कई बार इस सभा में सुना है कि हम चीन के विरुद्ध युद्ध के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर सके, क्योंकि हम अवसंरचना निर्माण में व्यस्त थे। हम चीन से युद्ध नहीं कर सके क्योंकि हम स्वयं को निरक्षरता, गरीबी और भुखमरी से ऊपर उठाना चाहते थे। राज्य के दायित्वों के संबंध में इस नए आयाम, नए दर्शन और नए सिद्धांत को व्यक्त करने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को जाता है। सम्पूर्ण विश्व में यह अत्यंत गर्व के साथ कहा जाता है कि हम शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, हम महात्मा गांधी के देश से संबंध रखते हैं। हम सभ्य राष्ट्र हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य और सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्त्तव्य राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करना है और यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो वह सरकार विश्व में सभ्यता और शांति का प्रचार नहीं कर सकती। सुरक्षा, सभ्यता और शांति के प्रचार से पहले आती है। इस संदर्भ में, हमें चीन के विरुद्ध इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। मैं आश्चर्यचकित हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक उल्लेख किया गया था कि एक राष्ट्र, जिससे हम मित्रता स्थापित कर रहे हैं, हमें धोखा कैसे दे सकता है और हम पर अचानक हमला कैसे किया गया था। हम कब तक यह कहते रहेंगे? यह हमला अचानक नहीं था। वर्षों पहले, देश को जानकारी थी कि चीन के लोग हम पर आक्रमण करने वाले हैं। मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूं। नवम्बर-दिसम्बर, 1957 के माह में, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सम्पूर्णानन्द को पत्र लिखा था कि चीनी लोग तकलाकोट में एकत्र हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सीमा के निकट रहने वाले लोगों को चीनी लोग बहका रहे हैं। कृपया सतर्क रहें और अपने लोग तैनात करें। मेरे उस पत्र का उत्तर नहीं दिया गया था। तत्पश्चात्, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि सम्पूर्णानन्द जी शायद यह सोच रहे हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं। आप सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपको इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए। मुख्य सचिव से प्राप्त पत्र अभी भी मेरे पास है। उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे पत्र को गुप्त पुलिस द्वारा देखा जा रहा है। तत्पश्चात्, वर्ष 1959 में राष्ट्र को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था, जब 1959 में ''पीपल्स डेली'' में ''रिवोल्यूशन इन तिब्बत एंड नेहरू फिलॉसफी'' शीर्षक से एक लेख दिखाई दिया। मैं इसे

*राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 20 फरवरी, 1963, कॉ. 339-362

समय की कमी के कारण उद्धृत नहीं करना चाहूंगा। मैंने क्या कहा था? यह स्पष्ट कहा था कि पंडित जवाहर-लाल नेहरू एक साम्राज्यवादी एजेंट थे। माननीय भूपेश जी गुप्त यहां उपस्थित नहीं हैं। आज भूपेश जी गुप्त को पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति गहरी संवेदना है। लेख 6 मई, 1959 को ''पीपल्स डेली'' में छपा था और श्री भूपेश गुप्त ने 8 सितम्बर, 1962 तक मौन साधे रखा। हमारे कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम पर अचानक खतरा मंडराया। यदि मुझे पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ आपके समान सहानुभूति नहीं होती, तब भी आपको 6 मई, 1959 को जानकारी हो गई होती। हम अभी भी भाईचारे और सह-अस्तित्व के स्लोगन के नारे लगा रहे थे। हमारे साम्यवादी दोस्तों को शायद स्मरण हो कि वारसा शक्तियों पर मॉस्को में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था और रूस तथा चीन के सह-अस्तित्व मुद्दे पर विवाद हो गया और तत्पश्चात्, चीन ने रूस पर हमला कर दिया। अप्रैल, 1960 में, चीन के ''रेड फ्लैग'' नामक अखबार ने अपने सम्पादकीय में लिखा था - ''हम लेनिनवाद विचारधारा की पूर्ण यथार्थता में विश्वास करते हैं। युद्ध अपरिहार्य है।''

यह लेख बहुत लम्बा है। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। ''रेड फ्लैग'' में यह लेख प्रकाशित हो जाने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अपनी आंखें नहीं खोलीं और कहा कि भारत पर अचानक आक्रमण हुआ था।

मैं आपको बता दूं कि जब दलाई लामा को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत के लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी स्वायत्तता बनी रहेगी, किन्तु यह जारी नहीं रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कम से कम सात बार संसद में कहा था कि हम तिब्बत के लोगों के साथ हैं। उन्होंने तिब्बत के साथ संधि पर हस्ताक्षर करते हुए तिब्बत की सीमाओं और स्वायत्तता के मुद्दे पर हमला नहीं किया था। जब तिब्बत के लोगों को मारा जा रहा था, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू सहानुभूति दर्शा रहे थे। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इन मुद्दों को दोहराए जाने की आवश्यकता है? ये सभी चीजें क्यों हुई थीं? आज हमारे एक सदस्य ने कहा कि वे युद्ध की बात करते हैं। गुप्त जी ने कहा कि वे युद्ध की बात करते हैं। वे युद्धोत्तेजक कार्य करते हैं। मैं खुश हूं। मैं विधि मंत्रालय को सभा में खुले रूप से यह कहने के लिए बधाई देता हूं कि चीन का मुद्दा सेना का मामला है और यह मुद्दा सेना के माध्यम से सुलझ सकता है। विधि मंत्रालय ने यह वक्तव्य देकर दृढ़ इच्छा व्यक्त की, किन्तु जब मैं प्रधानमंत्री के विचारों के संदर्भ में सोचता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। कोलम्बो शक्तियों संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए हमेशा से ही हमें बताया जाता है कि यदि हम इस तरह बात करेंगे तो हम असभ्य माने जायेंगे। सभ्य देशों में चर्चा से कभी भी इंकार नहीं किया जाता है। मुझे इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है, किन्तु मुझे जितना याद है, यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही जानकारी दे दें, कि डी. वल्लेरा ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने से यह कहकर इंकार कर दिया था कि उनके हाथ हमारे शहीदों के खून से रंगे हैं। क्या यह सही नहीं है? जब मैं एक विद्यार्थी था, भारत में इसका व्यापक प्रचार किया गया था, प्रधानमंत्री नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, एक नेता थे और उन्होंने कहा था कि, ''हम मुस्सोलिनी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हैं।'' मैं नहीं जानता कि क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू व्यर्थ की बात कह रहे थे। मैं नहीं जानता कि पंडित नेहरू का यह कृत्य बचकाना था। मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू एक सिद्धांत पर प्रचार कर रहे थे। सभा और इस राष्ट्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए, यदि उन सिद्धांतों का सत्ता में आने के बाद प्रचार नहीं किया जा रहा है।

मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि इस संसार में कभी-कभार ही सुअवसर मिलते हैं और जब ऐसे सुअवसर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र के द्वार पर दस्तक देते हैं तो चुनौती को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। उप-सभापति महोदय, शायद आपको स्मरण होगा कि इंग्लैंड संकट में था, एक प्रतिष्ठित कवि, इंग्लैड के राष्ट्रीय कवि, रूडयार्ड किप्लिंग ने विश्व से कहा था:

''वन्स मोर वी हियर द वर्ल्ड
दैट सिकन्ड द अर्थ ऑफ ओल्ड:
नो लॉ एक्सेप्ट द स्वोर्ड,
अनशीथ्ड एंड अनकंट्रोल्ड''

क्या आप सोचते हैं कि रूडयार्ड किपलिंग एक असभ्य व्यक्ति थे? क्या आप सोचते हैं कि रूडयार्ड किपलिंग में आम आदमी के प्रति सहानुभूति कम थी? मगर परिस्थितियोंवश वह ऐसा करने के लिए बाध्य थे। अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे एक मित्र ने महाभारत का उल्लेख किया। महाभारत के दौरान एक समय आया जब कृष्ण भगवान को यह कहना पड़ा।

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम्;
तस्मादुतिष्ठा कौंतेय युद्धया कृतनिश्चय:।।

हे, अर्जुन युद्ध के लिए आगे बढ़ो, युद्ध करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग जाओगे और यदि बच गए तो इस संसार में गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे।

14 नवम्बर, 1962 को हमारी संसद ने रूडयार्ड किपलिंग की उसी भावना और गीता के संदेश को पुन: याद किया, किन्तु मैं यह आरोप लगाता हूं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार ने उस भावना को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यदि हम कोलम्बो संकल्प को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये छह देश हमसे नाराज हो जाएंगे। मैं यहां उपस्थित वरिष्ठ सांसदों को याद दिलाना चाहूंगा कि यह मामला उस समय भी उठाया गया था, जब अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में ''भारत छोड़ो'' संकल्प लाया गया और जब ''करो या मरो'' का नारा दिया गया था। शांति का मसीहा कहे जाने वाले व्यक्ति ने उस समय कहा था कि अमरीका और चीन हमारी स्वतंत्रता के समर्थक हैं। यदि युद्ध में हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो चीन और अमरीका क्या कहेंगे? महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा था — मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अमरीका और चीन क्या कहेंगे। मुझे चिन्ता है कि इतिहास क्या कहेगा। मैंने इतिहास बनाने की जिम्मेदारी ली है। मुझे याद है हमारी पार्टी के महासचिव श्री नारायण गणेश गोरे ने आगा खान महल में महात्मा गांधी को अनशन तोड़ने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा था क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन देश के लिए बहुमूल्य था। उपसभापति महोदया, महात्मा गांधी जी ने इसका क्या उत्तर दिया? गांधी जी ने उनसे कहा कि उन्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनमें क्रांति का जज़्बा है तो आगा खान महल आकर उनका साथ दें और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दें। मैंने जो यह नारा दिया है ''करो या मरो'' का अर्थ ही है ''करो और मरो''। राष्ट्र निर्माता इस प्रकार के थे। वे दृढ़ निश्चयी थे। वे अपने मत बदला नहीं करते थे। वे रातों-रात अपने निर्णय नहीं बदला करते थे। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार अपने निर्णय प्रतिदिन बदलती है। मैं चाहे और कुछ भी करूं मगर अपने देश को युद्ध की आग में नहीं झोंक सकता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे मुद्दे अक्सर हमारे सामने आते हैं जब युद्ध के बारे में चर्चा हो रही थी तो एक नारा सामने आया था। मैं समझ

नहीं पाया। मैं भी राजनीति का छात्र रहा हूं। युद्ध का प्रश्न यदि एक तरफ करें, प्रत्येक वक्ता ने कहा है गुटनिरपेक्षता समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसका अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का प्रश्न ही कहां है? केवल कुछ लोगों को छोड़कर सभी ने कहा है कि गुटनिरपेक्षता की नीति सही है किन्तु गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? क्या चीन के संबंध में हम गुटनिरपेक्ष हैं? जहां तक रूस और अमरीका जैसी विश्व शक्तियों का संबंध है, उनके प्रति हमने तटस्थता की नीति अपनाई है। यदि उन दोनों के बीच विवाद हो तो हम परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे, किन्तु क्या चीन के प्रति हमारी मनःस्थिति इस प्रकार की होगी? इतनी गलतफहमी क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि चीन न केवल शत्रु है, बल्कि रूस का मित्र भी है, अतः यदि हम चीन के विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाते हैं तो मुझे लगता है, जैसाकि माननीय भूपेश गुप्त जी ने कहा, रूस नाराज हो सकता है। मैं नहीं जानता रूस के साथ हमारी इस प्रकार की मित्रता कितने दिन चल सकती है।

एक और मुद्दा उठाया जा रहा है, जो मैं समझ नहीं पा रहा कि कुछ देश कश्मीर मुद्दे पर हम पर दबाव डाल रहे हैं। एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो एक उच्च पद पर आसीन हैं और पूरा राष्ट्र उसे आदर की दृष्टि से देखता है, ने लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि हम लद्दाख के बदले कश्मीर नहीं देंगे। मैं नहीं जानता कि यदि कोई उत्तरदायी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, इस तरह का वक्तव्य देता है, तो आज जो लोग उसके साथ हैं, इस बारे में क्या सोचेंगे। मैं ऐसे व्यक्तियों का पक्ष लेने के लिए नहीं कह रहा। हमारे धर्मग्रन्थों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मित्र को मित्र और शत्रु को शत्रु नहीं समझता, वह मूर्ख और संकीर्ण विचारों वाला है। मैं नहीं जानता कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं या संकीर्ण विचारों वाले हैं, किन्तु दोनों में से एक अवश्य हैं। या तो वे इसे समझ नहीं पा रहे या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं — शब्द मेरे मस्तिष्क में हैं, किन्तु मैं बोलूंगा नहीं, वे वास्तविकता से कोसों दूर हैं।

*** *** ***

मैं निश्चित रूप से सोवियत संघ से मित्रता बनाए रखने का पक्षधर हूं किन्तु हमें मार्क्सवादी दर्शन को ध्यान से समझना होगा। माननीय लालबहादुर शास्त्री जी ने इसी सभा में एक बार कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में जनसंघ के लोगों की कोई भूमिका नहीं थी और कम्युनिस्ट पक्के देशभक्त हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार उस प्रस्ताव के लिए कम्युनिस्ट समर्थन पाने में समर्थ है। मैं लालबहादुर शास्त्री जी का दिल से सम्मान करता हूं किन्तु नम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि या तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास नहीं पढ़ा है अथवा पढ़ने के बाद भी उसे समझने का प्रयास नहीं किया है। मैं रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की 22वीं कांग्रेस के नवीनतम प्रारूप में से एक अंश पढ़ना चाहूंगा। अब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है:—

> ''क्रांति की विजय के लिए कामकाजी वर्ग द्वारा शुरू किए गए संघर्ष की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कामकाजी वर्ग और उनका दल शांतिपूर्ण, हिंसात्मक, संसदीय और गैर-संसदीय सभी प्रकार के संघर्षों में कितनी महारत हासिल कर पाता है और कितनी तत्परता और मुस्तैदी से वे संघर्ष के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप से बदल पाते हैं।''

अतः, सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट पार्टी को संघर्ष के दोनों स्वरूपों में विश्वास बनाए रखने का निर्देश दिया है।

*** *** ***

उपसभापति महोदया, आपको, मुझे और पूरे देश को कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे उनसे कुछ निजी मतभेद हैं और राजनीतिक लाभ के लिए हमारी एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा है। किन्तु हमें आधारभूत तथ्यों पर विचार करना चाहिए। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्य का संबंध है, ऑल इंडिया जनरल परिषद् में कम्युनिस्ट पार्टी के 104 सदस्य हैं, 42 सदस्य जेल में हैं और 62 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद भी सर्वसहमति नहीं बन पायी है। आप कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण भलीभांति समझ सकते हैं। एक बार मेरे यह कहने पर कि वे इन सब बातों में यकीन नहीं रखते, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भूपेश गुप्त नाराज हो गए थे। परन्तु, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कोई उल्लेख नहीं करना चाहता। उनके एक प्रतिष्ठित नेता पी.सी. जोशी ने एक पुस्तक लिखी है। पी. सी. जोशी ने अपनी केन्द्रीय समिति को 11 फरवरी, 1950 को एक पत्र लिखा था और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ उनका विवाद चल रहा था। उन्होंने उन नेताओं के बारे में लिखा था:—

> ''वे झूठे हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। वे बेशर्मी से झूठे बयान देते हैं। वे बिना किसी पश्चाताप के सच्चे साक्ष्यों को छिपाते हैं।''

कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का अपने सहयोगियों के बारे में यह एक प्रमाण-पत्र है। यहां ऐसी अनेक बातें हैं, मैं जिनका उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप गृह मंत्री साहब तक मेरा यह अनुरोध पहुंचा दें कि पूरे विश्व के साम्यवाद की बजाय वे एक बार फिर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास का अध्ययन कर लें। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह केवल शास्त्रों और कूटनीति की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई अन्य मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है, जिसका आमतौर पर भूपेश गुप्त द्वारा उल्लेख किया जाता है– इस देश के करोड़ों लोग आज भुखमरी के शिकार हैं और उनके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कुछ सपने हैं, जिन्हें पूरा किए जाने की आवश्यकता है। हमें कम्युनिस्ट पार्टी को इस मोर्चे पर भी उत्तर देना है। यदि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो हमें यह पता नहीं है कि हम इस क्षेत्र में अपनी लड़ाई कब तक जारी रख पाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि हमें देश के आंतरिक मामलों को इस दायरे में लाना पड़ेगा। जहां एक ओर हमें बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता है, वहीं हमें आंतरिक स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार इस मोर्चे पर भी विफल रही है। इसका कारण यह नहीं है कि वे कार्य नहीं करना चाहते। उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। वे समाजवाद की बात करते हैं, परन्तु भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर उलझन में हैं और उनका आंतरिक मामलों के संबंध में भी विजन स्पष्ट नहीं है। मैं पं. जवाहर लाल का बहुत सम्मान करता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की पुस्तक से उद्धरण पेश करता हूं, जिनकी सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। उनका नाम तिबोर मेंडे है, जिन्होंने 'चाइना एंड हर शैडो' नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने पं. जवाहर लाल नेहरू के बारे में एक पुस्तक लिखी, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है और जिसका चौदह भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्होंने पं. जवाहर लाल नेहरू का महिमामंडन किया है।

अब उनका क्या कहना है। विशेष रूप से चीन के संदर्भ में भारत की सभी समस्याओं के बारे में बात करते हुए, उन्होंने यह कहा है कि भारत को निर्धन लोगों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने संबंधी सुस्त रवैये के परिणाम झेलने पड़ेंगे। उन्होंने हमारे साथ सहानुभूति दर्शाई परन्तु, उन्होंने यह कहा है:—

''श्री नेहरू जन्म से भारतीय थे परन्तु, उनकी परवरिश ब्रिटिश उदारवादी विचारों से प्रभावित थी और उनका व्यवहार ऐसा था, जैसे कि वह स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय थे। वह तेजी से बदलाव लाने के लिए आंतरिक शक्तियों को तैयार करने की बजाय यथा स्थिति बनाए रखने के प्रति अधिक चिन्तित थे। उनका यह कार्य आसान नहीं था। तथापि, रुढ़िवादी ताकतों के मौजूदा गठबंधन में किसी और ने नेतृत्व नहीं किया था और समान प्राधिकार या जनमानस के विश्वास के साथ निकट भविष्य में नेतृत्व करने की संभावना भी नहीं है। विदेशों में एक राजनेता के रूप में, उनकी छवि से भारत को जो भी लाभ हुआ हो, परन्तु इससे देश में अनसुलझी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।''

आप देख सकते हैं कि तिबोर मेंडे ने नेहरू जी की प्रशंसा की है, परन्तु उन्होंने उनकी मजबूरियों का भी उल्लेख किया है। मजबूरियों की बात करते हुए हमारे मित्र भूपेश गुप्त जी ने यह कहा है:

''प्रतिक्रियावादी ताकतें मजबूत हो रही हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए।''

इसका क्या परिणाम हुआ? यह पं. जवाहर लाल नेहरू, कांग्रेस और स्वयं देश का दुर्भाग्य है कि सारी जिम्मेदारियां एक ही व्यक्ति को सौंप दी गई हैं– और केवल जवाहर लाल नेहरू ही देश की प्रगति और पतन के लिए जिम्मेदार होंगे।

हाल ही में इस बात का बार-बार उल्लेख किया गया है कि इस देश में आपातकालीन शक्ति का दो प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाएगा। एक बार इसका उपयोग नेहरू जी के विरुद्ध उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए किया गया था। दूसरी बार नेहरू जी की प्रशंसा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। नेहरू जी की आलोचना करने के लिए दिल्ली से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति राष्ट्रवादी थे और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने केवल पं. जवाहर लाल नेहरू की आलोचना की थी। परन्तु, दूसरी ओर आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भूपेश गुप्त अनेक कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी पर बहुत क्रोधित थे। तथापि, उन्होंने पं. जवाहर लाल नेहरू जी के हस्तक्षेप पर पंजाब में तेजा सिंह स्वतंत्र की रिहाई का उल्लेख नहीं किया। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं।

महोदया, मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि रामनगर (उ.प्र.) में एक बैंक डकैती हुई थी, जिसमें दो लोगों की हत्या कर दी गई थी लाखों रुपए लूटे गए और 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, जो कि लोकतंत्र और शालीनता के प्रतीक हैं, ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर उनके विरुद्ध मामलों को वापस लेने और उन्हें रिहा करने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। क्योंकि गृह मंत्रालय और न्यायपालिका इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दूसरा पत्र लिखा गया और उत्तर प्रदेश सरकार को डकैती और हत्या के दोषी व्यक्ति को छोड़ने के लिए विवश किया गया। यह सब किसके लिए किया गया? क्या यह कम्युनिस्ट पार्टी के नरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव, सुरजीत सिंह ने चीन के मुद्दे पर हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है। श्री सुरजीत की काट करने के लिए तेजा सिंह स्वतंत्र के खिलाफ हत्या और डकैती के मामले को वापस लिया गया। यह आपातकालीन शक्ति है। कानून और न्याय की यह स्थिति है। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या हम माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में व्यक्त किए गए समता, स्वतंत्रता और समाजवाद के सिद्धांतों की इन विचारों के साथ स्थापना कर सकते हैं। क्या हमें आगे ले जाने के लिए ये विचार सहायक हैं? मैं पंचवर्षीय योजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं जिनकी बड़े पैमाने पर चर्चा

की जा रही है। उनका देश की प्रगति में कोई योगदान नहीं है। कृषि क्षेत्र का उदाहरण लीजिए, वर्ष 1930, 1932 से कांग्रेस यह कह रही है कि भूमि सुधार कानूनों को लागू किया जाना चाहिए और भूमि पर खेती करने वाले किसान का अधिकार होना चाहिए।

कांग्रेस समिति के संकल्प में ऐसा केवल एक बार नहीं बल्कि लगभग दस बार कहा गया है। आज स्थिति क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति स्वयं खेती नहीं करते हैं, उनके स्वामित्व में ही अधिकांश भूमि है। हमारे देश में 75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जोकि या तो भूमिहीन हैं या उनके पास एक एकड़ से कम भूमि है। यह पूरे भारत की तस्वीर है जो इस सरकार द्वारा गत पन्द्रह वर्षों के द्वारा की गई आश्चर्यजनक प्रगति को दर्शाता है। इस देश की 45 प्रतिशत किसानों की जनसंख्या की कुल भूमि में हिस्सेदारी केवल एक प्रतिशत है। 30 प्रतिशत लोगों के पास 15.6 प्रतिशत भूमि है 12.5 प्रतिशत लोगों के पास 17.34 प्रतिशत भूमि है। 11.54 प्रतिशत लोगों के पास 46 प्रतिशत भूमि है और एक प्रतिशत लोगों के पास कुल भूमि का 20 प्रतिशत भाग है। इस देश में भूमि सुधारों की यह स्थिति है।

जहां तक उत्पादन का संबंध है मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही काफी समय ले चुका हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे देश की सकल कृषि आय 1700 करोड़ रुपये है, जिसमें से तीन प्रतिशत लोगों की आय 462 करोड़ रुपए है अर्थात 27 प्रतिशत है। हमारे देश में कृषि आय का बंटवारा इस तरह से है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े के.एल. राज साहब के हैं जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक हैं। आपको पता होना चाहिए कि वे हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और वह सरकार के खिलाफ नहीं हैं। सिर्फ यही नहीं, भूमिहीन लोगों की आय कम हुई है और ऋण का बोझ बढ़ा है। इन सभी बातों का उल्लेख सरकारी रिपोर्ट में है।

अब, मैं सामुदायिक विकास के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जा रही है। सामुदायिक विकास और पंचायती राज में क्या हो रहा है? हाल ही में पंजाब में एक सर्वेक्षण किया गया। जिन लोगों की आय 300 रुपए से अधिक है, जोकि पंजाब की जनसंख्या का 12.2 प्रतिशत हैं, उनके पास पंजाब की पंचायत समिति की 41.7 प्रतिशत सीटें हैं। 150 रुपए से कम आय वाले लोगों की संख्या 62.9 प्रतिशत है। लेकिन इन लोगों में से 26.3 प्रतिशत लोग ही पंचायतों में स्थान पाते हैं। यह स्थिति पंचायतों में है। सिर्फ यही नहीं अपितु मसूरी संस्थान के निदेशक डॉ. एस. सी. दुबे कहते हैं:—

> ''इसका लगभग 70 प्रतिशत लाभ उच्च समूह और अधिक समृद्ध तथा प्रभावशाली किसानों को मिला।''

यह स्थिति है देश में। तिबोर मेंडे साहब के विचार इससे अलग हैं। यह उद्धृत करने के लिए कृपया मुझे क्षमा करे। लेकिन देश के लोगों की भावना समझने का प्रयास करें। देश की भावना उसी तरह की है जिस तरह कोई विद्वान व्यक्ति बिना पूर्वाग्रह के सोचता है। इस देश में बनाए गए नियमों और सुधारात्मक कानूनों को देखते हुए, श्री तिबोर मेंडे कहते हैं—

> ''भारत के कृषि क्षेत्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय है। भारतीय कृषि का मौजूदा आर्थिक और सामाजिक ढांचा किसानों के हित में पहल को बढ़ावा देने की अपेक्षा उसे हतोत्साहित करता है। भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में अधिकांश जनप्रतिनिधि या तो स्वयं जमींदार और साहूकार हैं अथवा उन्हीं के हितों को मुखरित करने वाले हैं।''

ये विचार हैं विश्व के हमारे प्रति। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृष्ठभूमि में हम एक नया समाज बनाने जा रहे हैं। मैं एक उद्धरण के साथ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। 1921 की राज्यों की परिषद की कार्यवाही की प्रस्तावना लिखते समय श्री एल. प्राईज कहते हैं:—

''इस परिदृश्य में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत के किसानों और उद्योगपतियों के बीच आर्थिक संघर्ष निश्चित है, किन्तु स्थिति उद्योगपतियों के पक्ष में है क्योंकि कृषि में लगे लोग अपने हितों पर मंडराते खतरों के प्रति जागरूक नहीं हैं। ऐसी स्थिति लंबी अवधि तक जारी रही तो भारत में बहुसंख्यक किसानों के अलावा अन्य सभी के पास अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर होगा।''

श्री विलियम जेंनिग्स ब्रायन द्वारा अपने विख्यात भाषण ''क्रास ऑफ गोल्ड'' में यह चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा था:—

''अपने शहरों को जला डालो और हमारे खेतों को छोड़ दो, और तुम्हारे शहर जादू की तरह दोबारा से समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे खेतों को नष्ट करोगे तो तुम्हारे शहरों की गलियों में घास ही उगेगी।''

यह अतिश्योक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है। संसद में जब भी यह मुद्दा उठता है और वस्तुत: आज भी माननीय भूपेश गुप्त ने मिल मालिकों के ऊपर किसानों के बकाया धन की वसूली के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा है। हमारे खाद्य मंत्री का कहना है कि वसूली का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई गरीब किसी पांच रुपये का कर नहीं चुका पाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। उद्योगपतियों और चीनी मिल मालिकों के ऊपर किसानों का पांच करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है और सरकार उस धन की वसूली के लिए क्या कर रही है। इसे छोड़ दीजिए, सरकार पिछले चार सालों से यह कह रही है कि गन्ने और चीनी का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अत: किसानों ने अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया किन्तु दो वर्ष के बाद ही अतिरिक्त गन्ने को नष्ट करने के लिए कहा गया क्योंकि हम इसका प्रबंध नहीं कर सकते तथा इसका उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। खांडसारी और गुड़ के उद्योग को किसानों ने ही स्थापित किया है। इस वर्ष क्या हुआ? गन्ना कम मात्रा में बोया गया और इसके परिणामस्वरूप गन्ने का उत्पादन कम हुआ। अब किसान अपने गन्ने से खांडसारी बनाना चाहते हैं, जबकि सरकार किसानों को उनका गन्ना मिल मालिकों को देने का दबाव बना रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि मिल मालिक संगठित हैं और वे सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मैं श्री भूपेश गुप्त से सहमत हूं कि श्री बिरला और अन्य पूंजीवादी सरकार को नियंत्रित करते हैं और अभी तक सरकार की यही मानसिकता है, यह चीन के साथ लड़ने से ज्यादा मुश्किल है। चाहे मैं इसे प्रभावी रूप से कहूं अथवा नहीं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सरकार को चीन के प्रति सावधान किया था, लेकिन इसे मजाक समझा गया। भारत के लोगों के लिए यह प्रमाण के रूप में होना चाहिए कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारी के प्रति सचेत किया था लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करूंगा। स्वास्थ्य के संबंध में कहा गया कि देश में मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है। मलेरिया के उन्मूलन हेतु बहुत सी

योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन उपसभापति महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उ.प्र. विधान परिषद में डॉ. ए.जी. फरीदी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। डॉ. फरीदी हमारी पार्टी के नेता हैं और एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। उनका प्रस्ताव था कि बच्चों को मलेरिया के साथ-साथ चेचक और दूसरी बीमारियों के टीके भी लगाने चाहिए। इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई लेकिन इसे अस्वीकृत कर दिया गया। आज स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में कई हजार लोग चेचक से मर चुके हैं। देश से चेचक को मिटाने का मुद्दा उठाया जा रहा है लेकिन क्या इसके लिए कोई सुविचारित कार्यक्रम बनाया गया है? एक टीकाकर्मी मलेरिया का पता लगाने के लिए खून की जांच के लिए आता है और टीकाकरण हेतु वह दोबारा तीन वर्ष के बाद वापिस आता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह किस तरह की योजना है और यह किस प्रकार का स्वास्थ्य प्रबंधन है? टीकाकरण किसी विशेषज्ञ का कार्य नहीं है। जब एक व्यक्ति मलेरिया उन्मूलन के लिए डी.डी.टी. छिड़कने जाता है तो यदि उसके पास चेचक का टीका है तो वह साथ ही साथ टीका भी लगा सकता है, परन्तु इस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया गया और आज हमारे देश के लोग चेचक से पीड़ित हैं और समय-समय पर हैजा फैल रहा है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ही हैजे पर नियंत्रण पा लिया गया था, परन्तु आंत्रशोथ इस वर्ष फैला है। मैंने उनसे पूछा कि आंत्रशोथ और हैजे के बीच क्या अंतर है? मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, अत: मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात की और डॉ. फरीदी से भी मिला मगर वह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे इस पेच को समझ नहीं पा रहे थे कि हैजे का उन्मूलन हो चुका है, परन्तु आंत्रशोथ अभी भी फैल रहा है। ऐसी चीजें तत्काल कह दी जाती हैं परन्तु कुछ समय के बाद इसका अंत हो जाता है।

हमारे मित्रों में से एक ने दो राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच संघर्ष का उल्लेख किया। उन मामलों में क्या हो रहा है? ये छोटे मामले वर्षों तक लंबित रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा संबंधी मुद्दे पर 1946 से चर्चा चल रही है। स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे और दोनों ही राज्य उस पर सहमत हुए थे। उसके बाद कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री को निर्णायक बनाया गया। उन्होंने सी.एल. त्रिवेदी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। महीनों गुजर गए; सभी फाइलें वहां हैं; पत्र भी हैं; परन्तु अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

मेरे मित्र खांडेकर साहब और चौरडिया साहब रिहंद बांध के लिए संघर्षरत हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि रिहन्द बांध का निर्माण पूर्वी जिलों के गरीब लोगों को कृषि के लिए बिजली प्रदान करने के लिए किया गया है। उस बिजली का एक बड़ा भाग सस्ती दरों पर बिरला साहब को दिया जा रहा है। संविदा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। समझौता सम्पन्न हो गया है। क्या यह सब योजना का एक हिस्सा है?

अंत में, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। अभी हाल में, इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए एक दल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गया है। यह वहां कैसे गया है? दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि पूर्वी जिलों की आर्थिक दशा बहुत खराब है। मजदूरी बहुत कम है। प्रधानमंत्री इस पर चकित रह गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की खोज अभी-अभी

हुई हो और उन्होंने इसे पहली बार देखा है। श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1957 में खाद्यान्न जांच समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था। इस समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा हुआ था। यह प्रतिवेदन कहता है– मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इन 15 पूर्वी जिलों के संबंध में विशेष जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में, ओडिशा, मद्रास के रायलसीमा या कुछ अन्य क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रतिवेदन में एक अध्याय है जिसका शीर्षक है– 'अभावग्रस्त क्षेत्र'। मुझे नहीं पता कि क्यों इस पत्र को कूड़ेदान में डाल दिया गया और प्रधानमंत्री ने इसे पढ़ा या नहीं? इस संबंध में उनसे एक निवेदन किया गया था। उत्तर प्रदेश के तीन से चार हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेंहरू ने उत्तर दिया था कि जो कानून तोड़ेगा, उसे जेल भेजा जाएगा। परन्तु, आज वे पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसे पूर्वी जिले हैं, जहां मजदूरी दो आना है? चार लोगों की एक टीम वहां जांच-पड़ताल के लिए गई है। अब गुलजारी लाल नंदा वहां जाने की योजना बना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इन पिछड़े अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

एक अकेला दल इसे नहीं कर पाएगा। विशेषज्ञों के एक जांच दल को वहां जाना चाहिए, जो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझेगा और पिछड़े तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक अलग योजना तैयार करेगा।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का अंतिम वाक्य यही है कि देश को सचेत होना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री नेहरू इन शब्दों का अभिप्राय समझ पाते। यदि यही सरकार इन शब्दों की भावना समझ पाती, तो इस देश का भविष्य उज्ज्वल होता और देश तथा सरकार अपने कर्त्तव्य पूरा करने में सफल हो जाते।

राष्ट्र निर्माण के आयाम*

उपसभापति महोदय, इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले, मैं आपका और इस सभा का ध्यान एक प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी-अभी हमारे माननीय मित्र श्री चौरडिया जी बोल रहे थे। उन्होंने वित्त मंत्री के किसी वक्तव्य का उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें पैसा दिया जाए तो वह अच्छी राजनीति दे सकते हैं। माननीय चौरडिया ने यह कहा कि सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और इससे धनराशि प्राप्त होगी तथा परिणामस्वरूप अच्छी राजनीति दिखाई देगी। लेकिन माननीय चौरडिया जी ने यह कहा कि जो लोग व्यवसाय और उद्योगों में हैं, उन्हें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी देश का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय है। किसी देश अथवा समाज का निर्माण एक पेड़ की तरह होता है, चाहे वह देश का कोई कलाकार, कवि अथवा वास्तुकार हो। उसकी जड़ें गहरी पैठी होती हैं और वह समाज से शक्ति प्राप्त करता है। एक तरफ उसे गहरी जमीन से ऊर्जा मिलती है और दूसरी तरफ उसकी पत्तियां हवा से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। यही बात देश के वास्तुकार के साथ है। उसे जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसे गरीबों में विश्वास होना चाहिए तथा साथ ही उसे उच्च आदर्शों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार को उच्च आदर्शों में कोई विश्वास नहीं है और न तो इसका गरीबों से कोई सरोकार है तथा इसकी उनके साथ काम करने अथवा उन्हें प्रेरित करने की कोई इच्छा है। इससे पहले एक सदस्य ने गांवों, गरीबों और पिछड़ों को प्रगति के पथ पर ले जाने के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है और यह मुद्दा सभा में बहुत बार उठाया गया है। मजदूरों और गरीबों की उपेक्षा की गई है। सरकार की घरेलू नीति के पीछे का विचार इसकी विदेश नीति में भी दिखाई देता है।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं देश की विदेश नीति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब श्री कृष्ण मेनन संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि थे तो हमारे मस्तिष्क में क्या था? श्री कृष्ण मेनन ऐन्ड्री विसिंस्की के साथ चाय लिया करते थे और इसमें अपना सम्मान समझते थे और उन्होंने विश्व के समक्ष भारत की इस छवि को रखा तथा छोटे देशों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मैं माननीय श्री छागला को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अफ्रीकी देशों से संबंध स्थापित किया और संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन, अमरीका और रूस की परिधि से बाहर निकलकर एशिया के छोटे देशों के साथ भाईचारा बढ़ाया। यू.एन. में भारत के प्रतिनिधि के रूप में, इससे भारत के बाहर और साथ ही विश्व में भारत की नई छवि बनी।

परन्तु, हमें अफ्रीका की स्थिति को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। यह प्रश्न समाचारपत्रों और विदेशी मामलों से संबंधित पत्रिकाओं में कई बार उठाया जा चुका है। उसमें इस बात का उल्लेख हुआ है कि चीन के प्रति भारत का मामला अफ्रीकी देशों के समक्ष समुचित रूप से नहीं रखा जा सका। मैं एक वर्ष पूर्व का प्रतिवेदन देख रहा था कि चीन ने 50% अफ्रीकी देशों के समक्ष समुचित ढंग से

*विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 1964 पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 23 अप्रैल, 1964 कॉ. 977-96 (मूल हिन्दी में)

अपनी बात रखी, परन्तु श्री जवाहर लाल की सरकार अफ्रीकी देशों के समक्ष अपने आरोपों और दावों को नहीं रख सकी। आज, प्रश्नकाल के दौरान, माननीय श्री चौरडिया, ने पूछा कि पिछले छह महीने से म्यांमार में भारत का कोई राजदूत क्यों नहीं है? मुझे यह सुनकर कष्ट हुआ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उत्साहित होकर कहा कि उनकी सरकार का कार्य करने का ढंग यही है। यदि इस सरकार के कार्य करने का यही ढंग है तो अत्यंत चिंता का विषय है। क्या भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे बर्मा (म्यांमार) के लिए भेजा जा सके। परन्तु बात यह है कि हमारे विदेशी देशों में कार्यरत राजदूत देखते हैं कि कहां समृद्धि और आराम है? उनके अंदर सेवा की कोई भावना नहीं है। लोग अमरीका, रूस और यूरोप जाने के लिए तैयार हैं। वहां जाने के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्द्धा होती है। एक आम दूत के रूप में वे विश्व की सैर करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं, परन्तु बर्मा, नेपाल, सिलोन और अफ्रीकी देशों में जाने को इच्छुक नहीं हैं। हमारी मानसिकता का इससे बुरा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं सरकार से इस पहलू पर विचार करने के लिए निवेदन करता हूं। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं है कि यह सरकार माननीय इंदिरा गांधी को विश्व के समक्ष क्यों रखना चाहती है? परन्तु, मुझे इस बात की चिंता है कि माननीय इंदिरा गांधी देश के बाहर जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें दो बार विदेश मंत्री का पद दिया गया था परन्तु उन्होंने मना कर दिया था। मैं समझ नहीं पाया कि इससे देश के सम्मान में कैसे वृद्धि होती है? मुझे पता नहीं कि किन व्यक्तियों ने इस पद का प्रस्ताव उन्हें प्रदान किया था? यदि इस प्रकार का प्रस्ताव किया गया था तो एक सभ्य और सम्मानित देश और इसके प्रतिनिधि को दूसरे देश में ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। कम से कम एक उत्तरदायी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। विदेश मंत्री का पद एक चपरासी या एक अधिकारी का पद नहीं है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा कम वेतन के कारण मना कर दिया जाए। विदेश मंत्री एक देश के सम्मान का प्रतीक होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, चाहे वह माननीय इंदिरा गांधी हों या टी.टी. कृष्णामचारी या स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ही क्यों न हों, दूसरे देश में उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे विदेश मंत्री के पद का दो बार प्रस्ताव प्रदान किया गया था परन्तु दोनों बार उसने अस्वीकार कर दिया।

*** *** ***

दूसरी बात, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में एक घटना घटित हुई। इज़राइल का राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए, इज़राइल के काउंसलर ने अशोका होटल में एक पार्टी दी। राजदूत और अन्य लोग उसमें शामिल हुए, परन्तु अचानक यह कहा गया कि भारत सरकार के अनुरोध पर यह पार्टी रद्द कर दी गई।

*** *** ***

एक अन्य बात, तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मैं भी अरब देशों के साथ मित्रता करने का इच्छुक हूं। परन्तु, क्या श्री नासिर साहब या अरब देशों के लोगों ने पूछा था कि जब काहिरा ने चाउ-एन-लाई का भव्य स्वागत किया था तो एक भारतीय के साथ क्या हुआ होगा। श्री चाउ-एन-लाई का काहिरा में स्वागत हो सकता है, परन्तु भारतीय लोकतंत्र में विदेशी राष्ट्र का एक राजदूत/प्रतिनिधि एक होटल में पार्टी नहीं दे सकता है। एक परेशानी पैदा करने का प्रयास करना किसी देश के सम्मान के विरुद्ध है। मैं अरब देशों का विरोधी नहीं हूं। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि एक अधिक समझदारीपूर्ण और सम्मानित रुख अपनाया जाना चाहिए।

मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू रखना चाहता हूं। हमारे कई दोस्तों ने इसका उल्लेख किया है। आज प्रश्नकाल के दौरान यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या हमारे पास अपेक्षित संख्या में सैनिक हैं अथवा नहीं। यह बताया गया कि हमें काफी सफलता मिली है। किन्तु मैं चाहूंगा कि कोई

माननीय सदस्य इस बात पर प्रकाश डालें कि क्या किसी राष्ट्र द्वारा अपने हवाई क्षेत्र का इतनी अधिक बार उल्लंघन किया गया है, जैसा कि भारत के द्वारा किया गया है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विश्व में ऐसा कोई उदाहरण है, जो यह दर्शाए कि इतनी बड़ी संख्या में सेना अधिकारी युद्ध और दुश्मन के हमले से इतर हवाई दुर्घटना में मारे गए हैं। आपातकाल के बाद भारत सरकार द्वारा यह दो काम किए गए हैं। ठीक है, यदि आप केवल भगवान को ही दोषी ठहराना चाहते हैं। किन्तु कई बार हवाई दुर्घटनाएं होती हैं और सेना के उच्च रैंक के अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच क्यों नहीं की गई क्योंकि सभी दुर्घटनाएं आपातकाल के बाद घटी हैं। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ तो अस्वाभाविक है और इस संबंध में विवेकपूर्ण कदम उठाना चाहिए।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। जब मैंने सभा में रक्षा मंत्री से पूछा कि क्या कुछ लोगों को राजनैतिक कारणों से आपात आयोग में नहीं लिया गया। जवाब यह था कि ऐसा नहीं है। उस समय मैंने दो लोगों के नामों का उल्लेख किया था और कहा था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से दो लोगों को आपात आयोग में बुलाया गया था, किन्तु यह कहा गया कि उन्हें सुरक्षा कारणों से नहीं रखा जा सकता है। इस पर माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति को बुलाया गया था और दूसरे को नहीं बुलाया जा सकता। आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वही व्यक्ति देहरादून अकादमी गया था और उन्होंने वहां छह माह का प्रशिक्षण लिया था, किन्तु आदेश प्राप्त करने से पन्द्रह दिन पहले, उसे यह जानकारी दी गई कि उसे सुरक्षा कारणों से आदेश जारी नहीं किए जा सकते और व्यक्ति को हटा दिया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि जब आप सम्पूर्ण राष्ट्र से अन्य लोगों से सहयोग मांगते हैं, तो यह संकीर्ण राजनीति आपको कहां ले जाएगी।

मैं साम्प्रदायिक समस्याओं पर एक अन्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज ऐसी बातें कही जाती हैं कि पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई थी और उसी के कारण भारत प्रभावित हुआ। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि इसका प्रभाव हो सकता है। किन्तु यहां सरकार की नीति में कोई कमी है। मैं यथा सम्मान इस सभा में कहना चाहूंगा कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सभा में हिन्दू संहिता विधेयक को पुर:स्थापित किया था तो उनके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन किया जाएगा, किन्तु यह नहीं किया गया था। हिन्दू संहिता विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। किन्तु जब मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन करने की बात आई, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू तैयार नहीं थे। मुझे माफ करें यदि आपको बुरा लगे, जब मैं कहता हूं कि हमारे मुस्लिम दोस्तों ने हंगामा मचाया।

*** *** ***

मैं यही कहने जा रहा हूं। धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। यदि यह कुरान और हदीस के बारे में कहा गया, तो मैं एक माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि कुरान भी कहता है कि सरकार और धर्म को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि धर्म को सरकार से अलग नहीं किया जा सकता तो मैं अपने मित्र से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप महसूस करेंगे.....

जहां तक सिविल (नागरिक) अधिकारों, संपत्ति अधिकारों का प्रश्न है, धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि वह धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और यदि वह हस्तक्षेप करता है तो वह माननीय चौरडिया जी को हिन्दुओं के पास जाने और यह कहने का अवसर प्रदान करता है कि यह सरकार हिन्दू कानून में संशोधन करती है किन्तु मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं करती है। इसके लिए पंडित नेहरू के पास क्या जबाब है। हमारे पास क्या जवाब है।

धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ यही है:

धर्म मनुष्य और भगवान के बीच ऐक्य का तंत्र है। जैसे ही यह सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, यह खतरनाक बन जाता है और इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है।

मैं कहना चाहूंगा कि आप शोर-शराबा कर सकते हैं किन्तु जब भारत में कुरान की आयतों को पढ़ा जाएगा, शंकराचार्य के सूत्रों को भी पढ़ा जाएगा। यदि आपके लिए कुरान पवित्र है तो चौरडिया जी और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए यह भी पवित्र है कि यदि वे कहें कि संपूर्ण विश्व के आर्य पन्थ में धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए। क्या कोई सरकार इसकी अनुमति देती है? मैं आपको यथा सम्मान कहना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। साम्प्रदायिकता की समस्या को सुलझाने का केवल एक ही तरीका है कि सभी पर्सनल लॉ, सभी सिविल लॉ और सम्पत्ति का अधिकार सभी भारतीयों को दिया जाना चाहिए। हिन्दुओं और मुस्लमानों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक हिन्दु-मुस्लमान का अन्तर रहेगा, मानसिकता में अन्तर बना रहेगा। कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता। इसी सभा में, मैंने एक बार दु:ख के साथ यह कहा था। यह कितना अपमानजनक हो सकता है और यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कितनी समस्या पैदा कर सकता है किन्तु मैंने कहा कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री हजरत बल में चोरी होने पर कश्मीर जाते हैं और इस संबंध में फोटो सारे विश्व में भेज दी जाती है कि हमने चमत्कार कर दिया किन्तु मैं महसूस करता हूं और आपसे पूछता हूं कि हजरत बल में इस चोरी के लिए तीन लाख मुसलमान पन्द्रह दिनों तक कश्मीर की गलियों में घूमते रहे और सम्पूर्ण सिविल प्रशासन पंगु हो गया था।

उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा? मेरी श्री शम्सुद्दीन की सरकार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, परन्तु सदन के अंदर और बाहर ऐसा कहा गया और मैं श्री तारिक से सिर्फ वही कह रहा था जो वे कह रहे थे। एक प्रगतिशील व्यक्ति होने के नाते आप इस मुद्दे पर सरकार से इस्तीफा देने के लिए कहिए। मुझे मालूम नहीं है कि कल चौरडिया जी क्या कहेंगे? यदि किसी मंदिर से कोई मूर्ति चोरी हो जाती है तो क्या भारत सरकार को इस्तीफा देना होगा? क्या चार मौलवी और हमारे पण्डे, यदि चाहें तो लाखों लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे? चार मौलवी और हमारे पंडे सरकार में कह रहे हैं कि एक मंदिर से एक मूर्ति की चोरी हो गई है क्योंकि चौरडिया जी ने अभी कहा कि हजरत बल से चोरी हुए सामान को लाया गया था परन्तु वे भूल गए कि जम्मू में एक मंदिर में दो मूर्तियां चोरी हुई थीं। मुझे इस पर भी दु:ख है। मुझे उनके लिए सहानुभूति है परन्तु इस देश के लिए, देश के लोगों के भविष्य के लिए, इस देश के लोगों के लिए जो यहां एक नागरिक के रूप में रह रहे हैं, अधिक सहानुभूति है।

*** *** ***

मैं इस संबंध में एक और बात कहना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ घटित हो रहा है उससे हम व्यथित हैं और हमें उनके लिए सहानुभूति है। मुझे गुस्सा आता है, मुझे दु:ख होता है परन्तु दूसरी ओर मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं माननीय दह्याभाई पटेल से सिर्फ यह कह रहा था कि जब श्री गोलवलकर, श्री दह्याभाई पटेल और मेरी पार्टी के नेता श्री एच.वी. कामथ दिल्ली में एक अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित करते हैं तो हमारा इरादा क्या होगा? जब सभी नागरिक जीवन, सभी नागरिक प्रशासन इस तरीके से गतिहीन जो जाएगा, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका केवल यही अर्थ है कि चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, परन्तु यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इससे ऐसी मानसिकता

उत्पन्न करेंगे कि मुसलमानों द्वारा जो कुछ भी पूर्वी पाकिस्तान में किया जा रहा है उसका बदला हम यहां लेना चाहेंगे क्योंकि हम वहां पर जाकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भारत का एक आम आदमी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता है। नेहरू की सरकार इसके विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में है तो वह पूर्वी पाकिस्तान में नहीं जा सकता है और वह ढाका पर हमला नहीं कर सकता बल्कि वह एक मस्जिद को ध्वस्त करेगा। हमें देश में इन घटनाओं के बारे में सोचना है और निर्णय करना है कि हम कहां जा रहे हैं? यहां एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो कुछ भी पूर्वी पाकिस्तान में घटित हो, परन्तु अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति पर है और उसके लिए हमें सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए था परन्तु इसके लिए सम्मेलन नहीं हुआ। इस बात का निश्चय करने के लिए सम्मेलन हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए हम जिम्मेदार हैं। क्या अप्रत्यक्ष रूप से आप यह नहीं कह रहे हैं कि यहां के अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार हैं? चाहे आप पसंद करें या नहीं, यही परिणाम होगा।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कदम रखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका वांछित परिणाम होगा, परन्तु जब एक बार, घटनाओं की शृंखला शुरू हो जाती है तो यह अपनी गति से चलती रहती है। इसे पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री गंगा शरण बाबू और श्री दह्याभाई पटेल नहीं रोक सकते। एक बार जब इस प्रकार की भावना का प्रसार होता है कि वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के लिए हम लोग उत्तरदायी हैं तो इस गुस्से का परिणाम यह होगा कि देश के अल्पसंख्यक तब सुरक्षित नहीं रहेंगे।

मैंने इसके बारे में आज सुबह ही उल्लेख किया था। चूंकि यह बंगाल और बिहार में घटित हुआ, अत: पिछले तीन महीने से मुसलमान तार भेज रहे हैं और चिट्ठियां लिख रहे हैं कि उन्हें संथालों से भय लगता है। हमारे नेता श्री एस.एम. जोशी ने इस संबंध में सरकार को लिखा था, परन्तु इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसे सामान्य घटना मान लिया गया। इस प्रकार के विवादों को शुरुआत में ही हल कर लेना चाहिए और मेरे दृष्टिकोण से जिन्हें परेशानी हुई है मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं तो देश का सामाजिक ढांचा हमेशा के लिए टूट जाएगा?

अंत में, मैं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगा। यह संथानम की भ्रष्टाचार निरोधक समिति का प्रतिवेदन है। इसके पैरा 214 में यह उल्लेख है:–

> ''भ्रष्टाचार केवल तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहे और उसमें भ्रष्टाचार करने की क्षमता हो। हमें यह कहते हुए खेद है कि भ्रष्टाचार करने की इच्छा और क्षमता दोनों ही औद्योगिक और वाणिज्यिक वर्गों में अत्यधिक पायी जाती हैं। इन वर्गों के लोग युद्ध काल के सट्टेबाजों और तिकड़मबाजों द्वारा फले-फूले हैं। इन लोगों के लिए भ्रष्टाचार न केवल बिना मेहनत किए भारी लाभ सुनिश्चित करने का आसान तरीका है बल्कि उन्हें अपने धंधों को चलाते रहने की स्थिति में बनाए रखने या उनके अपने प्रतिस्पर्धियों में अपनी स्थिति को बनाए रखने का आवश्यक साधन भी है।''

माननीय बलिराम भगत जी यहां बैठे हैं। उनके राज्य की सरकार एक घोटाले में संलिप्त थी। इतना बड़ा घोटाला शायद भारत में कभी नहीं हुआ। वहां सोन बैराज का काम चल रहा है। 1.50 करोड़ रुपये का ठेका जारी किया गया था। इसके लिए, वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

एक निविदा आस्ट्रेलिया की वायस्ट कम्पनी की थी। एक दूसरी कम्पनी ''जेस्सोप'' थी जो पहले मुन्द्रा साहब के स्वामित्व में थी और वर्तमान में भारत सरकार के पास है। जेस्सोप ने भी अपनी निविदा प्रस्तुत की थी और भारत सरकार की दो अन्य कम्पनियों ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की थीं। लेकिन इनमें से कोई निविदा स्वीकृत नहीं की गई। एक वर्ष के पश्चात् वायस्ट से एक पत्र प्राप्त हुआ। माननीय बिरला जी की ''टेक्समैको'' नाम की एक कम्पनी है और वायस्ट ने यह लिखा कि टेक्समैको और वे साथ कार्य कर रहे हैं और एक वर्ष के पश्चात्, 1.50 करोड़ का ठेका ''टेक्समैको'' को दिया गया, जबकि सरकारी कम्पनी ''जेस्सोप'' की शर्तें टेक्समैको से बेहतर थीं। मैंने माननीय के.एल. राव को लिखा था कि इस तरह का ठेका दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने तीन महीनों तक उत्तर नहीं दिया। तब मैंने एक अनुस्मारक पत्र भेजा, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तब मैंने 15 दिन पश्चात् एक अनुस्मारक भेजा उन्होंने यह कहते हुए उत्तर दिया कि बिहार की सरकार ने अनुबंध कर लिया है और उन्हें केवल उनकी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है। मैं बिहार सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और माननीय के.एल. राव द्वारा दिए गए उत्तर को देखकर आश्चर्यचकित था। टेक्समैको ने इस तरह के दो काम किए हैं– पहला पंजाब में भाखड़ा नांगल और दूसरा उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ''टेक्समैको'' के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा लड़ रही है और पंजाब सरकार ''टेक्समैको'' के खिलाफ पंजाब उच्च न्यायालय में एक मुकदमा लड़ रही है। दो राज्यों की सरकारों ने इस कम्पनी को ठेका दिया और दोनों ने ही न्यायालय में परिवाद दायर किया है। इसके बावजूद भी, बिहार की सरकार ठेका देती है। मैंने ''जेस्सोप'' कम्पनी के खिलाफ लिखा था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय गुलजारी लाल नंदा ने आचार समिति का गठन किया है। माननीय के.एल. राव साहब इस देश में समाजवाद ला रहे हैं। मैं अपने मित्रों और माननीय भगत जी से कहना चाहता हूं कि यदि भारत सरकार गंभीरतापूर्वक भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तब इस सौदे की जांच होनी चाहिए और यदि इस सौदे की जांच की जाती है तो मुझे विश्वास है कुछ परिणाम निकलेंगे। इस तरीके से 1.50 करोड़ रुपए का ठेका देकर देश को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस संबंध में एक और बात कहना चाहता हूं।

मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि हम सभी को खेती और सामुदायिक विकास के मामलों पर विचार करना चाहिए। मेरा कहना है कि माननीय एस.के. साहब ने लम्बे समय तक सामुदायिक विकास खंड का खेल खेला है। अब जितनी जल्दी यह खेल खत्म हो, उतना ही अच्छा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विनियोग विधेयक में पहला मद ''सामुदायिक विकास'' है। मैंने सरकार और एस.के. साहब के आदेश से बहुत से खंडों का भ्रमण किया है। एक सामुदायिक विकास खंड के अधिकारियों ने बस कुछ आंकड़े तैयार कर लिए, जिनका तथ्यों और वास्तविकता से कुछ लेना-देना नहीं है। सरकार को अपने इरादों पर विचार करना चाहिए।

अंत में, माननीय दह्याभाई शेख अब्दुला के बारे में स्पष्ट नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि मेरा कोई मित्र हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखता है तो इस पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ था जब बक्शी गुलाम मोहम्मद, शेख साहब की रात 12 बजे रिहाई के बाद उनसे मिले और कहा कि उन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं करवाया और अब पूरे भारत में यह कहा जा रहा है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू से परामर्श नहीं किया गया और शेख साहब को गिरफ्तार किया गया था। ग्यारह वर्ष के बाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने यह कहने की जरूरत महसूस की कि इसे यह नहीं मालूम

कि शेख अब्दुल्ला कैसे गिरफ्तार हुए और अब बक्शी साहब कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता है। मैं उन लोगों में से हूं, जिन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाना चाहिए। मेरे दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे भारत से अलग नहीं कर सकती। मैं माननीय जयप्रकाश नारायण का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि क्या कश्मीर को दबाव की स्थिति में रखना चाहिए? उनका व्यक्तित्व महान था, लेकिन दुनिया में श्री अब्राह्म लिंकन नामक एक और महान व्यक्ति हुआ है। राष्ट्रीय एकता के अर्थ पर बोलते हुए उन्होंने कहा था। इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी नागरिक को युद्ध छेड़ने अथवा बलिदान देने से हिचकना नहीं चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जवाहरलाल नेहरू को शेख अब्दुल्ला के पक्ष में अस्थायी लोकप्रियता से प्रभावित नहीं होना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि वह इससे वाकिफ नहीं थे कि उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई। बक्शी साहब को यह नहीं कहना चाहिए कि वह इस गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि कोई गलती हुई है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। देश की नीति को इस दृढ़ निश्चय के साथ लागू किया जाना चाहिए कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और सदैव रहेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी अन्य मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन यह मुद्दा विवादों से परे है और मुझे भरोसा है कि माननीय तारिक साहब भारत में रहने का प्रयास करेंगे और शेख अब्दुल्ला को समझायेंगे तथा बिना क्रोधित हुए, उन्हें हिन्दू और मुस्लिम के मुद्दे पर इससे ऊपर उठकर एक समाजवादी की तरह सोचना चाहिए। उन्हें उस मुद्दे पर एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए, जो रूढ़िवादिता को एक तरफ रखकर एक नए समाज का निर्माण करना चाहता हो। उस समाज के प्रवक्ता के रूप में, मैं अपने सभी मित्रों से इन मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण*

उपसभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री रघुनाथ रेड्डी को इस सभा के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि इससे हमें इस देश के समक्ष एक महत्वपूर्ण समस्या पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिला है। मेरे माननीय मित्र श्री दह्याभाई पटेल ने यह कहते हुए एक बहुत भावपूर्ण भाषण दिया है कि कोई राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। एक अन्य दिन, जब हम इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, इस सभा के एक अति सम्माननीय सदस्य प्रो. वाडिया ने यह कहा था कि यह प्रस्ताव देश के आर्थिक लाभ या किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है बल्कि यह कार्य कुछ विशेष व्यक्तियों जिनके पास देश में कुछ सम्पत्ति है के प्रति ईर्ष्या की भावना के कारण किया जा रहा है। मैं इस तर्क को समझने में असमर्थ हूं। श्री दह्याभाई पटेल ने अभी यह कहा है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति हेतु मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएं और जब कभी इस सभा के समक्ष कोई प्रगतिशील उपाय प्रस्तुत किया जाता है तब मौलिक अधिकारों के प्रश्न और लोकतंत्र को लेकर बड़े-बड़े नारे लगाए जाते हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि लोकतंत्र से उनका क्या अभिप्राय है। मैं इन माननीय सदस्यों के समक्ष एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूं, यह एक ऐसा प्रश्न है जो मैंने या किसी साम्यवादी नेता, किसी कट्टरपंथी या किसी चरमपंथी व्यक्ति ने नहीं बल्कि स्वामी विवेकानन्द ने इस देश के समक्ष रखा था। आपकी अनुमति से मैं उस प्रश्न को उन सभी माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं जो इस आधार पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे हैं कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित की जाए। क्या यह कहने के लिए एक चेतावनी है अथवा हमारे देशवासियों के लिए एक सुझाव है:–

> ''अत: मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों यह अनुभव करो। क्या आप यह महसूस करते हैं? क्या आप यह महसूस करते हैं कि ईश्वर और पुण्यात्माओं के करोड़ों अवतार निर्दयी लोगों के साथ रहे हैं? क्या आप इस बात को अनुभव करते हैं कि आज करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं और करोड़ों लोग सदियों से भुखमरी के शिकार रहे हैं। क्या आप यह महसूस करते हैं कि अज्ञानता ने धरा को एक काले बादल की तरह ढक रखा है? क्या यह बात आपको बेचैन करती है? क्या इस बात को लेकर आप अशांत हैं? क्या यह बात आपकी शिराओं से होती हुई आपके रक्त में पहुंच चुकी है और आपके दिल की धड़कनों में समा चुकी है? क्या इस बात ने आपको विक्षिप्त जैसा बना दिया है? क्या आप विनाश की वेदना से स्तब्ध हैं और क्या आप अपने नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति और अपने अस्तित्व तक को भूल चुके हैं?''

कुछ समय पहले, यह प्रश्न देश के समक्ष रखा गया था। मैं उसी प्रश्न को अपने माननीय मित्र श्री दह्याभाई पटेल के सामने रखना चाहता हूं। आप कुछ विशेष लोगों को लेकर चिंतित हैं जो कुछ सैकड़ों में या देश के बीस बैंकों के मालिक होंगे। किन्तु इस देश के करोड़ों लोगों का क्या? उन निर्धन लोगों का क्या होगा, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी भुखमरी के शिकार हैं? वे लोग फुटपाथ पर रहते हैं उनके पास अपने घर नहीं हैं। उनके पास दो वक्त का भोजन नहीं है, चूंकि वे अज्ञानता से

*वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर, 1963, कॉ. 4396-4402

पीड़ित हैं इसलिए उनके लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। जिस दिन इस देश के नब्बे प्रतिशत लोग अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलकर यह कहेंगे कि उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं तब इस देश के लोकतंत्र और इस संसद का क्या होगा?

*** *** ***

राष्ट्रीयकरण से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल यही समाधान नहीं है। मेरा पूरा मुद्दा यह है कि आप मामले को इस प्रकार पेश करना चाह रहे हैं कि यदि बीस या तीस बैंक मालिकों या कुछ सौ निदेशकों से प्रोत्साहनों को वापस ले लिया जाए तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। यह पहल नहीं की जाएगी। परन्तु करोड़ों लोगों का क्या होगा? करोड़ों लोगों से जुड़ी पहल को इस देश में दबा दिया गया है और वह ऐसा महसूस कर रहे हैं जो कि सही भी है कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। यदि देश में करोड़ों लोगों की इस भावना को सम्मान नहीं दिया जाता है तो यह देश प्रगति नहीं कर पाएगा, न केवल देश प्रगति नहीं कर पाएगा बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। अत:, मेरा उन सदस्यों से यह अनुरोध है कि उन्हें देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। हमें उनके बीच यह भावना जागृत करनी चाहिए कि यह देश केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का नहीं है बल्कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है।

अगले दिन माननीय श्री भुवालका ने यह कहा और सही ही कहा कि कोई बैंक व्यवसायी किसी मजदूर से अधिक भोजन नहीं खाता। यह सत्य है। परन्तु, उसे अपने पास अधिक सम्पत्ति क्यों एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सम्पत्ति के इस प्रकार उसके पास जमा होने से उसे समाज में सम्मान मिलता है। समाज में सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है। परन्तु, क्या आप ऐसे अन्य लोगों को सम्मान नहीं देंगे जिनके पास ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने के लिए धनराशि और सम्पत्ति नहीं है? यह आवश्यक है कि उत्पादन के सभी संसाधन, मानव की प्रगति के लिए आवश्यक सभी संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। राज्य के संबंध में गलतफहमी है। राज्य का अर्थ क्या है? मुझे यह जानकारी है कि राज्य की वास्तविक अवधारणा बाध्यकारी शक्तियों के केन्द्रित होने पर आधारित थी। राज्य का गठन, निश्चित अनुभव के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया। उन्होंने अपने अधिकारों को सीमित करके, राज्य नामक एक संगठन को सौंप दिया। यहां भ्रष्टाचार और अक्षमता मौजूद है। परन्तु यह भ्रष्टाचार और अक्षमता समाज की पूरी प्रगति को रोकने का नारा नहीं बन सकता। मैं श्री दह्याभाई पटेल की बात समझ सकता हूं। मैं अपने मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात भी समझ सकता हूं। परन्तु, आपकी अनुमति से मैं वस्तुत: यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस विचित्र सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को लेकर आश्चर्य है। किसी अन्य दिन उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना उद्देश्य घोषित करते हुए जयपुर में एक संकल्प पारित किया था। उस नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। परन्तु उसी पार्टी के सदस्य आगे आकर स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ पार्टी और देश में बड़े मिल मालिकों का समर्थन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए और यह देश में सर्वाधिक दु:खद स्थिति है। मैं इस बात से बहुत दु:खी हूं कि सत्ताधारी पार्टी जिसके पास सभा में काफी अच्छा बहुमत है यह इस सीमा तक जा रही है कि उसके सदस्य देश के सर्वोच्च मंच पर एक सुर में नहीं बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे राष्ट्र और उस पार्टी को भी भविष्य में दु:ख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।

आपकी अनुमति से, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जब कुछ व्यक्ति इस मुद्दे पर विरोध कर रहे थे मुझे अकस्मात् एक महान आत्मा, 19वीं सदी की एक महानतम आत्मा का स्मरण हुआ। मेरा अभिप्राय कार्ल मॉर्क्स से है। मेरे मित्र श्री गोविन्दन नायर ने एक दिन अपने भाषण में यह कहा था कि उन्हें कांग्रेस के सदस्यों को भाषण पर आश्चर्य हुआ है। परन्तु, मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि, बहुत समय पहले 19वीं सदी में कार्ल मॉर्क्स ने सामाजिक शक्तियों का विश्लेषण किया था। उन्होंने उन लोगों का विश्लेषण किया, जिनके पास कुछ सम्पत्ति थी। अपनी महान कृति 'दास कैपिटल' की रचना करते हुए अपने पहले जर्मन संस्करण के आमुख में उन्होंने यह कहा था। यह नोट करना रोचक बात है कि केवल कार्ल मॉर्क्स जैसा कोई व्यक्ति ही एक शताब्दी पहले इस प्रकार किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझ सकता है। उन्होंने कहा:–

> ''राजनैतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच के समय विशेष शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय-वस्तु का विशेष स्वरूप मानवीय अंतर्मन के सर्वाधिक हिंसक, सर्वाधिक तुच्छ और सर्वाधिक घृणित मनोभाव – निज हित के आवेश पर नियंत्रण पाने की मांग करता है। उदाहरण के लिए, एंग्लिकन चर्च अपनी उनतालीस वस्तुओं में से उनतालीसवीं वस्तु जो उसकी आय है को छोड़कर, अड़तीस वस्तुओं पर हमले को सहर्ष माफ कर देगा। वर्तमान में पारंपरिक संपत्ति आधारित रिश्तों की आलोचना की तुलना में नास्तिकता एक गौण अपराध है।''

कार्ल मॉर्क्स का यह कहना था। यदि आप कार्ल मॉर्क्स के इस विश्लेषण को ध्यान में रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और उसके जयपुर में पारित संकल्प को समझना आसान हो जाएगा। जैसे ही लोकतांत्रिक समाजवाद को लागू करने की बात की जाती है, कांगेस पार्टी उसका कड़ा विरोध करने लगती है। आप लोकतांत्रिक समाजवाद, राष्ट्रीयकरण या किसी अन्य विषय पर बात कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी एक सर्वसम्मत संकल्प पारित कर देगी, परन्तु यदि आप किसी मद को संसद के एजेंडा में शामिल करते हैं तो कांग्रेस पार्टी हाय-तौबा मचा देती है। जयपुर अधिवेशन में श्री कृष्ण मेनन ने कहा था कि हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह एक पूंजीवादी समाज है। उन्होंने कहा कि गत पन्द्रह वर्षों के दौरान सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हुई है। न केवल इतना ही बल्कि 1 नवम्बर, 1963 के एआईसीसी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे वित्त मंत्री श्री टी.टी. कृष्णामचारी ने प्रेस संवाददताओं से अपनी अनौपचारिक वार्ता में गैर-हिसाबी धन को सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी सामाजिक बुराई बताया जिसने देश में आर्थिक जीवन को विकृत किया है। बिक्री कर और आय कर का क्रमशः 80 प्रतिशत और 60 प्रतिशत तक भुगतान न करने के कारण 200 करोड़ रुपये तक की गैर-हिसाबी धनराशि जमा हो गई है। क्या आप यह नहीं जानते कि इन निजी बैंकों द्वारा यह बेहिसाब धनराशि छिपाई जाती है? यह बात वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री की जानकारी में है परन्तु वह इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग को केवल 20 महत्वपूर्ण बैंक नियंत्रित कर रहे हैं। कम्पनी विधि प्रशासन के श्री राज के. लिंगम ने यह बताया है कि 20 अग्रणी बैंकों के 180 निदेशक हैं जो विभिन्न उद्योगों में 1640 निदेशक के पदों पर आसीन हैं। कुछ निजी बैंकों के पास संपत्ति के जमा होने या केन्द्रित होने की यह स्थिति है। यदि आप इस स्थिति को ध्यान में रखते हैं तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में कोई दुविधा नहीं हो सकती। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इस संबंध में सरकार के सामने क्या

बाधाएं आ रही हैं। देश में पूंजीपतियों, एक विशेष लॉबी और निहित हितों के दबाव में कांग्रेस पार्टी कोई साहसी कदम नहीं उठाएगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज के समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कांग्रेस के 54 सदस्यों ने प्रधानमंत्री के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की है कि उन्हें कांग्रेस संसदीय दल में इस मामले को उठाने का अवसर दिया जाए और उन्हें इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए साहसी कदम उठाने चाहिएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय की ओर से कांग्रेस के इन सदस्यों को यह बताएं कि वे जयपुर में पारित अपने संकल्प पर टिके रहें। यदि सत्ताधारी पार्टी अपने दायित्वों पर खरा नहीं उतरती है तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रेड्डी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

प्रिवी पर्स और भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार*

उपसभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री भूपेश जी को यह विधेयक प्रस्तुत करने तथा प्रिवी पर्स और भूतपूर्व राजाओं को दिए गए विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता की ओर इस सदन तथा पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बधाई देता हूं।

यह मुद्दा कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और पिछले वर्ष तो इस पर अत्यधिक चर्चा हुई है। यह प्रश्न अनेकों बार सदन के अंदर और बाहर उठाया जाता रहा है। चूंकि बहुत से लोगों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अत: मैं इस प्रश्न के कानूनी पक्ष में नहीं जाना चाहता। हमारे विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत से वकीलों ने भी इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो वकील इसके पक्ष में नहीं हैं वे संविधान में संशोधन हेतु सहमति प्रकट कर सकते हैं। मैं यह जानकर बहुत हैरान हूं और यह बिल्कुल हास्यास्पद है कि हमारे कुछ मित्रों का यह कहना है कि संविधान संशोधन से कुछ महत्वपूर्ण भारतीय परम्पराएं खंडित हो जाएंगी। वे यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि हम अपने वादे पूरे नहीं करते, अत: इससे भारत का इतिहास धूमिल होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा कि संविधान का कोई ऐसा अनुच्छेद हो जिसे कभी संशोधित न किया जा सके। संविधान निर्माताओं ने इस संसद और इस देश के लोगों को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को संशोधित करने का अधिकार दिया है। संविधान और इसके अनुच्छेदों में कई बार संशोधन किया गया है। मगर यह प्रश्न कभी नहीं उठा कि लोगों की भावनाएं आहत होंगी और भारतीय परम्पराएं खंडित होंगी। पहली बार इस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जब श्री देवी सिंह जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत का गौरव इस एक अनुच्छेद में छिपा हुआ है। दूसरे शब्दों में, यह कहा गया कि इससे संविधान की शुचिता नष्ट होगी। महोदय, सदन में हमने एक बार नहीं बहुत बार अत्यंत दु:खद घटनाओं के बारे में सुना है। छुआछूत अनेक घृणित अपराधों का कारण रहा है। संविधान के एक अनुच्छेद# में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना चाहिए।

मैंने इस मुद्दे पर भावनाओं का ज्वार पहले कभी नहीं देखा, मैंने पहले कभी अपने मित्रों को इतनी गहराई से, अपनी भावनाएं व्यक्त करते नहीं देखा। हमारे संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि निर्धन और धनी वर्ग के बीच की खाई इतनी अधिक न हो जाए कि गरीबों को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगे। मेरे मित्र श्री देवी सिंह जी ने इन अनुच्छेदों में व्यक्त हमारे उदार राजनैतिक सिद्धांतों पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे उन मित्रों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जो यह तर्क देते हैं कि इससे संविधान की शुचिता, उद्देश्य और गरिमा का ह्रास होगा। महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का मूल तत्व क्या है? संविधान का मूल यह है कि स्वतंत्रता पाने के पश्चात् देश का प्रत्येक निवासी, चाहे वह गरीब हो या अमीर देश में व्याप्त कष्ट और निर्धनता में समान रूप से साझीदार होगा। मेरा मानना है कि यदि देश गरीब है तो प्रत्येक व्यक्ति को इसे समान

* संविधान (संशोधन) विधेयक, 1964 पर चर्चा में भाग लेते हुए; राज्य सभा वाद-विवाद, 2 अगस्त, 1968, कॉ. 1939-45 (मूल हिन्दी में)।

अनुच्छेद 17

रूप से साझा करना चाहिए। महोदय, आप तो भारतीय संस्कृति के पक्षधर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कैसी गौरवपूर्ण और महान संस्कृति है जहां अमीर लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं जबकि गरीब अभावग्रस्त और कष्टपूर्ण जीवन जीते हैं और संसद में गरीबों के हित संबंधी मामलों को निम्न स्तर का समझा जाता है; जो भी उनके मामले उठाता है उसे देश का शत्रु समझा जाता है, यहां तक कि यदि मैं भी इस बारे में बात करूं तो तुरन्त कहा जाएगा कि मैं साम्यवादी और साम्यवाद से प्रभावित हूं।

...संविधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि गरीबों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ करना चाहिए लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया है। इसके पीछे केवल एक ही विचार है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की कुछ पुरानी अवधारणाएं हैं और जब भी इन अवधारणाओं पर प्रहार करने के प्रयास किए जाएंगे, उनका विरोध किया जाएगा और मैं अपने मित्र श्री बालकृष्ण गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी ही इसका विरोध नहीं करेगी बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसी समाजवादी पार्टियों में कई ऐसे तत्व हैं जो व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को अनुल्लंघनीय मानते हैं और उनका विचार है कि हरेक का जन्म संपत्ति के साथ हुआ है और भगवान उनके दिलों में बसता है लेकिन हकीकत यह है कि वे मानव मात्र का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। ये लोग प्रत्येक परम्परा को तोड़ने के हर प्रयास का विरोध करते हैं- चाहे वे कांग्रेस पार्टी या स्वतंत्रता पार्टी अथवा अन्य दलों से संबंधित हों और ये लोग समाज के इस सड़े-गले ढांचे को बनाए रखना चाहते हैं लेकिन उनके प्रत्येक प्रयास के बावजूद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महोदय, मैंने इस सभा में कई बार कहा है कि इतिहास का रथ अपने संचालन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता; हमें सिर्फ एक बात पर निर्णय करना है और वह यह है कि क्या हम इतिहास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं अथवा इसके द्वारा कुचले जाना चाहते हैं? इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

हमारे वे मित्र जो पहले राजा रहे हैं और अभी भी कुछ अनुषंगी लाभों का फायदा ले रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि इस संसद और इस संविधान ने भले ही उन्हें कुछ और समय दे दिया हो, लेकिन उन्हें इसके लिए अच्छी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इतिहास कभी एक-सा नहीं रहेगा।

महोदय, अब मैं परम्परा से संबंधित अन्य दो बातों पर विचार करूंगा। महोदय, भारत की क्या परम्परा है? महोदय, आपको ज्ञात है कि हमारे देश में प्राचीन समय से वेदों के काल से ही राजा को संग्रह किए गए राजस्व को भूख और गरीबी से पीड़ित लोगों को देना होता था। हमारे देश में किसे राजा के रूप में माना जाता है? वेदों में इन्द्र को इस संबंध में मान्यता दी गई है। वेदों के अनुसार इन्द्र, सूर्य, वायु और बादलों की सहायता से समुद्र से पानी ले जाकर रेगिस्तान अथवा कम पानी वाले क्षेत्रों में वर्षा कराते थे, लेकिन आजकल पानी उल्टी दिशा में बह रहा है। मेरे भाई श्री दह्या भाई पटेल ने राजाओं के विभिन्न कर्त्तव्यों को रेखांकित किया है। उनके अनुसार, राजाओं के पास प्राचीन काल से ही धन होता है और यह उनके पास रहना चाहिए भले ही गरीब कुछ और समय तक भूखे मरते रहें। मुझे लगता है, हमारे ग्रंथों में हमारी परम्पराओं में ऐसा नहीं रहा है। यहां यह परम्परा रही है कि राजा का कर्त्तव्य यह है कि खजाने से धन का प्रवाह गरीबों की ओर हो।

...इसी तरह यदि भारत की संसद इस कर्त्तव्य को नहीं निभाती है, यदि भारत सरकार इस कर्त्तव्य को नहीं निभाती है तो मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह भारत की सभी परम्पराओं और संस्कृति के खिलाफ होगा।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि इसका बहुत विस्तार से उल्लेख हुआ है कि राजाओं ने बड़े-बड़े बलिदान दिए हैं, बड़ी-बड़ी तपस्याएं की हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उनके बलिदानों, उनकी तपस्याओं की प्रशंसा उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्हें भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है या इसका उल्लेख उन लोगों द्वारा किया जाए जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन दह्या भाई पटेल जैसे लोगों की राय आश्चर्यचकित करने वाली है। हो सकता है, आजकल उन्हें भ्रमित किया गया हो लेकिन वह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे हैं, जब वह राजाओं, महाराजाओं की प्रशंसा करते हैं, जब वह देश के लिए उनके प्रेम के बारे में कहानियां सुनाते हैं, कि उन्होंने भारत में विलय किया है तब शायद वह भूल जाते हैं कि इन रियासतों में किसने बलिदान दिए, वह उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह उनकी स्मृति का अपमान है। मेरे पास एक किताब है जोकि अभी यहां मेरे पास नहीं है; इसे श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा लिखा गया है और यह किताब* हैदराबाद के बारे में है और इस किताब में यह लिखा गया है कि इस देश में रह रहे हजारों राजाओं और नवाबों में से, केवल 18 ही ऐसे राजवंशों और शाही परिवारों से संबंधित थे जो ब्रिटिश शासन से पहले ही मौजूद थे और उनमें से बाकी ब्रिटिश शासन के दौरान शासक और राजा बने। वे शासक और राजा क्यों बन गए?

*** *** ***

यह पुस्तक श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा लिखी गई है, आप इस बारे में उनसे अच्छी तरह जानते हैं, यह पुस्तक आपके नेता द्वारा लिखी गई है। यहां से पाकिस्तान और भारत दोनों से केवल 18 लोग वहां थे, और बाकी लोग...।

*** *** ***

वे राजस्थान के रहने वाले रहे होंगे, परंतु उन सभी ने अंग्रेजों के आने से पूर्व दासता स्वीकार कर ली थी और इसीलिए, उन्होंने उनका राजा के रूप में अभिषेक किया था। अंग्रेजों ने अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए देश के साथ विश्वासघात किया। मैं समझता हूं कि यदि यह देशभक्ति है तो यह उन लोगों की स्मृति और बलिदानों के प्रति अन्याय होगा, जिन्होंने, रजवाड़ों के राजाओं के अत्याचार को सहन किया और स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया।

श्री देवी सिंह जी ने आज एक प्रश्न पूछा है कि यदि इन राजाओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया होता तो परिणाम क्या हुआ होता। उनके साथ भी वही हुआ होता, जैसा उन राजाओं के साथ हुआ जिन्होंने उस समय को नहीं पहचाना। जैसे कि दुनिया के विभिन्न राजतंत्र एक-एक कर धराशायी होते जा रहे हैं, वैसा ही उनके साथ भी हुआ होता। प्रत्येक दिन हमें पता चलता है कि किसी न किसी राजा को उनकी ही प्रजा द्वारा दूसरे देश में भागने के लिए मजबूर किया जाता है। मेरा विश्वास है कि इन राजाओं ने उस समय बुद्धिमानी से काम लिया था और मुझे विश्वास है कि वे लोग पुनः बुद्धिमानी दिखाएंगे और इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, बहुत देर होने से पहले ही वे अपने विशेषाधिकार छोड़ देंगे और वे लोगों और राष्ट्र के इतिहास को मजबूर नहीं करेंगे कि वे उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करें।

धन्यवाद।

---

*दि एंड ऑफ इराः हैदराबाद मैमोरीज, भारतीय विद्या भवन, बॉम्बे, 1957

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

महोदय, सबसे पहले मैं भारत के राष्ट्रपति को बधाई देता हूं।

*** *** ***

मैं समझता हूं कि कोई भी आर्थिक और राजनीतिक नीति प्रभावशाली नहीं हो सकती है, यदि यह देश की प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान की रक्षा न करे।

सभापति महोदय, जब संसद के केन्द्रीय कक्ष में यह अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तब हमारे माननीय राष्ट्रपति ने कहा था कि उदारीकरण की नीति के पीछे हमारा उद्देश्य देश का विकास होना चाहिए, समानता तथा गरीबों के जीवन में एक नया सवेरा लाना होना चाहिए तभी पूरी दुनिया में विकास की लहर उत्पन्न होगी। एक या डेढ़ वर्ष पूर्व मैंने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था कि नौ वर्ष बीत चुके हैं, अब हमें बैठकर इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया है? राष्ट्रपति के अभिभाषण, जो सरकार ने तैयार किया है, से प्रतीत होता है कि देश अंधकारमय भविष्य की ओर बढ़ रहा है। देश के विकास का, जो कुछ भी स्वप्न था, वह स्वप्न ही रह गया। हमारे देश के छोटे उद्योगों का विनाश हो चुका है और कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से जिन कारखानों को स्थापित किया था, वे बंद हो रहे हैं। पिछले वर्ष सरकार ने घोषणा की थी कि कारखानों की 10,000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को बेचा जाएगा।

कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, परंतु संपत्तियों का विक्रय जारी रहा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा वक्तव्य कभी नहीं सुना कि हम इन कारखानों का पुनरुद्धार करेंगे और इन कारखानों में जान फूकेंगे। वे यह कहते आए हैं कि विनिवेश के कार्य में तेजी लाई जाएगी। एक दिन, हमारे वित्त मंत्री एक वक्तव्य दे रहे थे। वे इस तथ्य को दोहरा रहे थे कि विक्रय के प्रयास के बावजूद उन्हें पैसा नहीं मिल सका। हमने अपने देश को ऐसा मान लिया है कि यहां एक ऐसा मंत्री है जो उद्योगों की भूमिका को देखेगा। अंग्रेजी में इसका नाम है—डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर अर्थात् विनिवेश मंत्री। श्री अरुण शौरी हमारे पुराने मित्र हैं। वे काफी युवा हैं और हमें उनसे काफी उम्मीदें हैं।

...हमारे रक्षा मंत्री के आदेश पर, कारगिल में हमारे 450 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। परंतु, यह भी सत्य है कि हम अपनी सीमा को पार नहीं कर सकते थे। हम अपने सैनिकों का बलिदान करने को तैयार थे क्योंकि पूरी दुनिया कह रही थी कि यदि हम कारगिल की उस सीमा, जो हमारी नियंत्रण रेखा है, को पार करते हैं, तब बड़ा युद्ध होगा। पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के समय, जार्ज साहब, आपको सूचित नहीं किया गया था। मुझे पता है कि आपके एक सहयोगी ने पाकिस्तान को एक खुली चुनौती दे दी थी। और युद्ध करने के लिए पाकिस्तान के लिए अनुकूल स्थान और समय को जानना चाहा। वे यह भूल गए थे कि वे भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। यदि हम गलती कर सकते हैं तो वे भी गलती कर सकते हैं। हमने पांच परमाणु परीक्षण किए हैं और उन्होंने छह परमाणु परीक्षण किए हैं। अब आप उन मतभेदों को भूल गए हैं और एक बस में लाहौर समझौता करने चले

* राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद, में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद 8 मार्च, 2001, कॉ. 301-309

गए। देश का शासन चलाना बच्चों का खेल नहीं है। जब हमने परमाणु परीक्षण नहीं किया था, तब हमारी ताकत पाकिस्तान से पांच गुना अधिक थी। अब हम बराबर हैं। या तो वे परमाणु बम का सर्वप्रथम इस्तेमाल करके हमें नष्ट कर सकते हैं या ऐसा करके हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज यहां उपस्थित हैं। वे तीव्र कार्यवाही में विश्वास करते हैं। शायद, वे उनसे पहले कार्यवाही करेंगे। परंतु, जब लाहौर में बम गिराया जाएगा तो क्या होगा? एक बार मैंने इस सभा में कहा था कि हमें यह देखना चाहिए कि ऐसा करने से अमृतसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। लोग साहस के साथ युद्ध करते हैं। परंतु, आपके एक कदम से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।

कश्मीर में युद्धविराम क्या है? मुझे पता नहीं है कि इस युद्धविराम को किसने घोषित किया था? यह युद्धविराम केवल हमारे सैनिकों और थल सेना के लिए है। रोज ही लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा केवल कश्मीर में ही नहीं हो रहा है बल्कि नागालैंड में भी हो रहा है। मैं फारूख अब्दुल्ला, जमीर साहब जैसे लोगों से बातचीत करता था। उनकी भावनाओं को किसी ने महसूस नहीं किया होगा परंतु जार्ज फर्नांडीज महसूस कर सकते हैं। वे अभी बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि आप उन दिनों को याद करें जब ये लोग आपको उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। उन्होंने सोचा था कि एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत न केवल अपनी रक्षा करेगा बल्कि वह गरीब देशों को आश्वस्त भी करेगा कि यदि वे दु:ख और पीड़ा में हों तो भारत उनकी सहायता करने के लिए वहां पहुंचेगा। आज हम पूरी तरह असहाय हैं। मैंने शुरुआत में ही इन बातों का उल्लेख किया था क्योंकि जार्ज साहब की मांग से मुझे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। परंतु, यदि आप हमारे देश की आर्थिक स्थिति को देखें, तो यह दस्तावेज, जिसे माननीय राष्ट्रपति जी ने एक घंटे में पढ़ा है, बहुत भ्रमपूर्ण है। हम इस प्रकार की भ्रमित स्थिति में कब तक रहेंगे? सभी को पता है कि इस सरकार और इससे पहले की सरकार के कार्यकाल के दौरान, जब से ये नीतियां लागू हुई हैं, पिछले दस वर्षों में लघु उद्योग बंद हो चुके हैं। हमारे कुटीर उद्योग कहां हैं? हमारे बुनकरों, शिल्पकारों, लुहारों की स्थिति कैसी है? उनकी कला कहां हैं? आदिवासी गांवों की कला की स्थिति क्या है? आखिरकार, अंग्रेजों के आने से पूर्व, भारत विश्व का सबसे धनी देश था। यहां कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं थीं। यहां किसान थे। यहां कोई बड़े संयंत्र नहीं थे, परंतु हमारे पास कुशल लोग थे, जो संपूर्ण भारत में फैले हुए थे और वे धन उत्पन्न करते थे। उनके उत्पाद दुनिया के कोने-कोने में बिकते थे। जब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महात्मा गांधी भारत आए तो अचानक एक चीज भारत में फैल गई। श्री गोखले ने महात्मा गांधी से कहा: गांवों में जाइए और ग्रामीणों की ताकत को पहचानिए और उनकी प्रेरणा से आप नए हिन्दुस्तान का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जी ग्रामीण भारत की परंपरा और ताकत से प्रेरित हुए। उन्होंने एक ऐसे देश में जान डाल दी जो निष्क्रिय था और 1914 से 1942 तक गांधी जी ने नई शक्ति भर दी और शस्त्र रहित देश को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए खड़ा कर दिया, जिन्होंने, ''करो या मरो'' या ''भारत छोड़ो'' का नारा दिया जिसके बारे में सरकारी फाइलों में कोई उल्लेख नहीं है परंतु उनकी आवाज को अभी तक भारत के प्रत्येक भाग में सुना जा सकता है। इस आवाज को केवल भारतीयों के दिल में ही नहीं सुना जा सकता है, अपितु विश्व के लोगों के दिलों में भी सुना जा सकता है। जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, वह दिन मुझे याद है। उस समय आइंसटीन ने कहा था कि एक दिन दुनिया याद करेगी कि ऐसा दुबला-पतला व्यक्ति भी इस दुनिया में पैदा हुआ था। उस समय श्री रोमा रोला ने कहा था कि यदि दुनिया के लोग कभी सोचेंगे कि मानव सभ्यता और संस्कृति

कहां प्रारंभ हुई थी, तब मस्तिष्क में केवल एक ही देश का नाम आएगा और वह है–भारत। गांधी जी ने ही ऐसे देश को वह साहस दिया था। वर्ष 1991 में, उस साहस को कम करने का एक प्रयास किया गया था और आज भी किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हम असहाय हैं, यदि अन्य देशों के लोग हमें धन नहीं दें तो हमारे देश में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमें धन क्यों चाहिए? हमें जो धन दिया गया है, उसका क्या उपयोग है? जार्ज साहब, क्या आपको याद है, कि हमने 1977 में कोका कोला का विरोध किया था और अब भी जार्ज फर्नांडीज पेप्सी और कोका कोला का स्वागत कर रहे हैं। यह कष्टपूर्ण है कि हमारी सेनाओं का इरादा अच्छा नहीं है परंतु हमारे किसान मेहनत से खेती कर रहे हैं और उन्होंने कृषि में हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। मेरा मानना है कि हमारे किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा परंतु उसके बावजूद, कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। विगत में, हम एक छोटी सुई भी नहीं बना सके, परंतु, अब भारत 13 औद्योगिक देशों में से एक है। जार्ज साहब, आप उस दिन को याद कीजिए जब आपने रेल हड़ताल की थी। हजारों श्रमिक तैयार हो गए थे और यदि वही श्रमिक बाल्को को बेचने पर सहमत नहीं होते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और इस कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और वहां सेना भेजने की अनुमति मांगते हैं। आप उन्हें बंदूक की शक्ति और राजनीतिक शक्ति के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। यह आपकी कंपनी नहीं है। याद कीजिए, यह कंपनी एक पूंजीपति की है। पूंजीपति के एक मित्र ने इस प्रश्न को उठाया है। पूंजीपति की ओर से, विनिवेश मंत्री हमें यह बताते हैं कि इस देश को कैसे चलाना है? वे हमें बताते हैं कि कैसे पक्षपात किया जाता है? और केन्द्र सरकार कैसे कार्य करती है? जब नौकरशाहों ने जैसा चाहा, वैसा किया तो उस समय केन्द्र सरकार कहां थी? आप सोमनाथ चटर्जी के भाषण की आलोचना कर सकते हैं। तथापि, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा परंतु जब एक सरकारी अधिकारी खुलेआम एक साक्षात्कार देता है और वह अखबार में प्रकाशित होता है और जब आपकी पार्टी, जो एक बड़ी पार्टी है, की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, पिछले दो महीनों से टेलीविजन पर प्रतिदिन प्रधानमंत्री कार्यालय के कृत्यों का उल्लेख कर रहा है, तब सूचना मंत्रालय, सूचना विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय कहां थे? ऐसी चीजों का खंडन क्यों नहीं किया गया? यदि इसका खंडन नहीं किया जाता है, तो जब हमारे मित्र सोमनाथ चटर्जी उसका उल्लेख करते हैं तो कोई युवा व्यक्ति उत्तेजित क्यों हो जाता है। आप गुस्सा दिखाकर लोगों की भावनाओं को दबा सकते हैं। आप संसद में बहुमत से कोई संकल्प पारित कर सकते हैं, परंतु मित्रों, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि विश्व में क्रांति संसद के संकल्प और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से नहीं आती। लोग, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करके क्रांति का मार्ग चुनते हैं और संसद भी मौन रहती है। वर्तमान में बाल्को में जो कुछ हो रहा है वह अच्छा संकेत नहीं है। यदि कोई मुख्यमंत्री उसको चुनौती देता है तो सरकार उच्चतम न्यायालय की शरण में जाती है। सरकार, संसद के समक्ष आने के बारे में नहीं सोचती और केन्द्रीय मंत्रिमंडल उन्हें यह बताता है कि यह कार्य नहीं किया जा रहा है। एक ऐसा दिन आएगा जब उच्चतम न्यायालय आपसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। किसी दिन उच्चतम न्यायालय आप पर प्रतिबंध लगा सकता है। महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने संसद में अनेक बार ऐसा देखा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समन की अध्यक्षपीठ, जिस पर आप आज विराजमान हैं, पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा उपेक्षा की गई है। ऐसा कहा जाता है कि अध्यक्षपीठ

पर आसीन व्यक्ति, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है। मैंने माननीय अध्यक्ष को यह लिखा है कि मेरा यह मानना है कि इस पद पर आसीन व्यक्ति के अधिकार और कर्त्तव्यों का निर्धारण केवल संसद द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय इनमें कोई कमी या बढ़ोत्तरी नहीं कर सकता। परंतु, आज सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर केवल उस दिशा में कार्य कर रही है। यह सरकार लोगों में भय व्याप्त कर रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है कि जो देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भयभीत नहीं हुआ उसे इस कानूनी हथकंडे से अभित्रस्त किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी क्षेत्र पर भी दृष्टि डालिए, उद्योगों सहित उन सभी क्षेत्रों पर तालाबंदी की तलवार लटकी हुई है। यह कहा गया था कि केवल घाटे में चल रही कंपनियों को ही बेचा जाएगा। इससे दस हजार करोड़ रुपये एकत्र किए जाएंगे। तत्पश्चात् यह कहा गया कि घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है इसलिए, लाभ कमा रही कंपनियों को भी बेचा जाएगा। हमारे माननीय विनिवेश मंत्री जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया था। हमारे मित्र ने उसका समर्थन किया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? क्या यह आपकी संपत्ति है? आज आप सत्ता में हैं, परंतु संभवत: कल आप सत्ता में न हों। मान लीजिए कल कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई अन्य पार्टी सरकार बना लेती है, तो ऐसे में इस देश का क्या होगा यदि आप उन कंपनियों को बेच देते हैं। ऐसे में क्या स्थिति होगी? आज आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे इस निर्धन देश की समस्याएं और गंभीर हो जाएंगी। वर्तमान सरकार की नीतियां देश को ऐसी स्थिति में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं।

कुछ दिन पूर्व निर्धन और समृद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 11वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के मुद्दे पर एक दूसरे को चुनौती देना आरंभ कर दिया। गत 50-52 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु आपकी भारी सफलता के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे मित्र मुलायम सिंह जी ने यह कहा कि मैं अटल जी को ''गुरूदेव'' कहता था। मुझे आज भी उन्हें गुरूदेव कहने में कोई संकोच नहीं है परंतु यह याद रखिए कि अर्जुन भी अपने गुरू द्रोणाचार्य के विरुद्ध अपने धनुष-बाण का इस्तेमाल करने के लिए विवश था। अत: मैं यह पूछ रहा हूं कि देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है आप देश को किस शर्मनाक स्थिति में ले जाना चाहते हैं? आज विदेशी लोग खुले तौर पर यह निर्धारित कर रहे हैं कि हमें कैसी कृषि नीति अपनानी चाहिए और हमारे श्रमिकों के साथ क्या किया जाना चाहिए। यदि एक हजार श्रमिकों वाली कोई कंपनी बंद भी हो जाती है तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह साहस कहां गया जो एक समय श्रमिक संघ नेता श्री जॉर्ज फर्नांडीस की पहचान हुआ करती थी। मनोहर जोशी जी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप उन श्रमिकों की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।

मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था। उस समय मैंने यह कहा था कि चूंकि निर्धन क्षेत्रों से समृद्ध क्षेत्रों की ओर धन का प्रवाह हो रहा है इसलिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। यह धनराशि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इकट्ठी हो रही है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है और इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में कुछ खामियां थीं। बैंक कर्मचारियों ने भी कुल गलतियां की थीं, परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि बैंकों ने लाखों किसानों को ट्रैक्टर और पंप खरीदने तथा छोटे व्यापारियों को दुकानें खोलने में उनकी मदद की है। जबकि इससे पहले केवल 14 परिवारों को ही बैंकों की पूंजी का उपयोग करने की अनुमति थी। जो पूंजी केवल कुछ लोगों के नियंत्रण में थी वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद अनेक लोगों तक पहुंच गई। इसमें उच्च आदर्शों का उल्लेख किया गया है। मैं उन सबका फिर से उल्लेख नहीं करना चाहता। आप ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, आप उन्हें

बिजली प्रदान करना चाहते हैं, मेरे मित्र श्री सुरेश प्रभु जी इस बात को भली-भांति जानते हैं कि वहां बिजली कैसे पहुंचेगी। आप जिन नीतियों को अपना रहे हैं उनसे दो वर्षों में देश में कुछ और नहीं अपितु सब जगह अंधकार छा जाएगा। एनरोन केवल 30-35 हजार करोड़ रुपये की वसूली ही नहीं करेगी। शिवराज पाटिल जी आपका राज्य इस संबंध में बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हमारे एक सम्माननीय मित्र ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और एक अन्य मित्र ने अनुमोदन प्रदान किया था। उस समय मैंने उसे एक विनाशकारी कदम बताया था। अब यह श्री सुरेश प्रभु के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार अब उसे केन्द्र सरकार को अंतरित करने का प्रयास कर रही है और केन्द्र सरकार इस दुविधा में है कि 7.80 प्रति यूनिट की अत्यधिक उच्च दर पर कौन बिजली खरीदेगा? धमकियां दी जा रही हैं। जब आप सत्ता में नहीं होंगे और हम संसद में नहीं होंगे तब हमारी भावी पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। इन तथ्यों पर विचार करने के बाद, मैंने अपनी आवाज उठाने के बारे में सोचा। भले ही इसे कोई सुने या न सुने। मुझे देशवासियों को यह बताना होगा कि आप इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? देश में शुल्कों में वृद्धि की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अगले पांच वर्षों के दौरान कोई सहायता न देने की घोषणा कर रहा है। वह प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर पर शुल्क में वृद्धि करता है और कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। मैं इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय गया था। वहां युवाओं ने यह बताया कि हमारे माता-पिता हमें अपने परिश्रम से की गई कमाई से पढ़ाते हैं और सरकार हमें कोई रोजगार प्रदान नहीं करती। सरकार कर्मचारियों की छंटनी कर रही है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से 90,000 बैंक कर्मचारी सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुरक्षा उपायों का क्या हुआ? अब यह सरकार एक बार में ही काम पर रखो और कार्य न होने पर निकाल दो की नीति अपना रही है। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि श्री शुक्ला और श्री शिवराज पाटिल आप भी इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यह शर्म की बात है कि सरकार और विपक्ष देश को बेचने के मुद्दे पर एक सुर में बात कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? यदि किसी निर्धन व्यक्ति का पुत्र किसी विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने में स्वयं को असहाय पाता है तो यह देश किस प्रकार प्रगति करेगा?

श्री मुलायम सिंह जी प्राय: आरक्षण की मांग करते हैं। परंतु, रोजगार के अवसरों के अभाव में आरक्षण के प्रावधान का क्या लाभ है? विदेशी कंपनियां आरक्षण के संबंध में आपके कानून का पालन नहीं करेंगी। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि इससे देश किस दिशा में जाएगा? हम एक के बाद दूसरी कंपनी को बेच रहे हैं। मैं केवल बाल्को की बात नहीं कर रहा हूं। अब हम इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का निजीकरण करने जा रहे हैं। यह सरकार इस देश को बेचने का कार्य कर रही है और इस कार्य को करते हुए गर्व का अनुभव कर रही है। इसी प्रकार का विश्वासघात श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। उनके साथ भी यही व्यवहार किया जा रहा है। पांच या आठ मंत्रालयों को समाप्त कर दिया गया है। अब आप कैबिनेट में किसी मंत्रालय को समाप्त करने या अन्यथा किसी विषय पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। यह निर्णय अब विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लिया जाएगा। मैं आपको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्टें दिखा सकता हूं, जिनमें भारत में छंटनी किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और देश में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली का उल्लेख किया गया है। अब एक नई कृषि नीति बनाई जाएगी। हमारे मित्र, वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि देश में पहली बार कृषि नीति बनाई गई है। क्या वह यह भूल गए हैं

कि देश में जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई है। क्या वह सहकारी कृषि के लिए आरंभ किए गए व्यापक आंदोलन को भूल गए हैं। क्या वह हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए निवेश को भूल गए हैं। मैं सरकार की कार्य-प्रणाली के खिलाफ रहा हूं परंतु, मेरा यह कहना है कि देश में 1947 से 1990 के बीच राजस्व अर्जित करने का कार्य किया गया है और हमने 1991 से उनकी बिक्री करनी शुरू कर दी। कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री अथवा वित्त मंत्री या विनिवेश मंत्री यह सुनने के बाद गर्व से ऐसा कैसे कह सकता है। यदि आज संसद में यह स्थिति है तो देश के निर्धन व्यक्ति का मनोबल क्या होगा। आप कब तक उन्हें उलझन की स्थिति में रखेंगे? आज समाज में भी जागरूकता पैदा हो रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आदिवासी, निर्धन दलितों के दिलों में वेदना है। अनेक दलितों और आदिवासियों के बच्चे और बच्चियां विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। वे कौन लोग हैं जिनके बारे में न केवल आज कल बल्कि, अनेक वर्षों पहले यह कहा जाता था कि ईश्वर ने उन्हें ऐसा ही जीवन दिया है और यही उनकी नियति है। ये लड़के और लड़कियां इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने आंदोलन और इतिहास के बारे में पढ़ा है। उन्होंने पूरे विश्व में क्रांति को देखा है। उन्हें वियतनाम, क्यूबा और फ्रांस की क्रांति की जानकारी है उन्हें रूस और चीन की क्रांति की भी जानकारी है। वे इस बात को जानते हैं कि सरकार की इन नीतियों के परिणामस्वरूप ही वह निर्धन हैं। कृपया याद रखिए कि मानव मन की जागृति को कैद करके नहीं रखा जा सकता। कोई भी मानवीय चेतना को कैद करके नहीं रख सकता। भूख से पैदा हुई वेदना महलों तक को गिरा देती है। आप सतर्क रहिए अन्यथा, यह आग संसद, हमारे राजनेताओं और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे नौकरशाहों की पूरी व्यवस्था को जला कर राख कर देगी। अत:, मैं आपको इस संबंध मे सचेत कर रहा हूं। मैं विश्व के ऐसे लोगों को सचेत करना चाहता हूं जो भारत को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सेना लेकर नहीं आई थी। वे हिन्दू-मुस्लिम, सिक्ख-मराठा को आपस में लड़वाकर देश की सत्ता को हथियाने में सफल हुए। आज देश में कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। आज हम यह नारा लगा रहे हैं कि हमारे दरवाजे अंग्रेजों, जर्मनों, जापानियों, कनाडा अथवा अमरीका के लोगों और जो कोई आना चाहे उसके लिए खुले हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा विश्व स्वार्थ से भरा हुआ है। बिना लाभ के कोई दूसरे की सहायता नहीं करता। वे लोग गरीबों का शोषण करते हैं। जो निवेश करते हैं उनका यह कहना है कि दस रुपये लगाकर बीस रुपये कमाए जाएं। आज हम यह कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रगति की है। हमारे पास रिज़र्व बैंक में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार मौजूद है। मैंने प्राय: यह सुना है कि चन्द्रशेखर जी ने सोने को गिरवी रख दिया था। तथापि, मैंने उन चार माह में कोई ऋण नहीं लिया। मुझसे पहले सत्ता में रहे लोगों ने ऋण लिया परंतु, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। यह एक अन्य मामला है कि नीतियां गलत थीं। इसके औचित्य को लेकर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। हमारे गांवों में निर्धन महिलाओं का यह कहना है कि जिस प्रकार राजनेताओं ने सोने को गिरवी रख दिया है, उसी प्रकार उनके पतियों ने उनके आभूषणों को गिरवी रख दिया है और वे इसका शोक करती हैं। इस संबंध में शोक करके उन्हें क्या मिलेगा? क्या देश अथवा सोने का सम्मान सर्वोपरि था? यदि देश का सम्मान सर्वोपरि था तो सोने को गिरवी रखा जा सकता है। अब आप न केवल सोने को गिरवी रख रहे हैं बल्कि भूमि को भी बेच रहे हैं। आपने यह कहा है कि किसानों की भूमि को बड़े पूंजीपतियों अथवा अन्य देशों को पट्टे पर दिया जा सकता है जहां वे बड़े फार्म हाउस बना सकते हैं और कृषि प्रयोजनों हेतु मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ श्री शांता कुमार जी ने यह कहा है कि हमारे पास खाद्यान्नों को रखने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है। मैंने ऐसा

सुना था और पढ़ा भी था कि अमरीकी लोग खाद्यान्नों को समुद्र में फेंक देते थे या फसल को जला दिया करते थे। परंतु, आपने खाद्यान्नों को सड़ने दिया और कालाहांडी के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। क्या देश को चलाने का यह तरीका होता है। यदि गुजरात की तरह कोई दुर्घटना होती है और यदि कोई कुछ गलत कहता है तो हमारे प्रधानमंत्री उत्तेजित हो जाते हैं। उस दिन मैं यहां उपस्थित नहीं था। उन्होंने एक वरिष्ठ सदस्य से यह कहा था कि वह उन्हें कटघरे में डाल देंगे। प्रधानमंत्री महोदय आप स्वयं कटघरे में खड़े हुए हैं। आपकी स्वयं की सरकार के कर्मचारी प्रतिदिन समाचारपत्रों में वक्तव्य देकर आपको स्वयं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, जो न केवल समाचारपत्रों बल्कि प्रतिदिन टेलीविजन पर वक्तव्य, जिन्हें पूरा देश सुनता है, देकर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक महिला सदस्य जो इस समय यहां मौजूद हैं, उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर यह कहा था कि अटल जी[$] ने महिला दिवस के अवसर पर काफी कार्य किया है, इसलिए उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैं युद्ध-विराम के बारे में सुन रहा था, जहां बेसहारा युवाओं को क्रूर मृत्यु का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम विश्व को यह बता पाए हैं कि पाकिस्तान शांति का दुश्मन है और हम शांति के दूत हैं। इसलिए हमें शांति के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए परंतु अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी[#] कहां हैं। अमरीका के दो दूतावासों को उड़ा दिया गया है और उनके पोतों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यदि वे उनके विरुद्ध मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो यह आपके लिए सहायक नहीं होगा। हमारे मित्र, विदेश मंत्री, जो उनसे बात किया करते थे और आश्वासन देते थे, वह बात कहीं दब गई है। कोई डूबते सूर्य की पूजा नहीं करता।

महोदय, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रपति पद की महत्ता को कम करने का प्रयास किया गया है। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने समय-समय पर चेतावनी देकर न केवल अपने पद की महत्ता को बनाए रखा है परंतु, उन्होंने समुचित रूप से देश की सेवा भी की है। इसलिए, मैं राष्ट्रपति को बधाई देता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कार्य करे और लोगों को मुसीबत के समय सही तथ्यों की जानकारी दे। इसलिए मैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विवश हूं।

[$] अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री।

[#] अफगानिस्तान इस्लामी राज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति।

सरकार की प्रसारण नीति*

उपसभापति महोदय, विपक्ष के नेताओं ने यह आशंका व्यक्त की है कि चूंकि आकाशवाणी उनके विचारों का प्रसारण नहीं कर रहा है इसलिए हमारा लोकतंत्र खतरे में है। उन्हें दो-तीन मुद्दों पर आपत्ति हो सकती है.....(व्यवधान)

*** *** ***

महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता था कि हम आकाशवाणी की आलोचना कर सकते हैं परन्तु, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि वह कल से सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जो पूर्णत: अलोकतांत्रिक है। उन्हें इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

...आकाशवाणी अपना दायित्व निभा रहा है।

*** *** ***

उपसभापति महोदय, आकाशवाणी के बारे में अनेक शिकायतें की गई हैं। मुझे भी इससे एक शिकायत है। जैसा श्री भूपेश गुप्ता जी ने कहा है अब मुझे श्री राजनारायण जी पर दया आती है, क्योंकि मैं उनकी शिकायतों को समझ सकता हूं और न केवल उनकी बल्कि श्री लोकनाथ मिश्रा जी और श्री निरंजन वर्मा जी की शिकायतों को भी समझ सकता हूं, जिनके अपने राजनैतिक उद्देश्य हैं। महोदय, कुछ व्यक्ति, जो राजनीति में व्यक्तिगत लाभों को महत्व देते हैं तथा इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रत्येक कार्य की आलोचना करते हैं।

श्री राजनारायण जी को ऐसे दु:खी और निराश व्यक्तियों की संगत में कुछ प्राप्त नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रचार-प्रसार किया गया है उससे उन्हें कुछ शिकायत हो सकती है, परन्तु मुझे आकाशवाणी से भी एक शिकायत है। संयुक्त विधायक दल की सरकार के गठन के समय, मैंने एक वक्तव्य दिया था बल्कि सभी दलों के नेताओं और संभवत: श्री राजनारायण जी ने भी यह कहा था कि सरकार का गठन होने के दिन ही विधान सभा का सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे 15 दिन के भीतर विधान सभा का सत्र बुलाकर बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। माननीय राजनारायण जी ने यह भी कहा था कि सरकार का गठन एक साझा कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, बाद में वह पार्टी, जो संयुक्त विधायक दल का एक घटक थी, की तो बात ही छोड़िए श्री राजनारायण जी, जो स्वयं उस पार्टी के नेता थे को भी अपमान सहना पड़ा। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने संविधान की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया और सबसे बड़ी पार्टी को सात-आठ दिनों तक बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित नहीं किया अपने वक्तव्य में, मैंने कहा था कि श्री टी.एन. सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं के लोकतंत्र में विश्वास का क्या हुआ। एक माह और दो दिन का समय बीत चुका है।

मुझे आकाशवाणी से भी शिकायत है क्योंकि मैंने यह वक्तव्य दिया था कि एक माह और दो दिन का समय बीत जाने पर भी विधान सभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, यद्यपि श्री राजनारायण जी

*''आकाशवाणी द्वारा विपक्षी दलों के विरुद्ध कथित दुष्प्रचार'' विषय पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा, वाद-विवाद 19 नवम्बर, 1970, पृष्ठ 139-229 (मूल हिन्दी में)।

ने यह वादा किया था कि 15 दिन के भीतर सत्र बुला लिया जाएगा। मुझे श्री टी.एन. सिंह जी पर विश्वास नहीं है परन्तु, मैं श्री राजनारायण जी की बात पर विश्वास करता हूं। संभवत:, उनकी बात सही न हो परन्तु उन्हें जो उचित लगता है उसी बात को कहते हैं। मेरी धारणा यह थी कि वह यह उचित ही कह रहे हैं कि 16 दिन के भीतर विधान सभा का सत्र बुला लिया जाएगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ। आकाशवाणी ने मेरे वक्तव्य का प्रसारण नहीं किया।

अब मेरी शिकायत यह है कि आकाशवाणी का दृष्टिकोण एकतरफा है। हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्ता ने भी यही कहा है। मुझे भी वैसा ही संदेह है। आज श्री राजनारायण जी ने इस मुद्दे पर चर्चा की है, क्योंकि उनकी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कोई गलत खबर समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित की गई है। दूसरी तरफ बैठे हमारे मित्रों ने इस बहस में सिर्फ इसलिए भाग लिया क्योंकि जब वे सभा से बाहर होते हैं तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। उनकी बात दस आदमी भी नहीं सुनते। हर जगह लोग उनका तिरस्कार करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस सम्मानित सभा को अपनी बात कहने का मंच बनाया है ताकि उन्हें प्रचार मिले और यदि उन्हें कल प्रचार नहीं मिला तो वे आकाशवाणी के विरुद्ध अवमानना का प्रस्ताव लायेंगे।

उपसभापति महोदय, यही कारण है कि कई बार मुझे संदेह होता है और मैं श्री राजनारायण जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें खड़ा होना चाहिए और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना चाहिए लेकिन उन्हें हमारी समस्याओं को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। मुझे मालूम है कि उन्हें अपने विरुद्ध कुछ भी पसन्द नहीं है चाहे वह आकाशवाणी हो अथवा अन्य कोई। उनका कहना है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को किस प्रकार पांच व्यक्तियों को पहचानना चाहिए। उनका कहना है कि ये पांच व्यक्ति संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं और कोई भी उन्हें विधान सभा में उस पार्टी का सदस्य नहीं मानता।

उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि दूसरी तरफ बैठे लोग कुंठित हैं और स्वयं को कांग्रेसी कहते हैं। हम उन्हें नहीं बचा सकते। आकाशवाणी और आपका सचिवालय उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें नकार दिया है। कुछ एकाधिकारवादियों की सहायता से वे जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और समाचारपत्रों के माध्यम से इस सरकार के विरुद्ध आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि आकाशवाणी उनके उस एजेंडे का समर्थन नहीं कर रहा है जिसे पूंजीवादियों के समाचार-पत्रों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आकाशवाणी लोगों से उस पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा है जिसने जनता और लोकतंत्र को धोखा दिया है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आकाशवाणी श्री निजलिंगप्पा द्वारा दिए वक्तव्य जैसे वक्तव्यों का प्रसारण क्यों करता है, जिसमें उन्होंने जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के साथ कोई भी समझौता करने से इंकार किया है। मैंने एक वक्तव्य दिया था कि निजलिंगप्पा और श्री मोरारजी देसाई जी के जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी के साथ जाने की संभावना है।

*** *** ***

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय दह्याभाई पटेल हमारी जोरदार आवाज के प्रति दुर्भावना रखते हैं। हमारी आवाज इतनी मधुर और कर्णप्रिय नहीं है। मधुर वाणी में बोलने वाले सभी सदस्य विपक्ष में हैं। लेकिन, मुझे दह्याभाई जी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि चाहे मैं उनसे सहमत हूं अथवा नहीं वह हमेशा अपने मन की बात कहते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं और वह मुझसे

सहमत नहीं हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन यहां कुछ ऐसे असामान्य समाजवादी हैं जो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और उनके काम तथा लेखन उनके वक्तव्यों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। माननीय राजनारायण जी ने ऐसे समाजवादियों के साथ नापाक गठबंधन किया है। मैं श्री राजनारायण जी को पिछले 30-32 वर्षों से जानता हूं। मुझे एक बात का विश्वास है कि वह एकाधिकारवादियों का समर्थन नहीं कर सकते लेकिन वह कांग्रेस के प्रति इतने पक्षपाती हैं कि वह दूसरों के साथ मिल गए, जबकि कांग्रेस में 1966 से आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। इस सभा में कुछ सदस्य हैं जो बिरला, टाटा, गोयनका और शांति प्रसाद जैन जैसे विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में बोलते हैं और पूरे सरकारी तंत्र से उनका समर्थन करवाना चाहते हैं। लेकिन जब आकाशवाणी उनके पक्ष में कोई प्रचार नहीं करता है और गोयनका जी की प्रशंसा नहीं करता है, मैं माननीय राजनारायण जी को बताना चाहता हूं, मुझे सन्देह है कि तब पूंजीवादी, एकाधिकारवादी और उनके प्रतिनिधि आकाशवाणी को अपनी इच्छानुसार चलाने का प्रयास करते हैं। उपसभापति महोदय, मुझे माननीय श्री दह्याभाई जी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे उनके दर्शन में विश्वास है। मुझे माननीय निरंजन वर्मा जी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उनका भी जीवन और समाज दर्शन है। लेकिन जब आकाशवाणी राष्ट्रीय नीति के रूप में काम करता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें लोकतंत्र की कोई अवमानना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक बड़ी समस्या है यदि आकाशवाणी श्री राजनारायण जी अथवा माननीय दह्याभाई पटेल या माननीय श्याम नंदन मिश्रा के वक्तव्यों को प्रसारित नहीं करता है।

पिछली बार, जब एक विवाद हुआ था, हमारे मित्रों ने हमसे कहा था कि इस संबंध में कोई ब्यौरा दें कि उनके नाम का कितनी बार उल्लेख हुआ है। यदि कोई जांच होती है तो इस जांच को कौन करेगा? जैसा माननीय भूपेश गुप्ता ने कहा, यदि श्री राजनारायण जी इस जांच को करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि राजनारायण जी अपने चापलूसों से इस जांच को कराना चाहते हैं तो मुझे संदेह होता है कि सभी राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। उपसभापति महोदय, यह षड्यंत्र उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ था, इसलिए जब भाई राजनारायण जी उत्तर प्रदेश की नीतियों के संबंध में आकाशवाणी के विरुद्ध कोई आरोप लगाते हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कई बार मुझे लगता है कि जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश वह उन ताकतों के चंगुल में फंस गए हैं जो देश को पीछे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राजनारायण जी मुझसे सहमत हैं।....

*** *** ***

उपसभापति महोदय, मैं यह बता रहा था कि माननीय सदस्यों ने मुझसे पूछा है कि मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूं?

....मैं इस बात को समझता हूं कि आकाशवाणी लोगों की सभी समस्याओं पर प्रकाश नहीं डालती है। मुझे भी ज्ञात है कि आकाशवाणी की शोषित, पीड़ित और झूठे आरोपों से बदनाम लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। परन्तु, मैं माननीय मेनन जी को बताना चाहूंगा कि पिछले डेढ़ साल के दौरान हमारी राजनीति में कुछ प्रकार के बदलाव आए हैं और हमारे कार्य करने के ढंग मे परिवर्तन के परिणामस्वरूप आकाशवाणी की नीति में भी परिवर्तन आया है। चूंकि मेनन जी इन परिवर्तनों से संतुष्ट नहीं हैं और मैं भी नहीं हूं और मैं उन आशंकाओं में पूर्ण विश्वास करता हूं और मैं श्री राजनारायण जी से भी अनुरोध करता हूं — मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूं — मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी समाजवाद की ओर सक्रिय रूप

से नहीं बढ़ रही है। परन्तु, माननीय उपसभापति महोदय, कम से कम आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारी राजनीति में जो थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है वह आकाशवाणी के द्वारा प्रतिबिम्बित किया जा रहा है, परन्तु साथ ही वे राजनीतिक दल जो अपने निहित स्वार्थों के कारण देश को संकीर्णता की ओर धकेलना चाहते हैं और रुढ़िवादी माहौल बनाए रखना चाहते हैं, आज भयभीत हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा एक बार कही गई बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था - ''हम अपने देश में एक नवोन्मेषी लोकतांत्रिक प्रयास कर रहे हैं और हमें यह ज्ञात नहीं है कि यह सफल होगा या नहीं।'' माननीय पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि संसद के माध्यम से तीव्र परिवर्तन का प्रयास किया जाता है तो यह निहित स्वार्थों के कारण एक अवरोध के रूप में कार्य करता है।

*** *** ***

उपसभापति महोदय, मैं कह रहा था कि श्री राजनारायण जी के अपने व्यक्तिगत विचार होंगे। श्री राजनायण हमारे संविधान के बारे में मेरा विचार अच्छी तरह जानते हैं। श्री राजनारायण को यह भी पता है कि आज मैं संविधान से खुश नहीं हूं और मैं अपने संविधान में आमूल परिवर्तन करने के पक्ष में हूं। इसीलिए, मैं चाहता हूं कि श्री राजनारायण जी जैसे मित्रों को इस संबंध में हमारे साथ सहयोग करना चाहिए, परन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य और दु:ख है कि श्री राजनारायण जी ऐसी ताकतों की तरफदारी कर रहे हैं।

मैं कह रहा था कि उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि जब कभी भी कोई छोटा-सा भी बदलाव करने का प्रयास भी किया जाता है, राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थों के कारण पूरे संविधान को ही नष्ट करने की कोशिश की है। यदि, आज आकाशवाणी कोई क्रांतिकारी कदम उठाता है....।

उपसभापति महोदय, मैं कह रहा था कि आकाशवाणी सार्वजनिक धन की सहायता से कार्य करता है और इसलिए, जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करना इसका कर्तव्य है। मैं महसूस करता हूं कि आकाशवाणी को शोषित, दलित और वंचित लोगों की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने के एक माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। परन्तु, ऐसा नहीं है। आज, हमें संसदीय लोकतंत्र में कई प्रकार से समझौता करना पड़ता है। इस तथ्य से बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि विश्वसनीय समाचार के लिए उन्हें विदेशी रेडियो स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है? ऐसे लोग रेडियो मास्को के साथ-साथ आकाशवाणी के भी विरुद्ध हैं। उन्हें बीबीसी या वॉयस ऑफ अमरीका से विश्वसनीय समाचार प्राप्त होता है। यह क्या हो रहा है? और सदस्यगण सभा के अंदर ऐसी बातें क्यों कहते हैं? ठीक है, हम आकाशवाणी की आलोचना कर सकते हैं, परन्तु ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि देश की विश्वसनीयता गिर चुकी है और जिन्हें देश की भावनाओं में, इसके माध्यमों में और इसकी संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है, उन्हें इस सदन में एक मिनट के लिए भी रुकने का कोई अधिकार नहीं है।

*** *** ***

उपसभापति महोदय, ये लोग आकाशवाणी में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है उसे भी रद्द करना चाहते हैं।

*** *** ***

विपक्ष कुछ भी कहे, आकाशवाणी को हमारी राष्ट्रीय नीतियों का प्रचार-प्रसार करना होगा।

*** *** ***

राजनारायण जी को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है।

*** *** ***

....मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि दुनिया में कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि वह समाज में की जा रही प्रगति में बाधा डाल सके। राजनारायण जी, आपको हमारी क्षमता में विश्वास नहीं है, इसलिए, आप हीनभावना से पीड़ित हैं। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि चन्द्रशेखर परिवर्तन लाएं या न लाएं, इंदिरा गांधी परिवर्तन लाएं या न लाएं, कांग्रेस पार्टी कोई परिवर्तन लाए या न लाए, सामाजिक शक्तियां निश्चित रूप से ही परिवर्तन लाएंगी।

संवैधानिक और संसदीय मामले

राजाओं की मान्यता समाप्त करने के संबंध में*

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजाओं की मान्यता समाप्त करने के सरकार के आदेश को अपने विवेक से रद्द कर दिया है। उपसभापति महोदय, मेरे विचार से सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया को और इस देश को दिखाया है कि वर्तमान संविधान के अधीन वर्तमान आर्थिक और सामाजिक दशाओं और सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। यह न केवल राजाओं की मान्यता समाप्त करने की कार्यपालिका के आदेश को रद्द कर रहा है।

उपसभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है और सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संसदीय लोकतंत्र के कार्यसंचालन का प्रतिबिम्ब है।.....

उपसभापति महोदय, मैं यह बात सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से एक गंभीर आशंका उत्पन्न हुई है कि इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है और दूसरे पक्ष के मेरे मित्रगण जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहुत जोर-शोर से चिल्ला रहे थे, उन्हें इतिहास से अभी सीखना है। विश्व के अनेक देशों में उन लोगों के कारण जिन्होंने उन संविधानों के रक्षक होने की जिद का प्रयास किया, संविधानों को तोड़ा गया, समाप्त किया गया और नष्ट कर दिया गया। उपसभापति महोदय, ऐसे ही लक्षण इस समय अपने देश में दिखाई दे रहे हैं। माननीय न्यायाधीशों ने अपने विवेकानुसार, संविधान और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करने की कोशिश की, परन्तु उन्होंने मेहनतकश जनता के मस्तिष्क में एक आशंका उत्पन्न कर दी है कि इस संविधान को उखाड़ फेंकने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है और आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना होगा।

यह दूसरी बात है कि क्या हमें अन्य संविधान की आवश्यकता है या नहीं, परन्तु वही विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि संविधान में एक संविधान सभा बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपसभापति महोदय, केवल एक ही बात जिस पर सरकार एवं इस प्रतिष्ठित सभा को विचार करना है, कि क्या ग्यारह न्यायाधीश इस देश का भाग्य निर्धारित करने जा रहे हैं या 520 मिलियन लोग इस देश के भाग्य-निर्माण में अपनी बात कहने जा रहे हैं? यह प्रश्न आज आया है और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के कारण ही यह गंभीर प्रश्न आया है। यहां पर उपस्थित कुछ माननीय मित्र सोचते हैं कि केवल वही इस देश के भाग्य का फैसला करने वाले हैं और उनके अतिरिक्त और कोई इस देश का भविष्य तय नहीं कर सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि और भी शक्तियां हैं– लोगों की शक्तियां, जनता की शक्तियां, शोषित लोगों की शक्तियां।

* राजाओं की मान्यता समाप्त करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 15 दिसम्बर, 1970, कॉ. 121-127

ये लोग निहित स्वार्थों के समर्थन में, उन राजाओं के समर्थन में गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं, जिनके हाथ मेहनतकश जनता के खून से सने हुए हैं और उपसभापति महोदय, यह इस बात का संकेत है कि यह संसदीय संस्था उस स्थिति में आ गई है, जिसके बारे में कभी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था:—

''इस देश के संसदीय लोकतंत्र को अभी यह दिखाना है कि क्या यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक उचित साधन हो सकता है।''

उपसभापति महोदय, सरकार द्वारा एक छोटा सा निर्णय लिया गया था और वह निर्णय यह था कि विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा।

*** *** ***

उपसभापति महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जटिलताओं और कानूनी शाब्दिक सूक्ष्मताओं की व्याख्या करने के प्रति अधिक चिंतित प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस देश के लोगों की भावनाओं की कम चिंता है और किसी देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को कुछ तरीकों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी कठिनाइयों का समाधान हो सके। इस देश के सर्वोच्च मंच के रूप में इस संसद को, देश की जनता का नेतृत्व करना होगा। चाहे हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर होने जा रहे हों और लोगों को अपना रास्ता स्वयं चुनने के लिए छोड़ दें या नहीं, यह संसद लोगों को एक दिशा-निर्देश प्रदान करने और आश्वस्त करने जा रही है कि इन विद्वान न्यायाधीशों के विवेक के बावजूद संसदीय संस्थाओं के माध्यम से लोगों के लिए उपाय खुला है। यदि इस संसद द्वारा यह उत्तर प्रदान नहीं किया जाता है, तो मुझे डर है कि लोग कुछ ऐसे उपायों का सहारा लेंगे, जिससे दूसरे पक्ष की आवाज बंद हो जाएगी, जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में आसानी से बात करता है, परन्तु उसने आम लोगों को शोषण के लिए छोड़ दिया है। इन परिस्थितियों के तहत, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सत्र के समाप्त होने से पहले, इस सभा के समक्ष एक ठोस प्रस्ताव के साथ आगे आएं ताकि, लोगों को पता चले कि संसदीय संस्थाओं के पास अभी भी उनके हितों का ध्यान रखने के लिए शक्ति है और कुछ विद्वान लोग उनकी आकांक्षाओं और आशाओं को कुचल नहीं सकते।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और देश का विकास*

उपसभापति महोदय, मैं आज की चर्चा के संबंध में कहना चाहता हूं कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य उत्पादन और लाभ में वृद्धि करना नहीं है बल्कि यह पता करना है कि अर्थव्यवस्था और देश के आर्थिक तंत्र पर किसका नियंत्रण होगा। राष्ट्रीयकरण शुरू करके, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सम्पत्ति का नियंत्रण उद्योगपतियों के हाथों से निकलकर लोगों के पास चला जाए और इसके लिए, मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मेरे एक मित्र ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राष्ट्रीय उद्योगों में उतनी अधिक प्रगति, विकास अथवा लाभ नहीं हुआ है, जितना निजी क्षेत्र के उद्योगों में हुआ है। इसलिए, राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत अर्थहीन है और वह इससे सहमत नहीं है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुएं निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की तुलना में सामान्यत: महंगी होती हैं। जहां तक एच.एम.टी. फैक्ट्री के प्रश्न का संबंध है, मेरा यह मानना है कि इसके द्वारा उत्पादित मशीनों का मूल्य निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित मशीनों से कम होता है। यह भी एक तथ्य है कि उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत लाए जाने के बाद जो विकास हुआ वह निजी उद्योगों में संभव नहीं था। आज भी, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जो निजी क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों की पहली पसन्द नहीं हैं। मेरा यह मानना है कि बहुत से लोग उद्योगों में अच्छे हो सकते हैं और उनमें से बहुत की रुचि कुछ रोजगारों में हो सकती है, लेकिन निजी उद्योगों को चलाने के पीछे क्या मंशा है। निजी उद्योगों को चलाने के पीछे का उद्देश्य सामाजिक लाभ नहीं अपितु व्यक्तिगत लाभ है और जब तक देश में व्यक्तिगत लाभ सिद्धांत प्रचलन में रहेगा, तब तक देश के अधिकतर लोग जो कि गरीब हैं, वे प्रगति नहीं कर सकते। हम इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन करते हैं और हमारी पार्टी इस नीति का समर्थन करती है। अभी-अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें उद्योगपतियों को नकारात्मक भाव से नहीं देखना चाहिए। हमें नकारात्मक चीजों की तरफ नहीं देखना चाहिए। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उन्हें सिर्फ बिरला साहब द्वारा बनाए गए मंदिरों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि बिरला, टाटा और डालमिया की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम समाज की बात करते हैं तो हम सिद्धांतों की बात करते हैं। हम अपवादों की अनुमति नहीं दे सकते। सिद्धांतों की बात करते समय हमें समझना होगा कि निजी उद्योगों का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ है। हमें इस परम्परा, इस उद्देश्य और व्यक्तिगत लाभ की मानसिकता को देश से निकालना होगा।

कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, देश को बड़ा फायदा यह हुआ कि इस देश की विचारधारा दूसरी दिशा में चली गई है। मैंने पहले एक अवसर पर कहा था कि सरकार को विगत समय, इतिहास और समाज से सबक लेना चाहिए लेकिन सरकार इस संबंध में अनिच्छुक दिखाई दे रही है।

* ''केन्द सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण संबंधी रिपोर्ट'' पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 21 अगस्त, 1963, कॉ. 1089-1097 (मूल हिन्दी में)।

अभी-अभी माननीय सदस्य श्री दह्याभाई पटेल ने कहा कि स्वतंत्र पार्टी ने यह नहीं कहा कि सभी चीजें बुरी हैं। मेरे पास अधिक समय नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि माननीय राजगोपालाचारी ने एक बार नहीं दसियों बार अपने समाचार पत्र ''स्वराज्य'' में लिखा है कि राष्ट्रीयकरण की नीति देश को आगे नहीं ले जा सकती। माननीय राजगोपालाचारी ने यह भी कहा कि केवल निजी उद्योग ही देश में विकास ला सकते हैं और एक नए समृद्ध राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। जनसंघ के हमारे मित्र यहां उपस्थित नहीं हैं। पन्द्रह दिन पहले जनसंघ ने भी ऐसा ही संकल्प पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार को औद्योगिक नीति का विस्तार कर निजी उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि राष्ट्र प्रगति कर सके। अभी-अभी हमारे मित्र माननीय ए.डी. मणि साहब ने कहा कि औद्योगिक नीति का दस्तावेज कोई ऐसा पवित्रतम दस्तावेज नहीं है जिसे परिवर्तित न किया जा सके। मेरा भी यही विचार है कि इसे परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन प्रश्न यही है कि इसे किस दिशा में परिवर्तित किया जाए और इसे किस प्रकार परिवर्तित किया जाए। क्या इसे उस दिशा में परिवर्तित किया जाए जैसा राजाजी, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और डालमिया तथा जैन जैसे लोग चाहते हैं अथवा इसे इस प्रकार परिवर्तित किया जाए, ताकि सार्वजनिक उद्योग अधिक क्षमता, अधिक विश्वास और अधिक लाभ के साथ काम कर सके?

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं सार्वजनिक उद्योगों की परम्परा का समर्थन करता हूं तो मेरा आशय यह नहीं होता कि सार्वजनिक उद्योगों की खामियों को अनदेखा किया जाए। मेरा आशय यह नहीं है कि सार्वजनिक उद्योगों के संचालन का तरीका ठीक है और यह कि मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इसमें कमियां हैं, त्रुटियां हैं और इसमें एक या दो नहीं बल्कि बहुत सी कमियां हैं। बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत सी गलतियां की गई हैं। समय कम है अन्यथा मैं बताता कि इसके संगठन में किस प्रकार की गलतियां की गई हैं। जिन मानकों पर सार्वजनिक उद्योग को चलना चाहिए सरकार की मानसिकता उनके संबंध में स्पष्ट नहीं है। क्या इन्हें सांविधिक निगम होना चाहिए, क्या ये कम्पनी कानून के अधीन कम्पनियां होनी चाहिए अथवा इन्हें विभाग के अंतर्गत संचालित उद्योग होना चाहिए। इस संबंध में सरकार भ्रम में है। प्राक्कलन समिति ने एक बार नहीं बल्कि बहुत बार कहा है कि प्रबंध निदेशक और निदेशक के रूप में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने की परम्परा बंद की जाए। महालेखापरीक्षक ने बार-बार उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा एक तरफ तो कम्पनियों को कम्पनी कानून के तहत पंजीकृत करवाया और संचालित करवाया जाता है और दूसरी ओर इसके लिए उनकी आलोचना भी की जाती है। परन्तु, इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार इस विषय में नहीं सोचती है।

एक बात और है, जिसकी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है कि एक तरफ लोगों में सार्वजनिक उद्योगों के विकास के लिए उत्साह है और वहीं दूसरी ओर उनके प्रति विश्वास में कमी भी उत्पन्न होती है। गरीब देश की पूंजी का एक-एक पैसा समुचित रूप से व्यय किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उद्योगों में इसे आज जिस प्रकार उपयोग किया जाता है, क्या इसे इसी प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए? आप ''केन्द्र सरकार

के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों के कार्य संचालन पर आर्थिक प्रतिवेदन'' 1961-62, वित्त मंत्रालय, 1963 प्रतिवेदन को पढ़िये और आपको पता चलेगा कि एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर, ऐसे मामले आए हैं कि वहां भव्य नगरों की स्थापना के लिए करोड़ों रुपये व्यय किए जा रहे हैं। यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो केवल राउरकेला में ही इस शहर के लिए 14 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। मेरा मानना है कि कुछ धन व्यय करना चाहिए, परन्तु यदि कम धन व्यय हो तो यह अधिक अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कम धनराशि हो तो हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। इस संबंध में, मैं आपके समक्ष महान अर्थशास्त्री डब्ल्यू आर्थर लुईस के विचार रखता हूं:

''विकासशील देशों में पूंजी इतनी कम होती है कि इसका मितव्ययी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि प्रायः सबसे सस्ती संरचना से ही काम चलाया जाए। जब तीस वर्षों तक चलने वाली संरचना की कीमत काफी कम हो तो पचास वर्षों तक चलने की क्षमता वाले स्कूलों या अस्पतालों या तापीय ऊर्जा केन्द्रों का निर्माण करना गलत है। ऐसी कई संरचनाओं को बदलते मानदंडों और बढ़ती हुई आय के कारण वैसे भी तीस वर्षों में ही हटा लिया जाता है। इसी प्रकार, नई मशीनरी की तुलना में, पुरानी मशीनरी प्रायः अधिक उपयुक्त होती है और यह बहुत सस्ते में मिल सकती है क्योंकि इन उपकरणों के अधिक विकसित देशों ने अप्रचलित मान लिया है।

परन्तु, सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे ही धनराशि जारी होती है, अंधाधुंध खर्च कर दी जाती है। तभी, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ पार्टी को यह कहने का अवसर प्राप्त हो जाता है कि सार्वजनिक उद्योगों में धन बर्बाद हो रहा है। ये उद्यम लाभ उपार्जित नहीं कर रहे हैं और केवल व्यय ही दिखाया जा रहा है। हमारी सरकार को लगता है कि विकास का मानदंड केवल यही है कि विकास संबंधी कार्यों पर कितना धन खर्च हुआ था। सरकार को अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा। इसे देखना होगा कि विकास पर किए गए व्यय से उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है।

एक और बात, जो हम भूल जाते हैं कि जबकि संरचना पर व्यय किया जाता है, परन्तु सरकार प्रशिक्षित तकनीकी श्रमशक्ति को बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं देती है।

कल ही, माननीय मंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण तकनीकी संस्थानों की क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ, नई इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए सदन में जोर दिया जा रहा है — बोकारो के लिए काफी जोर दिया रहा है — वहीं दूसरी ओर, तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। इस वर्ष, फरवरी में, टाटानगर के इस्पात संयंत्र में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था और ब्रिटेन तथा भारत के विशेषज्ञों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया था। आपको विशेषज्ञों की राय को जानकर आश्चर्य होगा। विशेषज्ञ भारत और ब्रिटेन, दोनों देश के थे। यह बताया गया कि इस्पात उद्योग का आगे विकास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तकनीकी संस्थानों की कम संख्या के कारण, तकनीशियनों की कमी है। उस समय, इस्पात मंत्री ने कहा

था कि सरकार इस्पात के प्रशिक्षु तकनीशियनों के लिए एक संस्थान खोलने जा रही है और मुझे यह पता नहीं है कि प्रशिक्षु तकनीशियनों के लिए संस्थान कब तक खुलेगा? दो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। विदेश से पूंजी आती है और संरचना बनती है, मशीनें निर्मित की जाती हैं, परन्तु इन उद्योगों को चलाने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। एक विशेषज्ञ ने योजना के अभाव का उल्लेख करते हुए कहा:-

''वास्तव में, ऐसे कार्यक्रमों की यह भी एक आम त्रुटि है कि वे मूर्त वस्तुओं के निवेश के मामले में बहुत अधिक और व्यक्तियों में निवेश के रूप में बहुत कम विकास की कल्पना करते हैं।''

इस त्रुटि की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात, मैं किए गए व्यय और इसमें शामिल सभी परिसम्पत्तियों पर नज़र रखने के लिए, उठाए गए कदमों के बारे में पूछना चाहूंगा। प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती रही है और अभी-अभी लोक सभा की लोक लेखा समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश किया है। आप इसे देख सकते हैं। इस प्रतिवेदन का प्रत्येक पैरा कहता है कि चाहे वह इस्पात संयंत्र हो, पोत निर्माणी या एअर इंडिया हो, सभी जगह अनुचित रूप से व्यय किया गया। धनराशि बचायी जा सकती थी परन्तु सरकार मौन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि इस व्यय पर नियंत्रण करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। श्री मेनन साहब की अध्यक्षता में, कांग्रेस संसदीय समिति ने एक लम्बा-चौड़ा विज्ञापन प्रकाशित किया और इसमें कहा गया है कि एक समिति का गठन किया जाएगा, परन्तु आश्चर्य की बात है कि अभी तक समिति का गठन नहीं हो पाया है। लोक सभा और राज्य सभा में किसी मतभेद के चलते इसका गठन नहीं हुआ। इस सदन के एक सदस्य को समिति का सदस्य बनाए जाने के मुद्दे पर लोक सभा और राज्य सभा आपस में लड़ रही हैं, तो क्या इस तरीके से हम एक नवीन भारत का गठन करने जा रहे हैं? आप सभी लोग वर्षों से इसकी आवश्यकता के बारे में जानते हैं, फिर भी सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। आज संसद और संसदीय समिति का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।

मैं श्रम कानूनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं इसके लिए एक मिनट का समय लूंगा। सरकार ने कहा था कि निजी क्षेत्र में श्रम नीति लागू की जानी चाहिए और तीन दिन पूर्व जब हमने श्रम मंत्री से पूछा कि क्या यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में श्रम कानूनों को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता है? उन्होंने अलग शैली में उत्तर दिया कि हां, कानून लागू किए जाते हैं, यद्यपि कुछ कमियां रह गयी हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता में रहने वाले लोग यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि कुछ कमियां रह गई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में श्रम के संबंध में कहा गया है कि:-

''लोक क्षेत्र के उद्यमों पर श्रम नीतियों के अनुपालन का विशेष दायित्व है। इसके लिए प्रोत्साहनों के साथ उपयुक्त वेतन नीति, कार्मिकों का सावधानीपूर्वक चयन, सभी स्तरों के

श्रमिकों के कौशल में सुधार करने के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, श्रमिकों की क्षमता में सुधार के बाद उन्हें उच्च पद प्राप्त करने के अवसरों, उद्यमों के संचालन में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु श्रमिकों को सक्रिय प्रोत्साहन और उपयुक्त पुरस्कारों के द्वारा उपयोगी विचारों को मान्यता, आदि की आवश्यकता है।''

यह उद्देश्य क्यों नहीं प्राप्त हो पाया? यदि एक मंत्री अपनी जिम्मेदारी दूसरे मंत्री पर डालता है तो बात नहीं बनेगी।

इसीलिए, उप-सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि मैं उत्पादन की मात्रा या इस उत्पादन से हुए लाभ और हानि के प्रति कम चिंतित हूं, जबकि, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक संभावना के प्रति अधिक भयभीत हूं। समस्या यह नहीं है कि सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति को क्रियान्वित नहीं कर पाएगी या यह सरकार लोक उद्यमों की समुचित रूप से स्थापना नहीं कर रही है। यदि सरकार अपनी गलतियों को नहीं सुधारती है और अपनी गलत नीतियों को दूर नहीं करती है, तो भावी सरकार और समाज को समाजवादी पथ पर देश को ले जाने में कठिनाई होगी। तब, यह सरकार न केवल नए उद्योगों की कमी, उत्पादन में कमी, लोगों के धन की बर्बादी के लिए ही नहीं बल्कि देश के भविष्य को भी बर्बाद करने के लिए उत्तरदायी होगी। सरकार का यह दायित्व है कि देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। इसलिए, मुझे विश्वास है कि सरकार इन उद्योगों का नियंत्रण और प्रबंध न करने में इस बात को ध्यान में रखेगी, ताकि पीछे धकेलने वाली शक्तियों को लोक उद्यमों की मूलभूत संकल्पनाओं को चुनौती देने का अवसर न मिले।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की स्थापना*

उप सभापति महोदया, लगभग एक दशक के कष्टप्रद विलम्ब के बाद इस प्रस्ताव को पेश करने में सफलता के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस प्रश्न को लोक सभा में सर्वप्रथम दिसम्बर, 1953 में लाया गया था। हम इस प्रश्न पर 1963 में चर्चा कर रहे हैं। सन् 1953 में जब लोक सभा में यह प्रश्न उठाया गया था, तो माननीय सदस्य, डॉ. लंका सुंदरम ने कुछ बहुत प्रासंगिक मुद्दे उठाए थे और इस बात पर बल दिया था कि लोक उद्यमों के समुचित संचालन हेतु ऐसी समिति अत्यावश्यक है। उस समय, लोक सभा में एक विस्तृत चर्चा हुई थी और महोदय, आपकी अनुमति से, मैं डॉ. लंका सुंदरम के भाषण के एक अंश को उद्धरित करना चाहूंगा, क्योंकि, मेरे माननीय मित्र श्री एन.सी. कासलीवाल ने माननीय सदस्य श्री ए.डी. मणि, जिन्होंने कल बोला था, द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर अभी-अभी आपत्ति व्यक्त की है। यदि प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस प्रश्न को प्रारंभ में ही कांग्रेस संसदीय दल की एक उपसमिति के पास भेज दिया होता, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। परन्तु, सन् 1953 में, इस प्रश्न को लोक सभा में उठाया गया था और जिस सदस्य ने यह प्रश्न रखा, उसने कहा:

> ''भारत के निगम आज प्रतिस्पर्धा के अभाव में एकाधिपति बन गए हैं, एक छोटे राज्य की तरह, जिसे प्रबंध निदेशक या चेयरमैन को पूर्ण रूप से सौंप दिया गया है। परन्तु राष्ट्रीय हित में तुरंत ही कुछ किए जाने की आवश्यकता है ताकि मंत्री का नियंत्रण प्रभावी बनाया जा सके और सभा की सत्ता सुनिश्चित की जा सके।''

इन शब्दों में, डॉ. लंका सुंदरम ने संसद से सिफारिश की थी कि एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। पुनः वर्ष 1956 में यह प्रश्न एक माननीय सदस्य श्री जी.डी. सोमानी द्वारा लोक सभा में उठाया गया था। लोक सभा में दो दिन तक विस्तृत चर्चा हुई और उसके बाद, लोक सभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। माननीय सदस्यगण, कृष्ण मेनन समिति के इस प्रतिवेदन का उद्धरण दे रहे थे। मेरे मित्र, श्री भूपेश गुप्ता ने कहा कि शायद श्री कृष्ण मेनन जी के प्रति सदस्यों में कुछ विशेष स्नेह था। मगर यहां लगाव का कोई प्रश्न नहीं है। यह औचित्य का प्रश्न है। अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा था, मैं उससे उद्धरण देना चाहूंगा। अध्यक्ष कहते हैं:-

> ''चूंकि यह मामला सभा में कई बार उठाया जा चुका है और यह लोगों की भावनाओं से संबंधित है, अतः मुझे लगता है कि उपर्युक्त अनुच्छेद-2 में उल्लेखित कार्यों के साथ स्वायत्त निकायों हेतु एक अलग समिति के गठन के लिए नियम समिति की सिफारिश को मानने में कोई हानि नहीं है। यह समिति वास्तव में, मेरे दिशा-निर्देशन में कार्य करेगी और मेरा

* सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की स्थापना के बारे में वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 27 नवम्बर, 1963, कॉलम 1268-1278

प्रयास रहेगा कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि समिति उसे सौंपे गए कार्यों तक सीमित रहे और दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप न करे।''

इस पत्र में अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने लोक सभा की नियम समिति से विचार-विमर्श किया है और विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को सुझाव दे रहे हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में, इस मामले को कांग्रेस संसदीय दल की उपसमिति को देने की सिफारिश की। महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब इस प्रश्न पर लोक सभा में दो बार विस्तृत चर्चा हो चुकी है तो इस मामले को कांग्रेस संसदीय दल की एक उपसमिति के पास भेजना क्या प्रधानमंत्री के लिए उचित है? एक बार इसे नियम समिति में दिया गया था। नियम समिति ने सिफारिश की और उस सभा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को एक सलाह दी और उसके बाद, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, मई, 1958 में किसी समय प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया था। दिसम्बर, 1959 में श्री कृष्ण मेनन और उनके सहयोगियों द्वारा इस समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। भारतीय समाचारपत्रों में इसका व्यापक प्रचार हुआ था और जनता के बीच भी इसकी चर्चा रही। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। 19 और 20 दिसम्बर, 1959 को आयोजित इस सम्मेलन में–पूरे भारत से बीस विख्यात व्यक्तियों–प्रशासन के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से और लोक उद्यमों के कुछ अधिकारियों ने भाग लिया। यह रिपोर्ट उस सम्मेलन की है। पुनः इस सम्मेलन में सुझाव दिया गया था कि ऐसी एक समिति अत्यावश्यक है, कि बिना कोई देर किए इसका गठन किया जाना चाहिए। उस सम्मेलन में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। महोदय, आपकी अनुमति से मैं उस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का नाम पढ़ना चाहूंगा:–

1. श्री अशोक मेहता, संसद सदस्य।
2. डॉ. ज्ञान चन्द, पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के अवकाशप्राप्त प्रोफेसर।
3. श्री के.एन. कौल, चेयरमैन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम।
4. श्री एस.एस. खेरा, सचिव, इस्पात, खनिज और ईंधन विभाग।
5. श्री एस. लाल, चेयरमैन, दामोदर घाटी निगम।
6. श्री डी.एल. मजूमदार, सचिव, कंपनी कानून प्रशासन विभाग।
7. श्री जी. पांडे, चेयरमैन, हिन्दुस्तान इस्पात।
8. श्री एम. बी. पायली, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
9. श्री आर. प्रसाद, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय।
10. श्री एस. रतनम, विशेष कार्य अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

11. श्री आर.पी. सारथी, अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय।

12. श्री एम.एल. सेठ, महाप्रबंधक, दिल्ली कपड़ा मिल।

13. श्री विष्णु सहाय, मंत्रिमंडल सचिव।

14. श्री जे.एम. श्रीनागेश, प्रबंध निदेशक, भारतीय तेल शोधशालाएं।

15. श्री एन.एन. वांचू, सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।

16. प्रो. ए.एच. हैंसन, विजिटिंग प्रोफेसर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।

17. प्रो. वी.के.एन. मेनन, निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।

18. श्री एम.एस. रामाऐय्यर, उपनिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।

19. डॉ. परमानंद प्रसाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।

20. डॉ. एच.के. परांजपे, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान।

भारत सरकार के इन बीस प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 1959 में एक सिफारिश की और उसके पश्चात्, नवम्बर, 1963 में सरकार इस प्रस्ताव के साथ आगे आई। कहा जा रहा है कि दोनों सदनों के बीच विचार में अंतर था। क्या हम देश के अंदर और बाहर के लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न करने जा रहे हैं कि संसद के दोनों सदन समिति के गठन करने पर सहमत नहीं हैं? मैं संवैधानिक बारीकियों में जाना नहीं चाहता हूं। मेरा, केवल यही निवेदन है कि भारत का संविधान केवल आज ही समस्याएं उत्पन्न नहीं कर रहा बल्कि आगे भी राज्य सभा और लोक सभा के संबंधों के बारे में अधिक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परन्तु, इस प्रश्न में मामला बिल्कुल स्पष्ट था। हम कोई वित्तीय मामला हाथ में नहीं ले रहे हैं। हम लोक उद्यमों के बारे में संसद द्वारा प्रतिपादित एक नीति लागू करने जा रहे हैं। सरकार द्वारा नीति के क्रियान्वयन हेतु दोनों सदन समान रूप से उत्तरदायी हैं। परन्तु, इस असंगति के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विपक्ष के सदस्यगण इसके लिए जिम्मेदार हैं? जब मैं कहता हूं कि यह सरकार उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है, कि कांग्रेस संगठन के सर्वोच्च व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है तो मेरे कुछ मित्र बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। महोदय, मैं आपसे बहुत ही विनम्र रूप से कहता हूं कि जब मैं सोचता हूं कि एक राजनीतिक दल, जिसे दोनों सदनों में भारी बहुमत प्राप्त है, लगातार दस वर्ष से संसदीय समिति के गठन हेतु सक्षम नहीं है तो मुझे मानसिक कष्ट होता है और दोनों सदनों के समक्ष देश के लोगों के समक्ष और इस दुनिया के समक्ष यह बहाना करते हैं कि दोनों सदन सहमत नहीं हैं। महोदय, मैं श्री पॉल एच. एपल्वी के प्रतिवेदन से केवल एक उद्धरण दूंगा। भारत सरकार ने उन्हें भारत की प्रशासनिक प्रणाली का पुनर्परीक्षण करने के लिए कहा था। यहां भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन है। उन्होंने लोक उद्यमों के बारे में,

जो कुछ भी कहा था, मैं उसे पढ़ूंगा। यह प्रतिवेदन–यदि मैं नहीं भूला हूं तो–1956 में किसी समय पेश किया गया था। वे कहते हैं–

> ''भारत, वास्तव में इस समय ऐसी आपातकाल की स्थिति में है कि जैसे देश युद्ध के दौर से गुजर रहा हो। यह आपातकाल शीघ्र निर्णय लेने, तुरंत कार्यवाही किए जाने पर निर्भर करता है। यह मौजूदा आपातकाल उस मोर्चे पर अधिक तीव्र है, जहां नए उद्यमों का विकास हो रहा है। जैसा कि युद्ध में, आपातकाल उन प्रक्रियाओं की स्थापना को निर्धारित करता है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरक्षण के साथ सतत् वृद्धि की संभावना हो।''

यह चेतावनी भारत सरकार द्वारा 1956 में नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा दी गई थी, परंतु श्री जवाहर लाल नेहरू की इस लापरवाह सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। इसका क्या कारण था। वह एक ऐसा व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री की सदैव प्रशंसा करता है। उनका कहना है:–

> ''भारत अथवा भारत सरकार में आदर्शवाद अथवा दूरदर्शिता की कोई कमी नहीं है। परंतु अत्यधिक उत्साह और उद्देश्यों के निर्धारण का वर्णन करने वाली संकीर्ण संकल्पनाओं संबंधी प्रक्रियाओं के नीचे दब जाता है।''

वे उच्च सिद्धांतों की बात करते हैं, वे समाजवाद, लोकतंत्र, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकरण और प्रत्येक विषय पर बात करते हैं, परंतु जब निर्णय लेने का समय आता है तो ऐसा नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या है?

इसका एकमात्र कारण यह है कि उनका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, उन्हें स्वयं अपने उद्देश्य की जानकारी नहीं है। आप जयपुर में कोई भी संकल्प पारित कर सकते हैं, भुवनेश्वर में और अधिक कठोर, अधिक सक्रिय तथा अधिक समाजवादी संकल्प पारित कर सकते हैं– जब तक आप में ऐसे कदम उठाने का आत्मविश्वास नहीं होगा जब तक आप में पूरे देश को एक विशेष दिशा में अग्रसर करने की भावना नहीं होगी, तब तक पूरे समाज को गतिशील बनाने तथा उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के किसी भी प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्री कासलीवाल से इस संदर्भ में पूरे प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। प्रधानमंत्री को आवश्यकता पड़ने पर लोक मत से जुड़े सभी वर्गों के सदस्यों वाली एक समिति का यह मामला सौंपना चाहिए था। आप अपना कार्य करते रहिए। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं एक मामूली आदमी हूं, मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता परंतु मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि शीलभ्रद याजी जैसा कोई माननीय सदस्य यह सोचता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा और कांग्रेस पार्टी का अहंकार देश के हितों से अधिक महत्वपूर्ण है तो मैं उनके इस प्राधिकार पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करूंगा। उन्हें यह कहने का पूरा अधिकार है क्योंकि वह एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसका दोनों सभाओं में बहुमत है, एक ऐसा बहुमत है, जिसके बारे में मेरा यह मानना है कि कम से कम उसे इस समय चुनौती नहीं दी जा सकती।

महोदया, अब मैं इन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन और कुछ अन्य जटिलताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब प्रबंधन का प्रश्न उठता है, तो इतनी अधिक कठिनाइयां सामने आती हैं। प्रबंधन कोई पहल करने में सक्षम नहीं है–मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है—इसका कोई वैध कारण हो सकता है परंतु क्षेत्र में कार्यरत प्रबंधकों का यह कहना है कि भारत सरकार उन्हें समुचित अधिकार प्रदान नहीं करती और उनके मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, जबकि अन्य लोगों का यह कहना है कि प्रबंधक यह नहीं चाहते हैं कि ये सार्वजनिक उपक्रम सफल हों और इन सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत प्रबंधकों और अधिकारियों का इन कंपनियों अथवा निगमों में कोई वित्तीय हित नहीं है इसलिए वे इन उपक्रमों के उचित प्रबंधन में कोई रुचि नहीं लेते। कुछ समय पहले हिन्दुस्तान स्टील का पुनर्विन्यास और पुनर्गठन करने की बात थी परंतु नौकरशाही इतनी अधिक प्रभावशाली थी कि उसने पुनर्विन्यास प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया और प्रभारी मंत्री कंपनी का टुकड़ों में पुनर्गठन करने के लिए विवश थे। अब सार्वजनिक उपक्रमों के नौकरशाहीकरण के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए इसका मुकाबला किया जाना चाहिए, क्योंकि समाजवाद का यह अर्थ कदापि नहीं है कि पूंजीवाद को नौकरशाही में बदल दिया जाए; समाजवाद का अर्थ उद्योग के क्षेत्र में नौकरशाही मशीनरी का एकाधिकार होना नहीं है।

महोदया, मैं इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जब मेरे मित्र श्री भूपेश गुप्ता बोल रहे थे और मेरे विद्वान मित्र श्री मिश्रा जी ने यह कहा कि यद्यपि, निजी उद्यम लाभ से प्रेरित होते हैं तथापि, हम हानि से प्रेरित हैं। नहीं यह सत्य नहीं है। हमारे उपक्रमों के मामले में कुछ ऐसी बाते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए; परंतु, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सार्वजनिक उपक्रम लाभ अर्जित करें। केवल दो उपक्रम, अर्थात् हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और एंटीबायोटिक्स कुछ लाभ कमा रही हैं। परंतु, महोदय यह उनकी कार्यकुशलता के कारण नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है और उनके लिए एकाधिकार की स्थिति पैदा की गई है। परंतु, हमें यह देखना चाहिए कि सरकार का और हमारे द्वारा गठित की जा रही समितियों का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये उपक्रम देश में सामान्य बाजार प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।

महोदया, एक अन्य मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि यह समिति नीतिगत मामलों पर विचार करने के लिए अधिकृत नहीं है, मैं यह नहीं जानता कि श्री कासलीवाल ने इसे तर्कसंगत ठहराने का प्रयास कैसे किया? परंतु, यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। जब अध्यक्ष ने 1956 अथवा 1957 में प्रधानमंत्री को यह सिफारिश की थी, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि प्रस्तावित समिति, ऐसे निगमों के दैनिक प्रशासन की समस्याओं पर विचार नहीं करेगी और उनके नीतिगत प्रश्नों और व्यापक रूप से उनके कार्यकरण पर भी विचार नहीं करेगी। परंतु, सरकार को इस समिति को यह अधिकार देना चाहिए और उन्हें व्यापक रूप से नीतिगत मामलों पर विचार करने में समर्थ बनाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति का कार्यान्वयन हो।

श्री भूपेश गुप्ता ने श्रम संबंधों का प्रश्न उठाया। यह शर्म की बात है कि राउरकेला स्थित सार्वजनिक उपक्रम तथा गुजरात के तेल क्षेत्रों के बारे में मंत्री जी को कुछ दिन पहले यह कहना पड़ा था कि सरकार द्वारा बनाए गए श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? औद्योगिक संबंधों में इन सार्वजनिक उपक्रमों को मुख्य भूमिका दी जानी चाहिए और यदि उन्हें यह भूमिका नहीं दी जाती है तो आप यह कैसे कहेंगे कि श्रमिक संतुष्ट रहेंगे? सरकार ने प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की नीति की पहल की। परंतु इन सार्वजनिक उपक्रमों में कुछ भी नहीं किया जा रहा है और मैं यह नहीं जानता कि सरकार इस कदम को कैसे तर्कसंगत ठहराएगी।

अब मैं इस समिति के कार्य क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। महोदय, मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। श्री कासलीवाल ने उचित ही प्रोफेसर राबसन को उद्धृत किया था, जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि इस संबंध में कार्यकुशलता की जांच की जानी चाहिए और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति, अर्थशास्त्री, व्यवसायी और अन्य बुद्धिजीवियों की इस समिति के मार्गदर्शन करने के लिए सेवाएं ली जानी चाहिएं। न केवल इतना ही, 1956 में जब लोक सभा में चर्चा हो रही थी, उस समय योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता ने यह कहा था कि इस समिति को एक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सभापति और लोक सभा अध्यक्ष के प्राधिकार में इस समिति का एक पृथक् सचिवालय होना चाहिए और उन्हें नौकरशाही के सामान्य चैनल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए तथा उनकी एक पृथक् मशीनरी होनी चाहिए, ताकि वे इन सार्वजनिक उपक्रमों के पूरे मामलों की जांच कर सकें और सही निर्णय को समझ सकें।

महोदया[§], कुछ अन्य बिन्दु हैं। मैं रक्षा उद्यमों का उल्लेख करना चाहता हूं और मेरा कहना है कि यह इस समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है और बहाना फिर से केवल यही है कि इससे सुरक्षा संबंधी मुद्दे जुड़े हुए हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यदि इस समिति को केवल प्रशासनिक मामले ही देखने हैं तो, इन रक्षा उद्यमों में सुरक्षा मामले किस प्रकार आते हैं। केवल रक्षा उद्यम ही नहीं, खादी आयोग जैसा आयोग, कर्मचारी राज्य बीमा, आदि जैसे ये सार्वजनिक उद्यम भी इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इस वर्गीकरण के पीछे भारत सरकार का क्या तर्क है।

महोदया, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस समिति को सार्वजनिक उद्यमों के दोष निकालने वाली समिति के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। मैं कृष्ण मेनन समिति की इस सिफारिश के साथ पूर्णतः सहमत हूं और मैं मेरे माननीय मित्र श्री भूपेश गुप्ता से इस बिन्दु पर जोर न देने का अनुरोध करता हूं चाहे यह अच्छा ही क्यों न हो। मुझे मालूम है लोग परेशान हैं, कामगारों को दंडित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है लेकिन यदि संसद प्रत्येक मामले का संज्ञान लेती है तो हम उन लोगों के इशारों पर चलेंगे जो यह कहते हैं कि इन सार्वजनिक उद्यमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, ये अधिकारी जो कोई भी पहल नहीं करना चाहते, जो अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो वे बेकार की दलील देंगे और वे यह कहना शुरू कर देंगे कि संसद के

[§]राज्य सभा की तत्कालीन उप सभापति, श्रीमती वायलेट अल्वा

इतने अधिक हस्तक्षेप के कारण वे इन सार्वजनिक उद्यमों में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इससे मेरे मित्र श्री मिश्रा जैसे लोगों को सहारा मिलेगा जो कहेंगे कि इन सार्वजनिक उद्यमों में सभी पहलों की कमी है और उन्हें समुचित तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए, महोदया, मेरा अनुरोध है कि अतीत के सभी झगड़ों को भुला देना चाहिए। मुझे खुशी है कि आखिरकार लोक सभा निष्कर्ष पर पहुंची है और राज्य सभा के मित्र भी एक समिति में साथ मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं। उन संवैधानिक संकटों पर हम भविष्य के विचार करेंगे लेकिन अभी हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि संसद द्वारा गठित यह समिति सार्वजनिक उद्यमों के लिए पथ- प्रदर्शक सितारे का काम करे और यह कतिपय ऐसी परंपराओं का निर्माण करे, जिससे किसी की पहल को समाप्त किए बिना और उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में इसके समुचित कार्यकरण को समाप्त किए बिना इन सार्वजनिक उद्यमों पर सरकार का नियंत्रण रहे।

धन्यवाद, महोदया

निवारक नजरबंदी (जारी) विधेयक, 1963*

माननीय उप सभापति महोदय, आमतौर पर राजनीति में संतुलन बनाए रखना बहुत कठिन होता है। यह उस समय और अधिक कठिन हो जाता है जब सत्ताधारी दल के लोग इस संतुलन को बिगाड़ने के लिए अडिग हैं। निवारक नजरबंदी कानून के और विस्तार के लिए आपत्तियां की गई हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें समाज में बुराइयों की जानकारी नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम इस तथ्य से परिचित नहीं हैं कि समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें नियंत्रित किया जाना है। हमारे मित्रों ने अभी-अभी कहा है कि हमारे देश में इस कानून को 1950 से लगातार विस्तार दिया जा रहा है। संसद में वर्ष 1950 में दिए गए भाषणों को आज भी दोहराया जा रहा है। हमारी स्वतंत्रता के 13 वर्ष बाद भी, अर्थात् 1950 से 1963 तक, अपराधियों और असामाजिक तत्वों की संख्या कम नहीं हुई है, ऐसे में, क्या सरकार ने इसके कारणों को तलाशने का कोई प्रयास किया है? क्या ऐसा गलत काम करने वालों की कतिपय बुरी आदतों के कारण हो रहा है, जिन्हें कभी भी सुधारा नहीं जा सकता? अथवा ऐसा कुछ विपक्षी दलों और देश में कुछ तत्वों की उपस्थिति के कारण है, जो हमारे समाज में उथल-पुथल और विनाश करना चाहते हैं? क्या देश के कम्युनिस्ट और राष्ट्र विरोधी लोगों को इस कानून के द्वारा शासित किया जाना है? महोदय, मैं पूर्ण नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह तथ्य नहीं है। ऐसी आशा थी कि कुछ समय पश्चात् इस कानून की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, तथ्य यह है कि सरकार की सही दिशा में आगे बढ़ने में असफलता के कारण हमें इस कानून से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी ऐसी बात कही है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। जब माननीय दह्याभाई पटेल बोल रहे थे, तो उन्होंने माननीय सरदार पटेल जी के बारे में बात की और कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य पीछे से व्यंगात्मक टिप्पणी कर रहे थे कि सरदार पटेल को अपने जैसा पुत्र नहीं मिला। मुझे इस प्रकार की टिप्पणियों में कोई तर्कसंगतता नज़र नहीं आती है और मुझे यह देखकर और धक्का लगा कि इसे सुनकर माननीय गुलजारी लाल नंदा खुश हो गए थे। मैं बताना चाहूंगा कि सरदार पटेल के पास ये शक्तियां 1950 में थीं, परन्तु माननीय गुलजारी लाल नंदा माननीय हजारनवीस को इस प्रकार की शक्तियां न दिए जाने के विशिष्ट कारण हैं। सरदार पटेल अनूठे व्यक्तित्व वाले थे। इसके अतिरिक्त, उनके समय और आज अर्थात् 1963 के राजनीतिक माहौल में बहुत अंतर है। यदि आज के माहौल को दूषित करने के लिए विपक्षी दलों को 5 प्रतिशत उत्तरदायी ठहराया जाता है तो सरकार को 95 प्रतिशत उत्तरदायित्व लेना चाहिए। यदि वे इस उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं हैं तो माहौल में कोई अंतर नहीं आ पाएगा। सरदार पटेल इस दुनिया से जा चुके हैं परन्तु कई हजारनवीस आयेंगे और जायेंगे तथा यह कानून संविधि-संग्रह में हमेशा रहेगा।

*''निवारक नजरबंदी (जारी) विधेयक, 1963'' पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा, वाद-विवाद 21 दिसम्बर, 1963, का. 4648-4658 (मूल हिन्दी में)

इसीलिए, मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न पर विचार करते समय, हमें दूसरे दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या सरकार को दी गई शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से हो रहा है? एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि हम एक गार्ड रखते हैं तो उसे भी शक्तियां दी जानी चाहिएं। हम उस गार्ड को शक्तियां देने के लिए तैयार हैं, परन्तु उसे शक्तियां प्रदान करते समय, उसके इरादे को भी जानना चाहिए। हमें यह भी जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या वह सही दिशा में गोली मारने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि, उस बंदूक से वह स्वयं को मार सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कानून 1950 में बना था और चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। तब, पिछले 12 वर्षों में जासूसी में शामिल लोगों, राष्ट्र-विरोधियों और देशद्रोहियों की संख्या में वृद्धि कैसे हो गयी? क्या श्री गुलजारी लाल नंदा इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और क्या हजारनवीस महोदय इस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने को तैयार हैं? यदि नहीं, तो इसका कारण यह है कि आप सत्ता में हैं और कानून बनाकर आप जिस प्रकार चाहे बच सकते हैं, परन्तु भारत के लोग आपको पुनः इस प्रकार की अनियंत्रित शक्तियां कभी नहीं देंगे क्योंकि आप इन शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग करने में असफल रहे। एक अकुशल सरकार के हाथों में ये शक्तियां ऐसी हैं, जैसी एक मूर्ख के हाथ में बन्दूक थमा देना जिसे यह पता नहीं है कि सही दिशा में गोली कैसे चलाए। दूसरी ओर, यह कहा गया कि इसे राजनीतिक कारणों के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया, परन्तु यह बात सत्य नहीं है। महोदय, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सरकार ने इस कानून का किस प्रकार प्रयोग किया। माननीय प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल इस समय जेल में हैं। माननीय नंदा जी या हजारनवीस महोदय खड़े होकर कह सकते हैं कि विपक्षी दल कटु शब्द प्रयोग करते हैं। मुझे नहीं पता है कि यदि हजारनवीस महोदय को किसी जेल में डाल दिया जाए, तो उन्हें कैसा लगेगा? प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल न तो एक डकैत हैं और न ही गुंडा। उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों में समाज के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तब वे जेल में क्यों हैं? समाज के लिए उनकी सेवा के कारण या जैसा कि मेरे भ्राता माननीय चौराडिया जी ने उल्लेख किया है कि इस कारण से कि वे ''गुड'' पर लगाए गए प्रतिबंध को हटवाना चाहते थे। महोदय, पांच से सात दिन पहले, मैंने माननीय थॉमस* साहब को खाद्य मंत्रालय से संबंधित इस मामले मे जांच का आदेश देने के लिए सुझाव दिया था। आज भी, मैं इसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। माननीय पाठक# साहब कहते हैं कि पूरा मामला एक निष्पक्ष न्यायालय/न्यायाधीश के समक्ष जाना चाहिए, परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि खाद्य मंत्रालय का पूरा मामला एक निष्पक्ष न्यायालय/न्यायाधीश के पास जाता है, तो माननीय थॉमस साहब और उनके मंत्रालय के लोग, जिन्होंने लोगों के प्रति अन्याय करने के लिए इस कानून की गलत व्याख्या की है, जेल में होंगे न कि माननीय प्रो. मुकुट बिहारी लाल। यह भी राजनीति का प्रश्न नहीं है। महोदय, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह प्रजा समाजवादी पार्टी का प्रश्न नहीं है। मेरे पास सटीक जानकारी नहीं है परन्तु भूदान आन्दोलन में शामिल लोग गाजियाबाद में उसी स्थान पर ''सत्याग्रह'' शुरू करने वाले थे जहां प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने शुरुआत की थी। इस संबंध में सर्व सेवा संघ ने एक संकल्प पारित किया था और खादी और ग्राम उद्योग आयोग

*श्री ए.एम. थॉमस, तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री।

#श्री गोपाल स्वरूप पाठक, संसद सदस्य।

ने भी संकल्प पारित किया था। परन्तु, यह सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके साथ के अधिकारी उन्हें भ्रमित करते हैं। तब, इन गार्डों को शक्तियां प्रदान करने का क्या औचित्य है?

माननीय हजारनवीस साहब हमारे पास आते हैं और निवारक निरोध हेतु शक्ति मांगते हैं, परन्तु क्या यह उचित है कि केवल इलाहाबाद या लखनऊ के एक पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर ही मुझे जेल में डाल दिया जाए। हजारनवीस साहब उस पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को इस सभा में पढ़ेंगे। चूंकि मामला विचाराधीन है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, परंतु क्या गृह मंत्रालय का कोई मंत्री, केवल यह कहते हुए बच सकता है कि माननीय बी.पी. मौर्या ने आठ महीने पहले एक भाषण दिया था और उन्हें उस भाषण के लिए आज गिरफ्तार किया जा रहा है। यह क्या है? यहां तक कि, जब उन्होंने एक अपराध किया है, तो आठ महीने की यह देरी क्यों? उन्हें आठ महीने के बाद दिल्ली में कहीं गिरफ्तार किया गया है, और यहां तक कि उन्हें इसका ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। एक दिन हजारनवीस महोदय आते हैं और इलाहाबाद कोतवाली के एक उप-निरीक्षक द्वारा तैयार की गई एक पुलिस रिपोर्ट लाते हैं और हमारे समक्ष पढ़ते हैं। उसके बाद, वे इस शक्ति के बारे में पूछते हैं। यह शक्ति एक उप-निरीक्षक को दी गई है, यह शक्ति थाने के एक रिपोर्टिंग कांस्टेबल को दी गई है जो इसे अपने मनमाने तरीके से प्रयोग करता है और निवारक नज़रबंदी कानून के तहत किसी को भी जेल में डाल देता है। और यह सरकार केवल प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा बताए गए उसी कारण को पढ़ देती है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं और यह एक मौलिक प्रश्न है कि यदि सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव नहीं होता तो इन सभी शक्तियों का दुरुपयोग होगा।

मैं एक और मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। अभी तीन दिन पहले ही, श्रीबसावन सिंह, विधान परिषद के सदस्य – और बिहार प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता – माननीय तारकेश्वर पाण्डेय जी यहां पर बैठे हैं और वे उन्हें 35 वर्षों से जानते हैं – को गिरफ्तार किया गया और भारत रक्षा अधिनियम के तहत गोमियां, बिहार की जेल में भेज दिया गया, जहां एक बारूद कारखाना स्थित है।.....

*** *** ***

उन्होंने कुछ अच्छे काम किये थे। वहां अच्छा कार्य यह था कि उन्होंने उस कारखाने के मजदूरों में विद्यमान रोष को एक सही दिशा प्रदान करने की कोशिश की और वह चाहते थे कि संगठन की मांगें पूरी हों। क्या इस सरकार का यह विचार है कि बारूद कारखाने के मजदूरों में रोष पैदा होने से वे सुरक्षित रहेंगे? यदि माननीय हजारनवीस साहब को यह पता नहीं है कि किसी बारूद कारखाने में काम कर रहे इसके मजदूरों को संतुष्ट किये बिना इसे चलाया नहीं जा सकता है तो इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें इस मामले में सहयोग करना चाहिए था परन्तु उन्होंने कारखाना मालिकों और दूसरे लोगों से हाथ मिला लिया और उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जो उस रोष को एक सही दिशा देना चाहते थे। देश में यह क्या हो रहा है?

मेरे माननीय मित्र श्री आबिद अली साहब ने इसका पुरजोर विरोध किया और साम्यवादियों के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त किया। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। परन्तु, मुझे खेद होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये साम्यवादी न जाने कहां से आ गए हैं और इन्हें जेल में डालकर साम्यवाद की समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जायेगा। यह एक सामाजिक समस्या है। महोदय, जब देश में रोष हो, देश में भूख और पीड़ा हो, तो लोग इसे कैसे व्यक्त करेंगे? यदि इसे व्यक्त करने के लिए, समुचित माध्यम न हो तो लोग गलत रास्ते का सहारा लेंगे। साम्यवादी पार्टी के लोग गुंडे नहीं हैं। वे ऐसे लोग हैं जो समाज को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह अलग चीज है हम उन्हें दिग्भ्रमित मानते हैं और कहते हैं कि वे सही रास्ते पर, मानवता के रास्ते पर नहीं हैं। हम कहते हैं कि उनमें मानवता की भावना खो चुकी है क्योंकि वे ईर्ष्या और घृणा में हैं। क्या आबिद अली साहब का इरादा ईर्ष्या, घृणा, असमानता, गरीबी और अकाल को दूर किए बिना ही निवारक निरोधक अधिनियम के माध्यम से साम्यवाद को समाप्त करने का है? इन बुराइयों को समाप्त किए बिना, यदि आप साम्यवादियों को हवालात में डालने का अभियान जारी रखते हैं, तो ये उपाय आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि यदि यह पार्टी नहीं बचेगी तो दूसरी पार्टी इसका स्थान ले लेगी। इसलिए, मैं आपसे कहता हूं कि यह निवारक निरोधक अधिनियम सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि कुछ लोगों द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास को निष्प्रभावी करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है।

हमारी मुख्य आपत्ति इसी बिन्दु पर है। माननीय हजारनवीस साहब, माननीय आबिद अली द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत नहीं होंगे कि गैर-कानूनी कार्यों चाहे यह कालाबाज़ारी हो, घूसखोरी या कोई अन्य कार्य हो – में शामिल लोगों को पकड़ कर जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक मंत्री भी ऐसी गलती करता है, तो उसके साथ भी वही बर्ताव किया जाना चाहिए, परन्तु, क्या इस बात का आश्वासन माननीय हजारनवीस साहब द्वारा सभा को दिया जा सकता है? एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि इसे कांग्रेसियों के विरुद्ध भी प्रयोग किया गया है। ये कांग्रेसी कौन हैं? इससे कांग्रेसियों के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया है परंतु केवल विद्रोही कांग्रेसियों के ही विरुद्ध।

एक और चीज़, जिसे मैं इस सभा में तीसरी बार कह रहा हूं। पंजाब का एक व्यक्ति, जिसका नाम था – तेजा सिंह स्वतन्त्र, उसे हत्या और बैंक डकैती के एक मामले में छोड़ दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उस पर चल रहा मामला वापिस लिया जाये। मैं इस बात को इस सभा में तीन अवसरों पर कह चुका हूं। मैं इस मुद्दे पर और विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। रामनगर, नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में बैंक डकैती की एक घटना हुई थी, जिसमें 13 या 14 लोग गिरफ्तार हुए थे– मुझे सही संख्या मालूम नहीं है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 4 या 5 व्यक्ति अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पांच-सात वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों से उन लोगों के खिलाफ मुकदमा वापिस लेने के लिए लिखा गया था। उस समय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामलों को वापिस लेने से मना कर दिया था, क्योंकि विधि विभाग और गृह विभाग इससे सहमत नहीं थे। लेकिन फिर से एक और पत्र लिखा गया और मामलों को वापिस ले लिया

गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा करके वे किस तरह की देशभक्ति अथवा किस प्रकार का उदाहरण पेश कर रहे हैं? निवारक नजरबंदी अधिनियम का महिमामंडन करने का क्या तरीका है, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और कुछ लोगों को बिना सजा के छोड़ दिया जाता है और इस देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का यह क्या तरीका है?

मैं एक बात और बताना चाहता हूं, लोग आते हैं और अलग-अलग खबरें देते हैं। मैं विशेषकर माननीय हजारनवीस साहब को यह बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग और गृह विभाग के अधिकारी घटना स्थलों पर जाते तक नहीं हैं और शायद इस संबंध में हमारे भाषणों को भी नहीं सुनते और बस खुद से तैयार की हुई रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। यह एक पुरानी कहानी है। मैं बस एक मिनट में उसे बताकर अपनी बात खत्म करता हूं।

हमारे पुराणों में भगवान शिव के दरबार में रहने वाले कार्तिकेय और गणेश के बारे में एक प्राचीन कथा है। वे दोनों भगवान शिव के पुत्र थे। एक बार ऐसी बात उठी कि इनमें से कौन महान है– कार्तिकेय अथवा गणेश? इस मुद्दे का निर्णय करने के लिए, यह कहा गया कि वे दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और जो पहले वापिस आएगा उसे विजेता माना जाएगा। क्या हुआ? बेचारे कार्तिकेय मासूम और ईमानदार थे। उन्होंने शीघ्रता से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा की और वापिस आ गए लेकिन गणेश जी वहीं रहे और कहीं भी नहीं गए। जब उन्होंने देखा कि कार्तिकेय वापिस आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत भूमि पर ''शिव'' लिखा और उसकी एक परिक्रमा कर ली तथा कहा कि वह विजेता हैं इसलिए कार्तिकेय से महान हैं। यह प्रश्न पूछा गया कि ''आप महान कैसे हो''? उन्होंने उत्तर दिया ''समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव में समाहित है। अत: जो भी उनकी परिक्रमा करता है, वह सर्वशक्तिमान बन जाता है। गणेश जी की पूजा की जाने लगी, लेकिन उन्होंने स्वयं यह अनुभव नहीं किया कि विश्व की संरचना कैसी है और नदियों, पर्वतों, नालों तथा गुफाओं जैसी भौतिक वस्तुएं क्या हैं। यही स्थिति भारत सरकार की है। जो पंडित नेहरू के आसपास घूमते रहते हैं, वे गणेश हैं और जो गणेश के आसपास घूमते हैं, वे छोटे गणेश हैं। कुछ अधिकारी माननीय हजारनवीस साहब के कार्यालय में गए और यह दावा किया कि दुनिया में शांति और समृद्धि है। लेकिन यदि आप वास्तव में देश का निर्माण करना चाहते हो और देश को समझना चाहते हो, यदि आप देश की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो और निवारक नजरबंदी अधिनियम की समय-सीमा को फिर से नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो गणेश की बजाय कार्तिकेय बनने का प्रयास करो।

समाज की बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए हमें इसका मूल कारण ढूंढने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सुरक्षा के नाम पर निवारक नजरबंदी अधिनियम देश को विनाश से नहीं बचा पाएगा। यदि मानवीय हजारनवीस साहब इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो सरकार को और कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसे इस मौजूदा कानून को सही से लागू करना चाहिए। अपने नौकरशाहों, प्रशासन व्यवस्था को सक्रिय, सतर्क और ईमानदार बनाएं। नए कानूनों को बनाकर उनके हाथों में दमनकारी शक्तियों को केन्द्रित न करें। यदि इसे केन्द्रित किया गया जैसा आज हम कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको इसके दुष्परिणामों

का सामना करना पड़ेगा। एक बार प्रशासन और नौकरशाहों को इस तरह की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता।

अंत में, मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। पाकिस्तान में सत्ताधारी दल के कुछ पदाधिकारी सोचते थे कि नौकरशाही का इस्तेमाल कर वे अपने विरोधियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। जब एक बार पाकिस्तान इससे प्रभावित हो गया, तो नौकरशाही ने शक्ति संपन्न लोगों को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ऐसी ही नियति वहां के लोकतंत्र की थी। यदि माननीय गुलजारी लाल नंदा सोचते हैं कि माननीय प्रो. मुकुट बिहारी लाल को गिरफ्तार करके और श्री बसावन सिंह को जेल भेजकर वह शांति से रह लेंगे, तो उनका सोचना गलत है क्योंकि कल यही नौकरशाही और निवारक नजरबंदी अधिनियम, उन्हें गिरफ्तार करेगा तथापि न तो मेरा ऐसा मतलब है और न ही इसमें मेरी कोई भूमिका होगी। मैं दूसरे मित्रों के बारे में नहीं जानता, वे बहुत क्रोधित होंगे लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की स्वतंत्रता और देश में स्वराज्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनकी केवल एक ही आशा और आकांक्षा थी कि देश का प्रत्येक नागरिक एक स्वतंत्र देश का नागरिक बनकर रहे और किसी भी तरह के दमन से मुक्त रहे। यदि सरकार उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को तोड़ना चाहती है और जनता का उत्पीड़न करना चाहती है, तो हम अपनी पूरी शक्ति से इसका विरोध करेंगे।

भारत में चुनाव सुधार*

उप सभापति महोदय, मैं माननीय श्री भूपेश गुप्ता की भावनाओं का सम्मान करता हूं जिनके कारण उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं उनके द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं से सहमत हूं कि बड़े व्यापारिक घराने और पुराने सामंतवाद लोग देश के संसदीय लोकतंत्र पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस सुझाव की सराहना करता हूं कि इन ताकतों को सत्ता हाथ में लेने से रोकने के प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि बाह्य हस्तक्षेपों पर रोक लगाई जानी चाहिए और उन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। किन्तु मैं उनकी इस मांग को समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई भी निवारक नज़रबंदी मुकदमा चलाये जाने से पहले नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि यहां ऐसे कई लोग हैं जो सी.आई.ए. के एजेंट हैं और उन्होंने यह भी कहा कि चन्द्रशेखर उन्हें जानते हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता मगर मैं यह जानता हूं कि सी.आई.ए. की गतिविधियां पूरे विश्व में चल रही हैं और यह हमारे देश में भी सक्रिय हैं। किन्तु जैसा कि संविधान का वर्तमान स्वरूप है, न्यायपालिका के शक्ति संपन्न होने के कारण इस सरकार में किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह यह सिद्ध करे कि फलां फलां व्यक्ति सी.आई.ए. का एजेंट है। यदि सरकार के खुफिया तंत्र को यह जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति विशेष सीआईए की ओर से काम कर रहा है तो समाजवादी होने के नाते श्री भूपेश गुप्ता जी क्या सलाह देंगे? क्या वह चाहेंगे कि वह व्यक्ति कानून का सहारा ले और सरकार भी उस व्यक्ति के विरुद्ध यह सिद्ध करने के लिए कोर्ट जाये कि वह किसी दूसरे देश के एजेंट के रूप में हमारे देश में काम कर रहा है। आशा है स्वयं मार्क्सवादी होने के कारण माननीय भूपेश गुप्ता जी उन व्यक्तियों में से एक होंगे जो कहेंगे कि कोई मुकदमा चलाए बिना उस व्यक्ति को सीधे जेल भेज देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति चीन या पाकिस्तान या किसी अन्य देश की ओर से कार्य कर रहा है और बहुत से मामलों में जासूसी में लिप्त है, तो सरकार और प्रशासकीय तंत्र के लिए उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध करना संभव नहीं हो पायेगा चाहे सरकार पूरी तरह से आश्वस्त क्यों न हो कि वह व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ जासूसी में लगा है और हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र के ताने-बाने को बिखेरने का प्रयास कर रहा है। मैं माननीय श्री भूपेश गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने निजी अनुभव के आधार पर इस पर विचार करें। मैं यह बात पहले भी सदन में कह चुका हूं और सविनय पुनः कहना चाहता हूं कि वह निजी तौर पर इस पर विचार करें।

वह अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी में कहते रहे हैं कि कोई भी कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियों में लिप्त न हो किन्तु उनकी पार्टी के कुछ लोग

* चुनाव में बड़ी मात्रा में सरकारी मशीनरी और धन के दुरुपयोग की रोकथाम के बारे में प्रस्तुत संकल्प पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 2 दिसम्बर, 1966, का. 3764-3770

सदैव उनके निर्देशों का उल्लंघन करने में लगे रहते हैं और उनके निवेदन या सुझावों को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण से उन्हें अपने भूतपूर्व कमांडर, जिसने देश की भलाई के लिए अपने सुख और सुविधाओं का त्याग किया था, का साथ छोड़ना पड़ा। मैं उनकी भावनाओं से इंकार नहीं करता किन्तु उनका व्यवहार, उनका कार्य करने का तरीका कुछ ऐसा है जो उस समाज जिसका निर्माण श्री भूपेश गुप्ता जी करना चाहते हैं के लिए हानिकारक है।

मैं एक और प्रश्न उनसे पूछना चाहूंगा कि कुछ राजनैतिक लोग जो मेरे मित्र भी रहे हैं जिनके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, पूरे देश में छात्रों और अन्य लोगों को यह सलाह दे रहे हैं कि वे इंडोनेशिया के छात्रों का तरीका अपनाएं। मैं विनयपूर्वक उनसे जानना चाहूंगा कि क्या भारत और इंडोनेशिया का राजनैतिक परिदृश्य एक सा है।

उप सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का राजनैतिक वातावरण एक अलग तरह का है। हमारे लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। यदि माननीय भूपेश गुप्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह संसदीय लोकतंत्र अर्थहीन है और एक नये समर्थ समाज की स्थापना के लिए और इस कोलाहल के बीच एक नयी समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना जिसके लिए इस सदन के अंदर और बाहर अनेक जिम्मेदार सदस्य यह दावा करते हैं कि वे देश में नयी समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना के अग्रदूत हैं, के लिए हर हालत में इसे हटाना होगा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि कोलाहल और अव्यवस्था भले ही बनी रहे किन्तु कांग्रेस के शासन से बेहतर ही है, मुझे लगता है वे लोग गलत हैं।

यदि आपका निष्कर्ष यही है तो मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसी अवस्था में कांग्रेस सरकार या जो भी सरकार सत्ता में है, इन लोगों से उसी ढंग से निपटेगी जैसे कि इनसे निपटा जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय गौड़े मुराहरि को आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी भी बुद्धिमान कांग्रेसी नेता के लिए किसी संसद सदस्य अथवा किसी सहकर्मी को गिरफ्तार करना गौरव की बात नहीं हो सकती। परंतु, यदि सरकार को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कोई अप्रिय कार्यवाही करनी पड़े तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। यह कोई उमंग अथवा गर्व की बात नहीं है कि संसद सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। माननीय भूपेश गुप्ता विगत 18 वर्षों से द्वेषपूर्ण ढंग से सरकार के विरुद्ध वकालत कर रहे हैं, उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया.....

कृपया तस्वीर के इस पहलू पर भी विचार कीजिए क्योंकि हम काफी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। माननीय भूपेश गुप्ता जी, यदि आप प्रजातांत्रिक, प्रगतिशील दलों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, कांग्रेस में प्रगतिशील दलों से कोई आग्रह करना चाहते हैं तो आपको अपनी शैली को भी बदलना होगा। विपक्ष के लोगों, जो समाजवादी होने का दावा करते हैं, के लिए यह हितकर पर उत्तम नहीं है कि वे शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर राजनैतिक लाभ उठाएं। माननीय गौड़े मुराहरि जैसे समाजवादी के लिए इन सुधार विरोधी ताकतों के लिए आंसू बहाना कोई प्रशंसा की बात नहीं है.....जो पश्चगामी कार्यकलापों में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे

यह भी अनुरोध करूंगा कि वे उन महान नेताओं के विचारों में न बहें जो पूरी तरह हताश हैं और जो मतपेटी हो या कोई अन्य स्थान देश के लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं।

*** *** ***

मतदान राष्ट्र के भाग्य का फैसला नहीं करता अपितु लोगों की इच्छा राष्ट्र के भाग्य का फैसला करती है। चाहे कांग्रेस सरकार को यह पसंद हो या नापसंद हो चाहे एस.एस.पी. को यह पसंद हो या नापसंद हो इस देश के लोग, महान भारतीय लोग अवरोधों के बावजूद नई सामाजिक व्यवस्था लाएंगे। मैं माननीय मुराहरि को यह आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने उत्साह के साथ ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने में पर्याप्त सशक्त है और यदि कोई भी ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने के इसके अभियान में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उसे रौंद दिया जाएगा और उसके सिर को सामाजिक आंदोलन के रथ के तले कुचल दिया जाएगा फिर चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो या विपक्ष का। मैं माननीय गुप्ता जी से यह अनुरोध करूंगा कि यदि वे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह संशोधन करना चाहिए कि जिन लोगों को राजभत्ता दिया गया है उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार ले लिया जाएगा क्योंकि यदि आप उन भारतीय शासकों, राजाओं, महाराजाओं और नवाबों का इतिहास लें जिनका श्री लोकनाथ मिश्रा द्वारा इस सभा में प्रतिनिधित्व किया गया है उनमें से अंग्रेजों के इस देश में आने से पहले केवल 18 राजा देश के विभिन्न भागों में शासन कर रहे थे परंतु इन सभी सैकड़ों और हजारों राजाओं को अंग्रेजों ने इस देश में केवल अपने शासन की रक्षा करने के लिए गद्दी पर बिठाया था।.....अब इनकी रक्षा करने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता।

मैं आशा करता हूं कि इस देश के पद दलित लोगों के समर्थक माननीय पटेल इस संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे कि राजभत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए और मुझे आशा है कि स्वतंत्र दल के माननीय सदस्य....

मुझे आशा है कि स्वतंत्र दल के नेता होने के नाते श्री पटेल देश को और इस सभा में यह वक्तव्य देंगे कि संविधान में सत्रहवां संशोधन सही भावना से लाया गया है जो..... उन पद दलित लोगों को मौलिक अधिकार देता है जिनका हजारों वर्षों से इन राजाओं द्वारा शोषण किया गया है।

मैं माननीय गुप्ता और माननीय मुराहरि से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप शोषण को समाप्त करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे चुनावों में कोई विदेशी हस्तक्षेप न हो तो श्री मुराहरि जी आप सुधार विरोधी शक्ति के हाथों का खिलौना न बनें जो न केवल इस सभा में बल्कि इसके बाहर भी राजनैतिक करतबों में लगे हुए हैं; जो इस सभा में अपने राजनैतिक करतबों से संसदीय प्रणाली, संसदीय संस्था को बदनाम करना चाहते हैं और यदि आप लोगों के अधिकारों के लिए संसदीय प्रजातंत्र चाहते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि इस देश में संसदीय शालीनता, संसदीय प्रजातंत्र को कायम रखा जाए और मुझे आशा है कि इसके बाद सरकार को कानून और व्यवस्था के कारणों से श्री मुराहरि जैसे माननीय मित्रों को गिरफ्तार करने जैसी ऐसी अत्यंत कष्टकर कार्यवाही करने का अवसर नहीं मिलेगा।

लोक लेखा समिति*

उप सभापति महोदया, मैं एक खेदजनक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन इस सभा के सदस्य के रूप में मुझे यह लगता है कि आपके और इस सभा के समक्ष अपने विचार व्यक्त करना मेरा परम कर्त्तव्य है। मेरे विद्वान दोस्त माननीय करमारकर[$] जी का विचार है कि लोक लेखा समिति के निष्कर्षों पर टिप्पणी करना गलत नहीं है। मैं उस विवाद के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके माध्यम से माननीय करमारकर जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति हर व्यक्ति का ध्यान रखती है और विशेष रूप से भारत सरकार के किसी मंत्री अथवा सचिव का।

मुझे यह कहना है कि लोक लेखा समिति ने अपने पचासवें, पचपनवें तथा छप्पनवें प्रतिवेदन में भी यह टिप्पणी की है कि इस संदर्भ में माननीय मंत्री का निर्णय समझा नहीं गया। क्या कारण था? यदि आप नवीनतम प्रतिवेदन अर्थात् पचपनवां प्रतिवेदन देखें, तो लोक लेखा समिति ने कहा है कि माननीय मंत्री सुब्रमणियम ने नवम्बर, 1962 में एक आदेश पारित किया था। यदि आप उस आदेश की तुलना जुलाई, 1963 के आदेश के साथ करें तो आप पाएंगे कि लोक लेखा समिति के साथ-साथ मुझे भी इन दोनों आदेशों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। यदि श्री सुब्रमणियम[#] अपने जून, 1963 के आदेश पर ही कायम रहते तो मैं उन्हें बधाई देता क्योंकि वह किसी सामान्य फर्म के साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे। मैं आपको और आपके माध्यम से सरकार को भरोसा दिलाता हूं कि वित्तीय अपराधों के इतिहास में आपको इससे भयानक आपराधिक मामला नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिसमें कंपनियों का कोई विशेष समूह पिछले चौदह वर्षों से किसी देश को और भारत सरकार को धोखा दे रहा है। यह स्पष्ट था कि श्री सुब्रमणियम ने उस कंपनी के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने का साहस किया और वह अपने जून, 1963 के उस आदेश के लिए वास्तव में हमारी बधाइयों के पात्र हैं। लेकिन उनके बाद के रुख को मैं नहीं समझ पाया क्योंकि पता नहीं किस कारण से उन्हें बाध्य किया गया अथवा उन्हें स्वयं अपना आदेश बदलना ठीक लगा। मुझे लगता है इस सभा को नहीं पता कि किस परिस्थिति में श्री सुब्रमणियम को यह आदेश जारी करना पड़ा था। कंपनियों का यह समूह हिन्दुस्तान स्टील के लिए जापान से कतिपय सामग्री आयात करता है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने घटिया क्वालिटी का इस्पात आयात किया है। सभी नियमों, लौह और इस्पात नियंत्रक के सभी आदेशों को ताक पर रखकर इस कंपनी विशेष ने हर चीज काले बाजार में बेची है। जब जांचकर्त्ता इसकी जांच करने गए तो उन्होंने बताया कि यह गोदाम में है। जब जांचकर्ता गोदाम में गए तो वहां कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इसे मिश्रित कर दिया गया था और इसके पृथक्करण हेतु उन्हें एक वर्ष का समय चाहिए। उनके पूर्ववर्ती ने बड़ी उदारता से पृथक्करण हेतु

* लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद; 27 अगस्त, 1966, का. 4439-4445

[$] श्री डी.पी. करमारकर, संसद सदस्य

[#] श्री सी. सुब्रमणियम, केन्द्रीय मंत्री

एक वर्ष का समय दे दिया। एक वर्ष के पश्चात् जब जांचकर्त्ता वहां गए तो उन्होंने पाया कि वहां जापानी मूल जैसा कुछ भी नहीं था।

ऐसे बिगड़े हुए मामले में श्री सुब्रमणियम को आदेश जारी करने को कहा गया था और उन्होंने सचिव और विधि विशेषज्ञ की राय के बावजूद — जून, 1963 का आदेश जारी किया। अब, श्री सुब्रमणियम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि परिवहन मंत्रालय की कोई रिपोर्ट थी। क्या रिपोर्ट थी? यह रिपोर्ट लौह और इस्पात मंत्रालय के उप सचिव की परिवहन मंत्रालय के सचिव के साथ टेलीफोन पर हुई बात मात्र है। लिखित में कुछ भी नहीं है। लौह और इस्पात मंत्रालय के उप सचिव का एक नोट मात्र है जिसमें लिखा है कि एपीजे के खिलाफ कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि इस एपीजे कंपनी ने एक, दो बार नहीं अपितु बहुत बार सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क नियमों का उल्लंघन किया है। श्री गुजराल[&] ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि एक भी ऐसा नियम या कानून नहीं है जिसका इस कंपनी ने उल्लंघन न किया हो। उनकी ये गतिविधियां 1952 में शुरू हुईं थीं और आज तक जारी हैं। मुझे यह कहना है कि पिछली मई में मेरे प्रश्न उठाने के बाद भी उन्होंने कलकत्ता में एक कंपनी खरीदी है। मुझे इसका नाम याद नहीं है, लेकिन शायद इसे फ्लरी पुकारा जाता है। यह एक स्विस कंपनी है। कोई दूसरे सज्जन इसे खरीदने वाले थे लेकिन स्विस प्रोप्राइटर सारा पैसा विदेशी मुद्रा में चाहते थे और वह सज्जन इसे खरीद नहीं पायें? स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ तो है। विदेशी मुद्रा कहां से आई? इस सभा में मई, 1966 में मेरे द्वारा प्रश्न उठाने के बाद भी इस फर्म ने ऐसा किया है। मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समस्त संसद इस पर चर्चा करने के लिए समय दे रही है, लेकिन इस कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है केवल माननीय लौह और इस्पात मंत्री द्वारा एक आदेश दिया गया है। इसके साथ कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। उनके कागजातों को जब्त नहीं किया गया है। उनके घरों की तलाशी नहीं ली गई है। आखिरकार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि ऐसी किसी कंपनी की जांच की जानी थी, तो श्री सुब्रमणियम को बहुत सतर्क रहना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए अथवा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बताना मेरा कर्तव्य है कि संसदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी इसमें शामिल हैं। मेरे पास अधिक समय नहीं है। 1965 का एक जाना माना मामला है। क्रेश्रेल डाउन मामला जिसमें 1965 में संसदीय प्रतिष्ठा और मंत्रालयीय जिम्मेदारी सम्मिलित थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हुआ था? वहां एक कृषि मंत्री एक अधिकारी का बचाव कर रहे थे। अधिकारी ने क्या गलत किया था? वह जमीन के एक टुकड़े की नीलामी कर रहा था, इसमें दो बोलीदाता आए थे, लेकिन किसी तीसरे बोलीदाता को जमीन दे दी गई। मंत्री ने अधिकारी का बचाव किया और अंत में यह साबित हुआ कि मंत्री के आदेशों का सही भावना के साथ पालन नहीं हुआ। मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। मैं हाउस ऑफ कॉमन्स से विपक्ष के नेता और गृह सचिव के भी भाषणों को उद्धृत करूंगा। यह हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वाधिक दु:खद दिनों में से एक था। हाउस ऑफ कॉमन्स की ऐसी भावना थी। विपक्ष के नेता ने कहा: ''हमें मंत्री की सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं है। यह हाउस ऑफ कॉमन्स के इतिहास में सर्वाधिक दु:खद दिनों में से एक है लेकिन सभा की मर्यादा बनाए रखने के लिए,

[&]श्री इन्द्र कुमार गुजराल, संसद सदस्य, राज्य सभा

संसदीय जीवन की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखने के लिए, कृषि मंत्री के त्यागपत्र की मांग करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।'' यह ब्रिटेन की संसद की परंपरा है। हम किस तरह की परंपरा का सूत्रपात करना चाहते हैं, यह निर्णय इस सभा और देश को करना है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि मामले की जांच के लिए समिति नियुक्त करने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन यह किस तरह की वह समिति होगी? मुझे बताया गया है कि इस समिति को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत सभी शक्तियां दी जाएंगी। मैं नहीं जानता मगर मुझे इसकी विधिक प्रामाणिकता पर संदेह है, लेकिन यदि सभा के नेता और श्री पाठक* को लगता है कि ऐसी किसी समिति को यह शक्ति दी जा सकती है, तो ठीक है मगर आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि सुब्रमणियम अध्याय पूरे मामले का एक छोटा सा अध्याय है। यही कारण है कि मैंने कहा था कि मैं एक खेदजनक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि पूरी चर्चा गलत दिशा में चली गई है। श्री सुब्रमणियम ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया था, मगर वे एक के बाद एक गलतियां करते गए और इस परेशानी में फंस गए हैं। लेकिन असली दोषी कौन है? असली दोषी वे हैं जिन्होंने 1952 से 1963 तक इस कंपनी को बढ़ावा दिया है। मेरा किसी व्यक्ति से आशय नहीं है। जब मैंने भूतलिंगम के इस प्रश्न को उठाया था, मैं पूरी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, मेरी उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन, महोदया, कुछ दिनों पहले ही श्री रेड्डी, जो श्री टी.टी. कृष्णामचारी के निजी सचिव थे, कलकत्ता गए थे।

भारत सरकार के एक अधिकारी ने कलकत्ता के एक क्लब में बहुत सारे निर्यातकों और आयातकों की उपस्थिति में कहा था कि श्री भूतलिंगम की छवि धूमिल करने के लिए साहू जैन द्वारा श्री चन्द्रशेखर को 15,000/- रुपये दिए गए हैं और यह भी कहा गया कि उन नोटों में से कुछ माननीय वित्त मंत्री श्री सचीन्द्र चौधरी को दिए गए हैं। महोदया, एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का दुष्प्रचार तुरंत रोका जाना चाहिए। मैं इस सभा के नेता से अनुरोध करता हूं कि सरकार को पूरे साहस से इसकी जांच करनी चाहिए। मैंने इस संबंध में सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था लेकिन अधिकारी, आयातक, निर्यातक और अन्य लोग यह घोषित करने को तैयार नहीं हैं कि ऐसा कहा गया था। लेकिन यह मुझे कल बताया गया था। इस सरकार के कुछ अधिकारी उत्तर प्रदेश गए थे और मेरे बारे में जांच की। यह मुझे उत्तर प्रदेश आसूचना ब्यूरो के एक वरिष्ठतम अधिकारी ने बताया है। मेरे कुछ माननीय मित्र कह रहे हैं, आप इतने भावनात्मक क्यों हो रहे हैं? मैं एक छोटा आदमी हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं। लेकिन मुझे अपनी सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और मर्यादा के लिए लड़ना है और महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है और इस सभा से अनुरोध है कि इसका संज्ञान लिया जाए।

इन परिस्थितियों के अंतर्गत, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग दो दशकों से लौह और इस्पात मंत्रालय में ऐसे पिशाच पनप रहे हैं जो हमारे देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। 1956 में क्या हुआ? एक व्यक्ति जो पुलिस की नजरों में जालसाज, बदमाश,

*श्री जी.एस. पाठक, संसद सदस्य, राज्य सभा

एक धोखेबाज, जो कुछ भी था, लौह और इस्पात मंत्रालय द्वारा उसका चालान किया गया था। उसने एक शपथपत्र दिया। माननीय मंत्री टी.टी. कृष्णामचारी जी को श्री भूतलिंगम द्वारा दिए गए नोट की फोटोस्टेट प्रति यहां है, इस दस्तावेज को मैंने भारत सरकार में सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजा है। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एस.पी. मुख्यालय द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सभी प्रबंध किए जाएंगे कि इस व्यक्ति को विक्षिप्त घोषित किया जाएगा और देश के विभिन्न भागों में उसके विरुद्ध मामले शुरू किए जाएंगे।

इस दस्तावेज को कोई भी देख सकता है। केवल यही नहीं बल्कि वह व्यक्ति न्यायालय में गया और दिल्ली के सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि एस.पी. ने उस व्यक्ति के रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ की है। मैंने इस सरकार के बड़े लोगों से पूछा कि उन्हें क्या कहना है। वह जालसाज हो सकता है, वह धोखेबाज हो सकता है लेकिन वह इस देश का नागरिक है। वह भारत सरकार में एक बड़े पद पर आसीन था और 2700/- रुपये प्रतिमाह का वेतन ले रहा था। उसे इस देश और विदेश के पचास सर्वाधिक प्रतिष्ठित लोगों से प्रमाणपत्र मिले हैं। मैं इसकी बारीकी में नहीं जाना चाहता। यदि ऐसी बात है तो महोदया, मुझे डर है कि कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयत्न करेगा उसका जीवन, उसकी संपत्ति और उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है।

अत: उप सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच समिति को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत सभी शक्तियां नहीं दी जाएंगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि लोक लेखा समिति ने कहा है कि इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि कितने आयात लाइसेंस दिए गए और किसे दिए गए। जरा इसके बारे में सोचिए, पिछले बारह वर्षों से यह पता नहीं है कि कितने करोड़ों रुपयों के कितने आयात लाइसेंस भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अवमूल्यन के परिणाम भुगत रहा है। माननीय इस्पात मंत्री यहां हैं, उन्हें बताने दीजिए यदि उनके पास इस बात का कोई रिकार्ड है कि बारह वर्षों के दौरान कितने आयात लाइसेंस दिए गए हैं। यह इस रिपोर्ट में है। मैं बातें नहीं गढ़ता। ये लोग किसी तरह के दस्तावेज देने वाले नहीं हैं। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी और सभा के नेता को लगता है कि इन्हें हासिल किया जाना चाहिए, तो इन सभी कागजों को जब्त कर लेना चाहिए, अमीन चंद प्यारे लाल समूह के सभी कागजों को जब्त कर लेना चाहिए, पुलिस को और एस.पी.ई. तथा सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि रिकार्ड से छोड़छाड़ न हो सके, निर्दोष लोगों को दंडित न किया जाए और उनका उत्पीड़न न किया जा सके। केवल तभी न्याय किया जा सकेगा।

महोदया, मैं एक बार फिर सरकार को इस बारे में प्रारंभिक कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं लेकिन उन्हें और अधिक साहस दिखाते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि असली दोषियों को सजा हो।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक*

उप सभापति महोदय, आपकी अनुमति से इस विधेयक के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं सभा का ध्यान उस इतिहास की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। वर्ष 1957 में सरकार ने यह महसूस किया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। उस समय मुदलियार समिति का गठन किया गया और मेरे मित्र, माननीय भूपेश गुप्ता जी ने इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। इस समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उस विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति शर्मिंदा था। मैं इस बात की बारीकी में नहीं जाऊंगा कि किस सीमा तक वह रिपोर्ट तर्कसंगत या असंगत थी। परंतु, मेरा यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी जानता होगा वह इस बात को स्वीकार करेगा कि इस रिपोर्ट को आवेश में आकर तैयार किया गया था तथा किसी विश्वविद्यालय और विशेष रूप से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित रिपोर्ट के तथ्यों को स्वीकार करना उचित नहीं है। रिपोर्ट को 1957 में प्रस्तुत किया गया था। 1958 में सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। उस समय इस बात को लेकर काफी शोरगुल हुआ था कि यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर एक बड़ा आघात है। उसके बाद 1958 में एक संशोधन लाया गया। उस समय भी यह कहा गया था कि संशोधन अधिनियम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला है। सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है जिसे शीघ्र बदल दिया जाएगा। 1961 में एक बार फिर एक और विधेयक लाया गया और यह कहा गया कि एक मॉडल विधेयक तैयार किया जाएगा जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय दोनों पर समान रूप से लागू होगा।

मैं यह नहीं जानता कि 1964 में शिक्षा मंत्री द्वारा सभा में पुर:स्थापित किया गया विधेयक वही मॉडल विधेयक है जिसके बारे में सभा, देश और विश्वविद्यालय को प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था। मैं यह नहीं मानता कि यह विधेयक किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक मॉडल विधेयक है चाहे वह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय या अन्य कोई विश्वविद्यालय हो इस विधेयक को 1964 में पुर:स्थापित किया गया था और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस विधेयक की मंशा, भावना वही है जो मुदलियार समिति की रिपोर्ट में व्यक्त की गई थी। जिस आवेश में जाकर मुदलियार समिति की रिपोर्ट तैयार की गई थी उसे कुछ सीमा तक शांत कर दिया गया है, परंतु विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान किए जाने वाले मुद्दे का इस विधेयक के द्वारा समाधान नहीं किया गया है। सरकार इस विधेयक के माध्यम से ''यूनिवर्सिटी कोर्ट'' की स्थापना करने जा रही है परंतु उस कोर्ट में आधे व्यक्ति बाहर से होंगे। उनमें से कितने व्यक्ति नामित किए जाएंगे और कितने सरकार के प्रभुत्व के अधीन होंगे।

* ''बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964'' पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 24 नवम्बर, 1964, का 983-991; राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर, 1965 का 813-22 और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 राज्य सभा वाद-विवाद 29 नवम्बर, 1966 का 3144-49 (मूल हिन्दी में)

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र माननीय ए.डी. मणि साहब अभी कुलपति को शक्तियां प्रदान करने की बात कह रहे थे, परन्तु, शक्तियां प्रदान करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुलपति अनुशासन के नाम पर उन शक्तियों का दुरुपयोग न करें। सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जब कभी कुलपति कोई कार्यवाही करता है तो वह प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से यह कार्य करेगा। परंतु, महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन से पांच वर्षों के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कितने निर्णय लिए गए और कितने निर्णयों के संबंध में शिक्षाविद् न्यायालय में गए हैं। यह खेदजनक है कि वहां कुलपति के पद पर एक जज आसीन हैं। न केवल एक या दो बार परंतु, अनेक मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि कुलपति का निर्णय गलत था और एक जस्टिस, जो कि कुलपति का कार्य भी देख रहे हैं, के द्वारा शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। मैं माननीय ए.डी. मणि साहब द्वारा दिए गए इस वक्तव्य के संदर्भ में यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि कोई कुलपति छात्रों अथवा शिक्षकों के अधिकारों का हनन कर लेता है तो भी कुछ नहीं होगा।

महोदय, विश्वविद्यालय से मेरा संबंध बहुत लंबा नहीं है। मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र केवल दो माह के लिए रहा। मैं माननीय प्रो. मुकुट बिहारी लाल के अधीन राजनीति विज्ञान में शोध करने हेतु वहां गया था।

महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह किसी कुलपति को शक्तियां प्रदान करने का प्रश्न नहीं है। एक कुलपति में ऐसे कुछ गुण होने चाहिएं जिनसे वह छात्रों के बीच अनुशासन बनाकर रख सकें। महोदय, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि मैं 4 वर्ष तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां जाने के लिए अनुमति लेनी होती है। शिक्षा के मंदिर के लिए इससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती। यह सरकार इस बात पर गर्व महसूस कर सकती है कि आज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शांति का माहौल है। मेरे मित्र, माननीय भूपेश गुप्ता जी को वहां के हालात की जानकारी नहीं है और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की आज यह स्थिति है कि छात्र वहां कोई संगठन नहीं बना सकते। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवक्ता सभी सेमिनारों और विचारगोष्ठियों में बड़ी संख्या में भाग लेते थे, चाहे यह राजनीति से संबंधित हो, आध्यात्मिकता से अथवा शिक्षा से संबंधित हो। वर्तमान परिदृश्य क्या है? यदि मैं कुछ गलत कहूंगा, तो माननीय मुकुट बिहारी लाल जी जो यहां बैठे हुए हैं, मेरी बात को सही कर सकते हैं। आज, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से एक सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करना चाहता हूं कि मुदलियार समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद बनारस विश्वविद्यालय के कितने प्रवक्ताओं ने विश्वविद्यालय के अंदर अथवा बाहर होने वाले सेमिनारों में भाग लिया है चाहे यह काशी विद्यापीठ में हुए हों अथवा गांधी तत्व विचार परिषद में हुए हों। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता इन सेमिनारों में इसलिए भाग नहीं लेते, क्योंकि उन्हें डर है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह कह रहा हूं। पूरे विश्वविद्यालय में आतंक और डर का माहौल व्याप्त है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन हिन्दू ''धर्म'' की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। समस्त देश में एक भी ऐसा ''ऋषिकुल'' अथवा ''गुरुकुल'' नहीं है जिसमें किसी शासक द्वारा कभी भी सेना अथवा पुलिस बल की तैनाती की गई हो, भले ही वह कितना भी महान क्यों न था। लेकिन आज बनारस

हिन्दू विश्वविद्यालय को सेना और पुलिस बलों की कड़ी सुरक्षा और आतंक के अंतर्गत चलाया जा रहा है। मैं आपसे इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं न्यायमूर्ति भगवती को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं लेकिन एक घटना ने मुझे बहुत दु:ख पहुंचाया है और मुझे उसका उल्लेख करने के लिए क्षमा किया जाए। मुझे तीन उप-कुलपतियों के तीन दृष्टांत याद आ रहे हैं। पहला दृष्टांत कांग्रेस पार्टी के वर्तमान सांसद (लोक सभा) का है और मैं उनका नाम उजागर करना उचित नहीं मानता। उनके पिता ब्रिटिश शासन के दौरान एक कलेक्टर के लिए काम करते थे। उनके हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात् उनके पिता कलेक्टर के पास गए और उनसे कहा कि उनके बेटे ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। कलेक्टर ने उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि उन्हें पता चला है कि मालवीय जी** ने एक विद्यालय की स्थापना की है और उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया कि वह उनके बेटे को उस विद्यालय में प्रवेश देने के संबंध में मालवीय जी को एक पत्र लिख दें। ब्रिटिश कलेक्टर से पत्र लेकर वह गरीब पिता, एक चपरासी, मालवीय जी के पास गया और उन्हें वह पत्र दिया। उनके पुत्र ने विश्वविद्यालय में ही अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण की और केवल वही नहीं बल्कि उसके पुत्रों और रिश्तेदारों ने भी वही शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि विश्वविद्यालय से उनके पुराने संबंध थे। तो यह पहली घटना है। दूसरी घटना जो मुझे याद आ रही है, वह आचार्य नरेन्द्र देव जी के समय की है। एक वामपंथी लड़का विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से मात्र दो दिन पहले उनके पास गया और कहा कि वह परीक्षा नहीं दे सकता। नरेन्द्र देव जी ने पूछा, ''क्यों''? उसने बताया कि उसके ऊपर फीस के तीन सौ रुपए बकाया हैं और उसने उनसे अनुरोध किया कि इस राशि का प्रबंध ''निर्धन छात्र कोष'' से करा दें। आचार्य जी ने कहा कि ''निर्धन छात्र कोष'' में धन शेष नहीं बचा है। उन्होंने कहा, ''मुझे क्या करना चाहिए?'' आचार्य जी ने अपने निजी सचिव को बुलाया और उस लड़के को तीन सौ रुपये का एक चेक दे दिया। वह एक दक्षिण भारतीय छात्र था, उसने कहा ''आचार्य जी, मैं समाजवादी नहीं हूं, मैं एक वामपंथी हूं।'' आचार्य नरेन्द्र देव जी का उत्तर था, ''यह चेक उप-कुलपति द्वारा इस विश्वविद्यालय के एक छात्र को दिया जा रहा है; न कि एक समाजवादी द्वारा एक वामपंथी को।''

*** *** ***

यह दूसरे उप कुलपति की घटना थी। तीसरी घटना न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती से संबंधित है जिन पर हमें बहुत गर्व है, जो एक न्यायाधीश हैं और जिनकी न्यायिक बुद्धिमत्ता संदेह से परे है। इस सभा के पूर्व सदस्य प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के श्री डी.पी. सिंह के भाई श्री बी.पी. कोइराला के पुत्र के प्रवेश के संबंध में श्री भगवती के पास गए थे। उस समय श्री कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री थे और जेल में थे। देवेन्द्र बाबू के छोटे भाई उस लड़के को न्यायमूर्ति भगवती के पास ले गए। यह सुनकर कि उस लड़के के पिता जेल में हैं उसका खुद का भविष्य अनिश्चित है, न्यायमूति भगवती ने उत्तर दिया कि यह कोई मायने नहीं रखता कि वह श्री बी.पी. कोइराला का पुत्र है, इस लड़के को ''राज महेन्द्र'' के नाम पर भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। आपने

**पंडित मदन मोहन मालवीय

न्यायमूर्ति भगवती को अधिकार दिए हैं। लोगों को अधिकार देने मात्र से शांति और अनुशासन नहीं बनाए रखे जा सकते। उस विश्वविद्यालय के छात्र कभी भी अपने ''गुरु'' का आदर नहीं करेंगे और कभी उनका कहा नहीं मानेंगे।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। महोदय, कार्यकारी परिषद् में अध्यापकों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है? उप कुलपति अपनी मर्जी से न केवल छात्रों को निलंबित कर सकता है बल्कि अध्यापकों को भी बर्खास्त कर सकता है। मैं सिर्फ उस तरीके की बात कर रहा हूं, जिस तरह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और इस कृत्य की आलोचना सभी न्यायाधीशों द्वारा की गई है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि 1957 से 1964 तक अर्थात् सात वर्षों तक सारे देश और इसकी जनता को एक आदर्श विधेयक के लिए प्रतीक्षा कराई गई थी, लेकिन कोठारी समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक आदर्श विधेयक लाने में कैसी हिचकिचाहट थी। मैं नहीं जानता माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा लाए गए इस विधेयक का क्या हश्र होने जा रहा है। इसे प्रवर समिति को भेजा गया है। क्या इसे प्रवर समिति द्वारा पूरी तरह बदल दिया जाएगा या दूसरा आदर्श विधेयक तैयार किया जाएगा और विधेयक के पारित होने के पश्चात् कोठारी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसे दोबारा लाया जाएगा? महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर इसका समाधान करने के लिए कुछ कदम उठाना और शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन के मुद्दे पर विचार करते समय भावनाओं से ऊपर उठना बेहतर होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापिस लें और कोठारी समिति अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करने वाली रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद आदर्श विधेयक लाएं जिससे छात्रों को अनुशासित रहने की प्रेरणा मिले और जो उप कुलपति को उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए विवेक प्रदान करें।

*** *** ***

सभापति महोदया, उस विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक के अन्य भागों के बारे में बोलने से पहले, मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसके बारे में प्रोफेसर ए.आर. वाडिया ने अभी-अभी उल्लेख किया है। मैं प्रोफेसर ए.आर. वाडिया से पूरी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सदस्यों को अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य अपनाने का उपदेश देने से पहले, उन्हें और उनके जैसे अन्य मित्रों को अपने अंदर झांकना चाहिए। मैं इस बात को काफी गर्व के साथ कहता हूं कि पूरे देश में, मेरा मतलब यह नहीं है कि अन्य राज्य पीछे हैं, उत्तर प्रदेश ने न तो प्रांतीय राजनीति, न ही विश्वविद्यालयी राजनीति पर ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश ने न तो संकुचित दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार की राजनीति में कोई रुचि ली है। इसके विपरीत, श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उत्तर प्रदेश में उस विश्वविद्यालय की स्थापना एकमात्र इस उद्देश्य से की कि पूरे भारत में अखिल भारत दृष्टिकोण रहे। इसलिए, मैं प्रोफेसर वाडिया से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही होगा, यदि उत्तर प्रदेश या बनारस के आस-पास के क्षेत्रों से संबंधित लोगों को छोड़कर, यह विश्वविद्यालय अन्य लोगों के प्रवेश के लिए अपने द्वार खोल

दे। आज, बड़ी-बड़ी हस्तियों की सम्पूर्ण विवेकपूर्ण बुद्धिमानी और मानवीय भावनाएं उमड़ पड़ी हैं, परन्तु जब उस विश्वविद्यालय से डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे कद के व्यक्ति को हटाया गया तो ये भावनाएं और बुद्धिमता कहां थीं? मैं आदरणीय श्री डार साहब के विरुद्ध कुछ भी कहना नहीं चाहता।

*** *** ***

माननीय महोदया, मैं बतलाना चाहूंगा कि यह प्रवर समिति का प्रतिवेदन है। मुझे संसदीय परम्पराओं का जो कुछ भी थोड़ा-बहुत ज्ञान है, मैं कह सकता हूं कि किसी समिति या किसी प्रवर समिति की कार्यवाहियों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। एक विवाद अभी-अभी उत्पन्न हुआ है और माननीय प्रोफेसर वाडिया ने कहा कि डॉ. बी.एन. प्रसाद ने जो कुछ भी कहा है वह सही नहीं है। मतदान एक दिन में दो बार संपन्न हुआ था न कि दो दिन में। क्या संसदीय समिति के किसी सभापति को अपने विमत टिप्पण में यह कहना उचित है कि संसदीय समिति द्वारा निर्णय तत्काल लिया गया था? क्या यह समिति के कार्य की आलोचना के समान नहीं है? मेरे लिए, यह पूर्ण रूप से संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है। उनकी सोच बड़ी हो सकती है, उनकी भावनाएं उदात्त हो सकती हैं, परन्तु इस पर मुझे खेद है क्योंकि हमारी यह परम्परा रही है कि चाहे वह माननीय वाडिया साहब या कोई अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के विचार, भावना और सनक के अनुकूल संसदीय परम्पराओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नि:संदेह, हमारे वैधानिक अधिकार हैं परन्तु संसदीय लोकतंत्र की अपनी परम्पराएं हैं और वे वैधानिक अधिकारों जैसी ही महत्वपूर्ण हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, शायद संसदीय समिति के किसी सभापति ने अभी तक विमत टिप्पण नहीं दिया है। इस नई परम्परा की शुरुआत, माननीय वाडिया साहब द्वारा की गई है। यदि उन्हें विद्यमान संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करते हुए एक नई परम्परा की शुरुआत करते हुए गर्व हो रहा है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, तो मेरा विचार है कि एक संसदीय लोकतंत्र में इससे अधिक अपमानजनक बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रतिवेदन में जहां कहीं भी वे असहमत हैं, उन्हें बोलने का बिल्कुल अधिकार है। मैं सहमत हूं कि वे अपनी राय दे सकते हैं, परन्तु यदि समिति का सभापति एक विमत टिप्पण देता है तो एक समिति का कार्य करना असंभव होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि समिति ने तत्काल और बिना किसी विचार-विमर्श के निर्णय लिया। मैं भी उसी रग में कहता हूं कि यदि एक समिति के सभापति का विचार है कि उसे विमत टिप्पण देना चाहिए, तो उसे एक मिनट के लिए भी समिति के सभापति के पद पर नहीं रहना चाहिए।

माननीय वाडिया साहब ने अभी-अभी एक लम्बा भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार और कुलपति दोनों को पद से हटाना न्याय की भावना के विरुद्ध होगा। यह बहुत बड़ी क्षति होगी। देश में ऐसी क्षति न तो कभी हुई है और न ही भविष्य में ही होगी। माननीय गोपाल स्वरूप पाठक जी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अपने भाषण में गांधीजी का उद्धरण दिया और कहा कि हमारे सम्मान का क्या होगा? हमारी अहिंसा की नीति का क्या होगा, जिस पर विश्व को नाज़ है। मैं माननीय प्रोफेसर वाडिया साहब को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो प्रतिवेदन पेश किया है उसी में दिया गया है कि चूंकि कुलपति समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, इसलिए उनके बारे में निर्णय लेना समिति का अधिकार है, परन्तु, रजिस्ट्रार का मामला अलग है। यदि प्रोफेसर वाडिया साहब न्याय की उसी भावना से कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने कुलपति को हटाने का विरोध करते हुए विमत टिप्पण क्यों दिया?

आज, यह कहा जाता है कि हम विश्वविद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए बुद्धिजीवियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, परन्तु महोदया, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि दर्शन शास्त्र विभाग में डॉ. टी.वी.आर. मूर्ति के स्थान पर रीडर के रूप में डार साहब की नियुक्ति हुई थी। प्रोफेसर वाडिया को इस पर गर्व हो सकता है। डार साहब के समर्थकों को इस पर गर्व हो सकता है, परन्तु यदि मैं उस समय के इतिहास का अध्ययन करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि एक अकेला व्यक्ति वर्षों तक गलत दिशा में किस प्रकार पूरे समाज को ले गया।

इन सज्जन ने स्वयं को डॉ. टी.वी.आर. मूर्ति के स्थान पर नियुक्त करा लिया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए संसद की दोनों सभाओं में संसदीय समिति के प्रतिवेदन को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस समय श्री पाठक जी बोल रहे थे मैंने उन्हें यह बताया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उनका यह मानना है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना उसे उसके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। महोदया, आपको स्मरण होगा कि रेलवे की हड़ताल के दौरान एक कानून लागू किया गया था, जो अभी तक प्रभावी है। राष्ट्रपति के एक आदेश के आधार पर हजारों रेल कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। उनमें से कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता। वे कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते और वे अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए कहीं नहीं जा सकते। ऐसा कहा जाता है कि समाज और देश के हित में उनकी सेवाएं समाप्त करना आवश्यक है। 1958 में विश्वविद्यालय के संबंध में अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने के समय यह कहा गया था कि यदि आवश्यकता हुई तो अवैध कार्य करने वाले लोगों की सभी भूल-चूक को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पहले जब इस विधेयक पर सभा में चर्चा की गई थी तब मैंने यह कहा था कि विश्वविद्यालय के कुलपति का रवैया ठीक नहीं है। उस समय रजिस्ट्रार और कुलपति के बीच अधिक अंतर नहीं था। उस समय, प्रो. वाडिया और माननीय गोपाल स्वरूप पाठक जी ने उनके बारे में उतनी परवाह नहीं की थी जितनी वह अब कर रहे हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि रजिस्ट्रार की भी शक्तियां सीमित करने के लिए संसदीय समिति किस प्रकार तैयार हुई। किसी एक व्यक्ति के हित में लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने के इस नीच षडयंत्र की पुरजोर निंदा की जानी चाहिए। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय को समुचित रूप से चलाने के लिए यदि प्रवक्ताओं और प्रोफेसरों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं और छात्रों को बिना किसी कारण के उनकी शिक्षा से वर्षों तक वंचित रखा जा सकता है तो माननीय डार साहब और माननीय कुलपति एन.एच. भगवती साहब को भी आवश्यकता पड़ने पर कुछ त्याग करना चाहिए। यह पूछा जा रहा है कि संसद को इस मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री भी इतने अधिक दबाव में होंगे कि वह रजिस्ट्रार और कुलपति को अपने पद से नहीं हटा सकेंगे। चूंकि, रजिस्ट्रार और कुलपति परिस्थितियों को अपने हित में परिवर्तित कर सकते हैं अतः जब तक इस संसद का समर्थन नहीं मिलता तब तक माननीय शिक्षा मंत्री और उनका पूरा विभाग उन्हें उनके पदों से नहीं हटा सकेंगे। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें स्वयं अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए, जैसा कि माननीय अकबर अली साहब ने भी अनुरोध किया था। मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया

जा रहा है और कोई जघन्य अपराध नहीं किया जा रहा है, इसलिए यदि संसद, विश्वविद्यालय के हित में ऐसा कोई कदम उठाने के लिए बाध्य है तो उसे निश्चित रूप से तद्नुसार कार्य करना चाहिए। मैं संसदीय समिति को बधाई देना चाहता हूं कि उसने हमें अपनी सिफारिशें दी हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

जहां तक विश्वविद्यालय के नाम का संबंध है, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि इसका नाम ''काशी विश्वविद्यालय'' रखा जाए। जब कभी विश्वविद्यालयों के नाम के संबंध में कोई विवाद पैदा हुआ है तब मैंने सदैव यह कहा है कि विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और संचालित विश्वविद्यालयों का नाम हिन्दू, मुस्लिम और ईसाइयों के नाम पर न रखा जाए। यद्यपि, ऐसे प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में तर्क-वितर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस विवाद में पड़े बिना मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर काशी विश्वविद्यालय कर दिया जाए।

मैं आपका ध्यान एक और पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो छात्र संघों की सदस्यता के बारे में है। डॉ. बी.एन. प्रसाद ने यह कहा था कि संसदीय समितियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि ये छात्र संघ क्या हैं? ये छात्र संघ शिक्षा प्रणाली का भाग हैं। छात्र से एनसीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा जाता है और उसे छात्र के लिए अनिवार्य माना जाता है। सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यदि सैन्य शिक्षा प्रदान की जानी है तो उसे प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य बनाना होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार क्या प्रत्येक छात्र को नागरिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, जो कि देश में राजनैतिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत हैं, के बारे में शिक्षित करने के लिए किसी संघ या संस्था में कार्य करने का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, इसके पक्ष और विपक्ष के संबंध में अनेक विवाद हुए हैं, आंदोलन हुए हैं और 1947 में उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि सभी छात्रों के लिए छात्र संघ की सदस्यता अनिवार्य बनाई जाए। प्रयाग विश्वविद्यालय में एक आंदोलन के पश्चात् इसी विचार पर डाक्टर साहब द्वारा भी बल दिया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप छात्रों के लिए सैन्य शिक्षा के पक्ष में हैं तो इसी शैली में छात्रों को यह जानकारी प्रारंभ से ही दी जानी आवश्यक है कि किस प्रकार वे अपने छात्र संघ में स्वयं को ढालें ताकि वे लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली और उसे शासित करने वाले सिद्धांतों से परिचित हो सकें। मैं यह नहीं समझता कि अनुशासन केवल विद्यार्थी संघों को मिटा कर आप कायम रख सकते हैं। बड़े-बड़े उपकुलपतियों का नाम लिया गया और यह कहा गया कि उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे काम किये लेकिन जिस समय वे महान पुरुष उस विश्वविद्यालय में थे, उस समय यूनियनें काम करती थीं, छात्र संघ काम करते थे और उन छात्र संघों के जरिये देश का हित होता था। माननीय सदस्य श्री गोडे मुराहरि ने कहा कि 1942 में विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने जो काम किया वह भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। मैं समझता हूं कि इस सदन में बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिनका 1942 के उस पन्ने से कोई मतलब नहीं है, उनकी भावना में वह बैठता नहीं, लेकिन जिन लोगों की भावना में 1942 का इतिहास है और उस इतिहास में काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का जो हिस्सा है, उसे

याद रखते हैं वे कभी यह नहीं कह सकते कि विश्वविद्यालय संघ की सदस्यता से केवल अनिवार्य रूप से अनुशासनहीनता आती है। इससे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी आती है।

मैं एक बात और कहूंगा। माननीय ताराचंद ने उस सवाल की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। वह सवाल है कि वाइस चांसलर को चुनने का जो अधिकार होना चाहिए उस में वहां के प्रोफेसरों को दूसरों को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने सही कहा कि जिस अध्यापक से आप चाहते हैं कि वह विद्यार्थियों का आध्यात्मिक और नैतिक नेता हो, उसके ऊपर इतना अविश्वास करके आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। माननीय डॉ. सप्रू ने उस समय कहा कि प्रजातंत्र को अगर ज्यादा बढ़ाया जायेगा तो वाइस चांसलर को ये अध्यापक कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है क्योंकि एक ओर डॉ. सप्रू साहब कहते हैं कि केरल के कम्युनिस्टों को पूरी आजादी होनी चाहिए नहीं तो जनतंत्र को हानि होती है।

दूसरी तरफ कहते हैं कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए, नियंत्रित जनतंत्र होना चाहिए। यह एक अजीब बात है। मैं कभी-कभी हैरान हो जाता हूं कि हमारे अनुभवी नेता जो कि न्यायबुद्धि से यहां पर भाषण देते हैं ऐसी परस्पर विरोधी बातें करते हैं, मेरे जैसे नये सदस्य के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि उनके किस विचार को सही मानें, एक तरफ तो वे उनके लिए पूरा जनतंत्र चाहते हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नियंत्रित जनतंत्र उनके लिए चाहते हैं जो कि कल के भारत को बनाने वाले और आध्यात्मिक और नैतिक नेता होने जा रहे हैं।

*मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

*** *** ***

दूसरी बात इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेजों को उससे संबद्ध किया जाये; क्योंकि वह मदन मोहन मालवीय जी की भावना के विपरीत होगा। यदि आप उस विश्वविद्यालय के मानचित्र को देखें, यदि आप उसकी योजना को देखें तो आप पायेंगे कि मालवीय जी की कल्पना यह थी कि यह विश्वविद्यालय पुराने जमाने की तरह का ऋषिकुल होगा, उस तरह का विद्यामंदिर होगा जहां आवश्यकता की सब वस्तुएं उपलब्ध होंगी और उसमें विद्यार्थी एक नये वातावरण में, एक नये माहौल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उस दायरे से अलग निकलने की जरूरत है आखिरकार उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की कोई भी कमी नहीं है। सौ मील की दूरी पर गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वह सब कॉलेजों को संबद्ध कर सकता है।

अंत में, महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस विधेयक पर बहस करते समय यह ध्यान रखना चाहिये और खास तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय जनतंत्र का नाम ले करके हम किस हद तक संसदीय जनतंत्र से दूर चले जाते हैं। उसका सबूत यह है कि एक संसदीय समिति की सिफारिश को मिटाने के लिए सारे तरह के कारनामें किये जा रहे हैं। इस मनोवृत्ति को, जितनी जल्दी समाप्त किया जाये उतना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आपकी

*उप-सभापति की टिप्पणी ''आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है'' के उत्तर में।

ओर से निर्णय अगर न हो तो कोई सलाह होनी चाहिए कि भविष्य में संसदीय समितियों के अध्यक्ष किस तरह का व्यवहार करें; नहीं तो कल से कुछ भी हो सकता है। संसदीय समिति की जो कार्यवाहियां हैं वे गुप्त नहीं रह सकतीं। जो माननीय सदस्य ऐसे विचार व्यक्त करते हैं उनको, याद रखना चाहिए कि अन्य सदस्यों के अपने अलग विचार हो सकते हैं। यदि यह सारा काम न्याय बुद्धि से हुआ होता और यदि यह न्याय बुद्धि पहले भी होती तो हम यह मान लेते लेकिन यह न्याय बुद्धि उनमें तभी जागृत हुई है जब कि एक व्यक्ति का मामला आ पड़ा है।

*** *** ***

मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, विरोध इस कारण से नहीं करता कि कोई राज्य सभा के अधिकारों की रक्षा की भावना है, केवल एक भावना से इसका विरोध करता हूं कि सिद्धांत का हनन नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब यह विधेयक सामने आया तो उस समय हमने यह कहा था कि सिद्धांतों के अनुसार हिन्दू शब्द इस नाम का भाग नहीं रहना चाहिए। इस पर विवाद उठता था। मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत से विचारक लोग यह कहते हैं कि यदि जन मत तैयार न हो तो ऐसे संशोधन और ऐसे सुधार लाना उचित नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने महात्मा गांधी का भी नाम लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जिस समय हरिजन उद्धार का काम शुरू किया था उस समय उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैं दूसरी बात यह स्पष्ट करना चाहता हूं, अन्सारी साहब* ने कहा था कि हिन्दू नाम हम बहुत सुनते आए हैं, महात्मा गांधी ने भी कहा हम हिन्दू हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में हिन्दू या मुसलमान होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सामाजिक जीवन में हिन्दू और मुसलमान की भावना को लाना, यह धर्मनिरपेक्ष भावनाओं के विपरीत है। महात्मा गांधी ने कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई जिसमें उन्होंने हिन्दू नाम का समावेश किया हो। मैं कांग्रेस के दोस्तों से और अन्य मित्रों से कहना चाहता हूं कि पं. जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना की उन्होंने दो अवसरों पर दो बात कही। एक बार वे नेपाल गए तो उनसे कहा गया कि पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जाइए। पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैं मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि हर मानव मेरे लिए एक मंदिर है। दूसरी बात, 1957 के चुनावों में लखनऊ में एक सभा में भाषण देते समय उनसे एक सवाल पूछा गया: गौ रक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं? उस समय पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा अगर वह मानव की बेहतरी के लिए नहीं है तो हमारे लिए गाय और किसी दूसरे जानवर में कोई फर्क नहीं है। नए समाज के निर्माता समाज की धाराओं के विपरीत जाना सीखते हैं और जाने का साहस करते हैं। इस प्रकार के प्रचार का केवल एक ही महत्व है मैं अपने मित्र नीरेन घोष** से सहमत हूं कि प्रतिक्रियावादी नीतियों के दबाव में आकर हम ऐसा संशोधन लाते हैं और कोई जनतंत्र, कोई भी संसदीय प्रणाली, चल नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती जहां कुछ लोग उपद्रव करें, आगज़नी करें, उसके बाद संसद को संशोधनों को वापस लेने या उनमें परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाए। महोदया, मैं आपसे कहूंगा कि अगर जनतंत्रीय प्रणाली को रखना है, अगर लोगों में यह भावना विद्यमान रखनी है कि जनतंत्र के जरिए और संसदीय प्रणाली के जरिए भी देश में सामाजिक शक्तियों को बदला जा सकता है तो उसके लिए आवश्यक है कि जो प्रगतिवादी कदम उठाए जाएं उनसे कभी पीछे

* श्री फरिदुल हक अंसारी, संसद सदस्य

** श्री नीरेन घोष, संसद सदस्य

नहीं हटना चाहिए। हमारे कुछ मित्र कहते हैं हिन्दू-मुस्लिम नामों से, इन बातों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिलसिले में मैं एक बात कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मार्क्स ने जब अपनी किताब ''दास कैपीटल'' लिखी तो उसकी भूमिका में उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, शायद वह जर्मन एडिशन की भूमिका में लिखी थी, कि सिद्धान्तों पर सब लोग समान हो जाते हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि इंग्लैण्ड की चर्च का पोप 38 कार्डिनल मेम्बर्स में से 37 के विरोध में, जो उसके साथ में है, भाषण दे सकता है। वह कहेगा कि ईसा मसीह ने सिखाया है सब लोग एक ही प्रभु की संतान हैं और सिद्धांत में वह कहेगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, रोष नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उससे जमीन का हिस्सा लेने की कोशिश करो, तो ईसा मसीह के सारे सिद्धांत भूल जाता है और वह ''क्रॉस'' लेकर आपके ऊपर हमला करेगा। यह हिन्दू या मुस्लिम का नाम लेने वाले हमारे मित्र सिद्धांतों में प्रेम की भावना जाहिर करते हैं लेकिन जहां पर उनके निहित स्वार्थों का जरा सा खंडन हो वहां विरोध में बात करने लगते हैं।

*** *** ***

मैं* आपको इसकी परिभाषा देता हूं। मैं पं. तारकेश्वर पांडे** से और आपसे सहमत हूं कि हमारा इतिहास गौरवपूर्ण है, इस दृष्टि से वेदों में, पुराणों में, मुझे गौरव की अनुभूति होती है। लेकिन जो वेद और पुराण में लिखी बातों को चिरंतन सत्य मान कर चलता है, जो अतीत के प्रति ही आस्था कायम कर समाज का पतन होने देता है....

*** *** ***

मैं यह कहता हूं कि अतीत पर गौरव होना एक बात है, संस्कृति की मर्यादा को रखना एक बात है, लेकिन अतीत के अनुरूप स्वस्थ भविष्य की कल्पना करना, अतीत के आधार पर भविष्य को संजोना, बुद्धिमानी की बात है। अतीत के पीछे हमेशा दौड़ना, यह प्रतिक्रियावादी है। अतीत का महिमामंडन करना, उसमें कोई बुराई न देखना, यह प्रतिक्रियावादी है। हमारे माननीय पांडेजी ने एक श्लोक कहा। उन्होंने कहा कि यह घोर प्रतिक्रियावादी है। श्लोक अच्छा है, उस जमाने के अनुकूल है। धर्म खास परिस्थितियों में पैदा होते हैं। किसी विशेष परिस्थितियों का धर्म के, समाज के आर्थिक संबंधों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बदलती हुई दुनिया में जिस तरह से आर्थिक संबंध बदलते हैं, जिस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी संबंध बदलते रहते हैं उसी के अनुरूप धर्म की भावना को, धर्म के प्रचार की भावना को, बदलना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो क्या हिन्दू धर्म में यह भी नहीं लिखा है कि सारी दुनिया को आर्य बनाओ....अगर इस प्रकार प्रचार करने में हमारे मित्र वर्मा जी को गर्व है तो मुझे तो उसमें शर्म आती है।.....

*** *** ***

***आप तो धर्म को नहीं समझते हैं क्योंकि आप धर्म का पालन नहीं करते हैं। धर्म वह है जो समाज को धारण करे, समाज को धारण वही कर सकता है जो समाज के विकास के लिए, प्रगतिशील कदम उठाने के लिए, हर समय तत्पर हो क्योंकि जो कोई समाज स्थिर रहना

* श्री निरंजन वर्मा की टिप्पणी, ''आप साम्प्रदायिकता की डिफिनेशन करके बताइए'' का उत्तर देते हुए।

** श्री तारकेश्वर पांडे, संसद सदस्य

*** श्री निरंजन वर्मा की टिप्पणी, ''संभवत: आप हिन्दू धर्म से सुपरिचित नहीं हैं। आर्य वर्ण है, वैदिक धर्म नहीं'' का उत्तर देते हुए।

चाहता है वह समाज बरबादी की ओर जाएगा, वह समाज ढलान की ओर जाएगा, वह समाज नीचे की ओर जाएगा। समाज या तो प्रगति करता है या अधोगति को प्राप्त होता है। समाज स्थिर नहीं रह सकता है क्योंकि समाज गतिशील है। भारतीय समाज को अगर आप गतिशील बनाना चाहते हैं, अगर इसको ठीक करके गंगा को गंगा रखना चाहते हैं तो हमें पुराने श्लोकों को उद्धृत करना छोड़ना होगा। उनको याद रखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए लेकिन उनके श्लोकों के अनुरूप...

*** *** ***

महोदया*, इतने अच्छे शब्द पाण्डेय जी ने कह दिए। दूसरी बात हिन्दू धर्म में यह लिखी है कि जो राजा गौ और ब्राह्मण की रक्षा करता है वही आदर्श राज्य है और उसकी मैं कामना करता हूं। मैं उसकी कामना नहीं करता क्योंकि ब्राह्मणों ने समाज का शोषण किया है, उस शोषण का बदला उन्हें भुगतना पड़ेगा; आप चाहें न चाहें लेकिन समाज को बदलना होगा सामाजिक परिवर्तन का वाहन आपको कुचल देगा। दुनिया में कोई ताकत उस रथ को हमारे सिर के ऊपर से जाने से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि राज्य सभा ने जो एक प्रगतिशील कदम उठाया था उसी का अनुमोदन करें और लोक सभा के माननीय सदस्यों से कहें कि प्रगति के पथ पर अवरोध न बनें, अन्यथा इतिहास का रथ रुकने वाला नहीं है। वह मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करता हुआ गुजर जाएगा।

---

* श्री टी. पाण्डेय की टिप्पणी, ''सब समझेंगे। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए''– न त्वहं कामये राज्यम् न स्वर्गना-पुनर्भवम्। ''केवल मनुष्य मात्र नहीं, सारा प्राणी मात्र दु:ख से छटपटा रहा है, उससे उसको छुटकारा मिले'', यही सनातन धर्म है– ''कामये दु:ख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम्।'' के प्रत्युत्तर में बोलते हुए।

राष्ट्रीय एकता और अखण्डता

कानून और व्यवस्था की स्थिति*

उप सभापति महोदय, मैं अपने प्रबुद्ध और आदरणीय साथी श्री महावीर त्यागी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के शब्दों को देखकर आश्चर्यचकित और हैरान हूं। श्री त्यागी जी न केवल संसद सदस्य हैं बल्कि वे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और मैं कह सकता हूं कि वे बापूजी के निकटतम संपर्क में आने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से एक हैं। जब त्यागी जी कहते हैं कि वर्तमान शासन व्यवस्था में लोगों का विश्वास तेजी से कम हो रहा है और उनके जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा पर खतरा है, तो यह मजाक और काल्पनिक प्रतीत होता है।

मैं सरकार के बारे में चिंतित नहीं हूं, मैं संकल्प के अंतिम वाक्य से चिंतित हूं। यहां आपने उस स्थिति पर जोर देने की कोशिश की है जो इस देश में विकसित हो रही है और जो लोगों में चिंता पैदा कर रही है क्योंकि जीवन और सम्पत्ति असुरक्षित है।

मैं इस विशेष मुहावरे से चिंतित हूं। क्या मैं श्रीमान उप सभापति महोदय, आपके माध्यम से त्यागी जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वे एक समस्या पर चिंतन करें? इस देश में कितने लाख लोगों के पास कोई सम्पत्ति नहीं है? उनकी क्या चिंताएं हैं? बड़ी सुविधाजनक रूप से त्यागी जी और उनकी तरह की सोच वाले लोग भूल जाते हैं कि इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है।

उप सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे पर केवल इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यदि लाखों लोग भुखमरी के शिकार हैं, यदि वे गंदगी, गरीबी, दयनीय स्थिति और दुर्दशा के शिकार हैं तो आप उनसे कैसे कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को लंबे समय तक चलाएं?

किंतु इसके लिए किन्हें दोषी ठहराया जाए? इनकी रक्षा करने के लिए सरकार को ही आगे आना होगा। त्यागी जी यह आप पर है कि आप सामाजिक ढांचे में बदलाव के लिए उपयुक्त माहौल सृजित करें। देश में उत्पन्न हो रही वर्तमान कठिनाई हमारे सामाजिक ढांचे की वर्तमान स्थिति के कारण है जो आम आदमी के शोषण पर आधारित है और इसी आम आदमी को उनके जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की भी गारंटी नहीं दी जाती है। आप उनसे लंबे समय के लिए धैर्य रखने के लिए नहीं कह सकते हैं।

भुखमरी का शिकार एक व्यक्ति कोई संदेश नहीं सुनता बल्कि उसे भूख की आवाज, दुर्दशा, गरीबी एवं अपमान की आवाज सुनाई पड़ती है और यदि वे विद्रोह करते हैं तो इसमें क्या गलत है? मेरे मित्र श्री ए.डी. मणि, जो अक्सर देश या देश के बाहर घटने वाली किन्हीं घटनाओं से चिंतित हो जाते हैं, जो घटनाएं सामाजिक बदलाव लाती हैं, वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक और वियतनाम बनेगा। मैं यह नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल एक और वियतनाम बने। किंतु इसमें क्या गलत है यदि हमारी असफलता, सरकार की असफलता और नेताओं की असफलताओं के कारण बंगाल एक दूसरा

*देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बारे में संकल्प पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 14 अगस्त, 1970, का. 188-194

वियतनाम बन जाए तो इसमें क्या गलत है? सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए कौन उत्तरदायी है? महात्मा गांधी के 'राम राज्य' का सपना कहां है? 'दरिद्र नारायण' का राज्य कहां है?

श्री त्यागी अथवा उनके जैसे मित्र ने कुछ हाथों में आर्थिक सत्ता के संकेन्द्रण की कभी चिंता नहीं की। उन्होंने कभी भी उन हजारों लोगों की चिंता नहीं की जो लोग अपनी भूमि से बेदखल कर दिए गए हैं। माननीय उप सभापति महोदय, एक बार मैंने इस सदन में कहा था कि हर व्यक्ति यह कह रहा है कि संविधान कमजोर पड़ रहा है क्योंकि कतिपय लोग जमीन के टुकड़े हड़प रहे हैं। मुझे पी.एस.पी. में श्री राजनारायण के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब त्यागी जी सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में न केवल एक दो परिवार बल्कि हजारों लाखों परिवार विस्थापित हुए। उन्होंने कभी उन विस्थापितों की चिंता नहीं की। उन्होंने कभी उनकी सम्पत्ति के अधिकार की चिंता नहीं की। उन्होंने कभी सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं की। और उन्हें न केवल विस्थापित किया गया बल्कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उनका अपमान किया गया और दुर्दशा की गई। उन्होंने उनके आंसुओं की कभी भी परवाह नहीं की। यदि ये विद्रोह में खड़े होते हैं तो देश में बहुत शोर-शराबा होता है।

उप सभापति महोदय, इन चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं बहुत धैर्य से उनका भाषण सुन रहा था। श्री गोरे ने इस देश में आज की राजनीति का वर्णन किया है। उन्होंने कल इस सभा में हुई कुछ चीजों के बारे में कहा जिससे किसी का सिर शर्म से झुक जाएगा। हम बार-बार समाजवादी नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। बार-बार हम लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को जगाते हैं। उपसभापति महोदय, हमारा दल, जिससे संबद्ध होने पर हमें गर्व है, लोगों को आशा दिलाता है किंतु जब क्रियान्वयन की बात होती है तो निहित स्वार्थों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तब हम हिचकिचाते, लड़खड़ाते और कमजोर पड़ जाते हैं। यदि लोगों को महसूस होता है कि ये संसदीय संस्थाएं, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं दे रही हैं तो उनके लिए क्या बचता है? क्या उन्हें भूख और गरीबी से मरना चाहिए? क्या उन्हें सब कुछ सहना चाहिए जिससे संसद में हमारी सीटें सुरक्षित रहें? श्री मणि और श्री महावीर त्यागी को वर्तमान सामाजिक संरचना तथा वर्तमान कानून और व्यवस्था की समस्या से पेरशानी हो सकती है। किंतु उस व्यक्ति के लिए कानून व्यवस्था क्या है जिसे दो जून की रोटी नहीं मिली और जिसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं होता? इस देश में यही स्थिति है। उप सभापति महोदय, महात्मा गांधी से यदि किसी व्यक्ति का कोई सरोकार है तो देश की वर्तमान स्थिति को देखकर उसका खून खौल जाएगा और वह चुप नहीं बैठेगा। मैं नाना साहब गोरे की इस बात से सहमत हूं कि संसदीय लोकतंत्र में कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीजों से समझौता करना पड़ता है जिससे कोई भी सम्मानित व्यक्ति समझौता नहीं करना चाहेगा। कल जब मेरे मित्र श्री अर्जुन अरोड़ा ने अपनी बात उठाई तब मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि मेरे दल के कुछ मित्र उनपर झपट पड़े मानो कि वह संसदीय लोकतंत्र के नैतिक सिद्धान्तों पर कुछ कहना चाह रहे थे।

महोदय अब मैं नारायण साहेब गोरे के संज्ञान में लाने के लिए महात्मा गांधी का उद्धरण देना चाहता हूं कि यह केवल कांग्रेस पार्टी का दोष नहीं है, यह स्वयं संसदीय व्यवस्था में ही अंतर्निहित है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज और इंडियन होम रूल' में ब्रिटिश संसद के बारे में कुछ लिखा है और मेरे विचार से दुर्भाग्यवश इस देश में भी ऐसी स्थिति बन रही है। महात्मा गांधी का इंग्लैण्ड में संसदीय संस्थाओं या संसद के बारे में क्या कहना था? उन्होंने कहा:

''जिसे आप संसदों की मां मानते हैं, वह एक बांझ महिला और एक गणिका की तरह है। दोनों कड़े शब्द हैं किंतु मामले पर ठीक बैठते हैं कि संसद ने अपनी सहमति से एक भी अच्छा कार्य नहीं किया है। मैंने इसकी तुलना एक बांझ स्त्री से की है। वास्तविक स्थिति यह है कि वह संसद इस प्रकार है कि बिना बाहरी दबाव के यह कुछ नहीं कर सकती। यह एक गणिका के समान है क्योंकि यह मंत्रियों के नियंत्रण में है जो समय-समय पर बदलते रहते हैं।''

यह भाषण सी.पी.एम. सदस्यों या चारू मजूमदार का नहीं है। उप सभापति महोदय, मैं महात्मा गांधी का उद्धरण दे रहा हूं जिन्होंने 1920 में कुछ कहा था। उन्होंने केवल यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो और अधिक तिरस्कारपूर्ण है।

वह कहते हैं-

''सदस्यगण बिना सोचे अपने दल के लिए मत देते हैं। उनका तथाकथित अनुशासन उन्हें बांधे रखता है। यदि किसी सदस्य ने अपवाद स्वरूप निष्पक्ष मतदान किया तो उसे विश्वासघाती माना जाता है।''

गांधी जी के अनुसार यही स्थिति है। तत्पश्चात् उन्होंने कहा:

''मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं। यह निर्णय आपको करना है।'' वह आगे कहते हैं-

''आपको मेरे विचार को तुरन्त सही नहीं मानना चाहिए यदि आप इस विषय से संबंधित साहित्य को पढ़ेंगे तब आपको कुछ वास्तविकता का पता चलेगा।'' संसद एक वास्तविक गुरु के बिना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसके कार्यकलाप स्थिर नहीं हैं, बल्कि यह किसी गणिका की तरह घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री संसद के कल्याण से अधिक अपनी शक्तियों के बारे में चिंतित हैं। उनकी ऊर्जा अपने दल की सफलता को संरक्षित करने पर केन्द्रित है। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता नहीं रहती कि संसद ठीक से काम करे। प्रधानमंत्री को इस बात के लिए जाना जाता है कि उन्होंने संसद को ऐसा बना दिया है कि सिर्फ उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले काम ही करे। इस सब पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

तत्पश्चात् प्रश्न पूछा गया:

''आप वास्तव में उस व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, जिसे हम अब तक देशभक्त और ईमानदार मान रहे थे?''

उत्तर था:

''हां यह सच है; मैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है, उससे मैं मानता हूं कि उन्हें वास्तव में देशभक्त नहीं माना जा सकता। यदि उन्हें ईमानदार इसलिए माना जाता है, क्योंकि वो उस चीज को नहीं लेते थे, जिसे आमतौर पर घूस के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें ऐसा माना जाए, लेकिन वो सूक्ष्म प्रभावों से भी प्रभावित हो जाते हैं। अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दो लोगों को निश्चित रूप से सम्मान सहित रिश्वत देते। मुझे यह कहने से कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनमें न तो सच्ची ईमानदारी है और न ही विवेक है।''

50 वर्ष पूर्व गांधीजी ने यही बात कही थी। आज देश में स्थिति विकसित हो रही है और गांधी जी के संबंध में इस साहित्य को पुनः पढ़ने के लिए मुझे श्री त्यागी जैसे व्यक्ति की जरूरत है। यदि हमारे कार्यों से, हमारे व्यवहार से युवा पीढ़ी यह महसूस करती है कि संसद और कुछ नहीं, बल्कि एक बांझ महिला और गणिका है; तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्या इस देश की नियति केन्द्रीय कक्ष या संसद के सदन में बैठे 500 लोग तय करेंगे? यह देश किसी प्रधानमंत्री या संसद सदस्यों की संपत्ति नहीं है। यह देश इस देश के 520 मिलियन लोगों से जुड़ा है और अगर हम सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम सेवाएं देने में सक्षम नहीं हैं, अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करना लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, अगर लोग क्रांति करते हैं, अगर लोग उस जमीन पर कब्जा करते हैं, जिसे दोहन के आधार पर, आम आदमी की अवनति के आधार पर शताब्दियों से काबिज रखा गया। इसमें से एक आशा की किरण देखता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि वो हिंसक माध्यमों का सहारा ले रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने पर जोर दे रहे हैं। वो इस संसदीय संस्था को, उन लोगों को, जो शासन चला रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मैं उत्तेजित नहीं हूं। मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि उन प्रवृत्तियों से सीखने के बजाय, कुछ ऐसे मित्र हैं, जो कहते हैं कि हमें शुरू से आखिर तक सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए। बड़े से बड़ा तानाशाह या निरंकुश शासक भी व्यक्ति की आत्मा को ध्वस्त अथवा नियंत्रित अथवा बिखेर नहीं पाया है। कई अत्याचारी लोग आए लेकिन लोगों ने हर एक प्रकार के दमन और उत्पीड़न का डटकर सामना किया। मैं सदस्यों, विशेषकर श्री त्यागी जैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं : आपसे एक नए युग का अग्रदूत बनने की उम्मीद है। आपसे एक नए भारत का अग्रदूत बनने की उम्मीद है। आपको अपने को यथास्थिति और निहित स्वार्थों का वाहक साबित नहीं करना चाहिए। यदि यह संसद नए भारत का अग्रदूत बनना चाहती है, तो हम देखें कि इस संसदीय संस्था में हम लोगों के साथ न्याय करें और यह कहकर कि ये लोग अपने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं आलोचना में न पड़ें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह चिंताजनक है, अप्रिय है और इससे कोई खुश नहीं हो सकता, लेकिन यह शायद सामाजिक ताकतों के जन्मजात अनुशासन का परिणाम है और सामाजिक ताकतें अपने पर जोर दे रही हैं। श्री त्यागी, अगर आप समस्या सुलझाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये ताकतें हमें व्याकुल कर देंगी और वो उन समस्याओं को अपने तरीके से सुलझा लेंगे।

भारत में संकटकालीन स्थिति*

जैसा माननीय श्री भूपेश गुप्ता ने कहा है, अगर संकटकालीन स्थिति है तो सारे देश के लिए है, देश के किसी एक भाग के लिए नहीं हो सकती। मार्च में जब माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पहली जुलाई से यह संकटकालीन स्थिति समाप्त कर दी जाएगी तो उसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण था? वास्तव में सारे विरोधी दलों ने, हम लोगों ने भी यह समझा था कि देश की स्थिति कुछ सामान्य होगी, क्योंकि संकटकालीन स्थिति किसी राष्ट्र में बनी रहे यह किसी के लिए शोभा और प्रसन्नता की बात तो नहीं हो सकती। यह बड़ी वेदना की, कष्ट की बात होती है कि देश के किसी भी एक हिस्से में संकटकालीन स्थिति बनी रहे कि कहीं हमारी फौज के लोगों को, पुलिस के लोगों को अपने ही नागरिकों से या विदेश के दूसरे नागरिकों से लड़ना पड़े क्योंकि भारत की सरकार हमेशा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहती है। कोई मनुष्य, मनुष्य से लड़े यह तो हम नहीं चाहते। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़ जाती है तो कोई सरकार अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सारे देश के ऊपर संकटकालीन स्थिति है लेकिन हमने वायदा किया था कि संकटकालीन स्थिति से जो शक्ति जो अधिकार सरकार को मिले हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं हिस्सों में उपयोग में लाए जाएंगे जहां पर हमको किसी विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। क्या मैं किसी भी विरोधी दल के मित्र से यह जान सकता हूं कि कहीं पर सरकार ने संकटकालीन अधिकारों का दुरुपयोग किया है?... मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सरकार ने मौलिक अधिकार दिए हैं जो असत्य का प्रचार करते हैं और सारी संसदीय परम्पराओं और प्रणाली को मिटाना चाहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा है कि संकटकालीन स्थिति रहे तो सारे देश में रहे। आपने कहा कि किसी खास हिस्से में हो–आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सरकार का जो उत्तरदायित्व है उसका हम निर्वाह न करें तो यह असम्भव है। माननीय चौराड़िया जी ने कहा क्या कर रही है सरकार? कैसे चीन के और पाकिस्तान के जासूस सक्रिय हैं, उनको क्यों नहीं रोक पाते? अभी उनके नेता माननीय सुन्दर सिंह भंडारी ने कहा कि बाह्य संकट आसन्न है सारी सीमाओं पर, मैं बस उनके वाक्य को उद्धृत कर रहा हूं। उनके एक नेता माननीय विमल कुमार चौराड़िया कहते हैं कि संकट देश के ऊपर नहीं है।

मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं चाहे नक्सलबाड़ी हो, चाहे मीजो हिल हो, चाहे नागालैंड में हो, इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। चीन और पाकिस्तान इन क्षेत्रों में बहुत रुचि ले रहे हैं। आज पीकिंग रेडियो ने कहा है, अखबारों में कहा गया है कि नक्सलवाड़ी की घटनाएं देश के लोगों में एक नए जीवन की, नई शक्ति को पैदा कर रही हैं। माननीय भूपेश गुप्ता संसदीय परम्परा का उदाहरण दे रहे हैं। वह हमसे यह पूछते हैं कि हम आखिरकार कहां रहते हैं। लेकिन यह संसदीय प्रणाली है और भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिए हुए हैं और उन्हीं संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत यह संकटकालीन स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक राष्ट्रविरोधी मनोवृत्ति का अंत नहीं हो जाता है।

---

*अल्पकालीन चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 23 जून, 1967, का 5812-16 (मूल हिन्दी में)

राष्ट्रीय एकता और विघटनकारी तत्व*

माननीय उप सभापति महोदय, आज इस देश का चित्र मिला-जुला हुआ चित्र है। एक ओर जहां निराशा के काले बादल हैं, वहां पर भावी भविष्य के लिए सुनहरी किरणें भी दिखाई पड़ती हैं। यह सही है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण उसी दिशा में एक संकेत है। और उसी चित्र का चित्रण करता है।

हमारे कई मित्रों ने, विरोधी पक्ष से और इस ओर से भी कहा है कि आज हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रमण है। यह सही है कि जहां पर हमारे देश की भूमि का एक बड़ा हिस्सा विदेशी कब्जे में है, वहां पर 14 हजार और 16 हजार फुट की ऊंचाई पर मुस्कराते हुए हमारे नौजवान हैं, जो उस अंधेरे में भी एक प्रकाश हमारे दिलों में संचारित करते हैं। यह सही है कि जहां देश में विघटनकारी ताकते हैं, तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उसके साथ ही साथ इस देश में आदि से लेकर आज तक एक ऐसा तार जुड़ा हुआ है, जिससे देश की एकता आज भी बनी हुई है। उसके साथ ही एक चित्र हमको इस सदन में भी देखने को मिलता है। जहां पर हमने प्रजातांत्रिक पद्धति अपनाई है, जहां पर हमने पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी अपनाई है, जहां पर हमने संसदीय जनतंत्र अपनाया है और जहां हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि अपने भावों का स्पष्ट रूप में और स्वतंत्रतापूर्वक वह प्रकटीकरण करे, वहां पर हम यह भी देखते हैं कि इस सदन के अंदर हमारे बहुत से मित्र न केवल अपने विचारों को रखते हैं, बल्कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं और इसका सब से बड़ा उदाहरण मेरे पूर्व वक्ता महोदय हैं। मेरा संकेत द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के नेता श्री अन्नादुरै@ से है। जिस समय श्री अन्नादुरै ने अपना भाषण प्रारम्भ किया था, उस समय माननीय रामचन्द्रन जी ने एक प्रश्न उठाया था और वह एक सही प्रश्न था। उन्होंने यह पूछा था कि क्या आप भारतीय एकता में विश्वास रखते हैं और क्या आप समझते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी एकता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। उसके जवाब में अन्नादुरै साहब ने यह कहा था कि चाइनीज ऐग्रेशन के बाद, चीन के आक्रमण के बाद, उनके दर्शन में परिवर्तन हो गया और वे भारतीय एकता को मानते हैं।

लेकिन महोदय, आपके जरिए मैं माननीय अन्नादुरै जी का ध्यान उनके खुद के भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1963 में आफिशियल लैंगुएजेज बिल पर भाषण देते समय, भाषा विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करते समय, अन्नादुरै जी ने कहा था कि भारत एक देश नहीं है इसको एक देश की संज्ञा देना गलत है। इसी सिद्धांत का कुछ अंश आज उन्होंने फिर कहा। यही नहीं, श्रीमान, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष और मद्रास असेम्बली में विरोधी पार्टी के नेता ने तीन दिन पहले मद्रास में एक अखबार के प्रतिनिधि को अपना वक्तव्य देते हुए क्या कहा। मैं श्री सी.एन. अन्नादुरै जी का भाषण इसलिए उद्धृत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है। अगर वे चाहें तो वह भाषण यहां पर रखा हुआ है। जब मद्रास असेम्बली में विरोधी पक्ष के

* राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए; राज्य सभा वाद-विवाद, 4 मार्च, 1965, का. सं. 2003-14

@ श्री सी.एन. अन्नादुरै, संसद सदस्य

नेता और उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखबार वालों ने यह पूछा : ''क्या आप पार्थक्य तक आंदोलन जारी रखेंगे?''

उन्होंने क्या कहा? उनका उत्तर था, ''नहीं हम अलग नहीं कर सकते। हमारे मौलिक अधिकार चीनी आक्रमण के बाद से कानून द्वारा वापस ले लिए गए हैं। इसी कारण डी.एम.के. को पृथक द्राविड़स्थान के लिए आंदोलन बंद करना पड़ा, किन्तु हम शान्तिपूर्ण आंदोलन करेंगे। यह बयान, यह वक्तव्य है उनकी पार्टी के अध्यक्ष का, और मुझे अफसोस होता है कि न केवल विरोधी पक्ष के लोग बल्कि सरकारी बैंचों में बैठे हुए लोग और हमारे मोहतरम बुजुर्ग माननीय अकबर अली खान साहब जैसे लोग ऐसे भाषणों पर तालियां बजाते हैं।

*** *** ***

मैं यह कह रहा था कि क्या बात कही जाती है आप बुजुर्ग आदमी हैं और राजनीति में आपको ज्यादा अनुभव है। द्रविड़ मुनेत्र कड़घम की जो पार्टी है, उसका पूरा-पूरा आधार जो है, उसकी नीति जो है, उसमें पहली चीज यह है कि भारत एक देश नहीं है, द्राविड़स्थान के लोग अलग हैं और उस नीति से प्रचालित होता है उनका सारा कार्यक्रम।

*** *** ***

यही नहीं, मैं एक बात की ओर, और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय अन्नादुरै साहब ने कहा कि हम हिंसा के विरोधी हैं और सारे देश के साथ और इस सदन के साथ यह कहना चाहेंगे कि हिंसा की प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। लेकिन जिस समय तमिलनाडु में, मद्रास में, आन्दोलन चल रहा था, तब उन्होंने जो बयान दिया विद्यार्थियों को यह कहने के लिए कि शांति से रहो, वह बयान क्या था? उन्होंने यह कहा अपने बयान में कि तमिलनाडु के विद्यार्थियों को इस बात के ऊपर फ़ख़ होना चाहिए और इस बात पर संतोष होना चाहिए कि जो काम पूरा हो चुका था, उसको उन्होंने अपने काम से अधूरा कर दिया। अगर यह हिंसा को भड़काना नहीं है, अगर यह मारपीट को भड़काना नहीं है, अगर यह आगजनी को भड़काना नहीं है, अगर यह लूट को भड़काना नहीं है, तो किस तरह से हिंसा, आगजनी, लूट और मारपीट को भड़काया जाता है? मैं इन बातों को प्रारम्भ में, इसलिए कह देना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में, संसदीय लोकतंत्र में जहां अच्छाइयां हैं, वहां हमें इन काले बादलों को भी देखना चाहिए। बार-बार इस बात का जिक्र किया गया है और श्रीमान लाल बहादुर जी का दिल ऊंचा होना चाहिए और उनको लोगों के दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस पर बाद में आऊंगा और बातें प्रारम्भ में मैंने इसलिए कहीं कि आप देखें कि इस तरह से बातों को कहा जाता है।

हमारे दूसरे मित्र भूपेश गुप्ता जी ने कल इस बात पर बड़ा जोर दिया कि जो वामपंथी कम्युनिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, इससे बड़ा अधर्म इस संसार में कोई नही हो सकता और सबसे बड़ा पाप अगर माननीय नन्दा जी* ने किया है, तो यह किया है। जितने भी विशेषण हो सकते हैं, उन्होंने लगाए, उस आलेख के ऊपर जो इस सदन के सामने रखा गया है और कहा कि क्या सबूत है। मेरे पास और तो कोई सबूत नहीं है-मुझे अफसोस है कि माननीय भूपेश गुप्ता जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं-लेकिन मेरे पास सबूत के लिए उनकी पार्टी का एक अखबार है। यह अखबार है ''न्यू एज''। इस अखबार में, जो उनकी पार्टी की रिपोर्ट बम्बई में छपी हुई है और जिस पार्टी के नेता हैं। श्री भूपेश गुप्ता, उसमें कहा गया है कि यह जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक वर्ग है, वह चीनी आक्रमण के बाद से उस नीति का विरोध करता रहा है, जिस नीति को हम मानते थे कि देश की रक्षा में हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। यही नहीं, इसमें एक जगह पर इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की गई है कि जिस समय चीनियों

* श्री गुलजारी लाल नन्दा, संसद सदस्य

के खिलाफ हमारी नीति को बल देना चाहिए था, हिन्दुस्तान की सरकार चुप बैठी हुई थी और यह चाहती थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी में फूट डालने वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा मिले। यह दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकृत बयान है, जिसके नेता भूपेश गुप्ता जी हैं और वही भूपेश गुप्ता जी कहते हैं कि क्या सबूत है माननीय गुलजारी लाल नन्दा के पास। मैं नहीं जानता उनके पास कोई सबूत है या नहीं। क्या यह सबूत—''न्यू एज'' अखबार-जिसमें उनकी पार्टी की रिपोर्ट छपी है, क्या यह सबूत काफी नहीं है? और अगर यह सबूत काफी नहीं है तो दूसरा सबूत मैं बताना चाहूंगा। अभी तीन या चार दिन पहले, मैं निश्चित तिथि तो नहीं बतला सकता-वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ई.एम. एस. नम्बूदरीपाद ने केरल की एक इलेक्शन मीटिंग में कहा कि यह सही है कि हमारी पार्टी के लोगों ने माओ त्से तुंग की फोटो लगाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे अंदर एक वर्ग ऐसा है जो हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कर रहा है और चीन का साथ दे रहा है। यह नम्बूदरीपाद का कथन है, जो लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, और कहते हैं कि वह वर्ग छोटा है, उसके लिए सारी पार्टी को बदनाम और परेशान नहीं करना चाहिए। मैं अपने माननीय मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी सरकार, कोई भी हुकूमत, जिसके राज्य में एक तरफ यह कहा जाए कि देश एक नहीं है, देश का टुकड़ा कर दिया जाए, जिसमें यह कहा जाए कि विधान की कॉपियां जला दो और दूसरी तरफ यह कहा जाए कि इस देश में जो आक्रमणकारी होकर आया है वह सही मायनों में समाजवाद का अलमबरदार है, क्या हुकूमत में यह बर्दाश्त किया जा सकता है। मुझे अफसोस है, मुझे खेद है कि इस हुकूमत में बातों को छिपाया जा रहा है। भूपेश गुप्ता जी बहुत प्रसन्न होते थे जिस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माननीय डाह्याभाई पटेल से यह सवाल पूछा था कि बैंक ऑफ इंडिया में किन लोगों का अकाउन्ट है और कम्युनिस्ट पार्टी को बैंक ऑफ चाइना से क्या मिलता है। उस समय हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को छिपाया था। अगर उन बातों को छिपाया नहीं गया होता और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मुल्क में बढ़ावा नहीं दिया गया होता तो यह अवसर नहीं मिलता कि माननीय भूपेश गुप्ता भी उठ कर खड़े होते और कहते कि माननीय नंदा जी ने गलत बात की है।

एक और उदाहरण देता हूं। 1963 में जब राजभाषा विधेयक आया, माननीय भूपेश गुप्ता जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि माननीय अन्नादुरै जी और माननीय राजगोपालाचारी जैसे लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट हैं और उन्होंने यह कहा था कि माननीय भूपेश गुप्ता की स्पीच मेरे सामने है कि मैं इस बात के लिए शर्मिन्दा हूं कि मैं हिन्दी सीख नहीं पाया। मगर आज श्री अन्नादुरै से भूपेश गुप्ता एक बात पर सहमत हैं कि माननीय गुलजारी लाल नंदा को किस तरह बदनाम करें, उनको किस तरह दुनिया की नजरों में जलील करें। मैं आपसे कहूं कि ऐसी स्थिति में इस देश के सामने, समाज के सामने और हम सबके सामने एक सोचने की बात हो जाती है कि हमको क्या करना होगा और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भूपेश गुप्ता जी को, इसके पहले कि नंदा * जी से अपील करते, चाहिए था कि डांगे ** साहब से अपील करते कि यहां की वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जो उन्होंने बयान दिए हैं और जिनको कि अखबारों ने छापा है, उन बयानों को देना बंद कर दें।

श्रीमान, भाषा के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा कहना है। आपकी आज्ञा से मैं थोड़ा वक्त और लूंगा। माननीय मुकुट बिहारी लाल साहब ने जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं और जो मेरे गुरु भी रह चुके हैं — मुझे अफसोस है कि वे इस समय यहां नहीं हैं — उन्होंने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना से भी अधिक प्रतिक्रियावादी योजना है। उनकी स्पीच से मुझे हंसी आई कि राजनीति शास्त्र के विद्वान होकर उन्होंने यह कहा कि समाजवाद शब्द का नाम चौथी पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में एक बार आया या दो बार आया, लेकिन हैरत होती है — कोई भी दस्तावेज जो आर्थिक बातों का जिक्र करेगा क्या उसमें हर वाक्य में, सोशलिज्म की बात कही जाएगी? उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र

* श्री गुलजारी लाल नन्दा, संसद सदस्य

** श्री श्रीपाद अमृत डांगे, संसद सदस्य

में कोई प्रगति नहीं हुई। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं भाषा के सवाल पर ही कहना चाहूंगा। मेमोरेंडम में सब बातें तो नहीं रखी जातीं, वह तो एक संकेत है कि किस दिशा में हमारा समाज अगले पांच वर्षों में जाएगा। लेकिन प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल साहब ने, अगर योजना आयोग ने शिक्षा के ऊपर जो मसौदा तैयार किया है — और उनको लेकर मैं सदन में आया हूं, उनको देखा होता तो उन्हें मालूम हो गया होता कि योजना आयोग किस तरह से इस देश में आगे बढ़ रहा है।

महोदय, मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि मेरे पास महात्मा गांधी का लेख है। एक बार महात्मा गांधी ने एनी वेसेन्ट से कहा था कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि और बातों में मैं आपसे मतभेद नहीं रखता हूं लेकिन भाषा के सवाल पर मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने इस बारे में जो लेख 'यंग इंडिया' में लिखा, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है।

दूसरे एक महान व्यक्ति कविवर रवीन्द्र नाथ टैगोर ने यह सवाल उठाया कि अंग्रेजी के सवाल पर कुछ आपको तरजीह देनी चाहिए। इसका महात्मा गांधी ने जो जवाब दिया रवीन्द्र नाथ टैगोर को, मैं आपकी आज्ञा से उसके दो चार सेन्टैन्स आपकी सेवा में रख देना चाहता हूं:

> ''कई मामलों में समाज को ऐसा नासूर खा गया है कि शिक्षा का एकमात्र अर्थ अंग्रेजी का ज्ञान होता है। यह सभी मेरे लिए दासता और अपमान के संकेत हैं।''

यह महात्मा गांधी का बयान सन् 1921 का है। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक दो बार नहीं, अनेक बार कहा। सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वह यह कही कि अगर मेरे हाथ में शक्ति हो जाए तो मैं एक मिनट के लिए भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मुझे आश्चर्य होता है कि महात्मा गांधी के नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हम से धैर्य की बात की जाती है। महात्मा गांधी का एक वाक्य मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा।

> ''यदि मेरे पास तानाशाह की शक्तियां होती, तो मैं अपने बाल-बालिकाओं की विदेशी माध्यम से पढ़ाई को आज ही रोक देता और तत्काल परिवर्तन लाने के लिए सभी अध्यापकों और प्रोफेसरों को बर्खास्तगी का दर्द देना अपेक्षित होता। मैं पाठ्य पुस्तकें तैयार होने का इंतजार नहीं करता। उनमें बाद में परिवर्तन होगा। यह एक बुराई है, जिसका तत्काल उपचार करना आवश्यक है।''

तो महात्मा गांधी के इन विचारों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इससे भी अधिक धैर्य की पॉलिसी को...

*** *** ***

*मैं जानता हूं, पुराना इतिहास मुझे मालूम है। अंत में, मैं आपसे यह कहूं कि यह एलियन रूल का, विदेशी रूल का सवाल नहीं है, सिद्धांत का सवाल है। माननीय लोकनाथ मिश्र जी की जानकारी के लिए मैं, जो उनकी दृष्टि में एक बड़े भारी विचारक हैं, उनके विचार रखना चाहता हूं।

> ''क्या केन्द्रीय सभा के विचार-विमर्श और राज्य तथा केन्द्र सरकार में अन्य कार्यकारी प्राधिकरणों के उच्च अधिकारियों को अंग्रेजी में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? यदि हम वास्तव में सच्चे और सही स्वरूप में लोकतंत्र चाहते हैं, यदि हम लोगों तथा निर्वाचक वर्ग के अलावा शिक्षित व्यक्तियों को सत्ता और प्रभाव के पदों और उनके कार्य करने के लिए नियुक्त

* श्री भूपेश गुप्ता की टिप्पणी ''क्या मैं हस्तक्षेप करूं? जब महात्मा गांधी ने यह बात कही थी, तब राष्ट्र स्वतंत्र नहीं था। सरकार एलियन शक्ति के हाथों में थी। वह कह रहे थे कि विद्यालय और महाविद्यालयों में क्या किया जाना चाहिए। वे दिन ऐसे थे, जब हम राष्ट्रीय संस्थान, विद्यालय आरंभ कर रहे थे। आपने रविन्द्र नाथ जी को उद्धृत किया है। उन्होंने भी यह उसी संदर्भ में कहा था।'' के उत्तर में।

नहीं करना चाहते, तो स्वाभाविक रूप से यह अनुमति नहीं दी जा सकती। लोकप्रिय नियंत्रण को वास्तविक बनाने के लिए राज्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती हो.....

अनिवार्य रूप से हिन्दी केन्द्र सरकार और विधायिकाओं की और प्रान्तीय सरकारों की एक-दूसरे से और भारत सरकार के साथ व्यवहार की भी भाषा होनी चाहिए।''

यह आप सोच सकते हैं कि उद्धरण जो मैं दे रहा हूं वह माननीय राजगोपालाचारी ने 1928 में लिखा। आप क्या यह समझते हैं.....

*** *** ***

अन्त में मैं यह श्री भूपेश गुप्ता को जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि न केवल गुलामी के दिनों में बल्कि आजादी के दिनों में श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर ने, श्री फ्रैंक एंथानी ने, श्रीमान चेट्टियार ने, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अंग्रेजों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और 15 वर्ष की अवधि केवल इसलिए दे रहे हैं कि इस बीच लोग पढ़ लिख कर तैयार हो जाएं। मुझे आश्चर्य है कि इन सारी बातों के बावजूद भी आज इस सवाल को उठाया जाता है और कहा जाता है कि शासन इस चीज को धैर्य से निपटाए।

अन्त में मैं एक बहुत बड़े डेमोक्रेट, प्रजातांत्रिक, स्टेट्समैन की बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा *। अपने लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था:

''अब उन्हें विश्व को यह दिखाना है कि जो निष्पक्ष चुनाव करवा सकते हैं, वे विद्रोह का भी दमन कर सकते हैं; वे मतदान-पत्र गोलियों के यथोचित और शान्तिप्रिय उत्तराधिकारी हैं; और कि जब मतदान-पत्रों पर निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से निर्णय लिया गया तो पुन: गोलियों के लिए कोई सफल गुहार नहीं हो सकती; कि यहां आगामी चुनावों में मतदान-पत्रों के लिए ही गुहार को छोड़कर, कोई गुहार नहीं हो सकती। यह शान्ति का महान पाठ होगा, लोगों को यह सीख देने का कि वे चुनाव से जो प्राप्त कर सकते हैं, युद्ध से वह कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, युद्ध को आरम्भ करने वाले उन सभी मूर्खों को यह सीख देने का।''

तो उन तमाम लोगों से, चाहे वे चीन की तरफ नजर रख रहे हों, चाहे वे नए पाकिस्तान बनाने की ओर नजर लगाए हुए हों, उनसे मैं बड़े अदब से कहूंगा कि यह संसार के सब से समझे-बूझे सुलझे दिमाग के आदमी अब्राहम लिंकन ने उस समय मजबूर होकर कहा था, जबकि अमेरिका के कुछ लोगों ने अमेरिकन राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की।

मैं आपके जरिए अंत में इस हुकूमत से अपील करूंगा कि यह सवाल जोश का नहीं, यह सवाल कोई गुस्से का नहीं, यह सवाल देश की राष्ट्रीयता को बचाने का है, देश की एकता को बचाने का है और मैं समझता हूं कि हुकूमत को इन पहलुओं के ऊपर कभी झुकना नहीं चाहिए। मैं यह भी समझता हूं कि लोगों की दिक्कतों को समझना चाहिए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि कुछ श्री अन्नादुरै जैसे और श्री राजाजी जैसे लोगों को इस देश को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया जाए और इस देश को तोड़ने के लिए सारी बातें करने दी जाएं। अन्त में मैं बहुत आग्रह के साथ....

माननीय श्री अन्नादुरै साहब से कहूंगा कि वह नेशनल हेराल्ड के सम्पादक श्री चलपति राव की सलाह को मान लें, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री अन्नादुरै साहब जैसे लोग और श्री राजाजी जैसे लोग तूफान पैदा कर सकते हैं, बर्बादी पैदा कर सकते हैं लेकिन उसे पैदा करने के बाद उसे शान्त नहीं कर सकते।

धन्यवाद।

---

* श्रीमान अब्राहम लिंकन का 4 जुलाई, 1861 को कांग्रेस को संदेश।

आर्थिक और वित्तीय मामले

वित्तीय संस्थाओं की भूमिका*

माननीय उप सभापति महोदय, मैं श्री अर्जुन अरोड़ा को आज यह विषय चर्चा हेतु लाने के लिए बधाई देता हूं। इससे पहले कि मैं इस विषय के विस्तार में जाऊं, मेरे विचार से सैद्धान्तिक विचार के बारे में पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई टिप्पणियों का उत्तर देना आवश्यक है। यह सत्य है कि लड़ाई अथवा टकराव या संघर्ष सैद्धान्तिक है। इस तथ्य को नकारना गलत होगा कि अर्थव्यवस्था में जो कुछ हो रहा है वह सैद्धान्तिक नहीं है और यह ऐसा संघर्ष है जो सिद्धान्तों से परे है। वह इस बात की वकालत करते रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम और इन सभी वित्तीय संस्थाओं को प्रथम मानदण्ड का ध्यान रखना चाहिए और मेरे विचार से उनका प्रथम मानदण्ड यह है कि जमाराशि सुरक्षित रहे और जिन व्यक्तियों को यह दिया जाए वे विश्वासपात्र अथवा भरोसेमंद हों अथवा वह जो भी विशेषण देना चाहें। माननीय उप सभापति महोदय, मैं नहीं जानता कि भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा वित्त मंत्रालय अथवा भारत सरकार ने कभी यह संवीक्षा की है कि पिछले दस वर्षों के दौरान इन व्यक्तियों ने कितने सम्पत्ति कर (वेल्थ टैक्स) का भुगतान किया है, इन वित्तीय संस्थाओं से सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने वाले इन समूहों ने कितने आयकर का भुगतान किया है। उन्होंने कितनी सम्पत्ति सृजित की है और उस पर सरकार को कितने कर का भुगतान किया है, इसकी जानकारी देश को नहीं है और इसे किसी ने भी सार्वजनिक नहीं किया है।

माननीय उप सभापति महोदय, बहरहाल क्या मुझे एक बिन्दु उठाने की अनुमति है, जिस बिन्दु पर इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले सदस्य ने भी जोर दिया और वह यह है कि हम इस संसद में केवल कुछ जमाकर्ताओं, कुछ निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं अपितु एक सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का कार्य कर रहे हैं। हमें यह बात भी स्पष्ट करनी चाहिए कि इस संसद और संसदीय लोकतंत्र का समस्त ढांचा यह देखने तथा लाखों लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए है, जिनके पास इस सम्माननीय सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज उठाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

माननीय उप सभापति महोदय, मेरे विचार से यहां महात्मा गांधी की बात का उद्धरण देना विषय से इतर नहीं होगा। जब वह वर्ष 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। कुछ लोग और कुछ महान गांधीवादी यहां तक कि हमारी ओर के भी कुछ गांधीवादी हमेशा हमें यह पाठ पढ़ाते हैं ''आंदोलन, संघर्ष और टकराव न करें, सब कुछ शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से किया जाना चाहिए बिना किसी संघर्ष और टकराव के।'' लेकिन उप सभापति महोदय, मैं सभी गांधीवादियों तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की वकालत करने वाले सभी लोगों को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ''वहां हितों का टकराव है और यदि वहां हितों का टकराव हो, तो मुझे भारत के लाखों लोगों का पक्ष लेने में कोई झिझक नहीं होगी।'' प्रश्न यह है कि क्या यह विशेष निवेश नीति भारत के संविधान, जो संविधान इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के

* भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सरकार की अन्य संस्थाओं की निवेश नीति में संशोधन विषयक वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 31 अगस्त, 1968, का. 5493-5504

सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं का साकार रूप है, में स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है।

माननीय उप सभापति महोदय, इस आरंभिक टिप्पणी के साथ मैं आपको और इस माननीय सभा को पुनः स्मरण कराना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले जब हम बैंकिंग संस्थाओं के सामाजिक नियंत्रण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कुछ आंकड़े दिए थे। अब हम इन वित्तीय संस्थाओं पर भी उसी आलोक में चर्चा करते हैं। इन वित्तीय संस्थाओं का विकास किस प्रकार हुआ और एकाधिकार की प्रवृत्ति के सापेक्ष इन वित्तीय संस्थाओं का विकास किस प्रकार हुआ? माननीय उप सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 31 मार्च, 1957 को कम्पनियों की संख्या 8771 थी, जिसमें प्रदत्त पूंजी 695.7 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 1967 को कम्पनियों की संख्या घटकर 6309 हो गई, लेकिन प्रदत्त पूंजी बढ़कर 1401.80 करोड़ रुपये हो गई। ये आंकड़े इंगित करते हैं कि कम्पनियों की संख्या घट गई जबकि प्रदत्त पूंजी दोगुनी हो गई। उप सभापति महोदय, यदि कम्पनियों की संख्या घटकर 8771 से 6309 हो गई और प्रदत्त पूंजी 700 करोड़ रुपये से बढ़कर 1400 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, क्या इससे यह इंगित नहीं होता है कि आर्थिक सत्ता कुछ लोगों तक ही सिमटकर रह गई है। यदि इसका कोई अन्य निष्कर्ष है, तो मैं अपने मित्रों को आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और आंकड़ों तथा इसका निष्कर्ष बताएं।

माननीय उप सभापति महोदय, मैं एक अन्य बिंदु पर जोर देने का प्रयास करूंगा। इस उदारवादी दृष्टिकोण का परिणाम क्या रहा है? क्या यह विचार मात्र है? मेरे पास वर्किंग ग्रुप ऑफ द कम्पनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है और उन्होंने इसमें क्या टिप्पणियां की हैं। इसमें न केवल कम्युनिस्ट अथवा समाजवादी अथवा अन्य विचारधाराओं को मानने वाले लोगों अपितु श्री एम.वी. वेंकटराम तथा श्री एच.पी. नंदा जैसे व्यवसायियों (बिजनेसमैन) ने भी इस रिपोर्ट में हस्ताक्षर किए हैं और वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे? उन्होंने क्या कहा? मैं इसे यहां उद्धृत करता हूं:

> ''पिछले कुछ वर्षों के दौरान पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेट सेक्टर के उल्लेखनीय विकास में जीवन बीमा निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एवं इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आई.डी.बी.आई., यू.टी.आई. इत्यादि जैसी वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।''

ये वित्तीय निगम (कॉरपोरेशन) इन कतिपय कम्पनियों, जिनके नाम और जिनकी साख को मैं बाद में उद्धृत करूंगा, के विकास के लिए जिम्मेदार हैं, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

माननीय उप सभापति महोदय, इसकी एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इन वित्तीय संस्थाओं का गठन सरकार द्वारा इस देश के औद्योगिक विकास के लिए किया गया था। लेकिन इन वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिया गया कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता न करें। इन वित्तीय संस्थाओं का गठन मात्र उन लोगों की मदद करने के लिए किया गया था, जिनका हमारे देश के आर्थिक जगत पर पूर्ण प्रभुत्व था। माननीय महोदय, यदि मैं अभी मात्र आंकड़े ही प्रस्तुत कर दूं तो वे स्वतः इंगित करेंगे कि इन वित्तीय संस्थाओं की क्या भूमिका रही है। यदि मैं इस बात के विस्तार में जाए बिना इस बात को यहीं छोड़ रहा हूं, तो वह इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इन वित्तीय संस्थाओं से यहां तक कि रक्षा प्रयोजनों हेतु भी कोई सहायता अथवा

ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। बार-बार हमने देखा है कि अनिवार्य औद्योगिक उपक्रम केवल निधियों के अभाव के कारण शुरू नहीं किए जा सके। दूसरी ओर, च्यूइंगम और जैसाकि मेरे मित्र श्री मोहन धारिया ने इस सभा को बार-बार स्मरण कराया है कि लिपस्टिक और कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए औद्योगिक इकाइयों को ये वित्तीय संस्थाएं उदारतापूर्वक ऋण दे रही हैं।

*** *** ***

यह भी सत्य नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एल.आई.सी. और आई.सी.आई.सी.आई. तथा अन्य संस्थाओं ने कितनी राशि का ऋण दिया है, यह दर्शाने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(राशि लाख रु. में)

	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
एल.आई.सी.	119.4	167.5	360.0	390.0	319.5	432.3
आई.सी.आई.सी.आई.	32.5	157.5	281.0	218.0	211.1	237.0
आई.एफ.सी.	50.4	238.0	300.0	285.0	164.5	75.5
आई.डी.बी.आई.	–	–	106.0	577.0	408.7	61.5
यू.टी.आई.	–	–	29.8	45.0	85.7	185.0
राज्य सरकार	–	48.4	57.0	26.0	–	10.0
राज्य वित्तीय निगम	22.5	220.5	396.0	412.0	191.8	140.3
अन्य संस्थाएं	581.0	952.9	864.5	689.0	439.8	925.9

ये इक्विटी शेयर में निवेश हैं। 1962-63 में 805.8 लाख रुपये से बढ़कर अब 1967-68 में यह 2067.5 लाख रुपये हो गया है। अब अगर आप डिबेंचर की बात करें तो यह आंकड़े भी अलग ही कहानी सुनाते हैं। विभिन्न वर्षों के लिए जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के शेयर इस प्रकार हैं:-

	लाख रुपये में
1962-63	850.00
1963-64	313.00
1964-65	625.00
1965-66	175.00
1966-67	343.00
1967-68	415.00

अब मैं अन्य संस्थाओं के बारे में आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। मैं यहां यह पूछना चाहता हूं कि इन वित्तीय संस्थाओं से लाभान्वित पक्ष कौन-कौन से हैं? एल.आई.सी. को भारत सरकार और वित्त

मंत्रालय से निर्देश मिला है कि हमेशा कम्पनियों के निर्धारित कन्ट्रोलर के पक्ष में वोट करें। एल.आई.सी. यह पैसा देती है। पैसा जमाकर्ताओं का है परन्तु इनका कोई प्रतिनिधि निदेशक मंडल में नहीं है। मेरे मित्र, श्री मोहता, जमाकर्ताओं के हित के बारे में चिंतित थे परन्तु मेरे मित्र श्री अर्जुन अरोड़ा ने कहा कि एल.आई.सी. में उनके प्रतिनिधि होने चाहिएं। इस पर श्री मोहता का कहना है कि यदि निदेशक मंडल में समरूपता नहीं है तो कम्पनी काम नहीं कर पाएगी। यह कैसी समरूपता युक्त टीम है? कतिपय ऐसे व्यक्तियों की टीम जो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं। उप सभापति महोदय, विस्तार में जाए बिना मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि आप 50 लाख रुपये शेयर कैपिटल वाली 414 कम्पनियों की निवेश संरचना पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि उनकी निवेश राशि की 23 से 24 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश की जाती है। यह तब जब केवल निवेश पर ध्यान दिया जाए। यदि ऋण, अवलेखन तथा अन्य लेन-देन को हिसाब में लें तो यह आंकड़ा और भी ऊपर पहुंचेगा।

उपसभापति महोदय, पुनः आपकी अनुमति से, मैं प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यबल का प्रतिवेदन उद्धृत करना चाहूंगा।

''चूंकि इन संस्थाओं की अवलेखित पूंजी के एक बड़े भाग से इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा योगदान किया गया है। अतः ये वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में महत्वपूर्ण अंशधारक बन गई हैं तथा प्रतिबद्ध अंशधारकों के लिए रीढ़ की हड्डी बन गई हैं।

हमारी गलत नीति की यह त्रासदी रही है कि हम उद्योगपतियों के एक वर्ग विशेष को सारी सुविधाएं देते हैं परन्तु इन कम्पनियों के प्रबंधन में हमारी कोई भूमिका नहीं है। मुझे खेद है, मेरे मित्र श्री पहाड़िया, उपमंत्री (वित्त) यहां मौजूद हैं। शायद वह एल.आई.सी. के निवेशों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हों।

*** *** ***

परन्तु वित्त मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री यहां हैं, हाल ही में स्टेट बैंक के आंकड़ों के बारे में कुछ कहा था, अब मैं वो आंकड़े दूंगा जिनका वित्त मंत्रालय खंडन कर रहा है। इससे पता चलता है कि इन लोगों को एल.आई.सी. से क्या फायदे मिले हैं। ये आंकड़े हैं :-

	लाख रुपये में
केसोराम कॉटन मिल्स (बिड़ला की कम्पनी)	
एल.आई.सी.	75
एल.आई.सी. डिबेन्चर	115
यू.टी.आई. शेयर	25
आई.सी.आई.सी.आई. ऋण	85
मोदी स्पिनिंग वीविंग (मोदी की कम्पनी)	
एल.आई.सी. शेयर	55
यू.टी.आई.	10
आई.एफ.सी.	240

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (एक अन्य बड़ा व्यापारिक घराना)	
एल.आई.सी.	70
यू.टी.आई.	20
आई.सी.आई.सी.आई. शेयर	23
आई.सी.आई.सी.आई. ऋण	100
भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ (बिड़ला की कम्पनी)	
एल.आई.सी. शेयर	40
यू.टी.आई. शेयर	4
आई.डी.बी.आई. लोन	100
ग्वालियर रेयान एंड सिल्क (पुनः बिड़ला की कम्पनी)	
एल.आई.सी. शेयर	120
यू.टी.आई.	10
आई.सी.आई.सी.आई.	40
बंगलौर वूलन एंड कॉटन	
पेड-अप कैपिटल	250
एल.आई.सी.	50
इंडियन आयरन एंड स्टील (श्री अर्जुन अरोड़ा द्वारा उल्लिखित)	
पेड-अप कैपिटल	2758
एल.आई.सी. शेयर	700
यू.टी.आई.	45
आई.डी.बी.आई.	500

यह केवल एक संकेत मात्र है कि कुछ बड़े औद्योगिक घराने किस प्रकार सरकारी वित्तीय संस्थाओं से लाभ अर्जित कर रहे हैं। फिर देखिए ये आंकड़े:

हिन्दुस्तान मोटर्स (बिड़ला कम्पनी)	(लाख रुपये में)
एल.आई.सी.	130
यू.टी.आई.	30

जय इंजीनियरिंग (यह भरत राम चरत राम कम्पनी है) जिसका मैंने हाल ही में उल्लेख किया था

एल.आई.सी.	73
यू.टी.आई.	13
आई.सी.आई.सी.आई. लोन	55
आई.एफ.सी.	75

*** *** ***

बिड़ला की दो और कम्पनियां हैं

ओरिएंट पेपर मिल्स	(लाख रुपये में)
एल.आई.सी.	110
यू.टी.आई.	2
आई.एफ.सी. लोन	50
सेंचुरी स्पिनिंग	
एल.आई.सी.	50
यू.टी.आई.	5
आई.एफ.सी.	200

माननीय उपसभापति महोदय, यह कैसे हुआ? यदि आप स्टेट बैंक की ऋण सूची देखें तो उस सूची में भी इन्हीं सज्जनों के नाम हैं। यदि आप वित्तीय संस्थानों को देखें, तो उसमें भी बिरला, साहु जैन, महिन्द्रा और मफतलाल जैसे नाम हैं इन सभी लोगों को सभी जगह से सहायता प्राप्त हो रही है, यह सरकार इन लोगों को 'कुली फंड' से ऋण देने में पक्षपात कर रही है। मैं यहां कुछ आंकड़े देना चाहता हूं.....।

अब बिरला समूह की हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी को 'कुली फंड' से 200 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ, इसी प्रकार रेनुसागर पावर (बिरला समूह) को 450 लाख रुपये, मैसूर सीमेंट (बिरला) को 138.0 लाख रुपये, यॉर्क इंडिया लिमिटेड (बिरला) को 15 लाख रुपये, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड को 69 लाख रुपये, ईस्ट इंडिया होटल को 76.2 लाख रुपये, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स (कैलाचंद) को 650 लाख रुपये तथा गुडइयर टायर को 225 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ।

'कुली' ऋण से संबंधित दस ऋण आवेदन अमरीकी सरकार के समक्ष लंबित हैं और दो कम्पनियां नामत: हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम और टेलर इंस्ट्रुमेंट्स, जिनको 60 प्रतिशत से अधिक का ऋण दिया गया है, उन कम्पनियों के नाम भी कुली ऋण पाने के लिए अमरीका सरकार के समक्ष लंबित सूची में हैं। ये कम्पनियां बिरला समूह की हैं।

अंत में, सर्वाधिक चौंकाने वाला और दुखदायी तथ्य यह है कि ऐसा नहीं है कि केवल ऋण दिया और इन कम्पनियों का पक्ष लिया जा रहा है लेकिन ये वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग संस्थानों को बहुत

अधिक अंशदान कर रही हैं। एक बार फिर, आपकी अनुमति से क्योंकि मैं जल्दी में हूं और मेरे पास समय नहीं है.....।

मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा के करीब 40 प्रतिशत शेयर जीवन बीमा निगम, यू.टी.आई., सरकार और अन्य संस्थाओं के पास हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के करीब 25 प्रतिशत शेयर सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के पास हैं। पंजाब नेशनल बैंक के मामले में उनके करीब 20 प्रतिशत शेयर सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास हैं। फिर, बैंक ऑफ इंडिया के 30 प्रतिशत शेयर सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास हैं। सेन्ट्रल बैंक और देना बैंक के संबंध में यह प्रतिशत क्रमशः 25 और 20.5 है।

मैं इस टिप्पणी से अपनी बात समाप्त करूंगा। समय सीमित है और मैं आपकी इस समस्या को समझ सकता हूं, किन्तु आपको देश की समस्या को समझना चाहिए, राष्ट्र की समस्याओं को, कुटीर उद्योग के लोगों और छोटे किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए.....।

ये जमा राशियां जो गरीब लोगों की हैं उन्हें शक्तिशाली उद्योगपतियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस बारे में जब हम कुछ तथ्य जानना चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय बार-बार ये बयान देता है कि इस सूचना को जनहित में जारी नहीं किया जा सकता, क्या यह जनहित में है कि बिरला, डालमिया और सिंघानिया को सरकार संरक्षण प्रदान करे, वह सरकार जो महात्मा गांधी की धरोहर रखने का दावा करती है? क्या यह श्री मोरारजी देसाई का तर्क है कि वे शक्तिशाली उद्योगपतियों का संरक्षण कर और इन आंकड़ों को छिपाकर देश की सेवा कर रहे हैं?

उन्हें इस बात का खंडन करने दीजिए कि ये आंकड़े गलत हैं। अंत में, मैं यह कहूंगा कि यह आप को और इस सदन को देखना है कि इन आंकड़ों को सही माने या न माने और यदि यह आंकड़े सरकार द्वारा छिपाए जाते हैं तो शीर्ष स्तर पर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका राष्ट्रहित में पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन लाखों लोगों के लिए करना चाहिए जिनके लिए बापू ने संघर्ष किया और देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की।

तीसरी पंचवर्षीय योजना : एक मूल्यांकन*

उपसभापति महोदया, किसी भी पिछड़े देश में और खासतौर से भारत जैसे पिछड़े देश में जहां जनता को राजनैतिक अधिकार मिले हुए हैं, आर्थिक विकास के लिए किसी योजना को चलाना बड़ा कठिन काम होता है। आजादी आने के बाद स्वाभाविक रूप से देश में रहने वाले लोगों की आकांक्षायें उभरती हैं और वे ऐसा समझते हैं कि उनकी सुख और समृद्धि के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो भूमिका लिखी गई, उसके प्रारंभ में ही यह कहा गया कि इस योजना का केवल एक मन्तव्य है कि इस देश के लोग क्रमिक रूप से, धीरे-धीरे समृद्धि की ओर, विकास की ओर अग्रसर हो सकें। लेकिन इतने बड़े देश में जहां पर सैकड़ों वर्षों तक गुलामी के दिनों में देश के विकास के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, कुछ न किया गया हो, जब अचानक यह जिम्मेदारी आ पड़े और साथ ही देश के सारे जन समूह को नागरिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, मिले हुए हों, तो हमारा हर एक काम बड़े संतुलित ढंग से होना चाहिए। अगर हमारा एक भी कदम गलत होता है तो उसका परिणाम भयावह होता है। आपके जरिए, मैं हुकूमत से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं महसूस करता हूं, मानता हूं कि आर्थिक विकास में अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं और उन कठिनाइयों का ख्याल सरकारी पार्टी को होना चाहिए, और विरोधी दलों को भी होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यदि सरकार की तरफ से कोई भूलें होती हैं, कोई गलतियां होती हैं, तो उनको सुधारने का काम भी सरकार की ओर से होना चाहिए।

आजकल दो तरह के तत्व हमारे देश में काम कर रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक नियोजन के बीच में जो कठिनाइयां हैं उनका फायदा उठाकर सारी योजना को ही निर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इस बात के ऊपर बार-बार जोर दे रहे हैं कि नियोजित अर्थ प्रणाली व्यर्थ सिद्ध हो चुकी है, इसलिए आज के समाज में इसका कोई स्थान नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत में जो लोग हैं वह आज अपनी भूलों को मान कर उन्हें सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे मंशा अलग-अलग हो, लेकिन नतीजा एक ही निकलता है। माननीय बलीराम भगत जी ईमानदारी से चाहते होंगे कि इस देश का आर्थिक विकास हो, लेकिन उनकी हुकूमत के जरिए जो काम होता है उसका यह नतीजा निकलता है कि योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास टूटता जा रहा है। हमारे माननीय मित्र श्री लोकनाथ मिश्र जी के विचार दूसरे हो सकते हैं लेकिन उनके कहने का भी अर्थ यही है कि आर्थिक नियोजन के प्रति देश की जनता की आस्था टूटती है।

अब, अगर देश में समृद्धि लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह सत्य है कि मनुष्य की मौलिक मांग यह होती है कि उसको खाना मिलना चाहिए और इस देश में जब तक अधिक अनाज पैदा नहीं होता तब तक और कोई तरीका नहीं है कि इस देश के लोगों को खाना दिया जा सके। हो सकता है कि हुकूमत दो, चार, दस, बीस वर्ष तक और बाहर की मदद से देश को खाना देती रहे, लेकिन जब तक यहां की शस्य श्यामला धरती से अधिक अनाज पैदा नहीं होगा, तब तक इस देश

*''तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन'' के बारे में वाद-विवाद में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 26 फरवरी, 1964, कॉ. 2253-65 (मूल हिन्दी में)।

की बढ़ती हुई आबादी को खाना देना, भोजन देना, संभव नहीं हो पाएगा। अगर यहां पर अधिक अनाज पैदा करना है तो क्या करना होगा उसके लिए, अनाज पैदा करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाषण दें, चाहे हम लोग भाषण दें, इन भाषणों से कोई अनाज पैदा होने वाला नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उनका उत्पादन करने का एक ही तरीका है– प्रकृति ने हमको कुछ वस्तुएं प्रदान की हैं और मनुष्य की जब उसमें ताकत लगती है तब उससे हमारी आवश्यकता की वस्तुएं निकलती हैं, इस धरती के ऊपर जब किसान अपनी बाहें लगाता है, अपनी ताकत को लगाता है तब उसमें अनाज पैदा होता है। आज नहीं 17-18 वर्षों से हमारी पार्टी ने बार-बार कहा कि जमीन उनके हाथों में दो जो जमीन के ऊपर मेहनत कर सकते हों, आजादी आने के बाद हमारी मांग हुई कि जमीन को खेतिहर मजदूरों के हाथों में दो, उन लोगों के हाथों में दो जो कि इसके ऊपर खेती कर सकें, लेकिन आज 17 वर्ष बाद भी क्या हालत है? आज भी मिड-टर्म एप्रेजल में कहा जाता है कि भूमि सुधार होना चाहिए। आज इस देश में जिसके हाथों में ताकत है उसके पास जमीन नहीं कि वह अपनी ताकत की आजमाइश कर सकें और दूसरी तरफ जिनके पास जमीन है, जिनके पास हजारों एकड़ के फार्म हैं, उनके हाथों में ताकत नहीं, मनसूबा नहीं, जोर नहीं, कि उस जमीन से अनाज पैदा कर सकें। यह विषमता है। इसके लिए जिम्मेदारी इस हुकूमत को लेनी चाहिए। क्या कहा जाता है, तीन-चार वर्ष पहले कहा गया कि भूमि सुधार होना चाहिए, सारी राज्य सरकारों को भूमि सुधार के लिए कहा गया। योजना आयोग ने कहा, केन्द्रीय सरकार ने कहा लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कहीं पर भी इस तरह से भूमि सुधार नहीं हुआ, जोत की हदबन्दी इस तरीके से नहीं हुई कि जमीन सही मायनों में खेतिहर मजदूरों के हाथ में जा सके। चार वर्ष तक हुकूमत की ओर से प्रचार होता रहा कि जमीन के ऊपर हदबन्दी लगाई जाएगी और जब सारी जमीन लोग गलत तरीके से कानूनी दांवपेंच के जरिए हड़प लेते हैं तब उसके बाद एक ढोंग, एक स्वांग, एक नाटक रचा जाता है कि जोत के ऊपर हदबन्दी लगाई जा रही है। हुकूमत से मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर अधिक अनाज पैदा करना है, अगर भारत को खाने-पीने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है तो पहला काम यह होना चाहिए कि जितने भूमि सुधार के कानून हैं वे सही मायनों में नियोजित ढंग से इस तरह लागू किए जायें कि जमीन का मालिक वह हो, जमीन उसके हाथों में हो, जिसके हाथों में ताकत है कि इस धरती से अनाज पैदा कर सके। हुकूमत इस काम को करने में नाकामयाब रही है। प्लानिंग कमीशन के, योजना आयोग के दिल व दिमाग में यह बात रही हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि उस बात को कार्यरूप में परिणत करने में योजना आयोग विफल रहा, नाकामयाब रहा और मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकी। हमारे किसी मित्र ने कहा कि कुछ काम लेने चाहियें, जिनको कराने का हुकूमत, योजना कमीशन, योजना आयोग एक अहद करें, प्रतिज्ञा करें। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर सही मायनों में समाजवादी समाज की आप कल्पना करते हैं–समाजवादी समाज की बात छोड़िये–अगर इस भारत के अर्थतंत्र को चलाना है, अगर देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है तो पहला कदम भूमि सुधार का आपको उठाना चाहिए।

दूसरी बात, तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाते समय यह कहा गया था कि जितनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जितने उद्योग राज्य की ओर से चलाए जाते हैं उनकी देख-रेख के लिए कुछ काम करना चाहिए। उनका ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था ठीक तरह से हो सके। लेकिन आज तीन वर्षों के बाद भी फिर वही रोना रोया जाता है कि वह नहीं हो सका। आज नहीं, पिछले चार-छह महीनों

में यह बहस चली कि इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सुपरवाइज करने के लिए एक पार्लियामेंटरी कमेटी बैठाई जाए। उस समय यह कहा गया कि जल्दी यह कमेटी बनने वाली है, नहीं बन पायी। हम नहीं समझते इसका क्या मतलब होता है। क्यों नहीं बन सकती? योजना आयोग और हमारे मंत्री महोदय यह सोचें कि आखिर इस प्रजातंत्र में जो राजकीय उद्योग चल रहे हैं उनके बारे में जनमानस में आप क्या विचार पैदा करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि वे श्री लोकनाथ मिश्र की बात को मानकर या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात मानकर कहें कि यह राष्ट्रीयकरण बेमानी है, सारे उद्योग व्यक्तिगत पूंजीपतियों के हाथ में जाने चाहिए। यह अफसोस है कि हमारा योजना आयोग सरकार को सही कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सका।

अभी माननीय अर्जुन अरोड़ा ने जो इशारा किया, मैं समझता हूं कि जो निजी उद्योगपति हैं उनके और श्रमिकों के बीच में यदि कोई तनाव रहे, मनमुटाव रहे, उनके साथ ज्यादती हो रही हो, उनके साथ न्याय नहीं किया जाता, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। मुझे आश्चर्य होता है जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक महीने पहले समाजवादी समाज की कल्पना से ओत-प्रोत होकर भुवनेश्वर से दिल्ली आते हैं और पार्लियामेंट में आकर एक नयी समाजवाद की रूपरेखा हमारे सामने रखना चाहते हैं। मेरा इशारा माननीय के.के. शाह की ओर है। उन्होंने भाषण दिया कि अगर मजदूरों को लाभ में हिस्सा दिया जाए तो उस लाभ में हिस्सा देने से धीरे-धीरे मजदूर इस हालत में हो जाएगा कि उद्योग मजदूर के कब्जे में हो जाएगा और राष्ट्रीयकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि समाजवाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी कल्पना नहीं है कि जिसको धीरे-धीरे किसी बनिए के हिसाब-किताब से लाकर देश में प्रतिष्ठापित कर दिया जाए। समाजवाद एक नयी व्यवस्था है, जिन्दगी का नया तर्जे अमल है, जिसमें आज के सामाजिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करना होगा।

हमारे प्रोफेसर वाडिया * ने कहा कि लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, विकास के लिए। मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं–प्रेरणा किसको मिलनी चाहिए? क्या प्रेरणा चंद पूंजीपतियों को, चंद सरमायादारों को देनी चाहिए, जिसके लिए प्रोफेसर वाडिया साहब परेशान हैं, जिसके लिए हमारे माननीय मित्र मिश्र जी ** परेशान हैं? प्रेरणा देश के करोड़ों लोगों को, जो आज भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको मिलनी चाहिए। जिस दिन उनके दिल और दिमाग साफ हो जायेंगे, जिस दिन वे समझने लगेंगे फिर क्या होने वाला है इस सारे प्रजातंत्र को मैं जब यह बात कहता हूं तो कोई भावावेश में आकर, कोई भावना में आकर नहीं कहता हूं। मैं इसके लिए कहता हूं कि इस देश का गरीब जब तक नहीं समझेगा कि उसकी आकांक्षाओं की और आशाओं की पूर्ति के लिए इस देश में समाज में, कुछ किया जा रहा है तब तक संभव नहीं है कि प्रजातांत्रिक जमाने में प्रजातांत्रिक तरीके से इस योजना को कामयाब किया जा सके।

***महोदया, आज प्रात:काल प्रश्नोत्तर काल में जब मैंने माननीया स्वास्थ्य मंत्री जी का एक भाषण सुना तो मैं हैरान रह गया और मुझे इससे अधिक आश्चर्य शायद कभी नहीं हुआ कि महात्मा गांधी के चरणों में रहने वाली डॉ. सुशीला नायर कहें कि यह हुकूमत यह नहीं कह सकती कि ''एक्सपोजर'' से लोग मर गए या डिसैन्ट्री से मर गए। मैंने कहा, मनुष्य का मस्तिष्क केवल विज्ञान

* प्रो. ए.आर. वाडिया, संसद सदस्य

** श्री लोकनाथ मिश्र, संसद सदस्य।

*** श्रीमती वायलेट अल्वा, उपसभापति, राज्य सभा।

के तरीके से नहीं चलता। महात्मा गांधी की उस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को और खासकर डॉ. सुशीला नायर को, उन्होंने कहा था कि सियासत दिल और दिमाग दोनों से होती है, जो केवल दिल से सियासत करता है वह गलत रास्ते पर चला जाता है और जो केवल दिमाग से करता है वह मानव कल्याण नहीं कर सकता। जहां ऐसा सवाल उठे कि एक्सपोजर से लोग मर जायें, ठंड से मर जायें तो हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और गलती को स्वीकार करना चाहिए। एक प्रजातांत्रिक देश में अखबार में कोई खबर छपे और मिनिस्टर यह कहे कि हमने उस पर इंक्वायरी नहीं की तो इससे अधिक अप्रजातांत्रिक मनोवृत्ति और कोई नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उन गरीब लोगों के प्रति हमारे दिल में और हमारे दिमाग में एक नयी भावना, एक नया जज्बा, एक नयी प्रेरणा पैदा करनी पड़ेगी। जब तक यह नहीं किया जाता है तब तक कोई उपाय नहीं है कि इस देश का प्रजातांत्रिक तरीके से उत्थान किया जा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण का जो काम हुआ, उसको भी हम पूरी तरह से नहीं कर सके। जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए जो रुपया दिया गया, उसका 17 फीसदी पिछले तीन वर्षों में खर्च किया जा सका है। रोज इस पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं। जवाब क्या मिलता है मंत्रियों से कि स्टेट गवर्नमेंट्स उसको पूरा नहीं कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर पूरा नहीं कर रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आज कांग्रेस के हाथ में जो ताकत है, उस ताकत को रखकर कांग्रेस के लोग यह कहकर अलग नहीं हो सकते। अगर आज एक जगह एक चीफ मिनिस्टर को हटाकर दूसरा चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है तो क्या कांग्रेस पार्टी, क्या पं. जवाहर लाल नेहरू अपनी शक्ति का उपयोग इस बात के लिए नहीं कर सकते कि जो हुकूमत सामाजिक सेवाओं के लिए दिए गए रुपए को खर्च नहीं कर सकती, वहां के चीफ मिनिस्टर को, वहां की कैबिनेट को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। मैं आपको अपने सूबे उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं, जिसकी सबसे अधिक दुर्दशा है, जो बीमारी में सबसे आगे, अशिक्षा में सबसे आगे है और आर्थिक विकास की दृष्टि से जहां देश में पांचवें या तीसरे नम्बर पर था, वह अब पीछे होता जा रहा है। रोज झगड़े हो रहे हैं वहां पर। यह सब क्यों होता है? कांग्रेस पार्टी उसको हल करने में नाकामयाब है। अभी कुछ दिन पहले जब इसी सदन में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के ऊपर बहस हो रही थी तब हमारे एक हरिजन भाई ने यहां पर यह सवाल उठाया कि आज भी माताएं और बहिनें सिर पर पाखाना लेकर सवेरे गलियों में निकलती हैं, तो हमारे कुछ कांग्रेस के दोस्तों ने कहा कि तुम अविश्वास पैदा कर रहे हो, तुम घृणा पैदा कर रहे हो। मैं माननीय योजना मंत्री * से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी नियोजन वाली परम्परा में, सत्रह वर्ष की आजादी के बाद, हिन्दुस्तान के नर-नारी सिर पर पाखाना लेकर सवेरे गलियों में निकलते हैं? अगर यह है हमारा नजरिया सारे नियोजन के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका प्रजातंत्र चलने वाला नहीं है, चाहे आप इसके लिए कुछ करें। सामाजिक सेवाओं में जहां शिक्षा देनी जरूरी है, वहां उनका सांस्कृतिक विकास होना आवश्यक है, वहां क्या योजना आयोग और योजना मंत्री इस सदन को विश्वास दिला सकते हैं कि एक साल के अंदर—उसमें बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, केवल मनोवृत्ति की जरूरत है—एक साल के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाएगी, हर एक म्युनिसिपैलिटी को, हर एक कॉरपोरेशन को इतना रुपया दिया जाएगा कि कोई भी स्त्री-पुरुष इस राष्ट्र में इस बात

* श्री बलीराम भगत, योजना मंत्री।

के लिए मजबूर न हो कि पाखाना लेकर अपनी रोटी कमाने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए सवेरे-सवेरे हमारी सड़कों के ऊपर परेड करें।

मैं इन सवालों के साथ एक-दूसरे सवाल के ऊपर कुछ जिक्र करना चाहूंगा, जिसका बड़ा जिक्र किया गया है क्योंकि मेरे पास समय कम है। अभी पिछले दो-तीन दिनों से इस योजना आयोग के बारे में भाषण करते हुए, मैं नहीं समझता क्या प्रयोजन था हमारे मित्रों का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की परेशानी से, कि वे बहुत परेशान नजर आते हैं और खासकर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के दो प्रवक्ता माननीय वसवपुन्नैया साहब और भूपेश गुप्ता जी को बड़ी परेशानी है। मैं यह समझता हूं कि कोई भी विरोधी दल या कोई भी राजनैतिक दल अगर किसी की गलतियों की ओर इशारा करे तो हमें कोई उससे शिकायत नहीं होती, लेकिन अगर कोई विरोधी दल किसी के वक्तव्यों को तोड़-मरोड़कर रखे तो मुझे नहीं मालूम होता कि आखिर इसमें मंशा क्या है। चूंकि माननीय भूपेश गुप्ता यहां हैं, इसलिए उनका कुछ जिक्र करना चाहूंगा। उनको इस बात पर ऐतराज है कि श्री अशोक मेहता ने योजना आयोग का उपाध्यक्ष होने के बाद यह कहा कि विदेशी पूंजी को इस देश में आना चाहिए और वह ठीक तरह से काम कर सके इसके लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनको बड़ा ऐतराज है कि शायद विदेशी पूंजीपतियों का यहां पर आधिपत्य कायम हो जायेगा। मैं नहीं जानता कि भूपेश गुप्ता जी बड़े समाजवादी हैं या लेनिन बड़े समाजवादी थे। मैं माननीय भूपेश गुप्ता से जानना चाहूंगा कि क्या सोवियत रूस में जब आर्थिक विकास की परम्परा शुरू हुई थी तो क्या उस जमाने में सोवियत यूनियन ने और उसके महान नेता * लेनिन ने दूसरे देशों से मदद नहीं ली थी? अगर वह मदद लेना रूस के लिए उचित था, अगर वह मदद लेना क्रांतिकारी परम्परा का एक अंग था, तो मैं नहीं समझता कि भारतवर्ष के लिए वह परम्परा क्यों नहीं कायम हो सकती। श्री अशोक मेहता ने यह भी नहीं कहा था कि केवल अमेरिका और ब्रिटेन से ही पूंजी लाई जा सकेगी, बल्कि उनका मतलब यह था कि पूर्व यूरोप के देशों से और रूस से भी पूंजी हमारे यहां लग सकती है। वह आज भी लग रही है, आगे भी लगेगी। क्या यह सही नहीं है कि कम्युनिस्ट देशों की पूंजी हमारे आर्थिक विकास के काम में उपयोग में लाई जा रही है? मगर दिक्कत यह है कि कम्युनिस्ट देश पूंजी नहीं दे सकते तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि हम अपना सारा आर्थिक विकास हमेशा के लिए छोड़ दें।

दूसरी बात उन्होंने कही—करों का समर्थन किया, टैक्सों का श्री अशोक मेहता ने समर्थन किया। इस सिलसिले में, मैं जिक्र कर दूं कि उन्होंने कहा कि अशोक मेहता जी ने कहा कि 10 परसेंट लाभ कम से कम होना चाहिए। अगर उन्होंने उनका वक्तव्य ठीक ढंग से पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि उन्होंने यह कहा कि जहां निजी उद्योगों में यह लाभ होना चाहिए वहां पर सरकारी उद्योगों में भी इसी जहनियत से काम होना चाहिए। मैं माननीय भूपेश गुप्ता का ध्यान श्री ख्रुश्चेव * के उस बयान की ओर ले जाना चाहूंगा जिसमें श्री ख्रुश्चेव साहब ने यह कहा था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवादी सिस्टम से हमको एक बात सीखनी चाहिए कि जो हमारे उद्योग चलते हैं उसमें जो कीमत तय करने का ढंग है, वह इस आधार पर हो कि उससे अधिक से अधिक लाभ हो सके और फिर उस लाभ को देश के विकास में लगाया जा सके। अगर श्री ख्रुश्चेव यह कहते हैं तो यह समाजवादी है, अगर श्री ख्रुश्चेव यह कहते हैं तो यह क्रांतिकारी परम्परा है। अगर माननीय अशोक मेहता जी उसी बात को भारत के विकास के लिए कहते हैं तो यह प्रतिगामी कदम हो जाता है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी के महान नेता ही इस तरह की व्याख्या करने में पटु हैं।

* श्री व्लादीमीर इल्यीच लेनिन।

** श्री निकिता सरगेईरिच ख्रुश्चेव।

दूसरी बात जो उन्होंने करों के संबंध में कही, वह भी बिल्कुल साफ थी। अशोक मेहता जी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने भाषण में यह कहा था कि टैक्स उनके ऊपर लगाना चाहिए जो टैक्स देने लायक हैं। टैक्स उन्हीं पर लगाया जाए जो टैक्स देने लायक हों और तब ही वह न्यायसंगत टैक्स होगा। इस सिलसिले में अशोक मेहता जी के भाषण को उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो 10 फीसदी लाभ की बात की है, वहां यह भी कहा कि 10 फीसदी लाभ कमाने वाले लोगों को टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से भारत देश का जो संविधान बना हुआ है जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और उनके रहते हुए अगर अशोक मेहता जी यह कहते हैं कि 10 परसेंट मुनाफा कमाने वालों को अधिक टैक्स लगाओ और वह टैक्स, वह मुनाफा, समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए लगाया जाए, तो इसमें कौन-सी गलती है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है?

मुझे अफसोस है कि जब कोई एक कदम उठाया जाता है तो यह कहा जाता है कि विरोधी दल की ओर से आक्षेप होता है किंतु कांग्रेस पार्टी के लोग यह कहने के लिए मुझे माफ करेंगे, वे भी एक कदम आगे बढ़ाकर पीछे हटने की कोशिश करते हैं। जिस समय अशोक मेहता जी को श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों का परिचय कराया था तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सारे देश के नियोजन में एक सड़न आ गई है और उस सड़न को दूर करने के लिए गतिशीलता लाने के लिए, अशोक मेहता जी जैसे व्यक्ति को हम ने निमंत्रित किया है। मुझे अफसोस होता है कि कुछ कांग्रेस के मैम्बरों ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे एक आदमी को हमने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया है, तुमको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ऐसे संकीर्ण दायरे के अंदर आप इस देश की राजनीति को चलाना चाहते हैं तो इस देश का कोई भविष्य नहीं है। जब आक्षेप कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से होता है, जब आक्षेप दूसरे लोगों की ओर से होता है, अगर प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं–तो मुझे अफसोस है कि माननीय योजना मंत्री जी इस बात को नहीं कह सकते कि अशोक मेहता जी देश की राजनीति में अकेले आदमी हैं, जिन्होंने संकीर्ण राजनीति की दलबंदी से आगे निकलकर देश के आर्थिक विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए और देश को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। हम मानते हैं कि हमारी पार्टी में इस पर मतभेद है लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस संबंध में क्या किया? विरोधी दल में, मैं माननीय भूपेश गुप्ता की बात समझ सकता हूं, जिन्हें जनतंत्र में विश्वास नहीं है। मैं श्री लोकनाथ मिश्र की बात समझ सकता हूं, जिनका आर्थिक नियोजन में विश्वास नहीं है लेकिन कांग्रेस के लोग जो समाजवादी हैं उनका क्या हाल है?

माननीय महोदया, मैं एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। पुराणों में एक वाकया है। रावण का सब लोगों ने नाम सुना होगा। ''रावण'' को एक बार यह आभास हुआ कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव, मैं अपने तप से प्राप्त कर सकता हूं तो फिर क्यों लड़ाई लडू राम से। मैं ही क्यों न हो जाऊं राम, अपनी तपस्या से। रावण ने यह फैसला करके तपस्या करना शुरू किया, लेकिन जिस समय तपस्या करना शुरू किया उसका नतीजा यह हुआ कि उसमें जितनी राक्षसी वृत्तियां थीं, वे एक-एक करके टूटने लगीं, गिरने लगीं। उसको यह मालूम होने लगा कि उसकी जो ताकत है वह कम होने लगी है और वह अपने से घबरा गया। घबरा कर उसने कहा कि नहीं उसको राक्षस ही रहना मंजूर है। कांग्रेस पार्टी का भी वही हाल है। कांग्रेस पार्टी एक समय सोचती है कि क्यों न यह प्रजातांत्रिक

समाजवादी हो जाए। प्रजातांत्रिक समाजवादी होने का फैसला करते हुए वह सही रास्ते में एक कदम उठाती है। लेकिन जब पुरानी शृंखलाएं, परम्पराएं जो स्रोत शक्ति के हैं, वे टूटते नज़र आते हैं तो सोचने लगती है कि क्यों न मोरारजी का सहयोग लिया जाए, क्यों न एस.के. पाटिल का सहयोग लिया जाए, टाटा, बिरला की गोद से क्यों अलग हों। इस तरह से वह टूटकर, बिखरकर, हिम्मत हारकर फिर सड़ान में पड़ी रहना पसन्द करती है। आज भारतीय राजनीति में और देश के आर्थिक विकास में कांग्रेस पार्टी के लिए और सारे प्रजातांत्रिक समाजवादियों के लिए एक मौका आया है कि वे सोचें कि क्या जो राक्षस है वह राक्षस रहना चाहता है या फिर राक्षसी वृत्ति को छोड़कर, अपनी ताकत को थोड़े समय के लिए कम करके भी एक ऐश्वर्ययुक्त समाजवादी रहना चाहता है जो नए समाज की कल्पना कर सके, जो नए हिन्दुस्तान का निर्माण कर सके।

मध्यावधि मूल्यांकन : चौथी पंचवर्षीय योजना*

उप सभापति महोदया, मध्यावधि योजना मूल्यांकन पर यह वाद-विवाद आत्मचिंतन का समय है और मुझे खुशी है कि सरकार ने हमें अपने विचार व्यक्त करने का यह अवसर दिया है। कल माननीय योजना मंत्री ने एक अपील की और सदस्यों से यह अनुरोध किया कि हमें विस्तार में नहीं जाना चाहिए। यह ठीक ही है। यकीनन हमें उन विस्तृत नीतिगत प्रश्नों को दर्शाना चाहिए जो हमारी योजना को प्रभावित कर रहे हैं, योजना के कार्यान्वयन और योजना प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दूसरे सदन में और इस सदन में भी माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कुछ टिप्पणियां की हैं जो हमारी योजना की वास्तविक कमजोरी को दर्शाती हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो भी जाए तो इसका सीधे यह अर्थ नहीं कि गरीबी का उन्मूलन हो गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि केवल अधिक उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि वितरणात्मक न्याय आवश्यक है। वह एक कदम और आगे भी गए और कहा कि यद्यपि उत्पादन बढ़ रहा हो, फिर भी ऐसी स्थिति हो सकती है जहां हमारे समाज के उपेक्षित लोगों को हमारे योजनागत विकास का लाभ नहीं मिल सके। यह एक दृष्टिकोण है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस बात को महसूस किया है। किंतु, मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि माननीय योजना मंत्री इस बात पर आकर रुक गए हैं। मुझे यह स्पष्टीकरण समझ में नहीं आता कि सदी के अंतिम पच्चीस वर्षों से यह बीमारी क्यों हमारी अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में फैल रही है। यह पहली बार है जब योजना मंत्री ने ये टिप्पणियां की हैं। उपसभापति महोदया, योजना के आरंभ होने से या मैं कहूं कि संसद के उसी संकल्प जिसके अन्तर्गत योजना आयोग बनाया गया था, में ये टिप्पणियां की गई थीं। मार्च 1950 में, जब राष्ट्रपति ने योजना आयोग गठित करने की मंशा की घोषणा की थी तो उस समय के राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया गया था। उपसभापति महोदया, यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों को देखें, तो मैं कुछ आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि योजना आयोग द्वारा इससे अच्छा दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां सभी प्रशंसनीय विचार मौजूद हैं। यहां सभी अच्छी मंशाएं मौजूद हैं और अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। परन्तु, इन भावनाओं के बावजूद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमने अनेक बार समीक्षाएं की हैं। हमने इन मूल्यांकनों पर चर्चा की है, किंतु हम अभी भी उन्हीं बीमारियों और गलतियों से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि माननीय योजना मंत्री इस समय यथार्थवादी हैं, यद्यपि, उपचारात्मक उपायों को दर्शाने में हिचकिचाहट थी। किंतु, मैं अपने सम्माननीय मित्र श्री मोहन धारिया के भाषण, जो उन्होंने दूसरे सदन में दिया, को पढ़कर थोड़ा चकित था। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है क्योंकि मैं न केवल उनका मित्र हूं अपितु राजनीति के क्षेत्र में उनका सहकर्मी भी हूं और देश के आर्थिक पुनरुत्थान में वह पार्टी और देश में हमारे साथ सहयोग करना चाहते थे। श्री मोहन धारिया ने हमें स्वप्नलोक में ले जाने का प्रयास किया और इस बात पर जोर दिया कि दो वर्षों के भीतर कुछ विशेष होने जा रहा है। उन्होंने इस सदन में कहा कि दो वर्षों में कोई भी इंजीनियर और तकनीशियन बेरोजगार नहीं होगा। उन्होंने

* चौथी पंचवर्षीय योजना–मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए; राज्य सभा वाद-विवाद, 12 अप्रैल, 1972, कॉ. 126-139

कहा कि यह संभव है। दूसरे सदन में उन्होंने यह दावा किया कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद ''गरीबी हटाओ'' का प्रश्न ही नहीं होगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गरीबी समाप्त कर दी जाएगी। योजना मंत्री यह कहते हैं कि छठी योजना के अंत तक हमारे देश से गरीबी गायब हो जाएगी। मेरे युवा मित्र अत्यधिक जोशीले और ऊर्जावान हैं। अत: उन्हें लगता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह संभव है। योजना का उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया है? आपकी अनुमति से मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले भाग से एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा और यह योजना के उद्देश्य को दर्शाएगा:—

> ''देश की आर्थिक स्थिति किसी दिए हुए निश्चित समय में विस्तृत सामाजिक वातावरण का परिणाम है और आर्थिक योजना को वृहत प्रक्रिया के एक अभिन्न भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका उद्देश्य एक संकीर्ण, तकनीकी अर्थ में संसाधनों का विकास मात्र ही न हो, अपितु मानवीय क्षमताओं का विकास और लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के लिए एक पर्याप्त संस्थागत ढांचे का निर्माण हो।''

यह पहले योजना दस्तावेज के पहले भाग का एक वाक्य है। क्या आपने उन संस्थागत ढांचों की स्थापना करने के लिए कोई प्रयास किया है? मैंने सम्पूर्ण मूल्यांकन की जांच करने का प्रयास किया है परन्तु एकाधिकार को समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का उन्मूलन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया है। ऐसा 1950 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है। ऐसा संसद के संकल्प में कहा गया है परन्तु ''गरीबी हटाओ'' के पक्ष में दो जनमतों के पश्चात् हम सोचते हैं कि हम एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के उन्मूलन के बिना गरीबी समाप्त कर सकते हैं। यह एक बेतुकी धारणा है क्योंकि गरीबी समाप्त करने का अर्थ है सम्पूर्ण समाज का पुनर्निर्माण करना। आप जब तक पुरानी या बेकार चीजों को समाप्त नहीं करेंगे तब तक समाज का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण योजना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि यह आकस्मिक है। मैंने योजना दस्तावेज में इस मिशन को नजरअंदाज कर दिया होता परन्तु दस्तावेज का पृथकता में अध्ययन नहीं किया जा सकता। मैं हमारे आज के आर्थिक और राजनीतिक जीवन के कुछ तथ्यों को बताना चाहूंगा। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि यह सदन का समय लेगा। यदि आप मूल्यांकन को पढ़ें तो आप पाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत भारी गिरावट आई है। गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहा है, परन्तु इस दस्तावेज में सुविधापूर्वक इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि विलासिता क्षेत्र जिसे योजना कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, में हमने लक्ष्य से अधिक हासिल किया है। मुझे नहीं पता कि आपका ध्यान हमारी योजना के इस पहलू की ओर गया है या नहीं कि विलासिता की कुछ वस्तुओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर रेफ्रीजरेटरों या एअर-कंडीशनरों या कुछ कॉस्मेटिक्स या यहां तक कि कारों के मामले को ही लें। यहां योजना आयोग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। ये लक्ष्य भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं चाहे वह औद्योगिक विकास मंत्रालय हो कोई अन्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। परंतु इस देश में क्या हो रहा है? हमने ज्यादा कारों का उत्पादन और विनिर्माण किया है। हमारा लक्ष्य क्या था? इस देश में किसके लिए इतनी हाय-तौबा मची हुई है? या तो अधिक कारें बनाओ या लोगों के पास अपनी कारें हों? कुछ समय पश्चात् नारा बदल गया था और यह कहा गया था, कि छोटी कारें बनाओ। सदन और राष्ट्र के समक्ष दिए अनुमानों के अनुसार, छोटी कार पर अनुमानित रूप

से 19,000/- की लागत आएगी; जब तक यह आएगी, यह 24000 या 25000 हो जाएगी। योजना आयोग के उत्तम इरादे से और हमारी सरकार की शानदार उपलब्धि के बाद भी पांचवीं योजना के बाद देश में एक प्रतिशत लोग भी तथाकथित छोटी कार को लेने में सक्षम नहीं होंगे। परंतु क्या हुआ? यह पुकार न केवल सदन में सुनाई दी अपितु समाचारपत्रों में, हर जगह, लोगों ने कहा, छोटी कार आनी चाहिए। जब इसे प्रस्तावित किया गया, योजना आयोग ने इसका विरोध किया; उन्होंने कहा, कोई कार निर्मित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह हमारी प्राथमिकता सूची में नहीं आती। परंतु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।

*** *** ***

निजी क्षेत्र में कार निर्माण हेतु आशय पत्र दिए गए थे। तब प्रश्न आया ''सार्वजनिक क्षेत्र में कारें'' क्यों नहीं निर्मित की जाएं? इसका विरोध एक बार फिर योजना आयोग की तरफ से हुआ और प्रेस रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा यह विरोध स्वीकार किया गया। क्या कारण बताया गया है? यदि यह प्राथमिकता प्राप्त मद नहीं है तो सरकार सरकारी खजाने के संसाधनों का उपयोग कार उत्पादन के लिए क्यों करे। इस देश में दो प्रकार के संसाधन हैं–एक तो सरकारी खजाने के संसाधन हैं और दूसरे श्री बिरला और श्री टाटा के खजाने में रखे संसाधन हैं और वे संसाधन पुनः वित्तीय संस्थानों से निकाले जाते हैं, जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस तरह की खंडित सोच से हम किस प्रकार की योजना इस देश में बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको यह एक उदाहरण दिया, क्योंकि यह मानसिकता सरकार की सोच को दर्शाती है। जिस मानसिकता से हम पीड़ित हैं, उसको यह दर्शाती है। इस मानसिकता से, मुझे नहीं पता कि किस तरह श्री सुब्रहमण्यम योजना की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार और निजी एकाधिकारवादियों के पास उपलब्ध संसाधनों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मैं ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। परंतु यदि आज निजी व्यापार के पास संसाधन के साथ निवेश का पैटर्न देखें तो 50 प्रतिशत से अधिक संसाधन भारत सरकार के हैं। यह एक विचित्र स्थिति है जो हमारे देश में चल रही है। अब मैं इस बात पर जोर देने लिए कह रहा हूं कि जब प्राथमिकता प्राप्त उद्योग संकटग्रस्त हैं, जब गैर–प्राथमिकता प्राप्त उद्योग जो योजना में उल्लिखित हैं, संकटग्रस्त हैं, विलासिता के मदों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं और अब हम लक्ष्य से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम एकीकृत योजना चाहते हैं, हमें थोड़ा आगे आना होगा। परंतु आपको एक मनोरंजक पहलू देखने को मिलेगा और दयनीय भी। हाल ही में विदेश व्यापार मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ हाल के युद्ध में वीर योद्धाओं के प्रति उदात्त भाव से एक उद्घोषणा की। उद्घोषणा में है कि युद्ध में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को कार आयात करने की अनुमति होगी। और केवल वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने न सिर्फ युद्ध प्रभावितों के बारे में कहा परंतु विदेशी पत्नियों के लिए भी, की विदेशी पत्नियों वाले लोगों को कारों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी। आपके और उस माननीय सदस्य के बीच में भेदभाव होगा जो अमरीका और ब्रिटेन में किसी महिला से शादी कर लेता है। मुझे नहीं पता इसका क्या औचित्य है।

*** *** ***

मैं जिस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा था वह यह है कि सरकार के ये सभी विभाग एक दूसरे से भिन्न राहों पर चलते हुए नजर आते हैं। एक तरफ, माननीय योजना मंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने जा रहे हैं। इस सदन में वह उद्घोषणा करते रहते हैं, कल भी उन्होंने कहा कि पांचवीं योजना के अंत तक, वह एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि उन्हें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसी समय सप्ताह या कुछ दिनों के भीतर सरकार का कोई अन्य विभाग कोई घोषणा करता

है जिसे मेरे जैसा आदमी समझ नहीं सकता है। शायद, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अधिकार प्राप्त व्यक्ति आर्थिक मामलों के संबंध में राजनीतिक बुद्धिमत्ता रखते हैं।

महोदया, मैं एक अन्य मुद्दे अर्थात् विलासिता की वस्तुओं पर जोर देना चाहूंगा। हम बार-बार यह कह रहे हैं कि हमारी आयोजना हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन को प्रभावित करेगी। ऑल इंडिया रेडियो का मामला ही ले लीजिए काफी समय तक जिसकी अध्यक्षता मेरे मित्र श्री आई.के. गुजराल ने की थी। उन्होंने वहां पर व्यावसायिक विज्ञापनों की शुरुआत की।

*** *** ***

मैं यह नहीं जानता कि अब व्यावसायिक विज्ञापन क्या कर रहे हैं? ये विलासिता की वस्तुओं की मांग को बढ़ा रहे हैं? सरकार को कुछ लाख रुपये प्राप्त हो रहे हैं और शायद यह भी प्रस्ताव है कि इन विलासिता की वस्तुओं के विज्ञापन हेतु टेलीविजन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या वास्तव में हमारा उद्देश्य समान अवसर पर आधारित निर्धनतम वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला समाज स्थापित करना है? मेरे आदरणीय मित्र श्री एन.जी. गोरे ने थोड़ी देर पहले एक मुद्दे पर जोर दिया जो ठीक भी है। हमारे लिए अपनी अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना ही काफी नहीं है, अपितु हमें देश में अनावश्यक वस्तुओं पर धनराशि खर्च न करने की मानसिकता भी तैयार करनी चाहिए। बचत पर अत्यधिक बल दिया गया है। यह सही है। अधिक बचत करने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि अधिक बचत के बिना अधिक निवेश संभव नहीं है और अधिक निवेश के बिना रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए जा सकते हैं। मैं फिर से विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यह दस्तावेज क्या संकेत करता है? बैंक, बीमा और सहकारी क्षेत्र में बचत लक्ष्य से अधिक रही है और घरेलू बचत में भी वृद्धि हुई है। लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में बचत कम है। सरकार ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अधिक बचत हेतु उस पर दबाव या प्रभाव या उसे समझाने के लिए क्या उपाय किए हैं? बचत का यह नारा हमें भ्रमित कर सकता है क्योंकि यदि हम बचत की बात करते हैं, तो मुझे आशंका है कि कल को कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कर में और अधिक रियायत और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में बचत उम्मीद से ज्यादा है। एकाधिकारियों को और अधिक लाभ तथा अधिक फायदा देने हेतु इस नारे का प्रयोग किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन क्या मैं विनयपूर्वक योजना मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि अभी हाल ही में हमने तथा आपकी सरकार ने कतिपय उद्योगों में शत प्रतिशत विस्तार की अनुमति प्रदान की है। ऐसे उद्योगों की संख्या लगभग 59 या 56 थी। मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है कि यह संख्या 54 थी और इसमें मानवनिर्मित फाइबर उद्योग भी सम्मिलित था। इसे किस आधार पर शामिल किया गया था। ''इसे इस आधार पर शामिल किया गया था कि इन मानव निर्मित फाइबरों का उपयोग सेना की कार्रवाई में किया जाता है और सेना इसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए करती है। पैराशूट हेतु हमने मानवनिर्मित फाइबर उद्योग में शतप्रतिशत विस्तार की अनुमति प्रदान की है और इसके क्या परिणाम रहे? पिछले 7 या 10 वर्षों से कुछ बड़े एकाधिकारियों जिन्हें उनकी अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, को केवल एक निर्णय से योग्यता युद्ध प्रयासों में सहायता करने के नाम पर अनुमति प्रदान कर दी गई। यह सब हमारे देश में घटित हो रहा है। एम.आर.टी.पी. अधिनियम को सदन में बड़े उत्साह से पारित किया गया था। इस पर वाद-विवाद और चर्चा करने में वर्षों और कई महीने लगे थे। यह कहा गया था कि हम एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन पिछले दो वर्षों से एम.आर.टी.पी. अधिनियम और एकाधिकार आयोग का क्या हुआ। बहुत से प्रश्नों में तथा कई समस्याओं

में इनका परामर्श भी नहीं लिया गया। आज सुबह भी, शायद आपने ध्यान दिया हो, उपसभापति महोदया, एक समाचार प्रकाशित हुआ है मुझे मालूम नहीं है कि वह सही है या गलत लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई खंडन नहीं किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय ने एक कृतिक बल का गठन किया था और उस कृतिक बल ने 13 लाइसेंसों को मंजूरी दी है और मेरी जानकारी के अनुसार इन्हें बड़े व्यावसायिक घरानों को दिया गया है। क्या ये प्राथमिकता वाली मदें हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि योजना आयोग का परामर्श लिया गया या नहीं। यदि इस देश में स्रोतों की कमी है, यदि योजना आयोग वास्तव में इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भर न रहें तब हम विलासिता का आनंद कैसे उठा सकते हैं उसका उपभोग कैसे कर सकते हैं जिसमें भारत सरकार के कई विभाग शामिल हैं? मुझे नहीं पता, मुझे भारत सरकार की ओर से कहीं से विरोध का स्वर नहीं सुनाई दिया, मुझे तो विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से भी विरोध का कोई स्वर नहीं सुनाई दिया। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी मंशाएं नेक हो सकती हैं, हमारे इरादे प्रशंसनीय हो सकते हैं लेकिन आर्थिक अनुशासन की अपनी शक्ति होती है। यह हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलता। मैं अपने मित्र मोहन धारिया जी से आग्रह करूंगा कि भले ही उन्हें प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखकर परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है लेकिन आज समाज में आर्थिक शक्तियों का सृजन किया जा रहा है वे आपको एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये आर्थिक शक्तियां लगभग 25 वर्षों तक संपूर्ण योजना प्रक्रिया को रोके रखने हेतु उत्तरदायी थीं। ऐसा कुछ भी विशिष्ट नहीं हुआ जो आपकी राह को आसान बनाए। जनता का यह अपार जनादेश अच्छा है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। परन्तु इससे आर्थिक समस्या हल नहीं होती है। यह केवल प्राधिकार देता है। यह देखना अभी शेष है कि क्या इस प्राधिकार का प्रयोग सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। महोदया, आपकी अनुमति से मैं पुनः प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज से उल्लेख कर रहा हूं। सफल आयोजना के लिए आवश्यक राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां हैं (क) नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए समुदाय की व्यापक सहमति; (ख) राज्य के हाथों में नागरिकों के सक्रिय सहयोग पर आधारित प्रभावी सत्ता और इन नीतियों के और प्रसार के लिए इसका ईमानदारी और निष्ठा से प्रयोग; और (ग) अपेक्षित क्षमता और गुणवत्ता वाले कर्मियों के साथ दक्ष प्रशासनिक ढांचा। ये सफल आयोजना के लिए आवश्यक हैं। आपको लोगों का जनादेश मिला है। आपको लोगों की शुभेच्छा मिली है। परन्तु आपने जनता के स्वैच्छिक सहयोग के लिए क्या किया है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो यह इंगित करे कि आपने लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ किया है। एक नया नारा दिया गया है; हम बहु-स्तरीय आयोजना के युग में प्रवेश कर रहे हैं। परन्तु क्या यह एक नई चीज है? क्या यह नवाचार है? मैं मानता हूं कि मेरे मित्र श्री सी. सुब्रमण्यम मुझसे बेहतर जानते हैं। यह नारा पहली पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप में पहली पंचवर्षीय योजना में वर्णित किया गया परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी उल्लेख किया गया, मैं पुनः उल्लेख करता हूं :—

> ''जिला स्तर पर लोकतांत्रिक ढांचा: ऐसे ढांचे में ग्राम पंचायतों को स्वतः उच्चतर स्तरों पर प्रसिद्ध संगठनों के साथ जोड़ा जाएगा, पूर्व में निर्धारित अवस्थाओं द्वारा क्षेत्र का संपूर्ण सामान्य प्रशासन और विकास (कतिपय कार्यों को छोड़कर) लोकतांत्रिक निकाय का उत्तरदायित्व बनेगा।''

पहली योजना में योजनाकारों की यही मंशा थी। परन्तु इसके कतिपय प्रभाव थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे केवल योजना तैयार करेंगे। आपको उन्हें कुछ शक्तियां देनी होंगी। क्या सरकार राज्यों और जिला स्तर पर और अधिक स्वायत्तता देने के लिए तैयार है और ग्राम स्तर पर कुछ स्वायत्तता प्रदान करेगी? इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। यदि आप इसे नारे के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि आप इसे वास्तविकता में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको चतुर्स्तरीय प्रणाली के सिद्धान्तों को स्वीकार करना होगा। क्या वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव होगा या सरकार अपनी कुछ शक्तियों को जिला और ग्राम स्तर पर राज्यों के साथ बांटने के लिए तैयार है मैं नहीं जानता हूं। परन्तु यदि वे इसे नारे के रूप में प्रयोग करते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके स्वयं कुछ प्रभाव हैं और इसकी कतिपय जटिलताएं भी हैं, जिनका अंततः हमें सामना करना होगा। यह बहु-स्तरीय योजना काफी पहले परिकल्पित की गई थी। यह बहु-स्तरीय योजना का नारा अमली जामा नहीं पहनेगा क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता आप राज्यों, जिलों और ग्राम स्तर पर अधिक शक्तियां देने के लिए तैयार होंगे।

माननीय उपसभापति महोदया, यह केवल आर्थिक प्रश्न नहीं है। हम समाज सेवाओं के स्तर पर क्या कर रहे हैं? आयोजना केवल आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है। यह इससे कुछ अधिक है। जब हमने इस योजना के बारे में सोचा तो हमारे विचार काफी स्पष्ट थे कि हमें क्या करना चाहिए। कम से कम आयोजना के विचार को प्रारंभ करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी स्पष्ट थे और उन्होंने निम्नांकित पैरा लिखा और पहली पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख किया; मैं पुनः उल्लेख करता हूं:—

> ''हमें न केवल बड़ी उत्पादक मशीनों का निर्माण करना है—जबकि इसमें संदेह नहीं है कि यह विकास की आवश्यक स्थिति है। हमें इसके साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा में भी सुधार करना है तेजी से सांस्कृतिक विकास के लिए सामाजिक स्थितियों को भी निर्मित करना है। आयोजना का अर्थ इन सभी क्षेत्रों में संयोजित विकास होना चाहिए।''

यदि हम अपने कार्य निष्पादन को देखते हैं, तो हमारी स्थिति क्या है? इस योजना दस्तावेज में क्या इंगित किया गया है? यह एक निराशाजनक स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है? हम प्राथमिक शिक्षा और इससे भी अधिक महिला शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लक्ष्यों से काफी पीछे रह गए हैं। हमें उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने थे। परन्तु यह योजना दस्तावेज कहता है कि कॉलेजों में तकनीशियनों और अभियंताओं के प्रवेश को राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि उनका मानना है कि अधिक अभियंता बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाएंगे। ऐसी ही स्थिति विद्यालय शिक्षकों की है। विद्यालय शिक्षक बेरोजगार हैं। तकनीकी शिक्षा और विद्यालय अध्यापक शिक्षा में विस्तार को रोक दिया गया है। इसे इस योजना दस्तावेज में इंगित किया गया है। इसका क्या अर्थ है? योजना आयोग में यह मत है कि यदि इसे नहीं रोका गया तो आज यह कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, बेरोजगारी बढ़ेगी। मेरा मानना है कि हम लोग अपनी वर्तमान पीढ़ी के छात्रों के लिए प्रगति का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं अन्यथा वे इंजीनियर, प्रविधिज्ञ और बेहतर विद्यालय शिक्षक बन सकते हैं। 65 से 70 प्रतिशत असाक्षरता के होते हुए हम विद्यालयी शिक्षकों की शिक्षा को बंद नहीं कर सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार की योजना है जिसके माध्यम से हम नई सामाजिक व्यवस्था ला सकेंगे, न केवल नई सामाजिक व्यवस्था बल्कि आम लोगों के पक्ष में, कठिन परिश्रम करने वाली जनता के लिए सामाजिक व्यवस्था ला सकेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा प्रयास हजारों की संख्या में मूक

लोगों, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, को लाभ पहुंचाना है। हमारे योजना मंत्री ने भी कहा है कि इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं और हमारा यह प्रयास होगा कि उन्हें यह लाभ प्राप्त हो। यदि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हमारे लक्ष्य में ही कमी रह जाएगी तो उन्हें लाभ किस प्रकार मिलेगा? उपसभापति महोदया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पेयजल आपूर्ति करने संबंधी कार्यक्रम का क्या हुआ? जिस योजना अवधि की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, इस दस्तावेज के अनुसार उस संपूर्ण अवधि में हम केवल 76 लाख लोगों को पेयजल प्रदान करने में समर्थ हो सके और यह दस्तावेज यह भी कहता है कि हमें जल की कमी वाले क्षेत्र न कि संपूर्ण देश में पेयजल प्रदान करने में 30 से 40 वर्ष लगेंगे। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की है कि इस कार्य में तीव्रता लायी जाएगी। यही स्थिति है। मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। पिछड़े वर्गों का क्या हुआ? हरिजन का क्या हुआ? महोदया, सामाजिक कल्याण के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने लक्ष्य से पिछड़ गए हैं।

महोदया, मैं अब दूसरे बिंदु पर आऊंगा। सर्वाधिक चर्चित समस्या, भूमि सुधार की समस्या है। योजना आयोग द्वारा जो नारा दिया गया वह यह है कि हम भूमि सुधारों को गंभीरता पूर्वक लागू करेंगे। प्रधानमंत्री, योजना आयोग द्वारा यह कहा गया है और मेरे मित्र श्री धारिया जी ने समय-समय पर इस नारे को दोहराया है। किंतु क्या यह नया नारा है? क्या यह नारा बार-बार नहीं दोहराया गया है? इन वर्षों के दौरान क्या हुआ है? पिछले कुछ महीनों के दौरान क्या हुआ है? आपने कुछ विधानों का उदाहरण दिया है। इस मॉडल विधान को आपकी अपनी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। महोदया, आज मुझे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की कार्यवाही को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उपसभापति महोदया, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे एक अन्य मित्र श्री कृष्णकांत ने वहां यह कहा कि ''यदि मुख्यमंत्री भूमि सुधार को लागू नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाए? अन्यों को हटा दिया गया है और उन्हें भी हटा दिया जाना चाहिए।'' क्या हम ऐसे लोग हैं जो यहां-वहां लोगों को हटाते रहें। इस आदमी को हटा दें उस आदमी को हटा दें? इससे उत्पीड़न का सुख मिल सकता है किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं होगा और यह समस्या का समाधान नहीं है। लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है और कांग्रेस संसदीय दल ने क्या कहा है? लोग केवल यह जानना चाहते हैं कि आपने कार्यान्वयन के लिए क्या किया है? बलि का बकरा ढूंढ़ना हमेशा आसान रहा है। छह महीनों में आपने प्रयास किए और कुछ नहीं हुआ। आपने एक मुख्यमंत्री को हटाया और दूसरे मुख्यमंत्री को लेकर आए और लोगों को और छह महीने की प्रतीक्षा करने को कहा। इस प्रकार की कसरत बंद होनी चाहिए और मूल समाजवादियों को ऐसे नारों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार के नारे बंद होने चाहिएं। इससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। आम आदमी को इसकी कोई चिंता नहीं है कि किस मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है और किसे नियुक्त किया जा रहा है। आम आदमी को केवल परिणाम चाहिए। यदि कोई कांग्रेसी इन नारों का सहारा लेता है और तो यह सोचता है कि लोग उन्हें सहन करेंगे तो यह उनकी भूल है। चाहे यह मुख्यमंत्री हो या वह मुख्यमंत्री हो, यह कार्यक्रम लागू होना चाहिए यह और पूरे उत्साह से लागू होना चाहिए।

महोदया, मैं यहां महात्मा गांधी की बात को उद्धृत करूंगा। सन् 1942 की बात है, जब लुई फिशर इस देश में आए थे। उन्होंने बापू के समक्ष कुछ प्रश्न रखे और उनमें से एक प्रश्न था: ''कृषक वर्ग की दशा में सुधार लाने के लिए आपके क्या कार्यक्रम हैं?'' महात्मा गांधी का उत्तर था: ''किसानों को जमीन ले लेनी चाहिए। यह हमें उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है।'' लुई फिशर ने कहा: ''इससे हिंसा का माहौल उत्पन्न होगा।'' उसके पश्चात् बापू ने कहा: ''हो सकता है कि पन्द्रह दिनों तक हिंसा

का माहौल हो। किंतु जल्द ही इसे नियंत्रण में कर लिया जाएगा।'' सन् 1942 में बापू की भावना यह थी। अब, 1972 में मेरे कट्टरवादी विचार वाले मित्र श्री कृष्णकांत इस विधान बनने के छह महीने के बाद इसे लागू नहीं करने वाले मुख्यमंत्रियों को हटाने की बात सोचते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि हम प्रगति कर रहे हैं या पीछे की ओर लौट रहे हैं।

मुझे नहीं मालूम कि मैं कट्टर विचार वाला व्यक्ति हूं या नहीं। यह बिल्कुल सही है कि...*

*** *** ***

उप सभापति महोदया, अब मैं सरकारी क्षेत्र पर आता हूं। सरकारी क्षेत्र की क्या भूमिका रही है? मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सरकारी क्षेत्र को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के प्रबंधन के संबंध में कुछ मामलों में कुछ कमियां रही हैं। किंतु कुछ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, मैं इसे अवश्य मानता हूं। कुछ महीने पहले मुझे दुर्भाग्य से हिंदुस्तान स्टील के कार्यकरण की आलोचना करनी पड़ी। मैंने उस समय हिंदुस्तान स्टील के कुछ शीर्षस्थ पदाधिकारियों की आलोचना की थी। उस समय कुछ अशांति उत्पन्न हुई थी। किंतु मैं हर्ष के साथ कह रहा हूं कि इस्पात मंत्री, श्री मोहन कुमार मंगलम ने महसूस किया कि वहां मूलत: कुछ गलत हुआ था। उस व्यक्ति को हटा दिया गया। कुछ बदलाव किए गए। मैं कह सकता हूं कि इस क्षेत्र का एकमात्र विभाग है जिसमें स्थिति को सुधारने के लिए कुछ वास्तविक प्रयास किए गए। मुझे नहीं पता कि श्री मोहन कुमार मंगलम सफल होंगे या नहीं। लेकिन में कह सकता हूं कि वह ऐसा कर रहे हैं।

मेरे मित्र श्री मोहन धारिया ने सरकारी क्षेत्र में सुधार हेतु अपने भाषण में सभा में याद दिलाया कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। क्या हमें घातक तथ्य को याद दिलाना आवश्यक है? निजी क्षेत्र के एकाधिकारवादियों का प्रभुत्व इस क्षेत्र में कहीं भी और हर जगह देखा जा सकता है। इसके लिए योजना मंत्री को हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको निजी निवेश और एकाधिकारवादियों का प्रभाव देखने को मिल जाएगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है:—

''सरकारी क्षेत्र को तेजी से विस्तार करना है : इसे न केवल विकास की पहल करनी होगी जिसे निजी क्षेत्र करने में या तो अनिच्छुक है या अक्षम है बल्कि इसे अर्थव्यवस्था में निवेश के पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी चाहे यह प्रत्यक्ष निवेश करे या इन्हें निजी क्षेत्र द्वारा किया जाए।''

सरकारी क्षेत्र के प्रभुत्व का यह मतलब नहीं था कि हमें अधिक निवेश करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र में निवेश को प्रभावित करने की स्थिति में होना चाहिए। क्या हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं? मैं इसे सभा और सभापति महोदया आपके निर्णय पर छोड़ता हूं। हमने नहीं किया है। हम इस दिशा में थोड़ा भी आगे नहीं बढ़े हैं।

उपसभापति महोदया, मैं एक या दो बिंदु रखूंगा और उसके पश्चात् अपना भाषण समाप्त करूंगा। क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को बार-बार उठाया गया है। कुछ समय पहले, बिहार के एक मित्र बिहार के पिछड़ेपन के बारे में बात कर रहे थे। कुछ महीने पहले मैं बिहार के कुछ छात्रों से मिलने गया और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा: हमारे लिए आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? बिहार के कोयला खानों और बिहार

*श्री सी. सुब्रमण्यम की टिप्पणी, ''शुक्र है कि कम से कम कोई एक तो कट्टर विचारों वाला है'' के प्रत्युत्तर में बोलते हुए।

के औद्योगिक क्षेत्र में अन्य राज्यों से लोग आते हैं। ये लोग उस क्षेत्र से लाभ कमाते हैं किंतु वे इस क्षेत्र में कुछ भी निवेश नहीं करते हैं। वे निवेश के लिए कलकत्ता[#], बंबई[@] या अहमदाबाद जाते हैं।

सभापति महोदया, आपके अपने राज्य में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के विशेष संवाददाता श्री रंजीत राय ने ''एंगोनीज ऑफ वेस्ट बंगाल'' नामक पुस्तक लिखी है। मुझे नहीं मालूम कि ये तथ्य सही हैं या नहीं। किंतु क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पुस्तक में की गई टिप्पणियों पर गौर करे? पत्रकार द्वारा एक मामले का अध्ययन किया गया है कि राजकोषीय नीति और अन्य उपायों के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र अर्थात् पुराने बंगाल प्रेजीडेंसी का निरंतर शोषण किया गया है। इस प्रकार की भावना उस क्षेत्र के युवाओं में आक्रोश पैदा करती है।

हमें क्षेत्रीय असंतुलन के संबंध में कुछ करना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में ही क्षेत्रीय आयोजना पर विचार किया गया था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आर्थिक रूप से बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग इस पहलू पर विचार करेगा क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन से कटुता उत्पन्न हो सकती है तथा यह हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में कठिनाई पैदा कर सकता है। इन क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हमारा राजनीतिक जीवन कठिनाई में पड़ सकता है। आज जो राजनीतिक स्थिति है, वह हमेशा नहीं रहेगी। यह हमेशा बदलने वाली स्थिति है और योजना बनाने वालों को बदलती स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि हमें राज्यों में भी संसद में शानदार बहुमत मिला है। इसलिए हमें यह नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ अगले दो या तीन दशकों तक चलेगा और हमें जो अच्छा लगे, उसे हम किसी भी प्रकार करें। मुझे आशा है कि योजना आयोग इस पहलू पर ध्यान देगा।

उप सभापति महोदया, अंत में मैं योजना मंत्री और योजना आयोग से निवेदन करना चाहूंगा कि एक नई सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करना अच्छा है, गरीबी हटाओ के बारे में बात करना अच्छा है, लेकिन आप ऐसे नारे के तार्किक अनुक्रम से नहीं बच सकते। आपको समाज को पुनर्गठित करना होगा; आपको एकाधिकार पर नियंत्रण पाना होगा; आपको आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण पर हमला बोलना होगा; दिखावटी उपभोग को समाप्त करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि योजना मंत्री ने उस दिशा की ओर संकेत किया है कि दिखावटी उपभोग नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात उन्होंने पहली बार नहीं कही है। जब वह ए.आई.सी.सी. के अध्यक्ष थे, तो बॉम्बे[@] में दिसम्बर 1969 में हमने एक संकल्प पारित किया था, जिसमें कई सुझाव दिए गए थे। लेकिन 1969 से 1972 तक एक भी मंत्री के कार्यालय या बंगले से एक भी कारपेट नहीं उठा। यह प्रश्न सिर्फ आर्थिक या वित्त के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी है। शीर्ष पर बैठे लोगों को अपने जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा और उन्हें उम्मीद की एक नई किरण फैलानी होगी, लोगों के प्रति एक नई प्रतिबद्धता दिखानी होगी, समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता शब्दों के द्वारा, हमेशा से रही है, सिर्फ समाजवादियों में ही नहीं, बल्कि मानवतावादियों में भी।

''गरीबी हटाओ'' का यह नारा बॉम्बे, के शिवाजी पार्क में माननीय श्री सी. सुब्रमण्यम ने दिया था। पहली बार यह नारा तब दिया, जब इंसान ने सभ्यता को अपनाया था। लेकिन अब तक वह विफल ही रहा है, क्योंकि प्रचलित सामाजिक ताकतों ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। आज भी, ऐसे

[#] अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

[@] अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

सामाजिक परजीवी हैं, जो इंसान का शोषण कर रहे हैं, जो मेहनतकश जनता का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने काम पर लगे हैं। जब तक आप उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक आप उनका उन्मूलन नहीं करेंगे, जब तक उन्हें दंडित नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य को नहीं छू सकते और मुझे आशा है कि सरकार और योजना आयोग हमारी योजना के इस पहलू पर ध्यान देने के लिए अपेक्षित साहस जुटाएंगे।

धन्यवाद।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना*

उपसभापति महोदय, मैं योजना आयोग को और मेरे माननीय मित्र, योजना मंत्री, श्री डी.पी. धर, और उनके योजना उपराज्यमंत्री, श्री मोहन धारिया को इस दृष्टिकोण दस्तावेज में योजना आयोग को एक नई दिशा देने के लिए सलाम करता हूं।

महोदय, ऐसा मैंने उनकी चापलूसी करने के लिए नहीं कहा है। परंतु यह सच्चाई है कि पहली बार योजना आयोग ने इस देश के लोगों के प्रति कतिपय विशिष्ट प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। प्रतिबद्धताएं स्पष्ट हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि योजना आयोग और इस योजना आयोग का मार्गदर्शन करने वाले लोग इन प्रतिबद्धताओं के निहितार्थों को समझते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि निचले तबके के 30% लोग जो इस देश में निर्धनतम लोगों में से हैं, उनके लाभ के लिए, ऊपर के 30% लोगों को त्याग करना पड़ेगा और उन्हें अपने उपभोग को 5 प्रतिशत तक कम करना पड़ेगा। यह बड़ी उपलब्धता होगी और इसका अर्थ होगा कि यदि यह लक्ष्य प्राप्त होता है तो ग्रामीण निर्धनों का उपयोग 60 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। यह लक्ष्य सराहनीय है। परंतु यह बहुत आश्चर्यजनक है कि उपाध्यक्ष महोदय की अपनी कल्पना, दूरदृष्टि और प्रशंसनीय कार्य के बाजूवद जब हम जीवन की कठोर सच्चाई को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि योजना आयोग नौकरशाही दिमाग की साजिशों की सोच से मुक्त नहीं है जो हमें अब देश में उत्पन्न हो रही वास्तविक स्थिति के मामले में सुस्त और आत्मसंतुष्टि से युक्त पुराने सरकारी रवैये की तरफ ले जा रहा है। महोदय, कल विपक्ष ने कुछ टिप्पणियां की थीं कि यह केवल स्वप्न है और मेरे माननीय मित्र श्री मनुभाई शाह ने कहा कि स्वप्नों के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। उपसभापति महोदय स्वप्न और दृष्टि में थोड़ी सी भिन्नता है। मैं अपने माननीय मित्र श्री डी.पी. धर जी, जो खूबसूरत कश्मीर की घाटी के निवासी हैं, को ऐसी कोरी कल्पना करने की थोड़ी और सुविधाएं या गुंजाइश प्रदान कर सकता हूं। महोदय, तत्वमीमांसा के लिए तो यह अच्छी बात है, या फिर यह कला और काव्य के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जब हमें आर्थिक कठिनाइयों की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है, तो स्वप्न सहायता नहीं करते हैं। केवल दृष्टि को ही कार्यान्वित किया जा सकता है और कल के भारत के लिए योजना आयोग और जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं उनका इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? इस बात को सदन में और सदन के बाहर बार-बार स्पष्ट किया गया है। यदि वे इन लोगों के उपभोग में 5 प्रतिशत कमी कराने जा रहे हैं तो, उसी योजना दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। लेकिन उनके उपभोग में कमी आएगी। योजना आयोग और भारत सरकार के पास क्या तंत्र हैं? क्या हमने पहले कभी ऐसे नारे नहीं सुने हैं? प्रथम योजना दस्तावेज में कई सराहनीय उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया गया था। मैं आज भी कह सकता हूं कि प्रथम योजना एक बहुत ही अच्छा आर्थिक दस्तावेज है, जिसे इस देश में तैयार किया गया, कम से कम अपने उद्देश्यों के संबंध में एक अच्छा दस्तावेज है, लेकिन वह विफल रहा। वह क्यों विफल हुआ? वह इसलिए विफल हुआ क्योंकि उसके वास्तविक कार्यान्वयन के समय स्थिति कुछ और थी।

*''पांचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974-79 का दृष्टिकोण'' विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए राज्य सभा वाद-विवाद, 1 अगस्त, 1973, कॉ. 198-216

उपसभापति महोदय, कल हम खाद्य स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरे माननीय मित्र श्री टी.एन. सिंह ने योजना आयोग में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि वे योजना आयोग के बारे में कुछ जानते हैं। उन्हें ज्ञान है और बहुत ही गहरा ज्ञान है। क्या माननीय डी.पी. धर जी को याद है कि प्रथम और द्वितीय योजना दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था कि हमें खाद्यान्न हेतु बफर स्टॉक बनाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि शहरी आबादी कम कमजोर वर्गों को खाद्य वस्तुएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इसे प्रथम योजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया था और इसे द्वितीय योजना दस्तावेज में दोहराया गया था। उपसभापति महोदय, जब बफर स्टॉक बनाया गया उसके पश्चात् श्री रफी अहमद, किदवई जी का दौर आया। वही दौर जिसकी मेरे मित्र श्री टी.एन. सिंह ने सराहना की है। रफी साहब ने क्या किया? उन्होंने बाजार तंत्र की शुरुआत की। उन्होंने सरकारी स्टोर से जारी किए जाने पर रोक लगा दी। थोड़े समय के लिए बाजार में गिरावट आ गई। धीरे-धीरे इस देश की खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में विनियंत्रण लाया गया। सभी बफर स्टॉक को समाप्त किया गया और विनियंत्रण पूरा हुआ। जिस दिन विनियंत्रण पूर्ण हुआ और यह सब मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, इस पर एक पूरी खाद्यान्न जांच समिति की रिपोर्ट उपलब्ध है। एक माह के अंतर्गत फिर से कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो गई....।

*** *** ***

हमारा दुर्भाग्य है कि थोड़े समय बाद रफी साहब हमारे बीच नहीं रहे। इसने देश में लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा नहीं किया, अपितु सरकार और योजना आयोग में भ्रम पैदा कर दिया और हमने सोचा कि विनियंत्रण से यह सब हुआ है और वह हमारी खाद्य नीति को विकृत करने की शुरुआत थी। आज भी इसमें विकृति लाना जारी है और यह मानसिकता भारत सरकार में जारी है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मेरा योजना मंत्री या किसी अन्य मंत्री के ऊपर उंगली उठाने का कोई इरादा नहीं है लेकिन क्या हमें अपने हृदय में ही नहीं आंकना चाहिए?

मुझे आशा है कि मेरे मित्र श्री डी.पी. धर जी को अहमदाबाद और गांधीनगर का सत्र याद होगा। जब हमने खाद्यान्नों को अपने नियंत्रण में लेने की बात की तो माननीय उपसभापति महोदय, मैंने कहा था कि खाद्यान्न की स्थिति बहुत ही नाजुक होने जा रही है। मैंने कहा: आपको मोटे अनाज को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। मैंने कहा: अड़ियल न बनें, इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं; किसान को अधिक मूल्य दें तथा और अधिक खरीद करें। क्या किया गया? एक तरफ से मुझ पर उग्रवादी के रूप में हमला किया गया था। कुछ मित्र जो ''प्रगतिशील'' थे, और कुछ समाचारपत्रों और साप्ताहिकों ने कहा कि मैं भ्रष्ट गठजोड़ के हितों की पैरवी कर रहा था। मेरे मित्र श्री डी.पी. धर ने भी निर्णय लेने के समय चुप्पी साध ली जबकि उनके विचारों से मैं सहमत था। मैंने कहा कि खाद्य, स्थिति और अधिक संकटमय होने जा रही है। यह सितम्बर, 1972 था। 4 अक्तूबर को मैंने सरकार और पार्टी संगठन को पत्र लिखा कि जो भी तस्वीर बनाई जा रही थी वह गलत थी।

उपसभापति महोदय, मुझे बताया गया था कि इससे घबराहट पैदा होगी। घबराहट किसे होगी? क्या आप सोचते हो कि व्यापारियों को नहीं पता कि देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है? क्या आप सोचते हो कि जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को पता नहीं है? वे श्रीधर या श्री फखरूद्दीन अली अहमद से बेहतर जानते हैं। जो लोग भूख और भुखमरी से तड़प रहे हैं वे वास्तविक घबराहट को जानते हैं। इसे आप किससे छिपा रहे हैं? आप इसे छिपा रहे हैं क्योंकि आप पूर्ण सच नहीं जानना चाहते हैं। आप इसके तार्किक परिणामों का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। जब आप खाद्यान्नों के थोक व्यापार की बात करते हैं तो यह कहने के पीछे क्या सोच थी कि हम 8 मिलियन

टन गेहूं खरीदेंगे? नीति निर्माताओं के मस्तिष्क में एक उम्मीद थी और मैं उम्मीद करता हूं मेरे मित्र श्री डी.पी. धर भी शायद इस विचार को साझा करते हैं कि व्यापारी 8 मिलियन टन खरीदने में सहयोग करेंगे और उसके बाद हम संकट से निपट सकते हैं और पुनः स्थिति बदल जाएगी। परंतु यह नहीं हुआ। निहित स्वार्थों ने इसे अपमान के रूप में लिया। उन्होंने सरकार को चुनौती दी और हमें आश्चर्य, निराशा और नाराजगी है कि आज हम एक कठिन स्थिति में आ गए हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें लोगों से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं। परन्तु क्या आप वास्तव में समाज के उच्च वर्ग से त्याग करवाने के लिए तैयार हैं। क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि अधिकतम सीमाओं के उपभोग में पांच प्रतिशत कटौती किसी भी कीमत पर लागू होने जा रही है? आपको इस बारे में निर्णय करना है। मेरे माननीय मित्र श्री सरदेसाई* ने मेरा कार्य अधिक आसान कर दिया है। उपसभापति महोदय, हमें तय करना है कि क्या उद्योगपति और एकाधिकार वर्ग उत्पादन शक्तियां हैं या उत्पादनकारी शक्तियां वे लोग हैं जो कड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अपनी मेहनत से संपत्ति का उत्पादन कर रहे हैं....। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो मेरे मित्र श्री डी.पी. धर बार-बार कहते हैं कि हमारी स्थिति बांग्लादेश युद्ध और सूखे के कारण कठिन रही है। उपसभापति महोदय, आपको याद होगा कि लगातार 3 वर्षों तक, मानसून उत्तम रहा था और कृषि में हमारी उच्च पैदावार हुई थी। यहां तक कि बांग्लादेश युद्ध में भी, इन निजी उद्योगपतियों ने जूट बाजार से अधिक लाभ प्राप्त किया। परंतु इन वर्षों के दौरान निजी निवेश का माहौल क्या था जब मानसून अच्छा था, जब कृषि उत्पादन अपने उत्तम स्तर पर था और जब लाभ भी कम नहीं थे? उन्होंने उत्पादन में निवेश क्यों नहीं किया? वह इसलिए क्योंकि जब वे सुरक्षित बाजार में कम उत्पादन करके आसान लाभों को प्राप्त कर सकते थे तो वे आपकी अपील के बारे में चिंतित क्यों होते। मैंने प्रैस में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने इन बड़े उद्योगपतियों के असहयोग के बारे में कुछ नाराजगी व्यक्त की है और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति की तरफ से एक प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ था न कि स्वयं किसी बड़े उद्योगपति की तरफ से। 1971 के प्रचंड जनादेश के पश्चात्, 1973 में उन उद्योगपतियों ने महसूस किया कि वे सरकार को बाध्य कर सकते हैं। यहां निर्णय किया जाना है और यह आसान नहीं होगा। एक सामाजिक संरचना से दूसरी सामाजिक संरचना में परिवर्तन एक कठिन कार्य है। मेरे मित्र श्री डी.पी. धर ने एक नई उम्मीद जगायी है। मैं उन्हें सलाम करता हूं इसलिए नहीं कि वे मेरे दोस्त हैं। छह महीने पूर्व मुझे एक गैर-जिम्मेदार व्यक्ति कहा गया था। अब योजना आयोग की प्रामाणिकता के साथ और श्री डी.पी. धर के हस्ताक्षर वाला यह दस्तावेज यह कहता है कि यदि आपको देश को आर्थिक निष्क्रियता के दलदल से बाहर निकालना है तो आपको इन अमीर लोगों से गरीब लोगों के हितों में त्याग करवाना पड़ेगा। इसी बात ने एक नई उम्मीद जगायी है। किंतु क्या इस नारे ने इस स्थिति में परिवर्तन किया है अथवा सरकार या जिनसे यह अपील की गई है, उनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया है? मेरे मित्र श्री धर जी, मैं आपको मानवता के नाते सावधान करना चाहता हूं। ऐसा है कि लेनिन की घोषणा और वाजिद अली शाह के व्यवहार अलग-अलग हैं। ये दोनों साथ-साथ संभव नहीं हैं। इन दोनों की विचारधाराएं भिन्न दिशा में हैं। ये दोनों साथ नहीं चल सकती हैं। आप अपनी घोषणा में, अपने विचारों में और अपने उद्देश्यों में बहुत आगे जा सकते हैं अथवा जो कुछ भी लेनिन ने किया है, उससे आगे जा सकते हैं, किंतु इन कुछ महीनों के दौरान आपके व्यवहार का पैटर्न क्या रहा है? उपसभापति महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ये तथ्य मेरे नहीं हैं। ये तथ्य सरकार

* श्री एस.जी. सरदेसाई, संसद सदस्य।

के हैं। कीमतों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और सरकार का स्पष्टीकरण क्या है? ये वैश्विक घटना है। किंतु क्या यह वैश्विक घटना है कि वहां उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है? उत्पादन, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थिति क्या है? इसमें कमी आयी है।

उपसभापति महोदय, इतना ही नहीं, हम संसाधनों पर पूर्ण अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास इसे उद्धृत करने का समय नहीं है किंतु योजना आयोग के दस्तावेज में यह विचार है कि हम अतिरिक्त संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण कर संसाधन जुटाएंगे। महोदय, यहां 346 बड़ी कंपनियों के संबंध में एक आंकड़ा है कि कंपनियां क्या कर रही हैं, वे कितना लाभ अर्जित कर रही हैं एवं उनका रुख क्या रहा है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन के पृष्ठ संख्या 552 में दिया गया है। यह आंकड़ा हाल का है। वर्ष 1970-71 में पुनर्निवेश के लिए लाभ पर बचत 29.9 प्रतिशत थी। वर्ष 1971-72 में यह घटकर 25 प्रतिशत हो गयी और यह वह वर्ष था जब लाभ में बढ़ोत्तरी हुई है किंतु वे लाभ का वितरण कर रही हैं, वे पुनर्निवेश के लिए इन लाभों की बचत नहीं कर रही हैं। महोदय, क्या मैं विनम्रतापूर्वक श्री डी.पी. धर से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे क्रांतिकारी कदम उठा सके, क्या उनके लिए आज यह घोषण करना संभव हो पाया कि लाभांश राहत दी जाएगी? यदि आप लाभ अर्जित करते हैं तो आप लाभ वितरण के लिए नहीं अर्जित कर सकते, बल्कि उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पुनर्निवेश हेतु लाभ अर्जित कर सकते हैं। यह भी नहीं हो रहा है। तब आने वाले दिनों के लिए क्या उम्मीद है, आप भविष्य में संसाधन कहां से जुटाएंगे? योजना आयोग दस्तावेज में अप्रत्यक्ष करों के सहारे धन जुटाने के संबंध में विचार किया गया है। श्री डी.पी. धर साहसिक शब्दों में मुद्रास्फीति का सामना करने की बात कर रहे थे। मैं उदाहरण नहीं दूंगा किंतु दो ऐसे उदाहरण हैं। इनमें से एक उदाहरण है—चीन, जहां लोगों से सारा सोना ले लिया गया और मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। अत्यधिक कड़े उपाय किए गए। आप कहेंगे कि चीन सर्वाधिकारवादी राज्य है। हाल ही में पश्चिम जर्मनी ने क्या किया? उन्होंने प्रत्यक्ष कर लगाया और इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी खर्चे में कटौती की। और आप इस देश में क्या कर रहे हैं? चूंकि हम अपने संसाधनों के बचत की बात कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पर खर्च का प्रवाह क्या रहा है? वर्ष 1969-70 में यह खर्च 2900 करोड़ रुपए था; वर्ष 1970-71 में 3130 करोड़ रुपए; वर्ष 1971-72 में 4172 करोड़ रुपए; 1972-73 में 4591 करोड़ रुपए और वर्ष 1973-74 में 4752 करोड़ रुपए था। क्या यह योजनागत व्यय है? मुझे जानकारी नहीं है कि क्या योजना भवन का अन्य भवनों पर कोई नियंत्रण है अथवा नहीं? यदि आप मितव्ययिता उपाय करना चाहते हैं तो क्या आप सरकारी खर्च में कमी कर सकते हैं? यदि आप इस व्यय को कम नहीं कर रहे हैं तो आप यह दलील कैसे दे सकते हैं कि लोग अपने खर्चे कम करें? यहां सरकार द्वारा कठोर निर्णय लिए जाने हैं और मेरे मित्र श्री डी.पी. धर हमेशा सरंचनात्मक परिवर्तनों के बारे में बात करते रहे हैं। कभी-कभी प्रेस के लोग कहते हैं कि हम एक-दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैंने पाया है कि श्री धर सभी निजी और सार्वजनिक चर्चाओं में मूलभूत मुद्दों पर सहमत होंगे तथा जब क्रियान्वयन की बात आती है तो वे निराशा में अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ सलाह दे सकते हैं तथा वे दस्तावेज ही दे सकते हैं। महोदय, वे योजना आयोग के न केवल उपाध्यक्ष हैं बल्कि वे भारत सरकार के एक मंत्री भी हैं और मैं आशा करता हूं कि वे मंत्री की जिम्मेदारी को समझते हैं। वह केवल दस्तावेज देकर संतुष्ट नहीं हो सकते हैं उनसे भेंट की जाएगी, उन्हें उन विचारों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा जिसका उल्लेख इस दस्तावेज में किया गया है। मैं गैर-योजनागत व्यय के बारे में बात कर रहा था। हम प्रत्यक्ष उपभोग में पुनः कटौती करते हैं लेकिन

मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इस योजना दस्तावेज में सरकारी कर्मचारियों को कारों की खरीद के लिए ऋण देने के लिए 280 करोड़ रुपये क्यों निर्धारित किए गए हैं। यदि मेरी जानकारी के अनुसार कार की खरीद के लिए एक कर्मचारी को 16000 रुपए दिए जाते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि योजना अवधि में 50,000 और कारों की आवश्यकता होगी। क्या श्री डी.पी. धर कार विनिर्माण के लिए और अधिक क्षमता का सृजन करने जा रहे हैं। यदि नहीं तो इस संख्या का उल्लेख दस्तावेज में क्यों किया गया? मेरे लाचार मित्र श्री ओम मेहता तीन महीने पूर्व बहुत बढ़-चढ़कर बोल रहे थे कि वे लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में उनसे किए गए वादे को पूरा करने जा रहे हैं, कि वे लोगों के ज्यादा गरीब तबकों को घर देने जा रहे हैं एवं वे मलिन बस्तियों में रहने वालों को घर देने जा रहे हैं। आज बजट में भारी कटौती की गई है। किंतु आप सरकारी सेवकों को घर के लिए ऋण देते हैं और हाल ही में इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया गया है। आप इसी योजना का क्रियान्वयन करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी आयोजना में इस देश के 550 मिलियन लोग विश्वास करें और इसकी सफलता के लिए त्याग करें। यह संभव नहीं है। लोग 75,000 रुपए का घर बना रहे हैं, क्या ये गरीब लोग हैं? जो लोग कार खरीद रहे हैं क्या वे गरीब लोग हैं? आपके ही आकलन के अनुसार यदि सब कुछ ठीक से चलता रहा तो देश में 1980 में केवल दो प्रतिशत लोग कार खरीद पाएंगे बशर्ते कार की कीमत आज के कीमत जितनी रहे जोकि असंभव है। यह कष्टप्रद स्थिति है जिससे हमें गुजरना है और उपसभापति महोदय, कोई भी योजना निर्माता यथार्थवादी नहीं है, वस्तुनिष्ठ स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सकता तो वह सफल नहीं हो सकता। श्री डी.पी. धर ने कल कहा था कि हमें स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए तथा हमें ठोस सुझाव देना चाहिए किंतु उपसभापति महोदय, विकल्प बहुत सीमित हैं। किसी भी प्रकार का हेर-फेर, आंकड़ों की बाजीगरी से हमें बहुत से विकल्प नहीं मिलने जा रहे हैं। एक वर्ष पूर्व मैंने अपने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि यदि आप गरीबी हटाओ के नारे को अपनाना चाहते हैं तो आपको अमीरी हटाओ का नारा देना होगा। इसने बड़े लोगों का ध्यान खींचा और मेरी आलोचना की गई लेकिन कोई रास्ता नहीं है। यदि इस गरीब देश में आप गरीबी हटाओ का नारा देते हैं तथा आप आत्मनिर्भरता का नारा देते हैं तो बहुत ही कम विकल्प बचेगा। क्या आप इन संस्थाओं से लड़ने के लिए तैयार हैं? यदि आप इन संस्थाओं से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमारा भविष्य अंधकारमय है। मैं निराशावादी नहीं हूं। हमारे भाग्य का अर्थ देश का भाग्य नहीं है। मैं आशावादी हूं और मुझे इस देश के लोगों पर पूरा विश्वास है किंतु इस संसदीय लोकतंत्र और इस आयोजना का भविष्य अंधकारमय है। उपसभापति महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। हमने बैंक के राष्ट्रीयकरण पर बहुत बात की। इसके पीछे क्या विचार था? विचार बेहतर ऋण नीति का था। क्या हम इसमें सफल रहे हैं? क्या श्री डी.पी. धर बता सकते हैं कि वर्तमान में उधार नीति क्या है? जब पहला दस्तावेज, जो एक दृष्टिकोण पत्र का एक प्रस्ताव था, को हमने समाचारपत्रों में पढ़ा तब योजना आयोग की अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी नीति पत्र निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के सदस्यों के साथ वकालत कर रही थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह नीति पत्र कहां है? यदि यह पूरे विषय के बारे में नहीं है, तो उधार संस्थाओं के बारे में नीति पत्र कहां है? मेरे मित्र, श्री सरदेसाई ने कुछ उदाहरण दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हाल में और अब तक के समय में ये बैंक वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक कार ऋण दे रहे थे। जब मुद्रास्फीति साथ-साथ बढ़ रही थी, तो अचानक जून में भारतीय रिजर्व बैंक की नींद खुली और स्थिति को देखकर कहा कि उधार पर रोक लगनी चाहिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आधिकारिक तौर पर बताया कि इन उधारों का उपयोग समाज के अवांछनीय कार्यों के लिए हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या योजना आयोग इसे देख रहा

था अथवा नहीं? जून 1973 से पहले वित्त मंत्रालय अथवा रिजर्व बैंक क्या कर रहे थे? जब चीजें हाथ से बाहर निकल जाएं उसके बाद आप निराश होकर चिल्लाएं और कुछ करने की कोशिश करें। इस प्रकार कार्य करना संभव नहीं है।

उपसभापति महोदय, मेरे मित्र ने विदेशी मुद्रा संसाधनों का मुद्दा उठाया है। एक वर्ष पहले या एक वर्ष से अधिक समय पहले मैंने इस सभा में एक भाषण दिया था और कुछ वाद-विवादों में मैंने एक उदाहरण का उल्लेख किया था जिसमें विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार ने यह छूट प्रदान की थी। यदि आप एक विदेशी महिला से शादी करते हैं, तो आप एक विदेशी कार प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसका उस समय प्रचार-प्रसार हुआ था और मेरा विचार है कि यह योजना बंद कर दी गई थी, लेकिन क्या श्री डी.पी. धर को पता है कि योजना अभी भी चल रही है?

*** *** ***

अब विदेशी सहयोग की बात करते हैं। श्री सरदेसाई ने इसके बारे में कुछ उल्लेख किया है। यह मजाक नहीं है। आपको यह पुनः जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे विदेशी मुद्रा नियमों में छूट दी गई है। पहले एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय विदेश में रहने वाला एक व्यक्ति 30,000 अथवा 40,000 रुपये मूल्य की कार खरीदने का पात्र था। अब 280 मर्सिडीज या कुछ इस प्रकार का नया मॉडल आया है। इस कार को उनके लिए उपलब्ध कराने के लिए इस मूल्य-सीमा को विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा बढ़ा दिया गया है। जब आप विदेश से वापस आएंगे तो आप और भी आधुनिक कार ला सकते हैं। क्या आयोग ने, बेकार के सहयोग समझौते करके हमने अपने विदेशी विनिमय संसाधनों को किस प्रकार बर्बाद किया है, की एक संपूर्ण सूची तैयार करके रिपोर्ट दी है। दत्त समिति आई और चली गई। इस पर सभा में चर्चा हुई थी। मुझे नहीं मालूम योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दी अथवा नहीं, लेकिन केवल तीन या चार महीने पहले ही इस देश में महिलाओं के अधो-वस्त्रों के विनिर्माण हेतु एक सहयोग समझौता हुआ था। इस देश में यह मनोदशा है। हम उस तक पहुंच चुके हैं। वह विदेश व्यापार मंत्रालय से पूछताछ कर सकते हैं। यही स्थिति है। मैं श्री डी.पी. धर से यह कहते हुए अपील करता हूं कि यदि वह वास्तव में इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें इन योजनाओं में से कुछ को वापस लेना होगा और यदि जरूरी है, तो कुछ योजनाएं जो अधूरी पड़ी हैं उनको बंद करना होगा। उसमें कुछ राष्ट्रीय क्षति हो सकती है लेकिन इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। वस्त्रों का मामला ही लें। हम वस्त्रों पर कितनी राशि खर्च कर रहे हैं? यदि हम 100 करोड़ रु. के वस्त्र निर्यात कर रहे हैं, तो हम 113 करोड़ रु. के लम्बे सूती रेशे आयात करते हैं। फिर, हम घुमा-फिराकर राजसहायता देते हैं जो कि 30 से 40 करोड़ रु. के आसपास होती है। फिर, रंगाई, सहयोग तकनीकी ज्ञान और अन्य चीजों पर 50 करोड़ रु. व्यय करते हैं। हम इसे रोकते क्यों नहीं?

क्या इससे आसमान गिर जायेगा? किसी भी आर्थिक नीति से कोई न कोई विकृति तो आ ही जाती है। वस्त्रोद्योग के लोगों को भारत सरकार द्वारा खैरात दी जा रही है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में क्या हुआ? हम जूट पर आयात शुल्क लगा रहे हैं। सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, उसकी जेब काटी जा रही है। चाहे वह असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल, बिहार या पूर्वी यू.पी. हो, जहां जूट का उत्पादन होता है। वहां के जूट किसान को कम दाम मिलते हैं, वहां के कामगारों को कम मजदूरी मिलती है और सरकार उत्पादित जूट पर सूती वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा देकर, निर्यात शुल्क लगा रही है। उप सभापति महोदय, यह क्यों किया जा रहा है? यह नीति अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। आप इसे क्यों जारी रखे हुए हैं? और जूट इस देश के लिए अभी भी मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जक है। इस नीति के कारण क्या हुआ? इसने क्षेत्रीय विषमता पैदा की है। मैं थोड़ी देर बाद इसकी बात करूंगा।

मैं विदेशी मुद्रा की बात कर रहा था कि इसे किस प्रकार से व्यर्थ किया जा रहा है। हम कम कमा रहे हैं और व्यय ज्यादा कर रहे हैं। एक अध्ययन है कि किस प्रकार विदेशी मुद्रा के एक रुपए को कमाने के लिए, भारतीय मुद्रा में हम कई मदों पर पांच रुपए खर्च कर रहे हैं। वस्त्रों का मामला लीजिये। 1950 से 1960 तक, हमने 160 करोड़ रु. या और अधिक खादी पर खर्च किए, ताकि महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिल सके। यहां खादी आयोग है। उसे बचाने हेतु हमने राजकोष से पैसा दिया। हमने सादा जीवन बिताने पर जोर दिया और उसी दौरान, मेरे मित्र, श्री मनुभाई शाह– वह यहां नहीं बैठे हैं और उस समय वह वाणिज्य मंत्री थे, जो कि खादी में विश्वास रखते थे–मशीन, कपास वस्त्र मशीन आयात करते थे, ताकि आकर्षक कपड़ों का उत्पादन हो सके और उन मशीनों की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने एक समझौता किया कि हम 400 करोड़ रु. के कपास के रेशे आयात करेंगे। उपसभापति महोदय, यह संभव है कि महात्मा गांधी और मफतलाल, बिरला, श्री राम और टाटा, इन सब की आत्मा को एक साथ शांत किया जा सके। आपको यह तय करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी की आकांक्षाओं को पूरा करें या मफतलाल, बिरला और सिंहानिया का पक्ष लें। यह कठिन निर्णय है। कल्पना कीजिए कि कुछ कारखाने बंद हो गए हैं, कुछ हजार कर्मचारी एक या अधिक महीनों के लिए बेरोजगार हो गए; तो क्या ये कारण है कि आप हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधनों को बेवजह व्यर्थ होने देंगे? यह निर्णय कौन लेगा? मैं आशा करता हूं कि श्री डी.पी. के अंदर का कल्पनावादी, क्रांतिकारी, आशावादी इस अवसर पर साहस जुटा कर सरकार और लोगों को सीधे सपाट ढंग से बताएगा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये परेशानियां हैं। यदि हम लोगों के साथ अपनी परेशानियां सांझा नहीं करते हैं तो हम कोई प्रगति नहीं कर सकते।

उपसभापति महोदय, मेरे मित्र श्री डी.पी. धर ने कहा है कि मुद्रास्फीति से कोर क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। कल श्री मनुभाई शाह का मैंने एक अत्यंत प्रभावी भाषण सुना। मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं, जहां उन्होंने आयोजना का बचाव किया है। लेकिन उन्होंने कुछ अति विचित्र तर्कों की वकालत की। वो मुझे समझ में नहीं आए। शायद उनके अंदर का अर्थशास्त्री कुछ समय के लिए गायब हो जाता है और वो कुछ समय के लिए कवि बन जाते हैं। श्री धर क्या आपको याद है उन्होंने क्या कहा था। निर्भीक लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कहा था कि कोई भी योजना अवकाश नहीं होगा। परंतु 1966 में क्या हुआ? मुझे याद है कि श्री धर ने गांधीनगर में कहा था कि जब 1965-1966 और 1967 में अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गयी थी तो उस समय एक अपराध हुआ था।

हमारी सारी परेशानियां उसी के कारण हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या श्री धर का विश्लेषण सही है या दृष्टिकोण पत्र के पक्ष में बोलने वाले श्री मनुभाई शाह का तर्क सही है। उपसभापति महोदय, यह सभी अच्छे विचार हमें कुछ नहीं देंगे। श्री डी.पी. धर कहते हैं कि यदि कोर क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा तो फिर आपको संसाधन कहां से प्राप्त होंगे और आपको 550 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कैसे मिलेगी? आपको खाद्य आयात के लिए 600 करोड़ रु. की आवश्यकता है। मैं आपके समक्ष चिंता उत्पन्न करने वाली तस्वीर प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में जापान के बारे में एक सर्वेक्षण दिया गया है। क्या आप विश्वास करेंगे कि पिछले वर्ष तक किसी भी जापानी कारोबारी को अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जापान की सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे, जहां की मुद्रा सबसे स्थिर है। परंतु हमारे देश में क्या हो रहा है? हर बार–मैं केवल व्यापारियों के बारे में नहीं कह रहा हूं–वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, जो किसी

न किसी कारण से देश के बाहर जाता है। प्रतिनिधिमंडल बिना किसी प्रयोजन के बाहर जाते हैं और वे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं। महोदय, प्रतिनिधिमंडलों को भेजकर किसी देश का विश्व में नाम नहीं होता। पंद्रह वर्षों तक चीन ने एक भी प्रतिनिधिमंडल विदेश नहीं भेजा, परंतु हर कोई उनकी तरफ देखता है और आज प्रत्येक पर्यटक चीन जाना चाहता है क्या आप इतिहास से दूसरों के अनुभवों से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं? यहां फाइनेंशियल टाइम्स का विश्लेषण है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने एक विशिष्ट अवधि तक आवासीय प्रयोजनों के लिए किसी को घर बनाने की अनुमति नहीं दी। सभी निर्माण सामग्री को अस्पतालों, स्कूलों, प्रयोगशालाओं और उद्योगों के लिए प्रयोग किया गया। हमारी सरकार घोषणा करती है कि हम शहरी गरीबी पर रोक लगाएंगे। हर रोज कैलाश कॉलोनी और वसंत विहार योजना आयोग की नाक के नीचे पनप रहे हैं। क्या आप इसे नहीं रोक सकते? क्या आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते? हमारी सिंचाई परियोजनाएं निर्माण सामग्री के अभाव में विफल हो रही हैं। क्या मेरे मित्र श्री डी.पी. धर या श्री मोहन धारिया मेरे साथ चलकर दिल्ली के दिल में प्रतिदिन बन रही भव्य इमारतों को देखने का कष्ट करेंगे, क्या आप इस प्रकार योजना बनाने जा रहे हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को इस तरह प्राप्त करेंगे।

महोदय, आप संरचनात्मक परिवर्तनों की बात करते हैं। क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं था कि वह घोषणा करे कि किसी को भी लाख रुपए से अधिक कीमत का घर बनाने की अनुमति नहीं होगी? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।

रोजगार की स्थिति क्या है? 1961 में सार्वजनिक क्षेत्र में 70.50 लाख थी। 1966 में 93.78 लाख थी। 1972 में यह 111.89 लाख थी। 1961 में निजी क्षेत्र में यह 50.40 लाख थी। 1966-67 में यह 68 लाख थी और 1972 में यह 57.5 लाख थी। हाल के समय में निजी क्षेत्र में रोजगार में गिरावट आई है और ये लोग आसानी से धन अर्जित कर इन घरों का निर्माण कर रहे हैं। ये गरीब लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। उपसभापति महोदय, वे अपनी विशिष्ट खपत से स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं और इन्हें बेरोजगारी और बढ़ते मूल्यों के कारण निराश युवा वर्ग द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं।

उपसभापति महोदय, उन्होंने कहा कि इससे मुख्य क्षेत्र को समस्या नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम कि मुख्य क्षेत्र से इनका क्या तात्पर्य है। यदि इससे इनका मतलब ऊर्जा पैदा करना, भारी अभियांत्रिकी, इस्पात और इस तरह के कार्य हैं तो मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन शिक्षा का क्या? अभी हाल ही में शिक्षा में कटौती की गई। दिल्ली में ही यह एक विशेष घटना है—एक नया विश्वविद्यालय और चार और नए महाविद्यालय स्थापित तो किए जाएंगे लेकिन प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कटौती की गई है। प्राथमिक शिक्षा सलाहकार मण्डल ने अभी हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 1975-76 तक योजित उपागम दस्तावेज में जो कुछ भी दिया गया है, उससे हम संविधान में निहित वायदे को पूरा नहीं करने जा रहे हैं जिसे कि कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में दोहराया गया है। क्या शिक्षा निवेश नहीं है? मैं श्री डी.पी. धर जी से निवेदन करूंगा। वे मॉस्को में हमारे देश के राजदूत रहे हैं जो कि ग्रेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बहुत नजदीक है। दो वर्ष पूर्व मैं पूर्वी जर्मनी गया था और मैं तब काफी उत्साहित हो गया जब एक शिक्षाविद् ने कहा कि युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद, हमने निर्णय किया कि पहला निवेश जो हमें करना होगा यह बच्चों की शिक्षा पर करना होगा। हमें अपनी जनता को पढ़ाना होगा। यहां महात्मा गांधी जी अपने पूरे जीवन इस बात पर जोर देते रहे कि प्रौढ़ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

मेरे मित्र श्री बरुआ, श्री सीताराम केसरी, डॉ. जैड.ए. अहमद, श्री ओ.पी. त्यागी जी और श्री टी.एन. सिंह गांवों में प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करते रहे। हमने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं सुना। मैंने सदन में और सदन के बाहर बार-बार आग्रह किया। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। इस देश का क्या होगा? क्या आपको शिक्षित लोगों की आवश्यकता नहीं है? बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। हमने पानी की आपूर्ति पर, पेयजल पर कटौती लगा रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भारत में 80 प्रतिशत बीमारियां जल-संक्रमण से पैदा होती हैं। आज पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, में कटौती करने जा रहे हैं, आप श्री ओम मेहता की झुग्गी-झोंपड़ियों की मंजूरी को लागू कर रहे हैं परन्तु आप स्थापना में कोई कटौती नहीं करने जा रहे हैं, आप हमारे उपभोग के तरीके में कोई नया व्यवहार नहीं ला रहे हैं।

उपसभापति महोदय, मैं क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। क्या हो रहा है कि पूरे देश में तनाव पैदा किया जा रहा है और यह तनाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र, पुरानी बंगाल प्रेसीडेंसी ब्रिटिश राज्य के समय से ही शोषित है। वर्ष 1956 में भाड़ा बराबरी का एक सूत्र था। उस सूत्र के अनुसार यदि आप रानीगंज से कलकत्ता तक कोयला लेकर जाते हैं तो आपको मालभाड़े की उतनी ही राशि देनी होगी जितनी कि रानीगंज से चंडीगढ़ या बॉम्बे या मद्रास तक ले जाने के लिए देनी पड़ती है। बिहार, असम और अन्य क्षेत्र जहां पर कोयला और नमक नजदीक उपलब्ध था, उन क्षेत्रों को इन चीजों के नजदीक होने के लाभ से वंचित कर दिया गया और यदि आपको नमक या कपास का निर्यात बम्बई और अहमदाबाद से करना है तो आपको भारी मालभाड़ा शुल्क देना होगा। इससे क्या हुआ? गरीब क्षेत्र और गरीब हो गए और पूर्वी क्षेत्र में एक के बाद एक प्राकृतिक वस्तुओं की कमी हो गयी। उपसभापति महोदय, अभी हाल ही में फिलिप्स इंडिया जिसका एक कारखाना कलकत्ता के नजदीक कहीं स्थित है वह विस्तार योजना चाहता था और उसे वह प्रदान नहीं की गई। एक शर्त रख दी गई कि उनको अधिक संख्या में रेडियो का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन पूना में वे लोग बिना किसी शर्त के उत्पादन कर सकते हैं। यह मैं नहीं कर रहा बल्कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री डायस* जी कह रहे हैं जो रिकॉर्ड में है। वह कह रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन और बंगाल के लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है। श्री सिद्धार्थ शंकर रे जी ने भी यही कहानी, यही व्यथा दोहराई। दूसरे सदन में, योजना मंत्री मुझे याद नहीं कि उस समय श्री धर थे या फिर श्री सुब्रह्मण्यम, जिन्होंने कहा था कि बंगाल में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था अब भी जारी है। क्या आप बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जारी रखना चाहते हैं? बिहार से कुछ प्रोफेसर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लोगों का कई दशकों से शोषण हो रहा है।

लेकिन किसी भी व्यवसायी ने वहां किसी संस्थान की स्थापना नहीं की। सरकारी क्षेत्र में श्री टाटा एक बेहद दयालु और बेहद सराहनीय उद्योगपतियों में से एक हैं। मेरे मित्र, श्री सीताराम केसरी यहां उपस्थित हैं। क्या वह जानते हैं कि अभी हाल ही तक जमशेदपुर में, जहां बिहार सरकार के आशीर्वाद से टाटा की जमींदारी आज भी जारी है और मुझे नहीं पता कि श्री डी.पी. धर की सहमति से या नहीं वहां डिग्री कॉलेज नहीं था? श्री टाटा ने बैंगलोर, अहमदाबाद, बॉम्बे और अन्य जगहों पर संस्थाओं की स्थापना की। लेकिन यहां बिहार के हृदय में उन्होंने उद्योग की स्थापना की और उन्हें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि पटना में क्या हो रहा है, धनबाद में क्या हो रहा है और अपने जमशेदपुर में क्या हो रहा है। क्या आप इस प्रकार की अर्थव्यवस्था और इस प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन की अनुमति

* श्री एन्थनी लांसलॉट डायस।

देंगे? क्या आपको लगता है कि ओडिशा और असम के लोगों के दिल नहीं दुखते होंगे? मेरे मित्र, श्री बरुआ[++] अब पेट्रोलियम मंत्री हैं। मुझे आशा है कि वह पक्षपात अथवा भाई-भतीजावाद के आरोपों से नहीं डरेंगे। असम के तेल संसाधनों का क्या हुआ? पश्चिमी भारत में तेल और पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना की गई है। असम आज भी वहीं खड़ा है, जहां वह ब्रिटिश शासनकाल में था।

*** *** ***

मैं यह नहीं कहता कि मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए कि किस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र और निजी उद्योग को विकसित होने दिया जाएगा। उन्हें आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर दो, लेकिन उनकी खपत में कटौती करो, लाभांश में स्थिरता हो, आय-मजदूरी नीति हो और यह देखने का प्रयास करें कि आम आदमी की आकांक्षाओं और घोषणा में लोगों से किए गए वादों का ध्यान रखा जाए जिसका प्रारूप तैयार करने में मेरे मित्र श्री मोहन धारिया बेहद सक्रिय थे और मुझे आशा है कि उन्हें आज भी वह नीतिगत योजना दस्तावेज याद होगा, जिसे 1969 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ए.आई.सी.सी.) की बम्बई में हुई बैठक में तैयार किया गया था।

श्री डी.पी. धर ने हमें एक दस्तावेज दिया था। हम दंतकथाएं नहीं सुनना चाहते, हमें कल्पना नहीं चाहिए। कल्पना के लिए स्वप्न अच्छे हो सकते हैं। वे किसी भी चीज के लिए अच्छे हो सकते हैं। वे कश्मीर घाटी में ध्यान लगाने अथवा अलिफ लैला की कहानियां पढ़ने के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आर्थिक कार्यकलापों के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आप इस देश के अगुआ और अर्थव्यवस्था के परिचालक हैं। यदि आप साहसिक कदम नहीं उठाएंगे, अर्थव्यवस्था को दिशा नहीं देंगे, तो आप केवल अपना ही नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि समाज के मूलभूत ढांचे को, संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला को भी नुकसान पहुंचाएंगे।

[++]तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, श्री डी.के. बरुआ।

आयात-निर्यात नीति*

महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प सदन के समक्ष उपस्थित करता हूं। ''इस सभा की यह सम्मति है कि सरकार की निर्यात-आयात नीति पर विचार करके उस पर एक प्रतिवेदन देने के लिए संसद सदस्यों तथा विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाना चाहिए''।

महोदय, आज देश के सामने जो आर्थिक संकट है और जिसका जिक्र इस सदन में और सदन के बाहर बार-बार हुआ है उसको देखते हुए मैंने यह आवश्यक समझा कि इस विषय पर विचार करने के लिए सदन को प्रेरित करूं। इस बात की प्रेरणा कि इस प्रस्ताव को मैं आपके समक्ष और सदन के समक्ष रखूं, मुझको इस विभाग के एक अत्यंत उत्तरदायी व्यक्ति के उस भाषण या लेख से मिली जिसमें उन्होंने हमारे व्यापार की स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हमारे आयात-निर्यात में व्यापार की क्या गतिविधि रही है। अगर उसके शब्दों को मैं दोहराऊं तो मुझे यह कहना पड़ेगा:—

> ''पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रतिवर्ष 723 करोड़ रुपए के आयात की तुलना में 606 करोड़ रुपए का औसतन वार्षिक निर्यात हुआ जबकि दूसरी योजना के दौरान ये आंकड़े क्रमश: 976 करोड़ रुपए और 609 करोड़ रुपए थे। तीसरी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक निर्यात बढ़कर 751 करोड़ रुपए हुआ परन्तु इसके साथ ही आयात भी बढ़कर 1.177 करोड़ रुपए हो गया। पहली योजनावधि के दौरान औसतन वार्षिक हानिकर व्यापार 117.5 करोड़ रुपए रहा जो दूसरी योजनावधि के दौरान बढ़कर 367.2 करोड़ रुपए हो गया और वर्तमान योजना के दौरान और वृद्धि के साथ यह 430.75 करोड़ रुपए हो गया है।''

यह हमारे व्यापार में आयात-निर्यात की स्थिति है। ये शब्द हैं माननीय वाणिज्य मंत्री श्री मनुभाई शाह के। ऐसा होना कुछ स्वाभाविक भी है क्योंकि किसी भी विकासोन्मुख देश में जहां पर हम उद्योगों में अधिक धन लगाते हैं, उद्योगों के लिए मशीनें बाहर से मंगाते हैं, उनके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, उसमें आयात करना आवश्यक हो जाता है और कुछ हद तक आयात को रोकना देश की प्रगति को रोकने के समान होता है। लेकिन आज प्रश्न यह है कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि आयात-निर्यात का समन्वय किया जा सके और क्या ऐसी संभावना है कि जहां हम अपने निर्यात के व्यापार को बढ़ा सकें और आयात के व्यापार को कम कर सकें।

महोदय, अवमूल्यन के बाद तुरन्त जब राष्ट्र की नीति इस दिशा में घोषित की गई तो प्रधानमंत्री महोदया ने कहा कि हम चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में अपना देश स्वावलंबन की ओर जाए। यह भी कहा गया कि स्वदेशी के विचार को फिर से इस देश में प्रस्थापित करना पड़ेगा और जहां तक संभव हो स्वावलंबन के आधार पर हमको इस देश को आगे बढ़ाना होगा। अगर आज की स्थिति आप देखें तो हमारा जो आयात है वह 1350 करोड़ रुपए के करीब प्रति वर्ष है और निर्यात है वह करीब

*''सरकार की आयात-निर्यात नीति पर विचार करने के लिए संसद सदस्यों और विशेषज्ञों की समिति के गठन, के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त, 1966, कॉ. 4318-37 (मूल हिन्दी में)।

800 करोड़ रुपए का है। 550 करोड़ रुपए की हर साल हम को कमी पड़ती है, अपने कामकाज को चलाने के लिए। इस 550 करोड़ रुपए की कमी के साथ-साथ हमारे ऊपर जो विदेशी ऋण हैं उनका भुगतान जब हमको करना पड़ेगा तो उसमें और भी वृद्धि होगी। यह 550 करोड़ रुपए की विषमता को रोक पाना, इसको पूरा कर पाना आज की स्थिति में बहुत कठिन है।

मैं फिर दूसरा उद्धरण माननीय मनुभाई शाह के उस भाषण से नहीं देना चाहूंगा जो उन्होंने 1962 में इसी सदन में दिया था और कहा था कि जहां पर आर्थिक शक्तियां काम करती हैं, जहां पर आर्थिक उद्देश्य हमारे उद्योगों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं वहां पर देश भक्ति की भावना भी हमको बहुत दूर तक आगे ले जाती है और उन्होंने कहा था कि एक ओर जहां हम को अपने उद्योग की वस्तुओं में कमी करनी पड़ेगी, वहां दूसरी तरफ इसी सदन में उन्होंने कहा था कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो आयात-निर्यात के व्यापार में काम करते हैं उन्हें कम मुनाफा लेकर, कम लाभ लेकर देश के बड़े हित के लिए इस काम को करना पड़ेगा। लेकिन पिछले वर्षों में क्या हुआ? हमको और आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने जो सुविधाएं दीं इस देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए, इस देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, उनका सदुपयोग क्या किया गया, क्या जो आकांक्षा उन्होंने 1962 में जिन व्यापारियों से की थी उन व्यापारियों ने उनकी आकांक्षा को पूरा किया?

इस पूरे सत्र में, सदन में इस्पात के निर्यात को लेकर जो बड़ा हंगामा मचा उसको मैं यहां पर नहीं उठाऊंगा। उसमें कितने करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है, यह वाणिज्य मंत्री जी जानते हैं। जो हिसाब अभी तक जनता के सामने आया है उसमें करीब 8 से 10 करोड़ रुपए तक की बर्बादी हुई है और मैं समझता हूं कि यह कुल हुई हानि का 10 फीसदी से कम है। कितने रुपए की बर्बादी हुई, यह हम नहीं जानते।

इसी तरह दूसरे क्षेत्रों को आप ले लीजिए। क्या हम जो आज आयात करते हैं उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर खाद्यान्न को ही ले लीजिए तो 120 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमें खाद्यान्न के आयात पर खर्च करनी पड़ती है। हम समझते हैं कि ये अवमूल्यन के पहले के आंकड़े हैं। अवमूल्यन के बाद स्थिति क्या हो गई है वह वाणिज्य मंत्री ही हिसाब लगा कर के बताएंगे क्योंकि मेरे लिए वह शायद संभव नहीं है। आप याद रखिए कि 1964-65 में हमारे देश की क्या हालत थी। 88.9 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ था जो करीब 89 मिलियन टन हुआ। 7 मिलियन टन हमने बाहर से मंगाया था। इसका अर्थ यह है कि देश के खाद्यान्नों की आवश्यकता 96 मिलियन टन थी। आज क्या स्थिति है? आज हमारी कुल पैदावार, जो सरकार कहती है, 73 या 74 मिलियन टन के करीब है जो कि सूखे की स्थिति में है और हम 12 या 14 मिलियन टन और मंगाते हैं। कुल 86 मिलियन टन से हम इस साल इस विपत्ति की स्थिति में भी काम चलाने की बात सोचते हैं। यह कैसे संभव होता है? यह इसलिए संभव होता है कि हम देश के सामने इस संकट को सही मायनों में रखते हैं और देश से कहते हैं कि इतने में हम को काम चलाना है। आखिर भारत इससे पहले 89 मिलियन टन पैदा कर चुका है। हमारे खाद्य मंत्री जी बड़े साहस के साथ दुनिया के सामने जो कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, हम अन्न का आयात करेंगे। चाहे इसके लिए मेरी कितनी आलोचना हो। मैं नहीं जानता कि यह आत्मविश्वास की भावना का प्रतीक है या अपने में से आत्मविश्वास खो देने का एक अनुभव, यह तो आप और सदन तय करें।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश को सही मायने में यह समझना होगा कि अगर देश में आयात की मात्रा को कम नहीं किया गया तो देश आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। चाहे हमारे वाणिज्य मंत्री जी अवमूल्यन के पक्ष में रहे हों, चाहे विरोध में रहे हों। अवमूल्यन तो हुआ ही, चाहे उसको हम चाहें या न चाहें। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस समय इस तरफ सरकार की दृष्टि क्यों नहीं जाती। हमारे सामने इंडस्ट्री ऐंड ट्रेड का जो एस्टीमेट आया है उसके अनुसार 5 करोड़ रुपए का डेयरी का सामान हम हर साल मंगाते हैं। इसकी क्या जरूरत है? क्या डेयरी उत्पादों का आयात करना आवश्यक है? मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर नहीं चल सकता तो डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस देश में क्या किया गया है?

अब मैं वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। कपास या काटन को ले लीजिए। पिछले वर्षों में अवमूल्यन के पहले 60 करोड़ रुपए से 90 करोड़ रुपए की रुई हर साल हम विदेशों से मंगाते रहे हैं, उसमें से कुछ अफ्रीका के देशों से, कुछ अमेरिका के देशों से। मान्यवर, मैं अभी पिछले दिनों बम्बई में महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग के एक अधिकारी से योजना के संबंध में बातचीत कर रहा था। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने कहा कि मीडियम स्टेपल कॉटन हम पैदा कर रहे थे इस प्रदेश में और उसकी खपत काफी बढ़ रही थी, लेकिन हम को कोई प्रोत्साहन केन्द्रीय सरकार की ओर से नहीं दिया गया। यही नहीं, हमारा माल खरीदने के लिए पूंजीपति भी तैयार नहीं थे। जो प्राइस कंट्रोल के अंदर मिलें चल रही थीं वह भी उसके लिए तैयार नहीं थीं। यह क्या स्थिति है? अब जो माननीय मंत्री जी ने रुई के संबंध में, नई नीति बताई है उसके अनुसार 150 करोड़ रुपए की रुई हम हर साल मंगाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने यहां के कृषकों को 150 करोड़ रुपए पैदावार बढ़ाने के लिए कभी दिए। यह कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और देशों से सामान मंगाना भी जरूरी होता है और सामान भेजना भी जरूरी होता है। यह मैं मानता हूं, लेकिन अमेरिका से पी.एल. 480 के अंदर जो हम इतनी ज्यादा रुई मंगाते हैं, क्या इसको कम नहीं किया जा सकता? दूसरे कहा जाता है कि हमारे यहां बड़े रेशे की कपास पैदा नहीं होती, लांग स्टेपल कॉटन पैदा नहीं होती और हमारे देश में कुछ ऐसी मिले हैं जो केवल लांग स्टेपल कॉटन ही इस्तेमाल कर सकती है। मैं बड़े विनय के साथ वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 10-15 वर्षों में ये सारी मशीनें लगाई गई हैं जिनको बड़े स्टेपल की, बड़े रेशे की कपास की जरूरत है। उनको मशीन खरीदने के लिए आपने विदेशी मुद्रा दी और उनकी खपत के लिए बड़े रेशे की कपास मंगाने के लिए और अधिक मुद्रा दे रहे हैं। आखिरकार यह कौन सी नीति है मेरी समझ में नहीं आता। अगर इस बड़े रेशे की रुई से ऐसा कपड़ा बनता है जो निर्यात के कामों में जाता तो समझ में यह बात आ सकती थी, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय जो कहता है उसके अनुसार केवल 3 फीसदी या 4 फीसदी कपड़ा बड़े रेशे की रुई से बना हुआ विदेशों को भेजा जाता है। विदेशों में जो हमारा बाजार है कपड़े का वह मीडियम और कोर्स कपड़े का है, उसके लिए हिन्दुस्तान में पैदा हुई रुई काफी हद तक उपयोगी होती है। मैंने खुद वाणिज्य मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से पूछा है कि रुई क्यों कम पैदा होती है, उन्होंने कहा कि रुई क्यों कम पैदा होती है इसका जवाब आप खाद्य मंत्रालय से पूछिए क्योंकि कपास अधिक पैदा करने का काम वाणिज्य मंत्रालय का नहीं है, खाद्य मंत्रालय का है। देश के सामने जब इतना बड़ा आर्थिक संकट है, देश के सामने जब जीवन मरण का प्रश्न है तो इसको ऊंचा उठाने के लिए एक-एक आदमी को कुर्बानी करनी पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों एक साथ बैठकर ऐसी योजनाओं को क्यों नहीं बनाते।

इसी सिलसिले में मैं आर्टिफिशियल सिल्क के सवाल को भी लेना चाहूंगा। जो इस सदन में पहले भी उठ चुका है। हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ चीजें जरूरी होती हैं, मशीनें, हैं, उनमें मजदूर लगे हुए हैं। कितने मजदूर लगे हैं, उसके ऊपर हम कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में अगर आप देखें तो 14 करोड़ का एडवर्स बैलेंस आफ ट्रेड हमने केवल आर्टिफिशियल सिल्क में किया। आर्टिफिशियल सिल्क का जितना यार्न मंगाया और जितना निर्यात किया है दोनों में 6 वर्षों में 14 करोड़ का नुकसान हुआ है। यही नहीं इसके लिए जो हमने इनसेन्टिव दिए हैं वे इनसेन्टिव अलग हैं। उन इनसेंटिव की बात आप छोड़ दीजिए, हमने व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, धन दिया और उन व्यापारियों ने किस तरह उसका दुरुपयोग किया। यह एक बहुत दुखद बात है — इससे बड़े दुख और अपमान की बात इस देश के नागरिकों के लिए दूसरी नहीं हो सकती। जिन लोगों को धन दिया उन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। उन लोगों ने निर्यात में 5.50 करोड़ रुपया का नुकसान करवाया। यही नहीं, उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपया जो जमा कर रखा था बैंकों में गारन्टी के तौर पर, वाणिज्य मंत्रालय ने वह डेढ़ करोड़ रुपया माफ कर दिया, उनका वह रुपया भी जब्त नहीं किया गया। सबसे दुखद बात यह है–जो वाणिज्य मंत्री महोदय को मालूम है–कि तीन वर्ष तक उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई, फाइल वाणिज्य मंत्रालय से गायब हो गई, जिसके ऊपर ऑडिट का एतराज हो, जिसके ऊपर लोक लेखा समिति विचार कर रही हो, डेढ़ करोड़ रुपए के इस व्यापार के लेनदेन की बात की फाइल वाणिज्य मंत्रालय से गायब हो गई। उससे भी दुख की बात यह है कि उसकी सूचना न वाणिज्य मंत्री महोदय को दी गई, न उसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को दी गई, न उसकी सूचना किसी और को दी गई। पहले पहल वह मामला तब आया जब लोक लेखा समिति ने वाणिज्य मंत्रालय से उस फाइल की मांग की। मैं वाणिज्य मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस पर अब जांच शुरू कराई है। मैं यथाआदर के साथ वाणिज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आखिरकार वाणिज्य मंत्रालय में जहां आयात-निर्यात का व्यापार होता है, अधिकारी लोग किस तरह हमारे प्रशासन को चलाते हैं। भ्रष्टाचार का किस तरह व्यापक प्रभाव होता है, यह देखकर कभी-कभी दुख से हृदय भर जाता है। मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। अगर कोई सदस्य किसी भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध सदन में कोई मामला उठाता है तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि किस तरह से इस सदन में और सदन के बाहर चलना और बात करना मुश्किल हो जाता है। मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने 5.50 करोड़ रुपए के निर्यात के होने में असुविधा डाली। वे कौन लोग हैं जिनके ऊपर डेढ़ करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगना चाहिए उन व्यापारियों के ऊपर वह नहीं लगा और फाइल गायब हो गई। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही वाणिज्य मंत्री इस सिलसिले में कुछ सदन के सामने और देश के सामने रखेंगे कि आखिरकार वे कौन लोग हैं जिन्होंने इस काम को किया है।

पेट्रोलियम को ले लीजिए। 190 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम हम हर साल आयात करते हैं क्योंकि पेट्रोलियम आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां जो बहुत अच्छे किस्म की मशीनों से चलती हैं, उन्हें पेट्रोलियम की जरूरत है। लेकिन क्या यह संभव नहीं कि जब हमारे देश में पेट्रोलियम की कमी है और दूसरी तरफ कोयले की अधिकता है तो हमारे देश में ऐसी फैक्ट्रियां बनाई जाएं जो कोयले से चलें। जब यू.एस.एस.आर. में यह हो सकता है, चीन में यह हो सकता है तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं? क्यों हमको होड़ है ऐसे देशों से जिनके पास पेट्रोलियम का

अथाह सागर भरा पड़ा है, जिनके साधन असीमित हैं और उनको कोई कठिनाई नहीं है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर हम कोशिश करते तो 90 करोड़ रुपए के आयात को कम करके 45 या 50 करोड़ रुपए कर सकते थे। हर आइटम जो इसमें दिया हुआ है उसे मैं नहीं लेना चाहूंगा। कॉस्मेटिक्स के ऊपर 45-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये क्योकि किए जाते हैं? हम कह सकते हैं कि इस गरीब देश में मर्राइज्ड क्लाथ की जरूरत नहीं। सब लोग मोटा कपड़ा पहनें। जब मनुभाई शाह जैसे आदमी मंत्री हैं तो हम ज्यादा उम्मीद करते हैं। सारी जिन्दगी उन्होंने गांधी जी के चरखे के काम में बिताई है और उसके बड़े भारी प्रचारक हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं होता।

दूसरी बात लीजिए जिसके ऊपर बड़ा सवाल उठा, बड़ा हंगामा हुआ सारे देश में। हर साल विदेशी देश हम को 40 करोड़ रुपए उर्वरक आयात करने के लिए देते हैं। इस राशि से अनेक फैक्ट्रियां बन सकती हैं लेकिन वे यह राशि फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं देते। हो सकता है कि कोई बड़ी गूढ़ आर्थिक नीति हो और जिसका प्रतिपादन करते समय हमारे योजना मंत्री और खाद्य मंत्री साहब को कोई भार न महसूस होता हो, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि क्यों हम इतना बड़ा बोझ अपने सिर पर ले रहे हैं। कितनी बड़ी रॉयल्टी इसकी बिनाह पर वे इस देश से ले जाएंगे इसका क्या कोई अंदाज किया गया है?

यह कहने के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि खेती के बारे में जो नीतियां बनी हैं वे कृषि भवन के वातानुकूलित वातावरण में बनी हैं उनको समझ में नहीं आता कि भारत के किसान की क्या जरूरतें हैं। अगर भारत की सारी कृषि को देखें तो पता चलेगा कि भारत के अधिकांश किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए रुपया नहीं मिल सकता, लेकिन करोड़ों रुपए का बोझ लादा जा रहा है हमारे देश के ऊपर उर्वरक का कारखाना खोलने के लिए। चूंकि इसके ऊपर बहुत जिक्र हो चुका है, इसलिए इस सिलसिले में मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह के कारखानों को रोकना चाहिए, जहां तक हो सके निधियों का किफायत से उपयोग करना चाहिए।

वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि हम बनी बनाई चीजें इस देश के अंदर मंगाते हैं। क्या यह संभव नहीं है कि हम कच्चा माल मंगाएं, कारखाने यहां पर लगाएं और इस देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करें कि हम अधिक से अधिक स्वावलम्बी बन सकें। आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज होड़ लगी हुई है देश में बाहर से चीजें मंगाने की।

एक बात इसी सिलसिले में और कहना चाहूंगा। बार-बार यह कहा जाता है कि कुछ जरूरत की चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं मंगाया जाएगा तो देश में तहलका मच जाएगा और प्रजातंत्र नहीं रहेगा। मैं कभी-कभी जब सुनता हूं तो आश्चर्य होता है, दुख होता है, जब हमारे मंत्री लोग यहां आकर कहते हैं कि अगर प्रजातांत्रिक ढांचे को बनाए रखना है तो बाहर से मदद लेना जरूरी है, बाहर से सामान मंगाना जरूरी है। मैं वाणिज्य मंत्री से कहूंगा कि याद कीजिए 1947 के पहले के जमाने को, इतनी अधिक गरीबी थी, हमारे पास कुछ भी साजोसामान नहीं था लेकिन इसी देश के लोगों ने एक दो नहीं लाखों की तादाद में खड़े होकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, लोगों ने घर को बर्बाद कर के कहा कि हिन्दुस्तान को आजाद करने के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हैं। अगर देश के लोग स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए अपने सारे सुख को तिलांजलि दे सकते हैं, अगर देश के लोग स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं तो मेरा विश्वास है कि इस देश की

जनता आज भी वह आत्मविश्वास रखती है कि इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए, अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए वह बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार है लेकिन उसके लिए सही दिशा चाहिए, सही वातावरण चाहिए और वह सही वातावरण देने का काम वाणिज्य मंत्री जी का या इस भारत सरकार का है।

मुझे दुख है कि इस सिलसिले में बहुत कम काम किए गए हैं, न केवल उद्योगों और व्यापार के सिलसिले में बल्कि दूसरे सिलसिले में भी। इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह जो अवमूल्यन हुआ रुपए का और उसके बाद वाणिज्य मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे–मैंने उनसे पूछा था कि इससे कहां तक देश का निर्यात बढ़ेगा। मैंने उस पर सोचने समझने की कोशिश की–तो यह कहा गया था कि लम्बी अवधि में बढ़ेगा, लम्बी अवधि का क्या मतलब होता है, मैंने वाणिज्य मंत्री जी से इस बारे में प्रश्न पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, आज भी मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। अवमूल्यन के बाद आज जो देश की स्थिति है उसमें आने वाले भविष्य में, छः महीने में, साल में, दो साल में, निर्यात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है जो लोग यह समझते हैं कि निर्यात बढ़ने वाला है वह आज मृग–मरीचिका में है। वाणिज्य मंत्री महोदय जानते हैं कि अवमूल्यन के बाद पिछले तीन महीनों में निर्यात व्यापार और नीचे गिरा है। एक्सपोर्ट कम हुआ है। यही नहीं, यह डॉलर एरिया रूबल एरिया रुपए के क्षेत्र में कम हुआ है। वाणिज्य मंत्री ने बहुत मेहनत से पूर्वी यूरोप के देशों से और रूस से जाकर समझौता कर लिया लेकिन वह समझौता करने के बावजूद भी वहां की सरकारें, वहां के व्यापारी आज उन समझौतों के मुताबिक पूरा काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हमारे बंदरगाहों में माल पड़ा है। इसलिए अवमूल्यन के कारण जो तमाम कठिनाइयां पैदा हुईं उनका हल कोई निकट भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता। कहा क्या गया था अवमूल्यन के समय पर, कि जो कैश इंसेंटिव दिया जाता है, यह जो निर्यात के प्रोत्साहन के लिए रुपए की मदद दी जाती है, इससे पता चला है कि हमारे रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह नहीं है जो होनी चाहिए और कहा गया था कि अब कैश इंसेंटिव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अभी पिछले दिनों ही–अगर मैं गलत होऊं तो वाणिज्य मंत्री जी मुझे ठीक कर दें इन्होंने जो प्रोत्साहन देने की नीति का एलान किया है उससे कम से कम 30 करोड़ रुपए का बोझा हमारे बजट के ऊपर पड़ने वाला है। आखिरकार उस बोझ से कितना फायदा होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। अधिक से अधिक यह फायदा होगा कि 800 करोड़ का जो निर्यात था वह बना रहे लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, मेरी ऐसी आशंका है कि शायद निर्यात सात सौ या साढ़े सात सौ करोड़ रुपए का ही रह जाएगा और हम अधिक कठिनाइयों में पड़ जाएंगे तो मैं क्या समझूं। उनको जिन महोदयों ने कहा था कि अवमूल्यन की पृष्ठभूमि में रुपयों की सहायता आवश्यक हो गई थी तो यह जो दूसरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्या वह दूसरे अवमूल्यन की पृष्ठभूमि है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। मैं अवमूल्यन की बारीकियों में नहीं जाऊंगा, उस पर अलग से विवाद हो गया है। लेकिन मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि अवमूल्यन की जो अच्छाई और बुराई थी वह हमारे सामने है लेकिन अगर आज इस आर्थिक नीति में कोई संयम और कोई अनुशासन नहीं आया तो ठीक नहीं। पिछले दिनों तो अनुशासनहीनता के साथ हम चल पाते थे लेकिन आज उस अनुशासनहीनता के साथ इस देश में हमारे लिए चलना सम्भव नहीं। पिछले जमाने में भारत सरकार थोड़ा बहुत अलग जा सकती थी, निर्यात करने का वायदा करके उसको न कर पाएं यह हम बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन आज हम उस कगार पर आ पहुंचे हैं कि अगर थोड़ी सी भी ढील हुई तो यह सारा देश रसातल की ओर चला जाएगा और वह सबसे गहरा अंधकारमय

भविष्य हमारे और आपके लिए होगा, आने वाली संतानों के लिए होगा और हो सकता है कि हम ही लोग उसके पाप को कभी सहन नहीं कर सकें।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। पिछले दिनों में हमने एक्सपोर्ट के लिए यह कहा था कि 83 फीसदी के करीब ऐसा माल जिसको परम्परागत माल कहते हैं और उस पर कोई प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है और हम विदेशी बाजारों में दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। मैं आपको यह कहूंगा कि न केवल हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने कहा कि वह दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अवमूल्यन के बाद 26 जून को जो पेपर सरकुलेट किया उसमें इस संबंध में उन्होंने यह कहा:—

> ''तथापि यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारे सभी निर्यातों के मूल्य ऐसे हैं जो उन्हें विश्व बाजार में अप्रतिस्पर्धात्मक बनाते हैं। हमारे केवल 17 प्रतिशत निर्यात को सरकार से प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता है परन्तु शेष 83 प्रतिशत निर्यात सरकार से कोई राजसहायता प्राप्त किए बिना विश्व बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रहा है।''

83 फीसदी हमारा माल ऐसा था जो बिना सब्सिडी के विदेशों में दूसरे देशों के माल के साथ प्रतिद्वंदिता कर सकता था, उसके बावजूद भी अवमूल्यन किया गया। खैर, कुछ आर्थिक बातें थीं। कौन सी थीं तो, यह वाणिज्य मंत्री, और उनकी सरकार जाने, मुझे कम से कम यह बात समझ में नहीं आती। उपसभापति महोदया, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि आज हालात बहुत खराब हैं और उस खराब हालत में एक बात की ओर हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। जहां आयात-निर्यात व्यापार की ओर संक्षेप में मैंने संकेत किया वहां यह भी पूछना चाहूंगा कि विदेशी मुद्रा का उपयोग कैसे होगा। यह एक दूसरा पहलू है जिसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल एक जिक्र वाणिज्य मंत्री से करना चाहूंगा मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन के बारे में। यह कॉर्पोरेशन आपने किस काम के लिए बनाया है। जहां तक मेरी जानकारी है स्क्रैप के 12 व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट से हैं उनमें से 6 को आपने इस कॉर्पोरेशन का मेम्बर बना दिया, 3 सदस्य डायरेक्टर्स हैं और इस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अब प्रश्न यह है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं — मैं क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिए कि वह वही व्यक्ति है जो कि एक जमाने में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हमारे व्यापार के डायरेक्टर थे और उनके बारे में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने कहा है कि पाइप के लेन-देन में इनका हिसाब-किताब कुछ ठीक नहीं था। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड छोड़ने के बाद आज आपके इस मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन के वह अध्यक्ष हो गए। इस कॉर्पोरेशन को आपने अधिकार दे दिया है कि जितना स्क्रैप होगा वह इसके जरिए एक्सपोर्ट होगा। अगर आप सरकारी नियंत्रण में, इसको रखते तो बात मेरी समझ में आती लेकिन 6 एक्सपोर्टर्स को सारा अधिकार दे दें और बाकी लोगों को वंचित कर दें यह मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पीछे कौन-सी नीति है, कौन-सा लाभ सरकार ने सोचा है।

यह मैं आपसे अनुरोध करूंगा और मैं समझता हूं कि आपके स्मरण के लिए आपको बता दूं कि आपका यह नोटिफिकेशन है न. बी. एंड डी./9/पी.डी.-66/67 (स्क्रैप), दिनांक 28-4-66 इसका मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि वैधानिक दृष्टि से भी यह उचित नहीं है। जहां सरकार एक व्यापार को अपने नियंत्रण में, अपने हाथ में, ले वहां मैं इसको उचित मान सकता हूं लेकिन सरकार व्यापार को कुछ लोगों के हाथों में सीमित कर दे यह कुछ उचित नहीं। इसी सिलसिले में मैं यह भी जिक्र कर दूं कि वह कपास मंगाने में जो उसके हर इस्तेमाल करने वाले से कुछ रुपया लेते हैं और

उस इक्वेलाइजेशन फंड को व्यापारियों के हाथ में दे दें यह भी उचित नहीं है। उसी तरह आइरन और स्टील में भी यह काम होता है। उसके ब्यौरे में भी नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि अभी मुझे बोलने के लिए तीन चार मिनट और हैं, या पांच मिनट हैं।

महोदया, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय शायद यह कहें कि यह भी मेरे चार्ज में नहीं है, अभी वित्त मंत्री महोदय यहां पर मौजूद थे। आखिरकार विदेशी मुद्रा किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। एक तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान ले जाना चाहूंगा और आप यह सोच सकती हैं कि इस देश में हमारी जानकारी के बिना कितने बड़े-बड़े काम हो जाते हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह पब्लिक अकाउंटस कमेटी की तैंतालीसवीं रिपार्ट है पोस्ट एंड टेलीग्राफ के बारे में। इसमें एक समझौते का जिक्र किया गया है। इस सदन को जानकर हैरानी होगी कि हमने इंगलैंड की एक कम्पनी से, जिसका नाम स्टैंडर्ड टेलीफोन एंड केबल्स लिमिटेड है, एक समझौता किया 1949 में। समझौता बीस वर्ष के लिए हुआ। उस समझौते में हमने यह कहा कि यह कंपनी बंगाल में एक कंपनी बैठाने में हमारे विशेषज्ञों की मदद करेगी और उस मदद के बदले हमने यह तय किया कि, जितना हम उत्पादन करेंगे उसका छः फीसदी रॉयल्टी उसको देंगे। दूसरे यह कहा गया कि बीस वर्षों तक 1969 तक उसके अलावा जितने माल की हमको जरूरत होगी टेलीफोन केबल्स के लिए उसका पच्चीस फीसदी इस कंपनी से खरीदने के लिए हम मजबूर होंगे और वह कंपनी जो मूल्य कहेगी उसे ब्रिटिश पोस्ट ऑफिसेज में जमा कर दिया जाएगा। पिछले 17 वर्षों में 1949 से 1966 तक और आगे 1969 तक जिस कीमत पर हम इस फैक्टरी से केबल खरीद रहे हैं वह इंटरनेशनल प्राइस का ठीक दोगुना है। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस संबंध में जो हमने समझौता किया उस समझौते में उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि 20 वर्षों के अंदर कभी इस समझौते को हम फिर से रिवाइज करेंगे। यह नहीं उस समझौते का एक क्लाज यह भी है कि कोई दूसरी ऐसी फैक्टरी हम इस देश में तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक वह केबल फैक्टरी हमको इजाजत नहीं देगी। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता का नाम मैं नहीं लेना चाहता भारत में अपने को बहुत बड़ा समाजवादी कहने वाले यह नेता उस जमाने में इंग्लैंड में हाई कमिश्नर थे। 35 लाख से अधिक रुपया केवल रॉयलिटी में हम दे चुके हैं, कितने करोड़ रुपए हमने अधिक फॉरेन एक्सचेंज पर दे दिया है। यह हिसाब न पोस्ट ऑफिसेज के पास है और न आपके स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पास है और न आपका जो दूतावास इंग्लैंड में है, उसके पास है।

महोदया, अब मैं एक दूसरी बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह यह है कि इसका जिक्र हुआ है कि कोई एक माननीय गंजू साहब हैं जो वाशिंगटन में हमारे विदेश मंत्रालय में थे। वहां से वे हटाए गए। हटाने के बाद वित्त मंत्रालय ने उनको वहां नौकरी पर रख लिया और नौकरी पर रखने के बाद 30,000 रुपए सालाना खर्च के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाती रही।

अगले साल के लिए एक लाख डालर की मांग वित्त मंत्रालय में की गई। इसकी जांच होनी चाहिए। आखिरकार ये कौन हस्ती हैं जिनके बिना इस देश का काम नहीं चलता है? जिसकी मासिक तनख्वाह 62,500 रुपए के करीब होती है और इसके अलावा उनके विदेश में रहने का खर्च भी हमारा वित्त मंत्रालय दे रहा है। एक ओर विदेशी मुद्रा के लिए रुपया भीख मांगना दूसरी तरफ इतने रुपए की बर्बादी करना, यह सरकार के लिए शोभा नहीं देता। मैं अत्यंत सम्मान के साथ वाणिज्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि आप सरकार का ध्यान इन दो तथ्यों की ओर ले जाएं। सरकार ने एक दो नहीं,

दसियों समझौते पिछले 15 वर्षों में ऐसे किए हैं जिसमें करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा विदेशों में बर्बाद हो रही है। अवमूल्यन के बाद भी भयंकर स्थिति को देखते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि विशेषज्ञों की और संसद सदस्यों की ऐसी समिति बनाई जाए जो इन सारी बातों में जाए और जाकर वाणिज्य मंत्रालय से यह अनुरोध कर सके कि इस देश की बिगड़ी हुई हालत ठीक करने के लिए कौन-सा कदम उठाया जाए।

औद्योगिक विकास : नीति और आयोजना*

उपसभापति महोदय, मेरे कार्य को माननीय श्री भूपेश गुप्ता द्वारा सराहा गया है। उन्होंने बिरला साम्राज्य के विकास या विस्तार में आंकड़े दिये हैं। मैं इस प्रश्न को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहूंगा। मैं सभा और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लें, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा क्योंकि आर्थिक विकास और प्रत्येक समाज के विकास की अपनी एक प्रक्रिया होती है। आर्थिक विकास अपनी निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत चलता है और इसे किसी के चाहने या न चाहने से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि हम कतिपय एकाधिकारियों को अपार धन एकत्रित करने की खुली छूट प्रदान करते हैं, यदि हम उन्हें कतिपय सुविधाएं देते हैं, तो इनके साम्राज्य में विस्तार होगा, यह केवल अकेले बिरला का अपराध नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति या अन्य का अपराध नहीं है। यह स्वयं प्रणाली का दोष है परन्तु अकेले बिरला को अलग निकाला गया, क्योंकि अपने विरोधियों को परास्त करने में उनका कोई सानी नहीं है।

जब वे भारतीय गणराज्य हेतु संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान निर्माता इस विकास के प्रति सजग थे और इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस हेतु अनुच्छेद 39(ख) और (ग) में यह प्रावधान किया है:–

> ''राज्य अपनी नीति का, विशेष रूप से इस प्रकार संचालन करेगा कि:–
>
> ख. समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;
>
> ग. आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो;

जैसा कि मैंने कहा, यह स्वयं संविधान में वर्णित था। इसके बाद 1856 में भारत सरकार ने औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया। औद्योगिक विकास मंत्री ने औद्योगिक नीति संकल्प के उद्देश्य को वर्णित किया और तीसरे उद्देश्य के अनुसार इस हेतु प्रत्येक कदम उठाया जाए कि धन का संकेन्द्रण न हो और किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता का संकेन्द्रण न हो। उपसभापति महोदया, यह खेद का विषय है और निश्चित रूप से शर्म का भी कि इन निर्णयों के बावजूद हम कुछ लोगों को संविधान की मूल भावना, संविधान निर्माताओं और भारत सरकार के मूल मंतव्य पर कुठाराघात करने से नहीं रोक पाए हैं। यह न तो मैं हूं न श्री भूपेश गुप्ता हैं; यह तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे; मेरे विचार से 22 अगस्त, 1960 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दूसरी सभा में कुछ इस तरह कहा था: ''मुझे आश्चर्य है कि धन कहां जा रहा है, देश में विकास तो हो रहा है लेकिन इस देश में ऐसे लोग हैं जो इससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हूं कि सारा विकास कहां जा रहा है।'' पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव करते हुए अपने भाषण में

* औद्योगिक आयोजना और लाइसेंस नीति संबंधी अंतरिम प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 29 मई, 1967, कॉ. 1065-1083

कहा कि इस असमान विकास का ब्यौरा जानने एवं इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए महालनोबिस समिति की नियुक्ति की गई। यदि मुझे सही से याद है तो इस समिति की नियुक्ति अक्तूबर 1960 में की गई थी। समिति को एक समय सीमा दी गई थी। उपसभापति महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किस प्रकार यह समिति कुछ भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकी हालांकि इसने प्राप्त करने का प्रयास किया था। मैं उद्धरणों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है। एकाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वे केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से कुछ सूचनाएं प्राप्त करना चाहते थे किंतु संगठन ने कहा कि सूचना केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कुछ पूंजीपति लोग इसका बुरा मानेंगे और कहेंगे कि उनके मूल अधिकारों के अनुसार इस सूचना को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद इस समिति ने भारत सरकार से संपर्क किया और कहा कि उन्हें कानून में परिवर्तन करना चाहिए किंतु भारत सरकार ने कानून नहीं बदला और केवल यह कहा कि समिति को इसकी मांग करनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ और समिति को वे रिपोर्टें नहीं मिलीं जिसे वह पाना चाहती थी। एकाधिकार आयोग को भी रिपोर्टें नहीं मिलीं। इस आयोग ने भी यह कहा कि वे पूरी तरह जांच करने के लिए पर्याप्त सामग्री और पर्याप्त आंकड़े नहीं जुटा सके। महालनोबिस समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार आयोग की नियुक्ति अप्रैल, 1964 में हुई और यह कहा गया कि यह आयोग 31 अक्तूबर, 1965 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट, जो इस समय मेरे पास है, में कहा कि लगभग छह या सात महीने तक समिति को एक भी कर्मचारी नहीं दिया गया। इसके बाद वे सरकारी विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने जानकारी पाने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से मदद मांगी किंतु उन्होंने विशेषाधिकार का हवाला दिया कि वे आंकड़ों को प्रकट नहीं कर सकते तथा वे इसे एकाधिकार आयोग को नहीं दे सकते। यही स्थिति तकनीकी विकास महानिदेशालय की थी और उन्होंने कहा कि उनके पास और विस्तृत आंकड़े नहीं हैं और इसलिए यह कहना उनके लिए संभव नहीं था कि उनके आंकड़े पूरी तरह विश्वसनीय हैं। मेरे कुछ मित्र, जिन्होंने बिरला की कार्रवाई को औचित्य-पूर्ण बताने का प्रयास किया, यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि महालनोबिस समिति, एकाधिकार आयोग एवं हजारी समिति की रिपोर्टों में विसंगतियाँ हैं। किंतु स्वयं इस आयोग ने कहा है कि वे बेनामी लेनदेन के कारण इस बात पर आश्वस्त नहीं थे कि कोई व्यक्ति विशेष बिरला से जुड़ा हुआ था या नहीं और इस प्रकार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उन व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया या शामिल नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे बिरला के बेनामदार नहीं हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि बेनामी की समस्या देश के समक्ष बड़ी समस्या है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि उनके पास कोई आंकड़ें नहीं थे, क्योंकि आंकड़ों तक उनकी पहुंच नहीं थी, इसलिए उनके पास कोई सूचना नहीं थी। अत: उन्होंने कहा है कि इन बेनामदारों का पता लगाना उनके लिए संभव नहीं था। डॉ. हजारी इनमें से कुछ का पता लगाने में समर्थ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पक्की सूचना है कि ऐसे अनेक बेनामीदार हैं जिन्हें हजारी समिति की रिपोर्ट में भी शामिल नहीं किया गया था। उपसभापति महोदया, मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि जब डॉ. पी.एस. लोकनाथन, महान अर्थशास्त्री, इस समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए उन्होंने कहा, आप अपना नीति संबंधी संकल्प तैयार कर सकते हैं–मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं; मैं आपको उन्होंने जो कहा उसका मात्र सार बता रहा हूं। उन्होंने कहा, ''आप अपना नीति संबंधी संकल्प तैयार कर सकते हैं, लेकिन यदि उनको आर्थिक शक्तियां प्राप्त हो जायें, तो प्रवृत्ति यही रहती है कि उनके ही हाथों में हमेशा अधिक से अधिक आर्थिक शक्तियां रहें।'' आयोग ने पुन: कहा था: ''चूंकि हम इस पहलू की तह तक नहीं गए, हम डॉ. लोकनाथन की आपत्तियों पर अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। एकाधिकार आयोग

की रिपोर्ट सीमित है, मेरे मतानुसार सीमित नहीं है; यह आयोग द्वारा स्वयं दी गई राय और सुझावों और कथनों के अनुसार सीमित है। यह समस्या है और यह स्थिति है जिसमें हम हजारी समिति की रिपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं।

महोदया, अब मैं हजारी समिति की रिपोर्ट पर आता हूं। यह रिपोर्ट क्या संकेत देती है? यह प्रश्न नहीं है कि क्या एक व्यक्ति विशेष अथवा समूह अथवा उद्योगपतियों को 299 लाइसेंस दिए गए थे। प्रश्न यह है कि यह विशेष समूह देश के संपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक जीवन पर किस प्रकार दबदबा बनाता है। इस हजारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विशेष समूह ने औद्योगिक उत्पादन के सभी क्षेत्रों में अपना मकड़जाल फैला लिया है। मैं रिपोर्ट में से ही उद्धरण दूंगा जिसमें पैरा 10.6 में कहा गया है:—

बड़ी संख्या में बिरला के प्रस्तावों और इसमें विचार की गई निवेश की राशि संपूर्ण औद्योगिक ढांचे के लिए प्रस्तावित की गई है। बेसिक इस्पात और विद्युत उत्पादन को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन जो घरेलू विनिर्माण के योग्य हैं, बिरला संदर्शी योजना में शामिल हैं। नए और तेजी से बढ़ रहे उद्योगों विशेष रूप से एल्युमिनियम विद्युत का सामान, रसायन, सीमेंट, मानव-निर्मित फाइबर और धागे, भारी अभियांत्रिकी, मिश्रित इस्पात, कच्चा लोहा, यंत्र इमारती लकड़ी के उत्पादों, समाचार-पत्र छपाई और पाइपों और ट्यूबों में रुचि स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन परम्परागत उद्योगों जैसे कि कपास, चीनी, वनस्पति और कागज की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

यह हजारी रिपोर्ट से उद्धरण है। कुछ माननीय साथी देश में ऐसा माहौल निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समूह ने देश के लिए अच्छी सेवा की है क्योंकि वे हमारे आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं। उप सभापति महोदया, केवल एक अवसर पर सरकार इसके विरुद्ध गई और यह तब हुआ जब भारत सरकार ने अपने विवेक से बिरला समूह को स्वयं का इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं करने दिया। बिरला समूह इस इंकार को सहन नहीं कर पाया। उन्होंने राष्ट्र को बताया और राष्ट्र और इस संसद तथा संपूर्ण भारत को बताने का प्रयास किया कि यह समूह इस देश के 45 करोड़ लोगों से अधिक शक्तिशाली है, इस समूह की सराहना करने वाले कतिपय मित्र भारतीय राष्ट्र और इस संसदीय संस्थान की अवमानना कर रहे हैं, मैं कुछ भी अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूं। कुछ समय पूर्व जब बोकारो परियोजना के समक्ष कुछ समस्याएं आ रही थीं तो इस्पात मंत्री ने लोक सभा में कहा था कि भारत में एक लॉबी थी और अमरीका में एक लॉबी थी जो पूर्ण परियोजना को विफल करने का प्रयास कर रही थी। मैं यह किसी वामपंथी समाचारपत्र या साथी यात्री जैसा कि कुछ लोग मुझे बताते हैं—से उद्धरण नहीं कर रहा हूं।

यहां ''इकोनॉमिक टाइम्स' के अर्थशास्त्री श्री रंगनेकर की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। इसे ''द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स'' नामक संस्थान द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया है। श्री रंगनेकर ने ''इंडियन एंड ऑफ यू.एस. लॉबी'' शीर्षक के तहत लिखा है कि:—

> ''बोकारो को तबाह करने के गंदे खेल में, एक अग्रणी भारतीय व्यावसायिक घराने ने भयावह भूमिका निभाई है। अपनी इस्पात परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए नेहरू सरकार को मनाने की कोशिश में विफल होने के बाद इसने पैंतरेबाजी कर वाशिंगटन में स्टील लॉबी के साथ करार किया। ऐसा विश्वास है कि इस पर भारतीय घराने ने कुछ सहायता संघों तथा अन्य प्रस्तावों की साजिश रची है जिन्हें अमेरिकी हितों द्वारा लाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है जब

परिस्थितियां कठिन हो गईं तो यह इसे रोकने में कैनेडी प्रशासन की मदद करने में सफल रहा। इन खेदजनक कदमों को सरकारी उद्यम और समाजवाद में संबंधित किसी भी चीज के प्रति अमेरिका के स्वाभाविक विरोधाभाव के कारण अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण लाभ मिला।''

यह उद्धरण इस रिपोर्ट से लिया गया है। मैं चाहता हूं कि बिरला परिवार के प्रेमीजन और वे सब लोग जो बिरला परिवार की प्रशंसा करते हैं और जो उन्हें क्लीन चिट तथा इस देश की सेवा का प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, वे मुझे बताएं कि क्या यही देश की सेवा है। क्या यही राष्ट्र सेवा है? और मैं सरकार से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि जब इस्पात मंत्री ने यह बयान दिया और जब हमारे सामाजिक जीवन में एक जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से ऐसा बयान आया तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं? मुझे आशा है कि सरकार इस आरोप को नकार नहीं सकती कि बिरला परिवार हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के प्रयास कर रहा है। जब उनका ऐसा रवैया है, तो क्या वो इस पर ध्यान नहीं देंगे? उपसभापति महोदया, इस सम्मानित सभा को यह निर्णय करना है कि क्या एक बड़े व्यावसायिक घराने को इन दांव-पेंचों की अनुमति दी जाए या नहीं। इतना ही नहीं, वे इस देश के संपूर्ण राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से हजारी समिति रिपोर्ट से उद्धरण दूंगा। उन्होंने कहा है कि बिरला घराने के हित कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक, व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों में हैं। बिरला घराना हर जगह है, शायद मेरे माननीय मित्र श्री रेड्डी के राज्य को छोड़कर, लेकिन वहां भी उन्होंने दो हित खरीद लिए हैं, एक सीमेंट उद्योग और दूसरा मशीन-उपकरण उद्योग। क्या आपको लगता है कि यह सब बिना किसी योजना के हैं? उपसभापति महोदया, इसमें भी भयावह योजना निहित है। यह देखते हुए कि राज्य केन्द्र को प्रभावित करेंगे, बिरला घराने ने समझदारी दिखाई और वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने अधिकार में रखने का प्रयास कर रहे हैं और राज्यों के विधानमंडलों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि केन्द्र में ऐसा करना उनके लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि यहां कई महान व्यक्ति बैठे हैं, जो अब तक देश की नियति का निर्माण करते आए हैं। लेकिन, राज्यों में आज यह संभव है। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे माननीय मित्र श्री भूपेश गुप्ता ने इस मामले में कुछ राजनीति लाने का प्रयास किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिरला घराने का यह मामला राजनीति के सभी बंधनों से, राजनीतिक विचारधाराओं के सभी बंधनों से परे है, क्योंकि वे प्रेस और राजनेताओं के माध्यम से संसद तथा पूरे देश को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम संयंत्र और केरल में रेयान पल्प संयंत्र उनकी बड़ी उपलब्धियों में से हैं। लेकिन उपसभापति महोदया अगर आप इन दोनों संयंत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश का एल्युमिनियम संयंत्र और केरल के रेयान संयंत्र में जाएं, तो आप पाएंगी कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश के एल्युमिनियम संयंत्र की कड़ी आलोचना की है। वहां कांग्रेस की सरकार थी। पूरी रिहंद परियोजना, जो उस क्षेत्र के भूख से मर रहे लोगों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु परिकल्पित की गई थी, का उपयोग बिरला घराने को नाममात्र मूल्य पर विद्युत देने के लिए किया गया और.....

*** *** ***

हां, तभी मैंने कहा कि ये बहुत ही कम कीमत पर दिया गया और फिर केरल में क्या हुआ? उपसभापति महोदया, मैं आपको बता सकता हूं कि मानव इतिहास में ऐसा बदतर समझौता नहीं किया गया क्योंकि बिरला उद्योग ने उद्धृत किया था कि वे 2.80 रु. प्रति टन के हिसाब से बांस खरीदेंगे और

समझौता एक रु. प्रति टन के लिए किया गया। यह समझौता श्री नमबूदरीपद के नेतृत्व वाली केरल की साम्यवादी सरकार द्वारा किया गया। यह समझौता यहां है।

मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं और मैं तब तक कुछ नहीं कहना चाहता हूं जब तक कि दस्तावेजों पर आधारित कोई प्रथमदृष्टया मामला न प्राप्त हो। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट यहां हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ और समय दिया जाए। मैं मुझे दिए गए समय में अपनी बात सीमित करने का प्रयास करूंगा। मैं रिपोर्ट के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। संसद की लोक लेखा समिति केरल गई थी और मैं उस समिति का सदस्य था और उन्होंने मामले की जांच की क्योंकि उस समय केरल विधानमंडल कार्यरत नहीं था। संपूर्ण समझौते पर चर्चा की गई और लोक लेखा समिति की इन दो रिपोर्टों में उद्धृत किया गया। लोक लेखा समिति की 47वीं रिपोर्ट का यह द्वितीय भाग है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिरला उद्योग को अपने हित साधने की अद्‌भुत क्षमता प्राप्त है। वे यह आराम से कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी युक्तियां क्या हैं, उनके प्रचालन की विधियां क्या हैं लेकिन महोदया, यह सच है कि वे सभी राज्यों के विधानमंडलों को प्रभावित कर रहे हैं और इस प्रवृत्ति को प्रारंभ में ही रोका जाना चाहिए था।

उपसभापति महोदया, मैं समझ सकता हूं कि अगर यह कहा गया कि कुछ लाइसेंस दे दिए गए थे, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसी भी लाइसेंस को देखें जो बिरला उद्योग को दिया गया तो यह पाया जाएगा कि लाइसेंस केवल इसलिए दिया गया कि वे न केवल प्रतियोगियों को बल्कि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी मशीनरी को भी मात देने और झांसा देने में समर्थ रहे। महोदया, इस संबंध में मैं कुछ और तथ्य बताना चाहूंगा।

महोदया, दूसरा मुद्दा विदेशी मुद्रा के बारे में है। कुछ लोगों द्वारा अन्य दलील यह दी गयी है कि बिरला उद्योग ने अपने उपक्रमों के घटकों में विदेशी मुद्रा में कमी की है लेकिन आप शुरुआत में देखें कि स्थिति क्या थी। प्रारंभ में उनके विदेशी मुद्रा घटक लगभग 80 प्रतिशत थे। जब विदेशी मुद्रा आसानी से उपलब्ध थी, बिरला उद्योग देश में अधिक राशि प्राप्त हो रही थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, क्या यह सत्य नहीं है कि भारत के बाहर 12 कंपनियां बिरला उद्योग द्वारा चलाई जाती हैं? और इनमें से दो कंपनियां–एक–द इस्टर्न इंडिया प्रड्यूस लिमिटेड लंदन में है और दूसरी–द इस्टर्न इंडिया प्रड्यूस न्यूयार्क में है–जो बिरला उद्योग के लिए केवल अधिक मूल्य बताने और कम मूल्य बताने का कार्य करती हैं। क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय को इन दोनों कंपनियों के बारे में पता था? इन सभी असफलताओं के बावजूद भी कुछ भी नहीं किया जा रहा, क्यों? कारण क्या है? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। यदि वे गड़बड़ी कर सकते हैं, यदि वे सभी नियमों और प्रक्रियाओं तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, के सभी प्रावधानों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि अन्य प्रतिद्वन्दी क्या कर सकते हैं?

उपसभापति महोदया, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं इस संबंध में अपनी टिप्पणियों को संक्षिप्त में करने का प्रयास करूंगा। माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने तेजी से विकास किया है और अभी कर रहे हैं परन्तु बिरला की तुलना में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति कुछ लोगों का व्यवहार रहा है? मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मुझे नहीं पता कि इसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं लेकिन जेसोप्स नामक एक कारखाना है

या था। पहले यह मूंदड़ा से संबंधित था किन्तु अब यह भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। जेसोप्स ने बिहार में सोन बैराज द्वारों के निर्माण के लिए 'कोट' किया था। यह एक वैश्विक निविदा थी लेकिन बिरला की किसी कम्पनी ने कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की थी। 1964 में मैंने इस मामले को इस सभा में उठाया था। मैंने तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्री को पत्र लिखे जिनकी प्रतिलिपियां मेरे पास हैं। मैंने यह कहा कि जेसोप्स एक सरकारी उपक्रम है, इसकी निविदा बहुत कम थी और विदेशी मुद्रा की इसकी मांग बहुत ही कम थी। मेरी जानकारी के अनुसार जेसोप्स मात्र 2,50,000 रुपये की मांग कर रहा था जबकि बिरला जिसे यह काम मिला वह विदेशी मुद्रा में 40 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। टेक्समॉको बिरला की कम्पनी है परन्तु इसने कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की थी। वॉयस्ट नामक एक आस्ट्रियन फर्म थी जिसने निविदा भेजी थी। वॉयस्ट ने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि टेक्समॉको भारत में उनका सहभागी है। वॉयस्ट और इसके सहयोगी रिहंद और भाखड़ा नांगल परियोजनाओं का निर्माण कर रहे थे। उस पत्र के आधार पर टेक्समॉको को, जेसोप्स, जो एक सरकारी उपक्रम है, की दावेदारी के बावजूद, सोन बैराज द्वारों के निर्माण का आदेश दिया गया। और क्या हुआ? दो वर्षों के पश्चात बिरला ने कहा कि वे सोन बैराज द्वारों का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें जापान से इस्पात के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है। केवल गत वर्ष ही केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग का एक दल बिहार गया। उन्होंने पूरे मामले की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विदेश से आयात किए गए इस्पात की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और जेसोप्स का कोटेशन ठीक था। मुझे पता नहीं कि बिरला को कुछ सुविधाएं प्रदान करने में कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है परन्तु एक बड़ा अपराध सम्पूर्ण सोन बैराज परियोजना में दो वर्षों की देरी होना है और आज हम बिहार में ऐसी भुखमरी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये लोग जो मनुष्य के जीवन के साथ खेल रहे हैं उन्हें हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का संरक्षक और रक्षक माना जाता है।

उपसभापति महोदया, मैं आपका और सभा का ध्यान एक अन्य पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अन्य औद्योगिक उपक्रमों का कब्जा प्राप्त करने या इनकी खरीद का प्रश्न लाइसेंसिंग से जुड़ा है। कुछ लोग शोर करेंगे कि यह हजारी समिति से कैसे संबंधित है। अब सम्पूर्ण लाइसेंसिंग नीति की परिकल्पना केवल हमारे आर्थिक विकास में क्षेत्रीय संतुलन लाने और यह देखने के लिए कि आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण न हो, के लिए की गई थी। परन्तु बिरला एक अन्य तरीका अपना रहे हैं। उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है; वे लघु उद्यम उपक्रमों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। यह हाल में भी हुआ है। इंडिया स्टीम शिप कॉ. परिवर्तन करना चाहती थी। तीन संभावित खरीददार थे। क्योंकि उस कम्पनी ने भारत सरकार से एक बड़ा ऋण लिया था, कम्पनी कानून विनियमनों के अन्तर्गत ऐसी कम्पनी को सरकार की अनुमति लेना जरूरी था और मेरी जानकारी के अनुसार पोत एवं परिवहन मंत्रालय ने दूसरों की उपेक्षा करते हुए बिरला को प्राथमिकता दी है। इतना ही नहीं, मुझे आशा है मैं किसी बड़े रहस्य का खुलासा नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रत्नाकर शिपिंग उपक्रम, जिसे बिरला द्वारा लिया गया था, का क्या हुआ। यह रत्नाकर जहाजरानी व्यापार श्री धर्म तेजा के व्यापार से भी ज्यादा उदार है। इसमें भारत सरकार के करोड़ों रुपए लगे हैं और बिरला अपराधी हैं। मैं आपको एक दूसरा प्रकरण बताऊंगा। नवंबर 1964 में प्रवर्तन निदेशालय के कतिपय अधिकारी टेक्समेको गए और कतिपय संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए और बिरला परिवार सदस्यों में से एक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। उन दस्तावेजों का क्या हुआ? मुझे हाल में बताया गया है कि एक जांच अभी चल रही है। वे न केवल अनुज्ञापन नीति की हेराफेरी कर रहे हैं, वे न केवल भारत

सरकार की आर्थिक नीतियों की हेराफेरी कर रहे हैं परन्तु वे घिनौने अपराधों को भी करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनका विकास प्रभावित न हो।

महोदया, मैं आपका ध्यान दूसरे पहलू की तरफ खींचना चाहूंगा। उनका बड़ा बैंकिंग हित है और उनके उद्योग इसके द्वारा वित्तपोषित हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कैसे छोटे उद्योग बिना किसी आस्तियों के बड़े लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं और कैसे वे लाइसेंस वित्तपोषित किए जाते हैं। बिरला की तुलना में मूंदड़ा अपने निष्पादन के लिए शर्मिन्दा होंगे। मेरी सूचना के अनुसार, 75 कंपनियां हैं जिनके पास कोई आस्तियां नहीं हैं, जिनके पास कोई पूंजी नहीं है परन्तु वे सभी सुचारु ढंग से चल रही हैं। यह मेरी सूचना है; मैं गलत हो सकता हूं परन्तु मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री सही आंकड़े देंगे और गत दो वर्षों के दौरान भारत सरकार ने इन उद्योगों को ऋण के रूप में 85 करोड़ रुपए दिए हैं। न केवल यह, निजी बैंकिंग स्रोतों, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और अन्य बैंकिंग संस्थानों से उन्होंने 125 करोड़ रुपए तक के उधार लिए हैं। अत: मैं कहता हूं कि ये बैंकिंग संस्थान और सरकारी संस्थान बिरला के हितों की सहायता कर रहे हैं। सरकार उन्हें 3 से 4 प्रतिशत तक के ऋण देती है, जबकि मध्यम उद्योग 5 से 8 प्रतिशत तक पर ऋण प्राप्त करते हैं, ऐसी रियायत क्यों? सरकार को अपनी स्थिति को बताना होगा। यह कहना इतना सरल नहीं है कि डॉ. हजारी ने कतिपय चीजों को इंगित किया है और कतिपय लोग आए और कहा कि उन्होंने देश की बहुत अच्छी सेवा की है। मैं विवरणों में नहीं जाऊंगा, परन्तु वाहन उद्योग के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। छोटी कार क्यों नहीं आ रही है? यह केवल बिरलाओं के प्रभाव के कारण है कि यह नहीं आ रही है। न केवल यह कि मैं सरकार से हिन्दुस्तान मोटर्स के कार्यकरण को जानने का अनुरोध करूंगा। बहुत हाल ही में उन्होंने एक आयात लाइसेंस की हेराफेरी की। उन्होंने कुछ कलपुर्जों को बदला जो आयात लाइसेंस में नहीं थे और उन कलपुर्जों को आयात किया। मामला एस.पी.ई. के पास है और उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। परन्तु हो क्या रहा है कि कुछ छोटे कार्मिक उसके लिए अभियोजित किए जा रहे हैं, न कि बिरला। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। भारत सरकार के कुछ बड़े अधिकारी वहां हैं जो यह देखने के लिए हैं कि सारी चीज रफा-दफा हो जाए। इस रिपोर्ट को इसी परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए। भारत सरकार ने केवल 3 या 4 बार बिरलाओं के मामले में छोटी जांचें की हैं। पहली बार यह 1946 में था, 1948 में भारत सरकार ने एक आयकर जांच आयोग नियुक्त किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1945-46 के मध्य में बिरलाओं ने 12 करोड़ रुपए कर का अपवंचन किया। वे उच्चतम न्यायालय गए और उसके पश्चात आयकर अधिकारी ने कहा कि यह आंकड़ा 12 करोड़ पर आया। बिरलाओं ने कुछ भुगतान करके भारत सरकार के साथ समझौता किया मैंने यह प्रश्न यहां उठाया। मुझे स्व. फिरोज गांधी की याद आ जाती है, जब उन्होंने रूबी और दी न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कंपनीज का मुद्दा उठाया।

मैं कह सकता हूं कि रूबी इंश्योरेंस कंपनी और दि न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कंपनी के इस मामले को इसी सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों को दे दिया गया है और मैं किन्हीं गुप्त दस्तावेजों का खुलासा नहीं कर रहा हूं। यह पुस्तकालय में है और इसे सदन की दूसरी सभा में पटल पर रखा गया। मैं दोनों ही रिपोर्टों की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। दि न्यू एशियाटिक इंश्यारेंस कंपनी से संबंधित रिपोर्ट यह कहती है। यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट है न कि मेरी रिपोर्ट:-

> ''अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में हमने पाया कि शेयरधारकों और आम जनता के समक्ष अच्छी तस्वीर पेश करने के उद्देश्य से व्यवस्थित रूप से लेखा बहियों को झुठलाने और वर्ष दर वर्ष लाभ में हेर-फेर करने के लिए दि न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय और

शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से षड्यंत्र किया जा रहा था। कई मामलों में खाता बहियों को झुठलाने के लिए कंपनी द्वारा अपनाये गए तरीके का पता सामान्य जांच से नहीं लगाया जा सकता था।''

रूबी इंश्योरेंस के बारे में अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि:—

''कि कंपनी द्वारा जानबूझकर जीवन बीमा और साधारण बीमा विभाग के बारे में वर्ष दर वर्ष खाता बहियों में हेर-फेर किया गया और झुठलाया गया तथा इन वर्षों के राजस्व खाता और तुलन-पत्रों से कंपनी की सही स्थिति सामने नहीं आती है।''

मैंने केवल इन दो पैराग्राफों को उद्धृत किया है। मैं आयकर अधिकारियों की रिपोर्टों के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं।

एक तीसरा बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह कि पिछले तीन वर्षों में हमने राजस्व लेखापरीक्षा की इस प्रणाली को लागू किया है। हर बार जब भी कभी महालेखापरीक्षा कार्यालय के ईमानदार कर्मचारी किसी कंपनी की लेखापरीक्षा करने के लिए जाते हैं....

इस राजस्व लेखापरीक्षा के अंतर्गत वे सरसरी तौर पर नमूना लेते हैं और केवल दस प्रतिशत लेखाओं की ही परीक्षा की जाती है। समग्र रूप से एक प्रतिशत अथवा 0.5 प्रतिशत बिरला के बारे में हो सकता है। किंतु पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष जब कभी बिरला कंपनी की बात आती है तो आकलन में थोड़ी विसंगतियां आती हैं। मेरे पास तीन या चार वर्ष के आंकड़े हैं किंतु मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैंने इनकी प्रतियां उद्योग मंत्री को दे दी हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसके संबंध में मैंने जांच के लिए भारत सरकार को सभी कागजात दे दिये हैं। वस्त्र क्षेत्र में मैंने एक महीने पूर्व माननीय उप प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया था और जांच चल रही है। मेरे पास नमूना है। मेरे पास बिरला के रजिस्टर के पृष्ठ हैं, जिनमें उन्होंने अपने अधिकारियों को अनुदेशित किया है कि उत्पाद शुल्क में कैसे हेर-फेर करें, ताकि उन्हें कम भुगतान करना पड़े और नियंत्रित मूल्य को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे पास यहां बिरला के वस्त्र उद्योग के नमूने हैं जहां उन्होंने गलत ब्यौरा दिया है जिसके द्वारा उन्होंने उत्पाद शुल्क में 4 पैसा प्रति मीटर वंचन किया है और कपड़े के नियंत्रित मूल्य को 8 पैसा प्रति मीटर की दर से बढ़ाया है।

मैं इसे सभा पटल पर नहीं रखूंगा क्योंकि सरकार इस मामले की जांच करने जा रही है। मैं कंपनी के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। मेरे पास यहां बीस पृष्ठों का ज्ञापन है। मैंने इसे भारत सरकार को प्रस्तुत किया है। जब मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूं, तो मैं इसे केवल इस अनुरोध के साथ उठा रहा हूं ताकि यह देखा जा सके कि किस प्रकार एक विशिष्ट उद्योग समूह द्वारा इस सरकार, आपकी संसद द्वारा पारित नियमों और विनियमों का वंचन किया जा रहा है और किस प्रकार उद्योगों का एक समूह भारत सरकार के सभी अधिकारियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है। यह काफी गंभीर परंतु दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। फिरोज़ गांधी यहां नहीं हैं, यह इनके लिए अच्छा है। दि न्यू एशियाटिक और रूबी इंश्योरेंस कंपनी, एफेयर्स की स्थापना के तुरंत बाद ही उनका निधन हो गया था। मैं बिरला के किसी भी समर्थक को चुनौती देता हूं। बिरला के किसी एक कारखाने की जांच कीजिए और आप देखेंगे कि हर प्रकार के अपराध का सहारा लिया जा रहा है। बिरला की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, जहां सभी प्रकार का हेर-फेर न किया जा रहा हो। इन परिस्थितियों के अंतर्गत साधारण उल्लेख पर्याप्त नहीं है। चाहे भारत सरकार कितनी भी सख्त हो पर जब तक कि पूरी प्रणाली में ढांचागत परिवर्तन नहीं किए जाते,

अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। जब तक बैंकिंग संस्थान निजी हाथों में हैं और जब तक बिरला द्वारा बैंकों के साथ हेर-फेर किया जाता रहेगा, आप उनके कदाचार की जांच नहीं कर सकते, परंतु इन सीमाओं के भीतर भारत सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे मित्र श्री भूपेश गुप्ता ने विवियन बोस समिति के बारे में कुछ कहा, परंतु मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यह संसदीय समिति होनी चाहिए, जिसे इस सभा द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए और यह समिति बिरला से जुड़े सभी मामलों की जांच करे। इस मामले की जांच संसद क्यों न करे? यह व्यक्ति कैसे और किस प्रकार पूरे भारत को मूर्ख बनाने में सफल रहा है, न केवल सरकार को बल्कि पूरे देश को।

उपसभापति महोदया, इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिरला द्वारा हेर-फेर और धोखाधड़ी के ब्यौरे की विशिष्टत: जांच हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने में शर्माना नहीं चाहिए और उन्हें कतिपय कदम, दूरगामी प्रभाव वाले कदमों को हमारे सामाजिक लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, ताकि ये ऋण संस्थान, जो आज निजी व्यापारियों के हाथ में हैं, उन्हें सामुदायिक नियंत्रण के अंतर्गत लिया जाए और उन्हें इस देश के लाखों लोगों की मेहनत और कमाई का लाभ न लेने दिया जाए। महोदया, मुझे आशा है कि मैं सरकार को अपनी बात समझाने में सफल रहा हूं और वह इसकी तह तक जाकर कड़े उपाय करेगी और यह भी जांच करेगी कि क्या कमियां हैं, जिनके कारण हमारे देश के संविधान और औद्योगिक नीति संकल्प के निदेशों के बावजूद और इन सब समितियों की सिफारिशों के बावजूद हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़ सके हैं। बिरला परिवार के लोग इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। संसद के अंतिम सत्र में मैंने इस सभा में कहा था कि एक व्यक्ति, अन्य सदन के एक सदस्य, लोक लेखा समिति के सभापति श्री मोरारका को संसद में केवल इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया गया था क्योंकि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे थे और बिरला से जुड़े मामले की तह में जाने का प्रयास कर रहे थे। क्या हम यह सहन कर सकते हैं? यदि यह संसद इस हेर-फेर, बिरला की इस तानाशाही को सहन करती है तो मैं इस सम्मानित सभा को आदर देते हुए विनम्रता से कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य के रूप में यहां जीवन व्यतीत करने लायक नहीं रहेगा। यदि कोई एक व्यक्ति न केवल संसद सदस्यों बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को आदेश दे और यदि हम उसकी मांग को नहीं मानते हैं तो वह अमरीका, लंदन और सभी देशों में जाता है तथा हमारी योजना को विफल बनाता है तथा हमारे औद्योगिक विकास की मूल जड़ को ही काटता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

औद्योगिक नीति और राष्ट्रीयकरण*

माननीय उप-सभापति महोदय, दार्शनिक विवाद में न जाकर मैं केवल आज का जो प्रश्न है उसके बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि माननीय त्रिभुवन नारायण सिंह जी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का जिक्र किया तो मुझे ऐसा लगा कि वह हमें यह बताना चाहते हैं कि उस प्रस्ताव में कोई कमी नहीं थी और वह प्रस्ताव शायद अनन्त अनादि काल तक के लिए इस देश के लिए एक मानदंड बन गया है, हमारे यह निर्णय करने के लिए की हम किस दिशा में जाएं...

*** *** ***

...लेकिन उप-सभापति महोदय, जब उस प्रस्ताव को हमने पारित किया था तब उसमें बहुत कमियां रह गई थीं और उन कमियों का नतीजा और परिणाम हमें आज भुगतना पड़ता है। उन्होंने शेड्यूल ए और शेड्यूल बी की बात की। शेड्यूल ए में जितने उद्योग हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में लिए जायेंगे। यह ऐसे उद्योग हैं जिनमें अधिक पूंजी लगती हैं। ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाभ बहुत दिनों के बाद होते हैं और ऐसे उद्योग जो कि निजी पूंजीपतियों के उद्योगों को सहारा देने के लिए होगा, उनको मदद देने के लिए, उत्पादन का काम करेंगे जितनी उपयोग योग्य वस्तुएं थीं उन वस्तुओं को उत्पादित करने का काम निजी क्षेत्रों में छोड़ दिया गया और नतीजा यह हुआ कि निजी उद्योग बराबर लाभ करते रहे और जो सार्वजनिक उद्योग थे वह अधिक पूंजी लगाकर, अधिक मेहनत करके इन निजी उद्योगों के लिए साधन उपलब्ध कराते रहे। एक विडम्बना हमारे समाज में चलती रही। आज ही यह बात नहीं सोची जा रही है। हमारे मित्र राजनारायण जी मार्क्स, ट्राटेस्की और लेनिन और अन्य पहलुओं का जिक्र करते हैं लेकिन वह भूल जाते हैं कि यह ज्ञान कोई आज नहीं हुआ बल्कि जब भुवनेश्वर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस ने इन गलतियों को महसूस किया था और कांग्रेस ने कहा था कि उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका भी उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए। उसी समय हमने यह भी कहा था कि खेत में जो चीजें पैदा होती हैं और उनसे जो उद्योग चलते हैं जिसमें कि चावल की मिलों का और दूसरी बातों का जिक्र किया गया था उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि यह निर्णय देर से किया गया। मैं माननीय अजित प्रसाद जी जैन से सहमत नहीं हूं कि 15 वर्षों में परिस्थिति बदल गई, उस समय राष्ट्रीयकरण होना जरूरी नहीं था और आज राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है।

मैं माननीय अजित प्रसाद जी जैन से कहना चाहूंगा, आज सामाजिक शक्तियों का क्षेत्र बदल गया है। 1948, 1949 में उन लोगों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी जो लोग समाजवाद का नाम लेते थे और 1969 में जिसे कांग्रेस में रहना है उसे अपने को समाजवादी कहना पड़ता है, यह मजबूरी है, यह जमाना बदला हुआ है। अन्यथा महोदय, कोई परिवर्तन नहीं आया। 1930, 1935 में चीनी मिलें बनने लगीं, उत्तर प्रदेश में करीब 65 या 67 मिलें लगीं, उन्होंने बहुत धन कमाया। हमारे मित्र सीताराम जयपुरिया यहां नहीं हैं, उन्होंने कोई एक उद्धरण पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया।

मैं एक दूसरा उद्धरण उनकी सेवा में देना चाहता हूं।

*** *** ***

* अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए।

राज्य सभा वाद-विवाद, 9 दिसंबर, 1969, कॉ. 3609-17 (मूल हिन्दी में)

जवाहरलाल जी ने यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान के गांवों की झोपड़ियों से आंधी उठ रही है और हो सकता है कि यह आंधी पूरे देश में फैल जाएगी और अगर इन ग्रामीण लोगों को सुख की, राहत की सांस नहीं आएगी तो हमारा समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा। अभी माननीय जयपुरिया जी ने कहा कि दंड का प्रोविजन है लेकिन दंड नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश में बंगाल जैसा दंड नहीं दिया जाएगा, तो मैं उनको कोई धमकी तो नहीं देता लेकिन जयपुरिया जी और उनकी जैसी सोच वाले लोगों को एक चेतावनी जरूर देना चाहता हूं कि आखिरकार यह बंगाल में क्यों हो रहा है, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है। बीस-बाईस वर्षों के अंदर कानून का सहारा लेकर शांति अमन की बातें कहकर आपने मजदूरों का शोषण किया, 20-22 वर्षों से उन्हें कहते आ रहे हैं कि जूट मिल नेशनलाइज हो जाएगी, कपास की मिलें नेशनलाइज हो जायेंगी, उनका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और मैं आज कहता हूं कि जयपुरिया जी, हमारे मित्र श्री सी.डी. पांडे और भाई महावीर भी इसे नहीं रोक सकते।

महोदय, मैं कह रहा था कि आज हम एक विशेष मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और वह यह है कि जो शुगर मिलें हैं वे किस तरह से समाज का और गन्ना उत्पादकों का शोषण करती रही हैं। एक बार नहीं अनेक बार यह सवाल इस सदन में और दूसरी जगहों पर भी उठा है। सन् 1956-57 की बात राजनारायण जी ने कही। श्री खुशबक्त राय ने प्रस्ताव रखा था, उस समय सरकार ने उसको स्वीकार करके गलती की। 1955 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में माननीय गेंदा सिंह ने इस सवाल को जब उठाया उस समय श्रीमान चन्द्रभानु गुप्ता जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार की नीति यह है कि सहकारिता के क्षेत्र में चीनी उद्योग को लाया जाए। 1955 के बाद 14 वर्ष तो बीत गए अब तक कुछ नहीं हुआ। अब हमारे माननीय मित्र श्री चन्द्र दत्त पांडे जी ने एक बात का उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने या वहां के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव किया है कि ये चीनी मिलें सरकारी कब्जें में ली जायें लेकिन केन्द्रीय सरकार इस मामले में एक सार्वदेशिक नीति निर्धारित करे। एक चतुराई की बात है लेकिन उस चतुराई से मुझे मालूम नहीं होता माननीय शिंदे जी को क्यों कठिनाई होती है। माननीय शिंदे जी और माननीय जगजीवनराम जी से मैं कहूंगा आप कभी-कभी पहल करना भी सीखिये। यदि इतिहास विवश करे तो नेतृत्व से ऐसा कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती। नेतृत्व का काम यह है कि यह देखे कि इतिहास किस दिशा में बढ़ रहा है, हमें किस दिशा में जाने का संकेत मिल रहा है और उस दिशा में हम कदम उठायें और अगर उस दिशा में कदम नहीं उठता है तो उसका नतीजा, उसका परिणाम यह होता है कि समाज में और देश की राजनीति में अवांछनीय तत्व प्रभावशाली हो जाते हैं। ऐसे अवांछनीय तत्व समाजवाद, स्थिरता या क्रांति के नाम पर हमारे सामाजिक मूल्यों को और राजनैतिक आधारशिला को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। मेरा केवल यह कहना है कि 1955 में बी.एम. बिड़ला साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और एक बात उन्होंने कही कि यू.पी. की मिलों में 9 करोड़ रु. की संपत्ति लगी हुई है। अगर मैं कहूं 9 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति ले ली जाए तो उसमें हमारे कुछ दोस्त संविधान की बात लाते हैं। महोदय, आज नहीं तो कल हमें भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि आज का संविधान अगर समाज की गति के अनुरूप चलने में हमें बाधा पैदा करता है या उसके कारण हमारी जन आकांक्षाएं पूरी नहीं होतीं तो संविधान में जो संपत्ति के अधिकार के बारे में कहा गया है, उसको संविधान से हमको हटाना पड़ेगा। इस संसद को और इस देश को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार करोड़ों लोगों की इच्छाओं को संविधान की एक धारा के नीचे नहीं कुचल सकते। संविधान की एक धारा के बारे में मुख्य न्यायाधीश माननीय हिदायतुल्ला जी ने कहा है कि प्रॉपर्टी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में नहीं होने चाहिएं। आज अगर हम देखें तो दस बारह लाख

की पूंजी लगाकर करोड़ों रुपए इन पूंजीपतियों ने कमाए हैं और हमारे माननीय मित्र श्री सीताराम जयपुरिया कहते हैं कि पिछले साल हमने करोड़ों रुपए किसानों को गन्ने की कीमत के दे दिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि खांडसारी और गुड़ इंडस्ट्री ने मिल मालिकों से अधिक रुपया गन्ने की कीमत का किसानों को दिया और उस समय सरकार की ओर से मिल मालिकों को सुरक्षा दी गई। जिन इलाकों में मिलें लगी हुई हैं महोदय वहां किसान कोल्हू नहीं चला सकता है, वहां गुड़ नहीं बन सकता, यह नीति क्यों है? क्या यह नीति उन्हें सुरक्षा देने के लिए नहीं है। उसका फायदा किसने उठाया? महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने शीरे की क्या कीमत तय की है?

*** *** ***

महोदय, सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने बहुत काम किए हैं, मैं चाहूंगा कोई कांग्रेसी न करे। इसलिए, महोदय मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि काफी संरक्षण दिया गया है। एक दूसरी बात कही, हमारे मित्र लोकनाथ मिश्र ने कि इन मिलों को बंद नहीं करने दिया। आखिरकार एक ही तो उद्योग है जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का आधार है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इसको कब्जे में ले और इसके लिए एटार्नी जनरल की रिपोर्ट कोई जरूरी नहीं है। महोदय, मैं माननीय शिंदे साहब से करबद्ध निवेदन करूंगा कि उस बहस में न जायें कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करेगी। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थनीति को बनाए रखना है, अगर वहां के 22 लाख परिवारों को बर्बादी से, विनाश से बचाना है तो केन्द्रीय सरकार जरूरत पड़ने पर सारे देश की मिलों को ले और उन्हें सहकारिता के क्षेत्र में चलाए। कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीयकरण ही हो। सभी मिलों की बात कर रहे हैं तो सहकारिता क्षेत्र में मिलें चल सकती हैं। अब राजनारायण जी नई विचारधारा के साथ सहकारिता के क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अविलम्ब इन सारी चीनी मिलों को निजी उद्योग से लेकर, जहां आवश्यक हो और जहां उपयुक्त वातावरण हो, वहां सहकारिता के क्षेत्र में अन्यथा सरकारी क्षेत्र में उनको चलाया जाए। यह एकमात्र उपाय है और मुझे विशेष रूप से यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार विवाद का समाधान करने में विलम्ब न करें। केन्द्रीय सरकार तुरन्त इस मामले में पहल करे और अधिक विलम्ब होने से पहले कोई कदम उठाए।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निधियां*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल सभा में इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सारे देश में चर्चा है कि एक औद्योगिक घराना सारी सरकारी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। एक बार नकवी जी ने और एक बार प्रियरंजन दासमुंशी जी ने इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। अखबारों में भी यही खबरें छपी थीं कि उस घराने ने 390 रुपए पर जो शेयर भारत सरकार को बेचा था, उस शेयर को 60 रुपए पर खरीदा और इस प्रकार यू.टी.आई. से 1070 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। उस पैसे को उन्होंने जाली कम्पनियों के नाम बेच दिया है। ऑडिटर-जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनको जो इनकम टैक्स देना था, उसका भी सही हिसाब नहीं दिया गया है।

इस तरह की एक नहीं अपितु अनेक घटनाएं सामने आती हैं। प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित करते हुए यह बात कही गई है कि इन्होंने यू.टी.आई. ** और उस औद्योगिक घराने के विरुद्ध सी.बी.आई.[#] की इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया है। मैं नहीं जानता हूं कि उसमें कितनी सच्चाई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर यह आदेश दिया हो तो देश में जो भ्रम फैल रहा है कि वह घराना किसी भी बात को कर सकता है और सरकार उसे नजरअंदाज कर सकती है, ऐसा न करके, अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो प्रधानमंत्री जी उस बात को सदन और देश के सामने रखे, अगर नहीं उठाया है तो मैं उनसे आपके जरिए निवेदन करूंगा कि इन सवालों की जांच होनी चाहिए। मैंने उन्हें आज से एक-डेढ़ महीने पहले पत्र लिखा था परन्तु अभी हमारे पास उस पत्र की प्राप्ति की सूचना नहीं आई है। मैं कोई विशद् विवेचन में नहीं जाना चाहता, लेकिन चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और देश में भ्रम नहीं रहना चाहिए कि सारी संसद इस मामले में चुप की जा सकती है, सारी कार्यपालिका निष्क्रिय की जा सकती है, सरकार की सारी मशीनरी इसके अंदर ध्वस्त हो सकती है।

महोदय, आज यू.टी.आई. का मामला है, कल आई.डी.बी.आई.[$] का और परसों आई.सी.आई.सी.आई.[@] का हो सकता है। आज ये सारी वित्तीय संस्थाएं संदेह के घेरे में पड़ी हुई हैं मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि एक विशेष व्यक्ति के या घराने के कहने पर कैसे वित्त विभाग का एक बड़ा अधिकारी तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें सूचना तक नहीं होती और यह काम हो जाता है। यह भ्रम सारे देश में फैला हुआ है कि यह औद्योगिक घराना जिसे चाहे जहां नियुक्त करा दे, स्थानांतरित करा दे। मैं इस सवाल को नहीं उठाता, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मुझसे लोग कहते हैं कि संसद इस सवाल पर मौन क्यों है। अगर नकवी साहब और मुंशी जी ने सवाल

* भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निधियों के प्रबंधन विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 21 अगस्त, 2001, का. 178-180

** यू.टी.आई. – भारतीय यूनिट ट्रस्ट

[#] सी.बी.आई.–केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

[$] आई.डी.बी.आई.–भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

[@] आई.सी.आई.सी.आई.–भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम

उठाया है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। हमसे लोग कहते हैं कि आप चुप क्यों हैं। इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। अगर यह प्रभाव लोगों के मन पर पड़ेगा कि यह घराना मनमानी कर सकता है और सरकार निष्क्रिय बनी रहेगी, यह संसद मौन रहेगी तो इससे अशुभ लक्षण और कोई नहीं होगा।

महोदय, किसी को धमकी देने के लिए नहीं परन्तु अगर सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाएगी तो मुझे मजबूर होकर उस घराने की कुकृतियों का एक दस्तावेज बनाकर सारे देश में वितरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी बुरा मत मानिएगा। मैं यह बात दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं। वित्त मंत्री जी को इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वह बेचारे मजबूर हैं। वह हमारे मित्र हैं। उनके बारे में तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, अनायास ही सारे आरोप अपने ऊपर लेने को मजबूर हो रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि उनकी मजबूरी उनके लिए देश के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग उस घराने का विरोध नहीं कर सकते, वे वित्त मंत्री जी या सरकार के किसी एक व्यक्ति का विरोध करते हैं। यह संसदीय परम्परा के लिए स्वस्थ चिह्न नहीं है। केवल इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सामाजिक मामले

युवाओं का कल्याण*

उप-सभापति महोदय, मैं श्री मोहन धारिया जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समस्या पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया। लेकिन इस समस्या का विवाद तब ही तक संगत हो सकता है और उसका अर्थ तब ही निकल सकता है सही मायनों में जब इस प्रस्ताव के साथ श्री दास के उस हिस्से को भी मिलाकर सोचें जो उन्होंने इस संबंध में दिया है। अगर हम श्री धारिया जी और श्री दास जी[#] की भावनाओं को एक साथ जोड़ दें तब ही इस देश में नौजवानों की समस्या का समाधान निकल सकता है।

अभी हमारे मित्र श्री चोराड़िया जी ** ने योजना के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कुछ अपने तरीके से सीख देने की कोशिश की कि अगर कोई उद्योग करना चाहता हो तो उसके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए। मेरे ख्याल में उनकी समझ में बेकारी की समस्या और नौजवानों की समस्या का यही समाधान है। मैं अपने मित्र श्री चोराड़िया जी की भावना का आदर करता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि बेकारी की समस्या का अगर कोई समाधान करना है तो इस देश में अधिक से अधिक उद्योग पैदा करने पड़ेंगे। लेकिन अधिक से अधिक उद्योग किन परिस्थितियों में पैदा होंगे। जब योजना आयोग केन्द्र नहीं था तब हमारे देश में क्या उसके पहले उद्योग के अधिक साधन थे। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा। श्री चोराड़िया जी को मालूम ही होगा कि प्रथम योजना के आने के पहले इस देश का विकास आधा प्रतिशत से भी कम हुआ था। यह लगभग नगण्य था और कोई विकास नहीं हो रहा था। योजना आने के बाद भी विकास की गति तीव्र नहीं हुई। जब मैं यह कहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर रोक लगाई जानी चाहिए तो इसलिए नहीं कहता हूं कि उनसे कोई बुरा भाव है।

उप-सभापति महोदय, इस समय हमारे पास जो भी उत्पत्ति के साधन हैं, जो कुछ भी साधन मनुष्य के पास हैं, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जब देश में साधन न हों तो जो कुछ भी साधन हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। आज क्या हो रहा है? हमारे साथी धारिया जी के आंकड़ों के अनुसार करोड़ों लोग इस देश के अन्दर बेकारी की समस्या का सामना कर रहे हैं और उनकी जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और हमारे नौजवानों को उनसे आशा थी कि वे उनकी समस्या का कोई हल निकालेंगे। लेकिन आज हम यह देखते हैं कि अगर देश में 20 नौजवान हैं तो उनमें से दो नौजवान विद्यार्थी हैं और 18 नौजवान बेरोजगार हैं। केवल एक शिक्षा मंत्री के बस की यह बात नहीं है। इसमें मौलिक परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री एम.सी. शाह साहब से कहना चाहूंगा कि अगर किसी समय नौजवान लोग किसी बात पर क्रोध करते हैं तो उसे किसी व्यक्ति के विरोध में अथवा संसद के विरोध में नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मर्यादाएं टूट रही हैं। अतीत के वैभव पर भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अतीत हमारी धरोहर है, लेकिन भविष्य हमारी कल्पना है और उस कल्पना

*# ''नौजवानों के लिए स्थायी बोर्ड का गठन'' विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद 24 नवम्बर, 1967, कॉ. 1153-61 (मूल हिन्दी में)

[#] श्री बांके बिहारी दास, संसद सदस्य

** श्री वी.एम. चोराड़िया, संसद सदस्य

को संजोने के लिए नई पीढ़ी को नए सिरे से काम करना पड़ेगा। मैं अगर मोहन धारिया जी से असहमत हूं तो केवल इस बात पर कि बोर्डों से यह मामला हल होने वाला नहीं है। यह मामला मौलिक परिवर्तन का है और विचारधारा के परिवर्तन का है। पुरानी पीढ़ी अपना फर्ज अदा कर चुकी है। भारत जैसे देश में, जोकि अविकसित देश है, जिसमें समस्याएं जटिल हैं, इसमें खतरा मोल लेने की ताकत होनी चाहिए। वह ताकत हमारी पुरानी पीढ़ी में नहीं आ सकती है चाहे उनके विचार कितने ही स्पष्ट और उज्ज्वल क्यों न हों। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो नई बात हो। कल सायंकाल में शिक्षा मंत्री जी को एक उद्धरण दिखा रहा था। महात्मा गांधी जी से जब किसी ने कहा कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाइए क्योंकि कांग्रेस के ऊपर संकट है। मैं महात्मा गांधी जी के उद्धरण को शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्री के सामने उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूं। उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पुरानी पीढ़ी अपना काम खत्म कर चुकी है। अब नौजवानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पुराने लोगों को मर्यादा के साथ उस जिम्मेदारी को दे देना चाहिए। अगर वह नहीं देते हैं तो समय के साथ जिम्मेदारी नौजवानों के हाथ में आ जाएगी। यह महात्मा गांधी जी की बात थी। मैं आपके द्वारा श्री मोहन धारिया जी से और उनके मत के किसी भी व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि आज निवेदनों से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन संघर्षों से होता है। मानव जीवन शुभ और अशुभ व्यक्तियों का सम्मेलन है और उन शक्तियों में हमेशा संघर्ष होता है। हर एक नौजवान का कर्तव्य है कि वह शुभ को विकसित करे और अशुभ का पराभव करे।

आज हमारे समाज में नौजवानों के कल्याण की समस्या इसलिए है कि चंद लोगों के पास जो साधन उत्पत्ति के हैं वे उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। उनके ऊपर उनका एकाधिपत्य है। उस एकाधिपत्य को तोड़े बिना समाज में परिवर्तन करना और नौजवानों की समस्या का हल करना असंभव है।

उप-सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं यह नहीं मानता हूं कि नौजवानों को सारे सुख और वैभव मिलने चाहिएं। मैं यह भी नहीं मानता हूं कि नौजवानों को बिना काम किए सारे सुख और सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यह मानता हूं कि नौजवानों को एक आशा, एक आकांक्षा और भविष्य के प्रति आस्था मिलनी चाहिए। यदि नौजवान यह समझे कि देश के विकास के लिए और बलिदान आवश्यक है तो उसके लिए नौजवान को बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी और ऐसी कुर्बानी उसे देनी होगी। लेकिन महोदय, आज क्या हो रहा है? चारों तरफ लालच भरा हुआ है। व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति ही सब कुछ है और उस बीच में हमारे नौजवानों से कहा जाता है कि कुर्बानी और उत्तरदायित्व का दीप जलाओ। इस तरह से चीजें नहीं हो सकती। जब मैं दो साल पहले क्यूबा गया था मैंने हवाना की गलियों में देखा था कि फीडेल कास्ट्रो से लेकर नौजवान विद्यार्थी तक एक ही ड्रेस पहनता है। लेकिन भारत और जापान जैसे मुल्कों में 200 वैराइटी के कपड़े पहने जाते हैं। शिक्षा मंत्री जी को मालूम होगा कि भारत में इसकी गिनती ज्यादा हो सकती है। वह दो हजार और कई हजार तक हो सकती है। हमारे देश में पिछले छः वर्षों में 45 करोड़ रुपए का ऐडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने इसलिए किया कि चंद लोगों को पहनने के लिए मर्सेराइज्ड और मसलिन कपड़ा चाहिए। इस मनोवृत्ति के साथ यदि हम चाहते हैं कि देश के नौजवानों का भविष्य हम सुधारें तो वह नहीं सुधरने वाला है। क्यूबा में हमने देखा क्या हुआ। वह एक कम्यूनिस्ट कंट्री है। हमारे बहुत से मित्रों को कम्युनिज्म से बड़ा विरोध होगा। लेकिन मुझे अभी भी वह दिन याद है जब महात्मा गांधी की बातों को हम विद्यार्थी के नाते पढ़ा करते थे। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बड़ी-बड़ी कोठियों में मजदूरों के बच्चों के लिए अस्पताल खोल दो। मैंने देखा कि हवाना की सबसे अच्छी लोकेलिटी में अमेरिकन लोगों ने बड़ी-बड़ी

कोठियां बना रखी थीं। उन सबके ऊपर आज सरकार का कब्जा है। आठ या दस देश के दूतावास भी वहां पर हैं क्योंकि कम्युनिस्ट देशों के साथ उसकी करीबी संबंध है। बाकी सारी कोठियों में किसी में दस, किसी में 15, किसी में 20 और किसी में 25 लोग रहते हैं, ये लोग कौन हैं? गांव के उन किसानों के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में सात पुश्तों से पढ़ाई का नाम नहीं सुना था। उसी तरह से उनमें कार्पेट लगे हुए हैं, उसी तरह से गलीचे लगे हुए हैं जिस तरह से बड़े पूंजीपति उन मकानों को छोड़ गए थे। आज भी वैसे ही उनको मेनटेन किया जाता है। उनमें उन बच्चों को रखा जाता है जो पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें किसी ने पीढ़ियों से शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया।

मैं एक दूसरी घटना आपको बतलाता हूं—

हवाना में एक हिल्टन होटल था। उसका नाम आज है लिबरल हवाना होटल, आजाद हवाना होटल है। उस होटल में कौन रहता है? हिल्टन होटल के बारे में आप जानते हैं महोदय कि उनमें कौन रहता है। ईख के खेतों में काम करने वाला जो सबसे अधिक मजदूरी मेहनत करके अधिक पैदावार करता है, वह मजदूर एक महीने के लिए सरकारी खर्चे पर उस हवाना के हिल्टन होटल में ठहराया जाता है। इसलिए क्योंकि राष्ट्र निर्माण के काम में उसने काम किया है लेकिन इसके विपरीत हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि यहां ओबराय इंटरनेशनल और अशोका होटल में, मैं किसी पूंजीपति का नाम नहीं लूंगा, कोई आदमी जिसने जिन्दगी के पहले दिन से मौत के दिन तक देश के निर्माण के लिए कुछ काम नहीं किया, उसकी सारी जिन्दगी बीतती है। लेकिन दूसरी तरफ जो देश को बनाने के लिए बचपन से मौत के समय तक, श्मशान के घाट जाने तक कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करता है, उसे शायद ही कभी उनके पास भी जाने का मौका ही नहीं मिलता है। इन परिस्थितियों में आप क्या सोचते हैं कि देश बनेगा। इन परिस्थितियों में देश नहीं बनने वाला है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहता हूं कि स्थायी बोर्डों के गठन से यह मामला हल नहीं होगा। मनोवृत्ति बदलना ही इसका एकमात्र हल है। अगर आप समझते हैं कि देश का नौजवान अपना उत्तरदायित्व समझे तो उनमें आस्था पैदा कीजिए कि इस देश के निर्माण की जिम्मेदारी उसके ऊपर है।

मैं यह भी मानता हूं कि नौजवान जो आज करते हैं वह नहीं करना चाहिए कि कहीं पर ट्राम जलाना, बस जलाना, रेल जलाना। यह कोई नौजवानों का काम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता हैं? इसलिए कि उसको कोई नेतृत्व नहीं मिलता है। उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर साहस है, लेकिन कोई उसको नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग संसद सदस्य हैं। नहीं जानता कि मैं नौजवान हूं या नहीं। हम लोग नौजवान कहे जाते हैं यद्यपि 40 के ऊपर हो गए हैं। हमारे मित्र मोहन धारिया अब जब बूढ़े हो गए तो उनको नौजवानों की याद आ रही है। तो मैं आपसे क्या कहूं। हमको तो डर लग जाता है जब हम सोचते हैं कि आज अगर हम उनकी आकांक्षाओं का नेतृत्व करेंगे तो कहीं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री त्रिगुण सेन जी को कोई दु:ख न लग जाए। इन भावनाओं के साथ देश के नौजवानों को संगठित नहीं किया जा सकता और उनको निर्माण के कामों में नहीं लगाया जा सकता। मैं देश के बुजुर्ग लोगों से कहना चाहूंगा कि इतिहास के अनुभवों पर ध्यान दीजिए। आप स्वयं नेतृत्व दीजिए उन नौजवानों को, कम से कम उनको इस बात का अनुभव कराइये कि कल का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अगर वह नहीं करें तो जो अपने को नौजवान कहते हैं, चाहे वह मोहन धारिया जी हों या बांके बिहारी दास जी हों। वे इस नेतृत्व को देने के लिए संकल्प करें, चाहे इसके लिए उनको बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों न उठानी पड़े।

बांके बिहारी दास जी ने अपने दूसरे संकल्प में एक सही दिशा दी है। उनका प्रस्ताव यह है कि इस भारत देश में किसी परिवार की आमदनी डेढ़ हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक तरफ लाखों रुपया बर्बाद किया जाएगा, दूसरी ओर कहा जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं। बाड़मेर और जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से श्री अमृत नाहटा जो लोक सभा के सदस्य हैं, उनको शायद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जानते होंगे। कहा जाता है कि प्रिवी पर्स छोटी राशि है। एक राजा को दो लाख मिलता है। वे किस तरह से उसको खर्च करते हैं किसी को नहीं मालूम है लेकिन अगर कहा जाता है कि बाड़मेर के किसी गांव में पीने के पानी के लिए पांच हजार रुपया कुएं के लिए दीजिए, तो दो वर्ष से कहा जाता है कि पैसा नहीं है। क्या कोई नौजवान इस बात को मानने के लिए तैयार होगा?

माननीय महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब हम कहें कि नौजवानों को खेलने के लिए सुविधाएं दीजिए, जब हम कहें कि गांवों में जो हाई स्कूल फेल करके या पास करके नौजवान बैठा हुआ है उसको 50 रुपया इसलिए दीजिए कि वह पढ़े-लिखे लोगों को शिक्षा दे, तो आप कहे कि पैसा नहीं है और जबकि यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ''ओबराय'' होटल में पांच सौ रुपया एक दिन में प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है।

*** *** ***

इसलिए मैं आपसे कहूंगा शिक्षा मंत्री जी महोदय, कि आपके कंधों पर सारे संसार को ऐसे समय रोशनी की ओर ले जाने का दायित्व है जब प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखायी दे रही है। आज से नहीं, पुराने जमाने से प्रकाश की किरण केवल विद्या मंदिरों से आती है। वहां से समाज एक नई आशा रखता है।

आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी देश में नए समाज को लाने के लिए, नई फिलॉसफी को लाने के लिए, नई जहनियत, नई जिन्दगी को लाने के लिए केवल दो तबके काम करते हैं, एक तो मजदूर जो कि मेहनत से समाज को बनाता है और दूसरी तरफ वह विद्यार्थी, वह पढ़ा-लिखा नौजवान जिसकी कल्पना भविष्य के प्रति होती है। आज से दोनों समुदाय संगठित हों और अगर शिक्षा मंत्रालय इस दिशा में कुछ कर सके तो मैं यह समझूंगा कि मोहन धारिया जी का जो उद्देश्य है वह पूरा हो गया। अगर यूं ही यह भावना आती है अपने आप तो हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि बांके बिहारी दास जी के दूसरे प्रस्ताव पर ध्यान दें और इस देश में अपरिग्रह की भावना पैदा की जाए, किफायतशारी की जहनियत पैदा की जाए। ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती हैं। एक ओर हम कहें कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी से हम नौजवानों को बचायेंगे और दूसरी ओर धन का अंबार लगा हो और लोग व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ के लिए खुलेआम झूठ के साथ व्यापार करते हैं और इस बात को रोकने में इस संसद को भी महीनों और वर्षों लगे। इसलिए सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है जो मोहन धारिया जी ने कहा कि 36 हजार लोग कुछ दिनों में आयेंगे, सबसे बड़ा खतरा यह है कि शायद जनतंत्र से लोगों की आस्था उठ जायेगी। गरीब की वाणी को इस संसद में उठाकर के भी शायद हम अगर कुछ कर न पाए तो नौजवान यह समझेगा कि अराजकता के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है और फिर नौजवान को आपको दोष देना छोड़ देना चाहिए। शायद हम नाकामयाब हो जाएं या शायद हम असफल हो जायें लेकिन इतिहास की गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता। नौजवान कल के भारत की आशा है। वह अपना क्लेम, अपना अधिकार लेकर के रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मुझे खुशी होगी अगर पुरानी जनरेशन के लोग, पुरानी पीढ़ी के लोग वह अधिकार मर्यादा के साथ दे दें, अन्यथा नौजवान उनसे वह अधिकार लेकर के रहेगा।

हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार*

उपाध्यक्ष महोदय, आज अपराह्न से इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं यहां उपस्थित नहीं था, इसके लिए मैं सभा से माफी मांगता हूं। मैं इस सभा की भावना को समझता हूं, परन्तु परिस्थिति ऐसी है कि एक तरफ जहां हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर खाड़ी के देशों में मानवता खतरे में है। मुझे राज्य सभा में जाना था जहां खाड़ी देशों पर चर्चा चल रही थी।

हाल में, जब श्री मदन लाल खुराना और प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा इस सभा में इस मामले को उठाया गया था, मैंने कहा था कि यह अत्यंत चिंता का विषय है। इस मुद्दे की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब समाज के गरीब तबकों, जो शोषित और उपेक्षित रहे हैं, पर अत्याचार किया जाता है। यह और गंभीर हो जाता है जब प्रशासन की इकाइयां जिन पर उनकी सुरक्षा और संरक्षण का उत्तरदायित्व है, संदेह के घेरे में आ जाती हैं। मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि इस घटना में, पुलिस का व्यवहार संदेह से परे नहीं है। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया है और जो सूचना हमने एकत्र की है उससे प्रतीत होता है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने ज्यादती की है और वह इतनी गंभीर थी कि कुछ निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं इसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि उनमें से कितने दोषी थे या निर्दोष थे, परन्तु जो कोई भी गलत तरीके से मारा गया है, यह गलत बात है। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि इस संबंध में पूरी छानबीन की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कदम उठाया है और जांच चल रही है। मेरा मानना है कि इसका प्रतिवेदन बहुत शीघ्र मिल जाएगा।

*** *** ***

मैं इसका जवाब दूंगा मुझे बताया गया है कि एक अधिकारी, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, फरार है और कुछ अन्य लोग जमानत लेने में सफल रहे हैं। इसीलिए, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जानबूझकर किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, परन्तु...(व्यवधान)

मैं इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यह एक सूचना है। यह गलत भी हो सकती है। मैं इसे सभा में कह रहा हूं, परन्तु, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यदि न्यायालय ने किसी को जमानत दे दी है तो सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है और इस संबंध में सरकार का इरादा...(व्यवधान)...परन्तु, यदि कोई लापरवाही हुई है तो हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमारे समाज का एक वर्ग जिसका हजारों वर्षों से शोषण और दमन होता आया है, अब एक नया इतिहास बनाने के लिए कदम उठा रहा है। हमारे समाज के इन वर्गों में आदिवासी, हरिजन, गरीब और पिछड़े लोग हैं। परन्तु इन वर्गों के लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है और इसके पीछे दो कारण हैं। प्रथम, चूंकि हमारे यहां

* ''देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की कथित घटनाएं'' विषय पर स्थगन प्रस्ताव में प्रधानमंत्री के रूप में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 26 फरवरी, 1991, कां. सं. 622-629

लोकतंत्र है अत: हम प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् या कभी-कभी पहले भी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं...(व्यवधान)...खुश हो गए? मुझे प्रसन्नता है कि आप इससे खुश हो गए।

मैं कह रहा था कि हम उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि वे इस समाज और देश के निर्माता है। जागरूकता के पीछे यह एक कारण है और द्वितीय समाज की स्वयं की एक गतिशीलता होती है, जिसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। एक समाज तटस्थ नहीं रह सकता है। यह सदैव स्वयं परिवर्तित हो रहा है, चाहे हम ऐसा चाहें या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक अध्ययन कर रहे थे, उस समय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जितने कुल छात्र थे आज उतनी ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या है। उन्हें विश्व की क्रांतियों के बारे में पढ़ाया जाता है और उन्हें पता है कि ईश्वर ने किसी को असमान नहीं बनाया है बल्कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ने उनका शोषण किया है और उनकी उपेक्षा की है। इसीलिए, वे अपना अधिकार चाहते हैं। अब हमें यह निर्णय करना है कि क्या हम स्वयं को उनकी भावनाओं के अनुसार परिवर्तित करेंगे और सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप निर्मित होंगी या हम सरकार की दमनात्मक शक्तियों के माध्यम से उनका दमन करने की कोशिश करेंगे।

हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, परन्तु दुर्भाग्य से, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना आसान नहीं है। जिन लोगों का सम्पत्ति, शक्ति और सरकार की इस व्यवस्था में पूर्ण नियंत्रण है, आसानी से अपने हितों को छोड़ना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए, मेरा निवेदन है कि हमें इस परिवर्तन की गति को तीव्र करना होगा और जैसा कि मेरे एक मित्र ने पूछा है, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यदि हमें इस स्थिति में सुधार लाना है, तो हमें इस परिवर्तन को तीव्र करना होगा। इन वर्गों के कल्याण के प्रति ध्यान देना होगा, जिन लोगों का शोषण हुआ है और अभी तक उपेक्षित हैं। यह सही है कि यह मुद्दा कानून और व्यवस्था की स्थिति से भी जुड़ा है और इससे पुलिस तथा प्रशासन की कमजोरी प्रदर्शित होती है, परन्तु, इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था की कमजोरी भी झलकती है। हमें उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाना है। वे लोग, जो आज अत्याचार के मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने कम से कम एक कदम सही दिशा में उठाया है। उन लोगों ने सामाजिक चेतना की अवधारणा को समझना शुरू कर दिया है। उनकी सामाजिक चेतना, उन्हें उचित स्थान दिलाने की मांग करती है और इस सामाजिक व्यवस्था, जिसमें ऐसी शोषण और दमन घटित हुआ है, को परिवर्तित करना चाहती हैं। मैं समझता हूं कि यह मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। जब हम अपनी आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करेंगे, हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठायेंगे। हमें अपने उत्तरदायित्वों से पीछे नहीं हटना है और हमें व्यक्तिगत घटनाओं के माध्यम से ही केवल, मानवीय व्यथा पर विचार नहीं करना चाहिए बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आज सभा में यह चर्चा सही दिशा में जा रही है। परन्तु हमें इस चर्चा के उद्देश्य को प्राप्त करने होंगे और यह अच्छा होगा कि यह सभा वह सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो, जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति असहाय न हो, उसका कभी शोषण न हो। परन्तु, यह कहते हुए मुझे दु:ख होता है कि इस प्रश्न पर हमारे मित्रों के बीच यद्यपि सहमति है, परन्तु, सामाजिक परिवर्तन संबंधित नीतियों के प्रश्न पर इस सभा में

एकता का अभाव है। यदि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के हमारे मित्र सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कार्य को तीव्रता प्रदान करने के लिए एक साथ कार्य करेंगे और देश को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे खुशी होगी।...(व्यवधान)...आपके विचार से, मैं एक रूढ़िवादी हो सकता हूं, परन्तु मैं प्रगतिशीलता की बात कर रहा हूं।....

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा है कि हम प्रत्येक प्रश्न को दलगत राजनीति से जोड़ते हैं। मृत्यु को दलगत राजनीति से जोड़ा जा सकता है। जहां कहीं भी हत्या होती है, यह मानवता की हत्या होती है और इसीलिए किसी राजनीतिक मतभेद का प्रश्न नहीं है। इसीलिए, मैं कहता हूं कि हमें, कम से कम कुछ प्रश्नों पर संगठित रहना चाहिए। यदि सरकार की ओर से कहा गया होता कि जो कुछ भी घटित हुआ है, अच्छा हुआ है, तो बात समझ में आती। हमारे सहयोगियों से कई लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और यदि यह दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बहुत बड़ा कार्य किया है, तब मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपके साथ शामिल होऊंगा और कहूंगा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही पर खेद व्यक्त करते हैं। वहां पर जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र में, जहां कहीं भी घटित हुआ है, जब कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है, यह हम सभी के लिए शर्म का विषय है।

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इस कार्यवाही की निन्दा करनी चाहिए और यह कि श्री विजय कुमार और श्री खुराना जी द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और इस ज्वलंत मुद्दे की ओर सभा और राष्ट्र का ध्यान दिलाने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। उनकी प्रेरणा से हमें अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य करने को बल मिलेगा, परन्तु यह अच्छा होगा यदि वे एक दूसरे के इरादे पर संदेह करने से अपने को रोकें। हमारा उनके जैसा उन लोगों के प्रति लगाव नहीं हो सकता है, परन्तु मानवता के लिए हम भी उनके प्रति कुछ चिंता करते हैं। उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस मुद्दे पर किसी को, चाहे वह केन्द्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार हो, कोई विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सभी राज्य सरकारों को संगठित होकर कार्य करना चाहिए और विद्यमान स्थिति में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए और हमारा प्रयास इसी दिशा में होगा। हरिजनों और आदिवासियों के मन में जो संदेह और आशंका है, उसे और नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि लोगों के दिल में संदेह और आशंकाओं के उत्पन्न होने से मामले और भी जटिल हो जाते हैं। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि समस्याओं का समाधान करने और विद्यमान बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करें और साथ ही ऐसा कोई कार्य न करें जिससे लगे कि हरिजनों और आदिवासियों के विरुद्ध षड्यंत्र का कोई प्रयास किया जा रहा है। यदि हरिजनों और आदिवासियों के मन में इस प्रकार की भावना घर कर जाती है तो उन्हें इस महान सभा से कोई आशा नहीं रहेगी। उस स्थिति में, कुंठा और निराशा प्रबल हो जाएगी और उसके गंभीर परिणाम होंगे। यदि आप त्रिपुरा से तमिलनाडु तक आदिवासी बहुल क्षेत्रों को देखेंगे तो आपको उनमें विद्यमान बेचैनी, कष्ट और घोर व्यथा की भावना मिलेगी और इस भावना को मत बढ़ाइये। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए संगठित प्रयास कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि आप इस सभा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाएं और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाना है, उस पर निर्णय लें, और सरकार उस निर्णय के प्रत्येक शब्द को स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि, इस प्रकार की घोषणा करना मेरे लिए उचित नहीं है, तथापि, चूंकि सदस्यगण बहुत अधिक चिंतित हैं और चूंकि यह घोर व्यथा है, भारत सरकार धन की व्यवस्था करेगी ताकि प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिजनों को कम से कम एक लाख रुपए मिल सकें। यदि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार ने कुछ मुआवज़ा दिया हो तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी आपत्ति सही है। मैं वहां नहीं गया था और राज्य मंत्री ने अन्य स्थान का दौरा किया था। यदि कोई अन्य मंत्री या मैं इस स्थान का दौरा करते हैं और इससे इन लोगों के मन में संतुष्टि और सुरक्षा की कुछ भावना मिलती है, तो हम वहां भी जायेंगे।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल*

माननीय उपसभापति महोदया, मैं श्री वाजपेयी# जी, संसद सदस्य, द्वारा इस सदन के समक्ष रखे गए इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ है कि शासन की ओर से, उन पुरानी बातों को दोहराया जा रहा था, जिन्हें बार-बार इस सदन में रखा जा चुका है। यह बात बार-बार कही गई है कि यह जो हड़ताल हुई है वह एक राजनीतिक हड़ताल थी। हमारे एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि इस हड़ताल को कराने की जिम्मेदारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर थी।

* * * * * * * * *

मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सम्मानित सदस्य ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करते हैं और उन्होंने हड़ताल के सिलसिले में जो कुछ किया उस पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अपने को गौरवान्वित मानती है। लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यह नहीं मानती है कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से या किन्हीं राजनीतिक हितों को ध्यान में रख कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने यह काम किया। आज सरकार दावा करती है कि जो गैर-कानूनी हड़ताल हुई उसे दबा दिया गया है और इसके साथ यह भी कहा गया है कि जो लोग गैर-कानूनी काम करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि हमें सत्ता प्राप्त हुई है और हम भविष्य में ऐसी आवाज को दबा देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जन चेतना को दबाया नहीं जा सकता। बड़े से बड़े शासकों और बड़ी से बड़ी शक्तियों ने दुनिया में शासन किया लेकिन ये जनता की चेतना को कभी दबा नहीं पाई। आज जनता जागरूक है और सचेत है और यदि कोई सरकार विशेषत: लोकतंत्र में, जनता की भावना को दबाने की कोशिश करेगा तो वह खतरा मोल लेकर ही करेगा क्योंकि कोई भी सत्ता इसे दबा नहीं सकती है। माननीय रेलवे मंत्री जी, जो यहां बैठे हुए हैं मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि मजदूरों ने गलत किया या सही किया लेकिन यह सवाल पूछना चाहता हूं कि गरीब मजदूरों के लिए जो आपका तरीका है, गरीब मजदूरों के लिए जो आपका जोश, शक्ति और हिम्मत है, क्या वही आप अपने शासन के उच्चाधिकारियों के लिए भी रखते हैं। यह रेलवे ऑडिट रिपोर्ट है। कोई माननीय सदस्य इसके पन्नों को उलट करके देखें, तो उनको हर पन्ने पर दस-दस, बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस लाख रुपए का गबन और गैर-जिम्मेदारी से खर्च करने की बात दिखाई देगी। इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 15 पर लिखा हुआ है कि एक मामले में रेलवे बोर्ड की कमजोरी की वजह से और रेलवे द्वारा आठ महीने तक कोई आर्डर न देने की वजह से रेलवे का छह लाख रुपया बर्बाद हो गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हड़ताल के कारण रेलवे का बड़ा भारी नुकसान हुआ। मैं रेलवे मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस छह लाख रुपए की जिम्मेदारी जिस रेलवे बोर्ड के ऊपर है, क्या उस रेलवे बोर्ड के सदस्यों को निलंबित किया जाएगा? वे यह कहेंगे कि यह नया देश है, नया प्रजातंत्र है, जमहूरियत में वे नई बातें सीख रहे हैं, इसलिए गलतियां होती हैं। केवल उच्चाधिकारियों और मंत्रियों

* केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति विषय पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद विवाद, 27 अप्रैल, 1962, कॉलम 923-32 (मूल हिन्दी में)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य

के लिए यह बात कही जाती है। लेकिन छोटे कर्मचारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो इस राष्ट्र को बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं यह बात नहीं कही जाती है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने जो उस समय में शायद श्रम विभाग में उपमंत्री थे, आई.एन.टी.यू.सी. को बड़ी बधाई दी और उन्होंने एक नया इतिहास सीखने को कहा। उन्होंने कहा कि आई.एन.टी.यू.सी. का निर्माण स्वतंत्रता हासिल करने के बाद नहीं हुआ था, बल्कि चम्पारण के मैदान में हुआ था। इस प्रकार गांधी जी का नाम लिया गया चम्पारण की याद दिलाई गई। महात्मा गांधी जी और चम्पारण की याद करते समय मैं प्रशासन के लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई किस बुनियाद पर हुई थी? गांधी जी ने कहा था कि एक बड़े से बड़ा आदमी अकेले इस देश को नहीं बना सकता। इस देश को बनाने की जिम्मेदारी इस देश के उन करोड़ों लोगों पर है जो भूखे हैं, तबाह हैं, परेशान हैं। उनके मनोबल को उठाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके विपरीत इन कर्मचारियों को सेवा से निकाल कर सरकार गरीबों के मनोबल को दबा रही है। उनका कोई राजनैतिक स्वार्थ नहीं है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग राजनैतिक स्वार्थ रख सकते हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर अपनी रोटी के लिए मोहताज हैं, जो गरीब मजदूर अपने खाने के लिए मोहताज हैं, उसके सामने एक ही सवाल है कि उसको खाना कैसे मिले, वह उसके लिए लड़ता है। अत: वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं क्या यह बात सही नहीं है, कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या यह बात भी सही नहीं है कि जीवन-निर्वाह का व्यय बढ़ने की वजह से जो मजदूरों का जीवन स्तर सन् 1947 से 1960 के बीच में गिरा है? अगर ये बात हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है?

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की किसी प्राइवेट फर्म के कर्मचारियों से तुलना कर लीजिए। उन्होंने यह कहा कि सरकारी कर्मचारियों को जो कुछ भी मिल रहा है उन्हें उसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन मैं उन माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी से किसी दूसरे प्राइवेट फर्म के एक कर्मचारी की तुलना करते हैं तो फिर एक मंत्री के खर्चे से एक गरीब के खर्च की भी तुलना होनी चाहिए। अगर आप यह कहते हैं कि बिड़ला की किसी फर्म में वेतन एवं भत्तों के रूप में कम पैसा मिलता है, तो क्या लीवर ब्रदर्स की फर्म में जो पैसा मिलता है वह आप अपने सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे सुझाव से सहमत हैं? क्या हमें चम्पारण की भावनाओं को बल देना है या उन भावनाओं को दबाना है?

एक माननीय सदस्य, ने जो हमारे मित्र हैं, कहा कि रूस में क्या घटित हुआ। अभी तक हम ऐसा समझते थे कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माओ[$] से बड़ी मुहब्बत है। लेकिन अब मुझे यह जानकर आश्चर्य और दु:ख हुआ कि इस समय उस दल में ऐसे लोग भी हैं जिनको माओ और ख्रुश्चेव[@] के आदर्शों और सिद्धांतों से मुहब्बत हो गई है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम माओ के आदर्शों पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। यह प्राचीन देश है। जहां महात्मा गांधी जैसे आदमी पैदा हुए जिन्होंने यह बड़े से बड़े साम्राज्यवाद के सामने गरीबों को उठाकर खड़ा कर दिया। इस वजह से मैं कहता हूं कि यदि किसी बात का माननीय वाजपेयी* जी, माननीय भूपेश गुप्ता जी समर्थन कर रहे हैं, तो उस बात पर विचार करते समय हमें यह बात नहीं सोचनी चाहिए कि वे किस राजनैतिक पार्टी से संबंध

[$] माओ त्से-तुंग

[@] निकिता सर्गेईविच ख्रुश्चेव

* श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य

रखते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं यह समझता हूं कि उस तरफ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका समर्थन हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहा है। जैसा कि आबिद अली साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्प्रदायिक और राष्ट्र-विरोधी हैं और हर देश में ऐसे लोग होते हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। अत: मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन सवालों पर विचार करते समय ऐसी बातें मत सोचिए।

इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा उदारता तो दिखाई गई। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि जिन स्थानों पर कोई हिंसा नहीं हुई, जहां पर कोई उपद्रव नहीं हुए, वहां भी लोगों को बर्खास्त किया गया। मैं उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करना चाहूंगा, खास तौर से लखनऊ का। वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई लेकिन वहां कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। नार्थ ईस्टर्न रेलवे में ऐसी घटनाएं घटित हुईं जहां पर प्रशासन ने आदेश दिया कि उन्हें वापिस रख लिया जाए, लेकिन उच्चाधिकारियों की ओर से उस पर टालमटोल की गई। क्या ऐसे भी मामले नहीं हैं जहां पर उनको नौकरी पर रखा गया लेकिन उस जगह से हटा कर दूसरी जगह रखने की कोशिश की गई, जहां स्वास्थ्य के आधार पर उनकी मुस्तैदी नहीं हो सकती थी? ये सारे सवाल हैं कि कितनी बड़ी तादात में लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। कितने लोगों के प्रोमोशन रोके गए, कितने लोगों को निलंबित किया गया और यदि हम इन सवालों पर विचार करें तो हम इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि इस हड़ताल में भाग लेने के कारण उन्हें यह बहुत बड़ा दंड दिया गया है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह तो विद्रोह की अवस्था थी। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि 20 लाख कर्मचारियों में से केवल पांच लाख ने हड़ताल का नोटिस दिया। सरकार ने कहा कि मुश्किल से 10 फीसदी लोगों ने हड़ताल की मैं जानना चाहूंगा कि दोनों बातें कैसे कही जाती हैं। एक तरफ तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाए और दूसरी तरफ प्रशासन यह कहे कि हड़ताल असफल थी।

माननीय उपसभापति महोदय, इसके पहले जब मैं अपना भाषण कर रहा था, तब मैंने यह कहा था कि सरकार की ओर से यह कहा गया कि केवल 25 लाख लोगों ने हड़ताल करने का नोटिस दिया और उसमें से मुश्किल से ढाई लाख लोगों ने हड़ताल किया। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसको दबाने के लिए जरूरी था कि अध्यादेश जारी किया जाए। उस तरफ से कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से जो दंड दिया गया, वह दंड बहुत कम था और सरकार बहुत ढिलाई से कर्मचारियों के साथ पेश आई। मुझे बताया गया है कि केवल डाक व तार विभाग में ही 1369 लोग ऐसे थे जिन्हें पदावनत किया गया। इस प्रकार, 1369 लोग पदावनत किए गए और 4012 कर्मचारी ऐसे थे जिनकी पदोन्नति को मार्च 1962 तक के लिए रोक लिया गया। 6000 लोग गिरफ्तार किए गए और इसके अलावा 6000 दूसरे लोग निलंबित किए गए। इस छोटी सी हड़ताल में एक डिपार्टमेंट में, एक विभाग में, इतने लोगों को दंडित किया जाए और उसके बाद भी शासन की ओर से कहा जाए कि हमने कोई सख्ती से काम नहीं लिया? मैं नहीं जानता कि इसमें कहां तक सच्चाई है लेकिन कई जिम्मेदार डाक व तार कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि जब माननीय गृह मंत्री जी से वे मिले तो उन्होंने कहा कि अगर डाक व तार निदेशालय के बर्खास्त कर्मचारी वापस आना चाहते हैं तो यह उन कर्मचारियों को वापस ले सकते हैं जिनको नौकरी से हटाया गया है। लेकिन जब गृह मंत्री की ओर से निदेशालय को पत्र लिखा गया तो उसमें वादे के विपरीत बातें लिखी

गई। जो आश्वासन गृह मंत्री जी ने कर्मचारियों को दिया था वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। नतीजा क्या है? आज भी डाक व तार विभाग के 8 लोग नौकरी से बाहर हैं। रेलवे मजदूरों की हालत भी ज्यों की त्यों है। बहुत से लोग ऐसे हैं जोकि आज भी निलंबित हैं। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के सचिव सहित 12 लोग आज भी निलंबित हैं। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने, न्यायालय ने बेकसूर कह कर के रिहा कर दिया है लेकिन उनको भी अभी तक नौकरी में नहीं रखा गया है। मैं नहीं जानता कि जो प्रशासन अपने को प्रजातांत्रिक कहता है, उस प्रशासन में अगर न्यायपालिका किसी को निर्दोष समझे तो क्या प्रशासन को यह अधिकार है कि वह उसे दंडित करे। लेकिन यह सब कुछ इस सरकार में हो रहा है और फिर भी यह कहा जाता है कि इनके ऊपर कोई सख्ती नहीं की जा रही है। उसके बाद, यह कहा जाता है कि जो लोग विरोधी दलों में हैं, वे देशभक्त नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसे लोगों से देशभक्ति की शिक्षा कौन लेने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इनसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं कर्मचारियों की ओर से कोई भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उनसे पूरी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार इस देश में प्रजातंत्र जम्हूरियत कायम करना चाहती है उस हुकूमत को यह ख्याल रखना होगा कि इस देश का छोटे से छोटा कर्मचारी इस देश का गरीब से गरीब आदमी यह महसूस करे कि उसकी इस देश में उसी तरह की इज्जत है जिस तरह कि किसी पदाधिकारी की है। अगर यह भावना इस देश में नहीं बनती है, अगर छोटे से छोटा आदमी इसके लिए नहीं तैयार होता है तो फिर क्या नतीजा होने वाला है? आप किसी को राष्ट्रद्रोही कह लीजिए, आप कह लीजिए कि अहिंसा के रास्ते पर वह नहीं चलता लेकिन महोदय मैं आपके माध्यम से उनको बतलाना चाहता हूं कि वह चलते हों या न चलते हों मगर हुकूमत का अगर यही रवैया रहा, यही कार्य करने की प्रणाली रही तो यह हुकूमत अपने कर्मचारियों को, देश के कमजोर लोगों को, देश के गरीब लोगों को यह समझने के लिए मजबूर कर देगी कि लोकतंत्र का रास्ता सही रास्ता नहीं है। अहिंसा का रास्ता सही नहीं है। यदि हमें और अहिंसा की भावना को सुदृढ़ बनाना है तो यह अनिवार्य है कि हम गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करें और अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ने न दें। आर्थिक आधार पर गरीबों के साथ सामाजिक भेदभाव न हो। धनिक, धनिक रहे यह तो हो सकता है कि थोड़े दिनों तक गरीब-गरीब रहे किन्तु यह अंतर हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सदन में शासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता तो इस देश का भविष्य अंधकार में है और उसी दृष्टि से उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए मैं कहूंगा कि आम राजनैतिक दुर्भावनाओं को छोड़ दीजिए, राजनैतिक विभेदों को छोड़ दीजिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर कोई जीती हुई लड़ाई होती है तो उसके साथ चलते हैं नहीं तो नहीं चलते और इस हड़ताल में भी पहले इसके साथ थे लेकिन जब देखा कि हड़ताल असफल होने जा रही है तो उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को आगे कर दिया और अपने आप पीछे हट गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन भी वही नहीं कर रहा है। मुझे विश्वास है कि शासन के लोग ऐसा नहीं करें जो कि प्रजातंत्र में विश्वास न रखने वाले लोग करते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करूंगा कि उन सारे कर्मचारियों को जो कि नौकरी से हटाए गए हैं/निलंबित किए गए हैं बिना किसी दिक्कत के फिर काम पर ले लें।

उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल*

माननीय उप-सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की हड़ताल का सवाल कई बार इस सदन के समक्ष आ चुका है। यह अत्यंत दु:ख की बात है कि शिक्षक, जो हमारी भावी पीढ़ी को बनाने वाले हैं और जिनके ऊपर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है, उनको कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जिसके कारण उन्हें कारागार में जाने के लिए विवश होना पड़े।

महोदय, आप जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जब-जब किसी देश की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर संकट आया है तब-तब इन दारुल-उलूमों और स्कूलों ने, इन विद्यामंदिरों ने एक नया मार्ग और आशा की नई किरण प्रदान की है।

यदि इन विद्यामंदिरों के अध्यापक व्यथित हैं, उसमें अंधेरा छाया हो, उनके लिए भविष्य की कोई आशा न हो और उनका जीवन पीड़ामय हो तो फिर यह न केवल कुछ परिवारों और कुछ अध्यापकों का सवाल रह जाता है, बल्कि यह सम्पूर्ण देश के इतिहास और उसके भविष्य का प्रश्न बन जाता है।

महोदय, मैं इस समस्या को इस रूप में आपके समक्ष नहीं रखना चाहता कि इसके आर्थिक पहलू क्या हैं, आर्थिक पहलू के बारे में हमारे मित्र राजनारायण जी ने तफसील में विवरण दिया है, मैं तो केवल सरकार का ध्यान इसके सांस्कृतिक और मानवीय पहलू की ओर ले जाना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे पिछड़ा प्रदेश है तथा शिक्षा जगत में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं चाहे वह यूनिवर्सिटी के अध्यापक हों, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक हों, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक हों, चाहे इन विद्यालयों में काम करने वाले क्लर्क या चपरासी हों — इनका वेतन बहुत ही कम है। मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि जब कभी इस विषय को उठाया जाता है तो केन्द्र सरकार के उच्च पदों पर आसीन अधिकारी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ और नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह देश को प्रधानमंत्री दे सकता है। न केवल यहां का अध्यापक पिछड़ा है, यहां की आर्थिक व्यवस्था पिछड़ी है बल्कि शायद उत्तर प्रदेश सबसे कमजोर प्रदेश इस मायने में भी रहा है कि वह अपने प्रदेश के पीड़ित और दलित वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता है कि अधिक से अधिक सहायता और अनुदान उनको दिया जाए। महोदय, इसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश सारे देश से पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में एक पंचवर्षीय योजना पीछे है और उसका सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा है और उसी का प्रभाव आज अध्यापकों के वेतनमान और उनके जीवन पर पड़ा हुआ है।

* अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 18 दिसम्बर, 1968, का. 4718-24 (मूल हिन्दी में)

अब, कुछ आंकड़े दिए जाते हैं और उन आंकड़ों के ऊपर भी विवाद है, वह विवाद कोई छोटा-मोटा विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है कि अगर अध्यापकों की सारी मांगें मान ली जाएं तो पांच से छह करोड़ रुपए खर्च होंगे और अध्यापक संघ यह कहता है कि इस संबंध में दो करोड़ पचास लाख या दो करोड़ पांच लाख रुपया खर्च होगा और यह विवाद कोई एक दिन से नहीं चल रहा है, पिछले एक पखवाड़े से यह विवाद चल रहा है। महोदय मैं सदन के सामने कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन विफल हो गया है तो हमारे कुछ मित्र ऐसा मानते हैं कि मैं कोई अतिश्योक्ति कर रहा हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि क्या यह संभव नहीं है कि अध्यापक संघ के लोगों को और वहां के अधिकारियों को बुला लिया जाए और उनसे बात की जाए और देखा जाए कि जितने आंकड़े हैं वह सही हैं या नहीं, लेकिन यह मोटा सा काम नहीं होता और विवाद चलता है, अध्यापकों को जेल भेजा जाता है, सैकड़ों और हजारों पुलिस के लोग आठ हजार अध्यापकों को जेल में डालने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश का शासन इतना कठोर हृदय, पंगु और इतना अक्षम हो गया है कि वह कोई निर्णय नहीं ले सकता और.....

महोदय, मैं बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ बहुत गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि इस सबका उत्तरदायित्व राज्य के राज्यपाल महोदय के ऊपर है। मैं यह बात कोई अचानक नहीं कह रहा हूं। राज्यपाल महोदय, स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वह ऐसा समझते हैं कि जो अधिकार चाहे वह कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा हो या संयुक्त विधायक दल का मुख्यमंत्री रहा हो—जो अधिकार वह लोग नहीं इस्तेमाल कर सके उसका प्रयोग माननीय गोपाल रेड्डी जी, जो आपके मित्र हैं महोदय, वह प्रयोग करना चाहते हैं।

...और उनके लिए शासन दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करने का साधन है और दूसरी तरफ उनके लिए शासन कला को बढ़ावा देने के लिए है। एक ओर तो अध्यापकों को जेल में भेजा जा रहा है और दूसरी ओर गाजियाबाद में कलाकारों या नर्तकों के जरिए सिनेमाघर या स्टूडियो बनाने की योजना बनायी जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इन्होंने पढ़ा है जिसमें एक वीर एक कान से तलवार की झनझनाहट सुनता है और दूसरे कान से नूपुर की झंकार सुनता है। हमारे राज्यपाल या तो कलाप्रेमी हो सकते हैं क्योंकि कलापारखियों को उनके राज्य में लाखों रुपए और सारी सुविधाएं मिल सकती हैं या दूसरी तरफ 8000 अध्यापकों के ऊपर लाठी और गोली चलाने के लिए और जेल भेजने के लिए पुलिस की दमन शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। महोदय, यह एक अत्यंत वेदनामय स्थिति है और इस स्थिति का अंत करने के लिए केन्द्रीय सरकार यह नहीं कह सकती कि उत्तर प्रदेश का शासन निकम्मा है इसलिए वह कुछ निर्णय लेने में असमर्थ है, आज वहां राष्ट्रपति शासन है, वहां की शिक्षा के लिए माननीय त्रिगुण सेन जी, माननीय भागवत झा आजाद और माननीय शेर सिंह जिम्मेदार हैं। वे यह नहीं कह सकते कि चूंकि माननीय गोपाल रेड्डी साहब या जो वहां के कोई शिक्षा सचिव होंगे—मैं उसका नाम भी नहीं जानता—वह कुछ नहीं कर रहे हैं। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो अगर अध्यापक कहता है उसी हिसाब से हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाओ तो वह नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाता

है? आप खुद इस पर विचार करें। मैं दूसरा प्रश्न करता हूं सरकार से। अध्यापकों ने मांग की कि जो वेतन हमको मिलता है उसको सरकारी खजाने के जरिए से दीजिए। स्थिति क्या है? कुछ पैसा विद्यार्थियों की फीस से, शुल्क से, वह विद्यालय एकत्रित करते हैं और बाकी जो पैसा बचता है, जो जरूरी होता है, आवश्यक होता है, उसको सरकारी खजाने से दिया जाता है एड के रूप में, अनुदान के रूप में। सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक आंकड़ा दिया कि जितना पैसा फीस में मिलता है और जितना अनुदान मिलता है अगर उस सबको जोड़ा जाए और अध्यापकों के बीच में उसकी तकसीम की जाए तो दो-ढाई करोड़ रुपए की बचत होगी। यही नहीं उसमें 10 फीसदी आकस्मिकता के लिए और दूसरे खर्चों के लिए काटकर बचेगा। मुझे बताया गया है कि 30 फीसदी राज्य द्वारा काटा जाएगा। अगर 30 फीसदी भी काटें, महोदय, तब भी वह धनराशि कम नहीं पड़ती है लेकिन सारे देश में किसी भी राज्य में वह रकम 30 फीसदी नहीं काटी जाती। कुछ प्रदेशों में 16 फीसदी है, कुछ प्रदेशों में कला विभागों के लिए 10 फीसदी और विज्ञान संकाय के लिए 20 फीसदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन 30 फीसदी रखना चाहता है। लोग यह जानते हैं कि इन आंकड़ों में तो धनराशि इतनी है लेकिन वास्तविकता में यह धनराशि इतनी नहीं है। अगर यह धनराशि वास्तविकता में उतनी नहीं रहे तो इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने जब आप बजट लेकर जाते हैं तो गलत आंकड़े पेश करके आप बजट स्वीकार कराते हैं। वहां का शिक्षा सचिव, वहां के राज्यपाल महोदय, यह नहीं जानते कि अध्यापकों की बातों को काटने के लिए जो तर्क वह देते हैं उसका साफ परिणाम यह निकलता है कि वहां की विधान सभा से पैसा लेने के लिए, बजट मंजूर कराने के लिए आप गलत आंकड़े विधान सभा के सामने प्रस्तुत करते हैं, अगर यह करते हैं तो इससे बड़ा भयंकर अपराध महोदय कोई संसदीय लोकतंत्र में नहीं हो सकता।

महोदय मैं दो एक प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जूनियर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अध्यापक यह कहते हैं कि उनको सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग ग्रेड दिया जाए। शिक्षा विभाग ने यह कहा है कि पांच वर्षों तक जो जे.टी.सी. पढ़ा चुका है उसको कोई विद्यालय अपने यहां सी.टी. ट्रेड में रख सकता है लेकिन अगर वही अध्यापक अपने प्रारंभिक स्कूल में रहे तो उसको सी.टी. ग्रेड नहीं मिलेगा। ऐसे उदाहरण से स्पष्ट है कि कोई मतिभ्रम वाला व्यक्ति इस तरह का विचार लोगों के सामने रखता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के जो क्लर्क हैं, जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह कम है, उनका कोई निर्धारित ग्रेड नहीं, उनका कोई वेतनमान नहीं। सारे देश में से सामन्तशाही खत्म हो गई लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में सामन्तशाही आज भी विद्यमान है। संभवत: सामन्तवादी परम्पराओं के पोषक राज्यपाल महोदय उससे शायद अत्यंत प्रसन्न हैं। क्योंकि सामन्ती शासन के कुछ भस्मावशेष वहां ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। किसी भी राज्य में या किसी भी राष्ट्र में जहां कर्मचारियों को कम वेतन मिलता हो, वे दु:खी हों, जहां का अध्यापक, जहां का शिक्षक असंतोष की आग में झुलस रहे हों, उस देश का कोई भविष्य नहीं है। महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उससे भारत का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। 18000 अध्यापकों को कारागार की दीवार के पीछे रखकर कोई भी शासन अपने को जनतंत्रीय शासन

कहने का दावा नहीं कर सकता। जैसा माननीय राजनारायण जी ने कहा मैं उन 8000 से 12000 अध्यापकों को मुबारकबाद देता हूं जो जेल गए कि उन्होंने शांति बनाए रखी, उन्होंने व्यवस्था बनाए रखी, उन्होंने पुरानी परम्पराओं को कायम रखा। उत्तर प्रदेश शासन इतिहास से सबक नहीं लेता है तो मैं आपके द्वारा महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की मांगों को अविलम्ब स्वीकार किया जाए और उन्हें कारागार की दीवार से मुक्त किया जाए।

बीजू पटनायक, चौधरी चरण सिंह, शरद पवार और रवि रे (बाएं से दाएं) के साथ

जयप्रकाश नारायण और अन्य लोगों के साथ

जे.आर. जयवर्धने (श्रीलंका के राष्ट्रपति) और मोरारजी देसाई के साथ

साथी कामरेड। पी.वी. नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी
के साथ, नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2002

पी.वी. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी
और अन्य लोगों के साथ

खाद्य और कृषि

देश में खाद्यान्न की स्थिति*

मेरी इस मुद्दे पर कटु आलोचना और वाद-विवाद में पड़ने की मंशा नहीं है, लेकिन मैं बस यही कह सकता हूं कि खाद्य राज्य मंत्री, स्थिति की वास्तविकता से अफसोसजनक रूप से बेखबर जान पड़ते हैं। कल, बोलते समय, उन्होंने देश को और इस सदन को यही जताने का प्रयास किया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उन्होंने राष्ट्र को यही दिखाने का प्रयास किया कि चूंकि चार वर्षों से इस सदन में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए खाद्य के स्तर पर कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहूंगा कि संबंधित मंत्री अपने ही विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों को पढ़ने की चिंता नहीं करते। मैं इस समस्या का अन्य परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहता हूं और वह यह है कि क्या हम खाद्य संकट से युद्ध स्तर पर लड़ने वाले हैं, जैसा कि पूर्व में वादा किया था। वहां 'द इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिपोर्ट' है। 1959 में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा कृषि उत्पादन संबंधी समिति गठित की गई थी और मैं उस समिति की रिपोर्ट से कुछ वाक्य पढ़ना चाहूंगा। समिति कहती है कि नई खाद्य नीति हेतु जोरदार आंदोलन के तहत खाद्य उत्पादन मूल उद्देश्य होना चाहिए।

''इस आंदोलन में एक से अधिक योजनाएं शामिल हैं इसके लिए उन सबकी ओर से, जो इसमें लगे हैं आवश्यक संसाधन और कठोर परिश्रम, उत्साह, जोश और त्याग की आवश्यकता है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके पर्याप्त कार्यान्वयन के बिना कोई योजना बनाना अर्थहीन है। प्राय: किसान खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र को कार्यवाही के लिए संगठित करने हेतु आवश्यक कदम की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।''

यह एक टीम की रिपोर्ट है, लेकिन हर कोई, जिसने भी मंत्री जी का भाषण सुना, वह हैरान है कि क्या उसमें अत्यावश्यकता का कोई संकेत था। यह सिर्फ मेरी शिकायत नहीं है, बल्कि सभी की शिकायत है कि मंत्रीजी के बजट भाषण में अत्यावश्यकता का कोई संकेत नहीं था।

ऐसा लगता है, जैसे खाद्य मंत्री मानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और चूंकि हम साल-दर-साल कुछ प्रगति कर रहे हैं, इसलिए समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सारा दोष प्रकृति पर मढ़ने की कोशिश की और कहा कि असामान्य मौसम चक्र के कारण प्रत्येक तीसरे अथवा चौथे वर्ष हमें खाद्य और चीनी की कमी का सामना करना पड़ता है। हमें इन बातों को एक अलग तरीके और एक नए तरीके से देखना है। योजना का क्या अर्थ है? क्या योजना का यह अर्थ है कि हम इस सदन में आएं और कहें कि सूखे या बाढ़ या किसी बीमारी के कारण उत्पादन में कमी आई है?

1949 में माननीय प्रधानमंत्री ने चीनी की कमी के संबंध में एक बहुत अच्छा अवलोकन किया था। उन्होंने कहा, ''परेशानी की बात यह नहीं है कि कुछ लोगों को चीनी नहीं मिल पाई है बल्कि बात यह है कि चीनी की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ जाती है और इस समस्या पर शीघ्र नियंत्रण नहीं

* देश में खाद्यान्न की स्थिति विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 10 दिसम्बर 1963, का. 2787-2808

किया जा सकता। यही तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यह पता लगाना चाहिए कि इसके लिए विशेष रूप से कौन जिम्मेदार और दोषी है।'' यह प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य है।

महोदया, मैं देश में चीनी की स्थिति पर बात करूंगा और मैं भारत सरकार की चीनी नीति पर चर्चा करना चाहूंगा। 1960-61 में तीस लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था और इसके लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहन दिए गए थे। मुझे अन्य राज्यों का नहीं पता किन्तु उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को और अधिक चीनी का उत्पादन करने के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप देश में 30 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था और अगले वर्ष खाद्य मंत्रालय इस नारे के साथ आया कि चीनी का बाजार में आधिक्य और भरमार है तथा हम सारी चीनी का उपभोग नहीं कर सकते। उद्योगपतियों और सरकार दोनों उत्पादन में कमी लाने के लिए सहमत हुए। 1961 में, जब गन्ने की बुआई का समय था, तब सरकार ने कृषकों को राजसहायता, बीजों, खाद्य इत्यादि के रूप में सभी सहायता प्रदान की तथा गन्ना उत्पादकों ने बड़ी मात्रा और बड़े क्षेत्र में गन्ने की बुआई की परन्तु अगस्त 1961 में भारत सरकार अचानक यह अध्यादेश लेकर आई कि चीनी के उत्पादन को दस प्रतिशत तक कम किया जाए और यदि चीनी मिलें इस अध्यादेश का पालन नहीं करेंगी तो उन्हें शास्ति चुकानी होगी। यह खाद्य मंत्रालय का आदेश था। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया था कि चीनी का आधिक्य था? खाद्य मंत्री आएंगे और कहेंगे कि कोई निर्यात बाजार नहीं था। मैं सहमत हूं कि निर्यात होना चाहिए परन्तु देश की खपत की स्थिति के बारे में क्या होगा?

महोदया, आपकी अनुमति से मैं सदन के समक्ष उपभोग की स्थिति को प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुछ वर्ष पहले भारत क्यूबा के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा देश था। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि क्यूबा में उत्पादन में गिरावट के कारण भारत अब पहले स्थान पर हो। हम विश्व में उपभोग के आंकड़े देखते हैं। मैं 1961 में शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कल्याणपुर, कानपुर द्वारा प्रकाशित 'इंडियन शुगर मैनुअल' पुस्तक से चीनी के प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़ों को दर्शाता हूं। पृष्ठ 7 तालिका सं. 5 पर उन्होंने चीनी का वैश्विक प्रति व्यक्ति उपभोग दिया है। जो इस प्रकार है:-

बेल्जियम	35.3 कि.ग्रा.
चेकोस्लोवाकिया	42.9 कि.ग्रा.
फ्रांस	31.4 कि.ग्रा.
फिनलैंड	44.5 कि.ग्रा.
जर्मनी (पश्चिम)	31.9 कि.ग्रा.
इटली	24.0 कि.ग्रा.
नीदरलैंड	58.6 कि.ग्रा.
पोलैंड	33.5 कि.ग्रा.
स्विट्जरलैंड	54.4 कि.ग्रा.
स्वीडन	43.7 कि.ग्रा.
यूनाइटेड किंगडम	56.0 कि.ग्रा.
तुर्की	12.7 कि.ग्रा.
यू.एस.एस.आर.	30.3 कि.ग्रा.

और भारत के आंकड़े क्या हैं? भारत का आंकड़ा 14.5 एल.बी.एस. है जो 7 कि.ग्रा. होता है। विश्वभर में केवल दो देशों, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, में चीनी का उपयोग भारत से कम है। परन्तु खाद्य मंत्री आते हैं और कहते हैं कि 1960-61 में देश में चीनी का आधिक्य था और इसीलिए उत्पादन को दस प्रतिशत तक कम किया गया था। इस गलत नीति के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार को किसने सलाह दी? मैं खाद्य मंत्री के साथ सहानुभूति रखता हूं कि वह खाद्य मंत्रालय में बैठे नौकरशाहों द्वारा दिए गए गलत आंकड़ों के साथ यहां आकर कहते हैं कि चीनी की भरमार है और अगले साल इसका अभाव उत्पन्न हो जाता है। मैं आपको बताता हूं महोदया वर्ष 1961-62 में 30 लाख टन चीनी के उत्पादन में 26 लाख टन तक की कमी आई और वर्ष 1962-63 में यह 21.5 लाख टन तक आ गया। इस तरह दो वर्षों के अंदर करीब 13 लाख टन की गिरावट आई और भारत सरकार को करों के रूप में करीब 43.7 करोड़ रुपये की हानि हुई; इस गिरावट के कारण भारत सरकार को निवल हानि करीब 43 करोड़ रुपये की हुई। वे कहते हैं कि कमी कारखानों के कारण हुई। वे कहते हैं कि उद्योगपतियों के कारण कमी आयी। वे कहते हैं कि कमी प्राकृतिक अनिश्चितताओं के कारण आई। महोदया, मैं कहूंगा कि कमी भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण आयी, कमी खाद्य मंत्रालय में दूरदृष्टि के अभाव से आयी; कमी इसलिए आयी क्योंकि या तो वे चीनी की समस्या को समझते नहीं हैं या वे खाद्य मंत्रालय में बैठे कतिपय निहित स्वार्थों द्वारा दिग्भ्रमित किए गए हैं।

अब मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की गलत नीति के कारण क्या हुआ। वर्ष 1961-62 में उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में गन्ना जलाया गया था। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्रवाई में है और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया कि गन्ना जलाया गया था क्योंकि यह कारखानों द्वारा खपत नहीं किया जा सका। यह प्रश्न संसद और राज्य विधान सभा में भी उठाया गया था। केन्द्र सरकार ने यह बहाना बनाया कि वे गन्ने की खपत के लिए जिम्मेदार नहीं थे और उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परंतु आज क्या हो रहा है? आज वे भारत की रक्षा नियमों के अंतर्गत एक नियम लाए हैं कि गन्ना उत्पादकों को चीनी कारखानों को अपनी उपज का 66 प्रतिशत देने के लिए विवश किया जाना चाहिए। जब किसानों के खेतों में फालतू गन्ना था, भारत सरकार की इसकी खपत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी परंतु जब गन्ने का अभाव है और वे इसे गुड़ तथा खांडसारी के लिए देना चाहते हैं, तो सरकार भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत एक प्रावधान लाती है। और वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, यदि आप चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं करोगे तो आप पर मुकदमा चलाकर आपको जेल भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले ही एक गन्ना खरीद अधिनियम था परंतु सरकार उस अधिनियम से संतुष्ट नहीं थी और भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान किया गया था। और अब क्या हो रहा है? इन सब भारत रक्षा नियमों के बावजूद, पूर्वी उ.प्र. की चीनी मिलें अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार गन्ना प्राप्त करने में अक्षम हैं। जब मैंने इस मुद्दे को सदन में उठाने की कोशिश की तो कई अड़चनें डाली गईं और माननीय खाद्य मंत्री ने कहा कि मात्र तीन मिलें गन्ने की कम आपूर्ति से प्रभावित हुई हैं। महोदया, मुझे कई टेलीग्राफ प्राप्त हुए हैं और इन टेलीग्रामों का आना दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू हुआ। तब से इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाना चाहा। मैं केवल एक टेलीग्राम को पढ़ूंगा जो भारतीय चीनी मिल संघ, कलकत्ता द्वारा यहां भारतीय चीनी मिल संघ को भेजा गया था। यह किसी आन्दोलनकारी की तरफ से नहीं लिखा गया। इसे किसी गन्ना उत्पादक ने नहीं लिखा

था। यह चीनी मिल संघ के सचिव या इसे भेजने वाले किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से यहां दिल्ली में चीनी मिल संघ को लिखा गया है। यह निम्नानुसार लिखा है :

''हमारे टेलीग्राम को जारी रखते हुए उनतीसवां अल्टीमो समझिए विष्णु प्रताप सुगर वर्क्स, खड्डा, लक्ष्मी देवी चीनी मिल, चितौनी, पंजाब चीनी मिल, घुघली, महावीर चीनी मिल, सिसवा बाजार और सेकसरिया चीनी मिल, बभनान को गन्ना अभाव में बंद करना पड़ा जबकि रमकोना चीनी मिल, रामचन्द सन्स चीनी मिल, शाहगंज शंकर चीनी मिल, कैप्टनगंज, बस्ती चीनी मिल, वाल्टरगंज, माधो महेश चीनी मिल, मुंडेरवा, श्री आनंद चीनी मिल, लाबाड, ईश्वरी खेतान चीनी मिल, लक्ष्मीगंज, नवाबगंज चीनी मिल में असंतोषजनक आपूर्ति है। युनाइटेड प्रोविन्स चीनी कंपनी, तमखोई, ओरड पदरौना शुगर वर्क्स, कानपुर शुगर वर्क्स, कठकुइयां और गौरी बाजार देवरिया चीनी मिल, देवरिया, श्री सीताराम चीनी कंपनी, बैतलपुर, महेश्वरी खेतान चीनी मिल, रमकोला, सराया चीनी कारखाना सरदार नगर। गणेश चीनी मिल आनंदनगर, डायमंड चीनी मिल, पिपराइच, बलरामपुर चीनी कंपनी, बलरामपुर और तुलसीपुर में विरोध के कारण स्थिति काफी गंभीर है, समिति को आशंका है कि जब तक तत्काल कार्यवाही कर पर्याप्त गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाएगी, कारखानों को चलाना कठिन होगा। समिति मध्यस्थता का आग्रह करती है और कृपया आवश्यक कार्यवाही की जाए।''

यह टेलीग्राम यहां 2 दिसम्बर को 1 बजे प्राप्त हुआ था। यह देवरिया से है इसके अनुसार ''देवरिया बैतलपुर कारखाना उत्पादकों ने आपूर्ति रोकी 9 तारीख–युगलदेव।''

मुझे कई अन्य टेलीग्राम भी प्राप्त हुए हैं, परन्तु यह टेलीग्राम मुझे आज सुबह ही प्राप्त हुआ है। न केवल यह बल्कि समाचारपत्रों ने अनेक रिपोर्टें दी हैं। 30 नवम्बर को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार, ''पूर्वी उत्तर प्रदेश चीनी मिलें गन्ने के अभाव का सामना कर रही हैं। 26 नवम्बर 'स्टेट्समैन' के अनुसार–उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई बंद की। लखनऊ से ''इंडियन एक्सप्रेस'' ने 2 दिसम्बर को यह समाचार प्रकाशित किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें रुकने के कगार पर हैं। परन्तु, खाद्य मंत्री यहां शांत बैठे हैं। यहां तक कि हम इस मुद्दे को सभा में उठा भी नहीं सकते। कारखाने काम नहीं कर रहे हैं, कामगारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना उत्पादकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु खाद्य मंत्री के लिए यह छोटे मामले हैं और वह देश और इस सभा को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस मौसम में 33 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। मैं भारत सरकार के इस रवैये की निन्दा करता हूं, मैं केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का उल्लेख कर रहा हूं। भारत सरकार की दलील क्या है? सरकार का तर्क है कि वे प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के अनुसार वसूली के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने जा रहे हैं। खाद्य मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को कई बार संदेश दिया कि वे बेहतर गुणवत्ता का गन्ना उत्पादित करें। मैं इससे सहमत हूं परन्तु इसमें कई परेशानियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है जिससे चीनी की वास्तविक वसूली ज्ञात की जा सके। मैं यहां केवल कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक कारखाने से प्राप्ति 10.3 प्रतिशत है, जबकि पांच मील के क्षेत्र में अन्य कारखानों से प्राप्ति 9.5 प्रतिशत है। इसलिए प्राप्ति के संपूर्ण प्रश्न की नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है। प्राप्ति के प्रश्न को छोड़िए मैं श्री थॉमस और माननीय सरदार स्वर्ण सिंह से जानना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पंजाब में जहां प्राप्ति लगभग 9.02 प्रतिशत है, गन्ना उत्पादकों को 2 रुपये प्रति मन का भुगतान किया जाता है। केरल में जहां प्राप्ति 9.01 प्रतिशत है वहां थॉमस जी के राज्य में एकमात्र कारखाना 2 रु. मन गन्ना उत्पादकों को दे रहा है। अन्य खाद्य मंत्री डॉ. राम सुभाग सिंह अपने राज्य में दक्षिण बिहार कारखाने के संबंध में 2 रु. प्रति मन दे रहे हैं। सबसे कम पुनर्प्राप्ति के साथ बिहटा स्थित चीनी मिल, जो डॉ. राम सुभाग सिंह के संसदीय

क्षेत्र के निकट है, को प्रति मन ईख के लिए 2 रुपए देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उत्तर बिहार के अधिक पुनर्प्राप्ति वाले कारखानों को 2 रुपए प्रति मन की दर से भुगतान करने की अनुमति नहीं दी गई है। क्या यह न्याय है? क्या यह न्यायपूर्ण व्यवहार है? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हूं कि खाद्य मंत्रालय और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक पिशाचों का एक समूह है जो देश के एक भाग को लूटने के इरादे से आया है। क्या दलील दी है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में ईख उगाने वालों को 2 रुपए प्रति मन की दर से पैसा पाने की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए?

ऐसा कहा जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कारखानों को सस्ती दरों पर चीनी बेचनी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं इस मुद्दे को उठाता हूं कि चीनी के कारखानों को बहुत अधिक मुनाफा हो रहा है और इसलिए इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए तो यही सरकार आगे आकर कहती है कि ''नहीं इन कारखानों को बहुत ही कम लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्हें यह लाभ लेने दें।'' मैं उनका समर्थन करता हूं किंतु फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कारखाना मालिकों ने क्या गुनाह किए हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश के कारखाना मालिकों से कहा गया है कि वे 111.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चीनी बेचें जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी कारखाना मालिकों से कहा गया है कि अपनी चीनी को 116.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचें। यह मामला है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि एक विशेष प्रावधान है, एक विचित्र प्रावधान है। मैं केवल अंग्रेजी में बोल रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारत के मेरे मित्र मेरी बात समझ सकें। हमेशा यह रोना रोया जाता है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत का शोषण कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? यदि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें अपनी चीनी 116 रुपए की दर से बेचती हैं और मैसूर तक माल भाड़ा 1 रुपए प्रति मन पड़ता है तो मैसूर को माल भाड़े का लाभ लेने दें। यदि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 116 रुपए की दर से अपने उत्पाद को बेचने के लिए कहा जाए, तो मैसूर स्थित चीनी मिलों को 117 रुपए की दर से इसे बेचने के लिए प्राधिकृत किया जाए। किसी भी अधिशेष वस्तु को कम वस्तु वाले क्षेत्र में भेजने पर माल भाड़ा प्रभावित होता है। माल भाड़े का यह लाभ कमी वाले क्षेत्र में स्थित कारखानों को दिया जाता है। मैं जानता हूं, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो केरल के कारखाने के मामले में 2 रुपए प्रति मन के माल भाड़े का लाभ दिया जाता है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि भारत सरकार आखिर चाहती क्या है? महोदया, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही कारखानों में करीब 12.68 करोड़ मन ईख पिराई जाती है। यदि ईख उगाने वाले किसानों से कहा जाए कि वे प्रति मन 20 नया पैसा छोड़ दें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ईख उत्पादकों को 2.50 करोड़ रुपए छोड़ने होंगे। भारत सरकार एक प्रस्ताव लेकर आयी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले पिछड़े हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष योजना बनायी जानी चाहिए। किंतु यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ईख उत्पादकों से कहा जाए कि वे अन्य क्षेत्रों के लाभ के लिए 2.3 करोड़ रुपए दें, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु क्या यह लाभ उपभोक्ताओं की जेबों में जाएगा? नहीं।

अब मैं 'गुड़' का मामला उठाता हूं। माननीय खाद्य मंत्री ने कल कहा था कि अधिशेष क्षेत्रों से केवल 5 लाख टन गुड़ का निर्यात किया गया। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत गुड़ का उपभोग किया जाता है। मैं खाद्य मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ऐसा वक्तव्य सुनकर आश्चर्यचकित था। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये आंकड़े कहां से प्राप्त हुए। किंतु उनका संपूर्ण दावा इस तथ्य पर आधारित था। कि उन्हें ये सारे आंकड़े रेलवे स्टेशनों से प्राप्त होते हैं। गुड़ के निर्यात के संबंध में उन्होंने केवल रेल परिवहन की बात की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक और माननीय संसद सदस्य ने अपना मामला

लोक सभा में बताया और उन्होंने रेलवे के बारे में अपने अनुभवों को स्पष्ट किया। मैं खाद्य मंत्री को यह पूछने की चुनौती देता हूं कि 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात रेल द्वारा नहीं बल्कि ट्रकों के माध्यम से किया जा रहा है। खाद्य मंत्री के अनुसार पूरे भारत में गुड़ के उत्पादन के बारे में मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन विभिन्न राज्यों में गुड़ का निवल उत्पादन इस प्रकार है–सन 1961-62 में उत्तर प्रदेश में 23,79,000 टन गुड़ का उत्पादन हुआ था। सम्पूर्ण भारत में प्रति व्यक्ति गुड़ का उपभोग 22 एल.बी.एस. प्रति वर्ष है। इसलिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जो एक अधिशेष राज्य है, में प्रति व्यक्ति गुड़ का उपभोग 30 एल.बी.एस. है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 6,42,66,506 ग्रामीण और 94,79,895 शहरी हैं अर्थात् कुल जनसंख्या 7,37,46,401 है। यदि राज्य में प्रति व्यक्ति 30 एल.बी. एस. प्रतिवर्ष उपभोग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कुल उपभोग 10,50,000 टन है। अधिशेष 13,29,000 टन का क्या होता है? खाद्य मंत्री ने कहा कि गुड़ उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से केवल 5 लाख टन ही निर्यात किया गया है। मंत्री जी द्वारा दिए गए आंकड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिए गए हैं। खाद्य मंत्रालय हमको समझाना चाहता है कि वे हमें सही आंकड़ें दे रहे हैं। महोदया, क्या हो रहा है? यह गुड़ उत्तर प्रदेश में 18 रुपये प्रति मन बेचा जा रहा है। यदि दिल्ली में 32 अथवा 35 रुपए प्रति मन और पंजाब में और भी ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। गुजरात के बड़ौदा में इसकी कीमत और भी अधिक है। यदि यह मान लिया जाए कि आयात किए गए राज्य के उपभोक्ताओं से केवल 10 रुपये अधिक वसूले जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रति टन गुड़ पर 250 रुपये कम हो जाएंगे। लगभग 32 करोड़ रुपये की कुल हानि होगी। इसमें से लाभ किसको प्राप्त हो रहा है? यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। खाद्य मंत्री हमें यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वे यह सभी कदम केवल उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उठा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी गुड़ का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। गुजरात, पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापारी ही गुड़ के आयात के लिए प्राधिकृत हैं। इसलिए गुजरात, मुम्बई और पंजाब के व्यापारी चाहते हैं कि उनके राज्यों में अभाव की स्थिति रहे ताकि वे और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। मैं नहीं समझता, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सरकार इस प्रकार की नीति तब तक नहीं बना सकती जब तक कि उसके कुछ निहित स्वार्थ न हों। एक अथवा दो ही अधिकारी खाद्य मंत्रालय में कई वर्षों तक तैनात रह कर भारत सरकार की संपूर्ण चीनी नीति, संपूर्ण गुड़ नीति में मनमाने तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं। वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। महोदया, मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि खाद्य मंत्रालय व्यापक स्तर पर गड़बड़ी कर रहा है और जब तक संपूर्ण प्रणाली को बदला नहीं जाता, पूरे पैटर्न को परिवर्तित नहीं किया जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता।

जब हम वकालत करते हैं कि गुड़ के निर्यात पर, गुड़ के आवागमन पर कम प्रतिबंध होना चाहिए, तो यह गुजरात के उपभोक्ताओं, बॉम्बे के उपभोक्ताओं और पंजाब के उपभोक्ताओं के हित में है, और यह उत्तर प्रदेश के उत्पादकों के भी हित में है। लेकिन वे हमारी मांगों से सहमत नहीं होंगे। वे कहते हैं कि हम कुछ समस्या पैदा कर रहे हैं। माननीय खाद्य मंत्री ने, उदाहरण के लिए, कहा कि कुछ विरोध प्रदर्शन करने वाले भड़का रहे थे कि मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं की जाएगी। मुझे नहीं मालूम यह विरोध-प्रदर्शनकारी कौन थे। लेकिन मैं जिला कांग्रेस समितियों से सैकड़ों पर्चे दिखा सकता हूं जिनमें कहा गया है कि गन्ना उत्पादक कारखानों को तब तक गन्ने की आपूर्ति न करें जब तक उन्हें गन्ने की 2 रुपये पति मन की कीमत न मिल जाए। मैं केवल एक ही बिन्दु पर बल देना चाहता हूं कि

जब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुड़ उत्पादकों के लिए समान स्थितियां नहीं होंगी तब तक सरकार की चीनी नीति सफल नहीं हो सकती। कमियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे दो राज्य हैं, जो इतनी चीनी का उत्पादन करते हैं जिससे हमारी करीब आधी आवश्यकता पूरी हो सकती है। यदि गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, यदि कच्चे माल के उत्पादक उत्पादन की सारी प्रक्रिया में स्वैच्छिक भागीदारी के लिए तैयार नहीं हैं; तो मैं नहीं जानता कि खाद्य मंत्री कैसे मानते हैं कि वह लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पिछले एक महीने से चीनी मिल मालिक इस बात के लिए सरकार को राजी करने में लगे हैं और गन्ना किसान यह मांग कर रहे हैं कि इस गलत नीति को संशोधित किया जाना चाहिए, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार इनकी बात नहीं सुनने वाली। मुझे नहीं पता कि इसके क्या कारण हैं? जो एकमात्र स्पष्ट कारण मुझे समझ आता है, वो यह है कि इन दो अभागे राज्यों, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री यहां की कांग्रेस के तथाकथित हाइकमान की इच्छानुसार नहीं हैं ...और इसलिए आप श्रीमती सुचेता कृपलानी और श्री कृष्ण बल्लभ सहाय को बदनाम करना चाहते हो। चीनी संबंधी नीति निर्धारित करने में कांग्रेस की अंदरूनी कलह अड़चन बन रही है। मैं सदन में यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं खाद्य मंत्री को चेताना चाहता हूं कि चूंकि उन्हें पंजाब से वोट लेने हैं, तो गन्ना किसानों को 2 रुपए दिए जाने चाहिए; उन्हें केरल से वोट लेने हैं, तो इसलिए उन्हें 2 रुपए दिए जाएं।

.....आपके प्रधानमंत्री चाहे कितने भी महान क्यों न हों, यदि इस नीति में सुधार नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हो सकता है कि आपको यह पसंद न हो, शायद यह मुझे भी अच्छा न लगे, लेकिन यह साफ है और अगले कुछ सालों में ऐसा होने जा रहा है।

महोदया, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समस्या को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आखिर क्या कारण है, खाद्य मंत्रालय का क्या तर्क है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2 रुपए मन के हिसाब से भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

*** *** ***

मेरा मुख्य तर्क लोकतंत्र को बचाना है और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकना है। मैं नहीं चाहता कि उत्पादन में कमी आए। मैं नहीं चाहता कि अराजकता की स्थिति पैदा हो। मैं चाहता हूं कि इस आपात घड़ी में सरकार की पूरी नीति, जो कि सत्ता पक्ष के हठ पर आधारित है, को पुनर्भिविन्यासित किया जाना चाहिए। कहावतों के अनुसार शासकों का हठ खाद्य मंत्रालय के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका है। ऐसा कहने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मेरा उद्देश्य उन्हें कारण दिखाना है, सही रास्ते पर आने के लिए उन्हें रोशनी दिखाना है। यदि वे देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे अपने भाग्य पर दया आती है, राष्ट्र के भाग्य पर तरस आता है कि हमारे पास ऐसे खाद्य मंत्री हैं।

मैं चीनी की समस्या और गुड़ की समस्या के बारे में बात कर रहा था। मैं एक और बात रखना चाहता हूं। यदि गुड़ को लाभकारी मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा, तो इसके नतीजे गन्ना उत्पादन पर नजर आएंगे। यदि पर्याप्त मात्रा में गन्ने का उत्पादन नहीं होगा, तो इसका परिणामी प्रभाव चीनी के उत्पादन पर पड़ेगा। बेहद शुरुआती वर्षों में मूल्य निर्धारण आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि गुड़ की कीमतें गन्ने के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। यदि मुझे सही से याद है, तो मूल्य निर्धारण आयोग ने 1931 में रिपोर्ट दी थी कि...

''कीमतों पर और अंततः गन्ना क्षेत्र पर जलवायु की दशाओं के प्रभाव के अलावा, आंकड़ों की जांच प्रति एकड़ उपज में उतार-चढ़ाव के साधारण चक्रों को दर्शाती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण गुड़ की कीमतों में गिरावट आती है और जिससे गन्ने की खेती हतोत्साहित होती है और अंततः कीमतें स्थिर हो जाती हैं।''

इसलिए मैं सरकार और खाद्य मंत्री से सिफारिश कर रहा था कि अगर आप उत्तर प्रदेश में गुड़ की कीमतें एक गैर-लाभकारी स्तर तक कम करते हैं तो गन्ना उत्पादक हतोत्साहित हो जाएंगे और गन्ना उत्पादकों को किसी भी प्रकार का हतोत्साहन उन्हें चीनी के और उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दे पाएगा और इसके परिणामस्वरूप आपके और अधिक उत्पादन के लक्ष्य प्रभावित होंगे।

अब, मैं साधारण खाद्य नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय खाद्य मंत्री ने कहने का प्रयास किया कि खाद्य स्थिति के बारे में कोई भी डरने वाली बात नहीं है। केवल कुछ महीने पहले ही, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? मेरे मित्र माननीय श्री भूपेश गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में एक खतरनाक स्थिति थी। देश के दैनिक अखबारों में रिपोर्ट आई कि वहां लोग कानून अपने हाथों में ले रहे थे। यह पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं थी, यह माननीय मित्र श्री थॉमस नहीं थे जिन्होंने स्थिति को संभाला था या जो कोलकाता के बाजारों में चावल की कीमतें नीचे लाए थे बल्कि यह लोगों के समूह थे, यह लोगों की शक्ति थी। उन्होंने स्टोर खोले और जमाखोरों को समुचित कीमत पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर किया। लेकिन सरकार कहती है कि सब ठीक है। केवल यही नहीं, तीसरी योजना का मूल्यांकन और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि योजनाएं बनाई गईं लेकिन कोई भी योजना समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं की गई। गहन कृषि जिला कार्यक्रम की रिपोर्ट है। वर्ष 1950 में भारत सरकार के समक्ष यह विचार लाया गया कि युद्ध स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए और सरकार वर्ष 1963 तक इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर पाई। चार वर्षों तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सका। माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि वह लगभग 20 करोड़ रुपए की खाद्य सामग्री बाहर से आयात कर रहे हैं। लेकिन वह आयात को नहीं बढ़ा रहे हैं। वह अब स्वयं का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? हमें यह समझाया गया कि देश 1952 तक खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उसके बाद यह कहा गया कि कुछ और समय लगेगा। 11 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन आज भी हम माननीय खाद्य मंत्री से वही भाषण सुन रहे हैं। खाद्य मंत्री ने कहा, ''चार वर्ष पहले हमने खाद्य हालात पर चर्चा की''। मैंने राज्य सभा के वाद-विवाद का अध्ययन किया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सन् 1959 का भाषण लगभग वही था जो उन्होंने कल दिया। खाद्य मंत्री की मनःस्थिति और उपायों में कोई अंतर नहीं था। उनकी तरफ से न तो कोई शर्मिन्दगी है और न ही व्यथा। प्रधानमंत्री की तरफ से शर्मिंदगी हो सकती है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया कि सही नेतृत्व की कमी के कारण हमारा कृषि उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है। केवल कुछ दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि कुल कृषि उत्पादन उचित नेतृत्व की कमी के कारण प्रभावित हुआ है। मैं यह नहीं जानता कि यह टिप्पणी सरदार स्वर्ण सिंह या फिर श्री थॉमस के लिए थी, ये वह नेता हैं जो हमारे देश में खाद्य मंत्रालय का नेतृत्व करते रहे हैं। लेकिन देश के सबसे महान व्यक्तित्व की यह टिप्पणी योजना आयोग द्वारा परिकल्पित योजनाओं को लागू करने में झिझक और अक्षमता दिखाने के लिए काफी है।

खाद्य मंत्री ने कल कहा कि कृषि उत्पादों के उत्पादन की लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि उस बढ़ोत्तरी के अनुसार, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भी आनुपातिक वृद्धि होगी। यह सत्य है। मूलतः यह सत्य है कि खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ेगा। लेकिन काफी पहले, 1958 में, खाद्यान्न जांच समिति ने कुछ

उपाय सुझाए थे लेकिन सरकार ने अन्य उपायों पर विचार किया। सरकार के पास सभी तंत्र हैं। खाद्यान्न के मूल्य स्थिर क्यों नहीं थे? विशेषज्ञों द्वारा इस बात पर बार-बार जोर दिया गया था कि औद्योगिक और कृषि उत्पादों के बीच कुछ समानता होनी चाहिए। कोई कदम नहीं उठाया गया। औद्योगिक और कृषि उत्पादों के बीच समानता लाने के मार्ग में कौन बाधा बना है? वे कहते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है। क्या यह कहना पर्याप्त होगा यदि हम केवल इतना कहें कि खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष कुछ पाउण्ड या हजारों टन बढ़ रहा है? नहीं। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या के अतिरिक्त अनुपात में हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। यह बहुत चिन्ताजनक स्थिति है और अगर खाद्य मंत्रालय समुचित उपाय नहीं करता, तो देश में किसी भी समय विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मैं एक और अन्य मुद्दा उठाना चाहूंगा कि सरकार बड़े शहरों अथवा कुछ स्थानों के भाण्डागारों में अपना स्टॉक रख रही है। लेकिन यदि वे यह जानते हैं कि कुछ ऐसे दुर्लभ स्थान हैं जहां दुर्लभता की स्थिति पैदा हुई, सरकार को ऐसे स्थानों पर अपना स्टॉक बनाना चाहिए। यदि निजी खाद्यान्न मालिक और व्यापारी अत्यधिक कीमतें वसूल रहे हैं और अनचाही कमी की स्थिति पैदा करें, तो सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। अत:, उन स्थानों, जहां प्राय: दुर्लभता की स्थिति पैदा होती है, पर भाण्डागारों को बनाए रखना चाहिए।

मैं एक और अन्य मुद्दा उठाना चाहूंगा। समस्या केवल उत्पादन की ही नहीं है। वितरण की समस्या और अधिक गंभीर समस्या है और इस वितरण समस्या को गंभीर रूप से निपटाया जाना चाहिए। माननीय श्री भूपेश गुप्ता और श्री वाजपेयी ने कल कुछ सहकारी समितियों, केन्द्रीय सहकारी समिति का संदर्भ देते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ बड़े लोग सहकारी समितियों के प्रभारी हैं।

संसद में एक माननीय सदस्य ने यह माना कि यह समिति लाभ कमाने में व्यस्त थी। उन्होंने बताया कि कीमत में वृद्धि रेल प्राधिकारियों को दी गई रिश्वत के कारण थी। मुझे नहीं पता कि सदन में माननीय सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए और खाद्य मंत्री कहते हैं कि दिल्ली प्रशासन जांच कर रहा है।

श्री वाजपेयी द्वारा कल एक और चिंताजनक मुद्दा यह उठाया गया था कि समिति को बाजार में लाने के लिए चार हजार चावल के बोरे दिए गए थे, ताकि ऊंची कीमतों को कम किया जा सके परन्तु दो हजार बोरे भाण्डागारों में पड़े हैं। यह एक प्रकार की जमाखोरी है जो समितियों की ओर की जा रही है जो कि एक व्यक्ति द्वारा की गई जमाखोरी से कहीं अधिक आपत्तिजनक है। माननीय सदस्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कतिपय सहकारी भंडारों के अकुशल और भ्रष्ट कार्यकरण के कारण समस्त रूप से सहकारी समितियों का विरोध किया। भारत सरकार की सामान्य नीतियों के हितों में यह सभी और अधिक आवश्यक हो जाता है कि खाद्य मंत्री इस सहकारी भंडार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें तथापि...

*** *** ***

पांच मिनट के अंदर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदया, मैं केवल यह कह रहा था कि यदि किसी सहकारी समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, तो भारत सरकार का ध्यान इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यह नीति का मामला है। यदि ये सहकारी भंडार भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, जमाखोरी से लाभ कमाने और इसी तरह के कार्यों में लिप्त होते हैं, तो संपूर्ण सहकारी संस्था का अपमान होगा और लोकतांत्रिक समाजवाद का संपूर्ण नारा,

सहकारी सह संपत्ति का नारा मजाक बन जाएगा। भारत सरकार अपने नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उच्च आदर्शों वाले नारों को कोई महत्व नीति का कार्यान्वयन करने में नहीं देती है। उन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम उसे आगे से इन सहकारी भंडार के सभी अनुज्ञापत्रों को रद्द कर देना चाहिए था, और भारत सरकार और खाद्य मंत्री को सदन में वक्तव्य देना चाहिए था कि सभी अनुज्ञापत्रों, चाहे गुड़ हो, चना या अन्य वस्तुओं के लिए, जो इस सहकारी भंडार को दिए गए थे, रद्द कर दिए गए हैं। परन्तु कुछ नहीं किया गया था और पांच, छह दिनों से वह जांच कर रहे हैं परंतु छोटे दुकानदारों के मामले में वह सब कुछ कर रहे हैं, किसी भी छोटी गलती के लिए भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत चालान किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, यदि लोग भारत सरकार के इरादों में विश्वास करने को तैयार नहीं हैं, यदि लोग खाद्य मंत्रियों के बयानों में विश्वास करने को तैयार नहीं हैं, यदि कामगारों और किसानों को आश्वस्त नहीं किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा किए गए वायदे पूरे होंगे, तो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक योजनाओं का क्या होगा? इस बड़े परिप्रेक्ष्य में खाद्य मंत्री को मेरे द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए। यह छोटा मामला नहीं है कि देश के एक हिस्से में गन्ना उत्पादकों को बताया जाता है कि उन्हें प्रति मन दो रुपए नहीं मिल सकते क्योंकि बाजार में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। वहीं दूसरी दलील है उस दलील को खाद्य मंत्री द्वारा बताया जाना चाहिए, कि क्योंकि उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी या गुड़ का कोई उद्योग नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और गन्ना उत्पादकों को वहां अपने गन्ने के लिए प्रति मन 2 रुपए लेने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा। परंतु महोदया, क्या हम उन्हें प्रोत्साहन देने जा रहे हैं जिससे कुटीर उद्योग सुचारू किया जा सके। यदि वह यह सुविधा देते हैं, यह ठीक है। परंतु भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत वे नए क्रशरों को शुरू होने से प्रतिबंधित कर रहे हैं; वह कहते हैं कि नए क्रशर नहीं लगने चाहिए परंतु फिर भी वे गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हैं कोल्हुओं को केवल सहकारी आधार पर लगाया जा सकता है और न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा भारत रक्षा नियमों के अनुसार कोल्हू को तब लगाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपने कोल्हू में गन्ने से रस निकालता है। अत: आपने उस क्षेत्र में कई सीमाएं लगा दी हैं और उस क्षेत्र का श्रमिक वर्ग, भयभीत महसूस करता है; एक दु:ख का भाव है, एक असंतोष का भाव है, और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें इस बात के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए चूंकि उन्होंने एक निर्णय ले लिया है। वह निर्णय सभी तरफ से विरोध के बावजूद जारी रहना चाहिए। यहां तक कि चीनी मिल संघ ने उस क्षेत्र में सरकार और उ.प्र. सरकार से भी गन्ने के मूल्य को प्रति मन 2 रुपए पर निर्धारित करने का आग्रह किया है। यद्यपि वे सार्वजनिक रूप से आगे नहीं आए हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कई बार प्रतिवेदन दिया है कि इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि आप खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, यदि आप चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो यदि आप अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अधिक चीनी का निर्यात करना चाहते हो, केवल एक रास्ता है कि आपको कच्चे माल के उत्पादक को संतुष्ट करना चाहिए। आपको गन्ना उत्पादक को संतुष्ट करना चाहिए, आपको इस उद्योग में लोगों को संतुष्ट करना चाहिए। जब तक आप ये कदम नहीं उठाते तब तक किसी भी ठोस परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लोगों की, किसानों की, श्रमिकों की स्वेच्छा से भागीदारी से उत्पादन में वृद्धि होगी और अधिक उत्पादन से विदेशी मुद्रा आएगी। मुझे बताते हुए दु:ख हो रहा है कि सभी के द्वारा आग्रह करने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। इसके क्या कारण हैं? मैं कारण समझना चाहता हूं। लेकिन मेरे समझ में एक बात आ गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति खाद्य मंत्रालय के शर्करा निदेशालय में एक बड़े अधिकारी से मिले और उस व्यक्ति ने कहा कि राजनैतिक कारणों से हम इन

मांगों को नहीं मानेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या राजनैतिक कारण हैं? मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वह व्यक्ति शर्करा निदेशालय में बैठता है।

मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं राजनीति में पारस्परिक बातचीत में विश्वास करता हूं। कल आपने अपनी बात समाप्त नहीं की थी, आज मैं नहीं करता।

*** *** ***

...आरोपों को क्यों वापिस लिया जाए? मैं आरोपों पर टिका हूं और ये आरोप एक या दो बार नहीं लगाए गए हैं, बल्कि बहुत बार लगाए गए हैं। 1959 में माननीय सांसद सक्सेना जी ने कतिपय लोगों पर आरोप लगाये हैं। यह लिखित में है और माननीय खाद्य मंत्री चाहेंगे तो मैं इसे उद्धृत कर सकता हूं। लेकिन मैं सूचना का स्रोत नहीं बताऊंगा। यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि मैं शर्करा निदेशालय के खिलाफ आरोप न लगाऊं तो मैं माननीय मंत्री जी की मांग स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने आरोप वापस ले लूं। बल्कि, पूरी जिम्मेदारी और विश्वास से मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार के शर्करा निदेशालय के सभी कार्यों की जांच सुनिश्चित करने हेतु एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मेरे पास विश्वास करने के कारण हैं कि वहां पर बैठे व्यक्तियों की अन्य राज्यों के व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ है, उनकी उन लोगों के साथ सांठ-गांठ है जो चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कारखाने बर्बाद हो जाएं, ताकि उनको किसी और क्षेत्र में स्थापित किया जा सके। मेरे पास इस तथ्य पर विश्वास करने के लिए कारण हैं और मैं एक निष्पक्ष आयोग का गठन करने की मांग करता हूं और यदि माननीय मंत्री जी ऐसी जांच करवाने के लिए तैयार हैं तो मैं उस समिति या आयोग के समक्ष भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूंगा कि खाद्य और शर्करा निदेशालय के कुछ लोग सभी तरह के अवैध धंधों में संलिप्त हैं। इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री द्वारा 1949 में की गई टिप्पणी का जिक्र करना चाहूंगा और मैं बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं और वह चाहते हैं कि ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ होना चाहिए, तो उन्हें खाद्य मंत्रालय के संचालन, विशेष रूप से शर्करा निदेशालय के संचालन के संबंध में जांच बैठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में खाद्य समस्या*

उप-सभापति महोदय, इस खाद्य समस्या पर विवाद के प्रारम्भ में हमारे मित्र माननीय श्री गुरुपाद स्वामी जी ने कुछ सवाल उठाए और मुझे आश्चर्य है कि कुछ समाजवादी साथियों ने और हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त ने भी इन बातों को उचित नहीं समझा। माननीय स्वामी जी ने कहा था कि किसी भी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाले देश में अगर विकास करना है तो उसमें शुरू में कुछ कठिनाइयां होती हैं और उन कठिनाइयों का मुकाबला भी करना पड़ता है तथा विकास के साथ ही साथ कीमतें भी कुछ बढ़ती हैं। मैं नहीं समझता कि यह कोई ऐसी बात होगी जिसमें कोई विवाद हो। हर आदमी जानता है कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से विकास की ओर जाने में जो विकास के काम होते हैं, उनके साथ ही साथ कीमत भी बढ़ती है। लेकिन इन कीमतों के बढ़ने से परेशानी तब होती है जब किसी खास क्षेत्र में बहुत ऊंची कीमत हो जाती है और जिसका असर विकास के कार्यों और समाज पर पड़ता है।

दूसरी बात माननीय गुरुपादस्वामी जी ने यह कहा कि पुराने समाज से नए समाज में आने पर कुछ कठिनाइयां होती हैं और कुछ अव्यवस्था होती है लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय प्रो. मुकुट बिहारी लाल जी ने यह कहा कि जो यह समझते हैं कि एक समाज से दूसरे समाज में जाने पर एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में पहुंचने पर अव्यवस्था होती है, उनको शासक दल में रहने का अधिकार नहीं है। राजनैतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं समझता हूं कि जो भी समाजवादी विचारों में आस्था रखता है, जिसने समाजवादी समाज के दृष्टिकोण को समझा है, वह समझता है कि एक समाज से दूसरे समाज की ओर जाने में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं और इन कठिनाइयों को जाने बिना कोई भी समाज प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है।

आज हमारा देश खाद्य समस्या का सामना कर रहा है। उसको दो तीन दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक तो खाद्य समस्या हमारे देश के लिए नई नहीं है, हर साल कुछ क्षेत्रों में अकाल की छाया के रूप में यह समस्या हमारे देश में बनी रहती है। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से लेकर आजादी के आने वाले दिनों में भी हमारे सामने यह परेशानी बराबर उठती रही कि कभी भी देश भुखमरी से तबाह हो सकता है और उसके लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। श्रीमान 1952-53 में एक ऐसी हालत पैदा हुई कि इस देश में खाद्यान्नों पर से कंट्रोल उठा लिए गए। अगर हम इसके एक वर्ष पहले और चार वर्ष बाद की परिस्थिति को देखें तो उससे हमें ज्ञात होगा कि किस प्रकार हमारे देश के व्यापारियों ने खाद्य समस्या के साथ खिलवाड़ किया।

सन 1930 से ही कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि इस मुल्क में खाद्यान्न की कमी है और इसका समाधान यह है कि जो भूमि पर खेती करता है, जो भूमि पर मेहनत करता है, जो जमीन को जोतता है, उसे ही उसका मालिक बनाया जाए। यह बात एक बार नहीं, अनेक बार कही गई। आजादी मिलने के बाद भी और आजादी मिलने के पहले भी। सन 1936-37 में इस बात को फिर से दोहराया गया कि भूमि सुधारों में तेजी लाई जाए। सन 1947 के बाद पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद भी बराबर

* खाद्य स्थिति संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए। राज्य सभा, वाद-विवाद, 21 सितम्बर, 1964, पृ. 2289-2303 (मूल हिन्दी में)

यह कहा गया है कि भूमि सुधार जितनी जल्दी होंगे उतना ही खेती में उत्पादन ज्यादा होगा। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि रास्ते में कौन सी कठिनाई आ जाती है। आज हमारे देश में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने भूमि सुधार के कार्यों को अभी तक पूरा नहीं किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब-जब खाद्य समस्या के बारे में एक आयोग का गठन किया गया तो उसने भी यही कहा कि भूमि सुधारों को तेजी से लागू किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रस्तावों में यह कहा कि जमीन का फिर से बंटवारा होना चाहिए और जमीन उनके हाथों में जानी चाहिए जो जमीन पर खेती करते हैं। लेकिन जमीन के मालिक सरकार और नौकरशाही जो सरकार की सारी नीतियां बनाते हैं पर दबाव डालते हैं और इस तरह से भूमि सुधार का काम पूरा नहीं हो पाता।

इसी तरह से हमारे बहुत से मित्र सहकारी कृषि का विरोध करते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जाता है कि यह सवाल पार्टियों की परिधि से बाहर है। लेकिन मैं आपके जरिए नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में जमीन के सवाल का हल केवल हम ही नहीं कर सकते हैं।

आज कृषि क्षेत्र में सहकारिता का विरोध हमारे जो मित्र कर रहे हैं उनका जिक्र मैंने पिछले दिनों जब सहकारिता पर विवाद हो रहा था किया था। मुझे आश्चर्य है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वे कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विरोधी नहीं हैं लेकिन परसों जब वे विवाद में हिस्सा ले रहे थे तो उन्होंने सहकारिता आन्दोलन के बारे में कहा कि हमें इस पर बड़ी सावधानी से नजर रखनी चाहिए और काम करना चाहिए क्योंकि इस मुल्क में सहकारिता आंदोलन चलने वाला नहीं है। आखिरकार विरोध किस तरह से किया जाता है? आज जमाने की गति को देखते हुए, समाज की प्रगति को देखते हुए हमारे जनसंघ के मित्र, हमारे स्वतंत्र पार्टी के मित्र सहकारिता आंदोलन का खुले तौर पर विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन निहित स्वार्थों से जुड़े लोग चाहते हैं कि सहकारिता आंदोलन का वे विरोध करें।

श्रीमान्, हमारे देश में भूमि सुधार नहीं हुआ तो ऐसी हालत में अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ेगा। सरकार की ओर से यह वादा किया गया है कि खाद का ज्यादा उत्पादन किया जाएगा और किसानों को खाद दी जाएगी। सरकार के और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक एकड़ जमीन पर जो सिंचाई की जमीन है, 30 पौंड नाइट्रोजन और 15 पौंड फास्फेट्स मिलना चाहिए। इस बारे में बड़ी योजनाएं बनाई गईं और कहा गया कि किसानों को फर्टिलाइजर दिया जाएगा। मुझे याद है कि एक जमाने में किसानों से यह कहा गया था कि सिन्दरी के कारखाने का नाम बड़े फख्र से लिया जाता था और बड़े गर्व के साथ कहा जाता था कि सिन्दरी का कारखाना देश का नक्शा बदल देगा और अनाज की समस्या हल हो जाएगी। श्रीमान्, आज से एक महीने पहले मैं आपके साथ सिन्दरी के कारखाने को देखने गया था लेकिन आज हम अभिमान से और उस आवाज से सिन्दरी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से, सरकार की गलत नीतियों के कारण या जिन अफसरों को वहां पर रखा गया था उनकी वजह से, वह सारे देश के लिए एक शर्म का विषय बन गया है। सिन्दरी के कारखाने से हम लोग जो उम्मीद रखते थे वह नाउम्मीद के रूप में आगे आने वाली है। आज वहां पर केवल नाउम्मीदी की ही झलक दिखलाई देती है। आज हमारे देश में जो नई फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बन रही हैं उनके बारे में यही हालत है। श्रीमान्, आपके प्रदेश में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाने की योजना तीन साल से चल रही है और इसके लिए स्टॉफ भी रख दिया गया है जिस पर लाखों रुपया हर माह खर्च किया जा रहा है। अभी पिछले साल उस फैक्ट्री के लिए जमीन एक्वायर की गई। एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि विकास कार्यों को करने के लिए सीमेंट की कमी है लेकिन

उस कारखाने में ब्लैक में जितना सीमेंट चाहिए आपको मिल सकता है। गोरखपुर और महाराष्ट्र में जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बन रही है, उनके विकास पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इस देश में फर्टिलाइजर का उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तो हमारी पैदावार भी नहीं बढ़ेगी। इस संबंध में जो काम हो रहा है उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। इसी तरह सिंचाई की योजना में समन्वय नहीं होता है। हम इस सदन में सुनते हैं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हुकूमतें एक साथ नियोजन का काम नहीं करतीं। एक तरफ तो सिंचाई की योजनाएं बर्बाद होती जा रही हैं और दूसरी तरफ बाढ़ के पानी से वाटर लागिंग हो जाती है, जिससे सारा देश बर्बाद हो जाता है।

भूमि सुधार की बात तो अलग है और वह विवादित मुद्दा है। अब एक नया नारा लगाया गया है कि फिर से भूमि को पट्टे पर देने का (शिक्मी) का कानून लागू किया जाए। हमने सुना है और बड़ी हैरत के साथ सुना है कि हुकूमत इस संबंध में विभिन्न प्रदेश सरकारों से राय ले रही है कि क्या भूमि को पट्टे पर देने का हक फिर से दिया जाए। यह दबाव किन की ओर से पड़ रहा है? यह दबाव उन लोगों की ओर से पड़ रहा है जिन के पास जमीनें हैं लेकिन जो जमीन के ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। जो व्यवसाय करते हैं, वे कह रहे हैं कि उनकी जमीन महफूज रखने के लिए अगर आप यह शिक्मी का कानून फिर से जायज नहीं करार देंगे, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्या इस तरह से कोई अर्थव्यवस्था ठीक चल सकती है? क्या इस तरह से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ सकता है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो भूमि सुधारों में तेजी लानी होगी। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो किसानों को खाद देना होगा और कृषि में सहकारिता आंदोलन को चलाना होगा। आज 70 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास एक और दो एकड़ के बीच जमीन है। वे तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए मिल जुल कर काम करना न सीखें।

इन सारे क्षेत्रों में काम करने के साथ-साथ सामुदायिक विकास योजना का प्रश्न आता है। सामुदायिक विकास मंत्री इस संबंध में आज जवाब दे रहे थे। एक बार नहीं अनेक बार कहा गया है कि सामुदायिक विकास योजनाएं कृषि के क्षेत्र में काम ठीक तरह से नहीं कर पातीं। सन् 1957 में जब फूडग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी बनी तो उसने कहा कि सामुदायिक विकास योजनाओं से जो उम्मीद थी वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। यह उम्मीद की गई थी कि आने वाले दिनों में ये योजनाएं कुछ काम करेंगी। लेकिन आज भी सामुदायिक विकास योजनाएं हमारे सिर पर एक आर्थिक बोझ के रूप में लदी हुई हैं और उनसे कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है।

सन 1953 में जब कंट्रोल हटाए गए थे — सरकार की ओर से कहा गया था कि कंट्रोल की जो बुराइयां हैं, नियंत्रण की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए धीरे-धीरे कंट्रोल को हटाएंगे। लेकिन हमेशा यह ख्याल रखेंगे कि व्यापार के ऊपर पूंजीपतियों का एकाधिकार न होने पाए और अटकलबाजी की वजह से, जो जनता को तकलीफ होती है, वह न होने पाए। फिर सन् 1953 से लेकर सन् 1956 तक इन चार वर्षों में धीरे-धीरे कंट्रोल हटाए गए और इन वर्षों में अनाज की कीमतें गिरी रहीं। लेकिन सन 1956 में ज्यों ही डीकंट्रोल पूरी तरह हो गया, उसके बाद कीमतें बढ़नी शुरू हो गईं। सन् 1952-53 में व्यापारियों ने जानबूझ कर कीमतों को कम किया। उस जमाने में बड़े जोरों से यह नारा लगाया गया कि कंट्रोल हट जाएंगे, अनियंत्रण हो जाएगा, तो समाज में खुशहाली आ जाएगी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि नियोजित अर्थव्यवस्था में इस तरह से अनियंत्रण की

व्यवस्था को चला करके सब से पहली भूल सन् 1953 में की गई। जब हमारे बफर स्टॉक बन रहे थे और जब व्यापार के ऊपर हमारा नियंत्रण चल रहा था तो उस समय अचानक कंट्रोल को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया और सन् 1956 से हम फिर स्पेकुलेटर्स के हाथ में खेलने लगे तब से बराबर यह परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। आज हालत क्या हो रही है? हालत आज यह हो रही है कि यहां पर कहा जाता है कि कंट्रोल मत करो फूडग्रेन्स के ऊपर। हमारे जो नए खाद्य मंत्री हैं, उनसे बड़ी उम्मीद हुई थी। मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें उन्होंने यह कहा था कि अनाज का व्यापार राज्यों के बीच किया जाएगा लेकिन बाद में क्या हुआ जिसके कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाने के संबंध में मुझे यह देख कर हैरानी हुई कि राजगोपालाचारी और जनसंघ के भाई उसका समर्थन करते हैं। यह व्यवस्था असफल होने वाली है।

...उसके बाद यह जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोग कहेंगे कि राज्य व्यापार योजना असफल है, इसको हमेशा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि ज्यों ही स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाने की बात आई राजगोपालाचारी जी ने अपने 4 अगस्त के स्वराज्य अखबार में लिखा कि खाद्य मंत्री साहब वही करने जा रहे हैं जिसको स्वतंत्र पार्टी हमेशा से मानती रही है और जिस का प्रचार करती रही है।

...तो 4 अगस्त के ''स्वराज्य'' में राजा जी ने यह लिखा कि माननीय सुब्रह्मण्यम जी का वे समर्थन करते हैं। उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की बात करके उनके मन की बात कर दी। 7 अगस्त को जनसंघ के अखबार 'ऑर्गेनाइजर' ने लिखा कि वे भी इसका समर्थन करते हैं। माननीय सुब्रह्मण्यम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। अब आप देखिए कि मुंशी साहब ने स्वतंत्र पार्टी की मीटिंग में खाद्य समस्या पर प्रस्ताव पेश करते वक्त क्या कहा। यह 2 अगस्त के अखबार में छपा है। उसमें कहा गया है:

''श्री के.एम. मुंशी*, पूर्व खाद्य मंत्री ने राज्य व्यापार और निजी भूस्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का विरोध करते हुए एक संकल्प प्रस्तुत किया था और उसमें यह कहा गया कि किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए बृहद और मितव्ययी भूमि रखने की अनुमति दी जाए।''

*** *** ***

मैं यह कह रहा था कि अगर इस व्यापार के ऊपर नियंत्रण करना है तो उसका केवल एक ही तरीका है कि सरकार पूरे तौर से अपने हाथ में अनाज के व्यापार को ले ले। कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य उस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस तरह की धमकी कल व्यापारियों ने दिल्ली में अपनी सभा में दी है।

मुझे हैरानी होती है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में 80 लाख किलो अनाज कब्जे में किया गया और खाद्य मंत्रालय के लोगों ने कहा कि उन्होंने कमाल किया है, लेकिन भंडार की जांच के तीन दिन के बाद फिर यह कह दिया गया कि यह भंडार की जांच है। सरकार को ऐसी ढुलमुल नीति को छोड़ना चाहिए।

अब, श्रीमान, आपकी आज्ञा से मैं दो चार मिनट और लूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे कि अगर मैं यह कहूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हुआ

* श्री के.एम. मुंशी, संसद सदस्य

है। आज खाद्य मंत्री ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि गल्ला देते समय केन्द्र सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि किसी राज्य की पैदावार क्या है, वहां की आबादी क्या है, वहां की आवश्यकता क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश के पिछले तीन वर्षों की पैदावार को लें तो ऐसा मालूम होगा कि वहां हर साल पैदावार गिरी है। जहां उत्तर प्रदेश में सन् 1960-61 में 142.53 लाख टन अनाज पैदा हुआ वहां सन् 1961-62, 138.35 लाख टन हुआ और सन् 1962-63 में 132.79 लाख टन हुआ और सन् 1963-64 में 116.18 लाख टन हुआ। इस तरह से उत्तर प्रदेश में आज 40.33 लाख टन की कमी है। यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश को गल्ला दो तो तत्कालीन खाद्य मंत्री माननीय स्वर्ण सिंह जी ने कुछ वादा किया। पहले वहां 68 हजार टन, आटा मिलों को और 25 हजार टन बरेली और मेरठ को मिला कर पांच बड़े शहरों को दिया जाता था। इसके अतिरिक्त एक लाख टन प्रदेश सरकार को देने की बात थी। लेकिन अचानक नए खाद्य मंत्री आते हैं और वह कहते हैं कि उनका इस तरह का कोई वायदा नहीं है। फिर कहा गया कि इतना हम पूरा नहीं कर सकते और 1 लाख 5 हजार टन प्रतिमाह देने का इन्होंने वायदा किया। लेकिन यह गल्ला भी नहीं दिया गया। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस बारे में विस्तार से बताऊं, लेकिन जून से अगस्त 1964 तक उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खिलवाड़ किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जून के महीने में सस्ते गल्ले की दुकान खोली उनको गल्ला नहीं पहुंचा सकी इसलिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जो गल्ला केन्द्र से मिलना चाहिए वह गल्ला उसे नहीं दिया गया। मैं खाद्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि 1 लाख 5 हजार टन में से 60 हजार टन केवल 'कवाल' टाउंस कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ और दो बड़े शहरों के लिए चाहिए तो बाकी 45 हजार टन में सारे उत्तर प्रदेश की कमी को वह कैसे पूरा करेंगे। पटेल आयोग जिसको केन्द्रीय सरकार ने बनाया उसकी यह रिपोर्ट है कि 1960-61 में देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में, केवल चार जिलों में करीब 4 लाख टन अनाज की कमी हुई और 1962-63 में हालात और खराब हुई। आज वहां की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि 25 फीसदी नुकसान हुआ-अगर उनकी बात को न भी मानिए तो भी कम से कम 20 फीसदी का नुकसान हुआ ही और इस तरह से वहां तीन लाख या साढ़े तीन लाख टन की और कमी हुई है। तो सात या आठ लाख टन अनाज केवल चार पूर्वी जिलों के लिए चाहिए। अब, श्रीमान, आप ही बताइए 45 हजार टन महीने के कोटे से क्या होता है। आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। यह आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है, इस टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर निकली हुई है कि पहाड़ी इलाकों में 140 रुपये प्रति क्विंटल चावल बिक रहा है और देहरादून शहर में 120 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। आज स्टेट्समैन की खबर है कि इलाहाबाद शहर में 105 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है। यह उत्तर प्रदेश की हालत है। यही सही है कि फूड मिनिस्ट्री ने जो पैम्पलेट दिया है — मुझे समय होता तो मैं उसको पढ़ता और बताता-उसमें कहा है कि जहां बम्बई में 104 रु. क्विंटल है और सहारनपुर में 87 रु. प्रति क्विंटल है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा है, सितम्बर के महीने में क्या हालत है।

श्रीमान, मैं आपको बता दूं कि आज 21 तारीख सितम्बर की हो गई है और 21 तारीख तक 1 लाख 5 हजार टन में से कुछ 33 हजार, 293 टन अनाज उत्तर प्रदेश को भेजा गया। मैं इस सरकार पर जानबूझकर उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगा रहा हूं। यह मैं मानता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री और केन्द्र में बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से नाराजगी है। तो उस नाराजगी को निपटाने का दूसरा रास्ता है लेकिन वहां के खेतिहर मजदूरों के नाम पर, वहां

के भूखे लोगों के नाम पर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यह खिलवाड़ आप न करें। 21 तारीख तक सितम्बर के महीने में श्रीमान, कुल 33 हजार टन अनाज वहां गया है। बरेली के गोदाम को ले लीजिए, एक मन अनाज भी बरेली के गोदाम में नही है। अब इन्होंने 541 टन भेजा है, जो कल तक बरेली नहीं पहुंचा था। आप यह बताइए कि इन सब हालातों को देखने के बाद इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या जवाब है, सुब्रह्मण्यम साहब के पास?

*** *** ***

कुल 33 हजार टन 21 तारीख तक गया है। अगर श्रीमान चाहें तो मैं बता दूं कि किन-किन पोर्टों से कांडला से, विशाखापट्टनम से और कलकत्ता से किन-किन तारीखों को कितना-कितना अनाज भेजा गया। यह सरकार एक तरफ यह खिलवाड़ कर रही है दूसरी तरफ जब मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों से बात की....।

*** *** ***

आजमगढ़ के कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कहा कि अगर हमें गेहूं नहीं दे सकते तो हमको शीरा दो, और चीफ मिनिस्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही है, उनके लिए शीरा भेजा जा रहा है। यही नहीं, श्रीमान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है कि 5 हजार टन टूटा चावल जो जानवरों को खिलाने के काम में आता है वह टूटा हुआ चावल उत्तर प्रदेश के लिए दिया जाए। रामकृष्ण साहब ने वायदा किया लेकिन फूड मिनिस्टर साहब, सुब्रह्मण्यम साहब चंडीगढ़ जाते हैं और जाकर कहते हैं कि 5 हजार टन नहीं केवल 2 हजार टन जाएगा। यही नहीं, माननीय लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर पंजाब की सरकार ने 25 हजार टन गेहूं उत्तर प्रदेश को देना मंजूर किया। सुब्रह्मण्यम साहब खत लिखते हैं यू.पी. के चीफ मिनिस्टर को कि क्या आपको अधिकार है कि आप सीधे पंजाब के और....मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करें। फिर जाकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर से खत लिखवाते हैं कि 25 हजार टन नहीं केवल 20 हजार टन दे सकते हैं और यह भी केन्द्र सरकार के द्वारा।

*** *** ***

श्रीमान, मैं एक अन्तिम बात कह कर समाप्त करूंगा। यह सरकार चलती रहेगी लेकिन याद रखें कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते। मैं कांग्रेसी दोस्तों से कहूंगा कि याद रखिए कि अगर इन बातों को आप देश के सामने इन मांगों को पार्लियामेंट के सामने, अपनी सरकार के सामने नहीं रखते तो आने वाले दिनों में क्या हालत होने वाली है यह सोच लें। माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि भुखमरी होगी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से भूख से तड़पते हुए लोगों को देखा है। मैंने प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को खत लिखा कि इस स्थिति का कोई ठीक हल निकालना चाहिए। कहा गया कि हल निकाला गया है। हल यह है कि श्रीमान कोटा आधा किया गया। 2 लाख टन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांगा और 1 लाख 5 हजार टन दिया गया। अब 9 दिन बाकी हैं और अभी तक कुल 33 हजार टन ही इस सरकार ने वहां भेजा है।

अन्त में, श्रीमान, मैं कहूंगा कि जो सरकार किसी प्रदेश की, किसी हिस्से की हालत और आवश्यकता को नहीं जानती, उसको सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। खास तौर से मैं श्री सुब्रह्मण्यम साहब से कहूंगा कि मैं एक किताब को कोट उद्धृत करता लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा, वह किताब है ''वर्ल्डवाइड वीट प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन जनरल''* वह इस के प्रिफेस को, पहले पन्ने को, पहले पैराग्राफ को पढ़ लें कि साक्रटीज (सुकरात) के जमाने में क्या हुआ। प्लेटो

* पॉल डि. हेवेसी, लंदन, 1939

का भाई एथेंस का गवर्नर बनने के लिए सुकरात के पास जाता है और कहता है कि हमारा समर्थन कीजिए। सुकरात ने पूछा कि एथेंस में कितने सिपाही हैं, कितनी छावनियां हैं। उसने कहा कि उसे ठीक से नहीं मालूम। तीन चार सवाल उन्होंने और पूछे। अन्त में उन्होंने पूछा कि एथेंस को खिलाने के लिए कितना अन्न चाहिए, उसने कहा कि उसे नहीं मालूम। तो सुकरात ने कहा कि जिस राजा को यह नहीं मालूम कि उसके राज्य में खिलाने के लिए कितना अन्न चाहिए, जिसको वहां की अन्न की समस्या मालूम नहीं, उसको स्टेट्समैन कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जिस सरकार को, जिस मंत्री को यह मालूम नहीं है कि आज देहरादून की वैली में क्या हालत है, आजमगढ़ में क्या हो रहा है, देवरिया में, बलिया में क्या हो रहा है, उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सदस्यों से खास तौर से और सारे सदन से भी सामान्य रूप से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की इस स्थिति पर विचार करें। कोई भी खाद्य समस्या तब तक ठीक नहीं चल सकती जब तक लोगों की उचित मांगों को पूरा न किया जाए।

श्रीमान, मुझे विश्वास है कि खाद्य मंत्री, मैंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच करेंगे। पिछले साल मैंने कहा था कि यहां का जो खाद्य मंत्रालय है वह उत्तर प्रदेश के खिलाफ काम करता है। गुड़ आंदोलन के जमाने में मैंने यह कहा था, उस समय थॉमस साहब और एक-दूसरे मंत्री जो अब विदेशी मामलों के मंत्री हो गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि किसी हालत में गुड़ के ऊपर से नियंत्रण हटा और उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया। इसी तरह इनकी खाद्य नीति तब बदलेगी जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1964*

महोदय, मैं प्रारंभ में ही यह प्रकट कर देना चाहता हूं कि मैं उन सब कदमों के साथ हूं जो कि जखीरावालों और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ उठाए जायें, लेकिन जिस प्रकार से यह अध्यादेश लाया गया और इसके पहले भी जिस तरह से नियमों का पालन किया गया, जो कि सरकार ने खुद बनाए हैं, उससे संदेह होता है कि इन नियमों का पालन भी कहां तक होगा और इसी दृष्टिकोण से मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई देना चाहता हूं कि जनसंघ जैसी पार्टी से ताल्लुक रखते हुए भी, उसके नेता होते हुए भी, कभी-कभी वे अच्छी बातें कहते हैं।

मैं यह बात इसलिए कह रहा था कि मैं भी श्री वाजपेयी जी की तरह नहीं समझ सका कि यह अध्यादेश 5 नवम्बर को लाने का विशेष कारण क्या था? अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बताने की कोशिश की और माननीय अकबर अली खान साहब ने—जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं—उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उससे पहले शायद जरूरत नहीं थी और 5 नवम्बर को जरूरत महसूस हुई। महोदय, पिछली बार जब पार्लियामेंट में हम लोग मिल रहे थे, मैंने आपको बताया था और इस सदन को भी मालूम है कि दो खबरें एक साथ छपीं, एक खबर यह छपी कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के इलाके में फौज के लोग अपने राशन से कटौती करके वहां के भूखे लोगों को अनाज दे रहे हैं और दूसरी खबर यह भी छपी कि उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल और तिब्बत को हमारे देश का चावल चोरी से जाता है। उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, उस समय सरकार के सामने यह दृश्य साफ था लेकिन उस समय यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इस तरह का कोई अध्यादेश लाया जाए। पार्लियामेंट के पिछले अधिवेशन में खाद्य मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम परिस्थिति के ऊपर काबू पा रहे हैं, स्थिति पहले से सुधर रही है। चाहे इस अध्यादेश से इतनी बात अवश्य प्रकट होती है कि पिछले अधिवेशन से और 5 नवम्बर तक खाद्य स्थिति और अधिक बिगड़ी है, जखीराबाजों और मुनाफाखोरी करने वालों की प्रवृत्ति और अधिक बिगड़ी है और सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा है कि इस प्रकार का अध्यादेश लाएं। लेकिन इस अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पहले सरकार के तरकश में जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया गया? माननीय खाद्य मंत्री ने कहा और वह ठीक कहा कि हथियार हर दम चलाना पड़े यह जरूरी नहीं है, किसी भी समय चलाने की जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए भी हथियार रखना जरूरी होता है। लेकिन महोदय, हथियार का प्रदर्शन हर दम कोई जरूरी नहीं होता, हथियार अपने पास रखे जाते हैं और उनको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए निकाले जाते हैं, किंतु अगर हथियार हरदम बिना जरूरत चमकाए जायें तो इसका अर्थ यह होता है कि हथियार चलाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा यही आरोप है इस हुकूमत के ऊपर कि जो कानून बनाए जाते हैं वे लागू करने हेतु नहीं बनाए जाते। एक बार नहीं अनेक बार जो वक्तव्य यहां पर दिए जाते हैं वे लागू करने के लिए नहीं दिए जाते। बढ़ते हुए असंतोष की धारा को मोड़ने के लिए, उस असंतोष को कुंठित करने के लिए समय-समय पर इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं।

* आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1964 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1964 पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 15 दिसंबर, 1964, का.सं. 3865-3878 (मूल हिन्दी में)

महोदय, मैं इस सिलसिले में माननीय खाद्य मंत्री जी को तुलसीदास जी की एक चौपाई की याद दिलाना चाहूंगा:

''सूर समर करनी करहिं,
कहि न जनावहिं आप।
विद्यमान रण पाइ के,
कायर करहिं प्रलाप''।।

युद्धभूमि में बहादुर लोग अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। किंतु ऐसी ही स्थिति का सामना करने पर डरपोक लोग केवल लम्बी-लम्बी हांकते हैं। तुलसीदास जी ने जो कहा है, आज हमारी हुकूमत के बारे में वह सही हो रहा है। खाद्य मंत्री के सारे वक्तव्यों को ले लीजिए, प्रधानमंत्री के सारे वक्तव्यों को ले लीजिए और उनका सारांश निकालिए तो ऐसा लगता है कि इस पार्लियामेंट के फोरम से, समाचार पत्रों के जरिए हम बातें करना चाहते हैं। लेकिन कुछ करने का इरादा नहीं है और अगर इरादा है तो इसको करने का हम में सामर्थ्य नहीं है। जिस हुकूमत में किसी भी नियम को, कानून को लागू करने का सामर्थ्य नहीं है, उस हुकूमत को अधिकार देते समय संसद को बहुत सोच समझकर अधिकार देना चाहिए। जैसे जिस आदमी को अणु बम चलाने का ज्ञान नहीं है, उसके हाथों में अणु बम को देना खुद उसका संहार करना है, उसी तरह जो हुकूमत अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू नहीं कर सकती उस हुकूमत को और अधिक अधिकार देना इस बात का द्योतक है कि हुकूमत ऐसी परिस्थिति में सदन को पहुंचा देना चाहती है, इस देश को इस हालत में पहुंचा देना चाहती है कि देश का जनमानस यह समझने लगे कि इन वक्तव्यों से कुछ नहीं हो सकता, संसद के नियमों से कुछ नहीं हो सकता और जो कानून बनते हैं, उनके जरिए कुछ नहीं हो सकता। माननीय अकबर अली खान यहां नहीं हैं, मैं उनको बताना चाहता था कि 5 नवम्बर को जब अध्यादेश जारी हुआ था। मैंने बड़े भरोसे के साथ माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्तव्य को पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जितने अधिकार देने चाहिए सारे अधिकार अधिकारियों को दे दिए गए हैं और उसके बाद भी अगर हालत नहीं सुधरी तो इसके लिए वही दोषी साबित होंगे। लेकिन 5 नवम्बर के बाद क्या खाद्य मंत्री यह कहेंगे कि जमाखोरी में कुछ कमी हुई है, जखीरेबाजी में कमी हुई है, मुनाफाखोरी में कमी हुई है? क्या व्यापारियों का सहयोग मिला है? जहां तक व्यापारियों का सवाल है, हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा हमें पुरानी परम्पराओं पर भरोसा रखना चाहिए और उस पर अगर भरोसा रखें तो हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा, आश्वासन मिल जाएगा कि उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मान्यवर, मैं आपके जरिए इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि भारत सुरक्षा कानून का उपयोग किस पर हुआ? सस्ते गल्ले की दुकान करने वाले 1000 की पूंजी लगाने वाले सैकड़ों व्यापारी हर राज्य में जेलों में भेजे गए या उन पर मुकदमा चलाया गया। मैं नहीं जानता किसी राशनिंग इंस्पेक्टर या क्लर्क के ऊपर भी मुकदमा चला या नहीं लेकिन एक भी बड़ा आदमी, एक भी जखीरेबाज, एक भी ऐसा आदमी जो सारे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रतिक्रियावादी धारा की ओर मोड़ना चाहता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लगता। दिल्ली के अंदर जखीरों को पकड़ा गया, यहां के कमिश्नर ने बयान दिया, खाद्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा उन्होंने बड़ा करिश्मा किया है। तीन दिनों बाद पता चला, यह तो केवल वेरीफिकेशन ऑफ स्टॉक था। फिर यह संदेह होता है कि कानून का उपयोग कैसे होगा। डिफेन्स ऑफ इंडिया का एक तो उनके ऊपर उपयोग हुआ और दूसरा उपयोग संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों पर हुआ। मैं इस मामले को पहले भी उठा चुका हूं। उन्होंने इस बात के लिए मुजाहिरा किया, प्रदर्शन किया कि खुराक की हालत बिहार में खतरनाक है। इस पर वहां के एक विधायक

श्री रामानंद तिवारी एम.एल.ए. * के ऊपर लाठियां और डंडे चले, उनको सरे बाजार मारा गया, उनको एक कानून के अंतर्गत आरा या बक्सर की जेल में रखा गया फिर वह सारे नियम उठाकर अब उनको डी.आई.आर.** में बंद कर दिया। और जिस मजिस्ट्रेट ने मारा उस मजिस्ट्रेट के बारे में-वजीरे आला कहूं, मुख्यमंत्री कहूं-उन्होंने जवाब दिया कि वह आदमी वहां पर मौजूद ही नहीं था, उनकी जांच से यह साबित हो गया। महोदय, उस मजिस्ट्रेट को मैं जानता हूं, इसलिए कि एक दिन फर्स्ट क्लास के स्टीमर के सैलून पर बैठकर माननीय बलिराम भगत, माननीय राम सुभग सिंह, माननीय जगजीवन राम, वहां की माननीय सुमित्रा सिन्हा और दसों मिनिस्टरों को उसने कहा कि ये सब बेईमान हैं, घूसखोर हैं, पार्लियामेंट के असेम्बली के द्वारा सिवाय घूस लेने के और बेईमानी करने के कोई काम नहीं करते। मैंने माननीय कृष्ण बल्लभ सहाय को मार्च में एक खत लिखा। मुझसे कहा गया आप पटना में आकर बयान दीजिए कि इस मामले के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं गया बयान देने के लिए। मेरे दोस्तों ने कहा मत जाओ। मैंने कहा, जरूर जाऊंगा और जब मजिस्ट्रेट बयान लेने लगे तो मैंने कहा महोदय, आप बता सकते हैं मेरा इन मजिस्ट्रेट से क्या ताल्लुक हो सकता है, बिहार से मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा, इस आदमी को मैं नहीं जानता। जो जो घटनाएं मिनिस्टरों के साथ गुजरी हैं, उसका एक अंश भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन यही आदमी जब रामानन्द तिवारी, एक सार्वजनिक कार्यकर्ता, एक एम.एल.ए. को मारता है चीफ मिनिस्टर कहते हैं ठीक काम किया-क्योंकि रामानंद तिवारी यह कह रहे थे कि खुराक की हालत खराब है।

* * * * * * * * *

मैं समझता हूं कि यह व्यक्तिगत केस नहीं है, माननीय सप्रू जी के लिए व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनैतिक पार्टी का नेता अगर डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स में गिरफ्तार होता है, उसके साथ ज्यादती की जाती है, तो हमारे लिए यह उतना ही सार्वजनिक प्रश्न है जितना सार्वजनिक प्रश्न सरकार को बचाने के लिए, उसके साथ हमदर्दी दिखाने के लिए। माननीय सप्रू जी के लिए एक सार्वजनिक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की प्रशंसा करना वे अपना गौरव समझते हैं, उसी तरह से एक स्टेट के नागरिक की सुरक्षा करना और उसके अधिकारों का हनन न हो, इस बात को देखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

दूसरी बात, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिरकार उन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम सरकार क्यों नहीं उठाती। जैसा माननीय वाजपेयी जी ने कहा एक केस भी अभी तक ऐसा नहीं पकड़ा गया जो इस कानून के अंतर्गत आता है। क्या इसका मतलब यह है कि 5 नवम्बर के बाद हम समझ लें कि इस देश में जखीरेबाजी बंद हो गई? क्या इस अध्यादेश के बाद हम समझ लें कि जो व्यापारी थे, उन्होंने सरकार के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया? ऐसा तो नहीं हुआ, 5 नवम्बर, के बाद यह नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हुकूमत की जो मशीनरी है, जिसके द्वारा दस दिन पहले माननीय खाद्य मंत्री जी ने अध्यादेश लागू किया, वह आज दो महीने के बाद भी तैयार नहीं है और जो हालत 5 नवम्बर को थी वही हालत आज 15 दिसम्बर को है, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ है और माननीय खाद्य मंत्री जी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको लागू करने वाली मशीनरी कैसी है? यह वह मशीनरी है जिसको मैं भ्रष्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन निकम्मी जरूर हो गई है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा अगर किसी आदमी को नाजायज तौर पर इस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है-तो संविधान की धारा 226 के अंतर्गत

* एम.एल.ए.-विधान सभा सदस्य (विधायक)

** डी.आई.आर.-भारत के रक्षा नियम

रिट आ सकता है। मैं कानून नहीं जानता, मैं वकील भी नहीं हूं। लेकिन संविधान की धारा 226 शायद ऐसे मामलों में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी उच्च न्यायालय कोई भी हाई कोर्ट, जब तक कि एक्ट का वायलेशन न हो या जब तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो, धारा 226 के अंतर्गत कोई रिट मंजूर नहीं करेगा।

एक और बात बड़े जोरों से कही गई खाद्य मंत्री जी ने भी कहा कि ये जो अधिकार दिए हैं, वे जुडीशियरी को दिए हैं। जब सरसरी तौर पर सुनवाई होती है, मुकदमों की, उस समय जुडीशियरी के लिए कोई खास मौका नहीं होता, अपनी राय प्रकट करने का एक आदमी पकड़ा गया, एक राशनिंग इंस्पेक्टर की या दो अफसरों की गवाही हुई, इधर-उधर की बात हुई और सजा कर दी। ज्यूडिशियरी के सामने पूरी तफसील नहीं दी जाती है और न दोनों तरफ के गवाह ही पेश होते हैं। समरी ट्रायल्स में सफाई पेश करने का मौका नहीं होता है और इसका मतलब भी ऐसा ही है। इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि संसद सरकार को जो अधिकार देती है, उसका इस देश में दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें भी बड़ा खतरा जो मुझको दिखलाई देता है वह यह है कि इन अधिकारों को लेने के बाद हुकूमत कुछ नहीं करेगी। अगर वह नाकामयाब हो जाएगी तो हमारे खाद्य मंत्री जी बजट सैशन, जो फरवरी में आ रहा है, उसमें कुछ कहेंगे और जैसा कि हमसे पिछले सैशन में कहा गया था कि हमने खुराक की हालत पर काबू पा लिया है, लेकिन 5 नवम्बर को एक अध्यादेश लागू कर दिया गया, जिसको आज संसद के सामने पेश किया गया है। अब इस संबंध में यह कहा जा रहा है कि हम इस कानून के द्वारा खाद्य के मामले में सख्त से सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। माननीय श्री अकबर अली जी ने कहा कि इस तरह की भावना देश में जानी चाहिए कि यह संसद भ्रष्टाचार के मामले में, जखीरेबाजी को रोकने के संबंध में और किसी तरह की मिलावट के बारे में एकमत है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से बड़े अदब से यह कहना चाहूंगा कि देश के अंदर इस तरह की भावना पैदा होनी चाहिए कि संसद के अंदर जो विचार होते हैं, जो निर्णय होते हैं, उनका कोई असर होता है। सरकार इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए तत्पर रहती है। किंतु यदि संसद में किए गए फैसलों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि लोगों में एक तरह की निराशा फैलती है, मायूसी फैलती है और निराशा तथा मायूसी का एक ही नतीजा होता है कि जिस चीज को रोकने के लिए हम कानून बनाते हैं, वही जहनियत और प्रवृत्ति इस मुल्क में और बढ़ती है।

मेरा इस अध्यादेश को लागू किए जाने पर जो सबसे बड़ा विरोध है, वह यह है कि इतने बड़े हथियार को जारी करने के बाद, निकालने के बाद अगर हुकूमत इसका इस्तेमाल नहीं करती है तो फिर याद रखिए कि इस मुल्क में जो पीड़ित जनता है, उसकी राहत के लिए, उसके भरोसे के लिए कोई चीज नहीं रह जाएगी।

मैं एक और बात खाद्य मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्या आप यह समझते हैं कि यह जखीरेबाजी की समस्या, यह होर्डिंग की प्राब्लम और मुनाफाखोरी की समस्या केवल इस बिल के द्वारा कुछ लोगों को कुछ महीने की सजा देकर या जुर्माना करके हल हो जाएगी? जैसा कि अभी माननीय श्री वाजपेयी जी ने एक कार्टून का जिक्र किया था। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जहां तक खुराक का मामला है, सरकार सुदृढ़ नीति क्यों नहीं बनाती है, कोई फैसला क्यों नहीं करती है? वह इस तरह के प्युनिटिव मेजर्स को लागू करके, छोटे-मोटे कायदे कानूनों को बनाकर क्या इतनी बड़ी समस्या को हल करना चाहती है? अगर सरकार इस समस्या को हल करना चाहती है तो एक बार इस संसद के

सामने आकर कहें, इस देश के सामने आकर कहें और सरकार को यह ऐलान करना होगा कि सबसे बड़ी भूल भारत ने सन 1953 में की जिस समय उसने यह कहा कि हम कंट्रोल को हटाकर, नियंत्रण को हटाकर धीरे-धीरे अनियंत्रित बाजार की नीति लागू करना चाहते हैं। उस समय के खाद्य मंत्री जी अब इस संसार में नहीं रहे और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अब आप सन् 1953 से 1955 तक की खुराक नीति को ही ले लीजिए। उस समय श्रीमान् क्या हुआ? उस समय हमारे पास जो स्टॉक था, उस समय हमारे पास जो अनाज का भंडार था, उस समय हमारे पास जो विदेशी पूंजी थी, उसको हमने खर्च कर दिया और सारे देश में इस तरह की जहनियत पैदा हो गई कि अगर नियंत्रणों को हटा लिया जाएगा, तो देश में खुशहाली आ जायेगी और कोई परेशानी नहीं रहेगी। श्रीमान्, मैं आपके सामने 1953 से 1955 तक की बात बतलाना चाहता हूं। इस बीच एक मौका ऐसा आया जब फसल बर्बाद हुई। लेकिन फसल बर्बाद होने के बावजूद भी खुराक की चीजों की कीमत नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? इसलिए नहीं बढ़ी कि उस समय आंशिक नियंत्रण था, उस समय पार्शल कंट्रोल था और व्यापारी यहां पर इस तरह का मेन्युपुलेशन करते थे कि नियंत्रण से बिल्कुल हटा दिया जाए। ज्यों-ज्यों नियंत्रण पूरी तरह से हटता गया, त्यों-त्यों कीमतें भी बढ़ती ही चली गईं। सन् 1955 के अंत में, या सन् 1956 में मुझे अच्छी तरह से मालूम नहीं है, मैं याददाश्त से कह रहा हूं, कोई निश्चित तिथि नहीं बतला सकता हूं, कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थीं। दुर्भाग्य से उस समय जो खुराक के वजीर साहब थे, वे भी उसके बाद इस दुनिया में नहीं रहे। वे दो वर्ष इस देश में ऐसे समझे जाते हैं जबकि खुराक के मामले में इस देश में सबसे अच्छी नीति बनाई गई थी, लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि यही सही नहीं है। इसके बाद सारे देश की जहनियत को एक दूसरी दिशा में मेरी दृष्टि में गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई। कोई भी अर्द्ध-विकसित देश, कोई भी पिछड़ा देश, कोई भी देश जहां सैकड़े में 40 या 50 प्रतिशत लोग भूखे या अधभूखे हों, उस देश में अनाज की खपत आर्थिक विकास के साथ अधिक बढ़ेगी और अनाज के ऊपर लोगों का पैसा भी अधिक खर्च होगा तथा देश में अनाज की कमी भी होगी। ऐसे मौके पर किसी नियोजित अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों पर से नियंत्रण हटाना एक भयंकर भूल होगी और उस समय इस तरह की भूल की गई जिसको आज भी रह-रहकर दोहराया जा रहा है कि सन् 1953 से 1955 तक ऐसी नीति अपनाई गई थी, जिससे खुराक की समस्या ठीक हो गई थी, हल हो गई थी। श्रीमान्, मैं अदब से यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की जा रही है बल्कि इस समस्या से जनता का मुंह मोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों की ओर से यह प्रचार किया जाता है कि सन् 1953 से 1955 तक भारत सरकार ने भी खाद्य नीति अपनाई थी, वह अब नहीं अपनाई जा रही है, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। इस प्रचार नीति का नतीजा यह हो रहा है कि देश की हानि हो रही है केवल भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी। आज सारे देश का मानस बदला जा रहा है और यह सरकार जो अपने को समाजवादी कहती है, जो नियोजित अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है, कभी-कभी यह सोचने लगती है कि यह सारी कठिनाई कहीं नियंत्रणों की वजह से तो नहीं हो रही है? इसी की वजह से पूरा नियंत्रण का हुक्म नहीं देती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि सारे खाद्य व्यापार को इस सारे काम को अपने हाथ में लेना होगा। लेकिन इसमें कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, मशीनरी में भ्रष्टाचार है, लेकिन इसके अलावा इस मुल्क के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस कठिनाई को 6 महीने, 8 महीने और अगर इससे भी ज्यादा समय लग जाए तो मुसीबत झेलकर हल कर लेना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी को देश के सामने कहना चाहिए, संसद के सामने कहना चाहिए कि वे 8 महीने में, 10 महीने में पूरी तरह से आने वाली उस कठिनाई पर नियंत्रण करेंगे। अगर सरकार सारे खाद्यान्न के व्यापार को अपने हाथ में ले लेती है — हो सकता

है कि नौकरशाही में भ्रष्टाचार हों, उसमें इस तरह के कार्य करने की क्षमता न हो — लेकिन सारे देश को 8 महीनों तक दिक्कतों को बर्दाश्त करना होगा और अपना भविष्य बनाना होगा। लेकिन यह हुकूमत साहस के साथ इस तरह का कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, खाद्य मंत्री जी साहस के साथ इस तरह का कदम उठा नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है कि खाद्य मंत्री को विरासत मिली है और उनके चारों तरफ जो निहित स्वार्थ के लोग हैं, वे उनके पीछे लगे हुए हैं और उन्हें इस तरह का कदम उठाने से रोकते हैं। श्रीमान्, माननीय मंत्री जी के चारों तरफ निहित स्वार्थी लोगों का दबाव पड़ता है, तब उसकी वजह से वे कभी-कभी फिसल जाते हैं और सही बातें सोचते हैं, यही राय देते हैं, लेकिन जब कदम उठाने का मौका आता है तो उस समय खाद्यान्नों के ऊपर सरकार के नियंत्रण की घोषणा के बजाय वे सदन के सामने आकर कहते हैं कि यह आर्डिनेंस पास कर दो। हम सस्ते गल्ले की दुकानें खोलेंगे और जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उन्हें तीन महीने की सजा देंगे। इस तरह से देश को भुलाया जा रहा है, इस समस्या के प्रति लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। लेकिन मैं एक अदना आदमी होते हुए सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप दो महीने तक, तीन महीने तक, चार महीने तक, साल भर तक, ऐसी बातें कर सकते हैं, टालमटोल का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन देश की जनता को धोखे में नहीं रख सकते। इस समस्या का एकमात्र रास्ता वही है जो, मैंने कहा है। इस तरह की टालमटोल की बातें करके आप देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सरकार को अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह एक-एक आदमी को खाना पहुंचाए। अगर हमारे माननीय सदस्य श्री अकबर अली खान साहब इस फरमान के साथ आते कि पार्लियामेंट के एक-एक मेम्बर को इस काम में हाथ बंटाना होगा, तो मैं खुशी के साथ और हमारे दूसरे साथी भी खुशी के साथ इस काम को अंजाम देने में इस हुकूमत के साथ हाथ बंटाकर काम करते।

*** *** ***

अत: बड़े अदब के साथ मेरा खाद्य मंत्री महोदय से यह कहना है कि निकट भविष्य में आप उसी एकमात्र उपाय से इस समस्या को हल कर सकते हैं और इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार के अध्यादेशों, इस प्रकार के नियमों और उपनियमों से कुछ नहीं होने वाला है।

धन्यवाद।

कृषि आधारित उद्योगों का विकास*

महोदया, मैं प्रस्तावक महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया है कि हम इस विषय पर इस सदन में चर्चा कर सकें।

इस विषय की महत्ता के संबंध में कई सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और विशेष रूप से भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई बेकारी को देखते हुए यह समस्या हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सन् 1961 की जनगणना को अगर हम लें, तो हमारे देश के 43 करोड़ 90 लाख लोगों में, 42.98 प्रतिशत ऐसे लोग थे, जिनको काम चाहिए, जिनको हम भारत की श्रमशक्ति कह सकते हैं। इसमें 57 फीसदी पुरुष और 28 फीसदी महिलाओं की संख्या शामिल है। एक अनुमान के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 70 लाख लोग और चौथी पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ 30 लाख लोग और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ लोग इस श्रमशक्ति में शामिल हो जाएंगे। बाद में फिर विशेषज्ञों की एक समिति बनी। उन्होंने जो अनुमान लगाया और अभी हाल में जिसकी रिपोर्ट आई है, उससे यह पता लगता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तो यह अनुमान ठीक रहेगा, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस अनुमान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि काम करने वालों की जनसंख्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में उससे अधिक होगी जितने का अनुमान लगाया गया था। इस बारे में हमारे मित्र मोहन धारिया जी ने यह बताया कि किस तरह से तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाएगी। उन्होंने महाराष्ट्र का एक उदाहरण दिया।

अगर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इस सदन का ध्यान ले जाऊं, तो वहां की हालत को सुनकर के आपको हैरानी होगी। उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक 27 लाख 30 हजार लोग और ऐसे बढ़ेंगे, जिनको काम चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह संख्या 35 लाख 10 हजार हो जाएगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में श्रमशक्ति में 47 लाख 50 हजार लोग बढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि यह कृषि पर निर्भर रहने वाला प्रदेश है, जहां पर औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। आप सोचिए कि इस प्रदेश के लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होने जा रही है, अगर हमने अपनी कृषि को सुधारने की कोशिश नहीं की और कृषि पर आधारित उद्योगों को सुधारने की कोशिश नहीं की।

उत्तर प्रदेश में कौन से उद्योग हैं? महोदय, आपके ही प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहा हूं और आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में केवल एक उद्योग है और वह चीनी उद्योग है। सारे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश को यह गौरव हासिल है कि सारे हिन्दुस्तान में जितनी चीनी बनती थी, उसका 50 फीसदी केवल उत्तर प्रदेश बनाता था। लेकिन समय के साथ उत्तर प्रदेश का चीनी

* 'देश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु तरीके और माध्यमों का सुझाव देने हेतु समिति' पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 5 मार्च, 1965 का.सं. 2293-2300 (मूल हिन्दी में)।

उद्योग पिछड़ गया। इस बात की आज से नहीं, पिछले दस वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि आप चीनी उद्योगपतियों से यह कहिए कि वे इस उद्योग को चलाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाएं या फिर सरकार इस उद्योग को अपने हाथों में ले ले।

आज से तीन वर्ष पहले वही मांग की गई थी, जिसकी ओर इशारा माननीय धारिया* जी ने किया था। मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। अगर महाराष्ट्र में सहकारी कृषि उद्योग और सहकारी चीनी कारखाना चल सकता है और उनसे फायदा हो सकता है और उनसे महाराष्ट्र का सारा आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है तो महोदय, क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में वह नहीं किया जा सकता? क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस काम को नहीं किया जा सकता? पिछले पांच वर्षों से हमारी यह मांग रही है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगपति अगर इस उद्योग को ठीक ढंग से चलाने की कोशिश नहीं करते, अगर उसमें सुधार नहीं लाते तो सरकार को उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए और यह काम केन्द्रीय सरकार का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने जब यह सवाल आता है, तो वह यह कहती है कि यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और केवल केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो उसी प्रदेश से आते हैं और केन्द्रीय उद्योग मंत्री उसी राज्य से आते हैं, लेकिन योजना आयोग और उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किए कागजों को देखने की वे कोशिश नहीं करते। मैं यह सोच करके कि अगले दस वर्षों में हिन्दुस्तान का यह जो गंगा-यमुना का प्रदेश है, उसकी क्या हालत होने वाली है, सचमुच कांप जाता हूं। बेरोजगारों का, भूखों का, अशिक्षित लोगों का वह एक प्रदेश होगा और मैं सब बातों का उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन मैं यह मांग करना चाहूंगा कि अगर कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ाना है, तो इस सरकार को पहला कदम यह उठाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जो चीनी मिलें हैं, उनको सहकारी क्षेत्र में लाएं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

मान्यवर, इस अवसर पर, मैं आपका ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहूंगा। यह तो सही है, जैसा हमारे मित्र मोहन धारिया जी ने कहा कि जगह-जगह औद्योगिक सम्पदा बननी चाहिए। जो समिति बनी थी, उसने जो रिपोर्ट दी थी उससे भी मैं सहमत हूं, वह काम होना चाहिए, प्रायोगिक परियोजना चलनी चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि पिछले पांच, सात वर्षों में सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो कदम उठाए उनके बारे में किया क्या गया? आज तक कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने वाला अगर कोई सबसे बड़ा काम हुआ है तो वह खादी और ग्रामोद्योग आयोग का गठन है। खादी आयोग बना? इसलिए गांवों में इस काम को बढ़ाया जाए। अगर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर सकूं, तो इस ओर आकृष्ट करूंगा कि सन् 1945 ई. में जेल से निकलते ही महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, समग्र सेवा का आंदोलन और उसमें उन्होंने कहा-मैं याद करने का प्रयास कर रहा हूं — अखिल भारतीय चरखा संघ में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि खादी और ग्रामीण उद्योगों को चलाने के लिए सहकारी संस्थाएं बढ़ाई जाएं। उस प्रस्ताव में यह भी था कि वहीं पर ये उद्योग खोले जाएं जहां उसके लिए कच्चा माल आसानी से मिल सके। मुझे याद है, उस प्रस्ताव का एक पैरा यह था, उसकी एक मान्यता यह थी कि चरखे का काम वहां बढ़ सकता है जहां कि कपास की खेती का काम भी आगे बढ़े। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने क्या उस काम को पूरा किया? क्या पिछले 10-15 वर्षों में खादी आयोग उस दिशा में आगे बढ़ा है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा — मुझे दुख है कि माननीय देवकीनंदन नारायण जी यहां नहीं हैं, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं — एक रिपोर्ट 1960 में खादी कमीशन के बारे में बनी,

* श्री मोहन धारिया, संसद सदस्य

डा. ज्ञान चन्द ने यह रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के जमाने में खादी आयोग ने कहा कि 14 से 16 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 70 या 75 हजार लोग इस खादी आयोग के काम से फायदा पाते हैं और दूर की बात जाने दीजिए, 1963-64 में प्राक्कलन समिति ने कहा कि 1950 में एक रुपए लागत पर 70 पैसे की खादी तैयार होती थी लेकिन इस सारी योजना या श्री बैकुण्ठभाई और ढेवरभाई के उद्योगों का यह असर हुआ कि अब 1 रुपए की लागत में 40 पैसे की खादी पैदा होती है। हमारे मित्र ने कहा कि कम पैसा आवंटित होता है। कम पैसा जरूर है लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में 92 करोड़ रुपया खादी को दिया गया और उस आवंटित धन के परिणाम को जानने के लिए आप प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को देख सकते हैं। हम जो उस खादी को पहनते हैं उनकी गर्दन, यह जानकर शर्म से झुक जाती है कि इस आवंटन का कितना बड़ा हिस्सा बर्बाद हुआ है।

*** *** ***

*मान्यवर, जरा इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा केवल 75 हजार लोगों को ही रोजगार प्रदान किया गया है। यह गलत हो सकता है, लेकिन यह आपकी सरकार की रिपोर्ट है। अत: मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो 92 करोड़ रुपया खर्च किया गया उसके बारे में अब क्या हो रहा है? जो खर्च किया गया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 34 करोड़ रुपया आपने खादी आयोग को कर्जा दिया और पिछले साल लोक लेखा समिति ने पूछा यह अभी तक चुकाया नहीं गया है — शर्म से गर्दन झुक जाती है। हमारे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी में आने के बाद ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी में रहने का मतलब अक्षमता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है या उसको छिपाना है, भ्रष्टाचार या निष्क्रियता जहां पर भी है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। खादी कमीशन को जो 34 करोड़ रुपया कर्जा दिया गया उसके लिए लोक लेखा समिति ने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए लेकिन जांच की जगह इस सरकार ने क्या किया? मंत्री महोदया, ने कहा कि यह 34 करोड़ रुपया इनका लम्बी अवधि का कर्ज रहेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि खादी आयोग इतने से संतोष नहीं करता। इसने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 60 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी की मांग की है। कोई छानबीन नहीं, कोई जांच नहीं और मुझे पता है कि शायद 60 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा क्योंकि इस वर्ष के बजट को मैंने देखा है जिसमें इसके लिए 34 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रस्तावित बजट में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में दिए गए ऋण को कार्यशील पूंजी के उद्देश्य हेतु दी गई राशि माना जाएगा। क्या इस तरह से कुटीर उद्योगों की प्रगति होगी? क्या इस तरह से इस देश में कोई अच्छा वातावरण बनेगा? 1960 में हमारे मित्रों ने प्रश्न पूछा, जब यह रिपोर्ट आई तो हिन्दुस्तान के सारे अखबारों ने एक स्वर से कहा कि इस काम को बंद कीजिए या इस काम को किसी वैज्ञानिक आधार पर चलाइए। मेरे पास देश के सभी प्रमुख अखबारों के 1960 के सम्पादकीय हैं, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जनरल और अन्य अखबार हैं, सबने कहा कि या तो इसे बन्द करो, लेकिन अगर चलाना है तो इसको वैज्ञानिक आधार पर चलाना है।

महोदय, इस सारी व्यवस्था को बदलना होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खादी के मुद्दे से भावनाओं का संबंध जरूर है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि यह भावनाओं का संबंध हमें किस सीमा तक ले जाएगा, क्या देश में विद्यमान बेकारी, भुखमरी को किनारे रख कर केवल भावनाओं के

* श्री एन. पात्रा द्वारा की गई टिप्पणी, ''आयोग ने एक करोड़ लोगों को रोजगार दिया है'', के प्रत्युत्तर में।

आधार पर काम करना है, इससे यह हिन्दुस्तान कब तक चलने वाला है? मैं आपसे खास तौर पर मंत्री महोदया से कहूंगा कि जहां तक अधिक रुपया देने की बात है, मैं उन सारी बातों की प्रशंसा करता हूं जो हमारे मित्र श्री मोहन धारिया ने कही है, लेकिन यह जरूरी है कि जो रुपया खर्च होता है उसका ठीक तरह से उपयोग किया जाए। बाढ़ हो, सैलाब हो, बहता हुई दरिया हो तो जितना चाहे पानी बहा सकते हैं, लेकिन जब सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, तब एक बूंद भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। आज देश के इस सूखे हुए मुद्रा साधनों से, एक-एक पाई के लिए कीमत है, जहां एक-एक पाई से देश का भविष्य बनने या बिगड़ने वाला है किसी भी नाम पर किसी आयोग के लिए, किसी योजना के लिए एक पैसा भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, और वह बर्बादी होती है वह इतिहास की बर्बादी है, और आने वाली पीढ़ी हमको क्षमा नहीं करेगी। इसलिए, मैं आपसे कहूंगा कि कोई तंत्र होना चाहिए जिससे कि पता चले कि हथकरघा में 'हस्तशिल्प' में, खादी और ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योगों में जो रुपया लगता है उसका क्या हो रहा है। इस संबंध में हमारे माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा है इसी तरह का एक प्रस्ताव लोक लेखा समिति ने पिछले साल रखा था, उसने एक सिफारिश सरकार से की थी कि कोई समिति बनाए और सुनिश्चित करें कि यह जो रुपया लगता है इस रुपए का उपयोग ठीक तरह से हो। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री अस्थाना ने जो प्रस्ताव रखा है वह इसलिए रखा गया है कि अधिक रुपया देने की जरूरत है वहां इसलिए भी रखा गया है कि जो रुपया दिया जाता है उसका सही उपयोग हो।

मान्यवर, अंत में इस सदन से मैं केवल यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां आने वाला भविष्य हमारे लिए सुनहरा दिखाई दे रहा है परन्तु जैसा कि मोहन धारिया ने कहा कि अगली पंचवर्षीय योजना में हमें खादी के ऊपर दुगुना-तिगुना खर्च करना जरूरी है क्योंकि खादी आयोग कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए उत्तरदायी है, उसकी कार्य-प्रणाली उस सुनहरे भविष्य पर एक बड़ा धब्बा है। इस को या तो सुधारिए या इस कलंक को मिटा दीजिए। बस मेरा आपसे यही आग्रह है।

सहकारी आंदोलन*

महोदया, मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन हमारे दो माननीय सदस्यों — प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल और श्री जी. रामचन्द्रन ने जो भाषण दिए, उसके बाद मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूं।

आज देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी वास्तविक समस्याएं राष्ट्र के सामने हैं उनका समाधान करने के लिए हम लोग स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते। मैं ऐसा समझता हूं कि कृषि सहकारी आंदोलन, जिसकी आज चर्चा की जा रही है, वह मौलिक रूप से एक राजनैतिक आंदोलन है। अगर स्वतन्त्र पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं तो वे अचेतन रूप में उसका विरोध नहीं करते बल्कि सोच-समझकर उसका विरोध करते हैं। गांधी विचारक होने के नाते श्री जी. रामचन्द्रन यह जरूरी समझते होंगे कि इसको राजनीति का शटलकॉक न बनाया जाए, इसे राजनैतिक परिधि के अंदर न लाया जाये लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में सहकारिता को लाया जाए तो इससे सम्पत्ति के अधिकार के संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होता है। कृषि के क्षेत्र में पिछले हजारों वर्षों से क्या होता रहा है। एक तरफ 60 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ के फार्म हैं। एक एकड़ से कम जमीन वालों के हक में सहकारिता आंदोलन उत्पादन को बढ़ाने वाला है। जो छोटा किसान है, जो गरीब लोग हैं, जिनकी आकांक्षाएं वर्षों से दबी हुई हैं, जिनका विकास रुका हुआ है, उनको बढ़ाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि विज्ञान द्वारा जो साधन उपलब्ध हुए हैं उनको कृषि के क्षेत्र में लगाने के लिए वे सहकारिता आंदोलन का आश्रय लें। यदि वे सहकारिता आंदोलन का आश्रय लेते हैं और यह आंदोलन सफल होता है तो फिर नतीजा यह होगा कि बड़े लोग जिनका एकाधिकार आज बना हुआ है उनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा। माननीय दाह्याभाई पटेल और उनकी पार्टी एक निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका व्यक्तिगत विचार अच्छा हो सकता है, उनकी भावनाएं अच्छी हो सकती हैं लेकिन क्या वजह है, जैसा माननीय रामचन्द्रन जी ने कहा कि सहकारी आंदोलन का दूसरे क्षेत्रों में उतना विरोध नहीं किया जाता, जितना विरोध कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। बड़ी और छोटी जमीन के मालिक के अंदर यह भावना पैदा करने की कोशिश होती है — मैं नहीं जानता जनसंघ के सदस्य यहां हैं कि नहीं — ये स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य, जनसंघ पार्टी के सदस्य सारे देश में यह भावना फैला रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में सहकारिता पद्धति अपनाई गई तो किसानों का कृषि भूमि पर स्वामित्व उसके हाथों से चला जाएगा। स्वामित्व का झगड़ा कौन कर रहे हैं? स्वामित्व का झगड़ा इस देश में कृषि के क्षेत्र में केवल दो फीसदी लोग कर रहे हैं जिनका प्रतिनिधित्व दाह्याभाई पटेल, उनकी पार्टी और जनसंघ के लोग करते हैं। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के दोस्त इस मौलिक सैद्धांतिक सवाल पर सही मायनों में अमल करने की बजाय खुद बगलें झांकते हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी जो जनतांत्रिक समाजवादी आंदोलन के नेता हैं और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने यह कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। राजनीति से मतलब किस चीज का है किस चीज का नहीं है यह अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं कि जहां

* कृषि सहकारिताओं की जांच हेतु एक संसदीय समिति की नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 11 सितम्बर 1964, कॉ. 1039-1046 (मूल हिन्दी में)

भी निजी स्वार्थों के खिलाफ कोई कदम अगर देर में भी असर डालने वाला होगा तो उसके खिलाफ निजी स्वार्थों के लोग उठ खड़े होते हैं। लेकिन इस आंदोलन को चलाने के लिए जो लोग आगे बढ़े हैं उनके कदम डगमगा रहे हैं। अगर कांग्रेस सरकार से मुझे कोई बुनियादी ऐतराज है तो इस बात से ऐतराज है कि कांग्रेस के लोग गरीबों से जुड़े सैद्धांतिक सवालों को क्यों नहीं उठाते? अगर सहयोग चाहिए, सब लोगों का सहयोग चाहिये, तो किस का सहयोग चाहिये? अगर कृषि के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन को कामयाब बनाना चाहते हैं तो सभी का सहयोग चाहिए होगा परन्तु आपको कभी स्वतन्त्र पार्टी का सहयोग नहीं मिल सकता, आपको कभी जनसंघ का सहयोग नहीं मिल सकता। यह सहयोग का झूठा नारा, यह सहयोग के बारे में मिथ्याचार जितनी जल्द इस देश में बंद हो उतनी ही जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नारे का असर क्या होता है? जैसा रामचन्द्रन जी ने कहा, गांधीवादी विचारक लोग यह कहते हैं कि राजनीति को जितनी दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है लेकिन बदकिस्मती यह है कि एक समाजवादी होने के नाते मैं यह मानता हूं कि राजनीति का प्रभाव, उसका असर, इंसान के जीवन के हर पहलू पर होता है और खास तौर पर जहां हम आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जहां हम गरीबों की वित्तीय हालत दुरुस्त करना चाहते हैं, वहां पर राजनीति अपने सब से कुत्सित रूप में आती है। एक तरफ निजी स्वार्थ के लोग हैं, दूसरे वे हैं जिनके सामने नये समाज के निर्माण का सपना है, जो नए समाज की रचना करना चाहते हैं। यदि हमारा राजनैतिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है तो फिर सहकारी आंदोलन की स्थिति क्या होगी — वही स्थिति जो आज माननीय डे साहब के नेतृत्व में हो रही है। माननीय डे साहब बयान देते हैं कि सहकारी आंदोलन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो कांग्रेस के लोग मान लेते हैं। अभी श्री दाह्याभाई कांग्रेस के बड़े नेताओं के उद्धरण दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या कभी सोचा है कि यह बात क्यों होती है? कृषि के क्षेत्र में सहकारी आंदोलन सफल इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो गरीब हैं, जो गांवों के अंदर रहने वाला है उसके पास अपना हित समझने की शक्ति नहीं है जिनके पास यह समझने की शक्ति है वे गरीब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं सब कुछ करो किन्तु कृषि के क्षेत्र में सहकारिता को मत आने दो। आज दाह्याभाई पटेल उसी हित का, उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व इस संसद के अंदर करते हैं और ऐसा करते हुए जब वे चुनौती देते हैं तो हमारी तरफ से जो लोग समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, जो सहकारिता आंदोलन को चलाना चाहते हैं और रामचंद्रन जी जैसे लोग, जो गांधीवादी परंपरा में पले हुए हैं, वे मानव की सद्वृत्तियों की चर्चा करते हैं। लेकिन समाज का निर्माण होता है निश्चित वर्गों के संबंधों के आधार पर। आज हमारे समाज में दो वर्ग हैं — एक शोषित वर्ग है, दूसरा शोषक वर्ग। शोषित और शोषक वर्ग का कोई सहयोग ऐसे मामलों में नहीं हो सकता जहां पर संपत्ति के संबंध बदलने वाले हैं। महोदया, मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी और सरकार इस बुनियादी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, तब तक यह सहकारिता आंदोलन कभी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हो सकता। जिस तरह से एक जमाने में लोगों को समझाने की जरूरत थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अगर सबसे बड़ा अहित किसी का करता है, तो गांवों में बसने वाले किसान का करता है। महात्मा गांधी ने जैसे उन्हें एक मंत्र दिया और वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हुए उसी तरह से अगर कृषि के क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका प्रॉपर्टी रिलेशन के बारे में, संपत्ति अधिकार के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। हमको यह कहना होगा कि सम्पत्ति का स्वामित्व जो ऊंचे वर्गों के दो फीसदी लोगों के हाथों में रहा है उस को छीन कर 98 फीसदी, 90 फीसदी लोगों

के हाथों में देना है और इसमें कुछ संघर्ष होगा, थोड़ा विद्वेष होगा और उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिये। श्री दाह्याभाई पटेल सामूहिक खेती का विरोध क्यों करते हैं?

*** *** ***

...तो मैं यह कह रहा था कि इस आंदोलन को चलाना है तो बुनियादी तौर पर दो बार काम करने होंगे कृषि के क्षेत्र में। सहकारी आंदोलन दो बातों की मांग करता है। एक तो खेत के ऊपर अधिकार किस का हो। खेत के ऊपर अधिकार जब तक खेती करने वालों का नहीं होता, जब तक बड़े-बड़े खेतिहर लोग मौजूद हैं, इस मुल्क में जिन के पास हज़ारों एकड़ फार्म हैं, तब तक कृषि सहकारिता के रास्ते में अड़चन पड़ी ही रहेगी। मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि इन सारी कठिनाइयों के बावजूद संगठनकर्ताओं को चाहिये, कार्यकर्ताओं को चाहिए कि गांव में जाकर सच्चाई से अवगत कराये जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते में अनेक अवरोध के बावजूद भी महात्मा गांधी जी ने एक-एक किसान को समझाया कि तुम्हारा भला इसी में है कि अंग्रेजी राज को इस देश से बाहर निकालो। तो फिर क्या हुआ। महोदया, गांव का गरीब से गरीब आदमी भी जो बगैर पढ़ा लिखा था, जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वह भी सबसे बड़े साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा हो गया। आज सहकारी क्षेत्र में काम करने के लिए छोटे-छोटे कार्यकर्ता को मिलकर गांव में जाकर, जागरूकता फैलानी चाहिए। माननीय वाजपेयी जी और पटेल जी के दिलों में भले ही यह बात न हो, किन्तु उनकी पार्टियां इसलिए विरोध करती हैं क्योंकि जिन लोगों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों के मन में यह बात बसी है कि कृषि क्षेत्र में स्वामित्व बदलने नहीं चाहियें।

अगर यह बात समझाई जाये तो यह सहकारी आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन सकता है। तो मैं माननीय डे साहब से अपील करूंगा कि अगर वे कृषि क्षेत्र में सहकारिता को फैलाना चाहते हैं तो कृषि सुधार का काम कर रहे दूसरे मंत्रालयों से सहयोग लेने की बात करें। कभी-कभी डे साहब बयान दे देते हैं, लेकिन मौलिक बातों को समझाने का साहस नहीं करते और दूसरे मंत्री से यह नहीं कह सकते कि इस कार्य में इस तरह की मौलिक कठिनाइयां हैं। इन मौलिक कठिनाइयों को दूर किये बिना सहकारी आंदोलन को केवल एक सीमा तक चला सकती है। इसके लिए छोटे-छोटे कार्यकर्ता मिलकर गांव में जाकर लोगों में जागरण पैदा करे और उनको यह बताएं कि छोटे-छोटे किसान तब ही सफल होंगे, तब ही उनकी बुनियादी तरक्की होगी, जब वे मिल-जुलकर काम करेंगे। मुझे इस बात से हैरत होती है जब गांवों में इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि इस आंदोलन की मंशा किसानों की जमीन छीनना है। मैं और राज्यों की बात तो नहीं जानता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में 70 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है। ऐसी जोत से वे क्या पैदा कर सकते हैं और किस तरह से वे नई पद्धति द्वारा कोई चीज पैदा कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट और विकास खंड के लोग उन्हें सारे ढंग बतलाते हैं, लेकिन वे कभी इस बात को भी सोचते हैं कि इतनी छोटी जोत के ऊपर, जिसमें एक किसान अपने परिवार के खाने तक के लिए अन्न पैदा नहीं कर सकता है, कैसे नये साधन का उपयोग करेगा? वह इतनी छोटी भूमि के लिए कर्ज नहीं ले सकता। वह पूंजी नहीं लगा सकता और खास कर कृषि के नये वैज्ञानिक साधनों का उपयोग वह किसी तरह से भी नहीं कर सकता है। महोदया, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल और श्री रामचंद्रन ने यह कहा कि इस चीज़ को राजनीतिक दलों का शटलकॉक नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर श्री डे साहब को यह गलतफहमी रही तो आने वाले दिनों में और कठिनाई होने वाली है। यह मौलिक रूप से एक

राजनैतिक सवाल है और इस सवाल का राजनीतिक स्तर पर सामना करना चाहिए और उसमें जो कठिनाइयां आयें उन कठिनाइयों को दूर करके इस आंदोलन को आगे चलाना चाहिये।

मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। माफ कीजिये, मैं अपनी एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अखबारों में यह छपा है कि मैं संयुक्त समाजवादी दल का सदस्य हूं। मैं यह पूर्णत: स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा इस दल से कोई संबंध नहीं है। मैं संयुक्त समाजवादी दल में शामिल नहीं हुआ हूं।

*** *** ***

[1]मैं निर्दलीय हूं।

---

[1]श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पूछे गए प्रश्न, 'आपका किस दल से संबंध है' का उत्तर देते हुए।

चीनी उद्योग और सरकारी नीति*

महोदया, इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें शुगर मिलों के इतिहास के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा और पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने जो नीति अपनाई है, उस पर भी दृष्टिपात करना होगा।

हमारे कई मित्रों ने यह प्रश्न उठाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो मिलें हैं वे लाभ में नहीं चल रही हैं। उनके साथ-साथ सारा देश यह जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो मिलें हैं वे लाभ में चल रही हैं या नहीं।

सन 1930 के आसपास जब शुगर उद्योग हमारे देश में प्रारम्भ हुआ था तब उत्तर प्रदेश और बिहार में ही मिलें लगी थीं। उस समय जिन लोगों ने उन मिलों को लगाया था, उनका आर्थिक ढांचा अच्छा रहा होगा। तब से लेकर आज तक, दस वर्ष पहले तक, ये मिलें बड़ी अच्छी तरह से काम करती रहीं और उसके बाद फिर दक्षिण भारत में मैसूर में और महाराष्ट्र में भी मिलें लगीं।

एक दूसरा भ्रम भी है जिसे मिटाना आवश्यक है। लोग ऐसा समझते हैं कि उत्तर भारत के गन्ने से दक्षिण भारत के गन्ने में रिकवरी ज्यादा होती है। अगर आंकड़ों को देखा जाये, तो यह देखने को मिलेगा कि एक महाराष्ट्र को छोड़कर सारे हिन्दुस्तान में रिकवरी करीब-करीब बराबर हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां 1952-53 में 9.27 थी, 1953-54 में 10.31 थी, 1954-55 में 9.56 थी, 1955-56 में 9.62 थी, 1956-57 में 9.94 थी और 1957-58 में 9.94 थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1952-53 में 9.7 थी और 1958-59 में 9.78 थी। आन्ध्र प्रदेश में, मद्रास में, मैसूर में, केरल में यह रिकवरी के फिगर्स हैं, 1952-53 में 9.93 थी और 1958-59 में 11.46 थी। सारे देश की रिकवरी फिगर्स इस प्रकार रही हैं : जो रिकवरी 1952-53 में 9.97 थी वह 1958-59 में 9.85 हो गई। अगर सारे देश की रिकवरी को लिया जाये तो एक महाराष्ट्र अपवाद स्वरूप है। उसके अलावा कोई दूसरा प्रदेश यह नहीं कह सकता कि वहां के गन्ने में रिकवरी कोई बहुत ज्यादा होती है।

*** *** ***

#मैं यह कहना चाहता था कि यह सवाल गलत तरीके से उठाया गया है। अभी कुछ मित्रों ने यह सवाल उठाया उत्तर भारत में चीनी मिलें रहनी चाहिएं दक्षिण में नहीं बननी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में बननी चाहिएं क्योंकि उत्तर प्रदेश की मिलें अनार्थिक हैं और उनको समाप्त हो जाना चाहिये। यह विवाद किस तरह से उठता है? इस वजह से उठता है कि सरकार की शक्कर नीति दोषपूर्ण रही है, सरकार की शक्कर नीति किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित नहीं है। सरकार की नीति, जिस समय जैसा दबाव पड़ा उस समय वैसी बदल गई। किसी भी देश में शक्कर का उत्पादन या किसी अन्य वस्तु का उत्पादन बढ़ाने या घटाने में केवल एक ही दृष्टिकोण उसमें होता है, एक ही मानदंड होता है कि उस देश की खपत के लिये कितनी शक्कर चाहिये और बाहर के देशों को भेजने के लिये उस देश के पास कितना बाजार है। अगर भारतवर्ष को देखा जाये तो मैं समझता हूं — स्मरण के

* देश में चीनी की कमी पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त, 1963, कॉ. 1550-1558 (मूल हिन्दी में)

श्री एन. श्रीराम रेड्डी की टिप्पणी, 'रिकवरी की बात नहीं है। सवाल प्रोडक्शन बढ़ने का है।' का जवाब देते हुए।

आधार पर कह रहा हूं और कृषि मंत्री जी अगर मैं गलत हूं तो सही कर देंगे, अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो शायद हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति, शुगर की खपत दुनिया के देशों से बहुत पीछे है। जब 1961-62 में चीनी का उत्पादन ज्यादा बढ़ गया तो क्या कहा कृषि मंत्री ने — उत्पादन कम कर दो। महोदय 1961 में इसी सदन में एक बिल आया था — शुगर रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन बिल। मिल मालिकों को कहा गया कि दस प्रतिशत चीनी कम पैदा करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर पीनल ड्यूटी लगेगी। यह कहा था कि मैं विनम्रता के साथ इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की खपत के लिए जितनी चीनी की जरूरत थी वह पूरी हो गई थी-जब इस सरकार ने ऐसा आदेश दिया था और अगर नहीं पूरी हुई थी तो इस आदेश का क्या कारण था? खाद्य मंत्री महोदय इस समय नहीं हैं, उनका वह भाषण मैं अभी पढ़ रहा था। उन्होंने उसमें कहा था कि अगर हम इस तरह से शक्कर के उत्पादन को अनियंत्रित ढंग से छोड़ दें तो अगले कुछ दिनों में करीब दस मिलियन टन, यानी 100 लाख टन, एक करोड़ टन, शक्कर पैदा होने लगेगी और हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह एक समाजवादी सरकार है, जो एक नियोजित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखने वाली सरकार है, लेकिन विडंबना यह है कि जहां एक दिन में ऐसा लगता है कि शक्कर बढ़ रही है, दूसरे ही दिन ऐसा मालूम होता है कि शक्कर खत्म हो रही है।

तो मैं आपसे कह रहा था कि उत्पादन के दो तीन तरीके होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो यह देखना पड़ेगा कि आज जो शक्कर की मिलें हैं उनकी डेली क्रशिंग कैपेसिटी क्या है, गन्ना खपत की उनकी ताकत क्या है। दूसरे यह कि मौसम कितनी देर तक चलता है और तीसरे यह देखना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ रिकवरी क्या है। आप इस नजरिये से सोचिये। उत्तर प्रदेश में जितनी मिलें हैं अधिकतर 1933-1934 में लगी हैं। उस जमाने से आज तक पूंजीपतियों ने उस मशीनरी को मॉडर्नाइज नहीं किया और न ही नई तकनीक को अपनाया। वे मुनाफा कमा रहे हैं। नई तकनीक की मशीनों का उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन अपने मित्र जयपुरिया* जी से मैं कहूंगा, यह सही बात है कि इन मिलों की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई है। ऐसा माना गया है कि किसी भी शुगर फैक्ट्री की 15 सौ टन प्रति दिन गन्ने की खपत की कैपेसिटी होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश की बहुत-सी मिलें 1200 टन से नीचे की खपत करती हैं। क्यों ऐसा होता है, हम इसको क्यों बर्दाश्त करते हैं? आज कहा जा रहा है कि ये अनाधिक उद्योग हैं। पूंजीपतियों ने कहा, कि इन मिलों को दक्षिण भारत ले जाइये। कृषि मंत्री जी फिर मुझे ठीक करेंगे, अगर मैं गलती कर रहा हूं पिछले सालों में आथॉराइस्ड कंट्रोल के अंदर उत्तर प्रदेश की दो मिलें चली। यही नहीं कि उनकी बिगड़ी हुई हालत ठीक हो गई बल्कि उनमें मुनाफा भी होने लगा। तो मैं कृषि मंत्री** महोदय से कहूंगा कि अगर शुगर मिल के मालिक उत्तर प्रदेश में मिल नहीं चलाना चाहते हैं, अगर उनको इसमें घाटा होता है, तो उन बेचारों को कष्ट आप क्यों देते हैं? क्यों नहीं सरकार उनको अपने कब्जे में ले लेती है और उनको कोऑपरेटिव फैक्टरियों के अंदर कन्वर्ट कर देती है? सरकार कार्यवाही करना नहीं चाहती है।

हमारे मित्र रेड्डी साहब*** ने सही कहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और खाद वगैरह ठीक से नहीं दी जाती। अभी मैं जून का इंडियन शुगर मैगज़ीन पढ़ रहा था, उसमें किसी एन. साहब का लेख निकला है नाम मुझे उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा

* श्री सीताराम जयपुरिया, संसद सदस्य

** श्री एस.के. पाटिल, कृषि मंत्री

*** श्री एन. श्रीराम रेड्डी, संसद सदस्य

है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यह शुगरकेन और शुगर इंडस्ट्री की दुर्गति है उसका एकमात्र कारण वहां की सरकारें हैं। मैं सोचता था, कोई साहब नाराज होंगे। लेकिन अभी मैं यह इंडियन शुगरकेन कमेटी की 1961-62 की रिपोर्ट देख रहा था। रेड्डी साहब को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी गन्ना विकास की योजनायें उत्तर प्रदेश में लागू हुईं, सबकी सब पूरी हो गईं। ये स्टेटिस्टिक्स हैं — महाराष्ट्र में नहीं पूरी हुई, मैसूर में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार में जितना लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य से अधिक काम उन सरकारों ने कर दिया तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो हुकूमतें हैं वे स्टेटिस्टिक्स बनाने में एक खास काबिलियत रखती हैं और उस काबिलियत के बल पर हमारे कृषि मंत्री जी उनको छूट दिये हुए हैं।

अत: आप देश के कुल चीनी उत्पादन में संयुक्त रूप से 65% का योगदान देने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि गन्ना उत्पादकों के साथ यह सरकार क्या तरीका अख्तियार करती है? 1952-53 में माननीय स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई साहब खाद्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि किसानों को चीनी उत्पादन के लाभ में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिये। मिल मालिकों, सरकार, पूंजीपतियों और किसानों ने उनके प्रस्ताव को माना। माननीय मंत्री जी ने उन्हें कहा कि उनको अपने लाभ में से एक निश्चित रकम किसानों को देनी होगी और पूंजीपतियों ने उनकी बात को मान लिया। श्रीमान, मैं आपके जरिये कहना चाहूंगा कि केवल एक साल में, 1953-54 में, यू.पी. की मिलों ने 50 लाख रुपए गन्ना उत्पादकों को दिये। बिहार जहां से कृषि मंत्री आते हैं, वहां की मिलों ने बड़ी उदारता के साथ 14000 रु. 1953-54 में गन्ना उत्पादकों को दिया, उसके बाद कभी भी गन्ना उत्पादकों को लाभ में से हिस्सा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में क्या हुआ? वहां जितनी मिलें थीं उन्होंने 1952-53 में 1 करोड़ रुपए गन्ना उत्पादकों को दिया। मैं सिस्मा फार्मूला का जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने श्रीमान, 1953-54 में 92 लाख रुपए दिये, 1954-55 में 40 लाख रुपए दिये, 1955-56 में 24 लाख रुपए दिये और 1957-58 में भी कुछ रुपया दिया। कुल करीब 1,07,37,000 रुपए दिये। ये फिगर्स मेरी नहीं हैं। खाद्य मंत्री* साहब के भाषण से मैंने ये उदाहरण निकाले हैं।

जब यह सवाल संसद में उठाया गया कि दक्षिण भारत के मिल मालिक अपने मुनाफे में से हिस्सा दें और उत्तर भारत को क्यों न दें? तो माननीय मंत्री जी श्री पाटिल जो आज मौजूद नहीं हैं, कहते हैं कि यह हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कोई स्टैटुटरी राइट नहीं था। 1958 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर तय किया गया था कि उन्हें लाभ में से हिस्सा दिया जायेगा। आपने डिफर्ड प्राइस पालिसी अख्तियार की और गन्ना उत्पादकों को 1951 से 1952 तक का पैसा अभी तक नहीं मिला और 1962 में सरकार फिर कहती है हम इसको लागू नहीं कर सके। यही नहीं बल्कि आज तक हिसाब नहीं बना सके कि उत्तर प्रदेश के मिलों के ऊपर गन्ना उत्पादकों का 1958-62 तक कितना बकाया है। क्या इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार नहीं है? 1961-62 में इस हुकूमत के सामने जब कहा गया कि देश में जितना गन्ना पैदा हुआ है, उस सारे गन्ने की खपत का इंतजाम सरकार को करना चाहिये, तो सरकार ने कहा कि हम इस बात की कोशिश करेंगे लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सारे गन्ने की खपत हो जाये। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अदब के साथ कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में किसानों ने अपने खेतों पर खड़ा गन्ना जला दिया। यह बात मैं अकेले ही नहीं कह रहा हूं। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने मुआवजा देने का मामला विचाराधीन है।

* * * * * * * * *

* श्री एस.के. पाटिल, खाद्य मंत्री

देवरिया के किसानों ने इस तरह से अपने खेत का गन्ना जलाया क्योंकि जून और जुलाई के महीनों में मिलें बंद हो गईं और गन्ने की खपत नहीं हो सकी। यही नहीं, सन् 1940-41 और 1950-51 में भी यह बात हुई थी। करीब करीब हर 10 वर्ष के बाद एक क्रम आता है, गन्ने का उत्पादन अधिक हो जाता है और उसकी खपत का इंतजाम नहीं किया जाता। उस समय हुकूमत ने कहा क्रशर लगाओ, कोल्हू लगाओ और गन्ने का उत्पादन करो, उत्पादन करके गुड़ और खांडसारी पैदा करो। जब 1963-64 में किसानों ने अपने यहां कोल्हू और क्रशर लगा लिये तो सरकार कहती है कि गुड़ तथा खांडसारी का उत्पादन नियंत्रित होगा। श्रीमान, मैं सरकार से यह पूछता हूं कि यह बात किसानों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ दी जाती कि वे गन्ने की कीमत के बारे में मिल मालिकों से बातचीत करें। हमारे पास शुगरकेन को-ऑपरेटिव यूनियन है जो बिहार तथा यू.पी. में यह काम कर रही है। जब कोई झगड़ा चलता है तो मिल मालिकों की ओर से, सरकार की ओर से ओर किसानों की ओर से मध्यस्थता करने का काम इस यूनियन का हो जाता है तो मैं श्रीमान आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उपरोक्त के दृष्टिगत इस पर विचार करें।

मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। जितने ये सारे सवाल हैं उन सवालों पर गौर करते समय सरकार यह बात सामने रखे। चाहे उत्तर की मिलें हों या दक्षिण की मिलें हों, मेरा अर्ज यह है कि सरकार इन्हें सहकारी समितियों द्वारा खुद अपने कंट्रोल के अंदर चलाये। अगर यह कुशल समाजवादी सरकार इस काम को नहीं कर सकती तो उसको कम से कम प्रॉफिट के ऊपर एक सीलिंग अवश्य लगा देनी चाहिये, ताकि सब फैक्टरियों को बराबर का लाभ मिल सके। अगर सरकार नियोजित अर्थव्यवस्था की बात चलाती है तो सरकार का इरादा साफ होना चाहिये। अगले साल कितनी शुगर एक्सपोर्ट करनी है और जितनी शुगर देश के अंदर खपत होने वाली है, उनके सभी व्ययों का समन्वय कर दिया जाना चाहिए।

सरकार से दूसरी अर्ज मैं यह करूंगा कि वह जो 13 रुपया प्रति 40 किग्रा. एक्साइज ड्यूटी लेती है वह सरकारी दुर्नीति का दूसरा प्रमाण है। अगर सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपयों से 5 रुपया कर दे तो शक्कर का ज्यादा उत्पादन होगा और इससे टोटल एक्साइज ड्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार उसी इरादे से काम करती है जैसे इस देश के पूंजीपति करते हैं और अधिकतर लाभ पाना चाहती हैं, तो यह अधिक समय तक नहीं चलने वाला है।

अंत में, श्रीमान, यह कहना चाहूंगा कि सरकार को एक सही नियोजित नीति अपनानी चाहिये और किसानों को दो रुपये प्रति 40 किग्रा. का प्रोत्साहन देकर प्रेरणा देनी चाहिये। दूसरी बात जो मुझे कहनी है उसके लिए श्री जयपुरिया* और श्री वाजपेयी** जी माफ करेंगे। अगर कंट्रोल में खराबी है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, तो इन बुराइयों को मिटाना ही पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को नहीं मिटा सकते हैं तो यह देश चंद लोगों की मर्जी पर चलने वाला नहीं है। अगर आप सारे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ लोगों के हाथ में छोड़ दें, तो यह अत्यधिक अनुसूचित होगा। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सारे शुगर का ट्रेड स्टेट ट्रेडिंग के आधार पर होना चाहिये जिसके अंतर्गत उसके उत्पादन पर, उसके लाभ पर, उसके वितरण पर सरकार का नियंत्रण हो। तब हम सही समाजवादी व्यवस्था की ओर, सही उत्पादन और वितरण की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

---

* श्री सीताराम जयपुरिया, संसद सदस्य

** श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य

केन्द्र और राज्यों के संबंध तथा राज्यों की राजनीति

पश्चिम बंगाल में सरकार का विघटन*

महोदया, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं अपने माननीय मित्र श्री भूपेश गुप्त और उनके सहयोगियों को एक और बुरी खबर सुनाना चाहता हूं। पंजाब विधान सभा में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के बारे में पी.टी.आई. ने जो जानकारी दी है वह इस प्रकार है—

"पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार गुरनाम सिंह ने राज्य की विधान सभा में आज घोषणा की कि वह त्यागपत्र दे रहे हैं, क्योंकि जिन सदस्यों ने उन्हें समर्थन दिया था, वे अपना समर्थन वापस ले रहे हैं।

*** *** ***

दो दिनों के अंदर तीन सरकारें गिर चुकी हैं। मेरे मित्र श्री सुंदर सिंह भंडारी अवश्य यह सोच रहे होंगे कि इस घटना से मैं प्रसन्न हूं, किंतु मुझे भी इस घटना से दु:ख हुआ है। लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि दूसरी पार्टी सरकार चलाने में और यह जिम्मेदारी निभाने में सक्षम न हो। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि लोकतंत्र का उद्देश्य यही है कि यदि एक पार्टी सत्ता से बाहर जाती है तो दूसरी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होनी चाहिए।

मैं माननीय भूपेश जी से और उन साथियों से, जो चुनावों से पहले अपनी पार्टियों को सुदृढ़ करने का प्रयास न करके केवल यह धारणा फैलाते रहे कि हर हाल में कांग्रेस को नष्ट करना है क्योंकि यही देश के हित में है, कहना चाहूंगा कि वे यह नहीं जानते कि जब वे यह नारे लगा रहे थे तो वे संसदीय लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार कर रहे थे। आज हमारे मित्र इस बात पर खेद जताते हुए पूछ सकते हैं कि वहां सेना क्यों भेजी गई। मैं माननीय भूपेश गुप्त जी का ध्यान उनके मुख्यमंत्री श्री अजय मुखर्जी, जिनका स्तुतिगान आजकल वह जोरों से कर रहे हैं, के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा। वामपंथी दलों को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत सरकार से सेना भेजने का निवेदन उन्होंने किया था जिसका कारण उन्होंने यह बताया था कि सरकार के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो खुले तौर पर चीन से समझौता करने की हिमायत करती है।

मैं भाई भूपेश गुप्त जी से सहमत हूं कि बंगाल की एक परम्परा रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल ने एक अहम भूमिका निभाई है। मैं यह भी जानता हूं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बंगाल का स्थान सदैव उच्च रहेगा। हमें गर्व है कि बटुकेश्वर दत्त और सुभाष चन्द्र बोस जैसे लोग बंगाल की धरती पर पैदा हुए। बंगाल की धरती जिसने बटुकेश्वर दत्त और सुभाष चन्द्र बोस जैसी महान हस्तियों को पैदा किया, वहां के लोगों के लिए यह उचित नहीं है कि वे कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर षडयंत्र रचें और देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को दांव पर लगाएं। मुझे विश्वास है कि बंगाल के लोग, बंगाल की युवा पीढ़ी आज भी यह समझती है कि बटुकेश्वर दत्त और सुभाष चन्द्र बोस की परम्परा को कायम रखा जाना चाहिए। बंगाल की युवा पीढ़ी कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि

* पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के विघटन पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद 22 नवम्बर, 1967, कॉ. 626-36 (मूल हिन्दी में)

नक्सलवादी षडयंत्र, में शामिल कुछ लोगों के कारण यह परम्परा जिस पर पूरा राष्ट्र और माननीय भूपेश गुप्त गर्व महसूस करते हैं, टूट जाए। गृह मंत्रालय और भारत सरकार के खिलाफ मेरा आरोप यही है कि यह सरकार उसी दिन बर्खास्त क्यों नहीं की गई जिस दिन उस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी पार्टियां चीन से समझौता कर चुकी हैं।

महोदया, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सर्वोच्च शक्ति लोकतंत्र में ही निहित होती है। अपनी शक्ति और सुदृढ़ता के बल पर यह राष्ट्र रचने की क्षमता रखता है। तथापि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसके शत्रु इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके इसकी ही जड़ें काटते हैं। पूरे विश्व में चाहे वह हिटलर हो, मुसोलिनी हो या कोई अन्य तानाशाह हो, उन्होंने लोकतांत्रिक समाज द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को ही नष्ट करने का कार्य किया है।

*** *** ***

बंगाल में कुछ लोगों ने पिछले छह महीनों में खुले तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है। मुझे श्री भूपेश गुप्त और श्री राजनारायण जी पर दया आती है; मैं उनका नाम नहीं लूंगा; माननीय श्री राजनारायण जी ने इसी सदन में कहा था कि नक्सलवाड़ी में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने इसी सदन में गहरा शोक व्यक्त किया था जब आसनसोल में एक पी.एस.पी. कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और बंगाल की सरकार जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं थी। मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अपने भाइयों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह वामपंथियों ने कलकत्ता* में उनके कार्यकर्ताओं को कार्यालय से बाहर निकालकर रोड पर पीटा। मैं श्री भूपेश गुप्त और श्री राजनारायण जी जो लोकतंत्र के मसीहा कहे जाते हैं, से पूछना चाहूंगा कि क्या लोकतंत्र की यही परम्परा है और क्या हमारे शहीद इसी उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहूति देते हैं, क्या हमारा संविधान, जिसके मानदंडों के अधीन हम यह चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरवी करता है। मैं संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं की चर्चा विस्तृत रूप से बाद में करूंगा, मगर कुछ आधारभूत प्रश्न हैं जिनके संबंध में पूरा देश उनसे उत्तर चाहता है। मैं कांग्रेस के प्रति उनके अलगाव को, सरकार के प्रति उनके आक्रोश को समझ सकता हूं। मैं इस बात की सराहना करूंगा यदि वह सरकार की गलतियों को सामने लाए या इसके लिए कांग्रेस की भर्त्सना करें। तथापि, मैं अपने इन मित्रों से आग्रह करूंगा कि वे ऐसे लोगों को समर्थन न दें जो राजनैतिक लाभों के लिए लोकतांत्रिक परम्पराओं पर आघात करते हैं और इन्हें जड़ से नष्ट करने पर तुले हैं। पिछले 6-8 महीनों में पश्चिम बंगाल में हुए घटनाक्रम किसी भी मायने में लोकतंत्र को सुदृढ़ नहीं करते। मैं श्री भुपेश गुप्त जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आम चुनावों से पहले स्थिति क्या थी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ता के रूप में मैं कह सकता हूं कि कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी की सभाएं आयोजित करना अत्यंत कठिन था। चुनावों के बाद जब उनकी पार्टी ने सरकार बनाई तो लोगों को उनसे बड़ी आशाएं और आकांक्षाएं थीं, तथापि छह महीनों में इन्होंने लोगों को क्या दिया? तीन दिन पहले डेढ़ लाख लोग कलकत्ता में अजय मुखर्जी की सरकार के विरोध में एकत्र हुए। मैं जानना चाहता हूं कि जब डेढ़ लाख लोग कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठे होकर यही मांग करते हैं, तो भी क्या सरकार को जनमत में परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। यदि सरकार इस परिवर्तन को समझ नहीं पा रही तो मैं कहूंगा कि यह उस पक्षी के समान है जो दिन के उजाले में उड़ने से मना कर देता है। मैं कहना चाहूंगा कि यह परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। गैर-कांग्रेसी सरकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार अपने बीस वर्षों

* अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

के कार्यकाल में अपनी कुछ गलतियों के कारण जहां पहुंची, उससे आगे ये छह महीनों में ही पहुंच गए हैं। आज देश की जनता का विश्वास उन पर से उठ गया है। जबकि वे लोकतंत्र के नाम पर राजनैतिक नैतिकता या संवैधानिकता या जन औचित्य के नाम पर अजय मुखर्जी की सरकार को सत्ता में बनाए रखने का दावा कर रहे हैं।

मेरे कुछ सहयोगियों ने यह सवाल उठाया है कि यदि 20 दिसम्बर तक अजय मुखर्जी की सरकार सत्ता में रहती है तो कोई वज्रपात नहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी श्री अजय मुखर्जी द्वारा एक वक्तव्य में लगाए गए इस आरोप की कि कुछ मंत्रियों की चीन के साथ सांठ-गांठ है, का उत्तर दें। यदि बाद में इन मंत्रियों ने नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल में अपने सरकारी पदों का लाभ उठाते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर चीन के प्रति वफादार किसी गुट का गठन कर लिया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। भारत सरकार इस जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकती। आज यदि सरकार के भंग होने पर खून-खराबा होता है या गृहयुद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी श्री धर्मवीर जी की होगी। जो उन्होंने कल किया उसके लिए नहीं बल्कि पिछले डेढ़ महीने में उनकी जो निष्क्रियता रही उसके लिए। मैं कहना चाहता हूं कि एक मंत्री किसी विदेशी सरकार से मिलकर अपने देश के साथ किसी भी हद तक द्रोह कर सकता है।

यह कहा जा रहा है कि कत्ले-ए-आम होगा। हो सकता है कुछ लोग मारे जाएं क्योंकि वे इस काम में दक्ष तो हैं ही। तथापि मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है कि ऐसे भी समय आते हैं जबकि देश में एकता, आजादी और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने पड़ते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आखिरकार दुनिया में अब्राहम लिंकन जैसे नेता के नाम के भी उदाहरण हैं, जिन पर किसी भी समाज या राष्ट्र को गौरव का अनुभव हो सकता है। अत: देश की एकता और सार्वभौमिकता के लिए कुछ लोगों का बलिदान देना पड़े तो इसमें दु:ख की बात तो है किंतु कोई भी सरकार या राजनीतिक पार्टी देश की एकता से ऊपर नहीं है।

मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रति वे अपनी धारणा बना सकते हैं किंतु यह सत्य है कि 1885 से 1947 तक कांग्रेस की परम्परा में बलिदानों की परम्परा रही है जिसके कारण ही हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों तक पहुंचा और स्वतंत्रता प्राप्त कर सका।

माननीय भूपेश गुप्त जी ने बंगाल की जिस परम्परा का उल्लेख किया है वह कांग्रेस की परम्परा रही है और इसी को आगे बढ़ाने हेतु कांग्रेस बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर है। कांग्रेस पार्टी की कोई भी सरकार चाहकर भी ऐसे अवसर पर निष्क्रिय नहीं रह सकती। माननीय चव्हाण जी* और माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी काफी उदार रही हैं किंतु मैं अपने उन मित्रों से कहूंगा कि यह देश केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है बल्कि यहां के लोगों का है, अत: अजय मुखर्जी के वक्तव्य पर कार्यवाही उसी समय हो जानी चाहिए थी। सरकार भंग करने के लिए वह अकेला वक्तव्य ही काफी था।

दूसरी ओर, यह कहा गया कि इस संबंध में राज्यपाल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें विवाद हो सकता है। इस संबंध में एक अन्य पहलू यह है कि यदि राज्यपाल को यह लगे कि सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो वह सरकार भंग कर सकता है। मैं इस संबंध में संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि संविधान के विशेषज्ञ इस बारे में बहुत कुछ कहना चाहेंगे, तथापि मैं अम्बेडकर जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं वह अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं—

''यद्यपि राज्यपाल को कोई भी कार्य नहीं सौंपे गए हैं तथापि संविधान में उसके कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मेरे अनुसार उसके कर्तव्यों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। राज्यपाल

* श्री वाई.बी. चव्हाण

का एक कर्तव्य यह है कि वह यह देखे कि सरकार कब तक चल सकती है क्योंकि राज्य की सरकार राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त चलती है। दूसरा....."

यह डॉ. अम्बेडकर जी का उद्धरण है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह यह निर्णय ले कि सरकार के विरुद्ध अपने विवेकाधिकार का प्रयोग वह कब करे। हमारे संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा था। इन परिस्थितियों में माननीय राज्यपाल श्री धर्मवीर जी ने यदि यह अनुभव किया कि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही तो यह उनका राष्ट्रीय कर्तव्य था — मैं कोई कानूनविद् नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है कि इस संबंध में कानून क्या कहता है मगर उनका यह राष्ट्रीय दायित्व उन्हें बार-बार पुकार रहा था।

*** *** ***

*महोदया, माननीय भूपेश गुप्त जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर जी का यही मत था। इस पर चर्चा और वाद-विवाद किया जा सकता है। इस संबंध में विवाद हो सकता है, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अंतिम सत्य है मगर ऐसा नहीं है कि इसे संवैधानिक तथ्य या समर्थन प्राप्त नहीं है।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल धर्मवीर ने अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य का पालन किया है और मैं सदन के समक्ष कहना चाहूंगा कि इसके लिए वह हमारी बधाई के पात्र हैं।

*** *** ***

मैं राज्यपाल धर्मवीर जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। हमारे मित्र ने कहा कि दो आई.सी.एस.** अधिकारियों के माध्यम से दो मंत्रालयों को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और अखबारों के माध्यम से सारा देश जानता है कि राज्यपाल के पद के लिए धर्मवीर जी की सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि अजय मुखर्जी साहब ने ही की थी क्योंकि उस समय वह उन्हें पसन्द करते थे किंतु अब वह उन्हें पसन्द नहीं करते।

*** *** ***

महोदया, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित में, देश के भविष्य के लिए तथा लोकतंत्र और देश के कल्याण हेतु बंगाल सरकार को भंग करना अत्यंत अनिवार्य था।

जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट से यह साफ प्रकट है कि वहां राजनीतिज्ञ.....

महोदया, अंत में, मैं केवल यही कहूंगा कि हरियाणा में जो कुछ हुआ, वह माननीय राज्यपाल जी ने स्पष्ट किया है, जिस तरह से लोगों ने यहां-वहां जो कुछ किया है उससे लोकतंत्र की मर्यादा को धक्का पहुंचा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। मैं अत्यंत दु:ख के साथ अपने मित्र भूपेश गुप्त के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

---

* केवल एक बात। क्या आप स्वीकार करेंगे। कृपया केन्द्रीय मंत्री परिषद के संबंध में अनुच्छेद 75 को **देखें** "मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। क्या आपके कहने का अर्थ वह है कि वही बात यहां पर भी लागू होती है"। श्री भूपेश गुप्त जी द्वारा की गई टिप्पणी पर दिया गया उत्तर।

** आई.सी.एस. — भारतीय लोक सेवा।

बिहार विधान सभा में स्थिति*

अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी ने एक अच्छी बात कही कि यहां पर सभी बातों पर चर्चा नहीं हो सकती कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव आयुक्त कैसे हैं, हालांकि उन्होंने स्वयं उसकी चर्चा की। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो चंद्रजीत जी ने उठाई। उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा। क्या राज्यपाल महोदय ने उनसे कहा है कि बिहार की सरकार उनके साथ इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है? क्या यह सही है कि हमारी बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. और दूसरे राज्यों की पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी है कि उनको कोई कार्य नहीं सौंपा जा रहा है? वे बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें यह खबर है कि नहीं कि बिहार में क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक पार्टी के या दूसरे के राजनैतिक लाभ के लिए हम ऐसी स्थिति पैदा न करें कि कल अर्द्ध-सैनिक बलों के लोग कहीं जाने से इनकार कर दें और कहें कि उन्हें वहां केवल दर्शक मात्र बनाकर रखा जाता है। यह बात जग जाहिर है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यह बात मालूम है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या यह बात प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि 6 महीने पहले राज्यपाल महोदय ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने उनसे कहा कि बिहार की स्थिति न केवल नियंत्रण के बाहर है, बल्कि सारी सीमाओं को पार कर गई है? स्थिति यह है कि कल चुनाव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मुझे लगता है कि संविधान को इसमें ठीक से नहीं समझा जा रहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि यदि लालू प्रसाद पांच दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या पांच दिन के बाद बहुमत से चुनकर आ जायेंगे तो देश का क्या बिगड़ जायेगा। बड़े जोरों से कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और पांच दिन के बाद वे पूर्ण बहुमत के साथ आ जायेंगे।

अगर सरकारी मशीनों का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं हो रहा है तो, फिर व्यर्थ इतनी चिंता क्यों की जा रही है, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बिहार के सारे अखबारों में, बिहार की एक-दो नहीं दस एजेंसियों ने कहा है कि अर्द्धसैनिक बलों को यहां पर व्यर्थ भेजा गया है। क्या यह संसद की जिम्मेदारी नहीं कि हम इस बात को देखें कि जिन सुरक्षा बलों के बल पर हम इस देश की सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं, जिनके दम पर विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं उनके द्वारा खुलेआम सार्वजनिक रूप से कहा जाता है कि हमें वहां बेकार रखा गया है? क्या यह सही नहीं है कि सारे नियमों के बावजूद जिलाधिकारी खुद मतदान केन्द्रों पर कब्जा करा रहे हैं? उसके बाद भी इस सरकार के पांच दिन न बने रहने से कौन-सा संविधान टूट रहा है, लोकतंत्र टूट रहा है। ये सब भाषण जब सोमनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता देते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति हमारे मन में कोई आदर है या नहीं।

* उक्त विषय पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए; लोक सभा वाद-विवाद, 15 मार्च, 1995 कॉ.-161-163

अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं।

*** *** ***

जो परिस्थितियां पहले थीं मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन आज विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.....

*** *** ***

देश बर्बाद हो रहा है। विधान सभा तो बाद में आएगी। अपनी अवधि समाप्त होने के बाद विधान सभा को बनाये रखा जाये, इस सम्बन्ध में संविधान की व्याख्या क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने सवाल उठाया है इसलिए मेरे लिए उत्तर देना जरूरी है। उस सरकार के सत्ता में रहने से वही होगा जिसका जिक्र अभी श्री सोमनाथ जी ने किया कि पूर्णिया में दूसरा कलेक्टर जायेगा। इससे जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके मनोबल पर क्या असर होगा? उसके रहने से दूसरा असर यह पड़ेगा कि हमारी पैरा-मिलिट्री आर्गेनाइजेशन के लोगों के मन में शंका, संदेह और अविश्वास पैदा होगा। इलेक्शन्स क्यों नहीं हुये? अचानक तो यह सब हुआ नहीं। पिछले 6 महीने से यह चर्चा चल रही है कि यहां पर चुनाव देर से होंगे। प्रधानमंत्री जी को इसका भी जवाब देना होगा कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री और चुनाव आयुक्त से मिलकर.....

*** *** ***

हमारे दादा बहुत समझदार व्यक्ति हैं। असल में वही होना चाहिए था जो आप कह रहे हैं जिसे मैं नहीं कहता। वह समझदारी की बात है। आपको प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। यदि छह महीने पहले यह समझदारी किये होते, तो देश में संकट नहीं आता। इसलिए आप सही बात कह रहे हैं। कभी-कभी गलती से सही बात निकल जाती है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन बातों को छोड़ दिया जाये तो जो बिहार में आज हो रहा है, चाहे जिस तरह से विवाद उठाया जा रहा है, इसमें श्री लालू प्रसाद यादव का व्यक्तिगत सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां प्रशासन कार्य कर रहा है और जिस तरह से विवाद को बढ़ाया जा रहा है उसके बहुत ही भयावह परिणाम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री को चुनाव के बीच में और उसके बाद भी कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। उनको राज्यपाल ने सलाह दी या इनकी सलाह पर राज्यपाल ने यह कार्य किया, लेकिन जो हो रहा है, उससे न केवल बिहार का बल्कि सारे राष्ट्र का अहित होने वाला है।

विदेशी मामले और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति

भारत की विदेश नीति*

सभापति महोदय, मैं सरकार के लिए और विशेषकर विदेश मंत्री जी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल एक ही है कि जिस भाषा का उपयोग पाकिस्तान के जनरल कर रहे थे, उस भाषा में नहीं, लेकिन अपने विचारों को उसी स्पष्टता से रखने में प्रधानमंत्री जी असफल रहे। बार-बार हमसे यह कहा गया कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, वह आजादी की लड़ाई है। मैं यह नहीं समझ पाया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई 1947 में हुई थी, जब देश को धर्म के नाम पर बांटा गया था। उस समय कश्मीर के लोगों ने जिन्ना साहब के पाकिस्तान में जाना स्वीकार नहीं किया, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान में आना स्वीकार किया था। वह आजादी की लड़ाई शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई थी और उस लड़ाई के कारण ही आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जनरल मुशर्रफ को उस लड़ाई का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम यह आशा कर रहे थे कि भारत के प्रतिनिधि और नेता उन्हें इस बात की याद दिलाते लेकिन इस बात की याद नहीं दिलाई गई, यही नहीं दुनिया के दूसरे देश हमें बार-बार यह कहते रहे कि किसी तरह समझौता कर लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय देश को दो भागों में बांटने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कश्मीर का मामला या हिंदुस्तान-पाकिस्तान का मामला इतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की बात से अपने को संबद्ध नहीं कर पाता। क्या हो गया है विरोधी पार्टियों को? सरकार के बारे में कुछ कहूं उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस आधार पर आप लोग गये थे बात करने के लिए? किस आधार पर आप गए थे जनरल मुशर्रफ की चाय में हिस्सा लेने के लिए। क्या आप इस उम्मीद को लेकर गए थे कि इसमें कोई बड़ा फैसला होगा। मैं जनरल मुशर्रफ की बात से पूरी तरह असहमत हूं, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि एक शब्द भी आगरा में वैसा नहीं कहा जो उसके पहले वह पाकिस्तान में नहीं कह चुके थे। जो बात उन्होंने इस्लामाबाद में कही, वही बात आगरा में कही। वह लौटकर गए तो वहां जाकर भी फिर उन्हीं बातों को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम कश्मीर के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। किस आधार पर विरोधी दल के नेताओं ने जसवंत सिंह जी को और वाजपेयी जी को यह सलाह दी थी कि आप दूसरे सवालों पर भी चर्चा कीजिए। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेशी मंत्री जी को कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद थी। मैं यह बात इसलिए बार-बार कहता हूं कि जनरल मुशर्रफ ने इस बात को सारी दुनिया के सामने कहा और वह इस हद तक गए कि उन्हें निमंत्रण इसलिए मिला कि कोई बाहरी देश हमारे देश को मजबूर कर रहा है। इसके बावजूद भी इन परिस्थितियों में हमने उनको निमंत्रण दिया। इससे पहले साक[#] की दो-चार मीटिंगें स्थगित हो

* नियम 193 के अधीन भारत-पाक संबंधों पर चर्चा में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 1 अगस्त, 2001, कॉ. 474-480

[#] सार्क-दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

गई थीं। सार्क को बनाने के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। जब सारी दुनिया में आंचलिक सहयोग की बात चल रही थी, जब यूरोप के देश एक हो रहे थे, जब मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका एक हो रहे थे, जब आसियान* के देश आपस में मिलकर सहयोग बढ़ा रहे थे, उस समय हमने सार्क की स्थापना की थी। सार्क ऐसा फोरम था जहां पर हमारे प्रधानमंत्री और जनरल मुशर्रफ मिल सकते थे बिना किसी हल्ले-गुल्ले के, बिना शोर-शराबे के और बिना किसी अपमान के बात कर सकते थे। उस समय हमें कहा गया कि हम जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकशाही में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम किसी अधिनायक के साथ बात नहीं कर सकते। इसके पहले भी सार्क की मीटिंगों के दौरान बहुत से लोगों ने जनरल के साथ बातें की थी। मैं उन घटनाओं को याद दिलाने की जरूरत नहीं समझता। मणिशंकर जी ने भी सार्क बैठक में पाकिस्तान के जनरल के साथ बात की थी। बांग्लादेश के जनरल के साथ तो मैंने ही बैठकर बात की थी। लोकतंत्र में ऊंचे आदर्शों की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की; जिसकी इस देश के लोगों ने बड़ी तारीफ की। हमारे समाचार-पत्रों ने कहा कि जनतंत्र के इतने बड़े हिमायती ने अचानक एक दिन जनरल मुशर्रफ को निमंत्रण दे दिया। उसके बाद सभी विरोधी पार्टियों को बुला लिया गया और इन लोगों ने भी कहा कि इस समस्या को सुलझाने का बड़ा भारी काम हो रहा है, और उसे इस दिशा में एक नई शुरुआत कहा।

*** *** ***

जो भी गए होंगे** एक नई शुरुआत हमारी विदेश नीति में हो रही है, ऐसा कहा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बदलने के लिए एक नया कदम उठाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे सपने क्यों देखे जा रहे थे। क्योंकि जो भी जनरल मुशर्रफ कह रहे थे, इस्लामाबाद से जो भी वहां अखबारों में छप रहा था, जो उनकी भाव-भंगिमा थी, जिस तरह की बातें चली आ रही थी, उससे स्पष्ट था कि वह कश्मीर का सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मन में कोई संकोच था अथवा लोगों की कुर्बानी के बाद लोगों के बलिदान के बाद शेख अब्दुल्ला के प्रयासों के बाद जिस कश्मीर ने हमारे देश में आना स्वीकार किया था, उस कश्मीर के सवाल को हमने नजरअंदाज कर दिया। याद रखिए कश्मीर हमारे लिए कोई जमीन का सवाल नहीं है, कश्मीर हमारे लिए मौलिक सिद्धान्तों, मौलिक आदर्शों का सवाल है। कश्मीर ही ऐसा इलाका है जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हजारों वर्षों से हमारे देश की परंपरा रही है। मजहब या पंथ अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान तो एक ही है और हमारी मंजिल एक है। हमने धर्म के नाम पर न लड़ने-झगड़ने का निर्णय किया था और कश्मीर के लोगों ने इस तथ्य को साबित किया।

शेख अब्दुल्ला ने इस बात को 1947 की लड़ाई के दिनों में समाप्त किया था। उसके बाद जो संविधान बना, उसमें हमने धारा 370 को स्वीकार किया, लेकिन इन बातों को नहीं उठाया गया। दुनिया के सामने इन सवालों को क्यों नहीं रखा गया; जनरल मुशर्रफ के स्वागत में हम इनसे प्रफुल्लित थे, समझते थे कि हमारे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है और जनरल मुशर्रफ यहां अपनी बात कहने के लिए आए थे।

सभापति महोदया, श्रीमती सुषमा स्वराज की इस बात के लिए बड़ी आलोचना की जा रही कि वह बिना बुलाए कैसे चली गई और अपना बयान दिया। मैं आज नहीं कह रहा हूं, जब समाचार-पत्रों

* आसियान-दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन

** श्री मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी, "मैं नहीं गया था", का उत्तर देते हुए

के लोगों ने मुझसे पूछा कि सुषमा स्वराज बिना बुलाए गई थीं या निमंत्रण मिलने पर गई थीं। मैंने कहा यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज इस देश की एक प्रवक्ता थीं, वे जनरल मुशर्रफ की प्रवक्ता नहीं थीं। उन्होंने जो बयान दिया, उसमें सच्चाई कितनी है, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इस देश के गौरव को और मान सम्मान बचाने का काम किया। मैंने पत्रकारों को उनका मजाक न बनाने को कहा था। अगर कोई जनरल चिटनिस सैल्यूट नहीं करता, तो हमें अनुशासन की कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री के लाहौर जाने पर जनरल मुशर्रफ सहित वहां के तीनों जनरल उनके स्वागत के लिए वहां आने से मना कर देते हैं तो उस मामले में अनुशासन कहां चला जाता है।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि आपसी बातचीत हो, समझौते हों, लेकिन बातचीत के समय हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अपने को नीचे झुकाकर, अपनी गरिमा को घटाकर हम कोई बातचीत नहीं कर सकते, बातचीत जब दो देशों के बीच में होती है, तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उधर लोग क्या सोच रहे हैं।

महोदया, हमने एटम बम बनाया, अणु बम बनाया, बड़ी खुशियां मनाई गईं, हमारे जो बड़े प्रबल मंत्री हैं, जो हमेशा सरकार की कमजोरी देखकर, आपको बल देने का काम करते हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हम प्रो-एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे और हम कश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

पांच-सात दिन के बाद अकेले मैंने इस संसद में कहा था कि हमारे देश की जनता के साथ, इस क्षेत्र की जनता के साथ, पाकिस्तान की जनता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैंने यह भी कहा था कि अणु बम सुरक्षा का हथियार नहीं, यह आक्रमण का हथियार है। यह अपने देश में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। यह दूसरे देश में इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप लाहौर पर बम गिराएंगे तो अमृतसर का क्या होगा?

लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को पता नहीं जसवंत सिंह जी ने सलाह दी या पता नहीं किसने सलाह दी कि आप लाहौर चले गए। अखबारों में छपा कि शांति और मित्रता की कूटनीति में आपने जवाहर लाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया। शायद माननीय प्रधानमंत्री ने उस बारे में नहीं सोचा होगा और वह लाहौर चले गए। संसद में मैंने कहा है कि ऐसा करना खतरनाक अतिप्रयोग है और जोर देकर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने खतरनाक कदम उठाया है और यह देश को खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। मैं नहीं जानता था कि उनके लाहौर दौरे के तीन महीने के बाद कारगिल युद्ध हो जाएगा और आप याद रखिए कारगिल में हमने हमारे जवानों को बड़ा उत्साह दिया और उनकी भूमिका का गुणगान किया लेकिन इसका क्या नतीजा निकला, एक देश के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के पीछे हटने में अपने देश की भूमिका की डींग हांकी और कहा कि कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना को केवल भारतीय सैनिकों ने ही नहीं भगाया था। यद्यपि पाकिस्तानी राष्ट्रपति का स्वागत करना सरकार की मजबूरी थी, लेकिन विरोधी पक्ष को उनके स्वागत भोज में जाने की होड़ लगाने की क्या जरूरत थी, मेरी समझ में नहीं आता। मेरा मानना है कि कुछ करने का निर्णय लेने से पहले हमें सभी पहलुओं पर सोचना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं सोमनाथ दादा के विचारों से सहमत हूं कि विदेश नीति केवल एक पार्टी का सवाल नहीं है, राष्ट्र की मर्यादा का सवाल होता है कि कोई देश अपनी विदेश नीति किस प्रकार से चला रहा है। अचानक एक दिन खबर मिली कि विरोधी पक्ष के लोग वहां के उच्चायुक्त की दावत

पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हुर्रियत को भी निमंत्रण दे रखा है। अब चाय पर कौन किसको बुलाए या नहीं बुलाए, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन विपक्ष ने बिना बात का एक मुद्दा बना लिया। माननीय शिवराज जी की पार्टी का कहना है कि अगर एक प्रतिनिधि जाएगा तो हमारा भी एक प्रतिनिधि जाएगा। जब एन.डी.ए. के हमारे मित्रों को यह बात समझ में आई तो अपनी छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने चाय पार्टी में न जाने का निर्णय लिया।

जब एन.डी.ए. के सहयोगियों ने कहा, हम चाय पार्टी में नहीं जाएंगे तो विरोधी पार्टियों ने कहा कि वे जरूर जाएंगे। क्या हमारे बीच यही एकता है? क्या यही विदेश नीति पर सहमति बनाने का तरीका है। जिस समय हुर्रियत के लोगों से जनरल मुशर्रफ मिल रहे थे, उस समय हमारे विरोधी दल के एक प्रमुख नेता कॉरीडोर में उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह टी.वी. पर दिखाया गया। क्या भारत की एकता, सम्मान, मर्यादा के लिए उस समय हमारे दिल में यह एहसास हुआ या नहीं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं एक ही तरह के हैं। जब भारत ने परमाणु बम बनाया और पांच विस्फोटों के जरिए इसका परीक्षण किया, तो पाकिस्तान ने छह विस्फोट किए। वे भी हमारे भाई हैं। आपके सहयोगी लड़ाई छेड़ने के बारे में बात नहीं करते। ऐसी बातें दूसरी जगहों पर हो रही हैं। मैं इसकी बारीकी में नही जानना चाहता तथापि मैं कहना चाहता हूं कि आपको अलग सलाह दी गई है।

अभी-अभी सोमनाथ जी बोल रहे थे, मैं उनके विचार सुनकर स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लाहौर जाना चाहिए और मित्रतापूर्ण संबंधों को बरकरार रखना चाहिए। हमारे मित्र जसवंत जी बहुत आशावादी व्यक्ति हैं। यह इस देश के हित में है कि वह इस दौरे की पैरवी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तथापि ऐसा पहले सचिवालय और विदेश मंत्रालय के स्तर पर किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद जाने के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इसका परिणाम आगरा शिखर सम्मेलन से भी बुरा हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मेरा मानना है कि यद्यपि मैं वार्ता के पक्ष में तो हूं लेकिन इसमें असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने उदारतापूर्वक न्यौतों को स्वीकार किया है। तथापि उदारता वाली बात केवल उदार लोगों के साथ ही होनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है "शठे शाठयं समाचरेत्" जिसका अर्थ है कि दुष्टों के साथ उदारता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। मैं युद्ध करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि सारी दुनिया में यह संदेश जाए कि हम समझौता करने को बहुत उतावले हैं। समझौते के लिए हमें क्यों और किन मुद्दों का चुनाव करना चाहिए। जनरल मुशर्रफ वार्ता में कश्मीर मुद्दे को शामिल करने को लेकर इतने ज्यादा अड़ियल थे कि इस बारे में उन्होंने सभी दूसरे पाकिस्तानी नेताओं को पीछे छोड़ दिया। मैंने उन्हें संपादकों के समक्ष वार्ता शुरू करने के लिए इस शर्त को रखते हुए स्पष्ट रूप से सुना था। इसके बाद किसी भी समाधान को, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे आशान्वित हैं? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनरल मुशर्रफ के भाषण के सीधे प्रसारण की अनुमति आपने कैसे और क्यों दी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारी खुफिया एजेंसियां तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है। जैसा श्री सोमनाथ जी ने कहा यदि एक पत्रकार ने सहायता नहीं की होती तो दूरदर्शन को भाषण की एक प्रति भी नहीं मिलती। ऐसा कैसे हुआ? सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम संदिग्ध इरादों वाले देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आपने पाकिस्तान सरकार को खुले हृदय से आमंत्रण दिया था। उन्हें निमंत्रण देने के तुरंत बाद उन्होंने क्या किया? शुरुआत में सरकार ने ऐसा दर्शाया

कि वह वर्तमान पाकिस्तानी सरकार के साथ वार्ता नहीं करेगी क्योंकि इसका नेतृत्व चुने हुए मुखिया के पास नहीं है.....(व्यवधान) आतंकवाद की बात छोड़ दीजिए। इसे पाकिस्तान के प्रयासों से न रोका जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। हम ही इसे रोकेंगे और हम इतने असमर्थ नहीं हैं कि इसे रोक नहीं सकते। इसके लिए बाहरी सहायता मांगना और कुछ नहीं हमारी कमजोरी का ही सूचक है। मेरा मानना है कि यह कठिनाइयों से भरा रास्ता है जिसमें कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे और कुछ अलोकप्रिय बातें करनी होंगी। तथापि, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम इतने अक्षम हैं कि हमें पाकिस्तान जैसे किसी देश द्वारा प्रायोजित हिंसा और आतंक के इस माहौल को सहना पड़ रहा है? लेकिन जो कुछ भी हुआ है वह चकित करने जैसा ही है। हमारा निमंत्रण मिलने के कुछ दिन बाद ही मुशर्रफ ने स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यह शर्म और दुख का विषय है कि केवल भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी है।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय प्रधानमंत्री इस गलत कदम को उठाने के लिए मजबूर थे। पिछले दो-तीन सालों से वह कश्मीर के मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए बिना या उनसे परामर्श किए बिना हुर्रियत कांफ्रेंस या हिजबुल मुजाहिदीन को बात करने का निमंत्रण देते रहे हैं। केन्द्रीय गृह सचिव नकाबपोश लोगों के साथ फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। क्या यह कायरता का सूचक नहीं है। उसके बावजूद सरकार को जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता होने की उम्मीद है जो हमारी भूमि पर कारगिल घुसपैठ के जिम्मेदार हैं। यदि माननीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जाने की इतनी ही इच्छा है तो उन्हें इसे श्री जसवंत सिंह या सुषमा स्वराज को अंतरित कर देना चाहिए। पाकिस्तान छल-कपट की भाषा समझता है, मेरे विचार से कूटनीति, विश्वासघात और छल-कपट के सिवा कुछ नहीं है। सुषमा जी भले ही कूटनीति में इतनी दक्ष नहीं है, किंतु वह निश्चित ही बड़ी चतुर हैं। आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से दिखाया है जब उनके द्वारा दिए गए एक वक्तव्य से जनरल मुशर्रफ निरुत्तर हो गए और मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। मैं सोमनाथ जी से कहना चाहता हूं कि मैं उनका बहुत आदर करता हूं, इसलिए उन्हें सरकार को गलत नीतियां अपनाने के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ...(व्यवधान)। यद्यपि मुझे शुरू में लगता था कि माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जब मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पता करने गया तो उनकी मंशा जानकर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। उस समय मैं जोश में आ गया था कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि आगरा सम्मेलन के पश्चात् वह बिल्कुल ही बदल गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और इस संबंध में अपने विचार को किसी के प्रभाव में आकर मत बदलिए। मैं कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दोनों प्रयास, चाहे वह आतंकवादियों के साथ वार्ता का निमंत्रण हो अथवा मुशर्रफ को शांतिदूत का दर्जा देने का हो, असफल होने वाले हैं और देश को विनाश की ओर ले जाएंगे।

मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री आगरा शिखर सम्मेलन से सबक लेंगे और उसी गलती को फिर नहीं दोहराएंगे।

विदेश मंत्रालय की कार्य प्रणाली*

महोदया श्री वाजपेयी[†] जी ने जो भावना व्यक्त की है मैं उनका आदर करता हूं। नागालैंड में हमारे 32 पुलिस के जवान, जिसमें दो, तीन अधिकारी भी हैं, जेल के अंदर हैं। उनको जेल में भेजने से पहले जिन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया। ये लोग हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो कठिन जलवायु और दुर्गम पहाड़ियों में जमे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा विदेश मंत्रालय उनके मामले में जांच करे और इस बात की कोशिश करे कि उनको न्याय मिल सके। उनके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए।

दूसरी बात, जिसके बारे में, मैं विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण चाहता हूं, वह यह है कि चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों, चाहे माइकल स्कॉट हों, चाहे चालिहा जी हों, सभी लोग भारत सरकार की स्वीकृति से प्रारम्भ किए गए शांति मिशन के अंग हैं। वे लोग वहां पर जो काम कर रहे हैं वह भारत सरकार की स्वीकृति से कर रहे हैं और उन कठिन परिस्थितियों में वे लोग आशा से अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं। यद्यपि यह बात सही है कि शांति मिशन के एक सदस्य माइकल स्कॉट साहिब ने कुछ ऐसे काम किये हैं, जिसका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अधिक दु:खद बात यह है कि विदेश मंत्रालय के ऊपर नागालैण्ड की समस्या को हल करने की जिम्मेदारी है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री गुजराल[#] ने इसके लिए विदेश मंत्रालय को बधाई दी है, लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्रालय की कार्य करने की क्षमता है उसे देखकर मैं समझता हूं कि नागालैण्ड की समस्या को सुलझाने में अकेला एक मंत्रालय कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मेरा अर्थ यह है कि जब कोई कठिन समस्या का समाधान करना होता है तो मंत्रिमंडल को और मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए और हर एक को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज विदेश मंत्रालय इस तरह से काम कर रहा है कि किसी कठिन समस्या का समाधान करना तो दूर रहा नियमित कार्यों का निर्वाह करना भी मुश्किल जान पड़ता है। जब मैं विदेश मंत्रालय के बारे में टिप्पणी करता हूँ तो मेरा आक्षेप या संकेत किसी अधिकारी की ओर नहीं है? मेरा संकेत तो मंत्रियों की ओर है। जिस तरह से विदेश मंत्रालय के मंत्री इस सदन में उत्तर देते हैं उससे हमें आश्चर्य होता है। विदेश मंत्रालय को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया है परन्तु उसकी कार्यक्षमता को देखकर ऐसा लगता है कि वह अन्यों के लिए कोई अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहा है।

अभी पिछले दिनों नागालैण्ड की समस्या के बारे में जब चर्चा हो रही थी तब मैंने तीन बार माननीय उपमंत्री महोदया का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि हिंदुस्तान और बर्मा की सीमा के बीच आने-जाने में कोई रोक नहीं है? क्या सीमा के दोनों ओर के नागरिक बे-रोक-टोक आ जा सकते हैं?

*'विदेश मंत्रालय की कार्य प्रणाली' विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए: राज्य सभा वाद-विवाद, 31 मार्च, 1965, कॉ. 5239-5234 (मूल हिन्दी में)

[†] श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य

[#] श्री इन्द्र कुमार गुजराल, संसद सदस्य

मेरे तीन बार चेतावनी देने के बाद भी माननीय उपमंत्री महोदया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सात दिन के बाद एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ऐसी परंपरा है। जब मैंने माननीय सभापति का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया, तो सभापति महोदया ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जाँच करेंगे और माननीय मंत्री से कहेंगे कि वे इस बारे में वक्तव्य दें। लेकिन आज तक विदेश मंत्रालय की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। आज भी जब मैंने विदेश मंत्री जी का ध्यान एक प्रश्न की ओर खींचा और कहा कि मामला गंभीर है, तो इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें गंभीरता क्या है? मैं मानता हूं कि वे सरकार के एक उच्च पदाधिकारी हैं लेकिन इस सदन के अंदर जब कोई सदस्य एक बात कहता है तो उसका एक महत्व होता है। महोदया, मैं आपका ध्यान उस प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसको लेकर हमारे मंत्री जी आज इस सदन में यह बिल लाये हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय की काम करने की क्या क्षमता है। 19 मार्च को जब राज्य मंत्री जी अपना बयान दे रही थीं, तो मैंने प्रश्न पूछा था और अगर आप अनुमति दें तो मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ:

यह बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं विदेश मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री से और स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या यह सही नहीं है कि पासपोर्ट अधिकारियों ने प्रक्रिया पर आपत्ति की थी और उन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को ऐसे पासपोर्ट नहीं देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं किया है। देश में यह निर्णय उच्चतम स्तर पर लिया गया था और देश के सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रक्रिया नियमों में छूट दी गई। यदि ऐसा है तो, किस कारण से ऐसा किसा गया और इसमें कौन सी राजनीतिक बात शामिल थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला भारत के बाहर भारत-विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं? क्या सरकार का इरादा ऐसे व्यक्ति को लीक से हटकर पासपोर्ट प्रदान करने का है, जो भारत-विरोधी प्रचार में शामिल हो? क्या यह राजनीतिक स्वार्थपरायणता है जिसके द्वारा सरकार को मार्गदर्शन मिलेगा?

महोदया? आपने आगे और स्पष्टीकरण माँगा था।

माफ कीजियेगा, उप-सभापति महोदया, फिर आपने कहा।

'क्या यह आम परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति कॉलम में इस प्रकार अस्पष्ट ढंग से जानकारी भर सकता है?'

फिर श्रीमती लक्ष्मी मेन जी क्या कहती हैं:

'नहीं, यह आम परंपरा नहीं है क्योंकि कॉलम में विशेष रूप से पूछा गया है कि क्या आप जन्म, पंजीकरण, देशीकरण, इत्यादि के द्वारा नागरिक हैं? उस कॉलम में शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों ने लिखा है: कश्मीरी मुसलमान। मामला मंत्रालय को भेजा गया था। मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ने इसे राष्ट्रमंडल सचिव, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के पास भेज दिया था। उनके प्राधिकारी के अंतर्गत पासपोर्ट प्रदान किया गया था।'

मैं आपसे कहता हूं, महोदया, कि यह इस सदन का अपमान है कि जानबूझकर विदेश मंत्रालय के दो मंत्री मिल-जुल कर इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध और इस सदन की मर्यादा का ध्यान किये बिना ऐसा उत्तर देते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि अपने वक्तव्यों को सुधार लीजिये, तो हम को गंभीरता दिखाई जाती है और हम को यह सिखाया जाता है कि कौन सा मामला कितना गंभीर है।

मैं आपसे कहूँगा, महोदया कि चाहे कोई विधेयक पास कर लिया जाये, चाहे कोई अधिकार इस विदेश मंत्रालय को दे दिए जायें, इस निष्क्रियता, इस अक्षमता, इस अज्ञान के साथ अगर यह मंत्रालय कार्य करता रहा, तो विदेश की बड़ी समस्याओं को छोड़ दीजिए, नागालैण्ड की समस्या या अन्य कोई छोटी से छोटी समस्या कभी भी सुलझने वाली नहीं है। इसलिए मैं विदेश मंत्री महोदया से कहूंगा कि यदि वे चाहते हैं कि अच्छी तरह से और सही ढंग से यह मंत्रालय काम कर सके, तो वे अपने मंत्रालय में कम से कम मंत्री स्तर पर कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की प्रणाली में परिवर्तन करें।

धन्यवाद।

राष्ट्रमंडल : भारत की सदस्यता*

उप सभापति महोदया, मैं अपने मित्र श्री मोहन धारिया को इस सभा के समक्ष यह संकल्प लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं इस संकल्प के लिए अपना पूर्ण सहयोग देकर स्वयं को सम्मानित महसूस करता हूं। पुरानी पीढ़ी के कतिपय लोगों हेतु यह काफी भावनात्मक हो सकता है। परंतु मुझे यह बताने में गर्व होता है कि 1949-50 के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा छात्रों के रूप में, हमने भारत द्वारा राष्ट्रमंडल में प्रवेश के विचार का विरोध किया था और यहां तक कि उस समय भी हमने बिना किसी समान उद्देश्यों के कतिपय राष्ट्रों के इस नए समुदाय के गठन को समुचित नहीं समझा और यहां तक कि उस समय भी यह चर्चा उठी थी। परंतु राष्ट्रमंडल में प्रवेश का औचित्य क्या था? विदेश मंत्रालय मेरी बात मानेगा– उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश और सरकार के नेताओं को दलील दी थी कि विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण है, कि भारतीय उप-महाद्वीप का विभाजन नहीं होना चाहिए और यदि हम भारत और पाकिस्तान के मध्य निकट संबंध चाहते हैं तो एक संपर्क माध्यम होना चाहिए। महात्मा गांधी, जो एक संत थे, ने सोचा कि ब्रिटिश लोगों की उदारता हमारी मदद करेगी और हम ब्रिटिश कूटनीति के माध्यम से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रख सकेंगे। न केवल वह बल्कि पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इस प्रस्ताव पर सहमत थे। जब 14 नवम्बर को मैं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भाग ले रहा था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि पंडित जी को विश्वास नहीं था कि कोई उनसे कभी झूठ भी बोल सकता है। वह काफी उदार काफी बड़े दिलवाले थे। वे हमेशा सोचते थे कि उन्हें जो भी आश्वासन दिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू महान राजनयिक, उदार व्यक्तित्व वाले थे, जो इतिहास में यदा-कदा ही जन्म लेते हैं, साम्राज्यवादियों के शब्दों में विश्वास कर बैठे। परंतु, मेरा निवेदन है कि महोदया, प्रायः कतिपय राजनेता भी साम्राज्यवाद के वास्तविक निहितार्थ को समझने में असफल हो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को उदारतापूर्वक ब्रिटिश उद्देश्यों में विश्वास था। आज भी सन् 1965 में 18 वर्षों के तमाम अनुभवों के साथ इस देश के कतिपय लोग जो यह कहते हैं कि संयम होना चाहिए, उनकी दलील है कि ब्रिटिश लोग उतने बुरे नहीं हैं जितने कि हम मानते हैं और यह भी कि ब्रिटेन में भी अच्छे लोग हैं। अब महोदया, इस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्र का रुख क्या रहा है?

यदि आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रवैये को समझना चाहते हैं तो आपको स्कॉटलैंड के किसी गांव में जाना होगा, वहां कोई भी स्कॉटिश व्यक्ति सही परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश इतिहास की व्याख्या बताएगा। दो सौ वर्षों तक स्कॉटलैंड युनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन का हिस्सा बना रहा किंतु इन अंग्रेज लोगों ने स्कॉटलैंड को माफ नहीं किया। महोदया, पिछले जून में मैं जब स्कॉटलैंड में था और मैंने एक युद्ध स्मारक का दौरा किया तो मुझे तब घोर आश्चर्य हुआ जब स्कॉटिश सूचना अधिकारी ने मुझे उस स्मारक पर थूकने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों करूं? उन्होंने कहा कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रवैये की भर्त्सना है जो उन्होंने यहां आक्रमण किया और हमारे देश को अपने अधीन कर लिया। ब्रिटेन के प्रति स्कॉटिश लोगों का रवैया यही है।

* * * * * * * * *

* भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ने के संबंध में संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए। राज्य सभा वाद-विवाद 3 दिसम्बर, 1965, कॉ. 3678-3684

ऐसा क्यों? क्योंकि वे उनके नजदीक हैं, वे समझते हैं कि ब्रिटिश लोग क्या हैं। वे समझते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद क्या है?

मेरे मित्र श्री मल्का गोविन्द रेड्डी लेबर पार्टी के समाजवाद की बात करते हैं। मैं सदा ही ब्रिटिश लेबर पार्टी का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। किंतु युनाइटेड किंग्डम में एक महीने के प्रवास के दौरान मुझे कोई भी ऐसा ब्रिटिश नहीं मिला जो भारत समर्थक हो। मैंने संसद के कई सदस्यों के साथ चर्चा की। मैंने बी.बी.सी. के लोगों के साथ बातचीत की। कुछ लोग कहते हैं कि बी.बी.सी. पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। वे कहते हैं कि बी.बी.सी. के लोग निष्पक्ष होते हैं। महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस एक महीने के दौरान उन्होंने भारतीय संसद में दिए गए केवल दो भाषणों को वहां की हर उस बैठक में उद्धृत किया जहां मैं गया चाहे वह सरकारी समारोह हो या प्रेस के सदस्यों द्वारा आयोजित बैठक अथवा अन्यों द्वारा आयोजित बैठक। वे दो भाषण क्या थे? एक भाषण था डॉ. राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया भाषण जहां उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू के 'भाग्यशाली कुत्ते' के बारे में कहा था और इसे मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली थी तथा अन्य वाक्य श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा कहा गया था, 'हम अनिर्णय के कैदी हैं'। ब्रिटिश राजनेताओं को केवल दो भाषणों के बारे में जानकारी थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा डॉ. लोहिया को दिये गये उत्तर को कभी उद्धृत नहीं किया गया। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा श्रीमती पंडित को दिए गए उत्तर को ब्रिटिश अखबार ने कभी प्रकाशित नहीं किया।

न केवल इस अवसर पर कच्छ के रण में क्या घटित हुआ था? उस समय प्रधानमंत्री का सम्मेलन लंदन में चल रहा था। भारत से युनाइटेड किंग्डम जाते समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि वे पाकिस्तान के साथ सहअस्तित्व और भाईचारे का रिश्ता चाहते हैं। उनके भाषण को किसी भी ब्रिटिश अखबार में जगह नहीं मिली। दूसरी ओर, पाकिस्तान का यह वक्तव्य कि भारतीय सैनिक मक्खियों की तरह भाग रहे थे, को मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली। जब मैंने बी.बी.सी. के निदेशक का ध्यान इस ओर खींचा तो उन्होंने कहा कि यह निर्णय करने में भूल रही होगी। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये ब्रिटिशवासियों की ओर से केवल अज्ञानता रही होगी?

महोदया, ब्रिटिश संसद सदस्य यह दलील दे रहे थे कि भारत में कोई मुस्लिम नहीं है। जब मैंने उन्हें बताया कि भारत में पांच मिलियन मुस्लिम हैं, तो उन्होंने कहा, "क्या ऐसा है?" क्या आप मानते हैं कि ब्रिटेन जैसे बुद्धिमान राष्ट्र को सामान्य इतिहास की जानकारी नहीं होगी? किंतु वे इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना चाहते हैं। इसका कारण क्या है?

महोदया, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इस तथ्य के साथ कभी सामंजस्य नहीं बैठाया कि यह उपमहाद्वीप आजाद हो चुका है। वे महसूस करते हैं कि पाकिस्तान का निर्माता वही है और इसलिए उसका समर्थन किसी भी कीमत पर किया जाए।

आज सुबह यहां कतिपय मित्र कह रहे थे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री विल्सन ने अपने भाषण में कभी यह नहीं कहा कि भारत एक आक्रमणकारी राष्ट्र है। महोदया, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे ब्रिटिश सूचना सेवा बुलेटिन की प्रति प्राप्त नहीं हुई। उस बुलेटिन में अवतरण चिह्न में श्री विल्सन के वक्तव्य को उद्धृत किया गया है कि "यह आक्रमण है। लाहौर के इलाके तक हमारी सेनाओं के पहुंचने के पश्चात्" मुझे शब्दशः याद नहीं है किंतु उसका अर्थ यही है।

केवल इतना ही नहीं, जब चीन ने 1962 में भारत को एक चेतावनी दी, तो इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे भारत की सहायता करेंगे। इस बार अमेरिका ने कहा कि वह मामला

गंभीर था और वे भारत सरकार की सहायता करेंगे। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री विल्सन की क्या प्रतिक्रिया थी? श्री विल्सन ने कहा कि, "हम परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं और हम अपने विचार तब देंगे जब ऐसी परिस्थिति विकसित होगी? महोदया, जब चीन ने आक्रमण किया, वे अनिश्चित नहीं थे, तब भी उन्होंने इस देश को स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं दिया, तो हमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में क्यों शामिल होना चाहिए? महोदया, मैं सत्यता, संयम और सज्जनता की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछता हूं कि हम प्रति वर्ष लंदन क्यों जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि हम ब्रिटिश मुकुट को गौरवान्वित करते हैं और उस मुकुट के प्रधानमंत्री इस देश को नीचा दिखाते हैं।

जब प्रधानमंत्री की वार्ता लंदन में चल रही थी तो संपूर्ण ब्रिटिश प्रेस भारत-विरोधी प्रचार से भरी पड़ी थी। किसी भी आदमी ने यह नहीं कहा कि भारत में कुछ अच्छा हो रहा है। मैं सभा में किसी को भी चुनौती देता हूं कि मुझे ब्रिटिश प्रेस की एक भी कतरन दिखाएं जिनमें भारत के पुनर्निर्माण संबंधी प्रयासों, हमारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भारत के प्रयासों को कहीं भी प्रकाशित किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए माफ नहीं किया है।

महोदया, मैं आपका ध्यान इस भावनात्मक कारण के सिवाय अन्य कारक की ओर दिलाना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि इंग्लैंड अकेला नहीं है; 22 अन्य राष्ट्र भी हैं। लेकिन इन 22 राष्ट्रों की क्या स्थिति है? 86 मिलियन जनसंख्या के साथ चार श्वेत राष्ट्र, सभी परिष्कृत वैज्ञानिक विकास, सभी आधुनिक तकनीक, जीवन की सभी सुख-सुविधाओं से सम्पन्न राष्ट्र हैं, जबकि 640 मिलियन लोग अफ्रीकी-एशियाई देशों में रह रहे हैं जो कि रंग-बिरंगे लोग हैं और अब भी गंदगी, गरीबी और बीमारी के बोझ के नीचे कराह रहे हैं। राष्ट्रमंडल ने इन 640 मिलियन लोगों के लिए क्या किया? महोदया, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, मेरे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं।

*वे कहते हैं कि आर्थिक प्रश्न शामिल हैं। आर्थिक प्रश्न क्या हैं? आर्थिक प्रश्न ब्रिटिश लोग हैं, जिनकी परिसंपत्तियां यहां हैं। क्या आपको पता है कि विदेशों में ब्रिटिश परिसंपत्तियों की औसत कमाई कितनी है? औसत कमाई 7 प्रतिशत है, लेकिन भारत में वे 9.4 प्रतिशत कमाते हैं।

भारत में वे 9.4 प्रतिशत कमाते हैं, जबकि पाकिस्तान में वे अपनी कुल परिसंपत्तियों पर केवल 3.2 प्रतिशत कमाते हैं। यह स्थिति का आर्थिक पहलू है। यदि आप बाह्य सहायता के बारे में सोचें तो।

हाँ** बाह्य सहायता में भी 50 प्रतिशत अमेरिका से आता है। यदि आप विश्व बैंक और यू.एन. फंड की बात करें तो बमुश्किल 11 प्रतिशत यू.के. से आता है। हर बार जब आप ये सहायता लेते हैं, हर बार बदनामी होती है। क्या आप इसे सहने को तैयार हैं? क्या आप हर बार ये अपमान करवाने को तैयार हैं? मुझे ब्रिटिश लोगों के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन, महोदया, मैंने आपके माध्यम से इस सभा में ये बात रखी कि किस लिए हम राष्ट्रमंडल में हैं? सिर्फ हर पल अपमानित और बेइज्जत होने के लिए, जब भी इस देश के सामने संकट आए? मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप यू.के. के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाते हैं तो बमुश्किल हमारे कुल निर्यात का 31 प्रतिशत यू.के. को जाता है और हम क्या आयात करते हैं?

---

* श्री आर.पी. सिन्हा के प्रश्न का उत्तर "कितने वर्ष बीत चुके हैं।"

** श्री आई.के. गुजराल द्वारा की गई टिप्पणी के उत्तर में, "जिसे भी रोक दिया गया है।"

यू.के. से केवल 18 प्रतिशत आयात किया जा रहा है और यदि हम विस्तार में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हम एक लाभदायक स्थिति में नहीं हैं। यदि आप अलग-अलग व्यापार समझौतों पर विचार करें, तो आंखें खुलेंगी। मुझे नहीं मालूम कि कुछ सदस्यों ने यू.के. की एक कंपनी के साथ समझौते का अध्ययन करने का कष्ट उठाया है। भारत सरकार ने 1949 में यू.के. में एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया कि कंपनी बंगाल में कहीं केवल विनिर्माण कारखाना लगाने में हमारी सहायता करेगी और उस समय समझौता यह हुआ था कि यदि अगले बीस वर्षों में हम अपनी पूरी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन नहीं कर सके, तो शेष 25 प्रतिशत को ब्रिटिश कंपनी से आयात किया जाएगा। आज स्थिति यह है कि हम दोगुनी कीमत चुका रहे हैं। जिसे हम स्विट्जरलैंड या जर्मनी से आधी कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे 1949 में इंग्लैंड से किए गए समझौते के कारण दोगुनी कीमत पर प्राप्त कर रहे हैं और यह समझौता न सिर्फ एक निजी समझौता है अपितु ब्रिटिश डाकखाने के लोग इसमें सम्मिलित हैं और उनके प्रमाणपत्र और उनके आश्वासन पर हम इसे दोगुनी कीमत पर खरीदते हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों ने इसे उजागर किया है। इस स्थिति में यदि कुछ लोग यह कहना चाहते हैं कि हमें राष्ट्रमंडल में सिर्फ इसलिए बने रहना चाहिए क्योंकि इसमें कुछेक बीस देश और हैं, तो क्या मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ सकता हूं कि रोडेशिया में क्या हुआ, अदन में क्या हुआ और राष्ट्रमंडल के अन्य देशों में क्या हुआ है? क्या यह सही नहीं है कि मेरे प्रतिष्ठित साथी श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने पिछले दिन ही प्रश्न उठाया था और उस समय माननीय विदेश उपमंत्री ने कहा था कि यू.के. राष्ट्रमंडल देशों के साथ परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। जहां हमारे अहम हित सम्मिलित होते हैं, वहां भी यू.के. के सरकार हमसे परामर्श करना उचित नहीं समझती और यहां ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन या यू.के. की रानी राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष हैं। किसलिए? क्या यह हमारी अवमानना या हमारी छवि खराब करने और राष्ट्रमंडल के साथ हमारे संबंध का लाभ उठाने के लिए है और पाकिस्तान की मदद के लिए? मैं पूरे सम्मान के साथ इस सभा और विशेषकर विदेश मंत्री को बताना चाहता हूं कि एक बार उन्होंने यू.एन.ओ. में विश्व असेम्बली को कहा था, यदि आप सम्मानित ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे तो हम यहां नहीं रहेंगे; और वह बाहर चले गए थे। जब वह यू.एन. से बाहर जा सकते हैं तो इस मृत संगठन राष्ट्रमंडल से बाहर जाने में क्या परेशानी होगी? इस दलील के साथ मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि विदेश मंत्री इस समीकरण पर गंभीरता से विचार करें और मुझे आशा है कि वे मेरे मित्र द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर सहमति जताएंगे।

पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन*

मैंने 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव की यात्रा की। इस सम्मेलन का परिणाम माले घोषणा और सम्मेलन के अंत में जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में अंतर्विष्ट किया गया है। इन दस्तावेजों की प्रतियां सभा पटल पर रखी गई हैं।

मालदीव में मेरे प्रवास के दौरान मेरी बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति इरशाद, मालदीव के राष्ट्रपति गयूम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति विजयतुंगा के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं हुई। मुझे माले में भूटान के महामहिम सम्राट और नेपाल के प्रधानमंत्री भट्टराई से भी मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु उनके साथ द्विपक्षीय वार्ताएं सम्मेलन के तुरन्त पश्चात् नई दिल्ली में उनके आगमन के बाद ही हो पाई।

भारत ने इस सम्मेलन और इसकी पूर्व बैठकों में अनेक पहलों की शुरुआत की, जिन्हें स्वीकार किया गया और इन्हें माले घोषणा और संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में दर्शाया गया है।

हमारे सुझाव पर, सार्क के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग का जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है।

क्षेत्रीय परियोजना की पहचान और विकास के लिए सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंकों द्वारा वित्तपोषित किये जाने वाले एक कोष की स्थापना का हमारा सुझाव भी स्वीकार किया गया। हम इस कोष के संचालन के लिए समुचित कार्य विधियां तैयार करने हेतु इन बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन करेंगे।

भारत उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ताओं के परिणामों की समीक्षा करने और आगामी यू.एन. कांफ्रेंस ऑन इन्वायरन्मेंट एंड डेवलपमेंट में सदस्य देशों की स्थितियों का समन्वय करने के लिए सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज का भी आयोजन करेगा। यह सहमति जताई गई कि उसी मिनिस्ट्रियल बैठक में क्षेत्रीय संसाधन जुटाने के लिए एक रणनीति भी तैयार की जाएगी, जो इस क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी तथा इसे सुदृढ़ करेगी।

हमने यह भी सुझाया और इस संबंध में निर्णय भी लिया गया कि इस क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ एक आधार स्थापित करने के लिए कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए तुरन्त उपाय किए जाएं।

इस सम्मेलन में लिया गया एक प्रमुख निर्णय तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना था अर्थात् पाकिस्तान में सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भारत में सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और नेपाल में सार्क ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर। हम भारत में सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना के लिए शीघ्रता से आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

* पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 7 जनवरी, 1991 कॉ. 505-508

सार्क सम्मेलन में अनेक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की गईं। हमने इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने पर सहमति जताई। हमने अपने समाचार-पत्र संघों में व्यापक तालमेल को सुगम बनाने का निर्णय लिया। हमने 1990 को बालिका दशक के रूप में घोषित किया। हमने कुछ श्रेणी के लोगों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा सुगम बनाने के प्रयोजनार्थ एक सार्क ट्रैवल डॉक्यूमेंट की शुरुआत की। हमारे विदेश मंत्रियों ने स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति गयूम के साथ मेरी चर्चाएं अत्यंत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहीं। हमारे बीच कोई द्विपक्षीय समस्याएं नहीं हैं और हमने मुख्यत: परस्पर सहयोग वाली कुछेक प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की, जिनके संबंध में हमारे विचारों में एकरूपता थी। राष्ट्रपति गयूम ने भारत यात्रा के मेरे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। यह यात्रा शीघ्र आयोजित की जाएगी।

मैं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ताओं में उनके सकारात्मक रुख से प्रभावित था। उन्होंने दोनों देशों के बीच लगातार प्रतिकूल संबंध बने रहने की कीमत चुकाने और सहयोगात्मक संबंध कायम रखने के निहित लाभों के प्रति जागरूकता दिखाई। मैंने उनकी भावना से पूर्ण सहमति जताई और दोनों देशों के बीच भरोसा और विश्वास बहाल करने में उनका सहयोग मांगा।

मैंने पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों में आतंकवाद को सीमा-पार से मिलने वाली लगातार सहायता पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैंने इस बात पर बल दिया कि यह हमारे संबंधों में एक गंभीर अवरोध क है। हम इस पर सहमत हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच समस्त मतभेदों का शांतिपूर्वक समाधान निकाला जाना चाहिए और यह कि विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चाएं शुरू करने की प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए।

हमारी बैठक के उपरांत भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक हुई है और हमारे संबंधों में तनाव को कम करने के लिए अनेक आपसी विश्वास निर्माण के उपायों पर उनकी सहमति हुई है। उन्होंने सर क्रीक पर भू-सीमा को चिन्हित करने, तुलबुल नौवहन परियोजना और उप-आयोगों की बैठकें जैसे मुद्दों पर चर्चाएं बहाल करने के लिए एक समय-सारणी भी निर्धारित की है।

मैंने प्रधानमंत्री विजयतुंगा के साथ अपनी बैठक में श्रीलंका में चल रहे नस्लीय संघर्ष पर, जिसमें नागरिकों के हताहत होने के साथ-साथ दोनों ओर से भारी संख्या में लोगों का हताहत होना शामिल है तथा इसके फलस्वरूप भारत में शरणार्थियों के आगमन पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैंने इस पर भी बल दिया कि श्रीलंका सरकार को भारत में शरणार्थियों के आगमन को रोकने और उन्हें वापस भेजे जाने के लिए उपाय करने चाहिए और श्रीलंका में उनकी तुरन्त वापसी के लिए स्थितियां सृजित करनी चाहिए। हमने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार किए जाने की संभावना पर भी चर्चा की।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सार्क के अंतर्गत दक्षिण एशियाई सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दुहराना चाहता हूं। यह आर्थिक विकास की गति बढ़ाने, निजी और सामूहिक आत्मनिर्भरता बनाने और बहुपक्षीय वार्ताओं में शर्तों पर चर्चा करने की अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। विश्व में आर्थिक एकीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति के संदर्भ में ऐसा सहयोग और आवश्यक हो गया है। माले शिखर सम्मेलन की कई उपलब्धियां हैं। अब सार्क विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों,

जैसे व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, धन, वित्त और पर्यावरण में सहयोग के लिए तैयार है। इन नये क्षेत्रों में विश्वासपूर्वक आगे बढ़ने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। भारत अपने आकार, संसाधनों और विकास के स्तर के अनुरूप आवश्यकतानुसार, सार्क को क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रभावी और संपूर्ण उपक्रम बनाने के लिए जिम्मेदारियां उठाता रहेगा और आवश्यकतानुसार त्याग भी करता रहेगा।

अमरीकी विमानों में ईंधन भरना*

अध्यक्ष महोदय, हमने इस विषय पर व्यापक चर्चा की थी। यह मुद्दा पूरे देश से संबंधित है। न केवल पूरा राष्ट्र, बल्कि पूरा विश्व इस मुद्दे पर हमारे राष्ट्र की ओर देख रहा है।

मैं यह भी जानता हूं कि हमारे कुछ माननीय सदस्य इस बारे में चिंतित हैं। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं पूछे गए प्रश्नों के ब्यौरों में नहीं जाऊंगा। मैं विगत में जाने से बचूंगा। मैं किसी अन्य व्यक्ति या सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरा यह मानना है कि जो कुछ हुआ है वह सरकार की जिम्मेदारी है। बात केवल यह है कि मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों ने उठाया है। अन्यथा, यह माना जाएगा कि मैं कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा हूं।

सबसे पहले मैं माननीय श्री नरसिंह राव द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख करूंगा। मैं इस सभा को हमारे देश में अमरीकी विमानों को दिए गए निर्बाध मार्ग के बारे में यह बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है कहीं भी किसी सरकार के लिए कोई निर्बाध मार्ग नहीं है। उस समय यह निर्बाध मार्ग क्यों दिया गया, मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता और मुझे विगत की घटनाओं के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है।

मैं अपने मित्र श्री गुजराल को एक बात बताना चाहता हूं। वह यह जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में यह व्यावहारिक है कि ऊपर से उड़ने वाले प्रत्येक विमान को बीच में उतरने (ट्रांजिट लैंडिंग) की अनुमति है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बीच में उतरने (ट्रांजिट लैंडिंग) की सुविधा संबंधित देश को इस बात की जांच करने की सुविधा प्रदान करती है कि उस विमान विशेष में क्या हो रहा है। माननीय नरसिंह राव ने इस बात पर बल दिया था। यदि आप निर्बाध मार्ग प्रदान करते हैं और बीच में उतरना अनिवार्य न हो तो मेरी राय में यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों अथवा अति महत्वपूर्ण सैन्य कर्मी, जिनकी गतिविधि के बारे में पूर्व सूचना हो, को ही निर्बाध मार्ग दिया जाता है। यह एक परंपरा है। मुझे राजनय की परंपराओं और बारीकियों की बहुत अधिक जानकारी नहीं है परंतु, पूरे विश्व में यह एक नेमी प्रक्रिया है। न केवल अमरीका, बल्कि अन्य अनेक देशों के संबंध में ऐसा किया जा रहा है। हम लगभग सभी देशों को ये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं — चाहे वे किसी एक ब्लाक के हों या किसी अन्य ब्लॉक के। इसका हमारे गुट-निरपेक्ष होने से कोई संबंध नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा है, जिसका पालन यह देश काफी समय से कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब कभी हम अपने हवाई क्षेत्र में किसी विमान को उड़ने की अनुमति देते हैं तो हम उसका किसी एक स्थान पर उतरना अनिवार्य बनाते हैं और उसे मार्ग में उतरना (ट्रांजिट लैंडिंग) कहते हैं। उन विमानों को ईंधन की सुविधा प्रदान करना भी अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि यदि कोई विमान उतरता है तो इसे ईंधन की सुविधा प्रदान करनी होती है और प्रत्येक देश यह

* "अमरीकी विमानों को ईंधन प्रदान करने की सुविधा बंद करने के बारे में समय पर निर्णय लेने में सरकार की असफलता" विषय पर स्थगन संबंधी प्रस्ताव का उत्तर देते हुए। लोक सभा वाद-विवाद, 22 फरवरी, 1991, कॉ. 563-574

सुविधा देता है। हमारे विमान और वायु सेना के विमान संभवत: इस समय 24 या 20 देशों के हवाई क्षेत्र में उड़ रहे हैं और हम यह सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं, जिनसे हम मार्ग में उतरने (ट्रांजिट लैंडिंग) के लिए नहीं कहते, परंतु, अमरीका के साथ ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सही है कि खाड़ी में ऐसी स्थिति बन रही थी और सब यह जानते थे कि वहां युद्ध जैसी स्थिति थी। हम यह भी जानते थे कि स्थिति और बदतर हो सकती है और युद्ध हो सकता है और इसलिए हमने उन्हें यह अनुमति दी। हमने उनसे यह गारंटी ली की कोई भी घातक हथियार नहीं ले जाया जायेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने इस तरह की गारंटी पर जोर दिया है। मैं इस संबंध में बड़े दावे नहीं करना चाहता। परंतु, ऐसा किया गया और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार इस पर सहमत हो गई।

अन्य प्रश्न जो कि बहुत संगत है और जिस पर मैं श्री नरसिंह राव जी से सहमत हूं कि वह सामान्य स्थिति या शांति के समय था। जिस समय युद्ध आरंभ हुआ, उसी समय उसे बंद कर दिया जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि मैंने हमारी पुरानी नीतियों में कोई गंभीर परिवर्तन नहीं देखा, मैंने पुरानी परंपराओं या पुरानी प्रथाओं जिनका गत 40 वर्षों के दौरान पालन किया गया है, में भी कोई परिवर्तन नहीं देखा। मैंने हमारे निर्गुट आंदोलन के लिए भी कोई खतरा महसूस नहीं किया और न ही हमने किसी पक्ष से हमारे किसी पक्ष के प्रति झुकाव के बारे में लोगों के मन में कोई शंका देखी है। इसका हमारी निर्गुट नीति से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा यह कहना है कि भारत सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों के आधार पर कुछ निश्चित लचीलेपन के साथ नि:संदेह निर्गुट आंदोलन से जुड़ी हुई है और प्रारंभ से ही यह परंपरा रही है। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने 1962 और 1971 में जो हुआ उसका उल्लेख किया। वह युद्ध क्षेत्र में थे। वह इसके बारे में अधिक जानते हैं। मैं नहीं जानता। इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। उन दिनों इन सब पर श्री दिनेश सिंह का नियंत्रण था। उन्हें इसकी जानकारी होगी। अत: यह कहना उचित नहीं होगा कि उस समय हमारी नीति में लोगों को उड़ान भरने या ईंधन भरने या ऐसे कार्य करने या समायोजन करने की अनुमति नहीं थी। परंतु, किसी भी समय किसी सरकार के साथ कोई समझौता नहीं था। वह केवल एक परंपरा थी, जिसका पालन किया जा रहा था और किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस देश में यह राय बनती हुई देखी कि ईंधन देने की सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए, तो मैंने तुरंत विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई। और मैंने उन्हें बताया कि "यदि आप चाहते हैं, तो मैं उन्हें आज ही इसे बंद करने के लिए कह सकता हूं।" परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में यह नहीं किया जाता। मेरे मित्र श्री आई.के. गुजराल, श्री नरसिंह राव और श्री दिनेश सिंह यह जानते हैं। यहाँ केवल इतना कहना ही काफी नहीं है "मैं आपको अनुमति देता हूं" "मैं आपको अनुमति नहीं देता" क्योंकि इससे पुन: राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। हम केवल यह कह सकते हैं कि स्थिति ऐसी है कि यदि आप इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यह बेहतर होगा। जैसे ही मुझे न केवल सभा के सभी वर्गों बल्कि सभा के कुछ खास वर्गों की राय के बारे में पता चला तो मैंने तुरंत अमरीकी सरकार को यह जानकारी दी कि उन्हें इसे बंद कर देना चाहिए। इसमें कुछ समय लगता है। यदि उसमें मेरी कोई गलती है तो आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। परंतु, मेरे कुछ मित्र मुझ पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इससे मुझे दुख होता है अध्यक्ष महोदय, जब श्री गुजराल साहब ने यह कहा कि क्या इस सरकार द्वारा निर्णय लिया जा रहा है या कुछ गैर-संवैधानिक प्राधिकारी इस सरकार को निर्देश दे रहे हैं। श्री गुजराल और मैं काफी लंबे समय से मित्र रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि श्री गुजराल को किसी समय गैर-संवैधानिक

प्राधिकारियों से निर्देश मिल रहे होंगे। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी गैर-संवैधानिक प्राधिकारी से कोई निर्देश नहीं लिया है। मैं इस सभा में निजी मामलों को नहीं उठाना चाहता.....यदि यह मामला श्री आई.के. गुजराल द्वारा नहीं उठाया गया होता, तो मैं इस निजी मामले को नहीं उठाता। श्री आई. के. गुजराल, जिन्हें मैं लंबे समय से जानता हूं और जिनका मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूं और वह मुझे काफी समय से जानते हैं, के अलावा मैं किसी अन्य व्यक्ति की टिप्पणी पर ध्यान नहीं देता। मुझ में कुछ कमियां हो सकती हैं, उनके जितनी समझदारी नहीं हो सकती है, या विदेश नीति का सूक्ष्म भेद नहीं हो सकता है, परन्तु एक चीज जिसका मेरे पास अभाव नहीं है, वह है–साहस। इसीलिए, जब किसी ने पूछा कि क्या हमने वह सुविधा प्रदान कर दी है, मैंने कहा, हां। अध्यक्ष महोदय, मैं उस मामले को वहीं छोड़ना चाहूंगा।

मेरे मित्र श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा दूसरा प्रश्न उठाया गया और वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि क्या भारत सरकार गोर्बाचेव फार्मूला के संबंध में कुछ कर रही है या वे सो रहे हैं। श्री गुजराल ने भी वही कहा था — वे एकदम सजग थे और हम सो रहे थे। परन्तु, मुझे यह ज्ञात नहीं था। पिछले एक महीने के दौरान, मैंने श्रीमान गोर्बाचेव से पांच बार विचारों का आदान-प्रदान किया। यहाँ तक कि आज भी, इस समय भी, हम उनके साथ निरंतर संपर्क में हैं। इसका अर्थ उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं है, बल्कि सोवियत संघ की सरकार से है। संयुक्त राष्ट्र में हमारा स्थायी प्रतिनिधि, कल या परसों से, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों और गुट-निरपेक्ष आंदोलन के देशों के संपर्क में यह देखने के लिए है, कि हम सुरक्षा परिषद की सत्ता को पुनर्स्थापित कर सकें और शांति प्रस्ताव कुछ लोगों के लिए ही न छोड़ें। हमने यह बात स्पष्ट ढंग से और सुनिश्चित रूप से कही है कि हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन करते हैं। केवल यही नहीं, बल्कि हम सभी उपाय, सभी पहल कर रहे हैं; मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। पिछले एक महीने के दौरान, सभी महत्वपूर्ण देशों के दूतों, जो सद्दाम हुसैन का समर्थन कर रहे हैं, ने दिल्ली का दौरा किया और मेरे साथ विचार-विमर्श किया। उनमें से कोई भी उतना मुखर नहीं था, जितना मुखर मेरे मित्र श्री गुजराल हैं।

*** *** ***

*हाँ, खशोगी से भी मिला था। वे आपकी नजर में एक कूटनीतिज्ञ हैं परन्तु मेरी नजर में नहीं। मैं कई खशोगियों से मिला। परन्तु मैं खशोगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अराफात के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अल्जीरिया के राष्ट्रपति के दूत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं चीन के प्रधान मंत्री के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ईरान के राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा हूँ और मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस मामले में चिंतित हैं और जिनका इस मामले से संबंध है।

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हम सद्दाम हुसैन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और हमने सद्दाम हुसैन से संबंध खराब कर लिया है। मैं सुस्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि फिलीस्तीन के प्रश्न पर हमारा रुख पहले जैसा ही है और मैंने सभी को कहा है कि फिलीस्तीन के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमने यह भी कहा कि इराक के साथ हमारी मित्रता बरकरार है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मिस्र में जब इराकी दूतावास बंद हो गया, तो इराक के राष्ट्रपति ने केवल भारत, एक दुश्मन देश, को ही इराक के हितों का ध्यान रखने के लिए चुना। स्थिति ऐसी है। परन्तु, यदि लोग सोचते हैं कि वक्तव्य देना या सख्त शब्दों को खोजने का प्रयास करना या दोषारोपण के इशारों का उल्लेख करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंग है, तो मुझे ऐसा नहीं आता।

* एक माननीय सदस्य के प्रश्न, "क्या आप खशोगी से भी मिले?" के उत्तर में।

*मुझे पता नहीं है कि श्री राजीव गांधी से आपका क्या आशय है। श्री राजीव गांधी इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने में सहायता कर रहे हैं और मैं श्री राजीव गांधी के साथ निरंतर संपर्क और बातचीत और विचार-विमर्श कर रहा था। यहाँ तक कि आज भी मैं कहता हूँ कि यद्यपि सरकार प्रयास कर रही है, मैं अपने स्थायी प्रतिनिधि से बात कर रहा था और मैं उप विदेश मंत्री की बात कर रहा था जो तेहरान और बग़दाद जा रहे हैं। श्री राजीव गांधी, श्री नरसिंह राव और अन्य लोगों के साथ तेहरान होते हुए कल मॉस्को जा रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकाल सकें। केवल श्री राजीव गांधी ही नहीं, बल्कि मैं श्री गुजराल से भी निवेदन करूँगा, क्योंकि उनका सद्दाम हुसैन और अन्य लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। मैं उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए तैयार रहूँगा। किसी व्यक्ति का प्रयास, जो उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में योगदान देने के लिए तैयार है, प्रशंसनीय होगा। जब मैं कहता हूँ कि मैं इस मुद्दे पर देश को नियंत्रित नहीं करना चाहता, तो मैं निष्कपट रूप से ऐसा कहता हूँ। हमारे यहाँ कई समस्याएं हैं।.....

महोदय, यदि वे मुझे नहीं समझ सकते, तो मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तर्क दे सकता हूँ और मैं तथ्यों को रख सकता हूँ, परन्तु मैं समझने के लिए मस्तिष्क नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय, श्री नरसिंह राव ने एक प्रश्न पूछा था और वही प्रश्न मेरे मित्र श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा अलग भाषा में पूछा गया। मैं नीति के प्रश्न पर आपको आश्वस्त करता हूँ कि गुट-निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है। यह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई शक्ति, चाहे कोई भी क्यों न हो, एक विशेष क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायित्व ले। यदि एक क्षेत्र में इसकी अनुमति दी जाती है तो यह हमें भी प्रभावित करेगा। हम अपने हितों के प्रति जागरूक हैं।

श्री चित्त बसु ने कहा कि हमें अमरीका की निंदा करनी चाहिए। मैंने निंदा की राजनीति नहीं की है। उनकी सरकार ऐसा करती है। मैं लोगों की निंदा नहीं करता। मैं व्यक्ति विशेष और देश विशेष के कार्यों की निंदा करता हूँ। उन्होंने समाचार पत्रों को पढ़ने की कोशिश की होती, तो उन्हें इसकी जानकारी होती। उस दिन, जब अमरीकी उप-राष्ट्रपति ने वक्तव्य दिया था कि वे परमाणु हथियारों के प्रयोग के अपने विकल्प को खुला रखेंगे, मैंने कहा था कि यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। मैंने कहा कि परमाणु हथियारों के प्रयोग की कोई बात करना और रासायनिक युद्ध की कोई बात करना, मानवता के विरुद्ध अपराध होगा। अध्यक्ष महोदय, हम इसका विरोध करते हैं। परन्तु, परिस्थिति का सामना करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध बहुत खुले तौर पर बात करनी चाहिए और कुछ लोगों की प्रवृत्ति आत्म निंदा और स्वयं पर दया करने की होती है। वे कहते हैं कि भारत कुछ भी नहीं कर पाया है और कि भारत को पीछे फेंक दिया गया है। फ्रांस के साथ क्या हुआ? चीन के साथ क्या हुआ? ईरान के साथ क्या हुआ? सोवियत संघ के साथ क्या हुआ?

*** *** ***

**यदि श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा है, वे कुछ कर भी रहे हैं। ..... परन्तु कुछ लोग केवल बातें ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यही अंतर है। यदि आप कुछ करते हैं तब आप कुछ कह सकते हैं।

* एक माननीय सदस्य के प्रश्न, "श्री राजीव गांधी के बारे में क्या सोचते हैं?" का उत्तर देते हुए।

** श्री बसुदेव आचार्य की टिप्पणी, "श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा है।" के उत्तर में।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री इंद्रजीत गुप्त जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार को सोवियत संघ द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी है? हमें कुछ जानकारी है। परन्तु, इसकी भी सीमा है। यदि सम्बन्धित सरकार यह कहती है कि यह एक गुप्त बात है, एक गोपनीय बात, तब चाहे कितनी भी कम महत्वपूर्ण बात हो, दूसरे देश के प्रधानमंत्री को इसे समाचार पत्रों को बताने की स्वतंत्रता नहीं है। यही सीमा है। परन्तु अब सोवियत संघ के लोग स्वयं ही आज तास के चंगुल से बाहर आ चुके हैं।

* * * * * * * * *

*कल? उनके प्रस्तावों का विवरण मेरे पास है। मैं अभी बिन्दुओं को पढ़ने जा रहा हूँ।

1. इराक कुवैत से अपनी पूरी सेना को बिना शर्त हटाने की घोषणा करता है।
2. युद्ध विराम के दूसरे दिन सेना हटाने का कार्य प्रारम्भ होगा।
3. सेनाओं की वापसी एक नियत समय-सीमा के अंदर होगी।
4. कुवैत से दो-तिहाई इराकी सेनाओं को हटाने के पश्चात्, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर आरोपित आर्थिक प्रतिबन्ध हट जायेंगे।
5. कुवैत से इराकी सेनाओं के हटाए जाने से अंत में, कारण ही समाप्त हो जायेगा, इसके साथ ही इसके अनुकूल संकल्पों का उद्देश्य भी समाप्त हो जायेगा, अत: वे संकल्प अब प्रभाव में नहीं रहेंगे।
6. युद्ध-विराम के तुरंत बाद, सभी युद्धबंदियों को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।
7. सेनाओं की वापसी ऐसे देशों की देख-रेख में होगी, जो प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल न हों और सुरक्षा परिषद द्वारा उन्हें ऐसा कार्य सौंपा जाए।
8. विवरण और विनिर्देश निर्धारित करने का कार्य चलता रहेगा। इस कार्य का अंतिम परिणाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को आज सार्वजनिक किया जायेगा।

यह सामने आया है।

अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक संयोग है। मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। इन आठ बिन्दुओं में से चार बातें हमारे संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि द्वारा बहुत शुरू में ही सुरक्षा परिषद में और उसके बाहर सर्वसम्मति के लिए उठायी गयी थीं। यह केवल एक संयोग हो सकता है या यह भारत सरकार का भाग्य हो सकता है। यही बात आप कह रहे होंगे।

* * * * * * * * *

**अत:, आप यह कर रहे थे। आप हमारी प्रतिक्रियाएं जानना चाहते हैं–हम इस कदम का समर्थन करेंगे। मुझे बताया गया है कि अमरीका के राष्ट्रपति को इस पर कुछ आपत्ति है। यद्यपि, मुझे बताया गया है कि एक मंच पर, उन्होंने कहा कि वे अपने मित्र देशों से चर्चा करेंगे और किसी निष्कर्ष पर आएंगे परन्तु, नीचे के स्तर पर, किसी ने कहा है कि वे सोवियत संघ द्वारा प्रस्तावित इस फार्मूले को अस्वीकार करेंगे। यह भारी गलती होगी। मैं इस सभा से अपील करता हूँ कि उस क्षेत्र में शांति कायम करने के क्रम में श्री जार्ज बुश को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए–इस अवसर को हाथ

* श्री वसुदेव आचार्य की आपत्ति, "आज नहीं, ऐसा कल हुआ था।" के उत्तर में।

** डॉ. विप्लव दासगुप्त की टिप्पणी, "निश्चित रूप से" के उत्तर में।

से नहीं जाने देना चाहिए। इससे एक अर्थपूर्ण बातचीत का शुभारंभ होगा, ताकि कुछ निष्कर्ष निकले। मुझे उनकी आपत्तियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, परन्तु मुझे नहीं लगता है कि अमरीका के राष्ट्रपति की आपत्तियों के बारे में बात करना कोई बुद्धिमानी होगी। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि वे अपने मित्र देशों के साथ विचार-विमर्श कर पायेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे क्योंकि युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती है। युद्ध में केवल मानवता पराजित होती है। यह घोर व्यथा है, यह लोगों की पीड़ा है, जो हमें इसके बारे में सोचने को मजबूर करती है। हम इसके प्रति अधिक चिंतित हैं। मिस्टर फलेरो ने यद्यपि कहा था कि हमें विशेष रूप से चिंता है, क्योंकि हमारे नागरिक इसमें शामिल हैं। आज भी कुवैत में 5000 से अधिक हमारे लोग हैं और हमें उनकी चिंता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस अंतिम घड़ी तक कुवैत से बाहर आने के लिए मना कर दिया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा कि हमने क्या पहल की; हमने यह कैसे देखने का प्रयास किया कि समय-सीमा आगे बढ़े, कुछ करना चाहिए। हमने बार-बार प्रयास किया परन्तु कुछ लोगों के मस्तिष्क में जब हठधर्मिता आती है, तो न केवल भारत की आवाज, बल्कि सोवियत संघ की आवाज, चीन की आवाज, ईरान की आवाज और श्रीमान यासिर अराफात और अन्यों जैसे बहुत मित्रवत व्यक्तियों की आवाज और यहाँ तक फ्रांसीसियों की आवाज उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि अब माहौल बदल गया है और मैं मानता हूँ कि भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि हम अरब देशों की घटनाओं के प्रति चिंतित हैं। हमारे उनके साथ लम्बे समय से सम्बन्ध हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, अन्यथा, मुझे पुनः श्री जसवंत सिंह और श्री गुजराल द्वारा उठाए गए विवाद में जाना पड़ेगा। मैं इतिहास का उतना अच्छा छात्र नहीं था परंतु, अरब देशों और विशेष रूप से इराक के साथ हमारा हाल का इतिहास सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहा है। हम कभी भी इराक का विघटन होते नहीं देख सकते। हम यह चाहते हैं कि उनकी राजनैतिक एकता और अखंडता कायम रहे। मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त यह जानना चाहते थे कि हम संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का समर्थन करते हैं या नहीं। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने रहना चाहते हैं तो हमें संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का समर्थन करना होगा। परंतु यहां प्रश्न उसकी व्याख्या का है। उसके क्षेत्र का है, आपके प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए इसका विस्तार कब तक किया जा सकता है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि उन्हें ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए हैं, को कुछ छूट देनी चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य सभी सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विश्व में हो रही घटनाओं की अधिक जानकारी है। परंतु हमारे राजदूत के कार्यालय, विदेशों में स्थित हमारे कार्यालयों और कभी-कभी आप सभी के द्वारा दिए गए उत्कृष्ट वक्तव्यों के माध्यम से जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, मैंने उसे ध्यान में रखने और आपकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। यदि उसमें कुछ खामियां हैं तो आप देश को उस मुद्दे पर क्यों बांट रहे हैं? क्या पहले ही यहां काफी समस्याएं नहीं हैं? मुझे बताया गया है कि दूसरी सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प तैयार किया गया है। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमें विश्व शांति के हित में, मानव अधिकारों के हितों में विशेष रूप से दलित और शोषित लोगों, विकासशील विश्व, विश्व के निर्धन राष्ट्रों के हित में इस समस्या के संबंध में संगठित रहना चाहिए क्योंकि वे लोग हमारी ओर आशा और उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं।

खाड़ी में स्थिति*

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध रोकने और शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा 23 फरवरी को किए गए सभी प्रयास विफल रहे। जमीन पर युद्ध आरंभ हो चुका है और पिछले दो दिन से युद्ध जारी है। इसके परिणाम वस्तुत: बहुत भयंकर होंगे। युद्ध में इराक और कुवैत पूरी तरह बर्बाद हो जायेंगे। इन दोनों देशों के लाखों लोगों के पीड़ित होने और हजारों अन्य लोगों की जान जाने की संभावना है। व्यापक जनसंहार के हथियार जिनको मैंने मानवता के विरुद्ध अपराध कहा है, के इस्तेमाल की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

सोवियत संघ की पहल पर आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक जिसमें गोर्वाचेव प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया था, के दौरान भारतीय शिष्टमंडल ने युद्ध में भाग ले रहे विभिन्न पक्षों के बीच सुलह कराने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के सभी संभव प्रयास किए। अधिकांश सदस्य देशों ने यह परिणाम प्राप्त करने हेतु एक आधार के रूप में एक दस्तावेज तैयार करने के हमारे सुझावों को स्वीकार किया। वस्तुत: एक चरण में परिषद के अध्यक्ष ने प्रारूप तैयार करने का कार्य भारत, इक्वाडोर और आस्ट्रिया को सौंपने पर भी विचार किया था। दुर्भाग्यवश, परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा अपनाए गए इस अड़ियल रवैये कि वर्तमान स्थिति में परिषद की कोई भूमिका नहीं है। परिषद के लिए चार्टर के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव हो गया। तब से परिषद पूर्णत: निष्क्रिय है। हमने परिषद को सक्रिय बनाने के लिए न्यूयार्क में अपने प्रतिनिधियों को निर्देश जारी करने के लिए परिषद के सदस्य देशों की सरकारों के साथ उनकी राजधानियों में संपर्क किया ताकि वे अपनी उचित भूमिका निभा सकें। हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। इस बीच यह देखने के लिए कि परिषद इस संबंध में क्या कर सकती है, हम न्यूयार्क में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। इनमें सबसे पहला कार्य एक निश्चित समय-सीमा में कुवैत से इराक की सेनाओं की पूरी तरह वापसी के आधार पर संघर्ष को समाप्त करना है। सुरक्षा परिषद को और अधिक समय गंवाए बिना शांति बहाल करने का यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। धन्यवाद।

*** *** ***

**यह सत्य है कि एक सुझाव यह था कि हमें सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए। इस संबंध में सभा में कुछ पक्षों को कुछ आपत्ति थी।

परन्तु, मैंने राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं से चर्चा की थी और सभी इस बात पर सहमत थे कि सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें वक्तव्य दिखाया गया और सभी राजनैतिक

* श्री सैफुद्दीन चौधरी के प्रश्न ''महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वह बहुत गंभीर मामला है। प्रात: हमने यह मुद्दा उठाया था और हम जमीनी युद्ध आरंभ होने के संबंध में अपना मत व्यक्त करने के लिए सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहते थे और इस संबंध में हमने विश्व समुदाय से अनुरोध करने का प्रयास किया ताकि युद्ध विराम हो सके, वह संकल्प अध्यक्षपीठ के पास है। उसका क्या हुआ?'' का उत्तर देते हुए।

** प्रधानमंत्री के रूप में वक्तव्य देते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 25 फरवरी, 1991, कॉ. 531-534

दलों ने उस पर सहमति व्यक्त की। मेरा यह मानना है कि गंभीर प्रकृति के इस मुद्दे पर हमें सभा में मतभेद नहीं रखना चाहिए।

#सभापति महोदय, 107 या 109 भारतीय नागरिक अभी भी इराक में हैं और हमें उन्हें तुरंत वहां से निकालने में कठिनाई हो रही है। पहले, जब उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए कहा गया था, वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। परंतु, हमारी मुख्य चिंता कुवैत के बारे में है, जहां हमारे लगभग 5000 नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। उनमें से कई युद्ध प्रारंभ होने से पहले और युद्ध प्रारंभ होने के तत्काल बाद भी भारत आने के लिए तैयार नहीं थे। आज समस्या यह है कि उन्हें वहां से बाहर निकालना यदि असंभव नहीं है तो बहुत कठिन अवश्य है। तथापि, युद्ध में शामिल देशों से, हमने अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए, यथासंभव सहायता करने का निवेदन किया है।

@यह सही नहीं है कि अन्य सभी दूतावास वहां कार्यरत हैं। किसी भी दक्षेस देश, किसी भी खाड़ी देश, पश्चिमी जगत के किसी भी देश का दूतावास वहां कार्य नहीं कर रहा है। यदि मैं सही हूं तो केवल दो से तीन देशों के दूतावास वहां हैं। मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार, हम अंतिम तीन देशों में हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को सबसे अंत में बाहर निकाला है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। केवल सोवियत संघ और क्यूबा के थोड़े बहुत कर्मचारी वहां कार्यरत हैं। हमने किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता नहीं किया है। हमने तेहरान में तैनात अपने राजनयिक कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे तेहरान से ही भारत के हितों का ध्यान रखें।

&जैसाकि आपको कुवैत की स्थिति के बारे में जानकारी है कि नागरिकों को बाहर निकालना लगभग असंभव है। हम इराक से अपने नागरिकों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभा को यह आश्वस्त नहीं कर सकता कि हम, यह कहने के लिए बहुत सुरक्षित स्थिति में हैं, कि उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि आज, जो युद्ध की स्थिति है, वे अपने घरों से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं।

प्रो. महादेव शिवंकर के प्रश्न, "सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इराक में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं?" का उत्तर देते हुए।

@ प्रो. रामगणेश कापसे की टिप्पणी, "अन्य सभी देशों के दूतावास वहां हैं और केवल हमारा दूतावास ही बंद कर दिया गया है।" का उत्तर देते हुए।

& प्रो. पी.जे. कुरियन के प्रश्न, "उन्हें यहां लाने के लिए क्या किया जाएगा? क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? कुवैत में भी लगभग 4000 लोग हैं।" का उत्तर देते हुए।

खाड़ी युद्ध, 1991*

उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर उत्तर देना चाहूंगा। इस सदन और उस दूसरे सदन के मेरे साथियों ने यह सुझाव दिया कि आज हमें खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न हो रही स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कोई संकल्प पारित करना चाहिए। आज दोपहर को मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद को हर दिन तो संकल्प पारित नहीं करना चाहिए, लेकिन उन सबके परामर्श से मैंने हाल ही में पैदा हुई खाड़ी क्षेत्र की समस्या पर दूसरे सदन में एक वक्तव्य दिया और इस मामले को, जिसे इस वाद-विवाद में उठाया गया है, उठाने से पहले मैं वही वक्तव्य इस सदन में पढ़ना चाहता हूँ। उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य पढ़ता हूँ।

'जैसाकि माननीय सदस्यगणों को जानकारी है, खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति और शांति बहाल करने के लिए 23 फरवरी को सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए सभी प्रयास लाभदायक सिद्ध नहीं हुए। मैदानी युद्ध शुरू हो चुका है और गत दो दिनों से चल रहा है। इसके परिणाम यकीनन भयंकर होंगे। इराक और कुवैत का नामो निशान लगभग मिट जाएगा। इन दो देशों के लाखों लोग पीड़ित होंगे और अनेक निर्दोष लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। जन संहार के हथियारों के प्रयोग, जिसका मैंने पहले ही मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में वर्णन किया है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोवियत संघ की पहल पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक, जिसमें गोर्बाचेव ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध में शामिल दलों के बीच गतिरोधों के समाधान के लिए तथा युद्ध की समाप्ति के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए हर संभव साधनों का प्रयास किया। अधिकांश देशों ने इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक पत्र तैयार करने के हमारे सुझाव को स्वीकृत किया। वास्तव में, एक समय पर परिषद के अध्यक्ष ने भारत, इक्वाडोर और ऑस्ट्रिया को एक मसौदा तैयार करने का कार्य देने के बारे में भी सोचा था। दुर्भाग्य से परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा वर्तमान के लिए, परिषद की कोई भूमिका नहीं है, जैसा कठोर रुख अपनाए जाने के कारण परिषद के लिए घोषणा पत्र के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को निभाना असंभव हो गया। परिषद तभी से पंगु हो गई है। हमने परिषद के सदस्य राष्ट्रों की सरकारों से उनकी राजधानियों में संपर्क किया है कि वे न्यूयॉर्क में अपने प्रतिनिधियों को परिषद को सक्रिय करने के लिए अनुदेश भेजें जिससे कि यह अपनी उचित भूमिका निभा सकें। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक हम यह देखने के लिए कि परिषद क्या कर सकती है, न्यूयॉर्क में सदस्य राष्ट्रों के सभी प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं। तात्कालिक कार्य यह है कि समयबद्ध सीमा के अंदर कुवैत से इराक की पूर्व वापसी के आधार पर शत्रुता को समाप्त करना। सुरक्षा परिषद को बिना और समय गंवाए, शांति का उपाय करना चाहिए।

उपसभापति महोदय, हम स्थिति के बारे में अतिचिन्तित हैं। जब मैं इस सदन में आया तो मुझे प्राप्त हुआ नवीनतम संदेश था – जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है – कि कुवैत में 200 तेल के कुओं

*'खाड़ी युद्ध 1991' पर चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 25 फरवरी, 1991, का. 320-333

में से करीब 100 में आग लगी थी। यह स्थिति है, हम नहीं जानते कि युद्ध मानवता को आने वाले कुछ दिनों में कहाँ ले जाएगा। यह सम्पूर्ण स्थिति है।

मैं सूचना को माननीय सांसदों के साथ, साझा करना चाहूंगा कि सभी कमियों, विभिन्न समूहों द्वारा अपनाए गए सभी अड़ियल रुखों के बावजूद भारत हर संभव मार्ग की तलाश करता रहा है और अब भी तलाश रहा है कि हमें उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कुछ शुरुआत मिले।

एक माननीय सांसद, मेरे मित्र, श्री उपेन्द्र बहुत चिंतित थे कि तेहरान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, श्री दिग्विजय सिंह या श्री राजीव गांधी। वह जानते हैं कि वहां कम से कम भारत सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्री कर रहे हैं। परन्तु दूसरे सदन में, मैंने दो दिन पूर्व कहा कि कोई भी माननीय संसद सदस्य जो उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कुछ योगदान कर सके, उनका हमेशा स्वागत है। श्री राजीव गांधी वहां ईरान के निमंत्रण पर गए हैं और सोवियत संघ के राष्ट्रपति, श्री गोर्बाचेव से भी मिले हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि शांति स्थापित करने, उस क्षेत्र में शांति लाने के लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। उसी दिन मैंने सुझाया कि यदि मेरे मित्र श्री गुजराल कुछ योगदान कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है, यही निमंत्रण मैं अपने मित्र श्री उपेन्द्र को देता हूँ। यदि वह इस स्थिति में कुछ योगदान कर सकें। हम प्रतिष्ठा पर नहीं जाते, हम औपचारिकताओं पर नहीं जाते। कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कुछ योगदान कर सकता है, उसका सरकार की तरफ से स्वागत होगा। मैं समझता हूँ की इस मामले में इस प्रकार की औपचारिकता को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसी बात को मैं स्पष्ट करना चाहता था।

एक अन्य बात यह है कि मेरे मित्र काफी उद्वेलित थे कि अमेरिका को ईंधन भरने की अनुमति देने के लिए अकेला मैं ही उत्तरदायी था। दूसरे सदन में मैंने कहा – मुझे पीछे नहीं जाना है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहूंगा – अमेरिका के जहाजों को भारत में ईंधन भरने की अनुमति देने का निर्णय भारत सरकार का था, जिसका मैं आज प्रधानमंत्री हूँ और कहीं से कोई बहाना बनाए बिना मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ परन्तु कुछ चीजें है जिन्हें तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं भूतकाल में नहीं जाऊंगा, मैं रिकार्ड में नहीं जाऊंगा कि किसने क्या किया। परन्तु भारत की स्थिति विश्व की राय में अक्षुण्ण और स्पष्ट बनाए रखने के लिए एक चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि ईंधन भरने या हमारे वायु क्षेत्रों में उड़ानों के लिए किसी भी समय इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय पर भी किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। मैं अपने मित्र श्री पी. उपेन्द्र को एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा बल्कि मैं आपकी ही बात में सुधार करना चाहूंगा। स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यदि हम किसी हवाई जहाज को हमारे वायु क्षेत्र में उड़ने की अनुमति देते हैं, तो यह परिपाटी है कि पारगमन ठहराव दिया जाना चाहिए। ट्रांजिट लैंडिंग अनिवार्य है क्योंकि तभी एक देश अपनी प्रभुसत्ता का उपयोग इस बात का निरीक्षण करने के लिए कर सकता है, कि वह क्या परिवहन कर रहा है। जब एक जहाज किसी अति विशिष्ट व्यक्ति, सरकार के प्रमुख, या सेना प्रमुख को ले जा रहा होता है तो उसका निरीक्षण नहीं किया जाता है। यह प्रथा केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में व्यवहार में लाई जाती है। मुझे मालूम नहीं है कि श्री उपेन्द्र जी क्या कहना चाहते हैं। उनको उस वक्त अपनी सरकार के कामकाज की जानकारी अवश्य होगी। मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने उस वक्त क्या किया लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ओवर फ्लाइट न्यायसंगत है कि नहीं। जब आप इसे अपने क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने की स्वीकृति प्रदान करते हैं

तो ओवर फ्लाइट गंभीर है। फिर, लैंड करने के पश्चात्, दोबारा ईंधन भरना एक सामान्य प्रक्रिया है और दोबारा ईंधन भरना कोई विशेष बात नहीं है। यदि विमान किसी विशेष विमानपत्तन पर लैंड करता है तो दोबारा ईंधन भरा जाता है और ऐसा पूरे विश्व में किया जाता है। उप-सभापति महोदय आज भी जब मैं सदन में बोल रहा हूँ, हमारी वायु सेना के विमान सामान्यत: 16 से 20 देशों में इस सुविधा के साथ उड़ान भर रहे हैं। मैं गहराई में नहीं जाऊँगा।

*** *** ***

*सेना के जनरल से मेरा तात्पर्य सेना प्रमुख से है। मेरा भाषण समाप्त होने के पश्चात् आप पूछ सकते हैं।

*** *** ***

इसलिए, महोदय, भारत को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से स्पष्ट आश्वासन प्राप्त हुआ कि वे कोई भी घातक हथियार या युद्ध का सामान परिवहन नहीं करेंगे और इसे मानवीय उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाएगा।...

†आम तौर पर निरीक्षण नहीं किया जाता।

*** *** ***

कम से कम मुझे अपना वाक्य पूरा करने दें। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह एक सभ्य तरीका है, इस वैश्विक व्यवस्था में सामान्यत: इस प्रकार की जांच नहीं की जाती है। यदि कोई संदेह है तो उस देश को ही जांच करने का संप्रभु अधिकार होता है। यही मैंने कहा है। किंतु हमारे स्वयं के हवाई जहाज ...(व्यवधान)...। जब तक कोई वास्तविक संदेह न हो हम सामान्यतया ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए मैं यह कह रहा था।

मैं केवल सच्चाई कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे सहमत हों आपकी अपनी आपत्तियां हो सकती हैं। सदस्यों को टिप्पणियां करने का अधिकार है। किंतु किसी भद्दी भाषा से स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा और यह ऐसी स्थिति नहीं है कि जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई हो। मैं यह कहता हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है। मैंने देखा कि दी जा रही रिफ्यूलिंग की सुविधा पर कुछ आपत्तियां थीं–जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि रिफ्यूलिंग एक सामान्य बात है–जब भी युद्ध हुआ तो देश के एक राजनीतिक वर्ग का यह विचार रहा कि यह सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। मैंने उस समय कहा था कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इस अंतर्राष्ट्रीय मसले पर मैं नहीं चाहूंगा कि देश में विभाजित विचार हों और यदि देश यह महसूस करता है तो हम उनके हवाई जहाजों को अपने यहां रिफ्यूल सुविधा नहीं दे सकते हैं। मैंने ऐसा किया। साथ ही संसद सत्र शुरू होने से पूर्व सभी ने यह स्वीकार किया कि अमेरिकी हवाई जहाजों को देश में रिफ्यूलिंग की सुविधा नहीं दी जा रही है। यहीं मामले का अंत हो गया। इसके पूर्व राजनीतिक दलों के सभी नेताओं के साथ मैंने बातचीत की।

किंतु उप-सभापति महोदय, मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक कठोर सच्चाई है। यह असंभव की राजनीति है। सदस्यों ने खूब मेहनत की है। मैं उनसे उस तथ्य को साझा

* डॉ. जेड.ए. अहमद के इस प्रश्न "मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य प्रमुख को बिना निरीक्षण के अनुमति है और यह सेना के प्रमुख के मामले में भी लागू होता है। इसका क्या मतलब है? आज विश्व में हजारों सेना प्रमुख हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या सेना प्रमुखों का भी कोई वर्ग है और क्या उस वर्ग को परिभाषित किया गया है या कोई भी अपने आप को सेना प्रमुख कह सकता है।...(व्यवधान)...क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है?" का उत्तर देते हुए।

† श्री वी. गोपालसामी के प्रश्न, "क्या निरीक्षण किया गया था?" का उत्तर देते हुए।

करना चाहूंगा जो गुप्त नहीं है। आज भारत सुरक्षा परिषद की बैठक पुनः आयोजित करने के लिए कह रहा है ताकि यू.एस.एस.आर. के प्रस्ताव को लागू किया जाए और हमें यू.एस.एस.आर., चीन और अन्य देशों सहित किसी से भी समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। यह जीवन की कठोर सच्चाई है। लोगों ने इस पर कार्य किया होगा। मैं आपकी भावना समझता हूं। मैं हो रही आपदा और तबाही पर चिंतित हूं। मुझे खुशी है कि सदस्यगण मानव पीड़ा के प्रति संवेदनशील हैं। किंतु हम मानव पीड़ा से तभी बच सकते हैं जब हम वास्तविक स्थिति को समझें कि यह हो रहा है। कई सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि भारत गहरी नींद में सो रहा है। मेरे मित्र श्री उपेन्द्र ने कहा कि हमने पहल नहीं की। उप-सभापति महोदय, विनम्रतापूर्वक मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि युद्ध शुरू होने से पूर्व मैंने राष्ट्रपति बुश, राष्ट्रपति गोर्बाचेव और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो गुटनिरपेक्ष के अध्यक्ष हैं, को पत्र लिखा था और उनसे कहा था कि कम से कम इस तारीख को स्थगित किया जाए ताकि युद्ध टल जाए। मुझे उत्तर प्राप्त हुआ किंतु मैं इस संदेश को साझा नहीं कर सकता हूं। लोग जिद्दी हैं। कुछ भी संभव नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? कुछ भारतीयों की स्व निंदा की प्रवृत्ति होती है कि हम लोग तो असहाय हैं, हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं, हमें नेपथ्य में फेंक दिया गया है। किंतु उप-सभापति महोदय, चीन को क्या हुआ है? ईरान को क्या हुआ है? यू.एस.एस.आर. को क्या हुआ? अन्य गुटनिरपेक्ष देशों को क्या हुआ? उन देशों को क्या हुआ जो कि रणक्षेत्र के आस-पास हैं? अरब देशों को क्या हुआ? सभी असहाय थे और उसी विवशता में भारत भी शामिल है क्योंकि कुछ लोग बहुत जिद्दी हैं। यह कहना सही नहीं है कि हमने पहल नहीं की। आज भी, जब युद्ध चल रहा है, हम यह देखने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध पर रोक लगी है क्योंकि युद्ध में, उप-सभापति महोदय, विजेता और विजित, दोनों का एक जैसा हश्र होता है। केवल मानवता को इसका दंश झेलना पड़ता है और यदि मानवता पीड़ित होती है, तो इसके प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। उप-सभापति महोदय, अरब देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। जब मैं अरब देशों की बात करता हूं तो मेरा मतलब सभी अरब देशों से है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन पर हमने अपनी स्थिति के साथ समझौता किया है। यह कौन कहता है? हमने बार-बार कहा कि हम फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुवैत की गुलामी का समर्थन करते हैं। इस संसार में किसी ने यह नहीं कहा कि फिलीस्तीन की आजादी के समर्थन के लिए हमें कुवैत की गुलामी का समर्थन करना चाहिए।

*उप-सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री उपेन्द्र के अत्यंत सकारात्मक सुझाव के लिए आभारी हूं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेता, जब वे प्रधानमंत्री थे, ने ताऊ को चीन भेजा ताकि सोचने का थोड़ा समय मिले और मुझे भी उक्त कार्य करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, यह मेरी मूल्य आधारित राजनीति नहीं है और मैं इसे नहीं अपनाऊंगा।

उप-सभापति महोदय, मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उस क्षेत्र में युद्ध रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि कुछ लोग जिद्दी बन गए हैं और मैं लोगों पर दोषारोपण नहीं करना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कहा हमें यू.एस.ए. की निंदा करनी चाहिए। मेरे एक मित्र कह रहे थे कि मैं एक अमेरिकी एजेंट हूं और मुझे कहा गया कि मेरे कुछ दोस्त बहुत ज्यादा

* श्री पर्वतनेनी उपेन्द्र की टिप्पणी ''क्या आप एक मिनट के लिए बैठेंगे? उप-सभापति महोदय, महान भारतीय पहल से हमारा क्या तात्पर्य है। श्री राजीव गांधी एक मिशन पर चले गए। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे ही मिशन पर जाते, विशेषकर जब यहां कोई बजट या अन्य चीज नहीं है। श्री राजीव गांधी को वहां जाने के बजाय उन्हें जाना चाहिए था और प्रयास करने चाहिए थे।'' का जवाब देते हुए।

खफा थे। विशेषकर, मैं हैरान और अचंभित था कि मेरे बहुत अच्छे मित्र, श्री शिव शंकर, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, ने कहा कि मुझे राष्ट्र से अपने किए के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं यदि इससे उस देश में युद्ध की स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन, मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, श्री शिव शंकर का भाषण मुझे एक कम्प्यूटरीकृत यंत्र द्वारा गाए गए एक गाने की तरह लगता है जो कि थोड़े पहले प्रोग्राम किया गया था। (व्यवधान)। उप-सभापति महोदय, मैं उनके शब्दों का विरोध नहीं करता हूं। कभी-कभी लोग बिना सोचे बोलते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि शिव शंकर जी...(व्यवधान)

उप-सभापति महोदय, इसीलिए मैं उनकी टिप्पणी को गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ।

*** *** ***

*मैं उन्हें गंभीरता से ले रहा हूं न कि उनकी टिप्पणी को। श्री चतुरानन मिश्रा दूसरे मित्र थे। दुर्भाग्यवश वह आज यहाँ नहीं हैं। उन्होंने मुझसे इस बारे में भी पूछा था।...(व्यवधान) उन्होंने मुझसे क्षमा मांगने के लिए कहा था। उप-सभापति महोदय, मैं आपको गंभीरता से बताता हूँ कि अगर क्षमा मांगने से उद्देश्य की प्राप्ति होती है और स्थिति सुधर जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से, मैं श्री चतुरानन मिश्रा की भांति सार्वभौमिक देशभक्त नहीं हूं। मैं सबसे पहले भारत का हित देखता हूँ और इसीलिए मैं सीमित हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी मातृभूमि के हित को ध्यान में रखे बिना सम्पूर्ण मानवता के हित में कुछ कर सकता हूँ। कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं जिसके साथ हम चल सकते हैं लेकिन यदि हम संभावनाओं से इतर कल्पना के आधार पर चीजें करते हैं तो मुझे नहीं लगता हम देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आवाज उठी थी जो बहुत प्रभावी आवाज थी, वह मेरे गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास रखा कि मुझे किसी भी देश को बेचा नहीं जा सकता। ऐसे लोग हैं।...(व्यवधान)

**मैं पहले ही इस देश के लिए बिक चुका हूँ। मुझे ऐसा कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि उप सभापति महोदय, मुझे अपनी देशभक्ति के लिए किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन मैंने इस देश के लिए भी कुछ किया है। राजनीति में भी मेरा अनुभव रहा है। मुझमें भी कोई कमी हो सकती है लेकिन मुझमें साहस की कमी नहीं है। यदि मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसे खुले रूप से करता और कहता हूँ। मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। (व्यवधान) आप मुझसे सहमत न हों।.....। (व्यवधान) यही संसदीय लोकतंत्र है। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करूंगा, शायद वे मुझसे सहमत न हों। (व्यवधान)

उप-सभापति महोदय, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। हम चिंतित महसूस करते हैं और हमें युद्धोत्तर स्थिति की अधिक चिंता होती है। हमें लगता है कि उस क्षेत्र की सुरक्षा वहां की सरकार की चिंता होनी चाहिए। किसी बाहरी शक्ति को पुलिस कार्य करने के लिए जिम्मेदारी या प्राधिकार नहीं लेना चाहिए। यह अरब लोगों की जिम्मेदारी है कि वे इस क्षेत्र की सुरक्षा करें। उप-सभापति, महोदय, मुझे आशा और विश्वास है कि शीघ्र ही नई व्यवस्था उभरेगी,

* श्री माखन लाल फोतेदार के अनुरोध "आपको उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।" का उत्तर देते हुए

** श्री पर्वतनेनी उपेन्द्र की टिप्पणी, "अटल जी ने कहा कि आप विदेशी हित के लिए नहीं बिक सकते।" का उत्तर देते हुए

अरब राष्ट्रवाद में दृढ़ता आएगी और वे युद्ध की समाप्ति के लिए अपने पद का प्रयोग करेंगे और वे यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में उस क्षेत्र की सुरक्षा में कोई विदेशी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि यह हम सभी की चिंता का विषय है, क्योंकि विश्व के सभी विकासशील देशों तथा गरीब और कमजोर देशों को इसकी चिंता है। शक्तिशाली लोग छोटे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जहाँ ऐसी आशंका बलवती हो चुकी थी और ये एक वास्तविकता बन गई है। अतः यह आशंका, वास्तविकता न बने इसके लिए सभी विकासशील देश विशेष कर गुटनिरपेक्ष देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उपसभापति महोदय मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भारत गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों से कभी नहीं हटा है और न कभी हटेगा और भारत हमेशा छोटे देशों की अखंडता और गरिमा का पक्ष लेगा। भारत ने हमेशा कहा है कि हम किसी छोटे राष्ट्र को नहीं दबाएंगे और न किसी शक्तिशाली राष्ट्र से दबेंगे। यह गुटनिरपेक्षता का निचोड़ है और यह भारत की विदेश नीति का निचोड़ है। हमने इस नीति का अनुसरण किया है और वर्तमान स्थिति में सभी सीमाओं के साथ, भारत ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की है और हम उस दिशा में प्रयास करना जारी रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अंधकार के दिन समाप्त होंगे और उम्मीद तथा विश्वास का एक नया युग शीघ्र आरंभ होगा और भारत उस दिशा में हमेशा तक सार्थक और शांतिपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।

चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण*

उप-सभापति महोदया, आज मैं गहरे दु:ख और शर्म के भाव के साथ बोलने के लिए खड़ा हूँ। यह दो कारणों से है। मैं अनुकंपा, सहनशीलता, शांति और प्रेम के उच्च आदर्शों की यादगार परम्पराओं वाली हमारी मातृभूमि के गांधी-नेहरू युग में पैदा हुआ था और मैं कार्ल मार्क्स, लेनिन और रोजा लक्जमबर्ग जैसे महान चिंतकों द्वारा दिए गए समाजवादी सिद्धांतों का भी पालन करता हूँ। आज जब मैं बोलता हूँ मुझे उन महान लोगों की याद आती है, जिन्होंने मुझे राजनीति में आने और समाज सेवा करने की प्रेरणा दी है। उप-सभापति महोदया, मैं उन मित्रों के लाभ के लिए उन मुद्दों पर बल देना चाहता हूँ जो अपने आप को समाजवादी और मार्क्सवादी कहते हैं और जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं। यदि आप मार्क्सवादी विचारधारा के उद्देश्य में जाएं तो पाएंगे कि मार्क्स ने स्वयं कहा कि मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानवता की गरिमा है। उप-सभापति महोदया, मैं सदन के प्रगतिशील सदस्यों की स्मृति को ताजा करने की कोशिश करूँगा। रूसी क्रांति के पश्चात् जब लेनिन को समाचार दिया गया कि जार के छोटे बच्चों को किसी ने मार दिया तो महान क्रान्तिकारी लेनिन की आँखों में आंसू आ गए। न केवल यह, उप-सभापति महोदया, मुझे उस ऐतिहासिक पत्र की याद आती है जिसे क्रांतिकारी रोजा लक्जमबर्ग ने अपने मित्र को लिखा था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ऑस्ट्रिया में वन काटने का समाचार पढ़ा तो उनका दिमाग पेड़ों में चहचहाती चिड़ियों की तरफ गया। उन छोटी चिड़ियों का क्या होगा? यह एक आदर्श था, यह समाजवाद के महान सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोगों की भावना थी। यदि हम अपने देश की बात करें तो, उप-सभापति महोदया ....। वह सरकार जो अपने आप को उत्तराधिकारी होने का दावा करती है, जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत प्राप्त करने का दावा करती है, मेरे लिए सरकार का ऐसा दृष्टिकोण देखना और अधिक शर्म की बात हो गई है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले एक नारा, एक उपदेश दिया था कि आप में सभी अत्याचारों, शोषण के खिलाफ खड़े होने का साहस होना चाहिए फिर चाहे आप अकेले ही क्यों न हों। सत्याग्रह का सिद्धान्त ही इस आधारभूत समझ पर आधारित था कि चाहे व्यक्ति अकेला ही क्यों न हो उसे विश्व के किसी भी हिस्से में होने वाले अत्याचार को चुनौती देनी चाहिए। उन्होंने यह केवल स्वीकारा ही नहीं अपितु जब वे अफ्रीका के घने जंगलों में अकेले थे, उन्होंने सभी जगहों का भ्रमण किया, इस सिद्धान्त के विकास हेतु सारे अपमान, पीड़ा को सहा। मुझे उन लोगों की अज्ञानता पर आश्चर्य होता है जो विदेश मंत्रालय को चला रहे हैं क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रहा था कि किसी भी निंदा प्रस्ताव को पारित करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करना संसद की परंपरा के खिलाफ होगा। यह बार-बार कहा गया था कि सदन में ऐसे प्रस्ताव को पारित करने की परंपरा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि समय कम है, मैं आपकी अनुमति से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही रखना चाहूंगा।

28 मार्च, 1960 की बात है, संसद के दोनों सदनों में कुछ संकल्प प्रस्तुत किए गए थे और उन्हें किसी और व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह संकल्प

* चेकोस्लोवाकिया में रूसी फौजों के प्रवेश के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए, राज्य सभा वाद-विवाद, 23 अगस्त, 1968, का. 4300-4306

दक्षिण अफ्रीका में लंगा शहर में गोलीबारी और उन गतिविधियों की निंदा और सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में जो कहा मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा।

> "ऐसे मामले जो किसी अन्य देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हों, ऐसे मामलों पर विचार करना सामान्यत: इस सदन की परंपरा नहीं है और न ही हम चाहेंगे की अन्य देश हमारे आंतरिक क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर विचार करें। यह सामान्य परंपरा है और यह सही परंपरा है। फिर भी, कभी-कभी घटनाएं घट जाती हैं और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सामान्यत: कभी नहीं होती हैं जो कि अत्यधिक असामान्य होती हैं और ऐसे में यदि बहुत गहरी शक्तिशाली भावना को व्यक्त करने में कोई समझौता बाधा डालता है तो बहुत कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आखिरकार यह सदन हमारे लोगों की भावनाओं का दर्पण है और कुछ हद तक होना भी चाहिए।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन्हें देश की विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है उन्होंने यह कहा था। यह दक्षिण अफ्रीका का अंदरूनी मामला था लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि यदि कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाएं और भावनाएं बहुत प्रभावी हों तब इस देश के इस सदन का यह कर्त्तव्य बनता है कि हम देश के रोष, क्रोध और नाराजगी को संसद के माध्यम से व्यक्त करें। मंत्रालय में बैठे हुए लोगों ने, चाहे वे अधिकारी हों या राजनेता हों, क्या उन्होंने कभी महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकट की गई भावनाओं को समझने की परवाह की है, यह मैं नहीं जानता। मैं कुछ छद्म प्रगतिशील लोगों को देखता हूँ जो हमेशा नेहरू की नीतियों के बारे में बात करते हैं और सरकार द्वारा इस आधार पर प्रस्तावित सभी बातों का समर्थन करते हैं अन्यथा नेहरू की नीतियों को अनदेखा करना होगा और उनकी राय में पंडित नेहरू की नीतियां क्या हैं? उनके अनुसार पंडित नेहरू की नीति गुटनिरपेक्ष की नीति है। हमारी विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्ष शब्द को बार-बार दोहराने से अधिक कोई मूर्खता नहीं हो सकती है। पंडित नेहरू ने कभी नहीं सोचा था कि गुटनिरपेक्षता हमारी मूल विदेश नीति है। यह एक तकनीक है, यह एक रणनीति है। हमारी विदेश नीति के मूल तत्वों को पांच महान सिद्धांतों, पंचशील में प्रतिपादित किया गया था। पंडित नेहरू ने– मैं पुन: उद्धरण नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है– चेकोस्लोवाक प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त विज्ञप्ति में यहां दिल्ली में कहा था कि पंचशील के यह पांच सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनके द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति मार्गनिर्देशित होनी चाहिए। उप-सभापति महोदया, क्या मैं विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से सरकार से यह पूछ सकता हूं कि क्या इन दोनों स्थितियों में असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं? क्या वे मानते हैं कि संपूर्ण देश पर विजय पाना अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में सामान्य बात है? क्या वे मानते हैं कि चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र में वारसा समझौते के पांच देशों की सेनाओं के प्रवेश के मामले को हल्के में लिया जाए, ये पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार है और/या यह ऐसा मामला है जिस पर विचार अति सभ्य और नरम होने चाहिएं? यह कहा गया "हम अपने युद्धाभ्यास को भूल जाएंगे" आपके पास कौन-सा युक्तिचालन है? जब आपके हित सम्मिलित थे तो आपके पास कोई युक्तिचालन नहीं था। आपकी इतनी मित्रता के बावजूद पिछले माह ही आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को हथियार बेचना सोवियत संघ का कार्य है। आप अपनी युक्तिचालन की शक्ति द्वारा अपने हितों को सुरक्षित नहीं कर सके। यह कहना नादानी ही है कि युक्तिचालन का प्रयोग अन्य देश के पक्ष में उनकी शुभकामनाओं और भलाई के लिए किया

जाएगा। इससे अधिक गलत कुछ नहीं हो सकता, वर्तमान संदर्भ में इससे अधिक असंगत कुछ नहीं हो सकता।

उप-सभापति महोदया, मैं इस बिंदु पर बार-बार बल देना चाहूंगा कि जब कभी सरकार की किसी नीति या किसी पक्ष पर हमला किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि यह कुछ प्रतिक्रियात्मक है। यह माना जाता है कि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांतों से दूर जा रहा है। उप-सभापति महोदया, यदि यह सरकार चेकोस्लोवाकिया में हमले की निंदा करने में झिझक रही है या टाल-मटोल कर रही है तो यह महात्मा गांधी या इस देश के विदेश मंत्री के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा भी प्रतिपादित नियमों से दूर जाने की दोषी है, क्योंकि मैंने स्वयं इसे सरकार द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक-"भारत की विदेश नीति" से उद्धरण किया है जहां पंडित नेहरू ने कहा है कि यदि कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस देश का रोष और गुस्सा इस सभा के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहिए। सरकार इस सभा को और संसद को इस महान देश के लोगों के रोष, गुस्से और क्रोध को अभिव्यक्त करने का अवसर न देने के कारण अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करने की दोषी है।

महोदया, मैं अपने मित्रों, जिन्हें प्रगतिशील और समाजवादी माना जाता है, द्वारा कही जा रही बात के संदर्भ में एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। उनके लिए संभवत: लेनिन का कभी जन्म हुआ ही नहीं था। मैं उनके वाद-विवादों में हमेशा स्व-निर्धारण के अधिकार के सिद्धान्त के बारे में सुनता हूं। वह स्व-निर्धारण अधिकार का सिद्धांत कहां है? मुझे नहीं लगता कि मार्क्सवाद या लेनिनवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक भी यह कहेंगे या दावा करेंगे कि वारसा समझौते में सम्मिलित देशों की सेनाओं द्वारा चेकोस्लोवाकिया में की जा रही कार्यवाही किसी भी प्रकार से महान समाजवादी चिंतक लेनिन द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रों के स्व-निर्धारण के अधिकार के सिद्धांत से संगत है। उप-सभापति महोदया, मुझे हैरानी है कि चर्चा में असंगत मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि अमरीका इसमें कैसे आ गया, अन्य चीजें इसमें कैसे आ गई। मैं उन कुछ लोगों में से हूं जिन्होंने वियतनाम पर अमरीकी आक्रमण की निंदा की थी। मैं उनमें से हूं जिन्होने ग्वाटेमाला या क्यूबा में अमरीका की कार्यवाही की निंदा की थी। मैं उनमें से हूं जो विश्व के किसी भी भाग में किसी भी शक्ति द्वारा आक्रमण या हस्तक्षेप को निंदनीय और खेदजनक मानते हैं। परंतु क्या कोई यह कह सकता है कि यदि सोवियत संघ और वारसा समझौते के अन्य मित्र देशों की सैन्य टुकड़ियां किसी देश में प्रवेश करती हैं तो वे गोलियां नहीं केवल फूल बरसाएंगी? यदि संपूर्ण विश्व के समाजवादी लोग इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो यह समाजवादी इतिहास की त्रासदीपूर्ण घटना होगी। उप-सभापति महोदया अब मैं एक महान समाजवादी को उद्धृत करूंगा जो कि चेकोस्लोवाकिया पर हुए इस हमले में भागीदार हैं। उनके अनुसार :

> "राजनीति में कोई भी गठबंधन हमेशा आपसी हित पर आधारित होता है। जहां कोई आपसी हित न हो तो गठबंधन समाप्त हो जाना चाहिए। सोवियत संघ के साथ समझौते के बिना पोलैंड, जर्मन साम्राज्यवाद का सामना नहीं कर पाता। वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकेगा।"

श्री गोमुल्का ने यही बात कही थी। श्री गोमुल्का की चिंता यह है कि पोलैंड की संप्रभुता और अखंडता बनी रहे। यदि चेक नेता, श्री दुबचेक इसी अधिकार की मांग करें...

महोदया, मुझे एक अवसर याद आता है जब चेकोस्लोवाकिया पर नाजियों का शासन था। नाजी शासन की समाप्ति के पश्चात् एक बहुत उल्लेखनीय पुस्तक प्रकाशित हुई और समस्त विश्व में इसे

पढ़ा गया। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्यों को इस पुस्तक के बारे में जानकारी होगी। यह पुस्तक जुलियस फुकिक लिखित "नोट्स फ्राम द गैलो" है। वे चेकोस्लोवाकिया में नाजियों के युद्धबंदी थे। उन्हें मार दिया गया और उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद उनकी डायरी के कुछ भागों को इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। मैं इस अवसर की गंभीरता को रेखांकित करने और हमारे विदेश मंत्रालय में शीर्ष स्थान पर बैठे गूंगे और बहरे लोगों को स्थिति की गंभीरता बताने के लिए कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा। महोदया, मैं उद्धृत करता हूं। वे कहते हैं कि :

"उनकी खुली आंखों के सामने नंगी दीवार एक पर्दे समान बन गई थी जिस पर फिल्माए गए दृश्यों से अधिक दृश्य दिखते थे, इस प्रकार वे एक अन्य सुनवाई, यंत्रणा देने और मृत्यु के लिए बुलाए जाने का इंतजार करते थे। यह फिल्म किसी व्यक्ति के जीवन अथवा जीवन के किसी लम्हे, किसी व्यक्ति की मां, पत्नी या बच्चे, किसी व्यक्ति के टूटे घर या बर्बाद जीवन की होती है। ये फिल्में साहसी कमांडरों अथवा विश्वासघात की होती हैं। यह फिल्म उस व्यक्ति की होती है जिसे मैंने नाजी विरोधी पर्चा दिया था, उस रक्त की होती है जो फिर से बह रहा है, मजबूती से पकड़े हाथ की होती है जिसने मुझे वफादार कहा। ये फिल्में भयानक और साहसिक निर्णय, घृणा अथवा स्नेह, डर और आशा से भरी थीं। हम जीवन की ओर मुड़े हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति रोज यहां अपनी ही आंखों के सामने मरते थे। किंतु सभी मरने वाले लोग फिर से जीवित नहीं हुए।

मैंने अपने ही जीवन की फिल्में हजारों कहानियों के साथ सैकड़ों बार देखी हैं। अब मैं प्रयत्न करूंगा कि इसे निर्धारित किया जाए। यदि मेरे मरने से पूर्व फांसी देने वाले की रस्सी मुझे मार देती है तो लाखों शुभ बातें लिखने के लिए रह जाएंगी।"

यह भावना जुलियस फुकिक द्वारा व्यक्त की गई थी। उप सभापति महोदया, मैं सोवियत संघ के सभी समर्थकों को चेतावनी देता हूं कि महान शहीद फुकिक की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही है। क्या आप अपने हाथ हृदय पर रख कर कह सकते हैं कि पराग्वे की गलियों में कितनी माताएं और बहनें सोवियत संघ और उनके मित्र राष्ट्रों के अत्याचार और जुल्म के कारण आज रो रही हैं। यदि इस अवसर पर हमारा देश और हमारा राष्ट्र इस कार्रवाई की निंदा नहीं करता है तो मानवता के इतिहास में वे और कौन से अवसर होंगे जब महात्मा गांधी, बुद्ध और अशोक, पंचशील और पंडित जवाहर लाल नेहरू का यह देश मानवता के प्रति इस अत्याचार और जुल्म के विरुद्ध खड़ा होगा?

अंत में, महोदया, मैं एक नारे को उद्धृत करूंगा जो हाल ही में कुछ महीने पूर्व पोलैंड की गलियों में बुलंद किया गया था। कुछ विद्यार्थियों और कुछ मजदूरों ने विद्रोह किया था और पोलैंड के एक कवि की पंक्ति को उद्धृत किया था। मैं प्रस्तुत करता हूं:-

"वे मुझे मुक्त कर देंगे — मैं नहीं जानता कि यह खबर कहां से आई है;

किंतु मुझे पता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है यदि मास्को यह स्वतंत्रता हमें दे;

गिरा हुआ व्यक्ति, वह हमारे हाथ और पैर की बेड़ियों को खोल देगा,

किंतु हमारी आत्मा को बेड़ियों में जकड़ लेगा।"

यह मिक्विज, एक महान पोलिस कवि द्वारा लिखा गया था। इस पर श्री गोमुल्का का क्या कहना था? उन्होंने कहा था:

"उस काल से जिसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग न सिर्फ डेढ़ सौ वर्षों से बिछड़े हैं बल्कि महान अक्तूबर क्रांति से बिछड़े हैं।"

मैं आपसे पूछता हूं कि उप सभापति महोदया और आपके माध्यम से इस सदन से, और सदन में बैठे प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री से कि क्या इस महान पोलिस कवि की यह आशंका आज सही है या नहीं। सभी समाजवादियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा उठाई गई आवाज दबाई जा रही है; यह एक शर्मनाक बात है; यह दुख की बात है। एक भारतीय नागरिक के रूप में, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इस देश में जन्म लेकर मेरी और कोई भावना नहीं है बल्कि वर्तमान सरकार के इस व्यवहार पर क्षोभ और शर्म आती है। धन्यवाद।

जाम्बिया के प्रधानमंत्री, श्री मलिम्बा मशेके के साथ, नई दिल्ली, 24 मई 1991

संयुक्त राज्य अमरीका के उप-राष्ट्रपति, श्री डैन क्वेल के साथ बातचीत करते हुए, नई दिल्ली, 24 मई 1991

जर्मनी के राष्ट्रपति, महामहिम डॉ. रिचर्ड वॉन वीजस्कर के साथ, नई दिल्ली, 1 मार्च, 1991

सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के उप-राष्ट्रपति, श्री जी.आई. यानायेव के साथ बातचीत करते हुए, नई दिल्ली, 24 मई 1991

यमन के विशेष दूत, श्री मोहसिन अलहमदानी के साथ, नई दिल्ली, 30 जनवरी 1991

मालदीव के राष्ट्रपति, श्री एम.ए. गयूम के साथ बातचीत करते हुए,
नई दिल्ली, 25 जनवरी 1991

कोरियाई गणराज्य से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ, नई दिल्ली, 7 जनवरी 1991

नेपाल के प्रधानमंत्री, श्री के.पी. भट्टराई के साथ बातचीत करते हुए

चीन के प्रीमियर, श्री ली पेंग के साथ नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 1991

नेपाल के प्रधानमंत्री, श्री जी.पी. कोइराला के साथ, नई दिल्ली, 6 दिसम्बर 1991

भूटान के महाराज, जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक के साथ, नई दिल्ली,
24 नवम्बर 1990

रोमानिया के राष्ट्रपति, श्री इॅयान इलिएस्कू के साथ, नई दिल्ली, 11 जनवरी 1991

हंगरी के राष्ट्रपति, श्री अर्पद गोम्ज के साथ, नई दिल्ली, 10 अप्रैल 1991

विश्वास प्रस्ताव

विश्वास प्रस्ताव, 1990*

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं आत्ममंथन के लिए खड़ा हुआ हूं और यह विश्लेषण करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमने पिछले ग्यारह महीनों में क्या किया। जिन सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं उनका वास्तविक जीवन में अनुकरण करने के लिए हमने क्या किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षवाद जैसे मुद्दों पर हमारा भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो सकता है, किंतु मैंने लोकतंत्र से सीखा है कि अपने मतभेदों के बावजूद हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल-कर काम करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि मतभेद के बावजूद हमें आपसी चर्चा के माध्यम से इसे करना चाहिए और हमने ये सरकार इसी आधार पर बनायी थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सदस्य वामपंथी दलों के हैं या जनता दल के हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया था क्योंकि देश खतरे में था। हमें देश को बचाने के लिए मिलजुलकर काम करना चाहिए। हमारे मित्र बहुत नाराज हैं किंतु यह नाराजगी हमारे देश की समस्याओं को दूर नहीं कर सकती। आज देश के हालात और भी खराब हो गए हैं जितने ग्यारह वर्ष पहले थे। क्या यह सत्य नहीं की आतंकवाद, असमानताओं, बेरोजगारी और मूल्यों में वृद्धि हुई है? क्या यह सच नहीं कि सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई है और पंजाब, कश्मीर और असम आतंकवाद की चपेट में हैं? गांवों में लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। देश को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेवार है, इसका पता लगाने के लिए और इसका क्या कारण है, यह जानने के लिए आत्ममंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, कि संसद चलाना कोई नाटक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को केवल निर्जीव वस्तुएं देखने की आदत है। किंतु कोई जीव या ट्राली अपने आप नहीं चलती, उन्हें चलाने के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है। यदि चालक अनुभवी न हो तो न तो जीप चलेगी न ट्रॉली। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब चालक जीप या ट्रॉली चलाने के लिए सक्षम ना हो तो वह सही ढंग से कैसे चलाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सिद्धांतों की बात करते हैं तो पहले आपको धर्मनिरपेक्षता की बात करनी होगी। धर्मनिरपेक्षता मानवीय संवेदनशीलता की पहली परीक्षा है। कोई व्यक्ति यदि संवेदनशील नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष भी नहीं हो सकता। अपनी वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद यदि हम परस्पर सम्मान नहीं कर सकते तो धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा करना व्यर्थ है। मैं श्री आडवाणी से जानना चाहूंगा कि चर्चा करने का क्या यही तरीका है? मैं यह प्रश्न ग्यारह महीने पहले पूछना चाहता था जब यह चर्चा प्रधानमंत्री जी और श्री आडवाणी के बीच हुई थी, जब मैं वहां नहीं था। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। माननीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी उस समिति के सदस्य थे और जिन्हें बाद में समिति से निकाल दिया गया था क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्य यह नहीं चाहते थे कि वे उस समिति में रहें। क्या देश पर शासन करने का यही तरीका है?

* मंत्री परिषद में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 7 नवम्बर, 1990, का 29-39

क्या हम उसी प्रकार शासन करेंगे? श्री मुलायम सिंह यादव और श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को समिति से क्यों हटा दिया गया? उस समय किसने समझौता किया था? क्या बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद या किसी इमाम के साथ समझौता हुआ था? केवल ऐसे समझौतों के कारण ही देश की स्थिति इस सीमा तक खराब हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर एक अध्यादेश जारी किया गया। हम लोगों ने सोचा कि इसके माध्यम से कोई रास्ता निकल आएगा। हम असफल हो सकते हैं और आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है, परंतु माननीय प्रधानमंत्री को इन संस्थाओं को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को भी इस मामले में घसीटना सही परंपरा नहीं कही जा सकती। विश्व के इतिहास में, ऐसी घटना कभी घटित नहीं हुई है। मैं पिछले 23 वर्षों से इस संसद को निकट से देख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अध्यादेश प्रख्यापित करके 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया गया हो...(व्यवधान)...मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को ऐसी स्थिति में धकेलने के लिए यही तुगलक जैसा व्यवहार उत्तरदायी है। मैं इस प्रकार के व्यवहार के विरुद्ध हूं और इस देश को बचाने के लिए ऐसे व्यवहार का विरोध करना मैं अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझता हूं। सदस्यों से सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। हमें यह भी पता है कि राम केवल एक स्थान तक ही सीमित नहीं हैं। यहां पर मैं, श्री आडवाणी से दूसरी सभा में एक बार श्री मैथिलीशरण गुप्त द्वारा पढ़ी गई कविता का संदर्भ लेना चाहूंगा, जिसका अर्थ इस प्रकार है...

"माना राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या?
विश्व में रमे हुए सभी कहीं नहीं हो क्या?
तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे,
तुम ना रमो तो, मन तुम में रमा करे,"

राम की यही परिभाषा है, जिसे हमारे राष्ट्रकवि ने दिया था। यदि हम उपरोक्त परिभाषा को ध्यान में रखकर चर्चा करें तो कुछ हल निकल सकता है। हमें बातचीत का विकल्प अपनाना चाहिए। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना मुझे इस देश से प्रेम है उतना ही श्री आडवाणी और श्रीमती सिंधिया को भी है। इस तथ्य के बावजूद भी, कि हमारे विचार अलग-अलग हैं, क्या हम आपसी बातचीत से इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं? मैं श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त का उतना ही आदर करता हूं जितना अन्य लोगों का। परंतु जो लोग सिद्धांतों की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सिद्धांत ऐसी चीज नहीं होते जिस पर सत्ता के गलियारों में चर्चा की जा सके। यह आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति, जिसने सरकारी पदों से राजनीति में प्रवेश किया हो, सिद्धांतों पर चर्चा करे।...(व्यवधान)...

*** *** ***

माननीय प्रधानमंत्री, जो इस देश के करोड़ों लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब करने के लिए उत्तरदायी हैं, ने आज इस सभा में सिद्धांतों पर चर्चा करने के बजाय, यदि अपने पद से त्यागपत्र दे दिया होता तो इस देश, इस सभा और स्वयं की मर्यादा को बचा सकते थे, परंतु मर्यादा, सिद्धांतों या नियमों के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। मैं भी बहादुरी की उन सभी बातों को जानता हूं। मैंने इसका उल्लेख पहले नहीं किया, क्योंकि सभी इस बात से अवगत हैं कि संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल की सामूहिक जवाबदेही होती है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे देश में यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं जबकि वित्त मंत्री, जिन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं वह ईमानदार हैं। यदि विश्व के किसी अन्य देश में ऐसा हुआ होता तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय मैं जानता हूं कि एक विखंडित समूह के लिए सरकार चलाना कठिन है लेकिन प्रो. दंडवते, श्री अजीत सिंह, श्री शरद यादव, श्री देवी लाल और श्री जॉर्ज फर्नाडीज़ ने सत्ता की बागडोर एक हताश और कुंठित व्यक्ति को सौंप दी और उसका परिणाम आप सबके सामने है। उस वक्त आपके सिद्धान्त कहां थे जब आप जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गए थे? क्या वह चुनाव सिद्धान्तों पर आधारित था? तब आप किस आधार पर आज हमें चुनौती दे रहे हैं। आप किस आधार पर हमें सिद्धान्तों का पाठ पढ़ा रहे हैं? धर्मनिरपेक्षवाद का प्रश्न चिरस्थायी है। लोगों को धर्म के नाम पर एक-दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए और न ही उनको हानि पहुंचानी चाहिए। हमें अल्पसंख्यक समुदायों के मन में भय पैदा नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया गया, तो हमें ऐसी गतिविधियों में संलिप्त ताकतों का सामना करना पड़ेगा। यदि श्री आडवाणी जी का 'रथ' रोकना ही था, तो आपने उस दिन तक इंतजार क्यों किया जिस दिन से मुलायम सिंह यादव सरकार पर खतरा मंडराने लगा। 'रथ' को दिल्ली अथवा उससे पहले क्यों नहीं रोका गया था? श्री आडवाणी जी ने कहा कि इन चार महीनों के दौरान किसी ने भी उनसे इस मुद्दे पर एक बार भी नहीं बात की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एकता परिषद की एक समिति, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, की बैठक बातचीत के माध्यम से इस विवादास्पद मुद्दे का समाधान करने के लिए उपायों का पता लगाने के लिए हुई थी। सभा में उपस्थित अनेक लोग यह सुनकर अचंभित होंगे कि श्री एल.के. आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस संबंध में अपना पूर्ण सहयोग दिया था और मुझे यह सत्य स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने अगले ही दिन समस्त प्रक्रिया बिगाड़ दी। क्या देश चलाने का यही तरीका है? क्या नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का यही तरीका है? हम इस पर शर्मिन्दा हैं। मैं कभी मंत्री नहीं रहा लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आचरण की सीमाओं और मर्यादाओं से भली-भांति अवगत हूं जिनके अंतर्गत एक संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिज्ञों को कार्य करना होता है। यहां हम श्री आडवाणी और श्री वाजपेयी जैसे राजनीतिक दिग्गजों से बातचीत करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि बातचीत की विषय-वस्तु प्रेस में उजागर नहीं की जाएगी लेकिन अगले ही दिन हमें पता चलता है कि वे सभी बातें समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हैं। शंकराचार्य और अली मियां जैसे धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत की जाती है, लेकिन चार दिनों के बाद आप मुकर जाते हैं। किसी को भी नहीं बख्शा गया है चाहे वह श्री आडवाणी जी हों या जो प्रतिदिन आपके साथ रात्रि भोजन करते हैं अथवा अली मियां जैसे लोग जो आपकी प्रशंसा में गाने गाते हैं अथवा शंकराचार्य जैसे श्रद्धेय लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के समक्ष आज सबसे गंभीर समस्या यह है कि लोग सरकार के नेतृत्व में आस्था और विश्वास खो रहे हैं। वे व्यवस्था के प्रति विश्वास नहीं खो रहे हैं और हमें पुनः इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए इस संबंध में सभी लोगों का सहयोग चाहिए।

मैं जानता हूं कि देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है और गलत दिशा की ओर जा रहा है। मैं जमीनी वास्तविकताओं से अवगत हूं और यह दावा नहीं करूंगा कि हम देश को सही दिशा में लाने में सक्षम हैं लेकिन निश्चित रूप से हम अपनी पूर्ण क्षमता से इसे बचाने और इसकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। हम हतोत्साहित नहीं हैं। हम देश को इस कठिन दौर जिससे वह गुजर रहा है और जिस संकट का सामना कर रहा है, से उबारने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। गरीबों और पद दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने सभा को मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का स्मरण कराया, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता अथवा क्या मैं उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों का स्मरण कराना चाहता हूँ, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय यदि कोई उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों पर गौर करेगा तो पायेगा कि उनके हाथ हजारों निर्दोष लोगों के खून से रंगे हैं। कृपया हमें उन बातों का स्मरण नहीं कराइए, हम नहीं चाहते यह चर्चा उस स्तर तक पहुंचे लेकिन हमें ठेस पहुंचती है, जब आप लोग हमें सिद्धांतों का पाठ पढ़ाते हैं, जब आप कहते हैं कि लोग पिछले दरवाजे से सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन में मंत्री के पदों पर रहे, लेकिन आप राजनीति की जटिलता को तभी समझ पायेंगे जब आप प्रशासन के खोल से बाहर निकलेंगे। सत्ता के गलियारे राजनीतिक सिद्धान्तों पर उपदेश देने की कक्षाएं नहीं हैं। निश्चित रूप से एक 'राजा' उपदेश दे सकता है लेकिन वास्तविक सिद्धान्त केवल गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे लोगों द्वारा ही पढ़ाए जा सकते हैं जिन्होंने वर्षों तक तपस्या की और बलिदान किए तथा गरीबी और भुखमरी की मार झेली लेकिन सत्ता का भूखा राजा जो किसी भी तरह सत्ता पाने के लिए तैयार है, वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक सिद्धान्तों और नैतिकता का पाठ पढ़ाए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए कार्य करें। दुर्भाग्यवश हमारे देश में जाति व्यवस्था का विकृत रूप है जिसके कारण हमारे पिछड़े वर्गों में गरीब और दलित .....

*** *** ***

फिर भी मित्रों, मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश जिन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है वह है गरीबी, भुखमरी और पानी की समस्या। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है किंतु नौकरियां कहां हैं? आपके पास कौन से संसाधन हैं जो आप उन्हें आजीविका का साधन उपलब्ध करा पाएं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपने कभी उन व्यक्तियों के प्रति चिंता व्यक्त की है जो महँगाई से प्रभावित है? क्या आपने कभी इस देश के गरीब, मासूम और लाचार व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया है? पार्टी के उद्घोषणा पत्र में न केवल पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही गई है, बल्कि कई अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण लाकर, हम गरीबों और उपेक्षितों को कुछ समय के लिए भुलावे में रख सकते हैं किंतु जब तक हमारे पास संसाधन न हों या फिर हम अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयार न हों, हम उन्हें नौकरियाँ कैसे दे सकते हैं? किंतु अध्यक्ष महोदय हमारे शासक वर्ग को उन पर भरोसा नहीं है। उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर भरोसा है और वे इस राष्ट्र को उनकी सहायता से बनाना चाहते हैं..... मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जब देश की औद्योगिक नीति बनाई गई तो मैंने उस संबंध में आपत्तियाँ उठाई थीं। उस समय यह कहा गया था कि वे उसमें आवश्यक बदलाव करेंगे। तब से लेकर आठ महीने बीत चुके हैं, सरकार गिर चुकी है किंतु देश की जनता औद्योगिक नीति के बारे में कुछ नहीं जानती। कोई भी देश की आर्थिक नीति के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से कुछ कहना चाहूँगा। ये मूलभूत प्रश्न है जिसके लिए हम कई वर्षों लड़े हैं, हमने संघर्ष किया है। मैं राजनीतिक नौसिखियों द्वारा दिए गए उग्र भाषणों में नहीं जाना चाहता किंतु मैं यह जानता हूँ कि मैं भी राजनीति में कई वर्षों से रहा हूँ और मैं हिम्मत नहीं हारूँगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मौलिक मुद्दों पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने इसी संसद में लगभग एक माह पहले कांग्रेस पार्टी की सहायता से पंजाब में चुनाव स्थगित करने के लिए सर्वसम्मति से या बहुमत से एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था। इसीलिए आज मेरे जैसे व्यक्ति यह मानते हैं कि यदि अब आम चुनाव कराये जाते हैं तो देश में खून-खराबा होगा और देश बिखर जायेगा। अत: यदि हम शांति और सामान्य हालात बहाल होने तक चुनाव स्थगित करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि सरकार कुछ और दिन काम करे....

*** *** ***

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस देश को बचाना है और नये से बनाना है तो इसे इसके दर्द, परेशानी और इसकी असहाय स्थिति से छुटकारा दिलाना पड़ेगा और तब हमें अपने प्रधानमंत्री को हटाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वे सम्मानपूर्वक इस्तीफा दें अन्यथा देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने, इस देश और इसकी सदियों पुरानी सभ्यता को बचाने के लिए इस सदन के पास उन्हें हटाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों को विशेष रूप से एक और बात बताना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि सद्भावना पूर्ण वातावरण बनाने के लिए हम सभी को साथ मिलकर चलना होगा। हम आपको सहयोग देना चाहते हैं, फिर भी हम यह कहना चाहते हैं कि देश को चलाने और देश में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए कभी-कभी सरकार को मजबूर होकर कुछ दु:खदायी और सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, यद्यपि ये फैसले काफी हिचकिचाहट और परेशानी में लिये जाते हैं।.....

मैं चाहूंगा कि सभी दल एक साथ बैठकर इस मुद्दे का समाधान निकालें।...इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेरे शब्दों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। उनके बारे में मेरी राय आज भी वही है जो पहले थी और मैं उसे यहां नहीं बताना चाहता हूँ। यदि प्रधानमंत्री जी स्वयं को इतना आदर्शवादी तथा सिद्धांतवादी नहीं बताने लगते और हमें सिद्धान्तों का पाठ नहीं पढ़ाने लगते तो आज भी हमने यह नहीं चाहा होता।

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव, 1990*

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

''कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मंत्रिपरिषद का गठन न होने से मेरे अनेक मित्र स्तब्ध हैं और वे शीघ्रातिशीघ्र मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को देखने के लिए उत्सुक हैं। वे मंत्रियों के चेहरे देखने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि मंत्रियों के बिना संसद उनके लिए निरर्थक है। वे इसका कारण चाहते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन न करने के अनेक कारण हैं।

महोदय, हमने विनम्रता से यह उत्तरदायित्व लिया है और हमारे अनेक मित्रों ने यह बात उठाई है कि हमारे पास सभा का बहुमत नहीं है। मैं कभी भी उन्हें यह कहने का अवसर नहीं देना चाहता था कि मैंने उनकी और इस सम्मानित सभा की अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार बड़े स्तर पर किया। इसका एकमात्र कारण यह था कि मंत्रिमंडल का गठन विश्वास मत प्राप्त करने के बाद किया जाना था। मुझे यह प्रतीत हुआ कि उन्हें इस बात का अंदाजा बहुत पहले ही लग गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यह उनकी गलती थी बिल्कुल उस विशेष चिड़िया की तरह जो सूरज की रोशनी में कुछ देख नहीं सकती। यह त्रुटि आंखों की है सूरज की नहीं। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और देश की स्थिति हर प्रकार से खराब है। मैं यहां किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता।

मेरी मंशा किसी पर कोई आक्षेप लगाने की नहीं है और न ही मैं यहां एक लंबा भाषण देना चाहता हूं। मैं केवल कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं जिन्हें बार-बार उठाया गया है। बार-बार यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या हमें जनता का जनादेश प्राप्त है अथवा नहीं, क्या जनता ने हमें समर्थन दिया है अथवा नहीं और यह वाजिब प्रश्न है। पिछली बार जब हमने चुनाव जीता और जनता ने सरकार बनाने के लिए हमें निर्वाचित किया, तो श्री आडवाणी, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हमारा समर्थन किया और हमारी रणनीति यह थी कि एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो कांग्रेस के विकल्प के रूप में सही साबित हो सके। आडवाणी जी ने चुनाव घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि अनुच्छेद 370 के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार श्री आडवाणी जी द्वारा अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे लेकिन मैं उसके संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमने अपने दलों के साथ यह भी स्पष्ट किया था कि कतिपय विशिष्ट मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उस समय हमने यह आश्वासन भी दिया था कि हम पांच वर्षों तक सरकार चलाएंगे। यह जन समर्थन प्राप्त करने का एक आधार भी था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि क्या में पिछली सरकार को गिराने में शामिल था?...(व्यवधान)

* मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना और उसी विषय पर लोक सभा में हुई चर्चा का उत्तर, लोक सभा वाद-विवाद, 16 नवम्बर, 1990, कॉ. 22-26, 140-151

महोदय, अभी-अभी श्री जॉर्ज फर्नांडीज़ ने मुझे स्मरण कराया कि हमने उस सरकार के विरुद्ध मत दिया जो श्री आडवाणी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के दिन से ही निर्जीव हो गई थी। आपको इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक प्रधानमंत्री ने बहुमत खोने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी...। यहां प्रश्न राजनीतिक नैतिकता का है और मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने सरकार गिरा दी। मैंने यह तथ्य कभी नहीं छिपाया कि मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री का विरोध किया था लेकिन मैं सरकार गिराने में शामिल नहीं था। यदि सरकार गिरी तो उसका एकमात्र कारण उन सहयोगियों के बीच गलतफहमी का पैदा होना था जो आज यहां एक साथ बैठे हुए हैं। यदि पिछली सरकार मात्र उनके समर्थन पर ही टिकी थी....।

महोदय, मैं यहां उन सभी प्रश्नों को नहीं उठाना चाहता था, यदि मेरे मित्र ने उत्तर की अपेक्षा की तो उन्हें सुनने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि मेरे विचार से इन प्रश्नों की कोई सार्थकता नहीं है। मूलभूत प्रश्न यह है कि देश के सामने क्या चुनौतियां हैं और वर्तमान में देश के हालात क्या हैं। हमारे ऊपर भी कतिपय दबाव हैं और मैं यह नहीं बताना चाहता कि ग्यारह माह तक देश का शासन कैसे चला और जब सरकार बदली तो देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। तथापि, मैं निश्चित तौर पर यह बताना चाहता हूं कि उस समय की परिस्थितियां कैसी थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष उस स्थिति का वर्णन करने के लिए इस सभा और आपकी अनुमति चाहता हूं। देश के हालात इन छह दिनों के दौरान उस हद तक खराब नहीं हुए हैं जितने उस समय थे जब हमने कार्यभार संभाला था। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। देश की अर्थव्यवस्था आज पतन के कगार पर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि इस सबके बावजूद यह देश नहीं टूटेगा। इस देश की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है यहां के करोड़ों लोग इसके मुक्तिदाता हैं। पिछले ग्यारह महीनों के दौरान क्या निर्देश दिए गए और किन नीतियों को अपनाया गया? इन त्रुटिपूर्ण कार्यनीतियों और नीतियों ने देश के लोगों के भविष्य, अर्थव्यवस्था, स्थिरता, एकता और अखंडता पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है और इस प्रश्न चिह्न को हटाने का एकमात्र मार्ग यह है कि हम देश के लोगों का समर्थन प्राप्त करें। देश के लोग समर्थ हैं और देश की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। मैं सभी देशवासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि हम एक कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अत: हमें उनके सहयोग और उनकी दृढ़ता की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि मैं कुछ बातें कहने के लिए स्वतंत्र हूं लेकिन मैं केवल वही बातें कहने के लिए तैयार हूं, जो मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं और यदि मेरी बातों में कोई अतिश्योक्ति हो तो मैं न केवल प्रधानमंत्री के पद से बल्कि इस सभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पहले से ही जानता था और मैं आज इस सभा में उसके बारे में नहीं कहूंगा। मैं श्री आडवाणी, जो यहां उपस्थित हैं, से बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि देश को विनाश के पथ पर ले जाया जा रहा था। मैंने इस बारे में वामपंथी नेताओं को भी चेताया था और इसे टालने के लिए भरसक प्रयास किए थे।

अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि हमने कांग्रेस का समर्थन मांगा था और इसमें लज्जित होने जैसी कोई बात नहीं है। मैं अपने अन्य सभी सहयोगियों से भी ऐसा समर्थन चाहता था, जिन्होंने हमारे कृत्यों

को शर्मनाक माना। अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गौरव से संबंधित नहीं है। यह देश की सुरक्षा से संबंधित है और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर देश को सुदृढ़ करने के लिए न केवल संसद सदस्य बल्कि सभी नागरिक एकजुट हों।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि एक समय था जब वे एक संत की तरह श्री आडवाणी का आदर करते थे और अब वे उन्हें एक 'राक्षस' समझते हैं। यह आपके राजनीतिक दृष्टिकोण का ही परिणाम है। आज वामपंथियों को यह लगता है कि उन्हें अपनी इच्छानुसार किसी को भी प्रगतिशील अथवा प्रतिक्रियावादी कहने का अधिकार है। मुझे उनसे कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने राजनीति में बहुत लम्बा समय गुजारा है और इन दिग्गजों का बहुत नजदीक से देखा है। मुझ पर उंगली उठाने से पहले उन्हें, विशेषकर वामपंथी नेताओं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया है और जिन्होंने इतिहास रचा है, जिसके कारण मैं उनका आदर करता हूं, को बताना चाहूंगा कि उन्हें आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे विद्यमान परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं।

वे उन परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं जिनसे आज देश गुजर रहा है। मैं चाहता हूं कि वे अद्यतन स्थिति से अवगत हों और यह विचार करें कि राष्ट्रहित में सहयोग और समर्थन प्रदान करना समय की मांग है अथवा नहीं। अक्सर यह पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन है? आज, आप इससे अनभिज्ञ हैं और कुछ ही दिनों में आपको इस बारे में पता चल जाएगा।

प्रधानमंत्री पद का मुद्दा किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री वह व्यक्ति है जिसे सभा का समर्थन प्राप्त है और जिसको देश ने संविधान के उपबंधों के अनुसार स्वीकार किया है। अत: प्रधानमंत्री के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देश के भविष्य के बारे में विचार करें और यह कि इसे इस विकट परिस्थिति से कैसे उबारा जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तथ्य के बावजूद कि देश की स्थिति बहुत खराब है, फिर भी यह सुदृढ़ है। हमारे देश के किसान और मजदूर देश का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हैं। इस देश के करोड़ों नागरिक आज भी अपने देश पर गर्व करते हैं और इससे प्रेम करते हैं। मैं इन सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं उन लोगों की श्रेणी में शामिल हूं जो विश्वास करते हैं कि देश को बचाने के लिए लोगों का समर्थन आवश्यक है। इसीलिए हमने यह पहल की है। मुझे विश्वास है कि हमें सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। किसी को चुनौती देने और उन्हें इस तथ्य से अवगत कराने के दृष्टिगत मैं यह दोहराना चाहता हूं कि अपनी बात कहते हुए उन्हें सतर्कता और संयम बरतना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं ऐसी बातें कहने के लिए बाध्य हो जाऊं जिसके कारण उन्हें जनता के समक्ष जाने में परेशानी हो। अत: मेरा यह अनुरोध है कि आप इस विषय पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करें। मैं सब कुछ आपके विवेक पर छोड़ता हूं। यदि आप सच जानना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आपके समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके कारण मैंने पिछली सरकार का विरोध किया और सभी ताकतों से हाथ मिलाया।

वे लोग जिन्हें देश के भविष्य की चिन्ता है और देश की शाश्वतता और गौरव पर पूर्ण विश्वास है, वे देश को सुदृढ़ करने के लिए निश्चित रूप से हमारा समर्थन करेंगे और जनता में प्रेरणा, उत्साह और प्रोत्साहन की भावना भरेंगे। मतभेद की बजाय सद्भाव की भावना का सृजन करना चाहिए। इसके लिए रक्त नहीं बहाया जाना चाहिए। प्रत्येक जीवन बहुमूल्य है, जो भी मरता है वह देश का बेटा अथवा

बेटी है। मैं चाहता हूं कि हम सभी साम्प्रदायिकता और गरीबी के मुद्दे पर एकजुट होने का प्रयास करें और लोगों की चोटिल भावनाओं को शान्त करने का मार्ग ढूंढे और देश में एक नई जान फूंके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सभा मेरे प्रस्ताव का समर्थन करे।

* * * * * * * * *

[2]महोदय, पूरी चर्चा सुनकर मैं उदास हूं। मैं अपने मित्र श्रीमान साठे के भाषण के बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने अपना समर्थन दिया है। मुझे खुशी है कि सारे गुस्से और क्रोध के बावजूद सी.पी.एम. और सी.पी.आई. के मेरे मित्र ने चर्चा का स्तर काफी ऊंचा रखा। मैं आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और न ही मैं उनका उत्तर दूंगा। परंतु निस्संदेह उन्होंने एक वैध प्रश्न उठाया है। इस सरकार का कार्यक्रम क्या है? वे मुद्दे क्या हैं जिन पर आने वाले दिनों में यह सरकार देश चलायेगी? आज सुबह अपने भाषण की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझूंगा। वस्तुत: मैं यह महसूस करता हूं कि समय मुश्किल है और हम अपने इतिहास में एक खतरनाक मोड़ पर हैं। मैं आने वाले अंधकारमय भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी जनता की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और जीवन शक्ति के कारण हम सहयोग और कठिन परिश्रम से सारी परेशानियों से पार पा सकते हैं। परंतु अध्यक्ष महोदय, हमें सहमति के क्षेत्र ढूंढने हैं न कि लड़ाई-झगड़े के क्षेत्र। यह उन सभी देशों के लिए सच है जो गरीबी, दरिद्रता, बदहाली और बीमारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यह पूरे विश्व के लिए सत्य है और इस उपमहाद्वीप के लिए और भी सत्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस समय हमें विशेष मुद्दों पर एक साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।

मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुझसे पूछा कि हमारा घोषणा पत्र क्या होगा? मैं सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को दरकिनार करूंगा। आज क्या हम उन तीन, चार या पांच मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकते जिन पर हम इस स्थिति से उबरने के लिए मिलकर काम करेंगे? उसके लिए इस देश में एक नया राजनैतिक वातावरण तैयार करना होगा और वह वातावरण एक-दूसरे की समस्याओं और आकांक्षाओं को समझने से बनेगा। एक-दूसरे को गालियां देने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी हम सभी परिस्थितिवश अपना आपा खो देते हैं, दूसरों को बुरा-भला कहने की कोशिश करते हैं और मुझे अफसोस है कि इस चर्चा के दौरान मैंने भी एक या दो बार अपना आपा खोया। परंतु जब कोई भी समस्या मेरे सामने प्रतिदिन जिस तरह से आती है, मैं यह सोचता हूं कि हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए और इस कुर्सी पर बैठकर मैं अपना आपा नहीं खो सकता हूं क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग और समर्थन चाहता हूं। यदि आप मुझे अपना राजनीतिक दर्शन बताने को कहें तो श्रीमान सोमनाथ चटर्जी जी मैं एक प्रगतिशील आदमी नहीं हूं, मैं एक रूढ़िवादी व्यक्ति हूं और एक रूढ़िवादी व्यक्ति होने के नाते मैं प्रतिदिन बदलता नहीं हूं। मेरा दर्शन एक ही रहता है जैसा कि मेरे मित्र श्री चित्त बसु कहते हैं जब मुझे एक यंग तुर्क कहा जाता था। इस देश के सामने कोई विकल्प नहीं है क्योंकि हमारे समाज में सीमित संसाधन हैं। यदि संसाधन सीमित हों तो हमें यह तय करना होता है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करें। हमें यह तय करना है कि हमारी संपत्ति क्या है और हमारी ताकत क्या है? प्रकृति ने हमें उपजाऊ भूमि और अच्छी जलवायु दी है, सभी प्रकार के फल और फसलें इस देश में उपजाए जा सकते हैं, लगभग सभी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं और सबसे बड़ी बात कि इस देश में 85 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनमें इस देश में समृद्धि और प्रगति लाने

[2] बाद में उसी दिन चर्चा का उत्तर देते हुए

की ताकत है। अतीत में हमारी गलतियां क्या हुई हैं? हम उन दुर्भाग्यशाली लोगों को अवसर मुहैया नहीं करा पाये जो और अधिक उत्पादन के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने और कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं। हम यह किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक समाज में हम उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। हमें उनमें इच्छाशक्ति पैदा करनी होगी और वह इच्छाशक्ति किस प्रकार पैदा होगी? यह इच्छाशक्ति तभी पैदा की जा सकती है या जगायी जा सकती है जब उन्हें केवल यह आश्वासन मिले कि जो कुछ भी वे उत्पादन करेंगे उसका उपयोग कुछ चुनिंदा लोगों के आडंबरपूर्ण जीवन के लिए नहीं होगा बल्कि हमारी जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा। इसलिए हमारा निवेश उन क्षेत्रों में होना चाहिए जो हमारी जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है और हमें व्यक्ति में निवेश करना होगा। जब मैं व्यक्ति में निवेश की बात करता हूं तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि बच्चे आज की ताकत हैं और कल की उम्मीद हैं। इस देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को इस समाज से स्वच्छ पेयजल, एक स्वस्थ नागरिक बनने के लिए आवश्यक कैलोरी, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें पाने का अधिकार है और जब वह 18 वर्ष का होकर एक नागरिक बन जाता है तो उसके साथ जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि इन पांच बिंदुओं को हमारा घोषणापत्र मान ले, हमारा लक्ष्य मान ले तो क्या इस सदन में कोई विरोध है? कोई विरोध नहीं हो सकता है। आप इस मुद्दे पर काम क्यों नहीं कर सकते हैं? परंतु आप यदि इन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं तो हमें आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्या के प्रति अपने दृष्टिकोण में कई बदलाव लाने होंगे और अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यदि संसाधन सीमित या दुर्लभ हों और यदि देश गरीब हो तो समाज के हर वर्ग को इस गरीबी का बोझ उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उन व्यक्तियों को जो मेहनत करने वाले हैं, किसान हैं, खेतों और कारखानों में काम करने वाले कामगार हैं उन्हें ही हमेशा त्याग करने के लिए कहा जाता रहेगा। हमारी आजादी के बाद पहले चार दशकों में हम उन्हें त्याग करने के लिए कहते रहे हैं। अब और कितने दिन? उन्हें यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि इस गरीबी का बोझ उन्हें भी उठाना पड़ेगा जिन्हें इस समाज में विशिष्ट सुविधा प्राप्त है। इसलिए मैं समाज के उस कुलीन और विशिष्ट सुविधा प्राप्त वर्ग से यह अपील करना चाहूंगा। मेरे मित्र श्री ए.के. रॉय ने मुझे बताया कि उनका मेरे साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि वह मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो उन्हें लोगों को, हमारे गरीब वर्गों को प्रसन्नचित्त और समृद्ध बनाने के लिए बलिदान देना सीखना होगा। यह अत्यन्त आवश्यक है, जो हमें करना ही चाहिए। इस संदर्भ में, हमें अपने रुख में बदलाव लाना होगा। श्रीमती गीता मुखर्जी ने मुझसे पूछा ''क्या आप औद्योगिक नीति में संशोधन करने जा रहे हैं?'' क्या पूर्ववर्ती सरकार ने कोई औद्योगिक नीति अपनाई थी? कतिपय रूपरेखाएं दी गई थीं। मेरी इस संबंध में कुछ आपत्तियां थी। और मेरे विचार से सोमनाथ जी आपकी भी कुछ आपत्तियां थीं। ये आपत्तियां व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं थीं। मेरी कोई प्राथमिकताएं नहीं हैं। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। किंतु मेरे विचार से हम इस देश में बाहरी ताकतों द्वारा संकट से उबारे जाने की आशा नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कहता कि हमें विदेशी मदद और सहायता पर निर्भर होना पड़ेगा। हमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी को आमंत्रित करना होगा और हमें उन क्षेत्रों को उनके लिए खोलना होगा, जो बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अधिक सौंदर्य प्रसाधन, अधिक आइसक्रीम बनाने के लिए समस्त क्षेत्र को खोलने जा रहे हैं? कृपया गत अनेक वर्षों के दौरान और हमारे इस देश में कुछेक महीनों के शासनकाल के दौरान किए गए सहयोग प्रावधानों पर नजर डालें। मेरी आपत्ति उदारीकरण के खिलाफ नहीं है। यह प्रश्न हर जगह उठाया

जा रहा है। यदि उदारीकरण का अर्थ है न्यून लालफीताशाही, यदि उदारीकरण का अर्थ है कोई अड़चन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, नौकरशाही का कोई हस्तक्षेप नहीं, तो उदारीकरण आवश्यक है। यदि उदारीकरण का अर्थ है दिखावे की जिंदगी के लिए दुर्लभ संसाधनों को बर्बाद करना तो मैं पूरी विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम इसे वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इन सीमाओं को महसूस करेंगे।

आर्थिक क्षेत्र के मामले में मैं समझता हूं कि जो गरीब हैं, और विशेषकर जो वंचित, पीड़ित और शोषित रहे हैं, उन्हें हमारी विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं जानता हूं कि अनेक शंकाएं हैं और अनेक आशंकाएं हैं। किंतु अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सारे राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं समझौता कर सकता हूं, किंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिष्ठा के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं होगा। पिछड़े और पीड़ित वर्गों की इस समाज में प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने की लालसा और भावना पर किसी प्रकार के समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में कहें तो विश्वभर में अल्पसंख्यक आशंकित महसूस करते हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, जो यह कहते हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में अल्पसंख्यक खंड क्यों जोड़ा? विश्वभर में अल्पसंख्यक, चाहे वे धार्मिक अल्पलसंख्यक हों, अथवा नस्लीय अल्पसंख्यक हों अथवा भाषायी अल्पसंख्यक हों, वे तीक्ष्ण रूप से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि उनके मन में आशंका और भय व्याप्त रहता है। यदि हम उनके कथनों को शाब्दिक रूप में लें, तो हम सदैव ही एक गलत राजनैतिक निर्णय पर पहुंचेंगे। हमें उनकी आकांक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उनका एक मनोविज्ञान है, एक मानसिकता है जहां वे समझते हैं कि वे अपनी सुरक्षा, अपनी समृद्धि और अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। यह राष्ट्र की जिम्मेदारी है, यह राज्य की जिम्मेदारी है और सबसे अधिक यह बहुसंख्यक समाज की जिम्मेदारी है कि वे उनके मन-मस्तिष्क से भय की भावना को दूर करें। हमें यह करना ही होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के मामले में हर कोई स्वतंत्र है। धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ नहीं है कि हम धर्म का तिरस्कार करें। धर्म मानव और ईश्वर के बीच सम्मिलन का एक माध्यम है। धर्म को मानव और ईश्र के बीच सम्मिलन और धार्मिक लक्ष्यों के लिए प्रयोग में लाया जाए, हमें इस पर झगड़ना नहीं चाहिए।

हमें इस देश में अपनी धार्मिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। मैं एक हिन्दू हूं। मुझे श्रीराम पर गर्व है, मुझे श्री कृष्ण पर गर्व है, मुझे वेदों और हमारी आर्य सभ्यता पर गर्व है। किंतु मुझे समान रूप से उन अन्य धर्मों द्वारा दिए गए योगदान पर भी गर्व है जिनका इस देश में आगमन हुआ। और यह हिन्दू धर्म की अन्य धर्मों पर श्रेष्ठता का प्रतीक है, क्योंकि हममें दया की भावना और सहिष्णुता मौजूद रही है। यदि यह दया की भावना और सहिष्णुता निकल जाए तो हिंदू धर्म अपनी शक्ति और अन्य समस्त धर्मों पर अपनी श्रेष्ठता को खो देगा।

मैं मंदिर के निर्माण के खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा। किंतु यह एक भावनात्मक मुद्दा है। भवन का निर्माण होना चाहिए। श्री राम के अन्य स्थल पर भव्य और शानदार मंदिर का निर्माण होना चाहिए उतना बड़ा जितना हम बना सकें। किंतु मैं अपने मित्रों से अपील करना चाहूंगा

कि हम मंदिर बनाने के अपने उत्साह में मस्जिद को ढहाने का प्रयास न करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य कोई मुद्दा इस के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकता। जैसा आप चाहें मंदिर का निर्माण करें, और हम सब इसमें योगदान देंगे और श्री आडवाणी जी यदि मैं प्रधानमंत्री बना रहता हूं, तो मैं कुछेक मिनटों के पश्चात् आपको मंदिर का निर्माण करने में हर प्रकार से सहयोग करने का आश्वासन दूंगा। किंतु बात इतनी सी है कि मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त कीजिए कि उनके गौरव और उनके आत्म-सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी।

*यदि वे मुझसे बात नहीं भी करते हैं, फिर भी मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक भारतीय नागरिक से बातचीत करूंगा, चाहे वह कितने ही गलत पथ पर चल रहा हो, किंतु केवल एक ही शर्त पर कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। केवल यही एक शर्त है। यदि मेरे परिवार का कोई पुत्र या परिजन गलत दिशा पकड़ता है, तो क्या मैं यह कहता हूं कि मैं अचानक ही उसका त्याग कर दूंगा।

मैं जानता हूं कि इस सभा में और दूसरी सभा में भी मैंने लोगों को कई बार अत्यधिक कड़ा रुख अपनाते हुए देखा है। किंतु संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है बातचीत, चर्चा, आपसी समझ उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना। यह संसदीय लोकतंत्र का सार है।

मेरे मित्र, सोमनाथ जी ने मुझसे पूछा कि आडवाणी जी अथवा भाजपा के प्रति मेरी क्या सोच है। मेरी एकमात्र सोच यह है-अगली पंक्ति में बैठी हुई महिला सदस्या के समस्त विरोध के बावजूद मैं दोहराता हूं-कि मैं आडवाणी जी को एक देशभक्त मानता हूं। मैं इस देश के सामाजिक और राजनैतिक जीवन के बारे में उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं और मैं श्री आडवाणी और उनके सहयोगियों से अपील करता रहूंगा-मैं उन लोगों के घर गया हूं और उनसे कहा है कि देश टकराव नहीं झेल सकता, देश एक दूसरे के साथ झगड़े में नहीं उलझ सकता। अयोध्या में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कोई नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति की मौत हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश में जब भी किसी एक पुरुष या महिला की मौत होती है, मुझे महसूस होता है कि भारत माता के एक पुत्र या पुत्री की मौत हुई है। मौत तो मौत ही है, चाहे वह हुड़दंगी के चाकू से हुई हो या पुलिस की गोलियों से। मौत में कोई अंतर नहीं है। इसलिए, मैं नहीं कह सकता कि दंगों में हुई मौत गलत है और पुलिस की गोलियों से हुई मौत सही है। किंतु कभी-कभार राज्य को अप्रिय दायित्व निभाने पड़ते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव को यह अधिक प्रबलता के साथ अंजाम देना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि कभी-कभार हजारों जीवन बचाने के लिए, लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने और एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए निर्णय लेना पड़े, कोई कार्यवाही करनी पड़े तो यह खेदपूर्ण होता है और यदि महिला सदस्या सोचतीं हैं कि मेरा खेद जताते हुए कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ, उसे टाला जाना चाहिए था। किंतु यह जिम्मेवारी राज्य मात्र की नहीं है, यह जिम्मेवारी उन सभी संबंधित पक्षों को लेनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर मैं किसी कृत्रिम प्रतिष्ठा पर नहीं खड़ा होना चाहता। मैं यह अभिजात्य रुख नहीं

*''विश्व हिंदू परिषद ने अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि जब तक आप अयोध्या में हुए नरसंहार की निंदा नहीं करते और जब तक आप श्री मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा में कहे गए शब्दों के लिए खेद प्रकट नहीं करते विश्व हिंदू परिषद के लोग आपसे अयोध्या मुद्दे पर वार्ता नहीं करेंगे''। लोक सभा की सदस्या कुमारी उमा भारती द्वारा की गई टिप्पणी का उत्तर देते हुए।

अपनाना चाहता कि क्या मुझे इस व्यक्ति से मिलना चाहिए अथवा नहीं? जो कोई भी शांति में योगदान दे सकता है, जो कोई भी समझदारी बरतने में योगदान दे सकता है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसका दरवाजा खटखटाऊंगा। यदि मुस्लिम समुदाय उस स्थल पर मंदिर के निर्माण के लिए सहमत हो जाता है, जहां मस्जिद है तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। किंतु यह साझा सहमति से होना चाहिए। यह उनकी आपसी समझदारी से मुमकिन होना चाहिए। यह उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। मैं पुनः मुस्लिम समुदाय और हिंदु समुदाय के भी धार्मिक नेताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि उन्हें साथ मिलकर बैठना चाहिए और एक समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। यह एक मानवीय मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले लंबे समय तक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। धर्म के नाम पर कृपया एक दूसरे का कत्ल न करें, यह धर्म का प्रतिवाद है, यह धर्म के खिलाफ है चाहे वह इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो या कोई अन्य धर्म। इसलिए मैं कहता हूं कि परम्पराओं का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक वे प्रगति के मार्ग में बाधा न बने। मेरे मित्र प्रो. मधु दंडवते ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान लिए गए मेरे रुख का विनम्रतापूर्वक उल्लेख किया। मैं उस समय सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से एक था। मैंने कोई बड़ा वक्तव्य नहीं दिया। जब प्रेस के कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने केवल यह कहा, मुझे अभी भी वह वाक्य याद है — यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें स्वर्णमंदिर में सेना भेजनी पड़ी और जितना शीघ्र इसे वापिस बुला लिया जाए, उतना ही अच्छा है। यही मैंने कहा था। देश भर से टिप्पणियां आ रही थीं। मेरे खिलाफ संपादकीय लिखे गए। राजनैतिक नेताओं ने मेरी भर्त्सना की और न केवल राजीव जी, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, अपितु मेरे अपने दल के नेताओं ने भी मेरी निंदा की। श्री दंडवते जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि श्री राजीव ने कहा होगा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें मैंने 11 महीनों तक समर्थन दिया, वे 1984 के चुनावों में बलिया गए और कहा ''ये सज्जन यहां से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये बलिया के भिंडरावाले हैं। इनहें पंजाब जाकर चुनाव लड़ना चाहिए''। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। मैंने उन्हें तब समर्थन दिया जब हमने उन्हें इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना था, क्योंकि मैंने सोचा कि हमारे व्यक्तिगत मुद्दों के कारण हमारे राजनैतिक निर्णयों पर पूर्वाग्रह नहीं झलकना चाहिए। मैंने राजीव जी और कांग्रेस की आलोचना की होगी। उन्होंने मेरी आलोचना की होगी। परंतु इसका अर्थ क्या यह है कि जब देश पर खतरा मंडरा रहा हो तथा जैसा कि मेरी राय है, तथा कई साथियों ने भी कहा है कि इस समय चुनाव करवाना देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, हालांकि मेरा यह आकलन पूर्णतया गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को पूरा नहीं करूंगा। मैं देश के लिए नुकसानदायक नहीं बनूंगा। मैं ऐसा बनने से इंकार करता हूं। यदि यह करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह करने को तैयार हूं। परंतु मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं किसी एक वर्ग, अथवा व्यक्ति अथवा दल से ही नहीं, बल्कि सभी से सहयोग चाहता हूं। अन्य मुद्दों के बारे में मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूं। परंतु अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से पूछना चाहता हूं कि ग्यारह माह पूर्व जब हमने सरकार बनाई थी वो हमारे घोषणा पत्र को उद्धृत कर रहे थे। उन्होंने वो घोषणा पत्र पढ़ा? पंजाब में क्या हुआ? क्या वहां स्थिति में सुधार आया? कश्मीर में क्या हुआ? जब राजीव गांधी ने कश्मीर छोड़ा.....

*** *** ***

सुनिये मैं क्या कह रहा हूं। जब राजीव गांधी ने सरकार छोड़ी, कम से कम 25 से 30 प्रतिशत लोग भारत का समर्थन कर रहे थे। जब मेरी सरकार सत्ता में आई मुझे अखबारों से पहली खबर यह मिली कि श्री जगमोहन को गवर्नर बनाया जा रहा है। मैंने अपने गृह मंत्री को पर्ची भेजी कि ऐसा मत करो, यह विध्वंसक होगा। मैंने कामरेड सुरजीत और फारूखी से याचना की कि ऐसा मत करो। मैंने कहा कि इसका कोई निजी कारण नहीं है। मेरे श्री फारूखी से किसी प्रकार के दोस्ताना संबंध नहीं थे। मैंने गृह मंत्री को यह समझाने का प्रयास किया कि समूचे विश्व से हम कहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में निरंकुश सरकार है, जबकि हमारे देश में निर्वाचित सरकार है। राजीव गांधी का मैं कट्टर विरोधी रहा हूं। जिन पांच साल राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, मैं उनसे कभी नहीं मिला। परंतु श्री राजीव गांधी अपनी समस्त खूबियों और खामियों के साथ सरकार छोड़ गए। जो भाषण हम चुनावों के दौरान दे रहे थे अब नहीं दे सकते हैं। राष्ट्र चलाने का यह तरीका नहीं कि हम श्री राजीव गांधी पर चुनाव प्रक्रिया में हेराफेरी करने का आरोप लगाए। जब श्री मुफ्ती गृह मंत्री बने तो उन्हें चुनावों में हेराफेरी की जानकारी मिल गई थी। जब वह कांग्रेस में थे, उन्हें कभी इस हेराफेरी का ध्यान नहीं आया। क्या राज्य को चलाने का यह तरीका है?

श्री सोमनाथ चटर्जी जी, जब मैं बोफोर्स की बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं-और यह मैं सिर्फ आज नहीं कह रहा हूं कि यह अजीब देश है, जहां कहते हैं कि प्रधानमंत्री बेइमान थे परंतु जिस वित्त मंत्री ने करार तैयार किया, वह ईमानदारी का प्रतीक था।

*मैं उनके साथ सहमत हूं और मानता हूं, जो वह कह रहे हैं। क्या मुझे यह समझना चाहिए कि करार अनुमोदित करवाने के बाद, वित्त मंत्री ने कभी भी फाइल को नहीं देखा अथवा उन्हें फाइल को देखने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री या तो इतने अबोध थे कि वे परिणाम से अनभिज्ञ रहे अथवा पूरे कारोबार में उनकी मिलीभगत थी। यदि वे दोषरहित थे, तो देश वित्त मंत्री के रूप में उनके हाथों में सुरक्षित नहीं था। इसमें कोई निजी कारण नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि उस समय मैं सरकार का हिस्सा नहीं था। मैंने गोपनीयता की शपथ नहीं ली हुई थी। मुझसे फाइलों के बारे में न पूछा जाए। मैं इस सदन में कभी भी फाइलों का नाम नहीं लूंगा। जब तक कि अध्यक्ष महोदय मुझे निर्देश न दें तथा यह सदन फाइलों की मांग न करे मैं अपनी ओर से सरकार की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करूंगा। परंतु आडवाणी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि बोफोर्स अथवा भ्रष्टाचार के किसी भी अन्य मामले में कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार की शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत बदले लेने के लिए नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत मित्रता निभाने के लिए भी किसी की रक्षा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मेरे विचार में सरकार के लिए यही सही रवैया होगा।

बोफोर्स के बारे में काफी कह चुका हूं। कश्मीर में कैसे हालात हैं? असम में क्या हाल हैं? तमिलनाडु में क्या स्थिति है? असम, कश्मीर और पंजाब की समस्या हमें श्री राजीव गांधी से विरासत में मिली थी, परंतु असम और तमिलनाडु में स्थिति के बदतर हो जाने के लिए कौन उत्तरदायी था?

* पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा की गई उद्धृत टिप्पणी, ''प्रधानमंत्री की जानकारी के लिए, यदि वे फाइल देखेंगे तो पाएंगे कि यह स्वीकृति वाणिज्यिक, तकनीकी तथा अन्य स्वीकृतियां दिए जाने के बाद दी गई थी। तत्पश्चात् वह फाइल कभी भी लौटकर मेरे पास नहीं आई''। का उत्तर देते हुए।

उस तरफ के एक मित्र ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा। मैं आपको और समूचे देश को आश्वासन देता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे उसका जो भी परिणाम हो। मैं असम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं उनके साथ इस विषय पर चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र में उपयुक्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा परिस्थितियां अपना मार्ग स्वयं ही बना लेंगी। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता क्योंकि भारत सरकार इतनी बेबस नहीं है। यदि भारत सरकार दिल्ली में बेबस बैठी है तो हम में से किसी को एक मिनट के लिए भी यहां बैठने का हक नहीं है। यह पूर्वाग्रह की बात नहीं है। इसमें किसी को चुनौती नहीं दी जा रही है। यह कर्त्तव्य निभाने की बात है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के भारी कुप्रबन्ध के बारे में, मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह कह सकता हूं कि हमने अपने लोगों, अपने उद्योगपतियों, अपने कामगारों को गलत संकेत दिया है। लोग हताश और निराश हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय महसूस करता है कि भारत ढहने के कगार पर है। हमारे नागरिक, जो भारत से बाहर हैं, यह मानते हैं कि भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके और इन लोगों के सहयोग से हम इस देश को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेंगे और हम इसके गौरव, जिसके योग्य यह राष्ट्र है, की पुन: स्थापना करेंगे। हमें केवल अपने मेहनतकश लोगों, अपने कृषकों और अपने कामगारों के खुले समर्थन की जरूरत है। हम उन सभी भारतीयों का समर्थन चाहते हैं जो भारत के बाहर हैं, क्योंकि वे भी उतने ही देशभक्त हैं जितने हम हैं। हम सभी मित्र राष्ट्रों का सहयोग चाहते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम इस संकट से अपनी कमर कस कर ही बाहर निकल सकते हैं। मितव्ययिता आवश्यक है। महात्मा गांधी ने जो मितव्ययिता का नारा दिया था वह केवल नारा नहीं था बल्कि यह हमारी आर्थिक रणनीति का एक भाग था। स्वदेशी और स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी। मुझसे गीता मुखर्जी ने यह प्रश्न पूछा था। हमारे पास स्वदेशी और स्वावलम्बन को यथासम्भव अपनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमें अन्य राष्ट्रों से मदद की जरूरत पड़ेगी।

हम मुख्य रूप से यही प्राप्त करना चाहते हैं। यह तो भविष्य ही बताएगा कि हम इसे प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। मैं कोई भारी-भरकम दावा नहीं करना चाहता हूं। मैं इस सरकार की सीमाएं जानता हूं, मेरे मित्र आडवाणी जी कुछ समय से मुझे जानते हैं, मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन एक कठपुतली नहीं हो सकता हूं। मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा है जो मेरा उपयोग कठपुतली के रूप में कर सके। हमारा वास्ता इस देश के बड़े-बड़े लोगों से रहा है। यदि आपके आशीर्वाद और समर्थन से अब आरम्भ नहीं करने वाला है। लेकिन चूंकि कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, मैं उन लोगों की आलोचना करने नहीं जा रहा हूं जो लोग मेरा समर्थन करने के लिए संकट की घड़ी में हमारा समर्थन करने आए हैं, लेकिन यह मेरा संकट नहीं है बल्कि देश का संकट है और मैं उन लोगों का आभारी हूं और उनके समर्थन को स्वीकार करता हूं, जो मेरे समर्थन में खड़े हैं। मैं गुप्त रूप से कोई काम नहीं करना चाहता हूं। यदि मैं लोगों से मिलता हूं, तो उनसे खुलकर मिलता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों से गुप्त रूप से मिल रहा हूं। मुझे क्यों किसी से गुप्त रूप से मिलना चाहिए? श्री राजीव गांधी को मुझसे मिलने में कुछ हिचकिचाहट हो सकती है। लेकिन मुझे श्री राजीव गांधी से मिलने में कोई हिचकिचाहट कभी नहीं थी। यदि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी से मिलने जा सकता हूं तब प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी के यहां जाने में क्या हिचकिचाहट होगी? यदि ऐसा अवसर आता है तब मैं अपने सबसे बड़े

आलोचक के दरवाजे पर भी जाऊंगा। लेकिन चाहे आप मेरे समर्थक हो या आलोचक, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप मुझे उस रास्ते से हटाने का प्रयास न करें, जिसे मैंने अपने लिए चुना है। मैं यहां एक उर्दू कविता का प्रयोग करना चाहूंगा:—

''मेरे कदम के साथ है, मेरी मंजिल लगी हुई,
मंजिल जहां नहीं, वहां मेरे कदम नहीं।''

आपको अवश्य आरम्भ करना चाहिए, मैं अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को जानता हूं। यदि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तब मैं किसी रास्ते पर सिर्फ अकेले चलने के लिए नहीं चलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्तिम मुद्दा जिस पर मैं बोलना चाहूंगा वह है दल-बदल। दल-बदल के बारे में नैतिक शिक्षा दी गई है। कई बातों का उल्लेख किया गया है। मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय जब दल-बदल निरोधक कानून पारित किया गया था, इसमें यह नैतिकता छिपी थी कि यदि किसी दल से एक-तिहाई लोग बाहर जाते हैं तब इसे दल-बदल नहीं माना जाएगा। यह उन लोगों के लिए रियायत नहीं थी कि जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यह दल-बदल नहीं था। लोगों को यह समझाना चाहिए कि एक दूसरा शब्द भी होता है जिसे विरोध मतभेद कहते हैं। समाज विरोध और मतभेद से आगे बढ़ता है। यदि मतभेद और विरोध की अनुमति नहीं दी जाती है तब समाज गतिहीन हो जाएगा और गतिहीनता का अर्थ है निश्चित मृत्यु। जब हम यह देखते हैं कि कुछ मौलिक गलतियां हो रही हैं और पूरा देश विनाश की ओर ले जाया जा रहा है, तब हमारा राष्ट्रीय दायित्व होता है कि हम प्रतिरोध करें हमें विरोध करना चाहिए और मुझे गर्व है कि इस ओर के हमारे सहकर्मी उन बातों का विरोध कर रहे हैं, जो घटित हो रहा है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी सदस्यों की संलग्नता चाहता हूं। मैं इस महान प्रयास कार्य में, जो हमारे सामने हैं, आपका समर्थन मांगता हूं, ताकि इस देश को यह गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान की जा सके, जिसका यह हकदार है। आप सबको धन्यवाद।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र[1]

अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले, कुछ सदस्यों की बात न सुनने के लिए मैं आपसे मांफी मांगता हूं। कई सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और देश के सामने उपस्थित समस्याओं का उल्लेख किया। मैं उन सभी समस्याओं का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि इन पर सभा में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन मैं उन मूल समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिन्हें यहां उठाया गया है।

सबसे पहले, मैं श्री राम कृष्ण यादव द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बोलना चाहता हूं। यद्यपि, वह अंतिम वक्ता थे, तथापि उन्होंने मानवीय गरिमा, गरीबी, आपदा और भूख के संबंध में मूल प्रश्नों को उठाया है, जोकि हमारे देश से जुड़े हैं।

स्वाधीनता संग्राम के पश्चात् बनाए गए संविधान में, हमने मानवीय गरिमा की सुरक्षा का वचन दिया है। हमने यह भी कहा है कि हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति हमारी श्रम शक्ति है और हमारे देश का विकास इस मानवशक्ति पर निर्भर है। महात्मा गांधी ने हमसे कहा था कि जब तक किसी श्रमिक की गरिमा को नहीं समझेंगे तब तक हम नए भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हमें इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा और हमें ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था, परन्तु यह दु:खद है कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष के गठन का प्रस्ताव करते हैं तो इसके पीछे यह मंशा होती है कि करोड़ों लोगों की श्रम शक्ति का समुचित रूप से उपयोग किया जाए। हमने यह भी कहा है कि करोड़ों युवाओं की इस श्रम शक्ति का उपयोग हमारे देश में मौजूद गरीबी, भूख, अशिक्षा, असमानता को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह वह संपत्ति है, जो हमें सबसे बड़ी ताकत दे सकती है।

श्री राम कृष्ण यादव ने यह कहा है कि यह विडंबना है कि हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति उदारवादी आदर्शों से परिपूर्ण है तब भी हमारे देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ों को दूसरों के बराबर नहीं समझा जाता है। उन्हें इससे पीड़ा होती है। इस असमानता को दूर करने के लिए हमें उन्हें समाज में विशेष अवसर प्रदान कर दूसरों के बराबर लाना होगा।

उन्होंने यह भी कहा है कि पिछड़े वर्गों और गरीबों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि हम अपने देश में सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में सांप्रदायिकता अपना सिर उठा रही है और लोग धर्म के नाम पर एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखता है। बार-बार हमने संसद में अपने इस संकल्प को दोहराया है कि हम धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। यह आवश्यक है कि इस संबंध में कदम उठाए जाएं।

[1] प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने से पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए, लोक सभा, वाद-विवाद, 06 मार्च, 1991 का. 804-814

हमारा देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है। श्रम शक्ति हमारी सम्पत्ति है, लेकिन इसका समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यही कारण है पहले यह कहा गया था कि काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही हमें रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने होंगे और उसके लिए हमें अपने देश के विभिन्न संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करना होगा। हमें यह निर्णय करना होगा कि क्या हमें सीमित संसाधनों का उपयोग जीवन की विलासिताओं को उपलब्ध कराने के लिए करना है या गरीबी हटाने के लिए।

हमने ऐसा कहा था और राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में जोर दिया है कि हमें अपने समाज के समृद्ध और गरीब वर्गों के बीच के अति विस्तारित अंतर को भरने के लिए नवोन्मेषी कदम उठाने होंगे। हमें किसी की समृद्धि से कोई ईर्ष्या नहीं है, हमारा समृद्ध लोगों से कोई संघर्ष अथवा दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम गरीब और असहाय लोगों की अंधेरी दुनिया में आशा की लौ जगाना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से, समृद्ध लोगों को कुछ बलिदान करने होंगे। हमारे देश मे ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिएं। यही कारण है कि हमने अपने देश के लिए योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को चुना। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। मेरे पुराने, अच्छे मित्र और वरिष्ठ नेता श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ने कहा है कि योजना आयोग का उल्लेख किया गया था। यदि वह भाषण के तत्वों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, तो वह पाएंगे कि मैंने कहा था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा 31 मार्च तक तैयार हो जाएगा। हम योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को न तो नकार सकते हैं और न ही इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। यदि किसी बड़े देश की अपेक्षाओं और जरूरतों को सीमित संसाधनों के साथ पूरा किया जाना है तो यह बहुत आवश्यक है कि आयोजना के विचार को प्राथमिकता दी जाए और योजना आयोग उस अंधकार को भरने का प्रयास कर रहा है और आज भी, यह उसी दिशा में काम कर रहा है।

मेरे माननीय मित्र, श्री सोमनाथ चटर्जी ने बार-बार बेरोजगारी, गरीबी जैसी ज्वलंत समस्याओं को और कामकाजी वर्ग के समक्ष उपस्थित समस्याओं को उठाया है। हमारा यह मानना है कि यदि बेरोजगारी की समस्या को नहीं रोका गया तो इससे बेरोजगारों के दिमाग में तनाव और दु:ख बढ़ेगा। गरीबी अपने-आप में एक अभिशाप है, लेकिन बेरोजगारों के दिमाग के तनाव और दु:ख से न केवल समाज में अव्यवस्था पैदा होगी, बल्कि हमारे समाज के ताने-बाने को भी नुकसान होगा। मेरे कुछ मित्रों ने यहां, असम, पंजाब और कश्मीर के संबंध में प्रश्न उठाए हैं। मैं विपक्ष के नेता, श्री एल.के. आडवाणी का आभारी हूं कि उन्होंने इन ज्वलंत प्रश्नों के महत्व को सही से समझा। हमारे हर तरह के प्रयासों के बावजूद आज भी पंजाब में स्थिति सामान्य नहीं है। आज भी, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हमने खून-खराबे के इस माहौल में बदलाव लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। हमने हमेशा बात चीत के सहारे इस मुद्दे को सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, लेकिन मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि तनाव कम हुआ है भले ही वहां कोई स्पष्ट परिवर्तन न हुआ हो। हमने उस दिशा में प्रयास किए हैं और आने वाले दिनों में भी हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हम यह दावा नहीं करते हैं कि हमने धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर दिया है, न ही मैंने पहले कभी ऐसा वादा किया है और न मैं आज इसका वादा करता हूं। तथापि, मेरा विश्वास है कि—

''माना कि हम चमन को गुलजार न कर सके,
कुछ खार तो हम कर सके, गुजरे जिधर से हम।''

यद्यपि हम आदम का बगीचा स्थापित करने में सक्षम नहीं थे, फिर भी हमने रास्ते से कुछ कांटों को यह विचार किए बिना हटाया है कि उनमें से कुछ हमारे पांवों में घुस गए हैं। मेरे भाई, श्री इंद्रजीत गुप्त ने एक बड़ी नेक सलाह दी है कि चन्द्रशेखर को कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सोचता हूं और मैं उन्हें भी जानता हूं जिन पर मुझे विश्वास है और जिन पर विश्वास नहीं है। जो इस तरफ बैठे हैं और जो उस तरफ बैठे हैं, दोनों के साथ ही मेरा अनुभव समान है। मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। हर सदस्य ने देश के समक्ष उपस्थित संकट का उल्लेख किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत और इन समस्याओं का डटकर सामना करने के लिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि हमें स्वयं के अंदर विश्वास और आपसी भरोसे की भावना को भरना होगा, क्या यह आवश्यक नहीं है कि हमें एक-दूसरे में भरोसा हो? हम नहीं कहते कि कोई भी अकेला व्यक्ति पूर्ण सक्षम और सर्वशक्तिमान है। मैंने बहुत से लोगों से बलिदान की कथाएं सुनी हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने यहां कहा है कि हमें अपनी आकांक्षाओं पर रोक लगानी चाहिए और हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को हमें अंधा नहीं बनाना चाहिए। मुझे दु:ख होता है जब मैं ये चीजें उन लोगों के मुंह से सुनता हूं, जिन्होंने लंबे समय से संजोयी हुई अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए बहुत बार मेरा दरवाजा खटखटाया है। मुझे इस संबंध में और कुछ नहीं कहना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं (व्यवधान)..... क्योंकि इस सभा के माध्यम से मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूं कि मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। जब देश संकट से गुजर रहा है तो ऐसे समय में हम भरोसे का माहौल बनाना चाहते हैं और हमारी निन्दा करने वाले यह महसूस करते हैं कि हम गलत हैं तो उन्हें इस बारे में खुश होने दीजिए। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। विश्व इतिहास में कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं है, जिसे कभी न कभी धोखा न दिया गया हो। किसी को धोखा देना बहुत गलत है, लेकिन धोखा खाना कोई अपराध नहीं है। हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न तो इधर बैठे लोगों को और न ही उधर बैठे लोगों को। यदि ये धोखेबाज बार-बार कोशिश कर अपने अभियान में सफल हों तो मुझे लगता है यह मेरे जीवन की उपलब्धि होगी। एक बात तो श्री आडवाणी या श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कही थी या शायद उन दोनों ने ही कही थी कि सरकार के गिरने के लिए विपक्षी दल जिम्मेदार हैं। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकारें विपक्षी दलों के कारण नहीं गिरती हैं, बल्कि यह समर्थन देने वाला दल होता है जो किसी सरकार के गिरने के लिए जिम्मेदार होता है। इस मुद्दे को लेकर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे कैसे कर रहे हैं और उनका क्या करने का इरादा है, लेकिन मैं यहां यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से आलोचना या मौखिक हमले करने की बात समझ में आती है, लेकिन समर्थन देने वाले दल की अकर्मण्यता, निष्क्रियता और सभा से अनुपस्थिति शायद इतिहास में अनोखी और अपूर्व है।...(व्यवधान)...

मैं इसे अच्छे से समझता हूं, लेकिन अब मापदंड सामने आ रहे हैं। कृपया ऐसा मत सोचिए कि मैं गुस्से में हूं, मैंने हमारे बहुत से मित्रों को यह कहते सुना है कि मैं दु:खी हूं और मैं गुस्से में हूं; न तो मैं गुस्से में हूं और न ही दु:खी हूं। उन शुभचिन्तकों के अनुसार मैं किसी भी जिम्मेदारी के पद को संभालने के लिए अयोग्य हूं और सरकार में ऊंचे पदों पर विराजमान कुछ लोगों का त्याग, क्षमता समर्थता और योग्यता ऐसी थी कि वे इन ऊंचे पदों के लिए पर्याप्त लायक थे, लेकिन इन मित्रों के अनुसार मैंने, जिसे सभी के द्वारा अनदेखा और अलग-थलग कर दिया गया था, इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया और पहले ही उपलब्ध क्षण में इसे हासिल कर लिया। यदि आपको ऐसी बातें कहने

में संतोष प्राप्त होता है, बल्कि मैं कहूंगा कि अपने बेहूदा विचारों से आप अपने आचरण को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे व्यक्तित्व को बौना नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैंने 1962 से अपनी महत्वाकांक्षाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखा है, जब मैं पहली बार संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, मैं 1990 में भी निर्वाचित हो सकता था लेकिन कुछ कारणों से मैं ऐसा नहीं कर पाया जिनके बारे में श्री आडवाणी पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। मेरा मानना है कि देश संकट से गुजर रहा है और यह एक खतरनाक स्थिति, एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जिसका श्री आडवाणी उल्लेख कर रहे थे। शायद मैं गलत हो सकता हूं, मेरे निर्णय गलत हो सकते हैं लेकिन मैंने सदा ही अपनी पूरी शक्ति के साथ उन षडयंत्रों को विफल करना चाहा है जो देश को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं इतिहास में अंतिम व्यक्ति नहीं हूं। इतिहास के अन्तिम व्यक्ति वे हैं जो .....इतिहास के अंतिम व्यक्ति वे है जिनके साथ राजनीति समाप्त हो रही है। मैं ऐसे लोगों में शामिल हूं जो यह मानते हैं कि यदि गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज नेताओं के बिना देश चल सकता है, तो यह निश्चित रूप से चन्द्रशेखर के बिना भी चल सकता है, परन्तु कुछ सिद्धांती लोग हैं, जिनके बिना यह देश नहीं चल सकता।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रयासों और उसके परिणामों को आंकने का कार्य देश और विश्व का है और उन्होंने ऐसा कर लिया है। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि अनेकों लोगों ने यह पाया है कि गरीब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में गरीबी, भुखमरी, सामुदायिक उन्माद और नकारात्मक भावना की उत्पत्ति केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि, यह संकट पूरे विश्व में है। इसके अतिरिक्त, ऐसी ताकतें उभर रही हैं, जो विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा हैं। मैं खाड़ी युद्ध के मुद्दे पर पहले ही विस्तार में बोल चुका हूं जिसे यहां कई बार उठाया गया था। इस मुद्दे पर गंभीर विचार करने के पश्चात् मैंने भारत के रुख पर निर्णय लिया था और मैं इस बात को यहां दोहराना चाहता हूं कि हम फिलिस्तीन के लोगों की स्वाधीनता के पक्ष में हैं, परन्तु हमें कभी नहीं लगा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कुवैत पर विजय पाना आवश्यक है। यदि इस मूर्खतापूर्ण दलील में कोई तर्क है तो वह केवल वे ही इसे समझ सकते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद, आज तक भी, भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है, जो स्पष्ट रूप से इराक के साथ दृढ़ता से खड़ा है। इराकी अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना, इसका पुनर्निर्माण और इसका विकास इसके लोगों के दीर्घकालीन हित में होना चाहिए। आज, जब पहली बार भारत से मदद मांगी गई, हमारे देश ने पहल की और हम कुवैत और इराक दोनों को युद्ध में बर्बाद हुई अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए यथासंभव सहायता प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि एक क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां पर रहने वाले लोगों की है। कोई अन्य देश वृहत परिप्रेक्ष्य में उसकी पुलिस का कार्य नहीं कर सकता और उस देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है और हम पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध करेंगे, परन्तु विश्व शांति के कुछ स्वयंभू हिमायती हैं जो हर जगह और हमेशा हस्तक्षेप करते हैं और दावा करते हैं कि वही दुनिया को चला रहे हैं। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से जानना चाहूंगा कि क्या विदेश नीति कोरी आदर्शवादी कल्पना है या कल्पना की ऊंची उड़ान है? नहीं, मेरे विचार से, यह देश के वृहद हितों की रक्षा करने का एक हथियार है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना सर्वोच्च महत्वपूर्ण है और ऐसा करते समय, हमें अपने सिद्धांतों से हटना नहीं चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा।

मैं उस प्रकार की बात में नहीं जाना चाहूंगा, हमनें दूसरों की आलोचना करने की आदत विकसित कर ली है और हमने अपने अन्दर ही उत्साहहीनता की भावना को विकसित कर लिया है। हम अनावश्यक रूप से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और महसूस करने लगते हैं कि हम बर्बाद हो गए, अब हमारी किसी को चिंता नहीं है और हम विश्व में पिछड़ गए हैं, इत्यादि। परन्तु, सवाल यह है कि हम किस क्षेत्र में पिछड़ गए हैं? जिस देश में 85 करोड़ की जनसंख्या वाली श्रमशक्ति है, उसे कौन पीछे ढकेल सकता है? हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं है, बल्कि उन 85 करोड़ लोगों में है। कभी-कभी, हम अमरीका से सहायता ले सकते हैं, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका को भी हमारी मदद की आवश्यकता है। एक छोटे से मुद्दे पर हममें से कुछ लोग भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे कि हम अमरीका के गुलाम बन गए। यहां ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में, एक व्यक्ति वही बोलता है जो उसके मस्तिष्क में होता है और हममे से कुछ लोगों के अंदर गुलामी की मानसिकता है। अत:, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में काफी शक्ति है और हम इसे जहां भी आवश्यक हो, चाहे यह चीन हो, पाकिस्तान या इरान, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि विश्व के लगभग सभी देशों ने भारत की भूमिका को सराहा है। परन्तु यहां कुछ तथाकथित लोग खुदाई खिदमतगार हैं जिन्हें सर्वत्र अंधेरा ही दिखाई देता है। यदि सूरज की धूप में एक पक्षी को दिखाई नहीं देता है तो यह धूप की त्रुटि नहीं है बल्कि पक्षी की आंखों की समस्या है। मैं इससे अधिक नहीं कहूंगा।

हमें एक रास्ता चुनना होगा, जिसे भारत को अपनाना है। इस देश द्वारा कौन सी भूमिका अवश्य निभाई जानी चाहिए? क्या भारत को इन शक्तियों को आंख मूंदकर समर्थन करना चाहिए। नही, यह मुद्दा आंखमूदकर समर्थन करने वाला नहीं है। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, हम गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं। हम पिछड़े और विकासशील देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने मित्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के लोग विश्व में कहीं भी उपनिवेशवाद या शोषण के विरुद्ध पीड़ितों के साथ उनकी आवाज को उठायेंगे। जहां कभी भी शांति भंग होगी हम उनके साथ होंगे। यह हमारी नीति और सिद्धांत है और हम इसे हमेशा बनाए रखेंगे।

महोदय, यहां कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। ऐसा भी कहा गया है कि मेरी सरकार कठपुतली सरकार है और इसने कोई भी निर्णय इसी तरीके से लिए हैं। मुझे अन्य निर्णयों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, परन्तु एक तमिलनाडु के बारे में है, जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा चल रही है। आप इसमें पांडिचेरी को भी सम्मिलित कर सकते हैं। यदि आपको मेरी सूचना पर भरोसा नहीं है तो आप समाचार पत्रों में पांडिचेरी की स्थिति पर सूचनाओं को पढ़ सकते हैं। परन्तु यहां पर केवल तमिलनाडु के बारे में ही बात करना चाहूंगा। इस सभा के वर्तमान सत्र और पिछले सत्र के दौरान भी मैंने अपने कुछ मित्रों, जो विपक्ष के नेता हैं, से व्यक्तिगत बातचीत की थी। तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त नहीं करने का आश्वासन मुझसे मांगा गया था। उसके प्रत्युत्तर में, मैंने उनसे कहा था कि यदि तमिलनाडु अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने के लिए अतिरिक्त मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं होगा।

*** *** ***

मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं इस सरकार को बर्खास्त नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि इसे बर्खास्त करने से पहले मैं सौ बार सोचूंगा। मेरे अंदर इतनी बुद्धि तो है। मैंने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया क्योंकि यह अपरिहार्य हो गया था।

*** *** ***

मैं ऐसी विवादास्पद चर्चा में अपने को उकसाना नहीं चाहता हूं और न तो मैं उन चीजों को दोहराना चाहता हूं जो तमिलनाडु सरकार के बर्खास्तगी के कारणों की व्याख्या करता है। सभा के रिकार्डों में, विपक्ष के एक नेता, श्री गुरूपद स्वामी, जो माननीय दंडवते जी के दल से संबंधित हैं, का वक्तव्य है। उसको पढ़ने के बाद, किसी को भी जानकारी हो सकती है कि मैंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा? मैं एक स्थान पर एक बात और दूसरी जगह पर दूसरी बात नहीं कहता। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जिसने इस सदन में मुझे समर्थन दिया है। मैं यह नहीं कहता कि मैं उस पार्टी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दूंगा।

परन्तु, प्रत्येक चीज़ की एक सीमा होती है और मैं उस सीमा को पार करने के लिए किसी प्रकार बाध्य नहीं हूं। यद्यपि, देश हित में, किसी को भी अनेकों बार समझौता करना पड़ सकता है। पिछले दो-तीन दिनों में, इस सभा में और दूसरी सभा में होने वाली घटनाओं के बारे में श्री आडवाणी जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं उनसे सहमत हूं। निश्चित रूप से, यह बेहद खेदजनक और धृष्ट स्थिति है। मैं इसे इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योकि आपकी अध्यक्षता में चर्चा हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में हस्तक्षेप करना और कुछ कहना उचित नहीं समझता। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि न तो मैं कोई सामंजस्य कर रहा था और न ही कोई समझौता। मुझे पता है कि किस सीमा तक मुझे जाना है। मुझे पता है कि किस समय कौन सा कदम उठाना है। यदि वे अपना सहयोग देते हैं तो उनका स्वागत है और नहीं देते हैं तो भी उनका स्वागत है। वे अपनी इच्छा के मालिक हैं और उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि वे हमारा समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। परन्तु, मैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को एक बात कहना चाहूंगा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि दो कांस्टेबलों के मुद्दे पर भारत के संविधान को खतरे में डालना और संसद को ऐसी असामान्य स्थिति में लाना उचित नहीं है। जो कुछ भी हो, किसी व्यक्ति की चेतना जिसकी अनुमति देती है, वह व्यक्ति वही कार्य करता है। मैं इस संबंध में कोई और बात नहीं कहूंगा। यही कारण है कि उस पक्ष के किसी व्यक्ति ने मुझे कठपुतली कहा है। उनकी चेतना इससे अधिक उन्हें सोचने की अनुमति नहीं देती है। एक कठपुतली केवल एक कठपुतली को ही देखेगी। उन्हें यह पता नहीं है कि कभी एक छोटा हनुमान भी पूरी लंका को जला देता है। हनुमान, छोटा होने के बावजूद भी ...(व्यवधान)... आप अपने मस्तिष्क से ऐसी गलतफहमी निकाल दीजिए। यह किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। यहां पर व्यक्ति का विश्लेषण आवश्यक नहीं है। अपितु, देश की परिस्थितियां और समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। हम इन समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकते। कभी-कभी हम सभी को मिलकर इन समस्याओं पर विचार करना पड़ता है। मैं विपक्ष के उन सभी नेताओं का आभारी हूं जिन्होंने इस संवैधानिक संकट के समाधान हेतु अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से कुछ समाधान निकलेगा। मुझे विश्वास है कि इस संकट के समाधान में आप सभी लोग सहयोग करेंगे। मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि शासन की संसदीय प्रणाली में राजनीतिक सत्ता काफी हद तक गणितीय संख्या पर निर्भर करती है और इस संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। मुझे यह पता नहीं है कि वे कहां हैं? ...(व्यवधान) मैं इस बारे में भी निश्चित नहीं हूं कि मुझे उनका समर्थन प्राप्त है या नहीं? परन्तु, यह निश्चित है कि उनके इस प्रकार के व्यवहार से अब मैं अपनी सरकार नहीं चला सकता। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए राष्ट्रपति के पास जाऊंगा और मैं आपसे सभा को अभी स्थगित करने का आग्रह करता हूं। अब, माननीय राष्ट्रपति के निर्णय पर ही सब कुछ

निर्भर करेगा। मैं इस बारे में अपने साथियों से सलाह ले चुका हूं। हमने यह निर्णय कल ही ले लिया था कि ऐसी परिस्थितियों में इस सभा की कार्यवाहियों को जारी रखना न तो तर्कसंगत है और न ही आवश्यक है। मेरे निर्णय के अनुसार, यह सरकार त्यागपत्र देने जा रही है। सभा की परम्पराओं के अनुसार, मेरे त्यागपत्र की घोषणा के बाद इसकी कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। महोदय, आपसे मेरा यह औपचारिक निवेदन है कि इस सभा को स्थगित करें क्योंकि सरकार के बिना इसकी कार्यवाही नहीं चल सकती है। मैं राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र सौंपने जा रहा हूं। मैं अपने मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि मेरी तरफ से कोई राजनीतिक दांव-पेंच नहीं होगें। यदि दूसरे पक्ष के लोग भी ऐसा करें तो यह अच्छा होगा। मेरी यह इच्छा है कि हम सभी लोग एक साफ-सुथरी राजनीति की ओर आगे बढ़ें।

अविश्वास प्रस्ताव, 1993*

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम यहां फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्तावों पर यहां अनेक बार चर्चा हुई है और यदि सरकार इसमें बच जाती है तो सत्ता पक्ष के लोग इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हमारे देश में जो व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में रहता है उसे सफल राजनीतिक नेता माना जाता है। इसमें उन्हें सफल होना ही है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं।

विगत में जो कुछ हुआ और इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इन दिनों जो कुछ हो रहा है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बेशक सरकार इस प्रस्ताव को पारित न होने दें, लेकिन यह निश्चित है कि वे इस देश की स्थापित परंपराओं को और अधिक विकृत कर देंगे। हमारी संसदीय परंपराएं, संसदीय मूल्य, राजनीतिक आचरण और राजनीतिक नैतिकता एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना चाहते हैं, को बचाने के लिए दांव पर लगी है और जिसके लिए कांग्रेस दल के सभी सदस्य संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, माननीय अर्जुन सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कतिपय शर्तों के साथ किया जा सकता है। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने और उनके मित्रों ने यह जानने का कोई प्रयास किया कि दूसरे दलों के सदस्य उनके विरुद्ध क्यों हैं। अनेक विचारधाराओं के लोग इस सरकार को हटाने के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए बाध्य क्यों हो रहे हैं। यह आपसी विद्वेष के कारण नहीं है अथवा ऐसा भी नहीं कि इस सरकार को हटाकर वे सत्ता पाना चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं डाली जानी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं कुछ गंभीर बात है जिसके लिए लोग यह सोचते हैं कि यदि यह सरकार बनी रही, तो देश की समस्याएं और अधिक विकट हो जाएंगी और यह देश के लिए और अधिक शर्मनाक स्थिति होगी। यह कोई आक्षेप नहीं है। मैं श्री चिदंबरम का वक्तव्य सुन रहा था। मैं नहीं जानता कि वह आज यहां उपस्थित हैं अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सपना देखा और श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री सोमनाथ चटर्जी से पूछा कि उनके आदर्शों तथा सोवियत संघ के पास नए समाज का निर्माण करने की विचारधारा का क्या हुआ। मार्क्सवाद कहां चला गया? विश्व के बारे में आपकी विचारधारा का समर्थन कौन करेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चिदंबरम जैसे लोगों को यह स्मरण नहीं है कि महात्मा गांधी ने इस देश को कुछ विचार और सिद्धांत दिए थे जिनका विश्वभर में सम्मान किया जा रहा है। श्री अर्जुन सिंह उन विचारों का मज़ाक बना रहे हैं और मंत्रिमंडल में बने रहने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी के सपनों के भारत का विजन कहां खो गया है? आप धाराप्रवाह अंग्रेजी में भाषण दे सकते हैं, आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के नाम पर हम पर कटाक्ष कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक हमारा अपना बैंक है। लेकिन जब ये आपको कुछ सलाह देते हैं, तो आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार जो अत्यंत विकट परिस्थिति से

* मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 28 जुलाई, 1993 का. 469-483

गुजर रही है वह अग्निपरीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। सीता को चौदह वर्षों के वनवास के बाद अग्निपरीक्षा देनी पड़ी थी। इसी प्रकार इस 'सीता' को भी अग्निपरीक्षा देने से पहले कम से कम दो वर्षों के लिए वनवास पर जाना चाहिए लेकिन यह अग्निपरीक्षा अलग है। मुझे ऐसी 'सीता' से कोई सहानुभूति नहीं है और न ही मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मुझे डॉ. मनमोहन सिंह जैसी सीता से सहानुभूति है जो यह भलीभांति जानते हुए भी कि स्वर्ण मृग जैसी कोई चीज़ नहीं है फिर भी वह उसकी तलाश में हैं तथा राम और लक्ष्मण पर उसको ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनके लक्ष्मण कौन हैं। मैं श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वह मेरे मित्र हैं। उनको आशा है कि आई.एम.एफ., विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य देश हमारी मदद करेंगे और हमारा देश स्वर्ग जैसा हो जायेगा। हमारा पूर्व का अनुभव कैसा रहा है? क्या अन्य देशों ने यह नहीं किया। आपने कतिपय देशों के नाम लिए हैं। लेकिन इसके विस्तार में जाने का वक्त मेरे पास नहीं है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वह विश्वभर में अमरीका की विदेश नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने अन्य देशों में आंदोलनों को समाप्त करने में सहायता की। रूस में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। हम लेनिन-मार्क्स को भूल सकते हैं लेकिन हम यह कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने पीड़ा, भुखमरी और वेदना सह रही मानव जाति के लिए सही दिशा में कदम उठाया था। मैं इसकी बारीकी में नहीं जाना चाहता कि यह सफल कैसे हुआ लेकिन आपने जिस नई आर्थिक नीति की घोषणा की वह विश्व के लिए नई नहीं है। क्या यह आर्थिक नीति मानव जाति की पीड़ा और शोषण पर आधारित नहीं है। क्या यह नीति विश्व मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति संवेदनशीलता पर आधारित है। मैं श्री अटल जी और श्री आडवाणी जी को यह बताना चाहता हूं कि वे जिस आर्थिक नीति का समर्थन कर रहे थे वह संवेदना पर आधारित नहीं थी। संवेदना और गला-काट प्रतिस्पर्धा साथ-साथ नहीं चल सकते। इस नीति का उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना है, अतः यह सही अर्थों में आर्थिक नीति नहीं है। वे अपने निजी हितों को साथ में और कुछ पाने की दिशा में मदद करेंगे। कौन नहीं जानता कि समूचे विश्व के देश भारतीय बाजार पर नियंत्रण करने की प्रतिस्पर्धा में हैं। आप उस दौड़ के शिकार बनते जा रहे हैं। छह महीने से एक वर्ष की अवधि के दौरान आपने कई वायदे किए। आपने इस सदन में और बाहर यह कहा था कि अमरीका आपका मित्र बन गया है। हमारे और अमरीका के बीच कोई विवाद नहीं है। ऐसा कहा गया था कि अमरीका पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने वाला है और इस बात का काफी प्रचार भी हुआ था। किंतु जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो सरकार ने बहुत धीमे स्वर में यह कहा कि उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ दिया। अमरीका तब तक उस देश को आतंकवादी राष्ट्र घोषित नहीं करेगा जब तक भारत स्वयं को हिन्दू राष्ट्र घोषित नहीं करता। वे ऐसा कभी भी आपके अटल जी या आडवाणी जी के अनुनय पर नहीं करेंगे। 'हिंदू' की परिभाषा किसी साधु अथवा संत द्वारा दी जानी चाहिए जो राजनीति से ऊपर हो, तब उन्हें हिंदू कट्टरपंथी राष्ट्र की जरूरत पड़ेगी जो इस्लामी रूढ़िवाद से संघर्ष करे।

यह वैश्विक राजनीति इतनी सहज नहीं है और हमारी सरकार इसका शिकार बन गई है। इसलिए मैं इस सरकार का विरोध करता हूं। एक ओर भ्रष्टाचार है और यदि किसी ने पैसा लिया है तो वह सभी को मालूम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 2-3 महीने पहले एक बैठक बुलाई थी और भारत के एक प्रतिनिधि ने उसमें हिस्सा लिया था, मैं उनका

नाम नहीं बताना चाहता। हालांकि ऐसा कहा गया है कि वह व्यक्तिगत स्तर पर इसमें भाग लेने गए थे। एक ऐसा प्रस्ताव किया गया था कि कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। मेरे मित्र श्री चिदम्बरम अभी-अभी एक योजना की चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने 1988 में पंजाब की समस्या का समाधान करने के लिए बनाई थी। वह इस योजना के लिए अपनी प्रशंसा कर रहे थे जिसके कारण पंजाब में शांति स्थापित हुई। मैं पंजाब के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। श्री राजेश पायलट ने कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए एक योजना की ओर संकेत किया था कि लेह-लदाख और जम्मू को अलग कर दिया जाए। इनको भारत में शामिल कर घाटी के लोगों को ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि इन्हें स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान की जाती है तो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी और कश्मीर समस्या सुलझ जाएगी। कुछ सहयोगी ऐसा सोचते हैं कि यदि घाटी को अलग कर दिया जाता है तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अटल जी, मैं आपसे भी कह चुका हूं कि यह बहुत खतरनाक खेल है। यदि यह योजना निष्फल होती है तो हमारा देश अपना धर्मनिरपेक्ष रुतबा नहीं बना पाएगा। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि कश्मीर हमारे लिए केवल एक क्षेत्र नहीं है यह हमारे लिए सिद्धांत की बात है। हमारे देश का हिस्सा है। हम यह बात भुला नहीं सकते कि सन् 1947 में कश्मीर के लोग पाकिस्तान नहीं गए थे। उन्होंने महात्मा गांधी के देश का साथ दिया था। आज यह प्रश्न हमारे सामने है और हम इस तथ्य से अलग होकर जी नहीं सकते। मैं इस प्रश्न पर बाद में आऊंगा। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है? आपके द्वारा किस प्रकार की आर्थिक नीति बनाई जा रही है? मैं पहली बार इस प्रश्न को उठा रहा हूं। मैं डॉ. मनमोहन सिंह को पिछले बीस वर्षों से जानता हूं। वह बौद्धिक रूप से ईमानदार हैं किंतु वे सत्ता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वो देश को किस ओर लेकर जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि नीतियां विश्व बैंक के आदेश पर बनाई गई हैं। श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिए गए परामर्श की चर्चा की थी। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, विदेशों से लोग आकर हमें आदेश देंगे। सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिए, किंतु सरकार जानबूझकर उनके जाल में फंसती जा रही है। हम बार-बार इस सदन में कह रहे हैं कि इस देश में विदेशी बैंकों को अनुमति देना केवल एक प्रलोभन है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह बैंक भ्रष्टाचार फैलाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि ये बैंक हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हमने इस सदन में घोटाले का मुद्दा उठाया। डॉ. मनमोहन सिंह ने इस सदन में कहा था कि इसमें संलिप्त धनराशि सात दिन के भीतर वसूल ली जाएगी। कहां गई वो धनराशि? क्या वह उन चार विदेशी बैंकों का काम नहीं था? इन बैंकों ने हमारी भारी धनराशि लूट ली है। क्या डॉ. मनमोहन सिंह का नैतिक अधिकार अथवा इच्छाशक्ति है कि वे इन चार बैंकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें? सरकार इन बैंकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकार यह काम आई.एम.एफ. और विश्व बैंक से दूसरा ऋण लेने के बाद करेगी? इन बैंकों ने हमारे करोड़ों रुपये लूटे हैं और यह सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, देश को स्वाभिमान, गरिमा और आत्मविश्वास के साथ चलाया जाता है। भारत अस्सी करोड़ की आबादी वाला देश है। कोई दूसरा देश हम पर कैसे हुकुम चला सकता है? क्या कोई अन्य देश हमारी नीति बना सकता है? कोई भी बाहर से यहां आकर कुछ भी कह सकता है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और हमें उसे रोकना चाहिए। माननीय रक्षा मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। मैंने एक बार उनसे कहा था कि यदि कभी हम पर हमला हो तो

पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। आप रोज प्रेस के पास क्यों जाते हैं? प्रेस के पास जाकर हम दूसरों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर देते हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से कहा था कि उन्हें पंजाब और कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर रोक लगानी चाहिए तथा ऐसी नीतियों को नहीं अपनाना चाहिए जिनसे इस उप-महाद्वीप के मामलों में अन्य देशों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी बुरी स्थिति की कल्पना नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि फिलहाल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा है? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, न ही कोई आरोप लगाऊंगा, यदि ऐसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में सत्तासीन हो सकता है तो भारत भी ऐसे हालातों से बहुत दूर नहीं। आप जैसे इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं उसके क्या परिणाम होंगे मैं कह नहीं सकता। यह आपको देखना है। आप ही प्रवक्ता हैं और मैं तो आपको केवल सावधान कर सकता हूं।

यह सच है कि भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों देश समान समस्याएं और दबाव झेल रहे हैं। एक दूसरे के साथ समझौता किए बिना हमारा अस्तित्व में रहना संभव नहीं। मैं इस बात पर जोर देता रहूंगा कोई सुने या न सुने। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।

अब समय आ गया है कि उस देश को जवाब दिया जाए। दो साल से उस देश को विश्वास के साथ जवाब नहीं दिया है। मैं व्यथित हूं कि इतने बलिदानों के बाद प्राप्त आजादी को अब दूसरे देशों के हाथ गिरवी रखा जा रहा है। इसके अलावा, अपने भाषण में इतनी अत्योक्ति होती है कि ऐसा लगता है कि इस ओर बैठे हुए हम सभी सदस्य अयोग्य और अक्षम हैं और केवल आप सब ही बुद्धिमान हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि हमें दर्द है तो आपको समझना होगा। हो सकता है हम चिदंबरम जी, मनमोहन जी अथवा बलराम जाखड़ जी जितने बुद्धिमान न हों परन्तु कम से कम आपको सीताराम केसरी की सूझबूझ का लाभ उठाना चाहिए। वह हमारी तरह अनपढ़ हैं तथा उन्हें यह विशिष्टता प्राप्त है कि वे दर्द से अपनी राजनीति के युग के व्यक्ति हैं।

उस समय नीतियां कागजी तथ्यों के आधार पर नहीं बनाई जाती थीं। इस प्रकार बनाई गई नीतियां देश को गर्त में ले जा रही हैं तथा भविष्य में भी यही होगा। हम सब जानते हैं कल क्या होगा। क्या आपको लगता है कि देश में ऐसा कोई नहीं जो इन बातों को समझता है? अपने भाषण के दौरान कल चिदम्बरम साहब ने कहा था कि किसानों को कुछ छूट दी गई है और देश फूलों तथा गुलदस्तों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने की स्थिति में है। जिस देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है वे गुलदस्तों का निर्यात कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। यह बात इस देश के ज्ञानी मंत्रियों तथा नेताओं की समझ से परे है। देश के किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि होने के बावजूद देश के ज्ञानवान व्यक्ति फूलों के निर्यात की बात करते हैं।

आप नहीं जानते होंगे पर मनमोहन सिंह जी को पता होगा कि 15 वर्ष पूर्व अफ्रीकी देशों को हर संभव सहायता प्रदान की गई थी। उन्हें सलाह दी गई थी कि वे गेहूं, चावल, कॉफी, कोको आदि के उत्पादन को बढ़ाएं चूंकि विश्व बाजार में इन जिन्सों की कम आपूर्ति थी। परिणामस्वरूप, इन जिन्सों के उत्पादन को बढ़ाया गया तथा पर्याप्त मुनाफा कमाया गया। पारंपरिक कृषि को नुकसान हुआ तथा किसानों ने पारंपरिक फसलें उगानी बंद कर दीं। 12 वर्षों की अवधि के अंदर ये बदलाव आए। बड़ी फैक्टरियां लगाई गईं। कोको के उत्पादन से 12-15 वर्षों में बड़ी मात्रा में धनार्जन हुआ। बाद में जो

लोग इस व्यवसाय से जुड़े थे, उन्होंने इसे बहुत हानि पहुंचाई तथा फलस्वरूप कॉफी और कोको का निर्यात रोक दिया गया। वे व्यापारी एवं किसान चले गए तथा अफ्रीकन देशों के लोगों को भुखमरी झेलनी पड़ी। क्या भारत को आप उसी स्थिति पर पहुंचाना चाहते हैं। वो विभिन्न देशों के लिए अलग-अलग नारे सुझाते हैं। हमारी कृषि नीति अलग है। क्या यह सच है कि जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, अमरीका और कनाडा के किसानों को दो सौ प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की संभावना है जबकि जापान से एक किलोग्राम के चावल के आयात को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, हमारे देश के प्रवक्ता का कहना है कि बाहर से किसी भी वस्तु के आयात की इजाजत दे दी गई है और इसी से हमारे किसानों को समृद्धि आएगी। आप किस प्रकार के देश का निर्माण करना चाह रहे हैं।

मैंने इसी सदन में अपनी आवाज उठाई थी। परन्तु आडवाणी और अटल जी चुप रहे। जापान के लोग पिछले 12-15 वर्षों से भारत में जापानी शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु किसी भी सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। तथापि, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने जापान के साथ उसे जापानी शहर बनाने की अनुमति देते हुए करार पर हस्ताक्षर कर दिए। उक्त शहर की अवस्थिति को लेकर श्री भैरों सिंह शेखावत, श्री कल्याण सिंह तथा श्री भजन लाल के बीच स्पर्धा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीत श्री भजन लाल के हाथ लगी है। इस शहर की स्थापना के पीछे क्या तर्क है। क्या वे केवल शहर स्थापित करने के लिए धन निवेश करेंगे। क्या वे साथ में अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं लेकर आएंगे।

*** *** ***

*अध्यक्ष महोदय, यदि यह प्रस्ताव मेरे कार्यकाल में अनुमोदित हुआ था तो मैं वाकई शर्मसार हूं। मैं कहता हूं कि यह गलत है। श्री मनमोहन सिंह उस समय मेरे वित्त सलाहकार थे और उन्हें मुझे यह बताना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मेरे वक्तव्य का उत्तर था। यह स्तर है वर्तमान मंत्री का। जो कह दिया जाता है वो होता है और जो होता है वही कह दिया जाता है। ऐसा मेरे कार्यकाल में नहीं होता था। जो भी हो यह गलत है। मेरे कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किए गए कई कार्यक्रमों को आपने बंद कर दिया। इस कार्यक्रम को क्यों नहीं रोका? क्या बाध्यता थी? हमने इसे बंद करने से आपको कभी नहीं रोका। मुझे पहली बार पता चल रहा है कि इस प्रस्ताव को मेरे कार्यकाल के दौरान अनुमति दी गई थी। हो सकता है मनमोहन जी ने दी होगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी जानकारी नहीं। यदि उस दौरान भी यह कार्य किया गया है तो गलत है। मैं यह नहीं कहता कि मैं गलती नहीं कर सकता पर क्या किसी देश का भाग्य भी इस गलती के कारण निर्धारित होना चाहिए? क्या आपकी नीतियां उस गलती पर आधारित होंगी? क्या इसको ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं किए जाने चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार हर क्षेत्र में गलती कर रही है। तथा यह गलतियां न केवल हमारे सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए श्राप सिद्ध होंगी बल्कि हमारे देश के भविष्य को भी गिरवी रख देंगी?

रोज आर्थिक आंकड़े पेश करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि महंगाई कम हुई है। परन्तु मुद्दा यह है कि क्या श्रमिकों, किसानों एवं नौकरीपेशा वर्गों द्वारा उपयोग की जा रही अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें वर्तमान सरकार के सत्तासीन होने के बाद घटी हैं? क्या देश में कीमतें कम हुई हैं? प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ गई है पर आंकड़ों में उन्हें घटता दिखाया जाता है। आप आंकड़ों में फेरबदल करने में उस्ताद हैं परन्तु केवल आंकड़ों से आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे।

* तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा दी गई टिपणियों, ''इस मसले पर मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि आप रिकॉर्ड देखें तो यह प्रस्ताव आपके प्रधानमंत्री काल में अनुमोदित किया गया था'' के उत्तर में कहा गया।

यह राजनीति एवं आर्थिक नीतियां किन के लिए हैं। यह देश ऐसे आंकड़ों के कारण गर्त की ओर जा रहा है। यह आंकड़े केवल कुछ ज्ञानी व्यक्तियों की समझ में आते हैं। क्या वर्तमान सरकार देश में सौहार्द कायम करने में सफल हुई है।

मैं पिछली घटनाओं को दोहराना नहीं चाहता। विश्व के क्या, किसी भी देश का प्रधानमंत्री यह कह सकता है कि उसके साथ धोखा हुआ था। जहां तक 6 दिसम्बर की घटना का संबंध है तो आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ था बल्कि आपने पूरे देश को धोखा दिया था। आपने देश के मूल्यों पर कुठाराघात किया था। उस घटना में किसके साथ धोखा नहीं हुआ था? सभी को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की आशंका थी और इसलिए इसकी रक्षा की मांग की गई थी, चलिए, यह मान लेते हैं कि यह धोखेबाजी की घटना थी और सरकार इसपर इसलिए चुप रही क्योंकि इसमें आडवाणी जी शामिल थे। मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया 12.00 बजे प्रारंभ हुई जो सात घटे तक चली और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह निष्क्रिय और कठपुतली भारत के प्रति इस शर्मनाक कृत्य को पलटने के लिए कुछ भी न कर पाई।

इसे भी एक ओर रख दें। ठीक है कि मस्जिद को गिराया गया। हमने आपको जोर देकर कहा कि आप एक ऐसा बयान दें कि मस्जिद उसी जगह दोबारा बनाई जाएगी। जब मस्जिद को उसी स्थान पर दोबारा बनाने की घोषणा की गई तो शंकराचार्य पर यह जिम्मेवारी किसने डाली। जो कर्तव्य निर्वहन से बचते हैं वे दूसरों पर जिम्मेवारी डालकर इस मुद्दे को उलझाने के लिए जिम्मेवार हैं। आप मस्जिद को ध्वस्त करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेवार हैं, आप उनको अस्थाई मंदिर बनाने की अनुमति देने के लिए जिम्मेवार हैं और एक बार फिर आप वही वहां दोबारा इन मामलों का निर्णय धर्म गुरूओं पर छोड़कर अपनी बात से पलट रहे हैं। आडवाणी जी ने तुरन्त वहां एक गुरू को बैठाकर समझदारी का काम किया। यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कोई प्रतिस्पर्धा होती है या नहीं। फिर भी यह तथ्य है कि आडवाणी जी ने उसे उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां वह यह कह सकता है कि उसमें और आडवाणी जी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये बातें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकतीं। मैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह कह रहा हूं और मैं कुछ कहना चाहता हूं। विश्व के किसी भाग में जब भी और जहां भी तानाशाह सरकार सत्तारूढ़ हुई हैं यह केवल उस तथ्य के परिदृश्य में हुआ है कि सत्तारूढ़ व्यक्ति भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में उत्तर देने में असमर्थ हुए हैं। मैं यह दावा नही करता कि भ्रष्टाचार के आरोप सत्य हैं अथवा असत्य। मैं किन्हीं विशेष व्यक्तियों के बेटे अथवा दामाद की चर्चा नहीं करूंगा बल्कि उन्हीं आरोपों की चर्चा करूंगा जो उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं जिन्हें आप स्वयं धूर्त कहते हैं। आप आठ, दस, बारह दिन उस आरोप का खंडन करते हैं। आपके प्रवक्ता यह कहते हैं कि उस विशेष व्यक्ति को सरकार स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया था और यह भाजपा के कहने पर किया गया था, प्रधानमंत्री जी जब कोई देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा हो तो क्या आपके हाथ बंधे हुए हैं कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। एक विशेष व्यक्ति इस देश की सर्वोच्च संस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। वह लगभग रोज ही बयान देकर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, जैसा कि उसने कल भी एक बयान दिया है, किन्तु यह सरकार उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगी।

आप यह कैसे सोचते हैं कि विश्वभर में लोग आपको ईमानदार कहेंगे? यह प्रश्न हमारे देश के समक्ष है। डॉ. मनमोहन सिंह जी मैंने आपकी लाचारी देखी है जब आपने गोल्ड स्टार और अन्य मुद्दों की चर्चा की, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि दूसरे लोग इसे समझते

नहीं हैं। किन्तु मैं आपकी दुविधा समझता हूं। आपके लिए सत्य बोलना एक समस्या है और यह भी एक समस्या है कि आप असत्य वक्तव्य नहीं दे सकते, इसलिए चुप रहना अच्छा है। ठीक है आपको इस तरह चुप रहना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए अच्छा है। किन्तु मैं गोल्ड स्टार वाले मुद्दे पर अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। क्या सरकार ने प्रतिवेदनों में जो लिखा है, काफी नहीं है?

*** *** ***

मैं यही बात बताना चाहता हूं। डॉ. मनमोहन सिंह की असहायता मुझे दु:ख देती है, क्योंकि वे एक स्टोर क्लर्क नहीं है जिसे संयुक्त संसदीय समिति द्वारा मांगे गये दस्तावेज मुहैया कराने हैं। यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे गंभीर आरोपों के मामले में सरकार और उसके मंत्रियों का कर्तव्य है कि वे देश और संसद को सच बतायें।

अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि सी.बी.आई....

*** *** ***

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे मंत्रियों की असहायता इस संसद पर एक प्रश्नचिह्न लगाती है। न केवल हमारे वित्त मंत्री बल्कि हमारे प्रधानमंत्री भी असहाय हैं। जो कोई भी ऐसी कोई बात कहता है या कोई मुद्दा उठाता है, न तो उसका कोई उत्तर दिया जाता है और न ही कोई प्रतिक्रिया दर्शायी जाती है। कैसे और कब तक वे इस देश को चलायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप भी कांग्रेस की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। गांधी और नेहरू के युग की कांग्रेस की परंपराएं अपवाद हो सकती हैं। वर्ष 1970, 1974, 1975 में जब कभी कोई गंभीर मामला उठा, लोगों ने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठायी, चाहे उनकी आवाज सुनी गयी या न सुनी गयी हो। परन्तु परसों जब श्री बूटा सिंह उस मुद्दे पर बोल रहे थे, तो उनके भाषण के दौरान मैं उनके दु:ख को महसूस करता रहा। कभी-कभी मेरा मन बीच में हस्तक्षेप करना चाहता था, क्योंकि मैंने उनसे गृहमंत्री के तौर पर कई बार बात की। कई बार मैंने उन्हें इस मुद्दे को संसद में उठाने का सुझाव दिया और अपने समर्थन का आश्वासन दिया। परन्तु उनमें अपने आसपास के घेरे को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई और अब कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य स्वयं को उस घेरे में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं उन्हें इस घेरे को तोड़ने का सुझाव देता हूं। जब मैं तोड़ने की बात करता हूं तो इसका तात्पर्य कांग्रेस पार्टी से नहीं है। इस देश की खातिर आप प्रधानमंत्री को 14 वर्षों के लिए नहीं तो कम से कम 14 महीनों के लिए अज्ञातवास में जाने की सलाह दें। इससे कांग्रेस पार्टी और संसदीय लोकतंत्र, दोनों ही इस देश से बचे रहेंगे, वरना कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश लोकतंत्र को बचाने की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। समस्या भारत के संविधान और धर्म निरपेक्षता को बचाने की है। श्री आडवाणी जी, मुझे श्री मनमोहन सिंह की आर्थिक उदारता की नीति पर दिये गये आपके बयान को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री आडवाणी जी ने कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्री नरसिंह राव एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो यह कर पाये। भारत में अंतिम लड़ाई आर्थिक मुद्दों, भोजन, पेयजल, बेरोजगारी और भूख पर होगी। आडवाणी जी, मुझे डर है कि उस दिन आप नरसिम्हा राव जी के पक्ष में होंगे। यह एक खतरनाक बात है और इसलिए मैं आज के युवा वर्ग को यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक और जातिवादी नारे, उनकी भावनाओं को उकसा सकते हैं, परन्तु वे इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं बेहद खुश हुआ और अपने लोगों की हिम्मत

पर मुझे गर्व हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने एक स्वदेशी अभियान चलाने का आह्वान किया था और मैंने खुलकर उसका समर्थन किया और कहा कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सही कदम है। परन्तु अब ऐसा कोई नारा सुनाई नहीं पड़ता। हम उसका इंतजार करेंगे। मुझे बेहद खुशी होगी, यदि ऐसी चीजें फिर होती हैं। संसदीय लोकतंत्र में कोई भी हमेशा के लिए अछूत या तिरस्कार योग्य नहीं होता है। मुझे उम्मीद है और कांग्रेस के साथ भाजपा के युवा वर्ग से यह अपील करता हूं कि वे धर्म या जाति के नाम पर संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें देश की प्रगति के लिए कार्य करना है। खेद के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नरसिम्हा राव जी यह करने में असमर्थ रहे हैं।

मेरे एक मित्र ने पूछा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कांग्रेस में 200 से ज्यादा सदस्य हैं। उनमें कई बुद्धिमान और अच्छे व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ कमी होती है। महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध भी अधूरे थे। हमने यह देखा है कि उनके चले जाने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया है। मैं यह सोचता हूं कि हम सभी और नरसिंह राव जी के चले जाने के बाद भी देश प्रगति करता रहेगा। मैं कांग्रेस के सदस्यों से यह आह्वान करता हूं कि देश की खातिर उन्हे हटाने की हिम्मत दिखायें।

विश्वास प्रस्ताव, 1997*

सभापति महोदय, आज जारी वाद-विवाद के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह भारत के संसदीय इतिहास का सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक दिन है। राजनीतिक स्तर पर जसवन्त सिंह के साथ मेरे काफी मतभेद हैं लेकिन तब भी मैं श्री सोमनाथ के साथ सहमत नहीं हो सकता हूं। देश की प्रतिष्ठा के बारे में सोचने के बजाय श्री जसवन्त सिंह ने इस मुद्दे को इस स्तर पर उठाने का प्रयास किया है। मैं श्री वाजपेयी जी को कहना चाहूंगा कि 'वानर सेना' का मामला इस तरफ के सदस्यों से संबंधित नहीं है लेकिन कभी-कभी वे भी जाने-अनजाने इसका अंग बन जाते हैं। मैं सोच-विचार कर यह बोल रहा हूं। सोमनाथ जी ने यह भी उल्लेख किया है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार से वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी का समर्थन वापस लेने से संबंधित निर्णय लोगों के दिमाग में संदेह पैदा करता है। इसके लिए 30 मार्च का समय क्यों निर्धारित किया गया। कांग्रेस पार्टी में समर्थन वापस लेने के निर्णय से संबंधित मुद्दे पर इतने महत्वपूर्ण ढंग से और जल्दबाजी में चर्चा क्यों हुई और वह भी ऐसी स्थिति में जब कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री एक विवादास्पद मुद्दे, जिसे विश्व राजनीति में काफी महत्व दिया गया था, से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मास्को में थे। हम और सभी संसद सदस्य यह जानते हैं कि जब वे समझौते पर हस्ताक्षर कर मास्को से लौटे तब कुछ लोग उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे। हमारे विदेश मंत्री, गृह मंत्री श्री सोमनाथ और वाजपेयी जी इसके पीछे के इतिहास से वाकिफ हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। कुछ शक्तियां गत 50 वर्षों से ऐसा करने का प्रयास कर रही हैं। जसवन्त सिंह जी ने इस सरकार के कामकाज की आलोचना की थी लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का प्रश्न है श्री आई.के. गुजराल से बेहतर काम कोई नहीं कर सकता है और यदि पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार आया है तो यह केवल उनके प्रयासों से हुआ है। आज पूरा विश्व नाराज है और भारत को उभरती हुई बड़ी शक्ति नहीं बनने देना चाहता है। हम लोग विगत में एक ही देश थे जो आज अलग-अलग हिस्सों में बंट गया है, इसे दुर्भाग्य या इतिहास की गलती कहा जा सकता है। पूर्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मा एक राष्ट्र के भाग थे और भारत एक महान राष्ट्र बन सकता है यदि सार्क देशों के लोग एक हो जाएं और रचनात्मक दिशा में चिन्तन करना आरम्भ करें। यह उन देशों के लिए चुनौती बन सकता है जो आज विश्व राजनीति को दिशा दे रहे हैं और यह सोचते हैं कि निर्धन और कमजोर राष्ट्रों को अपना गौरव और प्रतिष्ठा बनाए रखने का कोई हक नहीं है। ऐसी स्थिति में देश में स्थिरता उत्पन्न करना सही नहीं था। मैं अभी भी सोमनाथ द्वारा उठाए गए मुद्दों को दुहराना नहीं चाहता हूं। विश्व राजनीति में उथल-पुथल के समय संयुक्त मोर्चे की सरकार से कांग्रेस पार्टी का समर्थन वापस लेना राजनीति के छात्र के रूप में मेरे दिमाग में संदेह पैदा करता है।

इस आशंका के साथ, मैं यही कहूंगा कि इसे विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह राजनीतिक अपराध है और इतिहास यह निर्णय लेगा और कभी न कभी संबंधित राजनीतिक दलों

* मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 11 अप्रैल, 1997 का. 53-58

को सजा भी देगा। सरकार की जिन नीतियों की आलोचना हो रही है और देवगौड़ा जी पर दोष मढ़ा जा रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि इन बातों को किस प्रकार न्यायोचित ठहराया जा सकता है। क्या वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के विचार इस बिंदु पर भिन्न हैं। मैं उनकी आर्थिक नीतियों का समर्थक नहीं हूं। मैंने चिदम्बरम की आर्थिक नीतियों की सफलता के बारे में कभी कोई सपना नहीं देखा मैंने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत बजट निर्धन वर्ग को राहत प्रदान करेगा। मेरे मित्र मुरली मनोहर जोशी ने बजट की आलोचना की कि यह देश को बर्बाद कर देगा। मैंने इन नीतियों की हमेशा आलोचना की। यह एक प्रकट सत्य है लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री का विदेशी निवेश से देश के विकास से संबंधित सपना सच नहीं हो सकता है। मैंने संसद में और बाहर भी इस पर हमेशा अपना विरोध प्रकट किया है।

सभापति महोदय, क्या हम अपने गौरव, महानता और अपने देश के भविष्य के बारे में चिन्तित नहीं हैं। 100 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश जिसकी सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और पूरा विश्व इस देश से कुछ अच्छे की उम्मीद करता है। मैं हमारे विदेश मंत्री की बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

श्री पी.आर. दासमुंशी जी अभी यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने अत्यन्त उत्साह के साथ भाषण दिया। यह अच्छा भी है और उस व्यक्ति को अधिक उत्साह दिखाना भी पड़ता है जब उसे किसी गलत कृत्य का समर्थन करना पड़े। किंतु उनका भाषण तथ्यात्मक नहीं है। संपूर्ण विश्व और इस देश के समाचार पत्र विदेश नीति के क्षेत्र में श्री गुजराल की उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। श्री गुजराल मेरे मित्र हैं और वे इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं मैं उनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई भी इसका गलत अर्थ ले सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे अटल बिहारी जी हों या गुजराल जी हों या कोई अन्य व्यक्ति जो इस देश की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो, यह वाकई दुखदायी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय पर किसी को हटा दिया जाए। क्या यह कांग्रेस दल की कोई नई परम्परा है। यह वास्तव में क्या संकेत देता है।

मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा नहीं किंतु जहां तक धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे का संबंध है विभिन्न समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि देवगौड़ा की विश्वसनीयता संदेहास्पद थी क्योंकि उनका भाजपा के साथ गोपनीय गठबंधन था। हालांकि श्री संतोष मोहनदेव दल को सचेत करते रहते हैं किंतु वे स्वयं सावधान नहीं हैं। आप बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय सचेत क्यों नहीं थे। क्या केवल श्री वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अथवा प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेवार थे। आप भी उस समय मंत्री थे और आपने बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखा था और अब आप श्री देवगौड़ा जी को धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दे रहे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं और यह बेहतर होगा यदि आप प्रमाणपत्र देने का कार्य दूसरों पर छोड़ दें। आज भाजपा की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कब तक आलोचना करते रहेंगे? क्या आपने कभी आत्मचिंतन किया है?

सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग नहीं लेना चाहता था किंतु यहां आपके अनुदेशों पर बोल रहा हूं। मैं बड़े खेद के साथ यह कहना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में किसी भी राजनैतिक दल या व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं समझा जा सकता। मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। मैंने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि मैं भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं हूं। किंतु

भाजपा भी इस संसद का एक हिस्सा है। सोमनाथ जी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप उनको दूर रखकर संसदीय लोकतंत्र नहीं चला सकते, यह केवल तानाशाही हो सकती है। भाजपा के मेरे एक मित्र जो यहां उपस्थित हैं उन्होंने मुझे अनेक अवसरों पर चेतावनी दी है कि मुझे दोनों ही ओर के लोगों के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं वही बोलता हूं जो मुझे सही महसूस होता है चाहे वह किसी को अच्छा लगे अथवा बुरा। मेरा इसमें कोई निजी हित नहीं है और मैं आज से नहीं बल्कि 1962 से वही कह रहा हूं जो मुझे सही महसूस हुआ है। गुजराल जी मेरी इस बात के गवाह हैं। कितनी मर्तबा वे मेरे पास मंत्रिपद की पेशकश लेकर आए। अब वे हमें कांग्रेस दल की परम्परा और इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं। कौन सा इतिहास? वह इतिहास जो 30 मार्च को रचा गया था? या वह इतिहास जिसमें सुभाषचन्द्र बोस महात्मा गांधी के सिद्धांतों का विरोध करते थे और कांग्रेस के लोग उनका समर्थन करते थे? मुझे कांग्रेस दल के कतिपय नेताओं पर तरस आता है विशेषकर मेरे मित्र श्री शरद मेहता जो समाजवाद आंदोलन के दौरान सहयोगी रहे और वे सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और उच्च आदर्शों के प्रति कटिबद्ध हैं किंतु मैं जानना चाहता हूं कि किन आदर्शों के आधार पर यह पत्र लिखा गया था। मैं इसे अधिक महत्व नहीं देता। जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है, वह इस देश की महानता और गरिमा से परिचित है। क्या वह देश के भविष्य और इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानता है। क्या वह इस तथ्य से अवगत है कि इससे देश में अस्थिरता और अशांति फैल सकती है। हालांकि मैं इतिहास के उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता।

सभापति महोदय, मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था जब वर्तमान कांग्रेसीगण मौजूद नहीं थे बल्कि अनेक दिग्गज मौजूद थे। मैं उस वर्किंग कमेटी में था, जिसमें मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे अनेक महान नेताओं के विरोध में खड़ा हो जाता था। आज, राजेश पायलट जी यहां बैठे हैं। मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। पुणे में होते हैं, तो शिवाजी से प्रेरणा लेते हैं और यहां आते हैं तो पता नहीं किस-किस से प्रेरणा लेते हैं।

सभापति महोदय, यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अनेक लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और यहां तक कि श्री अटलजी भी मुझसे पूछ रहे थे कि श्री शरद पवार की क्या राय है। मैं बताना चाहता हूं कि 30 मार्च के बाद आज ही मैंने श्री पवार के दर्शन किए हैं, मेरी उनसे टेलीफोन पर कोई वार्ता नहीं हुई है। मुश्किल में पड़ने पर लोग मेरे पास आते हैं, मुसीबत पैदा करने के समय मेरे पास नहीं आते।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक गंभीर संकट है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हो सकते हैं, व्यक्ति आते-जाते रहेंगे लेकिन कोई भी इतिहास का अंतिम व्यक्ति नहीं है।

इतिहास में कोई पूर्णविराम नहीं है। यहां तक कि विभाग के लोग भी अर्द्धविराम की स्थिति में हैं।

नेता और प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे लेकिन श्री संतोष मोहन देव जी कांग्रेस पार्टी जिन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रही है, उन्हें पैरों के नीचे नहीं कुचला जाना चाहिए। आप समर्थन दें या न दें यह अपनी पार्टी का निर्णय है।

*सभापति महोदय, मैं इस निमंत्रण के लिए आभारी हूं किंतु उन्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तब कांग्रेस छोड़ी थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी इसकी नेता थीं। श्री गुजराल जी जानते हैं कि मैंने किन परिस्थितियों में पार्टी को छोड़ा था। सन् 1975 में इमरजेंसी के दौरान विपक्षी दलों को निर्णय लेना पड़ा कि वे क्या करें? उनके पास केवल एक विकल्प था कि वे जेल जाएं किंतु मेरे पास दो विकल्प थे कि या तो मैं भारत सरकार में जाऊं या फिर जेल जाऊं और मैंने जेल जाना स्वीकार किया। श्री गुजराल जानते हैं कि मैंने सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उस समय आप भी मेरे पास आए थे। इसलिए मैं इस प्रकार की बातें नहीं करता।

सभापति महोदय, उस समय मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी और अब मुझे इस प्रस्ताव पर तरस आता है कि मुझे कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस को ऐसा संगठन बनना चाहिए जो कार्यक्रमों, सिद्धांतों और विचारधारा में विश्वास करें। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है, यह एक बड़ी पार्टी है और एक जनाधार वाली पार्टी है। यह कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है किंतु संतोष मोहनदेव जी इसके लिए आपको साहस दिखाना होगा। श्री राजेश पायलट जी आप साहस का परिचय देते हैं किंतु स्वयं आगे बढ़ने के लिए आपमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। श्री पी.आर. दासमुंशीजी, रविन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत करना सरल है किंतु आपको याद रखना चाहिए कि समूह के साथ जाने की इच्छा एक कमजोरी की निशानी है। यदि कांग्रेस के कुछेक लोग अकेले आगे बढ़ना सीख जाएं तो यह पार्टी आज भी एक सुदृढ़ संगठन बन सकती है। जब श्री संतोष मोहन देव जी कांग्रेस पार्टी बनाएंगे और मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर उनके प्रस्ताव पर विचार करूंगा किंतु उन्हें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मैं वर्तमान कांग्रेस पार्टी को दूर से भी नहीं छूना चाहता।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर संकट में किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करना अच्छा नहीं है। राजनीति व्यक्तिगत आरोपों के लिए नहीं है, चाहे वह सिद्धांतों अथवा विचारधारा के नाम पर हो। हमें ऐसे व्यक्तिगत आरोपों से दूर रहना चाहिए।

मैं हिचकिचाते हुए और अपना राष्ट्रीय दायित्व मानते हुए एक और बात कहना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि हम सभी, चाहे वे सत्ता पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, को सोचना चाहिए कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमारे समक्ष क्या समस्याएं हैं। यदि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर सर्वसम्मति बना पाएं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम तैयार कर पाएं, तो मेरे विचार में हम वर्तमान संकट से उबर पाने में सक्षम होंगे। यह एक वास्तविक संकट है। यह अशोभनीय संकट आपके अनुकूल हो सकता है किंतु मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा होगा यदि आप यथाशीघ्र देश के ऊपर मंडरा रहे इस संकट से उबर जाएं।

मैं विपक्ष के नेता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अब इसके पश्चात् यह सरकार अपने विवेकाधिकार पर ही चलेगी। क्या उन्हें उस पत्र का समर्थन करने की आवश्यकता है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखा गया था। यदि आप आज सरकार के खिलाफ वोट करेंगे तो यह उस पत्र का समर्थन माना

* श्री संतोष मोहन देव की इस टिप्पणी ''कांग्रेस पार्टी की वर्तमान हालत के लिए आप भी जिम्मेवार हैं, हमने आपको पार्टी में शामिल होने के लिए अनेक बार अनुरोध किया था किंतु आपने हर बार इंकार कर दिया। यदि आप कांग्रेस में शामिल हो जाते तो यह पार्टी ऐसी न होती'' का उत्तर देते हुए।

जाएगा और आप सरकार के खिलाफ वोट करके अपनी वेदना भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। सात दिनों में आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यदि यह सरकार 13वीं तारीख को बनी रहती है तो यह उन लोगों के चेहरे पर एक धब्बे की तरह होगा जिन्होंने अत्यन्त गैर-जिम्मेवार और अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया है। उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ एक अपराध किया है जिसमें उन्होंने नैतिक मूल्यों और अपने राष्ट्रीय दायित्वों को दरकिनार किया है। आपको आज उनके साथ शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं उनसे कुछ भी बेहतर की उम्मीद नहीं करता किंतु मैं निश्चित तौर पर यह आशा करता हूं कि आप विवेकपूर्ण ढंग से कार्रवाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

विश्वास प्रस्ताव, 1997*

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गुजराल जी देश के प्रधान मंत्री चुने गए। वह मेरे पुराने मित्र हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनमें सूझ-बूझ है। मैं उनको बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वह देश को एक नयी दिशा में ले जाने का प्रयास करें। मुझे उनसे बड़ी आशाएं हैं, लेकिन आज सवेरे जब उनका वक्तव्य पढ़ा तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने अपने भाषण के प्रारंभ में आज़ादी के दिनों की याद दिलाई। जेल की सींखचों में उन्होंने जो अनुभव किया था, उसकी याद दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की याद दिलाई। जिन लोगों ने शहादत दी है, उनकी कुर्बानी की याद दिलाई और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह जनता की गरीबी, बेबसी, पीड़ा, दर्द, दु:ख को मिटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन न मालूम क्या हो गया है हमारे देश को कि जो भी प्रधानमंत्री होता है, वह यहीं से प्रारंभ करता है कि उदारीकरण चलता रहेगा, विदेशी कंपनियां आती रहेंगी, देश की शोभा बढ़ती रहेगी। मैं समझता हूं कि सारी दुनिया का एक अनुभव है। सोमनाथ जी, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं कि जहां-जहां विदेशी कंपनियां गई हैं...। हमारे मित्र आ गए। हमारे पुराने वित्त मंत्री और उससे पहले कि वाणिज्य मंत्री। इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। यह मेरे पुराने मित्र हैं। इनसे मैंने तब कहा था कि आपके बजट से मैं एक फीसदी भी सहमत नहीं हूं। लेकिन आपकी योग्यता के कारण मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार में आ जाइये क्योंकि आप जैसे लोगों के नेतृत्व की इस सरकार को जरूरत है। श्री सोमनाथ चटर्जी कितना ही करें वह इस सरकार को चलाने में कोई योगदान नहीं दे सकते। क्योंकि जिस रास्ते पर यह सरकार चल पड़ी है और हमारे मित्र गुजराल जी ने अपने वक्तव्य में जो कहा है उससे हमें लगता है कि भारत एक ऐसी अंधेरी गली में जा रहा है जहां से इस देश का निकलना कोई आसान काम नहीं होगा। यह कोई सामान्य बात नहीं है। प्रधान मंत्री बनने के बाद उद्योगपतियों के बीच में जाकर उदारीकरण का आश्वासन देकर हम देश की भाषा, परिभाषा, देश की मानसिकता को कैसे बदल सकेंगे। आप स्थायित्व की बात करते हैं। स्थायित्व तो तब आयेगा जब लोगों की पीड़ा से अपनी नीतियों को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। स्थायित्व तो तब आएगा जब देश का मानस यह समझे कि कुछ जमाना बदल रहा है। यह बजट चंद लोगों के लिए है। हमारे जो पुराने वित्त मंत्री थे उनके बजट में जो चंद लोगों के भोग की वस्तुएं लाई जा रही हैं। अगर उस पर प्रसन्नता जाहिर की जा रही है, अगर उसी प्रसन्नता को आप भारत की प्रसन्नता मानते हैं तो आप याद रखिये कि लोगों की भावनाएं भड़केंगी, अशांति होगी, अराजकता होगी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था

''हिंसा उत्पीड़ित भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र है।''

आज देश में लोगों की भावना दबी हुई है और वे हमसे दूसरी आशा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम प्रधान मंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव कीजिए। मैं नहीं कहता कि उदारीकरण की नीति को बदलिये या आपको उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो शायद यह सरकार जितने दिन चलने वाली है, उतने दिन भी नहीं चलेगी। मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार सत्तारूढ़ रहे। आप कोई ठोस कदम तो नहीं उठा सकेंगे, लेकिन आवाज बदलिये। मैंने तब कांग्रेस

* मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 22 अप्रैल, 1997, का. 99-103

के मित्रों से कहा था, कोई दुराव की भावना भी नहीं है, कांग्रेस हमेशा गरीब लोगों के हित की बात करती है, गरीबी के लिए कितना किया मैं इस समस्या, इस विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन 'गरीबी हटाओ' का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक बराबर कहा जाता रहा है। पंडित नेहरू ने कहा था कि आंचलिक विषमता, अगर बढ़ती गयी तो यह देश टूट जायेगा। मैं समझता हूं आज की जो आर्थिक नीतियां हैं वे विषमता बढ़ाएंगी। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में विषमता बढ़ाएंगी, इलाके-इलाके के बीच में विषमता बढ़ाएगी। हमारे मित्र श्री वेंकटस्वामी व्यर्थ ही हम पर नाराज हुए, उनके अध्यक्ष का नाम मैंने अपने भाषण में कभी नहीं लिखा था। मैं तो अपने को इस योग्य नहीं मानता कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं। लेकिन मैं उनसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स को समाप्त करने के लिए देवगौड़ा जी उत्तरदायी नहीं थे। उनको समाप्त करने का काम हमारे परम मित्र श्री मनमोहन सिंह जी ने प्रारम्भ किया था, जो यहां पर बैठे हुए हैं। आप उन दिनों को याद करें, पब्लिक अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में आप बोलते थे। आज आपकी वाणी चुप क्यों हो गई? इसलिए दूसरे पर आरोप मत लगाइये। कांग्रेस के मित्र को हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। यह कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है कि जो जा रहा हो उसको ठोकर मारो और जो आ रहा हो उसको नमन करो। यह देश के हित में है। मैं आपसे पूछता हूं कि उस दिन हमारे मित्र श्री शरद पवार ने एक शब्द भी नहीं बोला। आज उन्हें श्री देवगौड़ा में सारे अवगुण दिखायी देने लगे। श्री नरसिंह राव के साथ भी आप लोगों ने यही किया है यह भारत का शिष्टाचार नहीं है, यह कांग्रेस का शिष्टाचार नहीं है।

अगर राजनीति में सामान्य शिष्टाचार नहीं रहेगा तो हम कोई नया देश नहीं बना सकते हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। अगर अटल जी की हम इज्जत नहीं करते, अगर श्री सोमनाथ चटर्जी की हम इज्जत नहीं करते, अगर श्री इन्द्रजीत गुप्त की इज्जत नहीं करते, अगर हम श्री नरसिम्हा राव जी को सम्मानसूचक शब्द नहीं कह सकते तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बड़े लोगों की इज्जत नहीं कर सकते वे 40 करोड़ बेबस, लाचार लोगों को सम्मान की जिंदगी देने के विचार का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सामान्य शिष्टाचार और क्रांतिकारी विचार दोनों में कोई अंतर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सुषमा जी ने आज बड़ा अच्छा भाषण दिया। मैंने आपको बधाई का नोट लिखकर भेजा। लेकिन सुषमा जी जब अपना भाषण देने लगती हैं तो कभी-कभी गलतफहमी भी बहुत पैदा करती हैं।

मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैं उस लिस्ट में नहीं हूं, जिनका आपने नाम लिया। हमसे कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस नहीं लिया था। सुषमा जी, आप जानती हैं कि मेरे त्यागपत्र देने के बाद भी, उस समय कांग्रेस के नेता बराबर कहते रहे कि हमने समर्थन वापस नहीं लिया बल्कि चन्द्रशेखर जी ने अपने आप त्यागपत्र दिया है। मैं उस का इंतजार नहीं करता क्योंकि मैं मानता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री का पद सम्मान का पद है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता-चाहे वह देवगौड़ा हों, नरसिंह राव हों, या गुजराल साहब हों क्योंकि वह इस देश के 90-95 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संतोष मोहन जी, अगर आपकी ओर से या मेरी ओर से उसका अपमान होता है तो वह पूरे राष्ट्र का अपमान है। हम जब तक यह मौलिक सिद्धान्त नहीं समझते, संसदीय प्रजातंत्र यहां नहीं चल सकता।

उस दिन भी जब मैंने भाषण दिया था, मेरी मंशा यह नहीं थी कि मुझे किसी पर टीका टिप्पणी करनी है, देवगौड़ा जी मेरे मित्र हैं। वे उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे। उनका अपमान करके हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको उनसे नाराजगी थी, वह नाराजगी जायज भी हो सकती

है, लेकिन समर्थन वापस लेने का दूसरा अवसर भी हो सकता था। मुझे विश्वास है कि आप इस मौलिक बात पर विचार करेंगे। आप सारा दोष पूर्व वित्त मंत्री पर मत डालिए कि महंगाई बढ़ी है, निर्यात कम हो गया है। श्री जी. वेंकटस्वामी ने ऐसे वित्त मंत्री के खिलाफ पूरी चार्जशीट लगा दी, जो पद त्याग कर रहे हैं। अगर चिदम्बरम जी आज उस कुर्सी पर होते तो शायद कांग्रेस के मित्र उन पर ऐसे आरोप न लगाते लेकिन इसमें कुछ आपका भी हाथ है, केवल चिदम्बरम जी का नहीं है। चिदम्बरम जी ने इसमें 5 फीसदी योगदान किया होगा, 95 फीसदी योगदान हमारे योग्य मित्र मनमोहन सिंह जी का है, जिन्होंने इस रास्ते पर देश को डाल दिया। इसलिए आप ऐसी बात मत कीजिए कि 10 महीने में सब कुछ हो गया। अगर कोई बुराई आपको नजर आती है, तो उस बुराई पर क्या यह देश जाने अनजाने में चल पड़ा है।

सोमनाथ जी, इन्द्रजीत जी, मुलायम सिंह जी ने यहां डॉ. राम मनोहर लोहिया की बात की लेकिन देश का भविष्य इन बातों से तय नहीं होगा कि कौन धर्मनिरपेक्ष है या कौन साम्प्रदायिक है। धर्मनिरपेक्ष या साम्प्रदायिकता का सवाल तब उठता है, जब यह जानने का प्रयास करते हैं कि देश के लोगों की भावनाएं किस ओर जा रही हैं। धूप, पीड़ा और दर्द से कराहता व्यक्ति जब अपने लिए कोई भविष्य नहीं देखेगा, जब विकास में उसे कोई साझेदारी दिखाई नहीं देगी तो अपनी पुरानी पहचान के साथ, अपने पुराने अस्तित्व के साथ खुद को जोड़ने की वह कोशिश करता है। आज देश के करोड़ों बेबस लोगों को जब आर्थिक विकास में कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता तो वे अपने को जाति और धर्म से जोड़कर अपनी पीड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। ये जातिवादी शक्तियां, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली शक्तियां तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक यहां अशिक्षा रहेगी, बेबसी रहेगी, शोषण रहेगा और मनुष्य मनुष्य को सम्मान की जिन्दगी देने के लिए तैयार नहीं होगा। मुलायम सिंह जी ने इन सवालों पर थोड़ी चर्चा जरूर की है, नाम जरूर लिया है लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बातें आप इतनी दूर तक मत बढ़ा दीजिए कि कट्टरवादी ताकतें, चाहे एक तरफ की हों या दूसरी तरफ की हों, उन्हें ज्यादा बढ़ावा मिले।

आज मुझे सोमनाथ जी का भाषण सुनकर बड़ा संतोष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक बात जरूर कही कि आज सहयोग की जरूरत है, सहमति की आवश्यकता है, सभी समस्याओं का मिलकर हमें समाधान करना होगा और इस काम में हमें इस तरफ बैठने वाले लोगों का सहयोग भी लेना पड़ेगा। उन्हें समझाने की कोशिश करनी होगी कि हमारे और आपके कार्यक्रम में अंतर है। चिदम्बरम जी ने बड़ी योग्यता के साथ अपनी बातें कहीं। एक-दो बातों को छोड़कर, केवल सुषमा जी को प्रसन्न करने के लिए आप बजट को पास मत करिए। आपकी दूसरी बातें सब सही हैं। इससे सुषमा जी प्रसन्न हों या न हों लेकिन आडवाणी जी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन मुरली मनोहर जोशी जी उतने ही दु:खी हो जाएंगे–हमारे लिए चिंता की बात है। हम भी क्या करें, ऐसे देश में हमें रहना है। मैं चाहूंगा कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि जब आप जनता पार्टी में थे तो बी.जे.पी. का साथ आपने लिया था लेकिन उस समय परिदृश्य उथल-पुथल भरा था और भारत तानाशाही के कगार पर खड़ा हो गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मैम्बर की हैसियत से मैं 18 महीने तक (सोलिटरी कन्फाइनमैंट) में रहा था। उस समय आपके नेता ने कहा था कि क्या आप समझौता करने के लिए तैयार हैं तो मैंने कहा था कि तानाशाही और जनतंत्र के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। उस समय भी मैंने स्पष्ट रूप

से कहा था कि आज केवल जम्हूरियत को बचाने का सवाल है। तीसरे विश्व में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों ने, जहां आजादी आई, सबने जनतंत्र का प्रयोग किया लेकिन कुछ समय बाद सभी जगह जनतंत्र का दीपक बुझ गया। अकेले हिन्दुस्तान में जनतंत्र का दीपक जल रहा था, और राजनीतिक व्याख्याकारों सहित पूरी दुनिया ने यहां तक कहा कि भारत में जम्हूरियत का चिराग बुझ गया।

उस समय हमारे जैसे लोगों के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के लिए, हमारे मित्र बोम्मई के लिए, हमारे मुरली मनोहर जोशी और राम विलास पासवान के लिए, उस चिराग को फिर से जलाने के लिए सबसे हाथ मिलाने की जरूरत थी। वह समय की मांग थी।

मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बी.जे.पी के करीब जाने से मैं इसके सिद्धांतों को पसंद करने लगूंगा। हम गर्व के साथ कहते हैं कि तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में जो सम्मान अर्जित किया था वह सम्मान कम ही लोगों को प्राप्त हुआ है। अगर हम मिल-जुलकर काम करें तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन हम मिल-जुलकर काम नहीं करना चाहते। कम से कम अटल जी इसके साक्षी हैं।

बाबरी मस्जिद का मामला जिसके नाम पर बी.जे.पी. के लोगों को अपशब्द बोले जाते हैं। उस समय बाबरी मस्जिद का सवाल हल होने को था। मुलायम सिंह जी आप उसके बारे में जानकार हैं। अगर एक या डेढ़ महीना हमारी सरकार और रहती, तो यह सवाल ही नहीं रहता। किसने इस मामले को हल नहीं होने दिया। मुलायम सिंह जी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को यह बात बता दें। मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वायदा किया है कि प्रधानमंत्री के रूप में जो मैंने जाना है, वह कभी किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं। आप कह सकते हैं। अगर उस दिन हमने कुछ संयम से बात की होती, अगर हमारे इन्हीं मित्रों ने उस दिन सरकार को नहीं गिराया होता, तो आज धर्मनिरपेक्षता का सवाल, इस रूप में नहीं उठता।

आइए, आप और हम, फिर भी सोचें, पुरानी भूलों से कुछ सीखें और अध्यक्ष महोदय हममें बड़ी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन अंत में एक ही बात कहूंगा। श्री रघुपति सहाय फिराक का एक शेर जो मैंने जेल में पढ़ा था, उसको कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा--

इस खंडहर में कुछ दीए हैं, टूटे हुए
इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात।

विविध मामले

हवाला मामला*

अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो सवाल उठाया, मेरी नजर में वही सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बुनियादी सवाल यह है कि इस संसद की मर्यादा, इसके अधिकार और जनता के प्रति जो इसका कर्त्तव्य है, उसका निर्वाह करने में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं या नहीं? अगर हम उस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो एक-दूसरे पर आरोप लगाकर और नैतिकता की बड़ी-बड़ी बातें करके हम न तो इस संसद की मर्यादा बढ़ायेंगे, न देश की मर्यादा बढ़ायेंगे।

मैं अपने मित्र इंद्रजीत गुप्त की अधिकांश बातों से सहमत हूं लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि जिस पर आरोप लगा दिया गया हो वह भ्रष्ट हो जाये...(व्यवधान)

**मुझे दु:ख केवल इस बात का है कि मुझे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, मैं ऐसा समझता था कि प्रधानमंत्री जी उच्चतम न्यायालय से कहेंगे कि उनको इस तरह के निर्देश की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन आज उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उससे ऐसा लगता है कि उनके सॉलिसिटर जनरल ने भी उस बात को स्वीकार किया है। जब तक उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल महोदय से यह नहीं कहा होगा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है या करने का संदेह है, तब तक इस तरह का वक्तव्य देने की उनको जरूरत नहीं थी। अगर सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को यह आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री सी.बी.आई. को कोई निर्देश, कोई आदेश नहीं देंगे या इसकी निगरानी नहीं करेंगे; तो न वह अपने कर्त्तव्य को जानता है, न न्याय की प्रणाली को जानता है, न संसदीय प्रणाली के बारे में उसको ज्ञान है। जैसा माननीय सोमनाथ चटर्जी ने कहा, अगर हम यह बात मानते हैं कि सी.बी.आई. को इस मामले में निर्देश देने का या उसकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है लेकिन जब यह कहा जाता है कि जांच में किसी पर भी कोई आरोप लग जाएगा यह शुबहा है इसलिए आप उनसे कोई निर्देश न लीजिए, आप उनको कोई सूचना न दीजिए, प्रधानमंत्री जी यह एक भयावह दिशा में संकेत है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं है लेकिन संसदीय जनतंत्र में आप लोक सभा के नेता हैं। आपकी मर्यादा पर अगर किसी तरह से भी, अपरोक्ष रूप से भी संकेत होता है तो यह संघ की मर्यादा के ऊपर आघात है।

मैं किसी को त्यागपत्र देने की बात नहीं कहता। ऊंचे पदों पर से त्यागपत्र देना बहुत आसान नहीं होता। मुझे मालूम है कि उसके लिए बहुत इच्छाशक्ति चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप इस मर्यादा के पद पर हैं। मैंने कभी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं की। वह उनका अधिकार क्षेत्र है। न्याय के लिए वह जो कुछ भी करें, वह सबके लिए बाध्यकारी है। लेकिन संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री जी को जो अधिकार मिला हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उस अधिकार को...(व्यवधान)

---

* हवाला मामले से संबंधित आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता संबंधी प्रस्ताव में भाग लेते हुए; लोक सभा वाद-विवाद 8 मार्च, 1996, कॉ.सं. 217-221

** श्री इन्द्रजीत गुप्त की टिप्पणी, ''मैंने यह नहीं कहा...'' का उत्तर देते हुए।

अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे किस वाक्य से हमारे माननीय सदस्य को लगा कि मैं उच्चतम न्यायालय की सत्ता को चुनौती दे रहा हूं। मैंने यह कहा कि न्याय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का पूरा अधिकार है। मैं किसी न्यायालय का न्यायाधीश तो नहीं रहा हूं लेकिन संविधान का विद्यार्थी जरूर रहा हूं।

हमारे संविधान में विभिन्न राज्यों और संस्थाओं की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार संसद और कार्यपालिका की स्वतंत्र स्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय से किसी तरह ऐसा संकेत मिले कि कुछ मामलों में कार्यपालिका के मुखिया के बारे में भी संदेह है तो इससे संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू करना मुश्किल हो जाएगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सरकार को उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय से पूछना चाहिए था कि ऐसी टिप्पणी देने की जरूरत क्यों पड़ी है।

आज मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उससे सॉलिसिटर जनरल सहमत हैं अगर इनके सॉलिसिटर जनरल और इनकी सरकार की सहमति न्यायालय की एक टिप्पणी से है तो स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। उस स्थिति में इस संसद में इस बहस का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि संसद में संसद के नेता के ऊपर उच्चतम न्यायालय कोई संदेह करे और उस संकेत पर संसद के नेता कोई आपत्ति भी न करें तो मेरी समझ में नहीं आता कि नेताविहीन संसद इस मामले में बहस कैसे करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं किसी का त्यागपत्र नहीं मांगता, नैतिकता की दुहाई नहीं देता। लेकिन जो लोग शोर मचा रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि बाहर की ताकतें देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक-दूसरे पर आरोप लगाकर भी अस्थिरता पैदा की जा सकती है। भारत भ्रष्ट देश नहीं है। यहां 80 फीसदी लोग कड़ी मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हैं। बाकी 20 फीसदी लोग जो सरकारी नौकर हैं, फौज के जवान और अन्य हैं उनकी जिन्दगी भी इज्जत और ईमानदारी की जिन्दगी है। आपने जो भारत के बारे में कहा, कृपा करके हम अपने भाषणों से यह न करें। महोदय, मैं आपके जरिए माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि यदि वे अपने अधिकारियों द्वारा लिखे गए वक्तव्यों को न पढ़ते तो इस देश की और इस संसद की ज्यादा खिदमत करते।

झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामला*

अध्यक्ष महोदय, श्री निर्मल कांति चटर्जी ने इस प्रश्न को अधिक सही रूप में रखा है। घटना कब हुई, कैसे हुई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उस घटना का हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर क्या असर है, यह महत्वपूर्ण है। कभी-कभी छोटी घटनायें भी इतिहास को बदलने वाली होती हैं और घटनायें किस से संबंधित होती हैं, वे भी अपने में महत्व रखती हैं। किसी घटना में अगर सदन के नेता, देश के प्रधानमंत्री की ओर दूर से भी संकेत हो तो घटना अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और उस घटना को नियमों के अंदर लाकर अगर हम सोचेंगे तो शायद हम इस संसद के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रारम्भ में ही स्पष्ट करने दें, मैं समझता हूं कि अध्यक्ष होने के नाते यह आपका अधिकार है और अध्यक्ष को इसलिए अधिकार दिए गए हैं कि अगर कोई गम्भीर समस्या आए, तो नियमों के अंतर्गत क्या सही है या क्या गलत है, उससे ऊपर भी उठ करके, संसद की मर्यादा के अनुरूप, देश के भविष्य को ध्यान में रख कर आप निर्णय दें।

अभी हमारे मित्र चले गए। उन्होंने एक बात कही। 1977 में जो हुआ, वह बदले की भावना से हुआ। मुझे जरा दु:ख लगा कि एक दिन इंदिरा जी जेल में गई थीं और 18 महीने मैं भी जेल में रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा बदले की भावना से हुआ था। महोदय, क्षमा कीजिये, परन्तु यह कहना आसान है और जैसा कि आपने कह दिया कि जो उस संसद ने किया, उसी परंपरा को फिर दोहराना चाहते हैं। उस संसद में भी कुछ समझदार लोग थे। सभी लोग गैर-जिम्मेदार लोग नहीं थे। सभी लोग बदले की भावना से काम नहीं कर रहे थे। इस सवाल के संबंध में मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा।

हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि आश्वासन दें। मतदान के पहले आश्वासन दिया गया और मतदान के बाद उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री का उस समय आश्वासन देना बहुत सही नहीं था और आश्वासन देकर उसे पूरा नहीं करना और भी बुरा था। यह दूसरी बात है। अब आप पूछेंगे कि पैसा लिया गया या नहीं? लेकिन क्या संसद को यह स्पष्टीकरण चाहिए? इस सभा का एक माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में, पत्रकारों के सामने, कम से कम 50 लोगों के सामने, एक वक्तव्य देता है और दूसरे दिन उस वक्तव्य को बदल देता है। महोदय, आज नियमों के अनुसार यह सही है कि उसने जो वक्तव्य यहां दिया है, उसको मानना चाहिए। परन्तु हमारी मर्यादा हमसे मांग करती है कि, हम यह भी जानें कि 24 घन्टे के अंदर उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या इस बात को हम लोग सोचेंगे? क्या यह नियमों के अंदर आता है? मैं नियमों का पारंगत नही हूं, लेकिन हमारे संसदीय जनतंत्र में एक माननीय सदस्य संसद के बाहर, पत्रकार सम्मेलन बुलाकर के एक वक्तव्य देता है और 24 घंटे के अंदर उसे बदल देता है। कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र इसको अपनी विजय मान सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पराजय है।

* अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान के लिए कुछ सदस्यों को कथित रूप से धन दिए जाने के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न पर चर्चा में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 11 मार्च, 1996, का. 330-32

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं एक दूसरे सदस्य का वक्तव्य पढ़ रहा था। इस सभा में उन्होंने कहा है कि वह गरीब व्यक्ति है, और उसने सोना नहीं खरीदा, बल्कि बैंकों में पैसा जमा कर दिया। मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी या इस संसद के मंत्री यह जरूरी नहीं समझते कि इस तरह के वक्तव्य का खंडन करें। नेता प्रतिपक्ष, क्षमा कीजिए, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई संसद सदस्य इस तरह का वक्तव्य देता है, तो क्या इससे कोई प्रश्न उठता है या नहीं? दूसरी बात यह है कि देश में विद्यमान माहौल को भी देखना चाहिए तथा जानना चाहिए कि लोग संसद के बारे में क्या सोचते हैं। महोदय, जब वातावरण ऐसा है, जिसमें संसद की मर्यादा को गिराने की हर संभव कोशिश हो रही है, तो क्या हम इन मामलों को केवल तकनीकी सवाल मान कर यह कहेंगे कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? महोदय मैं नहीं जानता कि यह विशेषाधिकार का सवाल बनता है या नहीं, लेकिन क्या सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य नहीं बनता कि इतना बड़ा सवाल उठा, संसद सदस्य कहें कि हमने बैंक में रुपया जमा करा दिया, उसमें कहा जाए कि पूर्व गृह मंत्री उसमें शामिल थे, यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई, तो क्या प्रधानमंत्री जी का इतना भी कर्तव्य नहीं होता कि वे संसद के सामने आकर बयान दें। आकर के स्थायित्व का सवाल उठा करके, पांच वर्षों की अपनी उपलब्धि को गिना कर या कुछ और करिश्मा करके, जैसे अल्पमत को आपने बहुमत में बदल दिया और फिर सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आने वाले लोग कभी-कभी लोकतंत्र को मिटा देते हैं।

इसलिए आज अर्जुन सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, यह सवाल कोई मामूली नहीं है। क्षमा कीजिये, मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं....

*निर्मल चटर्जी ने सही सवाल उठाया कि मामला कितना गंभीर है। यह किसी व्यक्ति से सम्बन्धित मामला है अगर आप यह दृष्टि में रख करके कि उसका इतिहास पर क्या असर पड़ने वाला है, संसद की मर्यादा पर क्या असर पड़ने वाला है निर्णय लेंगे तो मैं समझता हूं कि जो कुछ अर्जुन सिंह जी ने कहा है वह सही दिशा में संकेत करता है। यदि आप उसे दृष्टि में रख करके निर्णय लें तो इतिहास के साथ न्याय होगा और संसद की मर्यादा के अनुरूप होगा।

---

* अध्यक्ष (श्री शिवराज पाटील) की टिप्पणी ''आप पुराने सदस्य हैं। आपके गुस्से से भी हमें प्रेरणा मिलती है'' का उत्तर देते हुए।

तहलका डॉटकॉम मामला*

अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के एक प्रमुख पत्र में जिस तरह तहलका कांड के बारे में एक विवरण छपा, वह न केवल निंदनीय है बल्कि सारे सदन और राष्ट्र के लिए मर्यादाविहीन है। सदस्यों को उस पर चिंता होना स्वाभाविक है। तहलका कांड में भी यही हथकंडे अपनाए गए थे। अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सारी दुनिया को यह बताया गया कि देश की सेना में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस पर सरकार ने कमीशन बनाया, सुरक्षा बलों ने अपना कोर्ट बनाया। हमें अखबारों के जरिए मालूम हुआ कि उन्होंने इस संबंध में भी आगे कार्यवाही की है। जिस समय कमीशन की जांच पूरी होने वाली थी और कुछ लोगों को सजा दी जाने वाली थी तो उस समय अचानक उन्हीं लोगों ने एक दूसरा टेप बनाया, जिन लोगों ने तहलका टेप बनाया था, इस टेप में जो बातें कही गई हैं, वे इतनी आपत्तिजनक हैं कि सदन में उनकी चर्चा करना मैं उपयुक्त नहीं मानता।

अध्यक्ष महोदय, जानकारी पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए, यह निष्पक्ष होनी चाहिए। सूचना का अधिकार होना चाहिए लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अनैतिक तरीके अपनाकर सूचना प्राप्त की जाए। ऐसी कोई सूचना प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा मंत्री जी या उच्चाधिकारियों को न देकर दुनिया के सामने सारे देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा को नीचे गिराना कहां का राष्ट्रीय कर्तव्य है। मुझे दु:ख इस बात का है कि कल तहलका प्रवक्ता द्वारा जारी वक्तव्य को आकाशवाणी ने भी प्रसारित किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह देश हित में किया और वह इस काम को करते रहेंगे। इस मामले पर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में कानून में कोई प्रावधान है या नहीं। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार जो काम इन्होंने किया है कि वह किसी नियम अथवा कानूनी प्रावधान के अंदर नहीं आता। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या कर रही है। हर चीज पर सरकार का मौन रहना, असमर्थता जाहिर करना, यह सरकार की नित्य प्रति की बात हो गई है। मैं इस सवाल को नहीं उठाता लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक घटना से देश की और सेना की मर्यादा कम हुई है और हमारी सारी कार्यविधि की छवि धूमिल हुई है। मैं चाहूंगा कि अगर इस संबंध में कोई नियम अथवा कानून नहीं है तो यहां उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्री से ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए कहें। क्या इन लोगों को ऐसे नहीं समझाया जा सकता कि देश की इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार है।

सरकार जो करती है उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। ऐसा मालूम होता है कि सरकार को लकवा मार गया है। मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई सरकार की आलोचना करता है तब सरकार मौन क्यों रहती है। अध्यक्ष महोदय, यह देश की सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा बलों का सवाल है और एक

* तहलका मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए, लोक सभा वाद-विवाद, 23 अगस्त, 2001, का. 378-79

जगह नहीं अनेक जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। कल जो हुआ उस पर हमारे कुछ सदस्य उत्तेजित थे और उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक था। इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रोकी गयीं तो न केवल इस सदन में उत्तेजना फैलेगी बल्कि मुझे डर है कि कहीं सुरक्षा बलों के अंदर भी उत्तेजना न फैल जाए। उससे सरकार की संसदीय प्रणाली प्रभावित होगी।

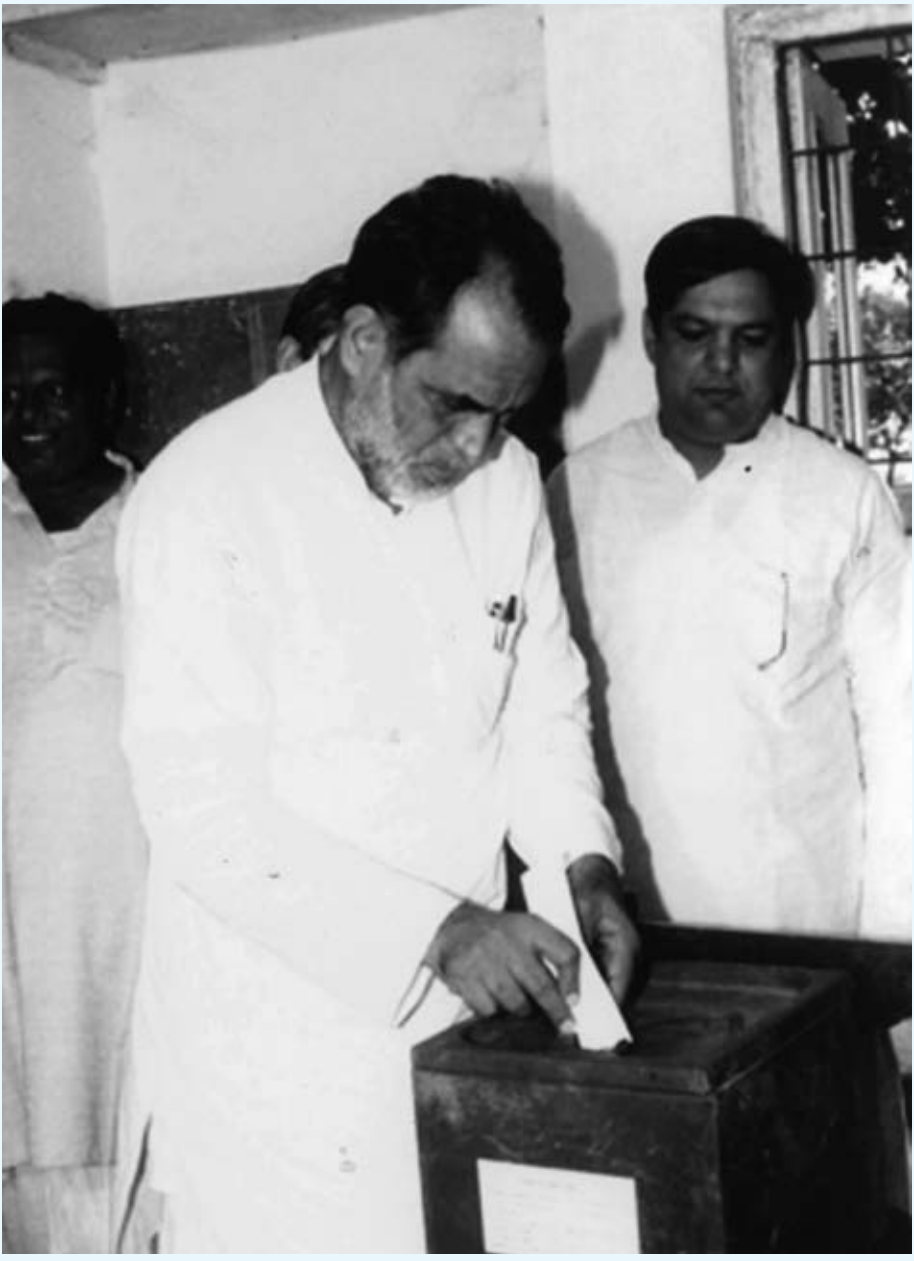

मतदान करते हुए, बलिया, 15 जून 1991

विचारगोष्ठी को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 19 फरवरी 1991

जनसभा को संबोधित करते हुए, कटनी, मध्य प्रदेश, 23 फरवरी 1991

जनसभा को संबोधित करते हुए, छपरा, बिहार, 25 मार्च 1991

जनसभा को संबोधित करते हुए, सिसौली, उत्तर प्रदेश, 11 दिसम्बर, 1990

जनसभा को संबोधित करते हुए, गुवाहाटी, असम, 2 अप्रैल 1991

भाग-चार
चन्द्रशेखर को श्रद्धांजलि

लोक सभा में दी गई श्रद्धांजलि*

श्री चन्द्रशेखर के निधन का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष ने कहा श्री चन्द्रशेखर उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वे वर्ष 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा तथा वर्ष 1989 से 2004 तक नौवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश राज्य से वर्ष 1962 से 1977 तक लगातार तीन बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

चन्द्रशेखर जी देश के अत्यंत सम्मानित राजनीतिक नेताओं में से थे। महान समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव की प्रेरणा से वर्ष 1950 के पूर्वार्द्ध में राजनीति में आए। कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर उनका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण परम्परागत दृष्टिकोण से भिन्न होने के कारण उन्हें प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में ''युवा तुर्क'' के नाम से जाना जाता था। वास्तव में वे अन्याय और भेदभाव के कटट्र विरोधी थे।

चार दशकों तक अपना अद्वितीय योगदान देकर उन्होंने एक प्रबुद्ध सांसद के रूप में संसदीय वाद-विवादों में सार्थक एवं सक्रिय भूमिका अदा की। एक प्रखर वक्ता के रूप में संसद में उनके भाषण अति प्रभावपूर्ण होते थे जिनमें नवोदित भारत के दर्शन की झलक दिखायी देती थी। वे अपनी बात निर्भय होकर व्यक्त करते थे लेकिन भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं के साथ उनका व्यवहार सदैव मर्यादापूर्ण रहता था। सभा में शोर-शराबे के दौरान संसद में उनकी उपस्थिति और मध्यस्थता अक्सर सभा में शांति कायम करने में सहायक होती थी। एक महान जागरूक नेता के रूप में उनकी आवाज एक बुलन्द आवाज थी। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गिरते हुए नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। संसदीय वाद-विवाद में उनके अद्वितीय योगदान को स्वीकार करते हुए संसद ने वर्ष 1995 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से नवाजा।

श्री चन्द्रशेखर को 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस अवधि के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने अनेक जनोन्मुखी कदम उठाए जिनसे उनके प्रबुद्ध राजनयिक कौशल और राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय मिलता है।

श्री चन्द्रशेखर वर्ष 2000 से 2001 तक तथा पुन: 2005 से आचार समिति के सभापति रहे।

दृढ़ इच्छाशक्ति पर अडिग रहते हुए उन्होंने मूलभूत नीतियों पर एक सिद्धांतवादी रुख अपनाया और कोई समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था कि आम व्यक्ति सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। उन्होंने आम व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से राजघाट, नई दिल्ली तक 4260 किलोमीटर की पद यात्रा की तथा निम्नतम स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में भारत यात्रा केन्द्र स्थापित किए।

* लोक सभा में किया गया निधन संबंधी उल्लेख; लोक सभा वाद-विवाद, 10 अगस्त, 2007, कॉलम 1-3।

श्री चन्द्रशेखर का जीवन साहस की गाथा है। वह हृदय से समाजवादी, सच्चे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी थे और युवाओं के प्रेरणास्त्रोत रहे। जिस युग में आदर्शों को अत्यंत पवित्र समझा जाता था तब उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण की तथा राजनीति की।

श्री चन्द्रशेखर धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने उन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने इन मूल्यों की तिलांजलि का जोरदार विरोध किया क्योंकि उनका विश्वास था कि ये मूल्य ही भारतीय राष्ट्र की नींव हैं। उन्होंने अपने जीवन में इन मूल्यों में दृढ़ आस्था प्रदर्शित की तथा श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन उनकी सक्रिय भागीदारी से अत्यंत सफल रहा।

श्री चन्द्रशेखर एक विद्वान व्यक्ति थे तथा उन्होंने ''मेरी जेल डायरी'' (हिन्दी) तथा ''डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज'' नामक पुस्तकों का लेखन किया। वह साप्ताहिक पत्र ''यंग इंडियन'' के संस्थापक सम्पादक थे तथा उसके सम्पादन सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन भी थे।

श्री चन्द्रशेखर के निधन से देश के राजनीतिक इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण युग का अंत हो गया है। उनके निधन से देश ने धर्मनिरपेक्षता और जातिविहीन समाज के पक्षधर एक विख्यात संसदविद्, कुशल प्रशासक, राजनेता और समर्पित समाजवादी खो दिया है।

लम्बे समय तक बीमार रहने के पश्चात् श्री चन्द्रशेखर का निधन 80 वर्ष की आयु में 8 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने मित्र के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।)

राज्य सभा में दी गई श्रद्धांजलि*

राज्य सभा के उप सभापति श्री के. रहमान खान ने 10 अगस्त, 2007 को लोक सभा के वर्तमान सदस्य और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा इस सदन के पूर्व सदस्य श्री चन्द्रशेखर का 80 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद 8 जुलाई, 2007 को हुए निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया।

श्री चन्द्रशेखर का जन्म जुलाई, 1927 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी गांव में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी।

एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री चन्द्रशेखर आचार्य नरेन्द्र देव के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। श्री चन्द्रशेखर दृढ़ विश्वास और सिद्धान्तों के अपने साहस के लिए जाने जाते थे। एक दृढ़ निश्चयी समाजवादी के रूप में, वह देश के विभिन्न समाजवादी आंदोलनों से सम्बद्ध थे और जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे। वह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए थे और प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बेहद रुचि लेते थे। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर राजघाट, नई दिल्ली तक पदयात्रा की और धरातल से जुड़े कार्यों तथा जनशिक्षा हेतु सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में भारत यात्रा केन्द्रों की स्थापना की।

श्री चन्द्रशेखर 1977 से 1978 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) के नेता थे। वह साप्ताहिक पत्र 'यंग इंडियन' के संपादकीय सलाहकार बोर्ड के संस्थापक-संपादक और चेयरमैन थे।

श्री चन्द्रशेखर के विशिष्ट विधायी करियर, जो करीब चार दशकों से भी अधिक समय का है, की शुरुआत इस सम्मानीय सभा की सदस्यता के साथ हुई। उन्होंने इस सदन में उत्तर प्रदेश राज्य के तीन कार्यकाल, अप्रैल 1962 से अप्रैल 1968; अप्रैल 1968 से अप्रैल 1974 और फिर अप्रैल 1974 से मार्च 1977 के दौरान प्रतिनिधित्व किया। वह छठी, सातवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य भी थे। वे अपने वक्तव्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें सदन में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ ध्यान से सुना जाता था। उनके अनुकरणीय संसदीय कार्यनिष्पादन के कारण उन्हें वर्ष 1995 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्री चन्द्रशेखर 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।

श्री चन्द्रशेखर के निधन से देश ने एक प्रख्यात सांसद, एक दिग्गज समाजवादी नेता, एक सक्षम प्रशासक और समाज के दबे-कुचले वर्गों के रक्षक को खो दिया है।

(तत्पश्चात् सदस्यों ने एक मिनट का मौन रखा।)

---

* राज्य सभा में किया गया निधन संबंधी उल्लेख; राज्य सभा वाद-विवाद, 10 अगस्त, 2007, पृ. 27-28

आन्ध्र प्रदेश विधान सभा*

16 जुलाई, 2007 को, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में श्री चन्द्रशेखर के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया, जो निम्नानुसार है:

''कि यह सदन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर अपना गहरा शोक और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता है।''

श्री चन्द्रशेखर के जीवन और काल पर प्रकाश डालते हुए डॉ. रेड्डी ने कहा कि अपने छात्र जीवन से ही एक आक्रामक राजनैतिक नेता माने जाने वाले वे एक सुधारक, प्रगतिशील चिंतक और सकारात्मक व्यक्ति थे जिनकी हमारे देश के उज्जवल भविष्य में आस्था थी। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक, श्री चन्द्रशेखर ने हमारे समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने हेतु सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अथक रूप से कार्य किया।

विधान सभा में कई सदस्यों ने श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने कहा कि वे हमेशा सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए संघर्षरत थे। श्री चन्द्रशेखर ने विशिष्ट रूप से जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आम आदमी को प्रेरित किया। डॉ. जी. विजय रामाराव ने उनके जीवन को स्वतंत्रता और निडरता का उदाहरण बताया। श्री चन्द्रशेखर एक ईमानदार और सच्चे राजनीतिज्ञ थे। श्री नोमुला नरसिम्हैया ने कहा ''...भारतीय राजनीति से उनकी विदाई एक दुखद क्षति है।'' श्री सैयद अमद पाशा कादरी** ने श्री चन्द्रशेखर की हमारे देश के गरीबों और कमजोर वर्गों के मसीहा के रूप में प्रशंसा की। आगे उन्होंने कहा, ''वे (चन्द्रशेखर) शालीनता के साथ राजनीति में विश्वास करते थे जिससे उन्हें राजनीति में एक निजी पहचान मिली। उन्होंने समान रूप से सबके लिए आवाज उठाई। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न अपने सिद्धान्तों से समझौता किया और न ही वे किसी दबाव में झुके और सभी के लिए न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस तरह, सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने हेतु उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया।

श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले अन्य सदस्यों में श्री वाडा वेंकट रेड्डी, श्री जी. किशन रेड्डी, डॉ. जी. कुथुहलम, श्री पी. जनार्दन रेड्डी, श्री नयनी नरसिम्हा रेड्डी, श्री वाई किस्ता रेड्डी, श्री मंडली सत्य नारायण रेड्डी, श्री कुंदु जन रेड्डी और श्री ई. राजेंदर शामिल थे।

---

* मूल रूप से तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

** उर्दू में बोला गया

आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद*

17 जुलाई 2007 को, डॉ. ए. चक्रपाणी, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद ने स्मरण किया कि श्री चन्द्रशेखर जिन्होंने एक युवा प्रगतिशील नेता के रूप में पहचान बनाई और जिनका व्यक्तित्व 45 वर्षों तक संसद में गुंजायमान रहा, वे एक निपुण लेखक और पत्रकार भी थे जिन्हें उनकी स्पष्ट और सरल भाषा के लिए जाना जाता था।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री चन्द्रशेखर के निधन पर आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद में शोक संकल्प प्रस्तुत किया जो निम्नवत् था:

"भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री चन्द्रशेखर के निधन पर परिषद गहरा शोक प्रकट करती है और शोकाकुल परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति रखती है।"

श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ. रेड्डी ने कहा कि समाजवादी विचारधारा से प्रभावित, श्री चन्द्रशेखर ने भारतीय राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई और संसदीय कार्य प्रणाली की परम्परा का निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हुए लोगों के आदर्श बने। हर प्रकार के एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्होंने कहा कि चन्द्रशेखर समाजवादी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने हेतु वे हमेशा से ही महत्वाकांक्षी थे जिससे कि सुविधा से वंचित लोगों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लोकतंत्र का लाभ सुनिश्चित होगा। उन्होंने चन्द्रशेखर जी को एक परिपक्व राजनीतिज्ञ, जुझारू सुधारवादी और प्रगतिशील विचारक के रूप में याद किया जिन्होंने हमारे देश के विकास हेतु अत्यधिक आशावाद का प्रदर्शन किया। गहरा दुख करते हुए, उन्होंने कहा, ''श्री चन्द्रशेखर जी के निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे भरा नहीं जा सकता है और इस हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। हमने लोकतंत्र सेवा में लगे एक महान व्यक्ति को खो दिया है''।

सभा में कई माननीय सदस्यों ने भी दिवंगत नेता की याद में श्रद्धांजलि दी। **श्री दादी वीरभद्रा राव** ने श्री चन्द्रशेखर जी को एक विशेष व्यक्ति बताया जिन्होंने नीतियों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि देश के युवाओं को उनके राजनीतिक जीवन का अनुसरण करना चाहिए जो कि अच्छाई, ईमानदारी, ऊर्जा और गंभीरता से परिपूर्ण था। श्री पूव्वाडा नागेश्वर राव ने श्री चन्द्रशेखर जी को देश में स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध और चिंतित व्यक्ति के रूप में याद किया। उन्होंने आगे कहा कि अपनी विचारधारा पर अटल, श्री चन्द्रशेखर ने हमेशा ही गरीबों के उत्थान का समर्थन किया। श्री कपिलाबाई दिलीप कुमार ने कहा कि श्री चन्द्रशेखर ने एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी व्यक्ति के रूप में बिना रुके उन सिद्धान्तों के लिए लड़ाई लड़ी जिनपर उनका विश्वास था। श्री पालाडुगू वेंकट राव ने श्री चन्द्रशेखर जी के निधन को भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि, "...हमने एक ध्रुवतारा खो दिया।" **श्री सईद अल्ताफ हैदर रजवी ने कहा ''...उनके (श्री चन्द्रशेखर जी के) निधन के साथ भारतीय राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है।

* मूल रूप से तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

** अंग्रेजी में बोले।

जिन मूल्यों पर उन्हें विश्वास था उन्होंने उनके साथ कभी समझौता नहीं किया और उन्होंने वही कहा जो उन्होंने किया और जिसके लिए वे खड़े थे।'' श्री पाल्ले रघुनाथा रेड्डी ने कहा कि एक बहु-प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व और एक महान मानवतावादी, श्री चन्द्रशेखर जी कठोर परिश्रम, उत्साह, जिम्मेदारी की भावना, कुशलता, ईमानदारी, नेकदिल और समर्पण के लिए जाने जाते थे।

अन्य सदस्य जिन्होंने सादर श्रद्धांजलि अर्पित की उनमें श्री कोनीजेती रोसैया, श्री चेरूपल्ली सीता रामूलू, श्री दचुरी रामी रेड्डी, श्री कोमपल्ली यादव रेड्डी, श्री बी. मोहन रेड्डी, श्री मोहम्मद जानी, श्री पलवाई गोवर्धन रेड्डी और श्रीमती च. गंगा भवानी शामिल थे।

असम विधान सभा

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर की याद में 6 अगस्त, 2007 को हुई असम विधान सभा की बैठक में विधान सभा अध्यक्ष श्री टनका बहादुर राय द्वारा पढ़े गए और सदन द्वारा अंगीकृत श्रद्धांजलि संकल्प का पाठ निम्न है:

''पूर्व प्रधानमंत्री, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री चन्द्रशेखर का निधन 8 जुलाई, 2007 को हुआ। वे 80 वर्ष के थे।

श्री चन्द्रशेखर का जन्म 1 जुलाई, 1927 को हुआ था, और वे वर्ष 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे पहली बार वर्ष 1962 में राज्य सभा सदस्य बने। वे छठवीं और सातवीं लोक सभा में सदस्य थे और पुन: नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा में लगातार संसद सदस्य के रूप में चुने गए। चन्द्रशेखर को वर्ष 1995 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया गया। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में वे ''युवा तुर्क'' के रूप में जाने जाते थे। उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय वह था जब उन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4200 कि.मी. की लंबी पदयात्रा की थी। एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चन्द्रशेखर ने समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और इस प्रकार वे देशभर में समाज के सभी वर्गों में अति सम्माननीय और लोकप्रिय व्यक्ति बने।

इस महान व्यक्तित्व, अनुभवी राजनीतिज्ञ और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री का दुखद निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है।''

बिहार विधान सभा

श्री चन्द्रशेखर के दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिनांक 12 जुलाई, 2007 को बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने कहा, ''...संसदीय लोकतंत्र के ओजस्वी प्रवक्ता स्व. श्री चन्द्रशेखर न केवल विशिष्ट और कुशल संसद सदस्य थे बल्कि राजनीतिक जीवन में कठिन मेहनत और उच्च आदर्शों के कारण वे वर्ष 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने''। राष्ट्र के समक्ष आने वाले मामलों पर उनके स्पष्टवादी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा, ''...कड़ी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की मुख्य पूंजी रही थीं। श्री चन्द्रशेखर स्पष्टवादी राजनीतिज्ञ थे। वे प्रशासन और लोगों के समक्ष निडर होकर सच्चाई को व्यक्त करने के लिए भलीभांति जाने जाते थे''।

बिहार विधान परिषद

जुलाई, 2007 को बिहार विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर अरूण कुमार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि :

''उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझने तथा उनके विचारों से अवगत होने के लिए 1983 में कन्याकुमारी से राजघाट, नई दिल्ली तक 'पदयात्रा' की। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में 'भारत यात्रा केन्द्र' की स्थापना की। श्री चन्द्रशेखर ने समाज के कमजोर और पिछड़े तबके के लोगों के उत्थान हेतु हमेशा संघर्ष किया।''

छत्तीसगढ़ विधान सभा

9 जुलाई, 2007 को छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने श्री चन्द्रशेखर के जीवन और समय का स्मरण करते हुए कहा कि वे सामाजिक आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे, इसलिए उनके समाजवादी आदर्शों के लिए उन्हें 'युवा तुर्क' के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने उन्हें (श्री चन्द्रशेखर) संसदीय मर्यादा का महान नायक कहा जिन्होंने सिद्धान्तों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय के कार्य करते हुए उन्होंने सर्वोत्तम मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चन्द्रशेखर के निधन के साथ देश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, एक कुशल प्रशासक तथा महान लेखक, विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक खो दिया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने श्री चन्द्रशेखर के दुखद निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोहिया और जय प्रकाश नारायण के आदर्शों को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे जीवन काल में कठिन कार्य किया। उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रशेखर के निधन से देश की वर्तमान राजनीतिक पीढ़ी एवं राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे नायक से वंचित हो गए जिनके पास समय और धारा के प्रतिकूल कार्य करने का साहस था। उन्होंने कहा कि ''जब कभी लोकतंत्र पर कोई संकट या खतरा आया, तब चन्द्रशेखर जी के शब्द और कार्यों ने लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम किया।''

श्री महेन्द्र कर्मा, सभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि राष्ट्र ने महान विचारक, लेखक और दार्शनिक के रूप में एक शक्तिशाली नेतृत्व खो दिया। उन्होंने कहा ''राजनीतिक उठापटक और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में धैर्य खोए बिना उसका युक्तिपूर्ण पक्ष रखना निश्चित रूप से भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय उदाहरण हैं।''

शोक संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों में श्री निवल कुमार वर्मा, कुमारी कमडा जोल्हे, श्री धरमजीत सिंह और डॉ. राम चन्द्र सिंह देव शामिल थे।

दिल्ली विधान सभा

12 सितम्बर, 2007 को चौधरी प्रेम सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर शोक-संवेदना व्यक्त की। उन्होंने निधन संबंधी उल्लेख में श्री चन्द्रशेखर को प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बताया और कहा ''आज की दुनिया में ऐसा व्यक्तित्व खोज पाना बहुत कठिन कार्य है''।

श्रीमती शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने श्रद्धान्जलि अर्पित करते समय श्री चन्द्रशेखर को एक उत्कृष्ट संसदविद, एक बहुत ही योग्य संगठनकर्ता एवं प्रशासक, एक समर्पित समाजवादी और एक राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जिन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, श्री चन्द्रशेखर एक सशक्त और निर्भीक वक्ता थे। वह अपने विचारों को हमेशा बिना किसी भय या दबाव के व्यक्त किया करते थे। उनकी मृत्यु को देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताते हुए उन्होंने कहा ''...इस कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है''।

सभा के अन्य सदस्यों ने भी ससम्मान श्रद्धान्जलि अर्पित की। श्री हरशरण सिंह बल्ली ने कहा कि श्री चन्द्रशेखर ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था और देश को ऐसे सिद्धान्त और नैतिक मूल्य प्रदान किए जिनका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में अनुसरण किया जाना चाहिए। डॉ. जगदीश मुखी, श्री शोएब इकबाल और श्री कुलवंत राणा ने भी श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मुकेश शर्मा ने भी सभा द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को संबद्ध किया।

गुजरात विधान सभा*

19 जुलाई, 2007 को गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष प्रो. मंगलभाई पटेल ने अपने निधन संबंधी उल्लेख में श्री चन्द्रशेखर को एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में याद किया और सभा से उनके द्वारा आजीवन अपनाए गए सिद्धान्तों का अनुसरण करने के लिए आग्रहपूर्वक कहा।

श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने गुजरात विधान सभा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया। उन्होंने अपने निधन संबंधी उल्लेख में अन्य बातों के साथ-साथ कहा ''श्री चन्द्रशेखर के निधन से एक बुद्धिमान राजनेता, एक कुशल प्रशासक और गरीबों के मसीहा ने अलविदा कहकर हमें गहरे शोक में छोड़ दिया है। उनके निधन से राष्ट्र को एक अपूरणीय क्षति हुई है''।

अनेक सदस्यों ने दिवंगत राजनेता की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने अन्य बातों के साथ-साथ निधन संबंधी अपने उल्लेख में कहा कि श्री चन्द्रशेखर उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया। श्री बाबूभाई एम. शाह ने भी उन्हें युवाओं के आदर्श के रूप में माना। श्री अमित ए. शाह ने श्री चन्द्रशेखर को एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में याद किया और कहा कि ''वह अपने विचारों को निर्भीकता से व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे।'' श्री अशोक भट्ट (संसदीय और विधायी कार्य मंत्री), श्री जसभाई भानाभाई बराड, श्री शंकरभाई डी. वाघेला, श्री शिरीष कुमार मधुसूदन शुक्ला, श्री जगदीश ठाकोर, भरतभाई पांडया और बलवंत सिंह राजपूत भी श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले अन्य सदस्यों में शामिल थे।

---

* मूल रूप से गुजराती में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

हरियाणा विधान सभा

17 सितंबर, 2007 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने श्री चन्द्रशेखर के निधन पर विधान सभा में गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने श्री चन्द्रशेखर का वर्णन एक ऐसे निडर नेता और जुझारू योद्धा के रूप में किया, जिनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था थी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, सरलता और मानवता के प्रतीक के रूप में श्री चन्द्रशेखर एक ऐसे सच्चे धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी जन नेता थे, जिन्होंने आम आदमी की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपनी पूरी जिंदगी नि:स्वार्थ रूप से संघर्ष किया। आगे उन्होंने कहा, ''पांच दशकों के अपने राजनीतिक जीवन के दौरान, यद्यपि चन्द्रशेखर सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके थे, फिर भी वह धरातल से जुड़े रहे और बेहद सादा जीवन व्यतीत किया। चन्द्रशेखर के निधन से देश एक अनुभवी सांसद, एक समर्थ प्रशासक और एक प्रतिबद्ध समाजवादी की सेवाओं से वंचित हो गया है''।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

श्री जी.आर. मुसाफिर, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने श्री चन्द्रशेखर को एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ और महान व्यक्तित्व बताया और कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च संसदीय परम्पराओं का निर्वहन किया।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने श्री चन्द्रशेखर के निधन पर 27 अगस्त 2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ओर से गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। अपने निधन संबंधी उल्लेख में, उन्होंने श्री चन्द्रशेखर की राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए प्रशंसा की।

श्री ईश्वर दास धीमान, सदस्य ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा ''श्री चन्द्रशेखर जी को संसदीय व्यवस्था में बेहद उच्च स्थान प्राप्त था और उनके द्वारा स्थापित परम्पराएं अद्वितीय हैं''।

जम्मू और कश्मीर विधान सभा

19 जुलाई, 2007 को श्री तारा चंद, जम्मू और कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर एक निधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्रद्धांजलि देते हुए, उन्होंने श्री चन्द्रशेखर को एक महान देशभक्त और एक समाजवादी के रूप में दर्शाया जिन्होंने जीवन भर लोगों के कल्याण और राष्ट्र के विकास के लिए कड़ा परिश्रम किया।

श्री अब्दुल रहीम राठेर, सभा में विपक्ष के नेता ने अपने निधन संबंधी उल्लेख में श्री चन्द्रशेखर को एक महान राजनीतिक विचारक, एक सशक्त वक्ता और एक अद्‌भुत नेता के रूप में परिभाषित किया।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी श्रद्धांजलि में श्री चन्द्रशेखर को एक खरा, निर्भीक, ईमानदार और एक मृदुभाषी व्यक्ति के रूप में याद किया जिनके शब्दों का श्रोताओं पर गहरा असर होता था। उन्होंने यह भी कहा कि पंथनिरपेक्षता में उनका दृढ़ विश्वास था और उन्होंने इस पर कभी समझौता नहीं किया।

श्री अब्दुल अजीज जारगर, सिंचाई मंत्री ने श्री चन्द्रशेखर के असाधारण गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि महान बुद्धिमत्ता से संपन्न अग्रणी नेता, श्री चन्द्रशेखर अच्छाइयों का एक मूर्त स्वरूप थे।

अन्य सदस्यों ने भी दिवंगत नेता की याद में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री एम.वाई. तारीगामी ने श्री चन्द्रशेखर को एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, ''महत्वपूर्ण चरण में (देश के इतिहास में) राष्ट्र निर्माण में श्री चन्द्रशेखर द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता।'' श्री शरीफ-उद-दीन शरीक ने अपने निधन संबंधी उल्लेख में श्री चन्द्रशेखर के व्यक्तित्व को एक, ''...उच्च सत्यनिष्ठा और क्रांतिकारी विचारों के साथ मूल को महत्व देने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया।'' इसके अलावा, श्री बलवंत सिंह, श्री जुगल किशोर, श्री अश्वनी कुमार शर्मा, मौलवी अब्दुल रशीद और पंडित मंगत राम शर्मा ने भी श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की।

झारखंड विधान सभा

श्री आलमगीर आलम, झारखंड विधान सभा, के अध्यक्ष ने 17 अगस्त 2007 को श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन और उपलब्धियों को याद किया और कहा, ''उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन के दौरान अनेक जटिल राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया। अपने जीवन में, न तो उन्होंने समझौते की राजनीति की और न ही राजनीति में दबाव के अंतर्गत कार्य किया। वह एक महान राजनीतिक विचारक थे जिनकी दृष्टि से कोई भी गरीबों की समस्याएं देख सकता था। उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय राजनीति को भारी क्षति पहुंचाई है।

श्री मधु कोड़ा, झारखंड के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री चन्द्रशेखर की मृत्यु से देश को न केवल अपूरणीय राजनीतिक हानि हुई है बल्कि देश ने एक सक्रिय नेता भी खो दिया है जो कि ग्रामीणों और गरीबों के पक्ष में हमेशा बोलते थे। उन्होंने कहा कि, ''हम इस युवा तुर्क को कभी नहीं भूल सकते।'' आगे उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रशेखर का महान व्यक्तित्व था और देश में परिवर्तन लाने के लिए अत्यधिक उत्साह था।

श्री सुधीर महतो, झारखंड के उपमुख्यमंत्री ने अपने निधन संबंधी उल्लेख में श्री चन्द्रशेखर को पूर्ण रूप से एक भिन्न व्यक्तित्व के रूप में बताया। उन्होंने कहा, ''अपने विद्यार्थी जीवन काल के समय में समाजवादी राजनीति में आने के बाद से, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखा...अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे।

दिवंगत नेता की स्मृति में कई सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री इन्दर सिंह नामधारी ने कहा, ''मैं उन्हें समय की आवश्यकता को समझने की गहरी समझ और जीवन भर उनकी सरलता के लिए याद करता हूं जिससे सभी राजनीतिज्ञों को प्रेरणा मिली है।...वह एक अग्रदूत थे।'' वह अपने तरीकों में एक अग्रेता थे...उनकी प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति थी न कि किसी एक व्यक्ति के लिए।'' श्री विनोद कुमार सिंह ने श्री चन्द्रशेखर को एक स्वच्छ छवि और निडर नेता के रूप में स्मरण किया, जो अपनी असहमतियों में बेझिझक रहते थे और कभी अपने विचारों से समझौता नहीं करते थे। इसके अलावा, श्री मनोज कुमार यादव और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने भी स्व. श्री चन्द्रशेखर को अपनी सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की।

कर्नाटक विधान सभा*

9 जुलाई, 2007 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष श्री कृष्णा ने गहरी क्षति का भाव व्यक्त करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि श्री चन्द्रशेखर के निधन से राष्ट्र के राजनीतिक परिवेश में एक कमी हो गई है।

श्री एच.डी. कुमारास्वामी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में, श्री चन्द्रशेखर को एक लोकप्रिय नेता के रूप में याद किया जिन्हें जनता का अपार समर्थन प्राप्त था और उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रशेखर की विचारधाराएं और लोकहितैषी आंदोलनों ने देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य किया।

श्री एन. धर्म सिंह, नेता प्रतिपक्ष, कर्नाटक विधान सभा ने अपनी श्रद्धांजलि में श्री चन्द्रशेखर को एक धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी नेता और बहुत ही मानवतावादी व्यक्ति के रूप में याद किया। एक महान व्यक्तित्व के रूप में श्री चन्द्रशेखर की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने कहा, ''...हमें उनका अनुकरण करना चाहिए और हमारे जीवन में भी उनके द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के मूल्यों को अपनाना चाहिए।''

श्री डी.टी. जयकुमार, आवास मंत्री ने अपने शोक संदेश में श्री चन्द्रशेखर की 'अजातशत्रु' के रूप में प्रशंसा की और कहा कि किसी राजनीतिक दल में उनका कोई शत्रु नहीं था। आगे, उन्होंने कहा कि एक महान नेता के रूप में, श्री चन्द्रशेखर अपने मार्गदर्शन और सलाह के लिए काफी जाने जाते थे।

अन्य सदस्य जिन्होंने दिवंगत नेता की याद में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उनमें सर्वश्री एम.पी. प्रकाश, गृह मंत्री, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, वातल नागराज, के.एस. ईश्वरप्पा (जल संसाधन मंत्री), जी.वी. श्री रामा रेड्डी, के. जयप्रकाश हेगड़े, बी.ए. जिबिजया, आर.वी. देशपांडे, विश्वेश्वरा हेगड़े कागेड़ी, एन. चालूबसया स्वामी (परिवहन मंत्री), वैजनाथ पाटील, अर्गा जनेन्द्र और नरसिम्हा नायक उर्फ राजू गौड़ा शामिल थे। श्री के.आर. रमेश कुमार ने अपने शोक संदेश में श्री चन्द्रशेखर को राष्ट्र के प्रति उनकी महान सेवाओं के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''...चन्द्रशेखर जी ने महत्वपूर्ण निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय राजनीति दोनों को एक प्रगतिशील और आधुनिक स्पर्श देने में गंभीर प्रयास किए।'' उन्होंने कहा, ''एक महान राष्ट्रवादी, श्री चन्द्रशेखर को संसद के दोनों सदनों का सम्मान प्राप्त था।'' और उन्होंने कहा, ''देश के प्रति उनकी वफादारी निस्संदेह थी।''

---

* मूल रूप से कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कर्नाटक विधान परिषद

9 जुलाई, 2007 को प्रो. बी.के. चन्द्रशेखर, सभापति कर्नाटक विधान परिषद ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री चन्द्रशेखर के निधन पर निधन संबंधी उल्लेख किया। पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और समय को याद करते हुए उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा ''युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध...श्री चन्द्रशेखर अपने क्रांतिकारी व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने राजनीति में हमेशा अपने स्वयं के सिद्धांतों का अनुपालन किया।'' उन्होंने आगे कहा, ''उनकी मृत्यु के साथ देश ने स्पष्ट बात करने वाले प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ को खो दिया है।''

केरल विधान सभा

9 जुलाई, 2007 को श्री के. राधाकृष्णन, अध्यक्ष केरल विधान सभा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की। अपने निधन संबंधी उल्लेख में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा, ''चन्द्रशेखर एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी नेता थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव के चार दशकों के दौरान भारतीय लोकतंत्र के संवर्धन में पर्याप्त योगदान दिया था। संसद सदस्य के रूप में, वे सत्ता के विकेन्द्रीकरण, कमजोर वर्गों की शिकायतों को प्रकट करने और सामाजिक परिवर्तन संबंधी नीतियों के संबंध में काफी सतर्क थे। उन्हें एक साहसी नेता के रूप में याद करते हुए, जो अपने विचारों को राजनीति में कड़े विरोध के बावजूद बिना भय के व्यक्त करते थे, श्री राधाकृष्णन ने कहा कि श्री चन्द्रशेखर के निधन के साथ देश ने एक आदर्श सामाजिक और राजनीतिक नेता खो दिया है।

श्री वी.एस. अच्युतानंदन, मुख्यमंत्री केरल, श्री ओमन चांडी (नेता प्रतिपक्ष), श्री सी. दिवाकरन (खाद्य, विद्युत आपूर्ति और पशुपालन मंत्री), श्री टी.यू. कुरूविला (कार्य मंत्री), और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (जल संसाधन मंत्री), ने भी दिवंगत श्री चन्द्रशेखर को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। श्रद्धांजलि व्यक्त करने वाले अन्य सदस्य थे, श्री थॉमस चजाकीदान, श्री के.पी. मोहनन, श्री सी.टी. अहमद अली, श्री के.के. शाजु, श्री रामचन्द्रन कदानपाली, श्री ए.के. ससीन्द्रन और श्री पी.सी. जॉर्ज।

मध्य प्रदेश विधान सभा

18 जुलाई, 2007 को अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा, श्री ईश्वर दास रोहानी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र को दी गई उनकी सेवाओं के लिए श्री चन्द्रशेखर को हमेशा याद रखा जाएगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निधन संबंधी उल्लेख में कहा कि मूल विचारक के रूप में श्री चन्द्रशेखर कुछ प्रबुद्ध संसदविदों में से एक थे। उन्होंने यह भी कहा कि, ''...चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन्हें सभी लोग हमेशा बड़े ध्यान से सुनते थे...वह बिना किसी पूर्वाग्रह के बेबाक बोला करते थे और जैसा वे महसूस करते, वैसा बोलते थे...उनकी मृत्यु से हमने ऐसे नेता को खो दिया है जिन्होंने नीतिपूर्ण राजनीति का पक्ष लिया...।''

सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती यमुना देवी ने श्री चन्द्रशेखर को आदर्श नेता और महान विचारक के रूप में याद किया उन्होंने धरतीपुत्र श्री चन्द्रशेखर के निधन संबंधी उल्लेख में कहा कि राजनीति से उनका संबंध मुख्यतः आम आदमी के हितों से जुड़ा था।

दिवंगत नेता की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले अन्य सदस्यों में श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री मन मोहन शाह बट्टी, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री हामिद काजी, श्री लखन सिंह बघेल तथा श्री राम लखन शर्मा और श्री के.डी. देशमुख शामिल थे।

महाराष्ट्र विधान सभा*

16 जुलाई, 2007 को श्री कृष्णराव राखामाजीराव देसाई उर्फ बालासाहेब कूपेकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान सभा ने अन्य बातों के साथ-साथ निधन संबंधी अपने उल्लेख में कहा कि श्री चन्द्रशेखर भारतीय संसद की लोकतांत्रिक परंपराओं के सच्चे हीरे थे। उन्होंने कहा कि अपने संयमी और विनम्र स्वभाव के बल पर श्री चन्द्रशेखर अपने आसपास के राजनीतिक क्षेत्र में मीठी सुगंध बिखेरते थे।

श्री विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर महाराष्ट्र विधान सभा में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री चन्द्रशेखर के जीवन और उपलब्धियों को दोहराते हुए श्री देशमुख ने स्पष्टवादी, पंथ निरपेक्ष सोच वाले राजनेता के रूप में उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि, एक महान समाजवादी के रूप में श्री चन्द्रशेखर ने जीवन भर आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए संघर्ष किया। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रशेखर ने राजनीति से ज्यादा अपने सिद्धान्तों को ऊपर रखा।

श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देने वाले अन्य सदस्यों में श्री रामदास कदम (नेता प्रतिपक्ष), श्री एकनाथ राव गणपतराव खड़से, श्री गणपतराव देशमुख, श्री नरसैया आदम, श्री नरसिंह पाटील, एडवोकेट वामनराव चातप और श्री बबनराव पचपुते (वन मंत्री) भी शामिल थे।

---

* मूल रूप से मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

महाराष्ट्र विधान परिषद*

16 जुलाई, 2007 को श्री शिवाजीराव बापूसाहेब देशमुख, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान परिषद ने श्री चन्द्रशेखर के निधन को राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया।

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री श्री आर.आर. पाटील ने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर महाराष्ट्र विधान परिषद में शोक संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री पाटील ने याद किया कि 1970 के दशक में 'युवा तुर्क' के रूप में ख्याति प्राप्त श्री चन्द्रशेखर बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्रहित में आक्रामक रूप से बोलते थे। इसी क्रम में आगे उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय परम्पराओं और भारत के वैभवपूर्ण इतिहास पर गर्व करते हुए श्री चन्द्रशेखर अपने संपूर्ण जीवन में देश की बेहतरी, अखंडता और कल्याण के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों में अपने जोशीले भाषणों से संस्था के वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए व्यापक राष्ट्रीय हितों पर श्री चन्द्रशेखर ने राष्ट्र के सामने दरपेश अनेक मुद्दों को उठाया।

सभा में अनेक सदस्यों ने दिवंगत नेता की स्मृति में भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रो. बी.टी. देशमुख ने श्रद्धांजलि देते हुए श्री चन्द्रशेखर को समर्पित समाजवादी के रूप में याद किया और कहा कि उनका व्यक्तित्व लोगों के मानस पटल पर स्थाई रूप से अंकित हो गया है। श्री कपिल पाटील ने श्री चन्द्रशेखर जिनका निर्भीक और नेक चरित्र बहुत ही आश्चर्यजनक था, के निधन संबंधी अपने उल्लेख में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में याद किया। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि श्री चन्द्रशेखर ने अपने संपूर्ण जीवन में मूल्य आधारित राजनीति पर जोर दिया। श्रद्धांजलि देने वाले अन्य सदस्यों में श्री पाण्डुरंग फुंडकर (नेता प्रतिपक्ष), श्री मधुकर सरपोत्दार, एडवोकेट गुरूनाथ कुलकर्णी, श्री जयंत पी. पाटिल, मेजर सुधीर सावंत, प्रो. शरद पाटील और डॉ. नीलम गोर्हे शामिल हैं।

---

* मूल रूप से मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

मेघालय विधान सभा

राज्य विधान सभा में 12 अक्टूबर ,2007 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर की मृत्यु पर निधन संबंधी उल्लेख करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. डी.डी. लपांग ने उन्हें एक वयोवृद्ध समाजवादी के रूप में संबोधित किया और उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की।

भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान श्री चन्द्रशेखर के अभूतपूर्व प्रयासों को याद करते हुए श्री मानस चौधरी, विधान सभा के सदस्य ने उन्हें भारतीय राजनीति की एक सशक्त हस्ती के रूप में याद किया। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि ''श्री चन्द्रशेखर की राजनीतिक जीवनी के बारे में हम कह सकते हैं कि वे ऐसी शख्सियत थे जिनमें न केवल राजनीतिक बुद्धिमत्ता थी बल्कि दृढ़ विश्वास भी था।'' विधान सभा के अन्य सदस्य सर्वश्री सिंग मुलै और श्री प्रोसेस टी. सावक्की ने भी श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में श्रद्धांजलि दी।

मिजोरम विधान सभा

18 सितंबर, 2007 को मिजोरम के मुख्यमंत्री पू* जोरमाथांगा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर की मृत्यु पर विधान सभा में निधन संबंधी उल्लेख करते हुए, उन्हें एक महान सामाजिक कार्यकर्ता और एक साहसी राजनीतिज्ञ के रूप में संबोधित किया। उन्होंने चन्द्रशेखर की मृत्यु को राष्ट्र के लिए एक बड़ी हानि के रूप में व्यक्त किया।

अन्य सदस्यों, जिन्होंने अपनी आदरणीय श्रद्धांजलि दी, उनमें पू* लल थनहावला और पू* लालकिंग थांगा शामिल हैं। *पू ललडुहामा ने अपने निधन संबंधी उल्लेख में श्री चन्द्रशेखर को एक महान गांधीवादी के रूप में याद किया जिनमें सादा जीवन और उच्च विचार की भावना थी।

---

* मीजो बोली में किसी व्यक्ति के लिए आदर प्रदर्शित करने के लिए 'पू' शब्द का प्रयोग किया जाता है यह ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से तमिल लोग 'थिरू' का प्रयोग करते हैं।

केरल के लोक नर्तकों के साथ, नई दिल्ली, 29 जनवरी 1991

राजस्थान के लोक नर्तकों के साथ, नई दिल्ली, 29 जनवरी 1991

उत्तर पूर्व के लोक नर्तकों के साथ, नई दिल्ली, 29 जनवरी 1991

नागालैंड विधान सभा

18 सितम्बर, 2007 को नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर नागालैंड विधान सभा में अपनी गहन संवेदना व्यक्त की। उनके निधन संबंधी उल्लेख में उन्होंने श्री चन्द्रशेखर की राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के विद्वान के रूप में प्रशंसा की जिन्होंने आम आदमी की बेहतरी के लिए बिना थके काम किया। उनके जीवन और उपलब्धियों को प्रतिबिम्बित करते हुए उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा, ''चन्द्रशेखर ने सच्चाई पर डटे रहने में ईमानदारी, सच्चाई, दृढ़ विश्वास और निष्ठा जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की अगुवाई की। इस तरह, वे एक विशिष्ट प्रकार के राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कभी भी सत्ता, धन-दौलत या सुविधा के लिए अपने आदर्शों का बलिदान नहीं किया।'' उन्होंने कहा, ''चन्द्रशेखर की मृत्यु से देश ने एक विलक्षण राजनेता को खो दिया और उनकी अनुपस्थिति से रिक्त हुए स्थान को भरना मुश्किल होगा।''

विपक्ष के नेता श्री आई. इमलोंग ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ''चन्द्रशेखर व्यवहारिकता, दृढ़ता और संसदीय व्यवस्था के उच्च आदर्शों के उत्कृष्ट उदाहरण थे। एक दृढ़ विश्वास के नेता और एक गहन विचारक, श्री चन्द्रशेखर ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और एक जातिविहीन और वर्गविहीन समाज के निर्माण के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। एक संसदविद् के रूप में उनका पारंगत कार्य निष्पादन उनके घटनापूर्ण जीवन की अद्भुत विशेषताओं में से एक रहा है''।

उड़ीसा विधान सभा*

उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष, श्री महेश्वर मोहंती ने, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अपनी विचारधारा और पदयात्रा के लिए, श्री चन्द्रशेखर हमेशा आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किए जाएंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक[$] ने 9 जुलाई, 2007 को उड़ीसा विधान सभा में अपने शोक संदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कहा, ''...पूर्व प्रधानमंत्री का दु:खद निधन हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है...उनकी मृत्यु के पश्चात् रिक्त हुआ स्थान कभी नहीं भरा जा सकता''। एक महान समाजवादी नेता के रूप में उन्हें याद करते हुए, उन्होंने कहा, श्री चन्द्रशेखर ने हमेशा गरीबों और शोषितों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री जे.बी. पटनायक, नेता प्रतिपक्ष ने श्री चन्द्रशेखर के निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। अपने शोक संदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रशेखर के निधन से देश ने एक सच्चा देशभक्त खो दिया है। भारतीय राजनीतिक जगत में एक चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रशेखर एक निडर व्यक्ति थे। अपने मन की बात बोलने में उन्होंने कभी हिचकिचाहट नहीं की और उन्होंने जो बोला वही किया। आगे उन्होंने कहा कि एक सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में श्री चन्द्रशेखर ने जिस बात में विश्वास किया उससे कभी समझौता नहीं किया।

श्री विश्वभूषण हरिचंदन, ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने शोक संदेश में श्री चन्द्रशेखर को एक महान नेता और कुशल राजनेता के रूप में याद किया जो वास्तव में गरीब, शोषित और समाज के वंचित तबके के लिए चिंतित थे।

सदन में अन्य सदस्य जिन्होंने श्री चन्द्रशेखर की स्मृति में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उनमें श्री विमल लोचन दास, श्री एन. नारायण रेड्डी, श्री लक्ष्मण मुंडा, श्री शुंभुनाथ नायक और श्री राजेन्द्र प्रताप स्वाईं शामिल थे।

---

* मूल रूप से उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[$] अंग्रेजी में दिये गये भाषण का हिन्दी अनुवाद

पुदुचेरी विधान सभा*

24 अक्टूबर, 2007 को पुदुचेरी विधान सभा ने श्री चन्द्रशेखर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर निम्नांकित उल्लेख किया:

''श्री चन्द्रशेखर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 1 जुलाई, 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने एम.ए. (राजनीतिक विज्ञान) की पढ़ाई की। वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक कार्यकलापों में शामिल रहे। वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए और उस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। वह 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहते थे और अपने विचारों के कार्यान्वयन में काफी साहसी थे, उन्हें 'युवा तुर्क' कहा जाता था। वे 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए। वे वर्ष 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बने। श्री जय प्रकाश नारायण में उनकी असीम आस्था थी। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद वे जनता दल में शामिल हो गए। 1977 से 2004 तक वे आठ बार संसद सदस्य बने। उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। वे 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बने। 8 जुलाई, 2007 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका निधन राष्ट्र के लिए क्षति है।''

---

* मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

पंजाब विधान सभा*

सरदार निर्मल सिंह कहलों, अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा ने 17 दिसम्बर, 2007 को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि वे सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन के प्रतीक थे, श्री चन्द्रशेखर उच्च मूल्यों के और उत्कृष्ठ नेता थे।

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए विधान सभा में कहा, ''उनका निधन देश के लिए भारी क्षति है। भारत ने एक साहसी, स्पष्टतावादी और ईमानदार व्यक्ति को खो दिया है। हम ऐसे महान व्यक्ति के निधन पर दु:ख व्यक्त करते हैं''। श्री चन्द्रशेखर को राष्ट्र की धरोहर के रूप में याद करते हुए, श्री बादल ने कहा, ''वह न केवल गरीब और दुर्बल के सच्चे मित्र थे बल्कि सत्य और उच्च मूल्यों के आकाशदीप थे. ..उन्होंने हमेशा देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास के विरुद्ध लड़ाई की''। श्री बादल ने आगे कहा, ''उनका दागरहित चरित्र और सरल जीवन हमेशा भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।''

श्री मनोरंजन कालिया, स्थानीय निकाय उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने श्री चन्द्रशेखर को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि में उन्हें महान व्यक्ति बताया जो लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे थे।

श्री रजिन्द्र कौर भट्टल, नेता प्रतिपक्ष ने चन्द्रशेखर को ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जिनका नाम आदर्श मूल्यों और उच्च परंपराओं का पर्याय था। अपने निधन संबंधी उल्लेख में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा, ''...दृढ़ धारणाओं वाले व्यक्ति...उन्होंने समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए अथक और हमेशा अपना श्रेष्ठ प्रयास किया और राष्ट्र द्वारा सामना किए जा रहे राजनीतिक मुद्दों को उच्चतम स्तर पर उठाया''। उन्होंने आगे कहा कि उनका दृष्टिकोण साहसी और बिल्कुल स्पष्ट था।

सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, विधान सभा सदस्य ने दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि दी।

---

* मूल रूप से पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

राजस्थान विधान सभा

दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर श्रद्धांजलि का प्रस्ताव पेश किया। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रशेखर के निधन से राष्ट्र ने एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व खो दिया है जो धर्म-निरपेक्ष और जातिविहीन समाज की स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध थे। श्री चन्द्रशेखर को एक विशिष्ट संसद सदस्य, एक सक्षम प्रशासक और प्रतिबद्ध समाजवादी नेता बताते हुए उन्होंने कहा, ''श्री चन्द्रशेखर देश के सम्मानीय राजनीतिज्ञों में से एक थे''। संसदीय लोकतंत्र के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ''श्री चन्द्रशेखर धर्म-निरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने सदा भारत के सहायक स्तम्भ के रूप में इन मूल्यों को सदा बनाए रखा''। उन्होंने यह भी कहा, ''श्री चन्द्रशेखर एक उत्कृष्ट और सुवक्ता थे और उनके भाषणों में एक नए राष्ट्र के निर्माण की आवाज सदा गूंजती रही। उन्होंने इस सदन की गरिमा बनाए रखी और साथ ही साथ उन्होंने विविध राजनीतिक विचारधाराओं के बीच निडर होकर अपने विचार व्यक्त किए। जब कभी भी सदन में उत्तेजना का माहौल बना, उनके तात्कालिक हस्तक्षेप ने सदन में व्यवस्था कायम करने में सदैव सहायता की और इससे सदन की कार्यवाहियों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित हुआ''।

सिक्किम विधान सभा

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन संबंधी उल्लेख में सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष श्री डी.एन. टकरपा ने दिनांक 6 सितम्बर, 2007 को अन्य बातों के साथ-साथ कहा, ''उनके निधन से देश ने भारत का एक असाधारण पुत्र और महान देशभक्त खो दिया है जो सतत् विकास और सामाजिक समता के प्रति प्रतिबद्ध थे''।

सिक्किम के मुख्यमंत्री डॉ. पवन चामलिंग ने श्री चन्द्रशेखर के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि उनका जीवन साहस की एक कहानी है। अपने शोक संदेश में डॉ. चामलिंग ने भारत को एक मजबूत और सतर्क देश बनाने में श्री चन्द्रशेखर के विशिष्ट योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि श्री चन्द्रशेखर देश के प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और वे दिल से समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, राष्ट्रवादी और युवाओं के लिए प्रेरणा की मूर्ति थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जोड़ते हुए यह कहा कि श्री चन्द्रशेखर एक प्रतिबद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने मौलिक राजनीति पर सैद्धांतिक और समझौताविहीन रुख अपनाया तथा उनका दृढ़ विश्वास था कि आम आदमी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के केन्द्र में होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान श्री चन्द्रशेखर द्वारा लोगों की भलाई के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ कदमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये बातें उनकी प्रबुद्ध शासन कला और राजनीतिक पवित्रता को दर्शाती हैं। उनके चार दशकीय संसदीय कार्यकाल के दौरान अग्रसक्रिय भूमिका को उद्धृत करते हुए डॉ. चामलिंग ने कहा, ''संसद में हलचल के दौरान उनकी (श्री चन्द्रशेखर की) उपस्थिति और हस्तक्षेप ने सदन में शांति की पुनर्बहाली में सहायता की''।

तमिलनाडु विधान सभा*

17 अक्तूबर, 2007 को तमिलनाडु विधान सभा के पीठासीन माननीय अध्यक्ष थिरू आर. अवुदैयप्पन ने भारत के पूर्वप्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर शोक संकल्प पारित किया जिसका पाठ निम्नलिखित है:-

''यह सभा महान राष्ट्रवादी और समाजवादी जनता पार्टी के नेता और पूर्वप्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के 8 जुलाई, 2007 को 80 वर्ष की आयु में निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करती है। वह आठ बार लोक सभा के सदस्य रहे तथा एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे। वह सात माह ग्यारह दिनों तक प्रधानमंत्री रहे।

यह सभा उनके निधन पर शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपना गहरा दु:ख और संवेदना प्रकट करती है।''

---

* मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

त्रिपुरा विधान सभा*

7 सितम्बर, 2007 को त्रिपुरा विधान सभा की ओर से विधान सभा अध्यक्ष श्री दिनेश नंदन सहाय ने भारत के पूर्वप्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, ''चन्द्रशेखर जी का निधन भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है और भारतीयों ने एक लोकतांत्रिक, लोकप्रिय और स्पष्टवादी नेता खो दिया है।'' उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और उदार नेता बताते हुए श्री सहाय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा, ''वे हमेशा सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर बात करते थे। विभिन्न दलों के नेता उन्हें 'संसद की अंतरात्मा' कहा करते थे।''

---

* मूल रूप से बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

उत्तराखंड विधान सभा

श्री हरबंश कपूर, अध्यक्ष, उत्तराखंड विधान सभा ने श्री चन्द्रशेखर के निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त किया और उनके निधन को राष्ट्रीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि अद्वितीय व्यक्ति, श्री चन्द्रशेखर की व्यापक राजनीतिक बिरादरी में विशिष्ट पहचान थी। उन्होंने कहा, ''अपने लंबे राजनीतिक जीवन में एक असंबद्ध यात्री के रूप में श्री चन्द्रशेखर को सत्ता और शक्ति की कभी लालसा नहीं रही''। उन्होंने यह भी कहा कि श्री चन्द्रशेखर संसदीय प्रक्रियाओं में निपुण थे और उसे अपने दैनिक संसदीय जीवन में आत्मसात करते थे।

9 जुलाई, 2007 को मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, ए.वी.एस.एम., मुख्यमंत्री, उत्तराखंड ने भारत के पूर्वप्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर निधन संबंधी उल्लेख किया। उनके जीवन और समय को याद करने के साथ उन्होंने कहा, ''श्री चन्द्रशेखर का जीवन, ऊर्जा और जोश से भरपूर एक ऐसे संघर्षरत युवा व्यक्ति का था, जिनमें व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने का साहस था और जो सच्ची निष्ठा के साथ अपने देश और अपने लोगों की सेवा करना चाहते थे, की छवि प्रतिबिम्बित करता है।''

श्री हरक सिंह रावत, नेता विपक्ष ने सदन में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि, ''...ग्रामीण लोग महसूस करते थे कि वे (श्री चन्द्रशेखर) एक आम नागरिक, आम किसान थे।...उनके भाषण की स्पष्टवादिता से आम आदमी अपने को उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ पाता था।''

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, श्री दिवाकर भट्ट ने अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ कहा कि मामलों की गहरी अंत:दृष्टि रखने वाले श्री चन्द्रशेखर मुद्दों को बिना प्रार्थना किए ही समझ जाते थे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, ''...अपने क्षेत्र में उनकी विशाल उपस्थिति थी।''

श्री शहजाद, सदस्य ने भी दिवंगत नेता की स्मृति में सम्मानपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि दी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9 जुलाई, 2007 को श्री सुखदेव राजभर, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। 'युवा तुर्क' के रूप में लोकप्रिय समाजवादी नेता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों से मिलने-जुलने और उनकी समस्याओं को हल करने में श्री चन्द्रशेखर की गहरी रुचि थी। श्री चन्द्रशेखर के निधन पर उन्होंने कहा, ''...देश ने एक दिग्गज और सिद्धांतवादी राजनेता तथा एक प्रतिबद्ध समाजवादी, स्पष्टवादी और अदम्य भावना से संपन्न नेता को खो दिया है।''

पश्चिम बंगाल विधान सभा

भारत के पूर्वप्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के निधन का उल्लेख करते हुए, 17 जुलाई, 2007 को पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष श्री हाशिम अब्दुल हलीम ने कहा कि उनकी मृत्यु से देश ने एक कुशल राजनेता और एक योग्य प्रशासक खो दिया। निधन संबंधी अपने उल्लेख में, उन्होंने श्री चन्द्रशेखर के जीवन और उपलब्धियों को याद किया। उन्हें एक उत्कृष्ट संसदविद् के रूप में वर्णित करते हुए, उन्होंने कहा, ''श्री चन्द्रशेखर को अपने विचारों के दृढ़ विश्वास के लिए सभी ओर से सम्मान मिलता था।''

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

अम्बेडकर, बी.आर. 324

आगरा शिखर सम्मेलन 332–333

आचार समिति 23

आपातकाल 53, 54, 59, 62, 66, 71, 76, 81, 84, 85,86, 88, 92, 197

आयात 239–247

आर्थिक संकट 99, 109, 179, 239, 241

इंडियन शुगर मैनुअल 284

इतिहास का रथ 137, 190

इब्राहिमपट्टी 31, 52, 69, 70, 94, 417

उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 15, 23, 26, 32, 36, 40, 49, 61, 68, 73, 87, 415, 417

उदारीकरण 40, 89, 99, 101, 139

एपलबी पॉल एच 162

कल्याण

–केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 273–276

–अध्यापकों का 277–279

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 29, 50, 108

कान्त कृष्ण 15, 47

कारगिल 101, 139, 331, 333

कुटीर उद्योग 139, 140, 211, 308, 309, 310, 341

कृषि उत्पादन संबंधी समिति 283

कृष्ण मेनन समिति 160, 165

खाड़ी देश

–स्थिति 350–351

–युद्ध 352–357

खादी और ग्रामोद्योग आयोग 169–170, 308, 309

खाद्यान्न जांच समिति 124, 296

गुटनिरपेक्षता 118, 344, 345, 347, 357, 359, 385

चीनी उद्योग 315–318

चेकोस्लोवाकिया

–रूसी आक्रमण 358–362

छोटे उद्योग 139, 140

ज़मींदारी व्यवस्था 144

ज़िन्दगी का कारवां 40, 88

जे पी आन्दोलन 13, 25, 53, 54, 66, 84, 104

झामुमो

–रिश्वत मामला 409–410

टैगोर, रवींद्र नाथ 201,399

डंकल प्रस्ताव 17, 89, 109

डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज 33, 416

तहलका 411–412

तीसरी पंचवर्षीय योजना 158, 200, 212, 213, 239, 248, 307, 309

देसाई, मोरारजी 21, 22, 25, 43, 45, 50, 51, 54, 55, 62, 66, 70, 71, 74, 75, 76, 80, 84, 86, 147, 211, 218

धर्मनिरपेक्षता 61, 97, 188, 330, 365, 367, 375, 394, 397, 403, 404, 416, 429

नंदा, गुलज़ारी लाल 84, 130, 167, 168

निजीकरण 39, 66, 143

निर्यात 239–247

नेताओं के साथ संबंध 66

पंचवर्षीय योजना
–पहली 239
–तीसरी 212–218
–चौथी 219–228
–पांचवीं 229–238
पंचशील 359, 361
पटना विश्वविद्यालय 84
पटियाला जेल 13, 54
पोखरण 139
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 19, 24, 31, 49, 53, 58, 63, 75, 108, 115, 122, 127, 137, 168, 169, 182, 200, 216, 273, 274, 276, 322, 441
प्रो मुकुट बिहारी लाल 18, 52, 58, 168, 172, 181, 200, 201, 294, 311, 313
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 27, 39, 58, 180–192
बलिया 16, 17, 18, 19, 23, 27, 31, 32, 39, 43, 52, 53, 55, 69, 70, 79, 104, 105, 108, 377, 415, 417, 441
बाल्को 141, 143
बिहार विधान सभा 325–326
बैंकों का राष्ट्रीयकरण 99, 108, 132, 133, 142
भारत छोड़ो आंदोलन 52, 89, 117, 140, 144
भारत–पाक संबंध 329–333
भारत–यात्रा/पदयात्रा 15, 16, 22, 25, 31, 51, 54, 58, 65, 82, 85, 86, 94, 415, 417, 421, 440
भारत यात्रा केंद्र 20, 51, 66, 105, 106, 423
भारतीय चीनी मिल संघ 285
भारतीय यूनिट ट्रस्ट 260–261
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 161
भूदान आंदोलन 168
भोंडसी आश्रम 20, 32, 93
मार्टिन लूथर किंग 401
मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल 138
मुदलियार समिति 180, 181
मेरी जेल डायरी 14, 23, 33, 40, 51, 67, 71, 88, 107, 416
यंग इंडियन 14, 15, 21, 23, 33, 53, 62, 67, 77, 85, 88, 108, 416, 417
युवा तुर्क 26, 31, 39, 50, 53, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 82, 84, 89, 92, 99, 101, 107, 108, 373, 415, 421, 432, 436, 441
योजना आयोग 106, 142, 165, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 265
रचना वाहिनी 106
राव, पी वी नरसिंह 16, 49, 60, 90, 99
राष्ट्रमंडल 337–340
राष्ट्रीयकरण
–बैंकों का 132–135
–उद्योगों का 155–159, 257–259
रिपोर्ट
–हजारी 249, 250
–रंगनेकर 250
–कृषि उत्पादन संबंध 283
लाहौर समझौता 139
लिंकन, अब्राहम 32, 104, 131, 202, 323
लुइस, डब्ल्यू. आर्थर 157
लोक लेखा समिति 176–179, 242, 246, 251, 252, 256, 309, 310
लोहिया, राम मनोहर 18, 19, 24, 28, 30, 44, 84, 338, 403
विकल्प अभियान 89
विकास
–कृषि आधारित उद्योग 307–310
–औद्योगिक 248, 257–259
वित्त आयोग 142
वित्तीय संस्थाएं 205–211
विदेश मंत्रालय 334–336

विनिवेश 139, 402

विश्व बैंक 85, 89, 95, 98, 99, 143, 339, 388, 390

विश्वास प्रस्ताव

-1990 365-369, 370-380

-1993 388-395

-1997 396-400, 401-404

वी.पी. सिंह 20, 36, 44, 45, 50, 51, 52, 55, 90, 92, 99, 103, 106

वेंकटरमन, आर. 55, 57, 94, 100

वैश्वीकरण 88, 89, 90, 91, 99

शरीफ, नवाज़ 97, 100, 342

संयुक्त विधायक दल 146, 278

समाजवाद 33, 40, 45, 61, 63, 66, 67, 89, 119, 120, 130, 133, 134, 148, 163, 164, 200, 214, 227, 251, 256, 257, 258, 291, 338, 358

समाजवादी जनता पार्टी 32, 63, 417, 441

सरकार

-पश्चिम बंगाल में विघटन 321-324

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 160-166

सरदार पटेल 45, 167

सहकारिता 311-314

साम्यवाद 75, 119, 137, 170, 266

सार्क शिखर सम्मेलन 97, 329, 330, 341-343

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 143

हड़ताल

-केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 273-276

-अध्यापकों की 277-279

हरित क्रान्ति 144

हवाला मामला 407-408